


भारतवर्ष का इतिहास

(द्वितीय खण्ड)

[महाभारत काल से लेकर प्रारम्भौद्ध काल
तक का राजनीतिक, सामाजिक व
सभ्यता का इतिहास]



लेखक—

श्री आचार्य रामदेव जी
गुरुकुल विश्वविद्यालय कॉण्गड़ी

प्रकाशक—गुरुकुल विश्वाविद्यालय कांगड़ी
गुरुकुल कांगड़ी (विजनौर)
गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में प्रसिद्ध

अपनी आध्यात्मिक माता “कुलदेवि” की
पच्चीसवाँ वर्ष गाँठ की पुण्य स्मृति में
यह तुच्छ सी भेट सादर
समर्पित है ॥

भूमिका

सुप्रसिद्ध इतिहासक सीले का कथन है—“मैं तुम्हें निश्चय से कहता हूँ कि जब तुम अंग्रेज़ जाति का इतिहास पढ़ रहे होते हो, तब तुम इङ्ग्लैण्ड के भूतकाल का नहीं अपितु उस के भविष्यत का अध्ययन कर रहे होते हो। इस इतिहास में तुम्हारे देश का हित और तुम्हारी नागरिकता के सम्पूर्ण अधिकार सञ्चिहित हैं।” यह तथ्य प्रत्येक देश के इतिहास पर समानरूप से घटता है। भारतवर्ष के इतिहास के सम्बन्ध में भी हम ठीक यही बात कह सकते हैं। भारतवर्ष का भविष्य उस के भूतकाल पर आश्रित है। यह आवश्यक है कि आने वाली सन्तति अपने पूर्वजों के चरित्र और वस्तुस्थिति से पूर्णतया परिचित हो, ताकि वह अपने पूर्वजों के अनुभव से लाभ उठा कर उन भूलों से बच सके जो कि पूर्व-पुरुषों के मार्ग में वाधक थीं और उन के गौरव को भली प्रकार स्थिर रख सके।

परन्तु यह खेद का विषय है कि इस जागृति काल में भी भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की गवेषणा की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया। बहुत कम भारतीय विद्वानों ने इस आवश्यक विषय के लिये यत्कञ्चित यत्न किया है। जिन विदेशी विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास की खोज में हिस्सा दटाया है, वे हमारे लिये धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं, परन्तु भारतीय न होने से वे लोग भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को उचित ढङ्ग पर विकसित ही नहीं कर सके हैं। हम इसके लिये उन सब विदेशी ऐतिहासिकों को दोप नहीं दे सकते, यह होना स्वभाविक ही था। इस बात का हमें हर्ष है कि भारतवर्ष के कठिपय अर्वाचीन प्रतिभाशाली ऐतिहासिक इस बड़ी कमी को पूरा करने के लिये आजकल भरसक यत्न कर रहे हैं। इस विषय की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव करके ही मैंने अपना यह तुच्छ प्रयास किया है।

इस खण्ड में महाभारत काल से लेकर प्राग्वैद्वकाल तक का सामाजिक, राजनीतिक व सभ्यता का इतिहास वर्णित है। यह काल भारतवर्ष के इतिहास में नितान्त अन्धकार पूर्ण है, प्रायः ऐतिहासिक भारतवर्ष का इतिहास लिखते हुवे इस काल को यूही छोड़ जाया करते हैं। कुछ लोग तो इसी कारण इस काल की सत्ता से ही इन्कार कर देते हैं। यह सब होते हुवे भी मैं अपने पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस खण्ड में एक भी बात मैंने विना प्रमाण के नहीं लिखी है।

तिथि क्रम के सम्बन्ध में भी एक वात कह देना उचित होगा। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में प्रायः ऐतिहासिक जिस तिथि क्रम को स्वीकार करते हैं, उससे मेरा मतभेद है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि महाभारत का महायुद्ध ईसवी सन् से ३१०० वर्ष पूर्व हुआ। यही वात स्वीकार करके मैंने प्रागबौद्ध कालीन राजनीतिक इतिहास का वर्णन इस खण्ड में किया है।

भारतवर्ष के इतिहास का प्रथम खण्ड प्रकाशित हुए बहुत समय हो चुका है, यह खण्ड बहुत देर में प्रकाशित हो रहा है। इस के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण गंगा की पिछली भर्यंकर बाढ़ है। बाढ़ से पूर्व यह खण्ड लगभग सम्पूर्ण ही लिखा जा चुका था, परन्तु गंगा की बाढ़ अन्य बहुत ही छोटी बड़ी बस्तुओं के साथ इस ग्रन्थ की मूल हस्तलिखित प्रति को भी अपने साथ बहा लेगई। अब इस खण्ड को दुबारा नये सिरे से लिखना पड़ा है। आशा है प्रेमी पाठक इस विलम्ब के लिये क्षमा करेंगे। इस ग्रन्थ के अगले खण्ड भी यथावसर प्रकाशित करने का यत्न किया जायगा।

इस खण्ड के लिखने में जिन ग्रन्थों से सहायता ली गई है, उन की सूची अन्यत्र दी गई है। मैं उन ग्रन्थों के लेखकों, विशेष कर अपने मित्र प्रो० विनय कुमार सरकार, का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रो० सरकार के ग्रन्थों द्वारा मुझे इस खण्ड के तृतीय भाग के लिखने में पर्याप्त सहायता मिली है। अन्त में मैं अपने प्रिय शिष्य प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार और पं० चन्द्रगुप्त विद्यालंकार का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे यह खण्ड लिखने में बहुत सहायता दी है।

विषय सूची

प्रथम भाग

महाभारत कालीन सभ्यता.

प्रथम अध्याय

युद्ध प्रवन्ध तथा शास्त्र

पृष्ठ

३-१५.

पूर्व वचन, ३—सैन्य प्रवन्ध, ४—युद्ध सामग्री, ६—युद्ध विभाग के ढाक्के, ६—विविध प्रकार के ग्रन्थ, ७—कतिपय विचित्र ग्रन्थ, ८—ग्रन्थानि, १०—युद्ध के नियम, १०—राजदूत का वध, ११—ब्राह्मणों का युद्धों को रोक देने का अधिकार, १२—रणब्लूह शिचा, १२—गिविर रचना, १३—निशायुद्ध, १३—शब्द न करने वाले चक्रों से युक्त रथ, १३।

द्वितीय अध्याय

राजा, शासन पद्धति और शासन

१६-३४.

एक सत्तात्मक राज्य की सुखर्णीय प्रथाएँ, १८—राजा की प्रतिज्ञाएँ, १९—राजा खनीनेत्र, २१—ज्येष्ठ पुत्र को राज्य न मिलना, २१—व्यवस्थापिका सभा, २४—निर्णयों का प्रकाशन, २४—राजा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, २५—राजचिन्ह, २६—अभियेक उत्सव और प्रदर्शनियाँ, २६—राजधानी, २७—राजा के शिरक, २८—दरिद्र पोषण, २८—पुरोहितों और शासकों का सम्बन्ध, २९—चक्रशर्ती राज्य, २९—कर संग्रह का प्रवन्ध, ३०—कर का उद्देश्य, ३१—क्रण, ३३—खालों पर कर, ३३—मुक्त चरागाहें, ३४।

तृतीय अध्याय

सामाजिक आचार व्यवहार

३५-५३.

वेदज्ञों का आभाष, ३५—ब्राह्मणों का आपमान, ३५—ब्राह्मणों को दास दक्षिणा, ३६—ब्राह्मणों की अनधिकार घर्चा, ३६—राजस विधाह, ३७—भर्ता वशीकरण, ३८—राजघराने की स्थियाँ, ४०—वाल विधाह, ४१—नियोग, ४१—नियोग की संख्या मर्यादा, ४४—रंगशाला में दर्शक स्थिये, ४५—पति से सहानुभूति, ४५—पर्दी, ४६—पति को नाम से सम्बोधन, ४६—राजाओं की विलासिता, ४६—रिष्वत, ४७—नर बलि, ४७—ग्रन्थकुन, ४५—यपथ और गालियाँ, ४८—नैतिक अनुमतिन और ग्रेटाचार, ५०—दासी दान, ५१—छाती पीट कर रोना, ५२—राजपत्रिवार रक्षक, ५२—सिर सूचना, ५२—प्रदक्षिणा करना, ५३—भेद्याभेद्य, ५३।

चतुर्थ अध्याय

पृष्ठ

५३-५८.

आकृतिक विज्ञान

ज्योतिष, ५४—चिकित्सा, ५६—गर्भ विज्ञान, ५६—ग्रन्थ चिकित्सा, ५७—शरीर ज्ञान, ५७—विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त, ५७—वृक्षों में जीव, ५७।

पञ्चम अध्याय

शिल्प वैभव तथा वाणिज्य व्यवसाय

...

५६-६६.

छ्यापार छ्यवसाय को राज्य की सहायता, ६६—पशु पालन, ६०—सूती और ऊनी यद्धि, ६१—सोने का उपयोग, ६३—मणि, स्वर्ण मुद्रा, ६४—सोने की कुर्सियाँ, ६४—प्रेमो. पहार, ६४—गृहनिर्माण विद्या, ६५—कृत्रिम पशु, ६७—गुप्त मार्ग, ६७—छत्र, ६८—पगड़ी और फैशन, ६८—कपड़े रँगना, ६८—नगर के कोटों पर शस्त्र, ६८—मार्ग दीप, ६९—विदेशों से पशु, ६९।

द्वितीय भाग

राजनीतिक इतिहास.

[महाभारत काल से प्राग्वैद्वकाल तक.]

प्रथम अध्याय

महाभारत काल के विविध राज्य

...

७३-८३.

पूर्व वचन, ७३—महाभारत काल के विविध राज्य, ७४ (पाण्डव पक्ष के—मध्य देश से, पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण से; कौरव पक्ष के—पूर्व से, मध्यदेश से, उत्तर-पश्चिम से, उत्तर से, मध्यभारत से, पश्चिम से, दक्षिण से)–ग्रन्थकवृच्छ संघ, ७८—ग्रन्थ गणराज्य, ८३—ग्रन्थनी का हैराज्य, ८३।

द्वितीय अध्याय

साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति

...

८४-८६.

तृतीय अध्याय

मगध के राजवंश

...

८०-८५.

वार्हद्रेष वंश, ८० (सहदेव, मार्जीरि, श्रुतश्रवा, अयुतायु, निरामित्र, सुच्चत्र, शृहत्कर्मा, सेनाजित, शत्रुघ्न्य, महावंल, शुचि, क्षेम, सुव्रत, सुनेत्र, निवृत्ति, विनेत्र, द्वृष्टेन, सुचल, सुमति, सुनेत्र, सत्यजित, वीरजित, रिपुञ्ज्य)–प्रद्योत वंश, ८३ (प्रद्योत, पालक, विशश्वूष, ननिन्दर्घन)–शिशुनाग वंश, ८५ (शिशुनाग, काकवर्मा, क्षेप धर्म, क्षेत्रज्ञ, बिम्बिसार.)।

<u>हस्तिनापुर का चन्द्रवंश</u>	<u>चौथा अध्याय</u> <u>६६-६६.</u>
<u>कोशल का सूर्यवंश</u> ...	<u>पाँचवाँ अध्याय</u> <u>१००.</u>
<u>काश्मीर का राजवंश तथा अन्य राज्य</u>	<u>छठा अध्याय</u> <u>१०१-१०२.</u>
<u>सैमीरेमिस का आक्रमण</u>	<u>सातवाँ अध्याय</u> <u>१०३-१०६.</u>
<u>प्रारब्ध काल के सोलह राज्य</u> ...	<u>आठवाँ अध्याय</u> <u>१०७-११०.</u>

मगध का राज्य, १०७—कोशल का राज्य, १०७—वत्स या वंश का राज्य, १०७—
अवन्ती का राज्य, १०७—काशी, १०७—अङ्ग, १०८—चेदी, १०८—कुरु, १०८—
पाञ्चाल, १०८—मत्स्य, १०८—शूरसेन, १०८—अस्सक या अश्मक का राज्य, १०८—
गान्धार, १०८—काम्बोज, १०८—वैजजीन का राज्य, १०८—मङ्ग, १०८।

तृतीय भाग

शुक्रनीतिसार कालीन भारत.

प्रथम अध्याय

<u>शुक्रनीतिसार</u> <u>११३-११६.</u>
पूर्व वचन, ११३—शुक्रनीतिसार, ११४—प्राचार्य शुक्र कौन है?, ११४—काल निर्णय, ११४।			

द्वितीय अध्याय

<u>भौगोलिक अवस्था</u> <u>१२०-१२४.</u>
दिग्बिभाग, १२०—प्रान्त विभाग, १२०—छोटे प्रान्त, १२१ लंका, १२१—गण्डक, १२२—खश, ११२—पर्यंत, १२२—नदियाँ, १२३—समुद्र, १२३—नक्षत्र, १२४।			

तृतीय अध्याय

राजा और शासन प्रबन्ध

...

...

... १२५-१४४.

राजा की स्थिति, १२५—आदर्श राजा, १२६—युवराज की शिक्षा और स्थिति, १२८—मन्त्रमण्डल, १३०—मन्त्रिपरिषद् की महत्वा, १३३—मन्त्रियों की वैयक्तिक स्थिति, १३३—मन्त्रियों का कार्य, १३५—राजगङ्गाओं का प्रकाशन, १३७—राजा की दिनचर्या, १३८—राजकीय सेवाएँ, १४१—स्थिर सेवाएँ, १४१—पद वृद्धि, १४२—निरीक्षक, १४३—गुप्तचर १४३—आवागमन के साधन, १४३।

चतुर्थ अध्याय

प्रजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य

...

१४५-१५३.

प्रजातन्त्र के उदाहरण, १४५—जनता की योग्यता, १४६—प्रजा के अधिकार, १४६—वैध शासन, १४७—व्यवस्थापिका सभा, १४८—तत्कालीन शासन का स्वरूप, १४०—स्थानीय स्वराज्य, १५१ (श्रेणी, गण, पूग, संघ)।

पञ्चम अध्याय

न्याय व्यवस्था

...

...

...

१५४-१७४.

न्याय विभाग, १५४—न्याय सभा, १५५—न्यायालय, १५८—न्यायालय की कार्रवाई, १५९—वादी को दण्ड, १६०—शावेदन और साक्षी, १६०—वारणट, १६२—प्रतिनिधि, (वकील), १६३—वकील का वेतन, १६१—गुरुतर अपराध, १६४—जमानत, १६४—अर्जी या प्रतिक्षा के वाक्य, १६५—जिरह, १६६—उत्तरों का वर्गीकरण, १६७—श्रमियोग का प्रकार, १६७—श्रमियोगों का क्रम, १६८—साक्षी, १६८—साक्षियों के लिये निर्देश, १६९—मुद्रा पत्र (स्टाम्प पेपर), १७०—भूमि का मौखिक होना, १७१—दैवी साक्षी, १७२—श्राय के भाग (शेयर), १७३—कुछ अन्य नियम, १७३—उपसंहार, १७४।

छठा अध्याय

सेना प्रबन्ध, शस्त्राख्य तथा युद्धनीति

...

...

१७५-१९६.

सेना विभाग, १७५—सेना निर्माण, १७७—रथ, १७७—हाथी, १७७—घोड़े, १७८—सैन्य पालन, १८०—छावनियाँ, १८१—सैनिकों को शिक्षा, १८२—सेना के लिये आवश्यक सामान, १८३—सैनिकों के लिये अन्य नियम, १८३—सैनिकों की गणना, १८४—सैनिकों को वेतन, १८४—सैनिकों को दण्ड, १८५—वारूद के प्रमाण, १८६—शस्त्राख्यों के भेद, १८७—बन्दूक, १८७—तोप, १८८—वारूद बनाने की विधि, १८८—गोले और गोलियाँ, १८९—अन्य हथियार, १८९—श्रग्न्याख्यों का प्रयोग, १९१—पद्मगुण, १९१—व्यूह, १९२—युद्ध के प्रकार, १९३—धर्मयुद्ध और कूटयुद्ध, १९४—विजित सम्पत्ति का विभाग, १९५।

सातवाँ अध्याय

राष्ट्रीय आय १६७-२१८

आय के स्रोत, १६७—शाश्वतकर, १६८—भूमि कर, १६९—खनिज कर, २००—जंगलात, २०१—पशु कर, २०१—ग्रम, २०१—चार ग्रन्थ-साधन, २०१—राष्ट्रीय ऋण, २०२—कर सिद्धान्त, २०२—सुद्रा पटुति और विनिमय मध्यम, २०५—बजट, २०७—व्यय के विभाग, २०७—राष्ट्रीय व्यय के सिद्धान्त, २०९—राजकर्मचारियों का वेतन २१०—भूत्यों को ग्रावकाश, २११—हणावकाश तथा वेतन, २१२—पेन्शन, २१२—इनाम, २१२—कर्मचारियों पर दशह का प्रभाव, २१३—आय व्यय के लेख पत्र, २१३—सेक्सप्रब्रों की स्वीकृति, २१४—आय व्यय का लेखा, २१५।

आठवाँ अध्याय

समाज की आर्थिक दशा २१७-२३१

उन क्रमान्ते के उपाय, २१७—शिल्प और व्यापार, २१९—कला, २२०—व्यवसायों में स्वतन्त्रता, २२२—सहौं द्वारा उत्पत्ति, २२३—ग्रेणियाँ और उनके अधिकार, २२४—ग्रावागमन के मार्ग, २२५—सहौं की वनावट, २२६—मणिडयाँ, २२७—पदार्थों का मूल्य और मुनाफा, २२७—मूल्य और दाम, २२८—कृषि, २३०।

नौवाँ अध्याय

भौतिक सभ्यता और धर्म २३२-२५४

जंगलात, २३२—तोल और परिमाण, २३३—राजधानी, २३६—भवन निर्माण, २३८—सभा भवन, २३८—सरायें, २३९—विद्यार्थ, २४०—राजकीय पत्र, २४२—खनिज, २४३—शराव और जूधा; २४५—प्रतिमा निर्माण, २४६—सरकार और देव-मन्दिर, २४७—ग्राम व्यवस्था, २४८—वर्ण व्यवस्था, २४८—स्त्रियों की स्थिति, २५०—सती प्रथा, २५२—स्त्रियों के ग्रन्थ अधिकार, २५३।

चतुर्थ भाग

भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार

प्रथम अध्याय

चीन और भारत २५७-२८०

पूर्व व्रत, २५८—भारत और चीन का प्राचीन साहित्य; २५८—परम्परा से विद्यादान, २५९—ग्रन्थ साहित्यिक समानताएँ, २५९—यज्ञ, २६२—मृत्युत्साहों के लिये प्रारूप,

२६४—परमात्मा सम्बन्धी विचार, २६५—आध्यात्म सिद्धान्त, २६६—पुनर्जन्म और कर्म सिद्धान्त, २६७—जगत की उत्पत्ति, २६८—योग और प्राणायाम, २६९—निष्काम कर्म, २७०—पूर्णयोगी और जीवन मुक्त, २७१—ऐतिहासिक प्रमाण, २७२—चीन और भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुवा?, २७३—प्राग्यौद्यु कालीन भारत का चीन पर प्रभाव, २७४—भारतीय राजकुमार, २७५—भगदत्त, २७६—उपसंहार, २८०।

द्वितीय अध्याय

भारत और ईरान

...

२८१-२८७.

ज़िन्दावस्था के प्रमाण, २८१—सम्बन्ध शिशिल क्या हुवा ?, २८२—धर्मों की समानता, २८४—ग्रन्थ समानताएँ, २८५—ज़िन्द ग्रन्थस्था, २८५—भाषाओं में समानता, २८५—वैदिक शब्दों के विकृत रूप, २८७।

तीसरा अध्याय

एसनीज़ लोग और भारतीत आर्य

...

२८८-२९१.

धेराप्पूट्स, २८८—एसनीज़ लोग, २८९—एसनीज़ों की प्रार्थनाएँ, २९०।

चौथा अध्याय

भारत और पश्चिम एशिया

...

२९२-३०१.

मोहन जोदडो, २९२—हरप्पा, २९३—ग्रन्थ ऐतिहासिक प्रमाण, २९४—पद्मासन, २९५—भौतिक सभ्यता, २९६—चालडी और वैदिक साहित्य, २९८—हिन्दू और भारतीय सभ्यता, २९९।

पाँचवाँ अध्याय

भारत और यूनान

...

३०२-३१८.

रामायण और इन्डियड, ३०२—मनु और मिनौस, ३०६—दार्शनिक विचारों में समानता, ३०७ (ईश्वर की एकता, प्रलय, सत्कार्यवाद, आत्मा की नित्यता आदि सिद्धान्त)—पुनर्जन्म का सिद्धान्त, ३११—वर्णव्यवस्था, ३१२—संस्कार, ३१२—शिक्षा पठति, ३१३—सत्युग, ३१४—शिक्षा के सिद्धान्त, ३१४—देवताओं में समानता, ३१५ (यम और एलेटो, कृष्ण और अपोलो, काली और लायर्न, वैल)—क्षतु यज्ञ, ३१६—ग्रन्थ समानताएँ, ३१६ (अहिंसा, सत्य, पञ्चभूत), ...

छठा अध्याय

इटली और भारत

...

३१६-३२८.

जेनेस और गणेश, ३१६—सैटन और मत्यव्रत, ३२०—सिरिस और श्री, ३२१—कृपीटर और इन्द्र, ३२१—जूनो और पार्वती, ३२१—मिनर्वा और दुर्गा, ३२२—मिनर्वा और सरस्वती, ३२३—जूनो और भवानी, ३२२—डायोनीसिस और राम, ३२३—कृष्ण और सूर्य, ३२३—रीतिरिक्षाज, ३२३—राजनियम, ३२४—चतुर्वर्ण, ३२८—धार्मिक ग्राचार विचार, ३२८।

सातवाँ अध्याय

झूँड़ लोग तथा आर्य जाति ३२४-३३४-

दार्शनिक विचार और रीतिरिवाज, ३२८—प्रथाओं में समानता, ३३१—समाज में झूँड़ लोगों की स्थिति, ३३३।

आठवाँ अध्याय

भारत और अमेरिका ३३५-३४२-

पूर्वीय देश और अमेरिका, ३३५—चतुर्युग की कल्पना, ३३६—जलप्राप्ति का विश्वास, ३३७—चोलुला का दुर्ज, ३३७—मृतकों का दाह, ३३८—भाषा की समानता, ३३९—वैज्ञानिक सादृश्य, ३३९—ग्रन्तुश्रुति (Tradition), ३४०—क्वेटसालकट्टल और सालकट्टक, ३४०।

नौवा अध्याय

भारत और अफ्रीका ३४३-३५०-

संस्कारों की प्रथा, ३४४—जातकर्म, ३४४—ग्रन्त प्राप्ति, ३४४—मुख्डन, ३४५—सेखला, ३४५—वेदारम्म, ३४५—मृतक संस्कार, ३४६—निरामिश भोजन, ३४७—अग्निपूजा, ३४७—ब्रह्मचर्य, ३४७—विवाह, ३४८—यज्ञाग्नि की साढ़ी, ३४८—शिखा, ३४९—शिक्षा, ३४९—भिज्ञा ३४९—प्रार्थनाएँ, ३५०।

दसवाँ अध्याय

भारत और मिथ्र ३५१-३६२-

प्रलय और उत्पत्ति, ३५१—मात (Maat) और ऋत, ३५२—प्राचीन मिथ्री साहित्य और वेद, ३५३—घर्ण ठ्यवस्था, ३५४—सामाजिक और परिवारिक जीवन, ३५४—चार क्रषि, ३५५—यम की तुला, ३५६—यज्ञाग्नि, ३५६—सूर्यवंश, ३५६—इम और द्वतु, ३५६—नाग पूजा, ३५७—ग्रादिम और अतुम, ३५७—भाषाओं में समानता, ३५७—आत्मा की अमरता में विश्वास, ३५८—एक दैश्वर में विश्वास, ३५९—सदाचार के सिद्धान्त, ३६१—कर्नल आलकाट का मत, ३६१—कुछ अन्य विद्वानों के मत, ३६२।

सहायक पुस्तकों की सूची.

१. अर्थव्व वेद
२. अनेकार्थ रत्नमाला
३. अभिज्ञान शाकुन्तला,—कालीदास
४. अष्टावश पुराण
५. अक्षर विज्ञान,— रघुनन्दन शर्मा
६. ऋग्वेद
७. कौटिल्य अर्थशास्त्र,—आचार्य चाणक्य— (श्याम शस्त्री द्वारा सम्पादित)
८. गीता,—श्रीकृष्ण
९. दस उपनिषदें
१०. धर्मपाद
११. नैषद काण्ड,— श्री हर्ष
१२. पञ्चतन्त्र,— परिणित विष्णु शर्मा
१३. वाल्मीकि रामायण,— वाल्मीकि
१४. वौद्धायन गृह्णासूत्र
१५. ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य,—श्री शङ्कराचार्य
१६. ब्राह्मण ग्रन्थ
१७. मनुस्मृति,— मनु
१८. महाभारत,— व्यास— (कलकत्ता संस्करण)
१९. यजुर्वेद
२०. यात्रात्मक
२१. योगदर्शन,— पतञ्जलि
२२. राजतरङ्गिणी,—कल्हण— (स्टाइन द्वारा सम्पादित)
२३. शब्दार्थ चिन्तामणि
२४. शिव संहिता
२५. शुक्रनीति,— आचार्य शुक्र
२६. सामवेद
२७. साँख्यतत्त्व कारिका
२८. Asiatic Researches. (Seven Volumes.)
२९. Bart, John L.—The Origin of Civilisation and the Primitive Condition of Man.

30. Besant, Annie—The Ancient Wisdom.
 31. Bluntschli,—Theory of the State.
 32. Breasted, J. H.—A History of Ancient Egyptians.
 33. Budge, E. A. Wallis—The Teaching of Amen-am-apt.
 34. Chaudhari, Roy—Political History of India
 35. Collins, Clifton, W.—Plato.
 36. Cook, Kenningale—The Fathers of Jesus.
 37. Doane, T. W.—Bible Myths.
 38. Encyclopidia Britanicæ.
 39. Encyclopidia of Religion and Ethics.
 40. Exodus.
 41. Farnell, L. R.—Higher Aspects of Greek Religion.
 42. History of Greece.
 43. Hutchinson,—Customs of the World. First Volume.
 44. Iliod and Ramayan.
 45. Indian Antiquary. Vol. VIII.
 46. Jaswal—Hindu Pality.
 47. Jones, M. E. Monkton—Ancient Egypt from Records.
 48. Junod, Henri H.—The Life of a South African Tribe. Two Volumes.
 49. Kennedy, Vanes—Hindoo Mythology.
 50. Kwangze Book.
 51. Lillie, Arthur—India in Primitive Christianity.
 52. Massey, Gerald—A Book of the Beginning. Vol. I.
 53. " " —The Natural Genesis. " II.
 54. Megasthenese—Fragments of Indica.
 55. Mukerji, R. Kumud—History of Indian Shipping.
 56. Oppert, Gustav—Weapons in Ancient India.
 57. Parjitar—Ancient Historical Traditions.
 58. Pattison, A. S. Pringle—The Idia of Immortality.
 59. Pattrie, W. M. Flinders—Social Life in Ancient Egypt.
 60. Perry, W. J.—The Children of the Sun.
 61. Phillips, Maurice—The Teaching of the Vedas.
 62. Plato—Laws of Plato.
 63. " —Republ.
 64. Potter—Antiquities of Greece.

पत्र पत्रिका

1. Letatary Digest. Newyark (Amarica).
 2. Modern Review. Calcutta.
 3. Thiosophist. Madras.
 4. Vedic Magazine. Lahore.
 5. माधुरी. लखनऊ.
 6. अलङ्कार. गुरुकृत काँगड़ी.



प्रथम भाग

महाभारत कालीन सभ्यता.

“स्वायम्भुव राजा से लेकर पाश्चल्य पर्यन्त आयों का चक्रवर्ती राज्य रहा, तत्पश्चात् परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये, वयोंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान् लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। और यह संसार की रवाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है, इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन जैसे कि मद्यमांस सेवन, विषयासक्ति, वाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि उसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों का पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है; और जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है जो कि उनका पराजय करने में से समर्थ होते, जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्द सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।” (सत्यार्थ प्रकाश, समुद्घास ११)

—स्वामी दयानन्द.

* प्रथम अध्याय *

युद्ध प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्रः

पूर्व चत्तनः

महाभारत कालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाला सम्पूर्ण साहित्य आज हमें उपलब्ध नहीं होता। उस समय के राजनीतिक तथा सभ्यता के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला केवल एक ही ग्रन्थ “महाभारत” नाम से प्राप्त होता है। यह ग्रन्थ पूर्णरूप से ऐतिहासिक नहीं है, इसमें समय २ पर पर्याप्त मिलावट भी होती रही है। परन्तु वह सम्पूर्ण मिलावट प्राचीन गाथाओं (Mythology) से संबन्ध रखते वाली है, इस कारण इस ग्रन्थ से महाभारत कालीन राजनीतिक तथा सभ्यता का इतिहास जानने में कोई बड़ी वादा उपस्थित नहीं होती।

महाभारत एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है; इस देश की वह एक अतुल सम्पत्ति है। यह ग्रन्थ बड़ा विस्तृत है, अष्टादश पुराण और गीता भी इसी महद् ग्रन्थ के भाग हैं। महाभारत छापा तत्कालीन भारतवर्ष का इतिहास, सभ्यता, दार्शनिक विचार, सामाजिक और भौतिक दशा आदि वहुत सी ज्ञातव्य वातें प्रामाणिक रूप से जानी जा सकती हैं। इसी ग्रन्थ के आधार पर हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड के अन्त में भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कर चुके हैं; इस भाग में महाभारतकालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने का यज्ञ किया जायगा।

भारतवर्ष के लघ्वे इतिहास में जिस प्रकार उन्नति, अवनति, जय, प्राजय, शान्तिपूर्ण राज्य और अराजकता के एक दूसरे से सर्वथा प्रतिकूल काल उपस्थित होते रहे हैं, उस प्रकार के दृश्य सभ्ववतः संसार के किसी अन्य देश के इतिहास में प्राप्तान होंगे। परन्तु इस सम्पूर्ण इतिहास में भी महाभारत का काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस काल में भारतवर्ष किसी दृष्टि से तो उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुवा प्रतीत होता है और किसी दृष्टि से वह वहुत अवनति प्रतीत होता है। महाभारत की घटना भारतवर्ष के इतिहास में जो महान् युगपरिवर्तन लाई है, वैसा युगपरिवर्तन इस देश के इतिहास में अन्य काई अकेली घटना नहीं ला सकी।

राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष का लोग भारत बहुत उन्नत प्रतीत होता है। इस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष राजनीतिक शासन की दृष्टि से एक ही चुका था; हस्तिनापुर सम्पूर्ण देश की राजधानी था। हस्तिनापुर के सम्राट् भारतवर्ष तथा उसके अन्य उपनिवेशों के सम्राट् हुवा करते थे। विभिन्न प्रान्तों तथा भारतवर्ष के उपनिवेशों में आधीनस्थ विभिन्न मारण्डलिक राजा लोग शासन किया करते थे; ये लोग केत्तीय सार्वभौम सम्राट् को कर दिया करते थे। बहुत से अन्य देशों के साथ भारतवर्ष का ऐसा गौरवपूर्ण सम्बन्ध था कि वे देश भारतवर्ष को, आपत्तिकाल में सहायता लेने के लिए, समय २ पर स्वयं कर दिया करते थे। हसी प्रकार सरकार की रचना आदि अन्य राजनीतिक पहलुओं से भी तत्कालीन भारतवर्ष बहुत उन्नत प्रतीत होता है।

परन्तु महाभारत कालीन सभ्यता की सम्बन्ध में हम एक साथ किसी एक परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। इस के हमें दो भाग करने होंगे—भौतिक सभ्यता और सदाचार। भौतिक सभ्यता की दृष्टि से भी इस समय का भारतवर्ष बहुत उन्नत प्रतीत होता है। भौतिक सभ्यता के कुछ अङ्गों में इस समय का भारतवर्ष जितना अधिक उन्नत था, उन अङ्गों में वह उस से अधिक उन्नत महाभारत से पूर्व कभी भी न हो पाया था। युद्धनीति, शस्त्रार्थ, प्राकृतिक विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय, भावागमन का प्रबन्ध—इन सब में महाभारत कालीन भारतवर्ष बहुत उन्नति कर चुका था, इन अङ्गों इतनी उन्नति वर्तमान यूरोप १८ वीं सदी के अन्त तक भी न कर पाया था। परन्तु सभ्यता के दूसरे अङ्ग सदाचार की दृष्टि से हम महाभारत कालीन भारतवर्ष को बहुत उन्नत नहीं कह सकते। महाभारत के युद्ध से बहुत समय पूर्व ही इस देश के निवासियों का सदाचार प्राचीन काल की अपेक्षा अवनत होने लगा था।

महाभारत काल में जूप का प्रचार, राक्षस विवाह, सदाचार का नाश, मध्यमाँस सेवन आदि बुराइयाँ भारतवासियों में प्रवेश कर चुकी थीं। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उस समय साधारण जनता का आचार विलुप्त अवनत हो चुका था। समाज में उपर्युक्त बुराइयाँ अवश्य थीं परन्तु इन बुराइयों को श्रद्धा और अभिमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था; इन्हें मनुष्य समाज की कमज़ोरी ही समझा जाता था। सामाजिक आचार की उन्नति और पवित्रता के लिये सरकार भरसक यत्न कियां करती थी। उस समय भी व्यास और भीष्म जैसे विद्वान् मौजूद थे। इन का समाज में

यथेष्ट मान था, और ये लोग सामाजिक शाचार की उन्नति के लिए भरसक यत्त किया करते थे । इस समय लिंगों की अवस्था अच्छी तरह रही थी । खीजाति को पूज्य दृष्टि से न देखा जाता था । भरो सभा में सती द्वैपदी का घोर अपमान महाभारत काल पर सब से बड़ा कलंक है । इसी प्रकार, राक्षस विवाह, बहु विवाह आदि घृणित प्रथाओं के उदाहरण भी महाभारत काल में पाये जाते हैं ।

इस में सन्देह नहीं कि महाभारत के युद्ध से भारतवर्ष को बहुत भारी धक्का पहुंचा ; इस का यह परिणाम हुआ कि साम्राज्य युधिष्ठिर के कुछ काल अनन्तर ही भारतवर्ष का साम्राज्य छिन्न भिन्न होगया, यह विशाल देश भिन्न २ भागों में विभक्त होगया ; अलग २ प्रान्तों पर भिन्न २ घंश राज्य करते लगे । परन्तु इस से यह न समझ लैना चाहिये कि इस महायुद्ध के बाद भारतवर्ष फिर कभी उन्नति ही नहीं कर सका । महाभारत के युद्ध से लगभग २५०० वरस बाद मौर्य काल में फिर से सम्पूर्ण भारत मगध के एक छत्र शासनाधीन होकर केन्द्रित होगया । इस काल में भारतवर्ष राजनीतक दृष्टि से फिर से उतना ही उन्नत होगया जितना कि वह महाभारतकाल में था ।

एक और बात भी ध्यान रखने योग्य है । भारतवर्ष की वर्तमान राजधानी दिल्ली नगर की तीव्र साम्राज्य युधिष्ठिर से रक्खी थी । दिल्ली को सब से प्रथम इसी काल में भारतवर्ष की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।

सैन्य प्रबन्ध— महाभारत के सहायुद्ध में भारतवर्ष के भिन्न २ प्रान्तों की सेनायें लाखों की संख्या में सम्मिलित हुई थीं । इस युद्ध में अन्य देशों से भी सैन्य सहायता पहुंचाई गई थी । महाभारत द्वारा प्रतीत होता है कि उस समय सैन्य प्रबन्ध बहुत अच्छे हंग पर किया जाता था । सेना दो प्रकार की होती थी—I. स्थिर सेना II. स्वयंसेवक सेना ।

I. स्थिर सेना का प्रबन्ध बहुत पूर्ण था । सैनिकों को वेतन ठीक समय पर दे दिया जाता था । सभापर्व में नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है—“क्या तुम अपने सैनिकों को उन का पूरा वेतन और भोजन का हिस्सा ठीक समय पर देते हो ? सैनिकों का वेतन उन्हें सदैव ठीक समय पर दे देना चाहिये । मेरा विचार है कि तुम ऐसा ही करते हो और साथ ही अपने सैनिकों पर अत्याचार

भो नहां करते ।”^१

II. देश पर आपत्ति आई हुई देख कर देश के नवयुवक स्वयंसेवक बद्ध कर सेना में भरती होते थे । बहुत से स्वयं सेवक विना वेतन लिये, देश प्रेम से वशोभूत होकर ही इस सेना में सम्मिलित होते थे । उद्योग पर्व में भीष्म कहते हैं—“मैं सेना के सब कार्यों से परिचित हूँ । मैं स्थिर वेतन भोगी सैनिकों और अवैतनिक स्वयंसेवकों से भी कार्य करा सकता हूँ ।”^२

इस से प्रतीत होता है कि उस समय देश के साधारण नवयुवक भी दयूहाभ्यास तथा शस्त्र चालन का अभ्यास किया करते होंगे ।

युद्धसामग्री— उस समय राज्य की ओर से शस्त्रादि सामग्री को उचितरूप में रखा जाता था । सभापर्व में नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं— राजन्, तुम्हारे दुर्ग में सत्र धनधान्य और आयुधादिक उचित रीति से संग्रहीत हैं या नहीं ? तुम्हारा कोप, भण्डार, वाहन (सवारियें), द्वार पर प्रयुक्त होने वाले आयुध, तथा तुम्हारे कल्याण चाहने वालों से प्रदत्त आय आदि सभी दीक हैं या नहीं ?”^३

युद्ध विभाग के डाक्टर— सेनाएँ दुर्गों में रहा करती थीं और उन में युद्ध विभाग के डाकूर रहा करते थे । उद्योग पर्व में हम पढ़ते हैं—“युधिष्ठिर अपनी सेना के कोप, यन्त्र, शस्त्र और वैद्यों को लेकर चला ।”^४

इसी प्रकार भीष्म पर्व में लिखा है—“जब भीष्म शरशश्या पर पड़े हुए थे, तो उन के लिये शत्र्य और लोह कीलकों के निकालने में चतुर,

१. कञ्चद्वृतस्य भक्तव्यं वेतनघ्नं यथोचितम् ।

सम्प्राप्तकाले दातव्यम् ददाति नविकर्मसि ॥ ४८ ॥ (सभा० अ० ५०)

२. सेना कर्मण्यभिज्ञोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च ।

कर्मकारधितुं चैव भृतामप्यभृतांस्तथा ॥ ८ ॥ (उद्योग० अ० १५४.)

३. कञ्चित्कोष्ठश्च कोषञ्चयाहनं द्वारमायुधम् ।

आयश्च कृतकाच्याणैस्तथ भक्तैऽनुष्ठितः ॥ ६७ ॥

कञ्चिद्दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधादिकैः ।

यन्त्रैश्चपरिपूर्णानि तथा शिल्पधनुर्धरैः ॥ ३५ ॥ [सभा० अ. ५]

४. कोपयन्त्रायुधञ्चैव वैचवैद्याश्चिकित्सकाः ॥ [उद्योग, अ० १५ । ५८]

अनेक सुशिक्षित वैद्य अपनो सब सामग्री, थोड़ा आदि, लेकर उपस्थित हुए । इस पर भीष्मपितामह बोले कि सब वैद्यों को उचित धन देकर उन्हें सन्तुष्ट करो, मैंने क्षात्र धर्म में रह कर यह प्रशान्त परमगति प्राप्त की है अब मुझे वैद्यों से ज्ञा प्रयोजन है ।”^१

उद्योगपर्व में रणभूमि में लगे हुए राजाओं के कैम्पों का वर्णन करते हुए लिखा है—“वहाँ पर सैकड़ों इस प्रकार के शल्य—चिशासद् वैद्य उपस्थित थे, जिन के पास सम्पूर्ण उपकरण (Instruments) विद्यमान थे और जिन को नियमित रूप से वेतन मिलताथा ।”^२

विविध प्रकार के अल्प— इस में सन्देह नहीं कि महाभारत काल में बहुत भयंकर अल्प विद्यमान थे । तोप और बन्दूक के सदृश अग्नि की सहायता से चलने वाले भयंकर अल्प भी उस समय विद्यमान थे । भीष्मपर्व में युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है—“रथी लोग अपने रथों पर चढ़ कर कर्णि-पत्र चाले वाणों और नालिकालों (बन्दूक) से चीरों को युद्ध में मार कर सिहनाद करने लगे ।”^३

द्रोणपर्व में लिखा है—“उस समय राक्षस, जिन का चल सन्ध्याकाल होने से और भी बढ़ गया था, चारों ओर से पत्थरों की बहुत अधिक वर्षा कर रहे थे । लोहे के बने हुए चक्र, भुशुरिड, तोमर, शक्ति, शूल, पट्टिश और शतद्वियां (तोपें) घराघर चल रही थीं ।”^४

इसी प्रकार भीष्मपर्व में युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए लिखा है—

१. उपतिष्ठथो वैद्याः शल्योद्गुणकोविदाः ।

सर्वोपकरणैर्युक्ताः कुशलैः साधुशित्तिताः ॥ १७ ॥

तामृटप्त्वा जान्हवीपुञ्चः प्रोवाच तनयं तव ।

धनंदत्वाविसृज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥ १८ ॥ [भीष्म पर्व. अ. १२२]

२. तत्रासत् शिलिपनः प्राचः शतशोदत्तयेतनाः ।

सर्वोपकरणैर्युक्ताः वैद्याः शास्त्रविशारदाः ॥ [उद्योग ० अ. १५१]

३. रथिनश्वरस्यै राजत् कर्णिनालीकसायकैः ।

निहत्य समरे वीरान् विहनादाङ् विनेदिरे ॥ ३१ ॥ [भीष्म ० अ ४६]

४. ततोऽस्मवृष्टिरत्यन्तमासीनत्रसमन्ततः ।

सन्ध्याकालाधिकबलैर्विसुक्ताः राज्ञसैः चिंतौ ॥ ६८ ॥

श्रायसानि च चक्राणि भुशुणहृयः शक्तिमराः ।

पतन्त्यविरताः शूलाः शतद्वयः पट्टिशास्त्राः ॥ ६९ ॥ [द्रोण ० अ ११६]

“युद्धमें गिरते हुए शक्ति, तोमर, तलवार, पट्टिश, प्राप्ति, परिधि, भिन्निपाल और शतम्भी (तोपों) आदि शाखों से अंहृत योद्धाओं की लाशों से सारी पृथिवी ढक गयी ।”^१

भीष्मपर्व में कलिङ्ग देश के राजा के हाथियों का वर्णन इस प्रकार किया है— “उसके पर्वत के तुल्य हाथी, मशीनों, तोमरों, तृणीरों, और इवजाओं से सुशोभित थे ।”^२

इसी प्रकार—“भीष्म ने कभी शरों और कभी नालीकाला से छोड़े लघु बाणों से उसकी सम्पूर्ण सैना को ढक दिया ।”^३

द्रोणपर्व में—“शकुनि ने अर्जुन और कृष्ण पर लगुड़, लोहगोलक, पत्थर, तोप, शक्ति, गदा, परिधि, तलवार, शूल, मुद्रा, पट्टिश, सकम्पन-मृष्टि, नखर, मुसल, कुठार, क्षरप्र, नालिकाला, बन्दूक, आदि शाखाओं की घर्षा की ।”^४

भीष्मपर्व में—“भीष्म ने भी बाणों से शतम्भी (तोपों) को भेद दिया ।”^५

“जिस प्रकार खूब भड़कती हुई आग धायु की सहायता पाकर सब और कैल जाती है उसी प्रकार भीष्म अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हुआ जल उठा ।”^६

उद्योगपर्व में—“जिस समय गारडीव को धारण करने वाला अर्जुन कर्णीशर और नालीकाला और मर्मभेदी बाणों को चलाता है, तब उस के मुकाबले पर कोई भी नहीं था सकता ।”^७

शान्तिपर्व में राज धर्म के प्रकरण में दुर्गनिर्माण धताते हुए लिखा है— “युद्ध कोट बना कर नगरों की रक्षा करनी चाहिये । द्वारों पर बड़े बड़े यन्त्र रखवा देने चाहियें और दीवारों पर शतम्भियां (तोपें) चढ़ानी चाहियें । राजा को यह सब कार्य अपने हाथ में रखना चाहिये ।”^८

१. परिषेभिन्निपालैष्ट शतधनीभिस्तद्यैव च ।

शारीरैः शस्त्रभिन्नैष्ट समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ५८ ॥, [भीष्म अ. ९७]

२. तस्य पर्वतसंकाशाः व्यरोचन्त महागजाः ।

यन्त्रतोमरतूणीर पताकाभिष्टशोभिताः ॥ ३४ ॥ [भीष्म० अ. १७]

३. कर्णिनालिकनाराचैश्वादयामास तद्वलम् ॥ १३ ॥ [भीष्म०, १०७ अ०]

४. द्रोण० अ० ३० सौ० १६-१७. ५. भीष्म० अ० ११४ सौ० ४१.

६. भीष्म० अ० ११७ सौ० ६१. ७. उद्योग० अ० ५१ सौ० ३.

८. शान्ति० अ० ६९ सौ० ४४-४५

“वनपर्व में इन्द्र द्वारा अर्जुन के लिये भेजे रथ का वर्णन करते हुए अशनि शख्स का अद्भुत वर्णन आता है । “अशनिशख्स ऐसा होता था कि उस में एक एक मन का गोला डाला जाता था । उस के नीचे चक्र लगे रहते थे । गोले वायु में ही फूट जाते थे और वड़ा भारी धक्का पहुँचाते थे । उस से बादलों की तरह धोरनाद होता था ।” १

द्वोणपर्व में नारायणाख्य का वर्णन आता है कि—“प्रथम धगले भागों से जलते हुए वाण प्रगट हुए और सारी दिशाओं में फैल गये । उसके बाद तारों की तरह दीप्यमान सीसे (कापर्णायस) के चमकते हुए गोले छोड़े गये । फिर चार चक्रों वाली विचित्र प्रकार को शतग्नियां, वड़े २ गोले और ऐसे चक्र जिन की धाराएँ छुरे के समान तेज थीं, प्रगट हुए । वे ज्यों २ बढ़ते चले गये, त्यों २ वह अल्प भी बढ़ता गया । उस नारायण अल्प द्वारा वे सब शब्द ऐसे मारे गये जैसे आग ने उन्हें भून दिया हो । जिस प्रकार शीतकाल के चले जाने पर अग्नि वाँस को जला देती है उसी प्रकार उस अल्प ने भी पाण्डवों की सारी सेना को भस्त कर दिया ।” २

कातिपय विचित्र अस्त्र-इन के अतिरिक्त अन्य भी विचित्र प्रकार के अल्पों का वर्णन महाभारत में आया है, जिन का प्रयोग सम्भवतः पृथ्वी-मण्डल के किसी अन्य भाग में कभी भी नहीं हुआ होगा ।

१. तथैधायनयश्चैव चक्रयुक्तस्तुलागुहाः ।

धायुस्फोटासनिर्धातां भहामेयस्यनास्याः ॥ ५ ॥ [वनपर्व० अ० ४२]

२. प्राहुरासंस्ततो यासा; दीप्तग्रात्य यस्तस्थः ।

पापद्यामृद्ययिष्यन्तः दीप्तस्या द्वय पञ्चाः ॥ १७ ॥

से दिशः च च स्त्र्यं च सप्तानुग्रन्थ चक्रादये ।

तथापरे द्योतमाना ज्योतींपीयाम्बरेऽप्त्वे ॥ १८ ॥

प्रादुरास्त् भद्रीपाल कापर्णायस्यागुहाः ॥ १९ ॥

चक्रयुक्ता विचित्राद्य शतज्योऽगुहासदाः ।

चक्राणि च चुराम्भानि भयदलानीप्रभास्वतः ॥ २० ॥

बद्धा यथास्मुद्घर्षत पापद्यानां भद्रार्चाः ।

तथा तथा तदस्त्र्यै व्यद्यद्यैत जाताधिष्ठ ॥ २१ ॥ [द्वोण पर्व० अ० २००]

अन्तर्धानाल्ला—धनाध्यक्ष कुवेर अपना अन्तर्धान नामक अस्त्र अर्जुन के प्रति देता है। वह उस का इस प्रकार वर्णन करता है कि “यह मेरा प्रिय अन्तर्धान नामक अस्त्र तू ग्रहण कर, यह ओज और तेज के वरसाने वाला, दीसि को करने वाला, शत्रु के सुलाने और नाश करने वाला है, शङ्कर ने त्रिपुर का नाश करने के लिये भी इसी का प्रयोग किया था, इस से बड़े २ असुर जल गये थे। १ ”

च्छान्निः—“आठचक्रों से युक्त अशनि बड़ा भयानक अस्त्र था। इसे रुद्र ने बनाया था। उस से कर्ण ने लेकर धनुष द्वारा रथ पर प्रयोग किया तो उस के प्रभाव से घोड़ों सहित रथ भस्मसात् हो गया और विजलो की लपट पृथ्वी में प्रवेश कर गयी। २ ”

युद्ध के नियमः— इस प्रकार अन्य कितने ही विचित्र भयंकर संहारक अस्त्रों का प्रयोग महाभारत के महायुद्ध में हुआ था। युद्ध विद्या में, ग्राचीन आर्यों ने उच्चति की पराकाष्ठा की हुई थी। युद्ध के नियम भी मर्यादित हो चुके थे; जिनका भंग करना सर्व साधारण की हुए तथा विचारों में बहुत ही वृण्डित पाप समझा जाता था। यह हो सकता है कि इन नियमों का पालन उस समय के सब योद्धा जन न करते हों परन्तु फिर भी इन नियमों की विद्यमानता अवश्य थी।

युद्ध होने के पूर्व ही कौरव पाण्डव दोनों पक्षों ने युद्ध के धर्म को स्थापना की। उसका वर्णन भी पापर्व में इस प्रकार उपलब्ध होता है।

“उन दोनों तरफ की सेनाओं का वह अद्वित सङ्कल्प था। सारों युगान्त काल में दो सेनाओं का संगम हो। सारी पृथ्वी के युवा पुरुष सेनाओं में आ जाने के कारण अन्यत्र केवल बाल और वृद्ध ही शेष रह गये थे। उस समय कौरव पाण्डव और सोमक वंशी राजाओं ने परस्पर प्रतिशाएं कर युद्धों के ये नियम बनाये:—

१. तदिदं प्रति पृष्ठीष्व अन्तर्धानं प्रियं भम ।

चोजस्तेजो हयुतिकरं प्रस्वापनमरातिनुष् ॥ ३८ ॥

गदात्मना शङ्करेण त्रिपुरं निहतं पुरा ।

तदैतदस्त्रं निर्मुकं येन दग्धा भश्मुराः ॥ ४० ॥ [बन पर्व अ० ४१]

२. श्रष्टुचक्रां महाघोरामशनीं रुद्रं निर्मिताम् ।

तामवप्लुत्य जग्राह कर्णोन्यस्य रथे धनुः ॥ ४५ ॥

चिक्षेप चैनांतस्यैष स्वन्दनात्सोऽवपद्धुवे ।

साश्वसूतध्वजं यानं भस्मकृत्वा महाप्रभा ॥ ४६ ॥

विदेश वसुधां भित्वा भुरास्त्रव विसिस्मियः ॥ ४७ ॥ [द्रोण० १७६]

(१) युद्ध के प्रारम्भ तथा समाप्त होने पर परस्पर में हमारी प्रीति ही रहे । उस समय अपने प्रति पक्षी के साथ उचित और यथोदय ही व्यवहार करना चाहिये । आपस में एक दूसरे को छलना ठीक नहीं ।

(२) वाम्युद्ध प्रवृत्त होजाने पर, प्रति पक्षी को भी वाणी से ही युद्ध करना चाहिये ।

(३) सेना से युद्ध छोड़ भाने हुवों को नहीं मारना चाहिये ।

(४) रथी रथी से, गजारोही गजारोही से, घुड़सवार घुड़सवार से, पदाति पदाति से यथोचित रूप में यथेच्छ उत्साह और बल के साथ युद्ध करे ।

(५) प्रहार करने से पहिले बतला कर प्रहार करना चाहिये । विश्वास दिलाकर तथा घवराहट में डाल कर दूसरे पर प्रहार करना उचित नहीं ।

(६) किसी के साथ युद्ध में लगे हुवे को, युद्ध से विमुख पीठ दिखाने वाले को, निःशब्द और निश्कवच को नहीं मारना चाहिये ।

(७) घोड़ों, घोड़ों के सारथियों, तथा शत्रुदि वना कर देने वालों या शस्त्रों को उठा कर लाने वाले जौकरों को न मारना चाहिये । प्रति पक्षी के भाँझ भेरी, सृदंग आदि वाले भी न तोड़ने चाहिए । ६

राजदूत का वधः—राजदूत या संदेशहर का जीवन बहुत ही परिश्र होता था इसी से उसे कारागार में रखना भी महापाप समझा जाता था । उद्योग पर्व में दुर्योधन, दूतरूप से आये कृष्ण को कैद करना चाहता था । इस पर धृतराष्ट्र बोला:—

“हे राजन् ! ऐसा मत करो यह सनातन धर्म नहीं है । कृष्ण इस समय दूत बन कर आया है, यह हमारा प्रिय सम्बन्धी भी है । उसने कोई

१. ततस्ते समर्यं चक्षुः कुरुपाशदवसौमकाः ।
धर्मान्संस्थापयामासुः युद्धानां भरतर्पभ ॥ २६ ॥
निवृते विद्विते युद्धे स्वात्मीतिर्नः परस्परम् ।
यथापरं यथायोग्यं नच स्याच्छलनं पुनः ॥ २७ ॥
षाढा युद्धे प्रदुन्नानां धारेव प्रतियोधनसु
निष्कान्ताः पृतनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥ २८ ॥
रथोच रथिना योध्यो गजेन गजधूगतिः ।
अश्वेनाश्वः पदातिश्वच पदातेनैव भारत ॥ २९ ॥
यथायोग्यं यथाकामं यथोत्साहं यथाबलम्
समाभाष्य प्रहर्त्तर्ष्य न विद्वस्ते न विहृते ॥ ३० ॥
एकेन सह संयुक्तः प्रपञ्चो विमुखस्तथा ।
क्षीणशत्रुविवर्मच नहन्तर्ष्यः कदाचन ॥ ३१ ॥
नसूते ध्वनधूर्येतु नच शत्रुपजीविषु ।
नर्ते शत्रुविवर्मच प्रहर्त्तर्ष्यं कथंचन ॥ ३२ ॥ (भीष्म अ० १)

अपराध नहीं किया फिर उसे किस प्रकार कारागार में डाला जा सकता है ? ” १ ब्राह्मणों का युद्धों तक को रोक देने का अधिकारः—महाभारत के शान्ति पर्व में बहुत से धर्म या नियम मर्यादा इस प्रकार की हैं जो कि स्वर्गीय समय की बनाई हुई प्रतीत होती हैं । उन मर्यादाओं को पालने में यथपि महाभारत के जमाने के लोग बहुत कुछ शिथिल थे तथापि उन को वे बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे । उनको पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन समयों में विद्वान् श्रोत्रिय आदि वेदश ब्राह्मणों को युद्धों को कराने और रोक देने का पूरा अधिकार होता था । यह नियम हमें शान्ति पर्व में निश्चलांखत रूप में प्राप्त होता है ।

“यदि दोनों पक्षों को लेनार्थे युद्ध करने के लिये जुटी खड़ी हों और उन दोनों के मध्य में शान्ति कराने की इच्छा से कोई ब्राह्मण आज्ञावे तब दोनों को युद्ध नहीं करना चाहिये । जो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह सनातन से चली आयी मर्यादा को तोड़ता है । यदि नीच क्षत्रिय इस मर्यादा को तोड़ देवे तो उसकी गणना क्षत्रियों में नहीं करनी चाहिए, न उसे किसी और सभ्य समाज में बैठने योग्य समझना चाहिए । २ ”

रण व्यूह शिक्षा:—महाभारत काल में क्षत्रियों को रण की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी । उन्हें नियम पूर्वक व्यूह-रचना का अभ्यास कराया जाता था । युद्ध के लिये उपयोगी, सभी प्रकार की ड्रिल नियम पूर्वक कराई जाती थी । द्वोणपर्व में व्यूहों का इस प्रकार वर्णन आता है:—

“भारद्वाज वंश में उत्पन्न द्रोणाचार्य ने इस प्रकार का चक सहित शकट व्यूह बनाया जो १२ गव्यूती (४८ मील) लम्बा और ५ गव्यूती (२० मील) चौड़ा था । इस व्यूह में अनेक राजा और अनेक घीर अपने २ स्थान पर नियत किये गये थे । हाथी और घोड़ों के समूह के समूह उसमें लग गये थे । इसका अगला भाग सूचि की तरह से था, और सूची मुख में बीर हृतवर्मा स्थित था । ३ ”

१. ततोदुर्योधनमिदं धृतराष्ट्रोऽप्तवीदूषचः ॥

मैवं घोचः प्रजापाल नैषधर्मः सनातनः ॥ १७ ॥

दूषध्वि हृषीकेशः सम्बन्धी च प्रियसूनः ॥

ग्रापापः कौरवेयेषु सकर्थंवृत्यमर्हति ॥ १८ ॥ [उद्योग० अ० ८७]

२. ग्रनीकप्योः संहतयो यदीयाद् ब्रह्मणोऽन्तरा ॥

शान्तिमिच्छन्तुभयतो न योदुव्यं तदाभवेत् ॥ ८ ॥

मर्यादां शाश्वतीभिन्द्यात्ब्राह्मणयोऽभिलङ्घयेत् ॥

शथब्देन्द्रियेदेतां मर्यादां चत्रिय द्रुषः ॥ ९ ॥

असंख्येयस्तदूर्धर्वं स्यादनादेयस्त्रियसंसदि ॥ १० ॥ [शान्ति० अ० ८६]

३. दीर्घो द्वादशगव्यूतिः पश्चार्येषु विस्तृतः ॥

व्यूहः सचक्रशकटो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ २२ ॥

नानानृपतिभिर्वैर्यं चत्र व्यवस्थितैः ॥

रथाश्वरगजपत्यो धैद्र्येण विहितः स्वयम् ॥ २३ ॥

शिविर रचना—महाभारत के जमाने में सेना के ठहरने के लिये बड़े शिविर (कैम्प) बनाये जाते थे—छोलदासियाँ तथा बड़े २ तम्बू और शामियाने सजाये जाते थे, जिस में सैनिक आनन्द पूर्वक युद्ध की तयारियाँ कर सकते थे । उद्योग पर्व में सेनाओं का वर्णन करते हुवे लिखा है—

“राजाओं के पृथक् पृथक् बहूमूल्य शिविर अर्थात् डेरे ऐसे सजे हुवे थे मानों पृथ्वी तलपर विमान ही उतर आये हों । ” १

निशायुद्ध—महाभारत काल के आर्य और राजि के समय भी बहुत बार युद्ध करते थे । राजि के घोर अन्यकार होते से युद्ध करना तथा शब्द और मित्र को पहचानना और घोड़ों रथों व गजों का मार्ग देखना तथा सेनाओं का ठीक प्रकार से शासन करना कठिन था । इस लिये प्राचीन योद्धाओं ने अपने घोड़ों रथों और गजों के साथ किसी अगम्य विधि से दीपकां या लैम्पों के जोड़ लेने का प्रबन्ध कर रखा था । द्वोणपर्व में राजि युद्ध की तयारी का वर्णन करते हुवे लिखा है:—

“प्रत्येक रथ पर पांच लैम्प या प्रदीप जगाये गये । इसी तरह प्रत्येक गज पर तीन प्रदीप और प्रत्येक घोड़े पर १ महा प्रदीप रखा गया क्षणभर में सब दीपक ही दीपक जल गये” २

शब्द न करने वाले चक्रों से युक्त रथः—प्रायः सभी प्राचीन सभ्यता का अनुसरण करने वाली जातियाँ और उन में भी विशेषतः यूनानी और भारतवर्ष को आर्यजातियाँ रथों पर सवार होकर युद्ध किया करती थीं । महाभारत के काल में शिल्पियों ने ऐसे रथों का भी आविष्कार कर लिया था जिन के चलते हुए चक्रों में से किसी प्रकार का शब्द तक नहीं होता था । उस के चक्र का पाराध पर रवर के टायर लगाये जातेथे या किसी और वस्तु का प्रयोग किया जाता था, इसको कुछ भी पता नहीं चलता; परन्तु शब्द रहित रथों का वर्णन महाभारत में निस्सन्देह आता है ।

उद्योगपर्व में सहदेव के विषय में लिखा है:—“जिस समय सरलतया गति करते हुवे, अक्ष द्वारा भी शब्द न करते हुवे, सुवर्ण के बने तारों से सुशो-

सूचीपद्यस्यगर्भस्थोगृदो व्यूहः कृतः युनः ॥ २४ ॥

श्वमेतं महाव्यूहं व्युशद्राणोष्टे व्यवस्थितः ॥

सूचीमुखे महेश्वासः कृतवर्माव्यवस्थितः ॥ २५ ॥

१. शिविराणि महार्हाणि तत्राज्ञां पृथक् पृथक् ॥

विमानानीव राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ॥ ११ ॥ [उद्योग ० अ० १५६]

२. महाधनैरामरणैश्च दीप्तै शस्त्रैश्च दिल्घैरमिसम्पत्तद्भिः ॥ १५ ॥

रथे रथे पञ्चत्रिदीपिकास्तु प्रदीपिकामत्तग्रेत्र यद्य ॥

प्रस्यश्वमेकश्च महाप्रदीप कृतास्तुताः पाषडम कौरवेयैः ॥ १६ ॥ [द्वोणा० अ० १६३]

भित, सुशिक्षित घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़ कर सहदेव राजाओं के गले काटेगा तब दुर्योधन को युद्ध के लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ १

प्राचीन आर्यों की चीरता इस बात की अपेक्षा करती थी कि शत्रु के साथ भी आपत्ति में बड़े अनुग्रह का वर्ताव करना चाहिये और धायल हुवे हुवे शत्रु के घावों और ब्रणों की चिकित्सा करनी चाहिये ।

शान्तिपर्व में भीष्म पितामह धर्मयुद्ध के नियमों का ग्रतिपादन करते हुवे कहते हैं—

“ऐसे शत्रु को न मारना चाहिये, जिस के प्राण निकलने वाले हों, जिसका कोई पुत्र नहीं, जिसका शश्त्र टूट गया हो, जो विपर्ति में पड़ा हुआ हो, जिसके धनुष की होरी कट गई हो, या जिसके घोड़े मर गये हों, ब्रणों और जखमों से पीड़ित शत्रु की अपने देश में चिकित्सा करानी चाहिये और अच्छा होने पर उसके देश में भेजदेना चाहिये ॥ २

इसी प्रकार युद्ध में पकड़ी गयी कन्या के साथ भी बहुत सम्मान का व्यवहार होता था । शान्तिपर्व में लिखा है—

“[वक्रम से हायी गयी कन्या से एक वर्ष तक यह भी न पूछे कि तू मुझे वरती है या किसी और को ?] ३ इसी प्रकार सालभर तक अन्य आहत धन को भी अपने उपयोग में न लाना चाहिये ।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध के समयों में कमसर्यट का मह कमा बहुत नियमित था । अन्य भी सब प्रकारक साद्य पदार्थोंकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबन्ध कर्या जाता था । उद्योगपर्व के आन्तम अध्याय में युधिष्ठिर की युद्ध यात्रा का वर्णन किया गया है । वहां इस प्रकार उल्लेख उपलब्ध होता है— ४

“महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी कि वहनों के अश्वों, गजों और मनुष्यों के लिये उत्तम २ भोजनों को साथ ले चला जाय ।”

१. यदागतो द्वाहन कृजनात्मा सुवर्णतारं रथमाततायी ॥

दान्तै युक्तं सहदेवोऽधिरूढः शिरांसिराजां देस्यन्ते मार्गणौचैः ॥२२॥ [उद्योग ० प्र० ४७]

२. निष्प्राणो नाभिहन्ताभ्यो नानपत्यः कथञ्जन ॥ १२ ॥

भगवनश्चो विष्वस्थ कृतज्यो हतवाहनः ।

चिकित्स्यः स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वगुहे भवेत् ॥ १३ ॥

निर्वाणः स च योक्तव्यः एषधर्मः सनातनः ॥ १४ ॥ (शान्ति अ० ६५)

३. नार्वाकृं संख्तसरात्कन्या प्रष्टव्याविक्रमाहृता

, एवमेवधनं सर्वं यच्चान्यत्सहस्राहृतम् ॥ ५ ॥ (शान्ति अ० ६६)

४. व्यादिदेश सधाहानां भद्रयभोज्यमनुत्तमम् ।

सगजाश्वमनुष्पाणां येचशिल्पोपजीविनः ॥ ७ ॥

शकटापणवेशाश्च यानं युज्यत्तच सर्वतः ।

सन्तनागसद्व्याप्तिं हृथानामयुत्तानिव ॥ २६ ॥ (उद्योग पर्व १४७)

“इसी तरह गाड़ियां, दुकानें, यार्न, वैल आदि सभी कुछ साथ ले लिया जाय। तदनुसार सहस्रों हाथी और असंख्य घोड़े साथ ले लिये गये।”

इस प्रकार आलोचन करने से महाभारत कालीन सभ्यता भूमरुडल की किसी अन्य सभ्यता से नीची नहीं प्रतीत होती। प्रत्युत अख्ल शर्खों का वैभव सम्पत्ति, सेनासज्जाह और युद्ध के नियम, युद्ध के समय पारस्परिक वर्त्ताव आदि सभी बातें महाभारत कालीन सभ्यता की उच्चता को प्रगट करती हैं। जहां एक तरह हमें यह मालूम होता है कि महाभारत काल में भारतीयों ने सैनिक दृष्टि से अपूर्व उन्नति की हुई थी, वहां वे युद्ध के धर्मानुज्ञल नियमों को भी सदा अपनी दृष्टि में रखते थे।



ऋद्धितीय—अध्यायः

~~~~~

### राजा-शासन पद्धति और शासन

भारतीय इतिहास के महाभारत काल में राजा एक प्रकार से एकायत्त शासक होता था, वह राज्य को अपनी सम्पत्ति समझता था। वह अपनी इच्छा से राज्य को ठीक उसी तरह दूसरे को देसकता था, जिस प्रकार कि सर्वसाधारण अपनी मालिक्यत वा सम्पत्ति दे सकता है। यदि ऐसा न होता तो युधिष्ठिर इतनी बैं परवाही से अपने राज्य को जूए में न हरा देता। वह काल आचार के अधः पतन का था। महाराजा और कुद्र राजा सभी अपनी प्रजाओं के अधः पतन में कारण बन रहे थे। प्रजा भी उन की पतित अवस्था को बुरा नहीं समझती थी। इसी कारण जब दुर्योधन कलिङ्ग के राजा चित्राङ्गद को कन्या को स्वयम्भर में से ही बलात्कार हर लेगया तब भी सर्वसाधारण जनता ने इस निर्लज्जता के कार्य के विरुद्ध एक वचन भी कहने का साहस नहीं किया। शान्ति पर्व में कलिङ्ग देशाधिपति चित्राङ्गद की कन्या के स्वयम्भर का वृत्तान्त आया है। उस समय की प्रथा के अनुसार स्वयम्भर के योग्य नियत रङ्ग भूमि में नाना थानों से आये हुवे राजा महाराजा इकड़े हुवे। महाभारत में उनके समागम और दुर्योधन के लज्जास्पद कार्य का इस प्रकार वर्णन किया गया है:—

एक बार कलिङ्गदेश की राज कन्या के स्वयम्भर के लिये सब राजाओं को निमन्त्रित किया गया। इस लिये राजपुर नामक नगर में सैकड़ों राजा एकत्रित हुवे। दुर्योधन भी कर्ण को साथ लेकर शीघ्र ही रथ पर आँख हो कर उपस्थित हुआ। शिशुपाल, जरासन्ध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील रुक्मी, लीराज्य का अधिपति शृणाल, अशोक, शतधन्वा भोज इत्यादि दक्षिण दिशा के राजा और स्लेच्छाचार्य आदि पूर्व उत्तर दिशाओं के राजा उपस्थित हुवे। सभी सोनै के कड़ों और हारों से सुशोभित थे। सभी व्याघ्र के सूरुश बलशाली और पराक्रमी थे। सब राजाओं के यथास्थान बैठ जाने पर धायी और सेवक के साथ वह राजकन्या रङ्गशाला में प्रविष्ट हुई। जब उसको एक क्रम से राजाओं के नाम और प्रशंसा सुनायी जा रही थी, उस समय वह कन्या धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को बिना ध्यान दिये हुवे ही आगे चल दी। दुर्योधन इस बात को न सह सका और सब राजाओं का अपमान करके उसने कन्या का मार्ग रोक लिया।

धर्मनी सेना और बल से मन्त्र दुर्योधन, भीष्म और द्रोण के भरोसे कन्या को रथ पर चढ़ा कर हर ले गया । उस की रक्षा के लिये शत्रुघ्नि से सजित होकर कर्ण भी साथ ही चला । इस पर सभी सजाओं का उस से बड़ा भारी युद्ध हुवा ।” १

यह कार्य कितना निर्लज्जता से पूर्ण था ! परन्तु उस काल के अग्रिमी नेता, राजनीति के धुरन्धर विद्वान् भीष्म और द्रोण ने भी पापात्मा दुर्योधन के एक राजकन्या को बलात्कार से हरण करने का विरोध नहीं किया । दुर्योधन जैसे भोगी विलासी राजा का वृद्ध पितामह भीष्म के भरोसे पर रहना आश्चर्यकर है । परन्तु इस में आश्चर्य भी क्या है ? क्या भीष्म ने स्वयं अपने भाई विचित्र वीर्य के लिये यही लज्जास्पद नीच कार्य नहीं किया था । इतना ही नहीं, भीष्म तो इस घृणित कार्य को न्यायानुकूल तक प्रतिपादित करते हैं—

“बलात्कार से हर ली गई कन्या को धर्मज्ञाता लोग सब से उत्तम कहते हैं ।” ( आदि० अ० १०२ ) २

युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था । वह यद्यपि दुर्योधन के समान अ-भिमानी और दुरात्मा नहीं था तथापि उस में कुछ क्षुद्र और धैर्यनाशक नियंत्रण अवश्य थीं । युधिष्ठिर की इन निर्वलताओं को कर्णपर्व में एक स्थान पर बड़ी अच्छी तरह संग्रहीत किया गया है । अर्जुन स्वयं अपने बड़े भाई की इन शब्दों में निन्दा करता है—

“तुम से हमें कुछ भी लाभ नहीं । हमने अपने तान मन यहाँ तक कि अपने पुत्रों तक को अर्पित करके तेरा ही इष्ट किया । फिर भी तू हमें इस प्रकार वाग्शरों से छेद रहा है ? ३

“वस, द्रौपदी के साथ आमोद करता हुवा हमें अब और अधिक अपमानित मत कर । तेरे लिये मैं महारथियों को मारता था, इसी से निडर होकर तू हम पर ही क्रूर होगया । तेरे कारण ही हमें ज़रा भी सुख प्राप्त नहीं हुवा ।” ४

१. ततः संप्राप्तमाणेषु राजां नामसु भारत ।

प्रत्यक्नामदुर्तिराप्नुं सा कन्या वरदासिनी ॥ १५ ॥

दुर्योधनस्तु कौरवयो नामपतलं घनस् ।

प्रत्यपेधच्च तां कन्यामसत्कृत्य नराधिपात् ॥

सर्वीयमदमन्तव्याह् भीष्मद्रोणावुपाग्रितः ।

रथमारोप्यतां कन्यामाजहार नरधिपः ॥

२. प्रमथ्यतु हतामाहु ज्यायसीं धर्मवादिनः ॥ ११ ॥

३. यत्ते हि नित्यं तब कर्तुमिष्टं दारैः सुतैर्जीवितेनात्माना च ।

एवं यन्मांशाविशिखेन हंसित्वतः सुखं न वयं विद्धः किञ्चित् ॥ १३ ॥

४. मा मावमस्यो द्रोपदी तत्प संस्यो महारथान्प्रति हन्ति त्वदर्थे ।

तेनोविशङ्की भारत निष्ठुरोसि त्वतः सुखं न भिजानामि किञ्चित् ॥ १४ ॥

“तेरा राजा यनना भी हमें अच्छा नहीं लगता, जोकि तू सदा ज्ञाप में भल्ल रहता है। ख्ययं इस प्रकार पाप कार्य करके तू हमारे द्वारा शङ्कुओं को पराजित करना चाहता है।” १

इसी प्रकरण से युधिष्ठिर ख्ययं अर्जुन के उक्त कथन का इस प्रकार उत्तर देता है—

“मैं पापी हूँ; मुझे पाप करने का अभ्यास है। मैं सूढ़मति, आलसी, भीड़, बृद्ध का तिरस्कार करने वाला और कठोर वादी हूँ। मेरा कटुबचन सुन कर या मेरा अनुसरण करके तुम क्या बता लोगे।” २

एक सत्तात्मक राज्य की सुवर्णीय प्रथाएं—यह दुरवस्था होने पर भी दुर्योधन, जरासन्ध और युधिष्ठिर आदि व्यक्तियों और निरङ्गुण एकात्मक राजाओं और उन की कमज़ोर प्रजाओं के पास प्राचीन काल की अनेक सुवर्णीय प्रथाएं पैतृक सम्पत्ति की भाँति शोप थीं।

भारत के प्राचीन सुवर्णीय युग में राजा की शक्ति तथा अधिकारों पर बहुत से प्रतिबन्ध स्थापित थे। उस समय का शासन एक प्रकार से प्रजा-सत्तात्मक होता था, इस के नेता ब्राह्मण होते थे। यह जनतन्त्र शासन व्यवस्था सब को मात्य थी। ये प्रजा के अधिकारों की व्यवस्थाएं केवल काग़ज़ पर लिखी हुई न होती थीं, इन का व्यवहार क्रियात्मक रूप से होता था। इस प्रकार के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं जब कि सर्वसाधारण प्रजा ने मिल कर ख्ययं अथवा ब्राह्मणों को अपना प्रतिनिधि बना कर शासन में अधिकार प्रोत्त करने और उनका लाभ उठाने में प्रभावशाली कार्य कर दिखाया। उस समय के ब्राह्मण जनता की केन्द्रीभूत सद्भावना के प्रतिनिधि और बुद्धिसत्ता, न्याय तथा त्याग की मूर्ति हुआ करते थे।

राष्ट्र के शासनादि कार्यों में साधारण जनता की सम्मतियों का बहुत बल था। जब कभी किसी राजा ने साधारण जनता की आवाज़ की उपेक्षा की, वह अवश्य नष्ट हो गया। प्रजा की दुखभरी आहों ने राज्य के राज्य उल्ट दिये। प्रजा की सम्मति चाहे नियमानुकूल हो चाहे नियम के प्रतिकूल, शासन व्यवस्था से स्वीकृत संस्था द्वारा प्रकाशित की गई हो या साधारण व्यक्तियों द्वारा ही प्रगट की हो—सब अवस्थाओं में उस में इतना बल होता था कि उस पर ध्यान दिये बिना काम ही नहीं चल सकता था। महाभारत काल के गुरुजन-भीम और द्रोणादि-प्राचीन काल के वसिष्ठ और विश्वमित्रादि के अवशिष्ट प्रतिनिधि

१. नषाभिनन्दामि तवाधिराज्यं यन्तस्त्वमस्त्वहिताय तज्जः ।

ख्ययं कृत्वा पापमनार्थं जुष्मस्मासिवं तर्तुमिष्यस्यरंस्त्वस् ॥ १६ ॥

( कर्ण पर्व, अ० ७० )

२. पापस्य पापव्यसनान्वितस्य विसृङ् बुद्धेत्तस्य भीरोः ।

बृहावमन्तुः पुरुषस्य चैष कि ते चिरं मेष्टानुसत्य रुषंम् ॥ ४५ ॥

( कर्ण पर्व, अ० ७० )

मौत्रे ही रह गए थे । प्राचीन काल में वस्तिष्ठ विश्वामित्रादि प्रभावशाली ब्राह्मण ही जनता के प्रतिनिधि रूप से कार्य करते थे । वे न्याय मार्ग को छोड़ कर निरङ्गुणतापूर्वक आचरण करते हुए राजाओं की बड़ी प्रबलता से निन्दा करते थे । वे उन को न्यायानुकूल और प्रजा की इच्छा के विरुद्ध न चलने के लिये वाचित करते थे । इस उपर्युक्त स्थापना के लिये महाभारत में ही प्रबल और विश्वास करने योग्य प्रमाण प्राप्त होते हैं । उन में से कुछ प्रमाण यहां दिये जाते हैं ।

### प्राचीन काल की शासन पद्धति

प्राचीन काल में राजा का सुख उद्दैश्य ही प्रजारक्षण करना था । 'राजा' शब्द की व्युत्पत्ति और निरुक्ति के अनुसार यही भाव सूचित होता है । शान्ति पर्व में भीम कहते हैं—

"उस महात्मा महाराज पृथु ने (जो सब से प्रथम राजा कहलाया) धर्म पूर्वक शासन करते हुए प्रजा को प्रसन्न किया; इसी से उसे 'राजा' कहा जाने लगा ।"

**राजा की प्रतिज्ञाएँ**—राष्ट्र के महान् कार्य का भारी उत्तरदायित्व अपने पर लेने से पूर्व राजा जो प्रतिज्ञा करता था उस से प्रतीत होता है कि वह अपना सुख्यतम कर्तव्य प्रजा को सुखी करना ही समझता था । महाभारत के अनुसार मनुष्य समाज के इतिहास में सब से प्रथम राजा ने जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन में से एक प्रतिज्ञा का वर्णन शान्ति-पर्व में इस प्रकार किया है—

"तव हाथ जोड़ कर वेन के पुत्र पृथु ने ब्रह्मपियों के सामने कहा कि मुझ में धर्मार्थ को देखने वाली सूक्ष्म बुद्धि पैदा हो चुकी है । इस बुद्धि से मैं यथा कर्तृ यह मुझे समझाकर कहिये । आप मुझे जिस बात का आदेश देंगे मैं वही कार्य करूँगा, यह निश्चित मानिये ।"

यह सुन कर ब्रह्मपियों ने उत्तर दिया—

"जो कार्य धर्मानुकूल है वह तुम्हें सर्वथा निश्चङ्क होकर करना चाहिये । अपने वैयक्तिक सुल का ध्यान न करते हुए तुम्हें काम, क्रोध, मौह, लोभ और मान को दूर ही से त्याग कर बरतना चाहिये । जो व्यक्ति पापाचरण करे उसको

१. तेन धर्मेतरश्चायं कृतो लोको महात्मना ।

रच्निताश्च प्रजाः वर्षास्तेन राजेति शब्दयते ॥ १२५ ॥

( शान्ति पर्व. अ० ५६ )

२. ततस्तु प्राज्जलिवैर्यो महर्षो तातुवाच ह ॥ १०० ॥

सुसूक्ष्मा मे समुत्पन्ना बुद्धि धर्मर्थ दर्शिनी ।

अनया किं मया कार्य तन्मे तत्वेन शंसत ॥ १०१ ॥

यन्मां भवन्तो वद्यन्ति कार्यर्थ समन्वयतम् ।

तदहं वै करिष्यामि नात्र कार्यं विचारणा ॥ १०२ ॥

( शान्ति पर्व. अ० ५६ )

सदैव सज्जग होकर रहनेवाले तुम दण्ड दो ॥ अपने मन, कर्म और वचन से सदैव इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो ॥ कि मैं जब तक जीऊँगा, तब तक प्रजा की आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ मान कर उस का पालन करूँगा । जो कार्य दण्डनीति तथा राज्य शासन के अनुकूल होगा उसे अवश्य पालन करूँगा,— मनमाना कार्य नहीं करूँगा । हे राजन ! प्रतिज्ञा करो कि मैं द्विज और ब्राह्मणों को दण्ड नहीं दूँगा; प्रजा को संकर होने और अव्यवस्था में पड़ने से बचाऊँगा ॥ १

तब पृथु ने कहा— “ब्राह्मण लोग अवश्य ही मेरे पूज्य हैं । आप ने जो आदेश दिया है उसे अवश्य पूरा करूँगा ॥” पृथु के यह वचन देने पर आचार्य शुक उसके पुरोहित और बालखिल्य उसके मन्त्रा बने । महर्पिंगण उसके पुरोहित हुए, ये सब मिला कर सात व्यक्ति थे और आठवाँ वह स्वयं था ॥ २

इस प्रकार महाभारत के अनुसार मानवीय सृष्टि के सब से प्रथम राजा ने दण्डनीतिशास्त्र के अनुकूल चलने और मनमाना कार्य न करने की प्रतिज्ञा की ।

यहाँ एक थारांक हो सकती है, इस प्रकरण में राजा द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं का तो वर्णन है परन्तु उन्हें तोड़ने के लिये किसी दण्ड का विधान नहीं है । परन्तु वास्तव में पृथु को प्रतिज्ञा भङ्ग का दण्ड बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों कि उस के पिता को इन प्रतिज्ञाओं के भङ्ग करने के अपराध में राज्यच्युत कर के उसे राजा बनाया गया था । इसी शान्ति पर्व में ही लिखा है कि—

### १. तमुचुस्तत्र देवास्ते ते चैव परमर्घयः ।

नियतो यत धर्मो वै तमशङ्कः समाचर ॥ १०३ ॥

प्रिया प्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्मुषु ।

काम क्रोधौ च लोभञ्ज मानञ्जोत्सञ्ज द्वृतः ॥ १०४ ॥

यश्य धर्मात् प्रतिचलेष्योके कश्चन मानवः ।

निग्राह्यस्ते स्व बाहुम्यां शश्वद्वर्मवेच्छता ॥ १०५ ॥

प्रतिज्ञाज्ञायिरोहस्य मनसा कर्मणा गिरा ।

पालयिष्याद्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चास्तकृत ॥ १०६ ॥

यथात्र धर्म नित्योक्तो दण्डनीति व्यपाश्रयः ।

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥ १०७ ॥

ग्रदण्ड्या ये द्विजाश्वेति प्रतिज्ञानीहि हे प्रभो ।

जोकं च संकटात्कृत्स्तं त्रातास्मीति परन्तप ॥ १०८ ॥

### २. वैरायस्ततस्तानुषाच देवानृषि पुरोगमाज् ।

ब्राह्मणा मे महा भागा नमस्याः पुरुषभाः ॥ १०९ ॥

एवमस्तिवति वैरायस्तु तैरुत्तो ब्रह्मवादिभिः ।

पुरोधाश्वाभवस्तस्य शुक्रो ब्रह्मयौनिधिः ॥ १० ॥

मन्त्रिष्णो बालखिल्यश्च सारस्तत्यो गणस्तथाः ।

महर्पिर्भवान् गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवन् ॥ ११ ॥

आत्मनाष्टन इत्येष श्रतिरेषा परा चृषु ॥ ११२ ॥

“रोग द्वेश के बेश हों कर राजा वेन ने प्रजा पर अत्याचार किया । तब नियमों के ज्ञाता ऋतियों ने मन्त्रों से शुद्ध की गई कुशाओं द्वारा ( कामून और तेप के बल पर ) उसे राज्यच्युत कर दिया । ” १

### राजसत्ता पर लोक मत के प्रतिबन्ध के कुछ दृष्टान्त

केवल वेन ही नहीं अपेक्षु महाभास्त में अन्य भी वहुत से अत्याचारी राजाओं को राज्यच्युत करने के दृष्टान्त मौजूद हैं ।

**राजा खनी नेत्र—** “राजा विविश के १५ पुत्रों में से सब से बड़े पुत्र खनीनेत्र ने अपने भाइयों को बहुत तंग किया; एक बड़ी सिनाँ लेकर उसने सारा राज्य अपने आधीन कर लिया । परन्तु इतने बड़े राज्य को वहं सम्भाल न सका; उस की प्रजा उस से असन्तुष्ट हो गई । तब ऐजा ने उसे राज्यच्युत करके उसके बड़े पुत्र सुवर्चा को राजसिहासन पर बैठाया । सुवर्चा ने प्रजा को बहुत सुखी किया । अपने पिता को राज्यच्युत हुआ देख कर ही वह सत्याचरण और शुद्धाचार से युक्त हो कर प्रजा हित को दृष्टि से राज्य करने लगा । प्रजा भी उसको धर्मात्मा और तेजस्वी देख कर उसकी भक्त बन गई । ” २

**ज्येष्ठ पुत्र को राज्य न मिलना—** “राजा यंयाति अपने बाद अपने सब से छोटे पुत्र पुरु को राज्य देना चाहता था । इस पर प्रजा के प्रतिनिधि हों कर ब्राह्मणों ने उस से कहा—“राजन्, शुक्राचार्य के नाती और देवर्यानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु को त्याग कर तुम पुरु को क्यों युवराज बनाने लगे हो? यदु सब से बड़ा पुत्र है; उस के बाद तुमसु नहीं हैं; तुमसु के छोटे भाई शमिषा के पुत्र हुस्नु और अनु-

१. तं प्रजासु विधर्मार्णं रागद्वेश वशानुगम् ।

मन्त्र पूतैः कुञ्जर्जच्युः कृपयोः ब्रह्मवादिनः ॥ ५४ ॥

( शान्ति पर्व, अध्याय ५८ )

२. तेषां ज्येष्ठः खनीनेत्रः सुतान् सर्वान्तिपीड्यत ॥ ७ ॥

खनीनेत्रस्तु विकान्तो जित्वा राज्यमकाटकम् ।

नायकद्रक्षितुं राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रनाः ॥ ८ ॥

तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं सुवर्चसम् ।

आभ्यर्थिच्यन्त राजेन्द्रं सुदितात्मभवस्तदा ॥ ९ ॥

सपितुर्विक्रियां दृष्ट्वा राज्यान्विरसनञ्जत् ।

नियतो वर्तयामास प्रजा हित चिकीर्यथा ॥ १० ॥

ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शंदमान्वितः ।

प्रजास्तं वान्वरज्यन्त धर्म नित्यं मनस्विनम् ॥ ११ ॥

( शान्ति पर्व, अं० ४ )

हैं, इन संबंध के बाद पुरुष का अधिकार है। राज्य की प्रथा देखते हुए हमें बताओ कि इस अवस्था में कुरुं कर्मों कर युवराज बनायाँ जा सकता है ? ” १

इस पर योगाति ने कहा—“प्रजों के नैतों व्राण्डेणादिं वर्णो ! बड़े पुत्र को युवराज न बनाने की सफाई मैं इस प्रकार देता हूँ। यदु ने मेरी आशा नहीं मानी हैं कारण तुंडिमानों के कथनामुसार वह मेरा पुत्र कहाने योग्य भी नहीं। पुत्र को धर्मानुकूल माना पिता की आङ्गों का अवश्य पालन करना चाहिये। यदु, तुर्वसु, दुर्गा और अनु इन चारों ने मेरी आशा के मानव करने मेरा अपमान किया है, केवल पुरुष ने ही मेरा कहना माना है। इस लिये मेरा उत्तराधिकारी पुरुष ही है। आचार्य शुक्र वै भी यही वर्ण दिया था अंतः मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप भी मुझे इस की अनुमति दीजिये।” इस पर सब ने कहा—“जो पुत्र गुणवान् और माता पिता का हित करने वाला है वह छोटा होता हुवों भी राज्य का अधिकारी है। तुम्हारी आङ्गों पालन करने के कारण पुरुष अवश्य राज्य के योग्य है, आचार्य शुक्र का वर भी यही है अतः हम इस का विरोध नहीं करते।” २

१. अभिषेक्तुकामं नैपति पुरुं पुत्रं कौनीयसम् ।

ब्राह्मण प्रमुखाः वर्णां इदं वदनमतुश्च ॥ १८ ॥

कथं शुक्रस्य तुम्हारं देवयान्याः सुतं प्रभो ।

ज्येष्ठं यदुनिक्रन्तं राज्यं पूरोः प्रवेचक्षति ॥ १९ ॥

यदुज्येषुक्तत्र सुतो जातस्तमनु तुर्वसुः ।

शमिंष्टायास्तुतो दुशुर्स्तर्तोऽनुः पुरसेव च ॥ २० ॥

कथं ज्येष्ठंनिक्रन्त्य कनीयाकूराज्यमहति ।

एतत्संबोधयामस्त्वां धर्मं त्वं प्रतिपालय ॥ २१ ॥

२. ययातिश्वाच—

ब्राह्मण प्रमुखा वर्णाः सर्वे शृणन्तु मे वचः ।

ज्येष्ठं प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथञ्चन ॥ २२ ॥

मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगोनानुपालितः ।

प्रतिकूलः पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः ॥ २३ ॥

माता पित्रोर्वचनकृद् हितः पश्यश्च यः सुतः ।

सुपुत्रः पुत्रवद्यश्च वर्षते पितृमातृषु ॥ २४ ॥

यदुनाहमधन्नातः तथा तुर्वसुनापि च ।

द्वृशुना चानुनाचापि मथ्यवज्ञाकृता भृशम् ॥ २५ ॥

पुरुणानुकृतं वाक्यं मानितञ्च विशेषतः ।

कनीयाश्च मम दायांदो भृता तेन जरा मम ॥ २६ ॥

मम कामः स च कृतः पुरुणा मित्र रूपिणा ।

शुक्रेण च वरो दत्तो काव्येनोशसा स्वयम् ॥ २८ ॥

मुवो यस्त्वानुष्टर्ते स राजा पृथिवी पतिः ।

भवतोऽनुनयाम्येवं पुरुराज्ये अभिषेच्यताम् ॥ २९ ॥

इसी प्रकार महाभारत के उद्योगपर्व में वर्णन आता है कि प्रतीप राजा ने अपनी सब वैयक्तिक आकांक्षाओं और मनोरथों को प्रजा को सुखी करने के लिए त्याग दिया । यह वर्णन इस प्रकार है ।

“सुमसिद्ध राजा प्रतीप के तीन पुत्र थे । इन में देवापि सब से बड़ा बाल्हीक वीच का और शान्तनु सब से छोटा था । देवापि पिता भक्त, सत्यावादी और सब राष्ट्र के नामिकों का प्रिय था; परन्तु उसे छुष्ट रोग था । राजा प्रतीप ने स्वयं बूढ़ा हो जाने पर देवापि को ही अपना युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया । परन्तु साधारण प्रजा, तथा उनके नेतृत्वाओं ने राजा के इस विचार का तीव्र विरोध किया, उन्होंने कहा कि यद्यपि देवापि वहुगुण समरक है तथापि इसे कुष्ट होने के कारण हम उसे राजा बनाना पस्त नहीं करते । हीनाङ्ग राजा प्रभावशाली नहीं हो सकता । प्रजा की यह मांग सुन कर राजा को बहुत अधिक दुःख हुवा । देवापि भी संतप्त होकर वन में चला गया । तब अपने चचा के घर से आकर प्रतीप का द्वितीय पुत्र बाल्हीक राजगद्वी दीठा । बाल्हीक ने भी अपने बृद्ध पिता की मृत्यु पर राज्य छोड़ दिया । अन्त में शान्तनु ने राज्य कार्य संभाला । ” १

प्रकृतयः उत्तुः—यः पुत्रो गुणा सम्पन्नो माता पित्रोहितः यदा ।

सर्वमर्हति कल्याणं कनीवानपिसत्तमः ॥ ३० ॥

अर्हः पूरुषिदंराज्यं वः सुतः प्रिय कृत्तव ।

घरदानेत शुक्रस्य न शक्यं वत्तु सुत्तमः ॥ ३१ ॥

अभ्यविज्ञतः पूर्वं राज्ये र्वै सुतमात्मनः ॥ ३२ ॥

( आदि८ अ० ८५ )

१. प्रतीपः पृथिवीपालस्तित्पुणोकेषु विग्रुतः ॥ १४ ॥

तस्य पार्थियसिंहस्य राज्यं धर्मेण शासतः ।

त्रयः प्रजाशिरे पुत्राः देशदालपा यशस्विनः ॥ १५ ॥

देवापिरभवच्छ्रु षो बाल्हीकस्तदनन्तरम् ।

तृतीयः शान्तनुस्तात धृतिमालू मे पितामहः ॥ १६ ॥

देवापिस्तु महातेजास्त्वगदोषी राजसत्तमः ।

धार्मिकः चत्यवादो च पितुः सुशूष्येऽरतः ॥ १७ ॥

पौर जानपदानं च सम्मतः साधुनन्तकृतः ॥

सर्वेषां बाल बृहुनां देवापि दयङ्गमः ॥ १८ ॥

वदान्यः सत्यकन्धस्य सर्वभूतहितेतः ।

वर्तमानः पितुः यास्त्रे ग्राहणानांतचैव च ॥ २० ॥

ग्राय कालस्य पर्याये बृहो वृपतिसत्तमः ।

सम्भारानभिषेकार्थं कारयामास शास्त्रतः ॥ २१ ॥

तं ग्राहणाश्च बृहाश्च पौर जानपदैः सह ।

घर्वेनिवारयामासुः देवापेरभिषेचनम् ॥ २२ ॥

सतच्छ्रुत्वासु वृपतिरस्तिवेकानिवारणम् ।

### व्यवस्थापिका सभा. (Legislative Council.)

महाभारत शान्ति पर्व में पितामह भीम्ब ने युधिष्ठिर के सन्मुख एक-सत्रात्मक राज्य के दोषों का वर्णन कर के प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा बनाने की अनुमति दी है। इस सभा में चारों वर्णों का यथायोग्य प्रतिनिधित्व होता चाहिये। इस सभा की रचना इस प्रकार होनी चाहिये—

“इस सभा में चार ब्राह्मण हों जो आयुर्वेद में निपुण, विचार शील, धगलभ स्वातंक और शुद्ध हृदय हों। आठ युद्धविद्या में निपुण क्षत्रिय हों। इक्षोस धन शान्ति से सम्पन्न वैश्य हों। एक सूत हो जो आठ गुणों से युक्त, ५० वर्ष की अवध्या चाला, उच्च भावों चाला और द्वैर्घ्यारहित हो।”<sup>१</sup>

**निर्णयों का प्रकाशन**— प्राचीन राज्य शासकों ने नियामक सभा के निर्णयों को साधारण प्रजा तक पहुँचाने का भी पूर्ण प्रबन्ध किया हुआ था। उपर्युक्त प्रकरण में ही हम पढ़ते हैं कि—

“इस सभा के निश्चय को तथा सभा द्वारा विचारित विषयों को राजा जनता तक पहुँचादे। जनता के मुख्य नेता भी उसे भली प्रकार जानले। इस प्रकार के व्यवहार से राजा को सदेव प्रजा का निरीक्षण करना चाहिये।”<sup>२</sup>

अश्रुपूर्णे भवद्राजा पर्यशोचता चात्मजम् ॥ २३ ॥  
 एवं वृद्धान्धे धर्मज्ञः सत्यसन्धस्तु सोऽभवत् ॥ २४ ॥  
 प्रियः प्रजानामपिस त्वग् दोषेण प्रदूषितः ।  
 हीनाङ्गं पृथिवीपालं नाभिनन्दन्ति देवताः ॥ २५ ॥  
 इतिकृत्प्रवा वृप श्रेष्ठं प्रत्येधत्रूद्विजर्जभाः ॥  
 ततः प्रश्यथिताङ्गोऽसौ उच्चशोक समन्वितः ॥ २६ ॥  
 निःशास्ति वृपं द्वृष्टा देवापिः संश्रितो वनम् ॥.  
 वालहीको मातुलकुलं त्यक्ता राज्यं समाप्तिः ॥ २७ ॥.

१. चतुरो ब्राह्मणाद् वैद्याय प्रगस्त्रभास्त्र स्त्रातकाश्चुचीर्त ।  
 चत्रियांश्च तथा चाष्टौ बलिनः शस्त्रपाणिनः ॥ ७ ॥  
 वैश्यान् विज्ञेन सम्पन्नाद् एकविंशतिसत्यया ।  
 जीवशूद्राद् विनीताद्यशुचीर्त कर्मणिपूर्वके ॥ ८ ॥  
 अष्टाभिश्चगुण्युक्तं सूतं पौराणिकं तथा—  
 पञ्चाशूद्रवर्ष वयसं प्रगस्त्रमन सूत्रकम् ॥ ९ ॥

( शान्ति० अ० ८५ )

२. ततः संप्रेषयेद् राष्ट्रै राष्ट्रियाय च दर्शयेत्  
 ग्रनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः सदा ॥ १२ ॥.

( शान्ति० अ० ८५ )

**राजा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व—** प्राचीन समय में राजा ही राष्ट्र का मुख्य शासक होता था; इस लिये तत्कालीन विचारक और नीतिज्ञ राजा की सुशिक्षा पर बहुत अधिक वल देते थे । शान्ति पर्व में महाराज मान्याता के सन्मुख, ऋषि उत्तर ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार किया है—

“हे राजन ! कमज़ोर की, तपस्वी की और सांप की दृष्टि बहुत असह्य होती है, इस लिये तुम कमज़ोर की कभी मत सताओ ॥ १४ ॥ अधिक वल होने से दुर्वल होना ही अधिक अच्छा है क्यों कि अधिक वल बाले का जब प्रतन होता है तब वह सर्वथा बलशून्य होकर दुर्वल से भी दुर्वल रह जाता है ॥ १५ ॥ वलबान राजा यदि दुर्वल का अपमान करे, उसे मारे या उसे भाली दे तो ग्रटनाचक से तैयार हुवा हुवा दरड उस राजा का नाश करदेता है ॥ १६ ॥ इस लिये हे मान्यात् ! अगर तुम बली हो, तो कमज़ोर के अधिकार को मत हायियाओ, क्यों कि जिस प्रकार आग घरों को जला देती है उसी प्रकार दुर्वल की दृष्टि कहीं तुझे भी भर्त्ता न कर दे ॥ १७ ॥ जब राजा अपने वचन, शरीर और क्रिया सभी से न्यायाचरण का दावा करता है तब उसे अपने पुत्र का भी अपराध क्षमा नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ राजा का धर्म है कि वह अपने भाग में से भी दुर्वलों को देकर उन्हें शक्तिशाली बनावे ॥ १९ ॥ राजा का धर्म है कि जहां वह अपनी साधारण प्रजा को सुखी करे वहां वह अभागे, अनाथ और बूढ़ों के आंसू भी पोंछ दे ॥ २० ॥”

इसी प्रकार वसुमन्तर राजा के प्रति दिए गए वामदेव के उपदेश का कुछ अंश हम यहां उद्धृत करते हैं—

१. दुर्वलस्य च यच्च दुर्मनेराजी दिपस्य च ।

अविप्रह्यतमं नन्ये मास्तु दुर्वलगासदः ॥ १४ ॥

अवलं नैव वलाच्छेयो वच्चातिवलवद्वलम् ।

वलस्यावलदग्धस्य लकिञ्चिद्विषयते ॥ १५ ॥

विमानितो इतः क्रुष्टस्त्रातार्द नैव विदन्ति ।

अप्तु त्रुय कृतस्तत्र दरडोहन्ति नराधिष्ठ ॥ १६ ॥

मत्स्त तात वलेस्तिवा भूजीया दुर्वलं जनस् ।

मास्त्वा दुर्वलचर्षूद्धि दहन्त्वग्निरियाश्रयत् ॥ १७ ॥

जायतेहि यदास्त्वं वाचा कायेत कर्मणा ।

पुग्रस्यापि न वृष्ट्येत्वं सराङ्गो धर्मउच्छवते ॥ १८ ॥

सम्भिर्भव्य यदा भुक्ते वृष्टिर्द्वयलानः नरत् ।

सदाभवन्ति व्रतिमः सराङ्गः धर्म उच्छवते ॥ १९ ॥

कृपणानववृद्धानां यदाश्रु परिमार्जति ।

हर्षं स जनयन् वृणां सख्यो धर्म उच्छवते ॥ २० ॥

“किला, युद्ध, धर्मानुकूल शासन, मन्त्रचिन्तन और साधारण प्रजा का सुखी होना इन पार्वीं द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति होती है ॥ २३ ॥ अकेला राजा हन सब कार्यों का पूर्ण निरीक्षण नहीं कर सकता अतः उसे ये कार्य अलग अलग मन्त्रियों पर छोड़ कर स्थिरता पूर्वक राज्य का शासन करना चाहिये ॥ २४ ॥ लोग उसी को राजा चुनते हैं जो उदार, अपनी सम्पत्ति को बाँट कर भीग करने वाला, कौमल स्वभाव, शुद्ध हृदय और अपनी प्रजा को आपत्ति में भी न छोड़ने चाला हो ॥ २५ ॥ जो राजा विद्राहीं से कर्तव्य का उत्तम उपदेश सुन कर उस का पालन करते हुए स्वेच्छाचारी नहीं बनता लोग उसी राजा के वश में होकर रहते हैं ॥ २६ ॥ ”

ये सब महाभारत में वर्णित राजा के आदर्श स्वरूप हैं । अब हम तत्कालीन राजाओं की वास्तविक दशा का वर्णन करते हैं—

**राज चिन्ह—** महाभारत आदि पर्व में, अङ्गदेश के राजा कर्ण के राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए, राजचिन्हों का वर्णन इस प्रकार किया है—

“उसी समय ब्राह्मणों ने पुष्प रस से मिथित सोने के घड़ों में रक्खे हुए जल से कर्ण का आभिषेक किया । इस प्रकार वह पराक्रमी अङ्गदेश का शासक बनाया गया । उस के सिर पर श्वेत छत्र रक्खा गया, इधर उधर चैवर ढुलाये जाने लगे । सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे । ” ३

**अभिषेक-उत्सव और प्रदर्शनियां—** महाभारत कालमें राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के मनोरञ्जनार्थ और ज्ञानदृष्टि के लिये बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों की आयोजना भी की जाती थी । महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ करने पर भी एक इसी प्रकार के चिडियाघर का वर्णन उपलब्ध होता है—

“यज्ञ में निमन्त्रित विदेशी राजाओं ने वहां दूर दूर देशों से लाए गए जल और स्तुल के पशुओं को देखा । वहां उन्हेंने गाय, भैंस, बूढ़ी औरतें, पानी

१. रक्षाधिकरणं शुद्धं तथा धर्मानुशासनम् ।

मन्त्र चिन्ता शुखं लोके पञ्चनिवर्धतेऽनहीं ॥ २३ ॥

मैता व्येकेन शक्यानि सातत्येनाशुद्धीसितुम् ।

तेषुपुर्वं प्रतिष्ठाप्य राजा भुद्भ्यो चिरं महीम् ॥ २४ ॥

दातरं संविभक्तारं सार्दोषोपगतं शुचिम् ।

श्वसन्त्यक्तस्तुप्यज्ञ जनाः कुरुते वृपम् ॥ २५ ॥

यस्तुनिश्रेयसं श्रुत्वा ज्ञानं सूत् प्रतिपदते ।

श्वालग्नो न तत्पुत्रज्यं तं लोके ऐषु विधीयते ॥ २६ ॥

( शान्तिं अ० ११ )

२. ततस्तस्मिन्मृष्णे कर्णः सलाजकुमुचीर्घटः ।

काञ्चनैः काञ्चनैपीटे सन्त्र विद्विर्महारथः ॥ २७ ॥

अभिषिक्तोङ्गराजवस्य श्रिया युक्तोमहावलः ।

सच्चन्नवालव्यज्ञनो लप्पशब्दोक्तरेणाच ॥ २८ ॥

( ऋगदिपर्व० अ० १३८ )

के जीव, जंगली जीव, पश्ची, जेरज अण्डज तथा स्वेदज प्राणी और बनस्पति पर्वत तथा जल में पैदा होने वाले जीवों को देखा ॥”

**राजधानी—** शान्ति पर्व में राजधानी का वर्णन करते हुए इन वार्तों पर ध्यान देने को लिखा है—

“राजा को ऐसे नगर में अपनी राजधानी बनानी चाहिये जिसे नगर में किला हो, पर्यात हथियारों का सुभीता हो, ज़मीन उपजाऊ हो, चारों ओर कोट और छाई हों, जहां हाथी घोड़े रथादि खूब हों, जहां विद्रान् कारीगर और विश्वस्त प्रजा रहती हो, जहां कई बीर और लड़ाकू जातियों का वास हो, जिस का व्यापार खूब उच्चत हो, जो सर्व और से सुरक्षित और सुन्दर हो; जिस के निवासी चीर और धनी हों, जिस में वैद पाठ, उत्सव और सभायें होती हों, जहां देवताओं की सदा पूजा होती हो। ऐसे नगर ही में राजा को अपनी सेना तथा मन्त्रियों सहित रहना चाहिये। इस प्रकार के नगर में रहता हुवा राजा अपनी सेना, कोष और व्यापार को बढ़ावे। वह प्रजा और नगर के सब दोषों का निवारण करे ।”<sup>२</sup>

“राजा बड़ी पहचान से प्रजा की सुशिक्षा के लिये इस नगर में आचार्य ऋत्विग्, पुरोहितों, आयुश्रवीरों, शिलिष्यों, ज्योतिषियों और वैद्यों को नियुक्त

१. स्यलजा जलजा येच पश्च: केदन प्रभो ।

सर्वैनेव जगानी तानपश्चर्यस्तत्र ते तृपाः ॥ ३२ ॥

गारचैव महिषीरचैव तया शुद्धियोपिच ।

श्रीदकानि च सत्यानि श्य। पश्नानि वयांतिच ॥ ३३ ॥

जरायुजागडजातानि स्वेदजान्मुद्ध्रिदानिच ।

पर्यतात्रूपजातानि भूतानिददशुद्धते ॥ ३४ ॥॥

( ऋखसेप पर्व अ० ८५ )

२. यत्पुरं दुर्ग सम्पन्नं धारयायुधसमन्वितम् ।

दृढ़ग्राकारपरिखं इस्त्वयरवसङ्कुलम् ॥ ६ ॥

चिद्रांसः शिलिष्यनो यत्र निषदास्युरुच्छ्रिताः ।

धर्मिकश्च जनोयत्र दावयमुत्तममात्मितः ॥ ७ ॥

उर्जस्त्रिनरनोगाश्वं दत्तरपणशोभितन् ।

प्रसिद्ध व्यवहारङ्गं प्रेणात्मकुतोभयम् ॥ ८ ॥

सप्रभं सातुनादं च सुमशस्त निवेशनम् ॥

शूराठघ जनं सम्पन्नं ग्रहस्थोपातुनादितम् ॥ ९ ॥

समाजोत्त्वं सम्पन्नं सदा प्रजितं देवतम् ॥

वश्यामात्यवलो राजा तत्पुरं स्वयमाचिह्नित ॥ १० ॥

तत्र क्षीर्य घरं मित्रं व्यवहारस्त्वर्येत् ।

पुरे जनपदे धैय सर्वं दोपाग्निवर्तयेत् ॥ ११ ॥

( शान्ति० अ० ८५ )

करे । इन सब पदों पर बुद्धिमान, उदार, चतुर, विद्वान् और गुणी कुलीन हों नियुक्त किये जाय । ” १

राजा के शिक्षक — राजा का यह कर्तव्य है कि वह अभिमान/रहित निष्काम और निष्पक्ष सत्यासी तथा विद्वानों की सम्मति को अत्यन्त आदर च-श्रद्धा के साथ सुनें—

“सर्वस्व त्यागी, कुलीन विद्वान् का राजा सदैव आसन, भोजन, तिवास आदि द्वारा यथायोग्य सत्कार करे । कोई आपत्ति आने पर उन पर पूरा विश्वास करे क्यों कि प्रायः ऐसे साधु जन पर दस्यु तक भी विश्वास कर लेते हैं । उस विद्वान् को वह अपना अर्थ सचिव बनाये, विशेष कार्य पड़ने पर उससे सलाह ले । बार बार पूछ कर उसे तंग न करे परन्तु उसका सत्कार बहुत अधिक करे । इसी प्रकार के एक विद्वान् को स्वराष्ट्र सचिव और एक को परराष्ट्र दृत नियुक्त करे । एक को बनाध्यक्ष और एक को आध्रोन राज्यों का निरीक्षक (उपानेषद सचिव) नियुक्त करे । राजा इनके साथ सम्मान का व्यवहार करे इनकी आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखें । परराष्ट्र दृत और बनाध्यक्ष का भी स्वराष्ट्र सचिव के वरावर सम्मान करे । ये तपसी लोग मौका पड़ने पर राजा को पूरी सहायता देंगे । ” २

इस प्रकरण में किंतनी सुन्दरता से राजा के सत्यासी और विद्वानों के प्रति कर्तव्यों तथा सम्बन्धों का निर्देश किया है । एक सबल राजा को एक

१. सत्कृताश्च प्रवृत्तेन आचार्यत्विक् पुरोहिताः ॥

स्वेष्वासाः स्वपत्नेः सम्बन्धर चिह्नित्सकाः ॥ १६ ॥

प्राज्ञाः सेषाविनोदान्ता दक्षाः शूरा वहुश्रुताः ॥

कुलीनाः सत्क्षसम्पन्नाः युक्ताः सर्वेषु कर्मसु ॥ १७ ॥

( शान्ति अ० ८५ )

२. सर्वार्थ त्यागिनं राजा कुलेजातं वहुश्रुतम्

पूजयेत्तादृशं दृष्ट्वा श्यन्नासन भोजनैः ॥ २७ ॥

तस्मिश्च कुर्वीत विश्वासं राजा कस्याच्चिदापदि

तापेषु हि विश्वासमपिकुर्वन्ति दस्यवः ॥ २८ ॥

तस्मिन्निधीनादधीत प्रजां पर्याददीत च ।

न चाप्यभीक्षणं सेवेत भूयां वा प्रति पूजयेत् ॥ २९ ॥

अन्यः कार्यः स्वराष्ट्रेषु पराष्ट्रेष्वापरः ।

अटवीषु परः कार्यः सामन्तनगरेष्वपि ॥ ३० ॥

तेषु सत्कार मानाभ्यां सम्बिभागांश्चकारयेत् ।

परराष्ट्राटवीष्येषु यथा स्वविषयेतथा ॥ ३१ ॥

ते कस्याच्चिदवस्थायां शरणं शरणार्थिने ।

राजे दद्युर्यथाकामं तापसाः संत्रित ब्रेताः ॥ ३२ ॥

( शान्ति अ० ८५ )

निष्पक्ष विद्वान् परराष्ट्र दृतं द्वारा कितना अधिक लाभ पहुँच सकता है । यदि आज कल भी इसी प्रकार के वीतरांगे पंक्षयाते हीन सन्यासी संसार भर के राष्ट्र में दूत के तौर से नियुक्त होकर अन्तर्राजातीय विवास की खापना कर दें तो वर्तमान युग का बढ़ता हुवा जातियों का भयङ्कर संघर्ष संरलता से शान्त किया जा सकता है । परन्तु आज कल तो संसार के अग्रणी नेता खयम् ही सङ्कुचित साम्राज्यवाद के भावों का प्रचार कर रहे हैं ।

**दरिद्र पोषण—** आज कल सभ्य संसार में दरिद्र और अपाहिजों का पोषण करना राष्ट्र के केत्री समझों जाता है । सभ्य देशों में इसके लिये “दरिद्र-पोषण नियम” ( poor laws ) बने हुए हैं । प्राचीन समय में भारत में भी यह कर्तव्य राजों का ही समझा जाता था । शान्ति पर्व में लिखा है—

“राजा सदैव अनाथ, वृद्ध, निःसंहाय और विधवाओं की रक्षा करें, उन की आजीविका का प्रबन्ध करे ।” १

**पुरोहितों और राज्ञों का सम्बन्ध—** शान्ति पर्व में पितामह भीम ने महर्षि कथ्यप के बचनों को उधृत करते हुए कहा है कि ब्राह्मणों ( राष्ट्र के धर्म तथा आचार के प्रतिनिधि ) और क्षत्रियों ( राष्ट्र के शासक और अधिकारी ) में परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है ।

“क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों सदा एक दूसरे के पूरक और परहंपर मिले रहने वाले हैं । क्षत्रियों के कारण ब्राह्मण सुरक्षित हैं और ब्राह्मणों के कारण ही क्षत्रियों की उन्मत्ति बन्द नहीं होती । ये दोनों मिल कर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं अगर इन का प्राचीन काल से ओरा हुआ यह मेल दृट जाय तो राष्ट्र भर में अज्ञान और मोह का राज्य है जाता है ।” २

**चक्रवर्ती राज्य—** कुछ पुरातत्व वेत्ताओं और ऐतिहासिकों का यह नितान्त अशुद्ध और भ्रमपूर्ण विचार है कि विद्युत राज की खापना से पूर्व कभी सम्पूर्ण भारतवर्य एक शासन छन्न के नीचे शासित नहीं हुआ ।

महाराजा युधिष्ठिर अपने समय का सम्पूर्ण भारत वर्ष का चक्रवर्ती राजा हुआ है । उसका विश्वाल राज्य हिन्दू कुश पर्वत से ले कर कुमारी अन्तरीप तक फैला हुआ था । इस के अतिरिक्त कठिपय अन्य देश भी उस के शासनाधीन थे । महाभारत सभा पर्व में वर्णन आता है कि—

१. कृपणानाथ वृद्धानां विधवानाद्योपिनाम् ।

योगजेमञ्च वृत्तीनां नित्यमेव प्रकल्पयेत् ॥ २४ ॥ ( शान्ति पर्व, अ० ८६ )

२. एतौ हि नित्यं संयुक्ताधितरेतरधारणे ।

चत्रं वै ब्रह्मणो मोनिः यौनि चत्रस्य वै द्विजाः ॥ ११ ॥

उभयितौ नित्यमभिप्रपन्नौ सम्प्राप्तुर्महतीं सुप्रतिष्ठाम् ।

तथोः सन्धिर्भिद्यते चेत्पुराणः ततः सर्वं भवति हि सम्प्रसूद्देश् ॥ १२ ॥

( शान्ति अ० ७३ )

“महाराजं युधिष्ठिरं के अभिषेक पर चोल, पांड्य, कम्भोज ( अफगानिस्तान ), गांधार ( कंधार ), यवन ( फारस ), चीन, काश्मीर, रोमक ( रोम ), अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, ताप्रलिप्त ( लंड्डा ), हिमालय ( तिब्बत ), अंकोकां और वर्वर देश—इन सब देशों के राजा और महाराजा अपने अपने हिस्से का कर लेकर इन्द्रेष्य आए थे ।” १

इसी प्रकार सभी पर्व के ३७ वें अध्याय में सिंहपुर और उत्तरीय यूरोप ( हिन्दिवर्ष देश ) का विजय चर्णित है । इसी पर्व के ३१ वें अध्याय में द्राविड़ देश, और सुरांग ( गुजरात या सूरत ) के विजयों का भी वर्णन है । २

महाभारत के इन घ्राणों से भ्रतीत होता है कि महाराजा युधिष्ठिर का चक्रवर्ती राज्य था । केवल भारत ही नहीं अपितु कतिंपर्य अन्य देश भी उन्हें के आधीन थे ।

### करं विभाग

महाभारत काल में राजा की ओर के बहुत से साधने थे । भूमि की उपज ढायापार, कानून तथा संसुद्र और वनों की उत्पत्ति पर कर लिया जाता था; इसी प्रकार अन्य भी कई प्रकार के कर लिये जाते थे । परन्तु राष्ट्र की आय का मुख्य भाग भूमि तथा व्यापार पर लेगाएं कर से ही पूरा होता था ।

**कर संग्रह का प्रबन्ध** — शान्ति पर्व के ८७ वें अध्याय में राष्ट्र रक्षा तथा कर संग्रह के सम्बन्ध में पर्याप्त निर्देश प्राप्त होते हैं ।

“प्रत्येक गांव का एक प्रबन्ध कर्ता हो; फिर क्रमशः दस, बीस, सौ और

१. ( १ ) और्णाश्वैलाङ्ग वार्षदशाङ्क काम्भोजः प्रददौ बहूङ् ॥ ३ ॥

( २ ) विज्ञु सकृत्समादाय मरकच्छ निवासिनः ।

( ३ ) उपतिन्युर्महाराज हयाङ्ग गन्धारदेशजाङ्ग ॥ ४ ॥

( ४ ) प्रागुज्योतिपाधिपः शूरोम्लोच्छानामधिपो वली ।

यवनै सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १३ ॥

( ५ ) शौष्णीकानन्तवासांश रोमकाङ्ग पुरुपादकाङ्ग ॥ १६ ॥

( ६ ) चीनांस्तथाशकाश्वैग्नाङ्ग वर्वराङ्ग वनवासिनः ॥ २२ ॥

( ७ ) शकास्तुस्खाराः कङ्गाश्व रोमांश्व शृङ्गिषोनराः ॥ २८ ॥

( सभा० अ० ५१ )

( ८ ) वङ्गः कलिङ्ग मगधास्ताम्बिप्राः सयुरङ्गकाः ।

दौवालिका सागरकाः ..... ॥ १८ ॥

( ९ ) शतशश्चुक्यांस्तत्र विहलाः समुपाहरङ्ग ॥ ३७ ॥

( १० ) मण्याद्वदुराच्चै चन्दनागुरुसञ्ज्ञयाङ्ग

२. वशं चक्रे महा वाहुः सुराष्ट्राधिपतिंदा ॥ ६२ ॥

( सभा० अ० ५१ )

एक हज़ार ग्रामों पर बड़े शासक हों। इन शासकों का कार्य शान्तिरक्षा और कर संग्रह है ।” १

ग्राम का अधिकारी ग्राम से इकट्ठे किये कर को अपने से ऊपर के अधिकारी, १० ग्रामों के शासक, के पास पहुँचा देता था। वह अपनी कुल आय का निश्चित अंश अपने से ऊपर के अधिकारी को दे देता था। इस प्रकार राष्ट्र का कर क्रमशः राजा के कोष में पहुँच जाता था।

कर का उद्देश्य—प्रजा पर लगाए करों द्वारा जो आत्र होती थी उसका उद्देश्य केवल राजा की वैयक्तिक आय नहीं था। यह एक सर्व सम्मत वात थी कि राजा प्रजा की आय का जो शाष्ट्रांश लेता है वह प्रजा के सार्वजनिक लुक्स के लिये ही है। महाभारत शान्ति पर्व में एक जगह कहा है—

“हे कुरुनन्द, बुद्धिमान राजा प्रजा की रक्षा के लिये उन की आय का छटा भाग कर रुप में ले। इमानदारी से क्रमाये गए धन पर कुछ कर प्रजा पर व्यय करने के लिये लगाए। कान, नमक, सड़कों, जहाजों और हाथियों पर लगाए कर को इकट्ठा करने के लिये राजपुरुषों को नियुक्त करे ।” २

उस समय भूमि कर के अंतरिक्ष अन्य कर भी लगाए जाते थे। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न अनुपात से कर लगाया जाता था। ये कर बहुत भारी न थे—सदैव इस वात का व्यापार रक्षा जाता था कि कहीं करों द्वारा देश के व्यापार व्यवसाय आदि पर तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। प्राचीन प्रथा के अनुसार राजा प्रजा को पुत्र के समान समझता था अतः यद्यपि राष्ट्रीय आय प्रजा पर ही व्यय कर दी जाती थी तथापि उसे राजा की आय कहा जाता था। युद्ध के समय अथवा राष्ट्र पर आई किसी अन्य आपत्ति के समय राजा प्रजा के धनिक पुरुषों से धन उधार भी लेता था। यह धन आज कल की तरह प्रायः लम्बे अवधि के बाद ही छुकाया जाता था। कर इस तरह लगाया जाता था कि ग्रामों से ले कर धनी से धनी व्यापारियों तक उस का बोझ उचित अनुपात से पड़े, कोई भी उस बोझ से सर्वथा वञ्चित न रह जाय। आवश्यकता पड़ने पर कर बृद्धि भी की जाती थी। जनता के नेताओं में भेड़ डाल कर राजा कर बढ़ाने का नीतिपूर्ण यज्ञ करता था। अमीर और रईसों का खूब सद्व्यक्त किया जाता था। कर संग्रह के सम्बन्ध में शान्ति पर्व में लिखा है—

१. ( महाभारत, शान्ति पर्व, अ० ८७ स्तो० ३-७ )

२. आददीत वलिङ्गापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन ।

सप्तभागमपि प्राज्ञः, तासामेवाऽभिगुप्तये ॥ २५ ॥

दशर्थमर्गतैभ्यो यद् वसु वद्वल्पमेव च ।

तदाददीत बहसा पौराणां रत्नात्यवै ॥ २६ ॥

आकरे लवणे शुल्के तरे नागवले तथा ।

त्यसेदमात्यान्तृपतिः स्वामान् वा युद्धपाहितान् ॥ २७ ॥

“ कई राजकर्मचारी प्रजा को लूटने वाले और पापाचारी होते हैं । राजा उन से सदैव प्रजा की रक्षा करे । व्यापारी ने कितना माल खरीदा है, उस पर अन्य व्यय कौन २ से हुए हैं तथा उसके परिवार का व्यय और आय क्या है यह सब बातें देख कर ही उस पर कर लगाना चाहिये जिस से कि प्रजा को यथा सम्भव कम कष्ट हो । फल ( उत्पत्ति ) और कर्म ( श्रम ) को देख कर ही कर निश्चित करना चाहिए । किसी भी उद्योग धनधैर्य पर इस प्रकार कर लगाना चाहिये जिस से कि व्यवसायी और राष्ट्र दोनों का उस उद्योग में भाग हो सके । लोभ में पड़कर राजा को बहुत कर बढ़ा कर अपने और राष्ट्र के व्यवसाय पर छुड़ा राघात नहीं करना चाहिये । कर बहुत बढ़ा देने वाले राजा से प्रजा द्वेष करती है—इस प्रकार राजा को सदैव राज्य जाने का भय बना रहता है । राष्ट्र को बछड़ा समझ कर ही प्रजा पर कर लगाना चाहिये । गौ को अधिक दुःख लेने से बछड़ा भी काम का नहीं रहता । इसी प्रकार प्रजा पर अत्यधिक कर लगा देने से राष्ट्र की अगामी आय बहुत कम हो जाती है । राजा को चाहिये कि वह प्रत्येक नागरिक, राष्ट्रवासी, उपनिवेश तथा आधीन देशवासियों से अनुकम्पा पूर्वक यथाशक्ति सब उल्लिखित करें को प्राप्त कर ले । ”

१. जिद्धांसवः पापकामाः परस्वादाविनःशठाः ।  
रक्षाभ्यधिकृता नाम तेष्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२ ॥  
विक्षयं क्रपमधवानं भक्तज्ञु सपरिच्छृङ्गम् ॥  
योगक्षेमज्ञु संप्रेक्ष्य वणिजां कारयेत्करात् ॥ १३ ॥  
उत्पत्तिं दानवृत्तिज्ञु शिल्पं संप्रेक्ष्यवचासकृत् ।  
शिल्पप्रति करानेवं शिल्पिनः प्रतिकारयेत् ॥ १४ ॥  
चक्ष्वायचक्करा दाय्या महाराजा युधिष्ठिर ।  
यथा यथा नसीदेरत् तथा कुर्यान्महीपतिः ॥ १५ ॥  
फलं कर्मच संप्रेक्ष्य ततः सर्वं प्रकल्पयेत् ।  
फुलं कर्म च निहेतु नकाशितसंप्रवर्तते । १६ ॥  
यथा राजा च कर्त्ताच स्यातांकर्मणि भागिनौ ।  
सम्प्रेक्ष्य तथा राजा प्रणेयाः सततं वराः ॥ १७ ॥  
नोच्छ्रद्धादात्मनो मूलं परेषाज्ञापि तृष्णशा ।  
ईहाद्विमरणि संरुद्ध्य राजा संप्रीतदर्थनः ॥ १८ ॥  
प्रद्विष्टिं परिख्यातं राजानमतिखादिनम् ।  
प्रद्विष्टस्य कुतः श्रेयो नाभियोलभते फलम् ।  
वत्सौपम्यैन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीण बुद्धिना ।  
भूतो वत्सो जातवालः पोडां सहति भारत ॥ २० ॥  
न कर्म कुरुते वत्सो भृशंदुर्धो युधिष्ठिर ॥  
राष्ट्रमप्यतिदुर्गं हि न कर्म कुरुतेमहत् ॥ २१ ॥  
पौर जान पदाम् सर्वात् संक्षितोपाश्रितांस्तथा ।  
यथा शक्तयनुकर्त्त्वेत सर्वां त् स्वल्पधनानपि ॥ २४ ॥ ( महात् शान्ति०. ८७ )

**श्रृणु—** राष्ट्र पर अचानक आई आपत्ति तथा युद्धादि के समय राजा प्रजा से उधार भी लेता था । यह धन प्रजा को अवश्य चुका दिया जाता था । शान्ति पर्व में कहा है—

“कभी राष्ट्र पर आपत्ति आए तो राजा को अपने सलाहकारों से सलाह लेकर यह घोषणा करनी चाहिये कि देशपर सहसा इस प्रकार की विपत्ति आपड़ी है । फलाने प्रत्युल शत्रु ने राष्ट्र पर आक्रमण किया है, परन्तु अगर प्रजा सहायता दे तो उसे डरडे से सांप की तरह कुचला जा सकता है । शत्रु ने राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिये बड़े ज़ोखाओं से तैयारी की है । इस घोर आपत्ति के समय में रक्षा के लिये आप से धन चाहता हूँ । इस मय के नष्ट हो जाने पर यह धन लौटा दिया जायगा । अगर आप ने राष्ट्र की उचित सहायता न की तो शत्रु जीत जायगा, तब आप का कुछ भी नहीं बच सकेगा । मैं आपके परिवार का प्रतिनिधि बनकर आप के परिवारिक हित की दृष्टि से ही आप से यह धन चोहता हूँ । मैं प्रतिश्वास करता हूँ कि राष्ट्र को किसी प्रकार का अनुचित कष्ट न देकर करसंघ्रह करेंगा । इस प्रकार आदर पूर्वक मधुरता से राजा को धनका प्रदान करना चाहिये ॥”

**ज्वालों पर कर—** राजा को ‘गोमि’ लोगों (जंगल में रह कर गाय भैसादि को पाल कर उनके दूध का व्यवसाय करने वाले लोगों) पर भी कर लगाने को कहा है । परन्तु यह कर मात्रा में बहुत कम होना चाहिये—

१. प्रादेष्टु धनादानमनुभास्य ततःपुनः ।  
सम्प्रिष्ट्य स्वविष्टे भयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत् ॥ २६ ॥
२. यमापत्सुव्यन्ना परजन्मयं महत् ।  
अपि चान्तायकल्पन्ते येणोरिव फलानमः ॥ २७ ॥
३. ग्रायो मे समुत्थाय वहुभिर्द्व स्युभिः सह ।  
इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति वाधितुम् ॥ २८ ॥
४. ग्रह्यामापदि घोरायां सम्प्राप्ने दारणे भये ।  
परिवाणाय भवतः प्रार्थयिष्ये धनानि दः ॥ २९ ॥
५. प्रतिदास्ये च भयतां सर्वं चाहे भयच्छये ।  
नारयः प्रतिदास्यन्ति यदुर्देव्युर्बन्धादितः ॥ ३० ॥
६. कलावमादितः कृत्या सर्वं बो विनशेदितः ।  
अपिचेत्पुनः दारार्थमर्थं सञ्चय इष्यते ॥ ३१ ॥
७. मन्दामिदः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये ।  
पथाग्रकत्युपगृहोमि राष्ट्रस्यापीडया च दः ॥ ३२ ॥
८. इतिथाचामधुरया छादण्यां सोपचारया ।  
स्वरश्मीनभवद्यस्तेऽयोगमाधाय फालवित् ॥ ३४ ॥

( महात्मा शान्ति, अ० ८७ )

“क्योंकि गौमि लोगों को भी राजा द्वारा की गई रक्षा की परम औचेश्वरीकता है अतः उन पर भी कुछ न कुछ कर अवश्य लगाना चाहिये । इन गौमिं लोगों पर भी साम दानादि द्वारा राष्ट्र के सब नियम लाग् होने चाहिये क्योंकि इन लोगों का कृषि व्यवसाय आदि पर बहुत प्रभाव होता है ।” १

**सुक्तं चरागाहें—** महाभारत काल में जंगल और चरागाहें राजा की सम्पत्ति नहीं गिने जाते थे । जंगल में बसने, विचरने तथा पशुओं को चराने में प्रजा को पूर्ण स्वतन्त्रता थी । केवल वे जंगल पूर्ण रूप से राज्य द्वारा सुरक्षित थे जिन में कि हाथियों को पाला या उन्हें फंसाया जाता था । लोग हाथी को छोड़ कर अन्य जंगली जीवों का शिकार कर सकते थे; उन्हें जंगल से पकड़ कर अपने कांप में लाने की भी उन्हें स्वतन्त्रता थी । उस समय आजकल की तरह प्रायः साधारण जंगल सुरक्षित ( Reserved ) नहीं किये जाते थे । कृषि प्रधान भारतीय लोगों को इस से बहुत सुख था । महाभारत अनुशासन पर्व में राजा के अधिकारों की गणना करते हुए कहा है “बन, पर्वत, नदी और तीर्थ इनपर किसी का वैयक्तिक अधिकार नहीं ।” परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि राष्ट्र की ओर से इनको उत्पत्ति आदि पर सर्वथा नियन्त्रण नहीं किया जाता था । राज्य की ओर से वर्णोंको अधिक उपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता था । यह बन-प्रबन्ध शुक्राचार्य के समय का वर्णन करते हुए विस्तार से लिखा जायगा ।

१. उपैचिता हि नश्येयुः गोमिनोऽरश्यवासिनः ।


तस्मान्तेषु विशेषेण मूढु पूर्वं समाचरेत् ॥ ३६ ॥

सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाष्यभीक्षणः ।

गोमिनां पार्थं कर्तव्यः स्तिवभागः प्रियाणि च ॥ ३७ ॥

अजस्यमुपयोक्तव्यं फलं गोमिषु भारत ।

प्रभावपन्ति राष्ट्रज्ञं व्यवहारं कृपिन्तया ॥ ३८ ॥ ( महाभारत ० शान्ति ० आ० ८७ )



## \* तृतीय अध्याय \*

~~~~~

सामाजिक आचार व्यवहार.

महाभारत काल में धन और वैभव को दृष्टि से भारतवर्ष खूब सम्पन्न देश था। साथ ही उस समय आचार और व्यवहार की प्राचीन मर्यादाएँ ढीली होती चली जारही थीं। जो देश भौतिक ऐश्वर्य से खूब सम्पन्न होजाता है उस के निवासी प्रायः साधाविक रूप से चिलासी बन जाते हैं। इसी समय भारतवासियों के वैयक्तिक तथा सामाजिक आचार में अवनति प्रारम्भ हुई। वैदज्ञों की न्यूनता, बहु बिवाह, नर बलि, वैश्या गमन, लूआ, भरी सभा में देवियों का अपमान ये सब बुराइयाँ इसी समय से खूब बढ़ने लगी; सहाभारत में ही इन बुराइयों के पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं। तथापि इस समय प्राचीन इत्तम प्रथाओं और आचार नियमों का सर्वथा अभाव नहीं होगया था।

वैदज्ञों का अभाव— शान्ति पर्व में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए पितामह भीष्म ने कहा है—

“आज कल वैदोक्त-व्यवस्था के अनुकूल आचरण करने वाले विद्वान् बहुत दुर्लभ हैं। प्रायः लोग अपना मतलब पूरा करने के लिये ही वैदोक्त आचरण करने का दृष्टिग करते हैं।” १

ब्राह्मणों का अपमान— उस समय, समाज के प्राचीन काल से चले अते हुए नेता—ब्राह्मणों का अपमान प्रारम्भ होगया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों वर्णों में थोड़ा बहुत संघर्ष भी शुरू होगया था। द्वयोंधन ने महर्षि व्यास और विदुर के उपदेश को न मान कर उन की अवहेलना थी, द्वौपदी के ख्याम्बर में ब्राह्मण रूप में वैठे हुए अर्जुन को देख कर क्षत्रियों ने अपमान पूर्वक कहा था—

“आज क्षत्रियों के मुकाबले में ब्राह्मणों की खूब धज्जियाँ उड़ेंगी।” २

“राजा द्वुपद एक ब्राह्मण (ब्राह्मण वेष धारी अर्जुन), को अपनी कन्या

१. दुर्लभा वैदविद्वांशो वैदोक्ते शुच्यवस्थिताः ।

प्रयोजन महत्वात् मार्गमिच्छन्ति संस्तुतम् ॥ (शान्ति० मो० ख० अ० २१२)

२. अवहास्या भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सर्वतज्जुः ॥ दृः ॥ (आदि० अ० १५०)

देने लगा है यह देख कर क्षत्रिय बहुत कुछ हुए ॥” १

समाज ब्राह्मणों की इस प्रकार अवहेलना करने लगा था, इस में केवल समाज का ही दोष लहरी था। ब्राह्मणों का अपना आचार भी क्रमशः हीन हो चला था, इसी से समाज में उनकी पहले का सा अभाव शेष नहीं रहा था। हम ब्राह्मणों के पतन के कुछ दृष्टान्त यहाँ देते हैं—

ब्राह्मणों की दास-दत्तिष्ठा— लोग अपने विद्यागुरु ब्राह्मणों को दास दासी भी भेंट करने लगे थे। सभा पर्व में युधिष्ठिर की सम्पत्ति का वर्णन करते हुए दुर्योधन कहता है—

“अद्वाइस सहस्र गृहस्थी ब्राह्मण स्नातकों को उन की तीस तीस दास दासियों सहित युधिष्ठिर पालता है ॥” २

ब्राह्मणों की अनाधिकार चर्चा— प्राचीनकाल में स्वयंवर की प्रथा केवल क्षत्रियों में ही थी। परन्तु महाभारत के समय ब्राह्मणों ने भी स्वयंवरों में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब ब्राह्मण वेष में अर्जुन सम्मिलित हुआ था तब उस के साथ वैठे हुए तपस्वियों और ब्राह्मणों ने उसे खूब उत्साहित करने का ग्रन्थ किया था। इस पर कुछ होकर क्षत्रियों ने कहा—

“स्वयंवर में सम्मिलित होने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। यह प्रथा केवल क्षत्रियों में ही है— यही प्राचीन प्रथा है। यह क्षत्रिय कल्या अगर किसी क्षत्रिय को अपना पति नहीं चुनती तब इसे आग में फेंक कर हमें अपने राजयों में लौट जाना चाहिये ॥” ३

इसी प्रकार तत्कालीन ब्राह्मणों में अर्थ लोलुपता भी बहुत बढ़ रही थी। आज कल की तरह उन दिनों देश भर इस बात को मानने लगा था कि सनुष्य धन का दास है। भीम पर्व में युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए भीम, कृष्ण, द्रोणादि अग्रिणी देताओं ने कहा था—

“धन सनुष्य का दास नहीं है अपितु सनुष्य ही धन का दास है। इसी धन के कारण ही दुर्योधन ने हमें अपनी ओर बाँध लिया है ॥” ४

१. तस्मैदित्यति कन्यान्तु ब्राह्मणाय तदावृपे ।

कोपभासीन्महोपानामाल्येक्षपान्योन्यमन्निकात् ॥ १ ॥ (आदि० अ० १६१)

२. अष्टाशीति सहस्राणि स्नातकाः गृहमेघिनः ।

विशद्वासीक एकैको यादिभर्त्ति युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ (सभा० अ० ४८)

३. न च यिप्रेक्षधीकारो विद्यते चरणं प्रति ।

स्वयंवरः क्षत्रियाणामितीयं प्रथिता श्रुतिः ॥ ७ ॥

अथवा यदि कस्येयं न च कञ्जिद युधिष्ठिति ।

अग्नवेनां प्रतिक्षिप्य यामराङ्गाणि पार्थिवाः ॥ ८ ॥

(आदि० १६१)

४. अर्थस्युपुरुषो दासो दासत्वर्थो लक्ष्मिंचित् ।

इति सर्वं महाराज बहुजस्यर्थं कौरवैः ॥ ५७ ॥

(आदि० ४४)

वाह्यणों में इस प्रकार कमज़ोरियां आ जाने से ही समाज में उनका पुराना स्वभाव खिर नहीं रहा।

खी-समाज

वाह्यणों के साथ ही साथ अन्य वर्णों में भी बहुत सी कमज़ोरियां आ गई थीं। विशेष कर क्षत्रियों में छुच रिवाज़, जो किसी समय विशेष उद्देश्य से घलाप गए थे, बहुत ही बुरा और लज्जाजनक रूप धारण कर चुके थे। उन में घु विवाह और कन्या हरण आदि की प्रथाएं चल पड़ी थीं।

राक्षस विवाह— उस समय क्षत्रियों में राक्षस विवाह बहुतायत से होने लगे थे। राक्षस विवाह का अर्थ है कन्या का बल पूर्वक हरण करके उस से विवाह कर लेता। अर्जुन का खुम्हा हरण, कृष्ण का रुद्रप्रणी हरण और दुर्योधन का कलिङ्गराजपुत्री का हरण इस के उदाहरण है। तत्कालीन धर्म शास्त्र वैत्ताओं के अनुसार गुण, कर्म, विद्या और स्वभाव देख कर समाज गुणशील कन्या से विवाह करना गन्धर्व विवाह है। वाह्यणों को इसी प्रकार विवाह करना चाहिये। कन्या और उस के पिता की असुमति प्राप्त कर के क्षत्रिय को उस से विवाह कर लेना चाहिये। राक्षस विवाह के सम्बन्ध में वह कहते हैं—

“कन्या के सम्बन्धियों को धन का लालच दिखलाकर उससे विवाह करना असुरों का कार्य है। राक्षस लोग कन्या के सम्बन्धियों को मार कर उस से बल पूर्वक विवाह भी कर लेते हैं। पांच प्रकार के विवाहों में से पहले तीन धर्मात्मक हैं और राक्षस विवाह के ये दो रूप धर्म विरुद्ध हैं। यह असुर और पिशाच विवाह कभी नहीं करना चाहिये।”

इस प्रकरण में असुर और राक्षस विवाह को निन्दा ठहराया गया है। परन्तु भीष्म ने स्वयं काशिराज की तीनों कन्याओं का हरण किया था अतः उस ने अपने कार्य को उचित सिद्ध करने के लिये एक जगह कहा है—

“कन्या का पिता गुणबान् पुरुप को बुला कर अपनी कन्या को अलंकृत करके दहेज सहित कन्या दान करे। कई लोग में दहेज गौ देकर और कई धन देकर कन्या दान करते हैं। कई लोग बल पूर्वक कन्या का हरण करके उस से विवाह कर लेते हैं। सत्कार पूर्वक कन्या को लेना आर्य विवाह है। सब से उत्तम द्वाठवां प्रकार स्वयंवर विवाह का है। क्षत्रिय इसे बहुत पसन्द करते हैं। परन्तु

१. धनेत्रं बहुधा मौत्त्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवाह ।

असुराणां दृश्यंसं वै धर्ममहुर्मनीपिणः ॥ ६ ॥

हत्वा शित्वा च शीर्पाणि सलती रुदतीं गृहात् ।

प्रसद्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ७ ॥

पञ्चानां तु जयो भस्माः द्वावधर्मर्थं युधिष्ठिरः ।

पैशाचक्षासुरस्यै व. न कानवपौ कथम् ॥ ८ ॥

(अनुशासन प्र० ४४)

बल पूर्वक कन्या हरण करके विवाह करना उस से भी अधिक उत्तम है । इसी लिये, हे राजन्, मैं इन कन्याओं को हर लाया हूँ ॥^१

इसी प्रकार उद्योग पर्व से काशिराज की कन्या हरण की कहानी सुनाते हुए भीष्म ने कहा है—

“सब राक्षसों को हरण कर काशिराज की इन तीनों कन्याओं को मैं विचित्र वीर्य के लिए लाया हूँ । ये बन्याएं बहुवल द्वारा ही लाई गई हैं ॥^२

परन्तु इस लज्जा जनक प्रथा का बिल्कुल खुले आम प्रचार नहीं था । इस प्रथा के घोर चिरोधी भी उस समय पर्याप्त संख्या में मौजूद थे । स्वयं पितामह भीष्म को अृषि जामदग्न्य ने इस अनुचित कार्य का दण्ड देने का प्रयत्न किया था । काशिराज की बड़ी कन्या अम्बा शाल्वराज को चाहती थी परन्तु भीष्म उसे बलपूर्वक हर ले आया था, परन्तु अम्बा का विवाह विचित्र वीर्य से न हुआ । शाल्वराज ने इस अवस्था में उसे लेना अस्वीकार कर दिया । तब अम्बा भीष्म से बदला देने के लिये तपस्विनी बन गई । अम्बा ने अृषि-जामदग्न्य को अपना कष्ट इस प्रकार सुनाया—

“मुझ रोती हुई को महारथी भीष्म बलपूर्वक सभा स्थल से उठा लाया ॥^३

इस कुमारी-हरण प्रथा के साथ ही साथ उस समय बहुविवाह और एक स्त्री के बहुत से पति होने की लज्जा-जनक प्रथाएं भी चल पड़ी थीं । तत्कालीन राजाओं में खिलों के कारण ही परस्पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुआ करती थीं । यहाँ तक कि कतिपय नराधरम राजा लोग पराई पत्नियों तक की चुराने का यत्न करने लगे थे । इसके अतिरिक्त पांचों पाँचवर्षों ने एक ही खी-द्रोपदी-से विवाह कर लिया था । महाभारत काल से पूर्व यह प्रथा नहीं थी । इस सम्बन्ध में आदि पर्व में लिखा है—

१. आहूय दानं कन्यानां गुणधूभयः स्मृतं तु धृतैः ७ ॥

चूलंकृत्य यथा भृशं प्रदाय च धनान्यपि ॥

प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां मित्रूनेन गतामपि ॥ ८ ॥

वित्तेन कथितेनान्ये वलेनान्येनुमान्य च ।

प्रमत्तामुपयान्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥ ९ ॥

आर्षविधिं पुरस्कृत्य दारजविन्दित चापरे ॥

अष्टमं तमथोवित्त विवाहं कविभिर्वृतम् ॥ १० ॥

स्वयंवरत्तु राजन्याः प्रशंसन्त्युपयान्ति च ॥

प्रमथयतु हतामाहुज्यापसीं धर्मवादिनः ॥ ११ ॥ (आदि०, अ० १०२)

२. इमाः काशिपतेः कन्या मर्यान्निर्जित्य पार्थिवाश् ।

विचित्रवीर्यस्य कृतेः वीर्यशुक्रा हताइति ॥ २ ॥

(उद्योग० अ० १७३)

३. धत्तान्नीतास्मि रुदती विद्वादप् पृथिवीपतीह् ॥

(उद्योग० अ० १७४)

“एक राजा की तो वहुत सी रानियें हुओं करती हैं परन्तु एक रानी के वहुत से पति होना कभी सुना नहीं गया। हे युधिष्ठिर, तू इस लोक और धर्म से विरुद्ध कार्य को किस प्रकार करने लेगा है ? ”

इस युग में देवियों का मान भी सुरक्षित नहीं रहा था। भंगी संभां में प्रतापी पोर्णिमों की धर्मगति द्वौपदी का भयकर अपमान होना इसका उल्लंघन उदाहरण है।

भर्ता-वशीकरण — स्त्रियों में भी वहुत सी अनुचित प्रथाएं तथा भ्रममूलक विश्वास मौजूद थे। वे अपने पतियों को छल कपट और जादू दोने आदि द्वारा वंश में करने को प्रयत्न कियों करती थी। इस सम्बन्ध में वंतपर्व में संत्यभांमां ने द्वौपदी से इस प्रकार पूछा है—

“हे द्वौपदी, तूने जिस वित्त, तेप, मन्त्र, धौपधि, विद्या, जादू, होम अर्थों उपचार से अपने पतियों को वंश से किया है वह विधि मुझे भी वतादे ताकि मैं उससे अपने कुण्डं को वंश में कर सकूँ। ”

द्वौपदी ने उत्तर दिया—“संत्यभांमां, तू यह कुलदा और दुरी स्त्रियों को कार्य मुझ से किस प्रकार पूछती है, इस भयक्षेर पापे को विषय में मैं तुमें किस प्रकार उपदेश दे सकती हूँ। कुलदा स्त्रियों अपने पतियों को विप्र देकर, उन पर जादू करके उन्हें मार भी देती है। भीजने और स्पर्प में विपच्चूर्णादि का प्रयोग कर के कई स्त्रियों ने अपने पतियों को बूँदों, जलोंदरी, कौड़ी, नपुसक, गूँगा या वहरों भी वना डाला है। पापिनी स्त्रियां ही ऐसा करती हैं—तुम से मैं कभी ऐसी आशा नहीं करती । ”

१. एकस्य वहूचो विहिताः महिष्यः कुरुनन्दन ।

नैकस्यो वंहरः पुंतः भूयन्ते पतयः क्राचित् ॥ २७ ॥

लोकवेदविकटुः त्वं नाथम् धर्मविच्छुचिः ।

कर्तुमर्हति कौन्तेय कस्मात्ते बुद्धिरीदृशो ॥ २८ ॥

(आदिऽ अ० १८७)

२. सभायां पश्यतोराजः पातंपित्वा पदाहनम् ।

न चैवालभसे त्राणमभिपन्ना वैरीयसा ॥ ८ ॥

(विराट० अ० २२)

३. व्रतचर्या तंपोवास्ति स्नान मन्त्रैषपथानि वा ।

विवावीर्यं सूलवीर्यं यजहोमागदास्तथा ॥ ७ ॥

ममाद्याचाद्व पाञ्चालि यशस्य भगदैषतम् ।

येन कृप्ते भवेत्प्रित्यं मम कृप्तोवशानुगः ॥ ८ ॥

४. असत्खोणां समाचारंसत्ये मामनुपृच्छसि ।

असदाचरिते मार्गे कथंस्यादनुकीर्तनम् ॥ ९० ॥

अमित्र प्रहितांश्चापि गदाकृ परमदारुणाम् ।

आदि पर्व में महिमती नगरी की स्थियों के सम्बन्ध में लिखा है—
“इस नगरी की स्थियें किसी के बश में नहीं आती थीं । अग्नि ने उन्हें उच्छ्वस्तुता का बर दिया हुआ था । इस कारण इस नगरी में स्थियें व्यंचारिणी हीं कर यथेष्ट विचरा करती थीं ।”^१

इसी प्रकार कर्ण पर्व में शर्व द्वारा शासित मद्रप्रदेश के विषयों में कर्ण ने कहा है—

“मद्र देश के बाह्यीक जाति की शील रहित स्थियाँ गुड़ की शराबे पीकर गोमांस प्याज के साथ खाकर नंगी होकर नादती और हँसती हैं । वे निर्लज्जं होकर खुले आम व्यंभिचार करती हैं ।”^२

इस प्रकरण में क्रोध में आकर कर्ण ने यदु देश की स्थियों के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें कहीं हैं । ये बातें क्रोध में कही गई हैं अतः इन्हें अर्तिशः योक्त भी मान लिया जाय तो भी इस कथन में कुछ न कुछ सचाई माननी ही पड़ेगी ।

राजघंराने की स्थियाँ— राजघंरारों की स्थियों में जले-विहार की प्रथा खूब प्रचलित थी । आज़ कल भी राजपूतों में इस प्रथों का थोड़ा बहुत अवशेष पाया जाता है । इन जले विहारों में स्त्री और पुरुष दोनों शराब पीकर यथेष्ट विहार करते थे । गन्धर्व जाति की जल-क्रीड़ा चिशेष प्रसिद्ध थी । आदि पर्व में कृष्ण के जले विहार का दृश्य इस प्रकार वर्णित है—

सूलप्रचारैर्हि विषं प्रेयच्छृन्ति जिघांसवः ॥ १४ ॥

जिह्वा वानि पुषुषस्त्वचा धाप्युप सेयते ।

तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्त्युः त्रिप्रसंशयम् ॥ १५ ॥

जलोदरसमा युक्ताः शिव्रिणः पलितास्तथा ।

अपुसांसकृताः श्रीभिः जडान्ध दधिरास्तथा ॥ १६ ॥

पापानुगास्तु पापास्ता पतीनुपसुजत्युत ॥ १७ ॥ (बन० अ० २५३)

१. तस्यांपुर्यां तदाचैव माहिष्मत्यां छुरुद्वह ।

वभूरनतिग्राह्या योपितः शन्दतः किञ्च ॥ ३७ ॥

श्वरग्निर्वरंप्रादात् स्त्रीणामप्रतिवारणे ।

स्वैरियस्तत्र नार्योहि यथेष्ट विचरन्त्युत ॥ ३५ ॥

. (सभापर्व अ० ६१)

२. धानागोर्हासवं पीत्वा गोमांस लशुनैः सह ।

श्रूपमां सवाढानांमाशिनः शीलवर्जिताः ॥ ११ ॥

हसन्त्यथ च वृत्यन्ति स्थियोमत्ता विवाससः ।

नगरागारघ्रेषु वहिर्माल्यानुषेपनाः ॥ १२ ॥

भनवृत्ता मैथुने ताः कामचाराश्च सर्वाशः ॥ १३ ॥

(कर्ण० ४४)

“कोई प्रसन्न होकर नाचती है, कोई शोर करती हुई हँसती है और कोई शराब पीती है ।” १

बाल विवाह — इस समय बाल-विवाह भी प्रारम्भ होगया था । बीर अभिमन्यु का १६ वर्ष की अवस्था में ही विवाह होगया था । महाभारत अनुशासन पर्व में भीम्प ने व्यवस्था दी है— “३० वर्ष का पुरुष १० वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है, और २१ वर्ष का मनुष्य ७ वर्ष की बालिका से विवाह कर सकता है ।” २

नियोग — प्राचीन शास्त्रकारों ने आपत्काल के लिये नियोग की आज्ञा दी है । विधवा स्त्री पुत्रप्राप्ति की इच्छा होने पर नियोग कर के अपने बंश को चला सकती है । इसी प्रकार पति के रोगी व असर्मर्थ होने पर भी स्त्री पति की आज्ञा प्राप्त कर नियोग द्वारा सन्तानवती बन सकती है । यह प्रथा महाभारत के समय तक भी प्रचलित थी । नियोग के सम्बन्ध में महाभारत में कहा है कि—

“पति के भर जाने पर स्त्री अगर वृह्णवर्य पूर्वक न रह सके, तो वह देवर से सन्तानोपत्ति कर सकती है ।” ३

महाभारत में इस प्रथा के कई दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं । आदि पर्व में सत्यवती ने अपने पुत्र की विना सन्तान सृत्यु होजाने पर उसके भाई भीम्प को उसकी स्त्रियों से नियोग करने का आदेश दिया है—

“मेरा पुत्र और तेरा भाई विचित्र वीर्य निस्सन्तान वचपन में ही चल वसा है । उस की धर्मपत्नियाँ पुत्र की अभिलापा करती हैं । उन से नियोग कर के तुम मेरे कुल की रक्षा करो । मेरी आज्ञा से तुम्हें यह धार्मिक कार्य अवश्य

१. कस्तिप्रहृष्टः नन्तुश्चुकुशुश्च तथापराः ।
नहसुध्य परानार्थः पपुशान्या वरासवस् ॥ २४ ॥

(आदि० २२४ अ०)

२. तिश्वर्यो दशवर्यां भार्यो छिन्देतनग्निकाम् ।
एकविंशति वर्षो वा सप्तवर्यमवाप्नुयात् ॥ १२ ॥

(श्रेनेशासन० अ० ४४)

३. यद्येष्ट तत्र देया स्यात् नात्र कार्या विचारणा ।
कुर्वते जीवतोऽव्येवं मृतेनैवास्ति संशयः ॥ ५० ॥

देवरं प्रविशेत्कन्या तप्येद्वापि तपः पुनः ।
तमेवानुप्रता भूत्वा परिग्राहस्य काम्यया ॥ ५१ ॥

(अनुगा० ४४)

करना चाहिये । अगर यह न कर सको तो स्वयं विवाह करके राज्य सम्भालो । महाराज भरत के बंश का यू ही नाश न होने दो ॥” १

इस पर भीष्म ने उत्तर दिया— “चाहे सूर्य प्रकाश रहित हो जाय, चाहे आग बर्फ के समान ठरडी हो जाय और चाहे चाँद सूर्य के समान गरम हो उठे मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता ।”

सत्यवती ने कहा— “मैं तेरे हृद स्वभाव को जानती हूँ । परन्तु तू आपद्धर्म समझ कर ब्रंशरक्षा के लिये ही राज्य स्वीकार कर ले । अथवा कोई ऐसा कार्य कर जिस से कि बंश और धर्म की रक्षा के साथ ही साथ हमार सम्मान भी कायम रहे ।”

तब भीष्म ने कहा— “अपने बचन से गिर जाना क्षत्रिय के लिये सब से बड़ा पाप है । इस लिये इस सम्बन्ध में तुम मुझसे कोई आशा न रखो । हाँ, महाराज शान्तनु के बंश का नाश भी नहीं हो जाना चाहिये दस लिये विद्वान युरोहितों और आपद्धर्म बताने वाले बुद्धिमानों की सलाह लेकर इस समय के कर्तव्य का निश्चय करो ॥” २

१. सत्यवती उवाचः—

मम पुत्रस्तव भ्राता वीर्यवाङ् सुग्रियश्च यः १
वाल एवं गतः स्वर्गमयुतः पुरुषष्वभ ॥ ८ ॥

इसे महिष्यौभ्रातुस्ते काशिराज सुनेशुभे ।

रूप यौवन सम्पन्ने पुत्रकामे च भारत ॥ ९ ॥

तथोरुपादयापत्यं सन्तानाय कुलस्य नः ।

मन्त्रियोगान्महावाहो धर्मं कर्तुमिहार्हसि ॥ १० ॥

राज्ये वै चाभिषिद्यस्य भारताननुशाधि च ।

दाराश्च कुरुधर्मेण मा निमज्जीः पितामहाश् ॥ ११ ॥ (आदि०, अ० १०३)

२. भीष्म उवाच—

प्रभांसुत्समेदकों धूमकेतुस्तथोपमताम् ।

नत्वहैं सत्यमुत्स्वष्टु व्यवस्थेयं कथञ्चन ॥ १८ ॥

सत्यवती उवाच—

जानामि चैव सत्यं तन्मदर्थे यद्य भाषितम् ।

अपद् धर्मं त्वमवेद्य वह वैनामहीं धुरम् ॥ २१ ॥

यथाते कुल तनुश्च धर्मस्त न पराभवेत् ।

सुहृदश्च प्रहृष्येरस्तथा कुरु परन्तप ॥ २२ ॥

भीष्म उवाच—

राज्ञि धर्मानवेक्षस्व मानः सर्वांश्च व्यनीनशः ।

सत्याच्युतिःक्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते ॥ २४ ॥

शान्तनोरपिसन्तानं यथा स्यादक्षयं भुवि ।

तज्जधर्मं प्रवद्यामि क्षार्वं राज्ञि सनातनम् ॥ २५ ॥

श्रुत्वा तां प्रतिपद्यस्य प्रतज्ञैः सहपुरोहितैः ।

आपद्धर्मार्थं कुशलै़ ज्ञोकतस्त्रमवेद्य च ॥ २६ ॥

महाभारत में जामदग्न्य परशुराम द्वारा किए गए क्षत्रियों के कल्पेभासः का भी वर्णन आता है। क्षत्रियों को बहुत बड़ी संख्या में मार देने पर भी क्षत्रिय वंश नष्ट नहीं हो सका, इस का कारण क्षत्रिय पत्तियों का ब्राह्मणों के साथ नियोग कर के सन्तानोत्पत्ति करना ही है।

आदि पर्व में राजा बलि की धर्मपत्ति रानी सुदोषा के साथ ऋषि दीर्घतमा द्वारा किए नियोग का वर्णन आता है। विचित्र वीर्य की धर्मपत्तियों ने भी महर्षि व्यास के साथ नियोग किया था, जिस से पारदु आदि तीन पुत्र पैदा हुए थे।

इसी प्रकार कई सन्तान न होने पर भहाराज पारदु ने अपनी धर्मपत्ति कुन्ती को इन शब्दों में नियोग करने की आज्ञा दी थी— “हे कुनित ! अपना, बनाया हुवा, खरीदा हुवा, क्षत्रिय आदि कई प्रकार के पुत्र होते हैं। इनमें से पहले के अभाव में अगले की इच्छा करनी चाहिये। अपत्काल में देवर से भी सन्तानोत्पत्ति कर लेनी चाहिये। इस देवर से उत्पन्न हुए पुत्र को मनु ने अपने पुत्र से भी बढ़ कर कहा है। इस लिये स्वयं पुत्रोत्पन्न करने की शक्ति न होने के कारण मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तू मेरे समान या मुफ से भी श्रेष्ठ किसी व्यक्ति से सन्तान लाभ कर। शरदण्डायनी नामक एक वीर पति ने भी एक द्विज से नियोग कर के तीन शूरवीर पुत्रों को प्राप्त किया था। इसी प्रकार तू भी किसी तपस्वी ब्राह्मण द्वारा मेरे लिये सन्तान लाभ कर।”^३

इस पर कुन्ती ने पतिव्रत धर्म पर दृढ़ रहने की इच्छा प्रणट करते हुए नियोग न करने की इच्छा जतलाई। तब पारदु ने कहा— “पति की जीविता वस्था में उस की सहमति के बिना नियोग करना महाप्राप है परन्तु उसकी आज्ञा होने पर नियोग न करना भी महापाप है। प्राचीन समय में ऋषि श्वेतकेनु ने भी यही बात कही थी। सौदास ने अपनी पति मदयन्ती को ऋषि वसिष्ठ के साथ नियोग करने की आज्ञा दी थी, और इस प्रकार उसने पुत्र लाभ किया था। स्वयं मेरा जन्म भी नियोग ही से हुवा है। इन सब कारणों से तू

१. एवमुच्चावचैरस्त्रैः भार्गवेण महात्मना ।

तिःसम्प्रकृत्वा पृथिवी कृतानिक्षत्रिया पुरा ॥ २७ ॥

एवं नित्तत्रिये लोके कृते तेन महर्षिणा ।

उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणैर्दपारगैः ॥ ५ ॥

याणि ग्राहस्य तनय इति वेदेषु भाषितम् ।

धर्मं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणस्ताः समभ्यपुः ॥ ६ ॥

लोकेष्वाचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुनर्भवः ।

ततः युनः समुदितं तत्रं समभवत्तदा ॥ ७ ॥

(आदि० अ० १०४)

२. स्वयं जातः प्रणीतश्च, प्रिकीतश्च यः सुनः ।

पौनर्भवश्च कानीनः स्वैरित्यां यश्च जायते ॥ ३२ ॥

दतः कीतः कृत्रिमश्च उपगच्छेत्स्वयं च यः ।

सहोद्रो ज्ञातिरेताश्च हीनयोनिधृतश्च यः ॥ ३३ ॥

मेरी यह आज्ञा मान कर धर्म चयुत न होगी । मेरी आज्ञा से तू किसी तपस्वी ब्राह्मण से गुणी पुत्र उत्पन्न कर । इस प्रकार मैं भी पुत्रवान बन सकूँगा ।”¹

इस पर कुन्ति ने युधिष्ठिरादि तीन पुत्ररत्न पैदा किये थे ।

नियोग की संख्या अर्यादा— महाभारत में नियोग छारा उत्पन्न सन्तान की संख्या सीमा का भी एक स्थान पर उल्लेख है । रानी कुन्ति के तीन पुत्र हो जाने पर भी पारदुः को सन्तोष नहीं हुवा । उस ने उसे चौथा पुत्र

पूर्वपूर्वतमाभावे मत्वा लिप्सेत वै सुतम् ।
उत्तमाद् देवरात्पुंसः कांक्षन्ते पुत्रमापदि ॥ ३४ ॥
अपत्यं धर्म फलदं प्रेष्ट विन्दन्ति मानवाः ।
आत्म शुक्रादपि पृथे मनुः स्वायम्मुवोद्धीत् ॥ ३५ ॥
तस्मात्प्रहेष्यम्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्स्वयम् ।
सदृशाच्छ्रेयसोद्धात्वं विदुचपत्यं यशस्विनम् ॥ ३६ ॥
शृणु कुन्ति कथामेतां शरदाश्वावनीं प्रति ।
सा वीरपती गुरुर्गा नियुक्ता पुत्र जन्मनि ॥ ३७ ॥
युष्मेण प्रयता त्वाता निशि कुन्ति चतुप्पत्ये ।
वरयित्वा द्विजं सिङ्गं हुत्वा पुंसवनेऽनिलम् ॥ ३८ ॥
कर्मण्य वसिते तस्मिन् सा तेनैष बहावस्त् ।
तत्र त्रीकृ जनयामास दुर्जयादी नम्हारथान् ॥ ३९ ॥
तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्पसोधिकात् ।
मन्त्रियोगाद् यतजिप्रसपत्योत्पादनं प्रति ॥ ४० ॥

१. व्युच्चरन्त्याः पति नर्या अद्यप्रभृति पातकम् ।
भूषहत्या समंघोर्म भविष्यत्यसुखावदम् ॥ १७ ॥
भार्या तथा व्युच्चरतः कौमार ब्रह्मवारिणीम् ।
प्रतिवतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥ १८ ॥
पत्या नियुक्ता या चैव पती पुत्राश्मेष च ।
न करिष्यनि तस्याश्च भविष्यति तदवेहि ॥ १९ ॥
द्विति तेन पुरा भीरु मर्यादा स्थापिता बलात् ।
उद्भावकस्य युवेण धर्म्य वै इवेतकेतुना ॥ २० ॥
सौदासेन चरम्भोरु नियुक्ता पुत्र जन्मनि ।
मदयन्ती जगामर्पि वसिष्ठमिति नः श्रुतम् ॥ २१ ॥
तस्माल्लोभे च सा पुत्रमशक्कं नाम भाविनी ।
भर्तुः कल्माशपादस्य भार्या प्रिय चिकीर्षया ॥ २२ ॥
अस्माकमपि ते जन्म यिदितं कमलेक्षणे ।
कृष्णद्वै पायताद् भीरु कुरुणं वंश वृद्ये ॥ २३ ॥
श्रतः एतानि कारणानि सर्वाणि समीक्ष्य वै ।
ममैतद् वचनं धर्म्य कर्तुमहस्यनिन्दिते ॥ २४ ॥
मन्त्रियोगात्पुक्षेशान्ते द्विजातेस्तपसाधिकात् ।
पुत्रम् गुण समायुक्तानुत्पादयितुमर्हसि ॥ २५ ॥

(आदि०, अ० १२२)

उत्पन्न करने को कहा । इस पर कुन्ती ने उत्तर दिया—“धर्मशास्त्र आपत्काल में नियोग द्वारा अधिक से अधिक तीन पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा देते हैं । नियोग द्वारा चौथा पुत्र उत्पन्न करने पर स्त्री व्यभिचारिणी और पांचवां पुत्र उत्पन्न करने पर वैश्या बन जाती है । इस लिये तुम सुझे इस अधर्म की आज्ञा न दो ।”^१

रंगशाला में दर्शक स्थियें— आचार्य द्रोण ने अपने शिक्षणालय में शिक्षाप्राप्त क्षत्रिय स्नातकों की परीक्षा के लिये एक रंगशाला तैयार कराई थी । इस रंगशाला में स्थियों के लिये भी मञ्चों तथा गैलरियों का प्रबन्ध किया गया था । इस रंगशाला में दर्शक रूप से राज घराने की स्थियें भी सम्मिलित हुई थीं ।

“राजा के कारीगरों ने बड़ी निपुणता से रंग भूमि में दर्शकों के लिये स्थान तैयार किया । राजाओं, स्थियों और नगरवासियों के लिये अलग अलग मञ्च (गैलरियां) बनाए ।”^२

“महारानी गान्धारी और कुन्ती राज परिवार की अन्य स्थियों और सहेलियों के साथ देव-स्थियों के समान मञ्च पर आंकर बैठ गईं ।”^३

पति से सहानुभूति— स्थियां विदा होते हुए अपने पति के सम्मान के लिये उन्हें छोड़ने जाया करती थीं । आश्रमवासिक पर्व में महाराज धृतराष्ट्र और गान्धारी राजगृह छोड़ कर तपोवन जा रहे हैं । द्रोपदी उत्तरा आदि राज प्रवार की स्थियें भी उन के साथ चलने को तैयार हो गईं ।”^४

१. पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलोभान्महायथा: ।

वक्तुमैचक्षद्व धर्मपत्नीं कुन्तीन्वेनमथाववीत् ॥ ८५ ॥

नातश्चतुर्थप्रसव मापत्स्वपि वदन्त्युत् ।

श्रतः परं स्वैरिणी स्याद् वन्यकी पञ्चमे भवेत् ॥ ७६ ॥

स त्वं विद्वाऽह धर्मसिमसधिगम्य कथं तुमास् ।

अपत्यार्थं सुमुक्त्रान्म्य प्रमादादिव भाष्ये ॥ ७७ ॥

(आदि० अ० १२३)

२. प्रेत्तामारं सुविहितं चक्रुस्ते तस्य शिल्पिनः ।

राजः सर्वायुधोपेतं स्त्रीणाऽचैव नरर्पन ॥ १० ॥

मञ्चांश्चकारयामासुः तत्र जानपदा जनाः ॥ ११ ॥ (आदि० अ० २३६)

३. गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतांवर ।

स्थियस्य राजः सर्वास्ताः सप्रेष्याः सपत्निक्षदाः ॥ १४ ॥

हर्षदारुरुर्मञ्चान्मेरं दवस्थियो यथा ॥ १५ ॥ (आदि० अ० १५६)

४. ततो निष्पेतुर्वाह्या चत्रियाणां ।

विश्वा शूद्राणाऽचैव भार्या: समन्तात् ॥ १६ ॥ (आश्रमवासिक० अ० १५)

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर तथा उन के भाइयों के महाप्रस्थान के समय भी यही दृश्य देखने को मिलता है ।^१

पर्दा— प्राचीनकाल में स्त्रियों में परदे का रिवाज विलकुल नहीं था यह बात आदि पर्व में पाश्वडवा के कुन्ती के प्रति कहे गए इस वचन द्वारा सिद्ध होती है—“प्राचीन काल में स्त्रियों विना किसी प्रकार के आवरण के यथेच्छ शूमती फिरती थीं ।”^२

परन्तु महाभारत के समय पर्दे का रिवाज अवश्य प्रचलित हो गया था । महाभारत में इस के लिये पर्याप्त साक्षियाँ प्राप्त होती हैं । स्त्री पर्व में पति पुत्रादि के शोक से युद्ध भूमि में रोती हुई स्त्रियों के सम्बन्ध में लिखा है—

“जिन नारियों को पहले देवता भी नहीं देख सकते थे वे आज खुले आम सब लोगों के सामने रो रही थीं ।”^३

पति को नाम से सम्बोधन— महाभारत काल में स्त्री और पुरुष गृहस्थ के एक समान आवश्यक भाग समझे जाते थे । पति भी पति का नाम लेकर उसे बुला सकती थी । विराट पर्व में कीचक से अपमानित होकर द्रोपदी ने कहा है—“हे भीम ! तुम्हारे अपमानित होने पर और युधिष्ठिर के शोक मश्श होने पर मैं किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ ।”^४

सामाजिक लोकाचार और प्रथाएं.

महाभारत युग के सामान्य लोकाचार में क्तिपय अद्वृत विशेषताएं प्रतीत होती हैं । इन लोकाचारों द्वारा तत्कालीन सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । हम संक्षेप से इन व्यवहारों का निर्दर्शन करेंगे—

राजाओं की विलासिता— तत्कालीन साधारण नागरिकों में सहभोज, उत्सव, और अभिनय आदि करने की प्रवृत्ति खूब बढ़ गई थी । ग्रीक लोगों के ओलिम्पस के मेले की तरह महाभारत काल में भी नागरिकों और राजपरिवारों के मनोरञ्जन के लिये बड़े २ सान्सुख्यों की आयोजना की जाती थी । विशेष कर राजा लोगों में विलास की पराकाष्ठा हो गई थी । प्रायः राजाओं का अधिकांश समय मध्यपान, जुआ, स्त्रियों और खेलों में ही बीत जाता था । सभा पर्व में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है—

१. आत्मना सप्तमो राजा निर्यौ गजसाहृयात् ।

पौरेरनुगतो दूरं सर्वैरन्तः पुरैस्तथा ॥ २५ ॥ (महाप्रस्थानिक, अ० १)

२. आनवृताः किल पुरास्त्रिय आसङ्ग वरानने ।

कामचार विहारिण्यः स्वतन्त्रस्त्रास्त्रासिनि ॥ ४ ॥ (आदि० अ० १२२)

३. अदृष्टं पूर्वाः या नार्यः पुरा देवगणरपि ।

पृथग् जनेन दृश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः ॥ ८ ॥

४. त्वय्येवं निरयं प्राप्ते भीमे भीम पराक्रमे ।

ओके यौधिष्ठिरे मग्ना नार्ह जीवितुमुत्स्वे ॥ १३ ॥ (विराट०, १०)

“क्या तुम्हारे अमात्य तुम्हारे मद्यपान, जुआ, स्त्री विलास और अन्य व्यसनों के व्यय का हिसाब रखते हैं ?”^१

रिश्वत— राज्य के अधिकारी लोग उस समय रिश्वत भी लेने लगे थे । इसी प्रकरण में नारद ने शुधिष्ठिर से पूछा है—

“कहीं राजवानी में रहने वाले लोग या राष्ट्र वासी शत्रुओं से रिश्वत ले कर तुम्हारा विरोध तो तहीं करते ।”^२

“कहीं तुम्हारे न्यायकर्ता धन के लोभ में आकर धनी और गरीब के मुकदमों का झूठा निर्णय तो नहीं करते ।”^३

नरवलि— महाभारत के समय तान्त्रिक सम्प्रदाय जन्म ले चुका था । ये लोग घोर तान्त्रिक विधि से देवताओं को पूजा करते थे । जरासंघ शिव का उपासक था । उसने एक युद्ध में हारे हुए राजाओं को पशुपति पर वलि चढ़ाने के लिये कैद किया था । सभापर्व में कृष्ण ने जरासन्ध से कहा है—

“राजा को श्रीष्ट राजाओं की हत्या कभी नहीं करनी चाहिये और तू इन राजाओं को पकड़ कर रुद्र पर वलि चढ़ाना चाहता है । आज तक कभी मनुष्यों को वलि चढ़ाने की बात हमने नहीं सुनी, इस नरवलि द्वारा देवगण कभी प्रसन्न नहीं हो सकते ।”^४

इस से प्रतीत होता है कि पशुवलि तो महाभारत के कुछ समय पूर्व भी अचलित थी परन्तु नरवलि उस समय के लिये एक नई बात थी । इसके बाद कृष्ण कहते हैं— “तू इब राजाओं का समान वर्ण हो कर इन्हें वलि का पशु बनाने लगा है, तेरे समान नासमझ और कौन होगा ।”^५

अशकुन— उस समय शकुनों पर लोगों का बहुत अधिक विश्वास हो गया था । लोग प्रत्येक शुभ या अशुभ कार्य के लिये पहले शकुन देखा

१. कवित्वपाने व्यूते वा क्रीड़ासु प्रसदासु च ।

प्रतिज्ञानन्ति पूर्वाणहे व्यदं व्यसनजं तव ॥ ८८ ॥ (सभा० अ० ५)

२. कवित्वपौरा नसहिता येच ते राष्ट्रवासिनः ।

त्वयासहविरुद्धयन्ते परैऽक्रीता कथञ्जन ॥ ८४ ॥ (सभा० अ० ५)

३. उत्पन्नात् कविदाव्यस्य दरिद्रस्य च भारत ।

अर्थोन्नमिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हृताधनैः ॥ १०६ ॥ (सभा० अ० ५)

४. राजा राजः कथं सापूर्ण हिस्यान्न पतिसत्तम ।

तद्राक्षः सन्निगृश्य त्वं रुद्रायोर्पजिहीर्पति श ॥ ८ ॥

मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन ।

सकथं मानुषैर्देवं यष्टिचक्षति शंकरम् ॥ ११ ॥ (सभा० अ० २२)

५. सवर्णोहि सवर्णानां पशुसंज्ञां करिष्यति ।

कोऽन्यएवं यथाहि त्वं जरासन्ध वृथामति ॥ १२ ॥

(सभा० अ० २२)

करते थे । महाभारत का महायुद्ध प्रारम्भ होने पर इसी प्रकार के भयङ्कर अशकुनों का वर्णन मिलता है । इन में से प्रायः अशकुन असम्भव प्रतीत होते हैं । भीष्म पर्व के दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तार से इन अशकुनों का वर्णन है । हम नमूने के तौर पर उन में से कुछ अशकुनों का यहां विवेशं करते हैं—देव मूर्ति का कांगना, उस का खून उगलता या उस के शरीर में पसीना आना । विना बजाए युद्ध के बाजों का बजना, बालों से धूलि और मांस की वर्षा होना, गाय के पेट से गधे का पैदा होना, बिना मौसम के बृक्षों का फूलना और फलना—इस प्रकार के बीसियों अशकुनों का इस प्रकरण में वर्णन है ।

शपथ और गालियाँ—समाज की वास्तविक आचार सम्बन्धी अवस्था का ज्ञान करने के लिये गालियाँ और शपथों के द्वारा पर्याप्त सहायता मिल सकती है । उस समय जैसी शपथों की जाती थीं या जैसी गलियाँ दी जाती थीं उन से समाज के असली चित्र पर अच्छा प्रकाश डलता है ।

महायुद्ध में त्रिगत और संशप्तक लोगों ने कुछ होकर अर्जुन को मारने की प्रतिहा की । अर्जुन को मारने की शपथ खाते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे अर्जुन को न मारेंगे तो—

“भूठ बोलने वाले, ब्रह्महत्या करने वाले, शराबी, गुरुपत्नियों संघर्षमिचार करने वाले, ब्राह्मण या राजा का धन चुराने वाले, शरणागत को छोड़ने वाले, भिखमंगों को मारने वाले, दूसरों के ग्ररों में आग लगाने वाले, श्राव्य के दिनों में मैथुन करने वाले तथा आत्मघाती लोग जिस लोक में जाते हैं अथवा अमानत को हजम कर जाने वाले, वेद नाशक, नपुंसक से युद्ध करने वाले, दीनों को दुःख देने वाले, नास्तिक या माता को निस्सहाय छोड़ देने वाले लोग जिस लोक को जाते हैं हम भी उसी लोक में जावें,—यदि हम अर्जुन को भारे धिना युद्धक्षेत्र से बापिस लौटें ॥”

१. ये वै लोकाशावृतिनां येच वै ब्रह्मधातिनाम् ।

मद्यपस्यं च ये लोका गुरदार तत्स्य च ॥ २८ ॥

ब्रह्मव्यहारिणाश्चैव राजपिण्डापहारिणः ।

शरणागतं वा त्यजतः याचमानं तथाधनतः ॥ २९ ॥

अग्नारदाहिनाऽचैव, ये च गां निघनतामपि ।

न्यासापहारिणाऽचैव श्रुतंनाशपतं च ये ॥ ३० ॥

स्वभार्यामृतुकालेषु यो मोहान्नाभिगच्छति ।

आद्यमैथुनिकानां च येचाप्यात्मापकारिणाम् ॥ ३१ ॥

अपकारिणां च ये लोकाः येच ब्रह्मद्विषामपि ।

क्लीवेन युद्धयमानानां येच दीनानुसारिणाम् ॥ ३२ ॥

आद्यमैथुनिकानाऽच ये च गांनिघनामपि ।

नास्तिकानां येलोका येगिनमातृ परित्यजाम् ॥ ३३ ॥

तानान्तुयामहे सोकान् येच पापकृतामपि ।

यद्यहत्या निवर्त्तम वर्यं सर्वेऽनञ्जयम् ॥ ३४ ॥ (द्रोणार्पण अ० १७)

इस की अभिप्राय यह हुआ कि उपर्युक्त कार्य करने वाले लोग उस समय बहुत घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे । तत्कालीन समाज का यह चित्र पर्याप्त सन्तोष जनक है ।

इसी प्रकार महारथी अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हुए जो शपथें ली थीं, वह इस प्रकार हैं—

“मातृ धाती, पितृ धाती, गुरुदारा गामी, धूद्र, साधुनिन्दक, साधुओं से छेश करने वाले, विश्वासधाती, खो निन्दक, ब्रह्मधाती, गोहत्यारे, स्वादू वस्तुओं द्वारा सुफत में विना काम किए-पेट भरने वाले, वेदपाठी के अपमान कर्ता, वृक्षण गौंया अग्नि को पैर से छूने वाले, पानी में कफ या मलमूत्र करने वाले, नंगे, शोकार्त, बन्ध्या छिर्य, रिश्वत लेने वाले, असत्यवादी, धूर्त, छली, अकेले स्वादु चीज़ खाने वाले, आश्रित की रक्षा न करने वाले, अयोग्य व्राह्मण को श्राद्ध में खिलाने वाले, मद्यप, मर्यादा तोड़ने वाले, कृतज्ञ, भ्रातृ निन्दक और धर्म भ्रष्ट लोग जिस लोक को जाते हैं, अगर मैं जयद्रथ को न मार सकूं तो मैं भी उसी लोक को जाऊँ ।”^३

इनी शपथों द्वारा भी तत्कालीन सामाजिक दशा के पक्ष में पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । उपर्युक्त कार्यों को उस समय अतीव निन्दनीय और हैय समझा जाता होगा जब कि अर्जुन भी पण प्रतीज्ञा करते हुए इन घृणास्पद कार्यों का निवेश कर रहा है ।

१. ये लोका मातृहन्तृणां येचापि वित्तधातिनाम् ।

गुरुदार रतनां च पिशुनानाङ्गु ये सदा ॥ २५ ॥

साधुनसूयतां ये च येचापि परिवादिनाम् ।

ये च नित्तेपहर्तृणां येच विश्वास धातिनाम् ॥ २६ ॥

भुजपूर्वा छिर्यं येच निन्दतामयशस्त्रिनाम् ।

ब्रह्मधनानां च ये लोकाः येचं गोधातिनामपि ॥ २७ ॥

पायसं वा यथान्नं वा शाकं कृशरमेवदा ।

संयावापूष मांसानि ये च लोका वृथाम्बिनाम् ॥ २८ ॥

ग्रामन्यमानो यात् याति शुद्धान् साधूरु गुरुस्तथा ।

स्पृशतोव्राह्मणाणु गाङ्गु पादेनारिनज्ञ या भवेत् ॥ २९ ॥

ग्राम्बु इलेष्म पुरीषज्ञ सूत्रं च मुञ्चनांगतिस् ।

तां गच्छेयं गति कर्त्ता न चेदुन्यां जयद्रथम् ॥ ३० ॥

नगनेस्य म्लायमानस्य या च बन्ध्यातिश्येगति ॥

उत्कोचिनां भृपोक्तीनां चञ्चुकानां च यागतिः ॥ ३१ ॥

स्वात्मापहारिणां याच याच मिद्याभिश्चिनाम् ।

भृत्यैः संदश्यमाणानां पुत्रदाराश्रितैत्तथा ॥ ३२ ॥

ग्रासंविभव्य ज्ञानाणां यागतिर्मिष्टमग्रताम् ।

मांगच्छेयं गति धोरं न चेद्वन्यां जयद्रथम् ॥ ३४ ॥

मद्यपो भिन्नमर्यादः कृतज्ञो भ्रातृनिन्दकः ।

तेषां गतिमियां चित्रं न चेद्वन्यां जयद्रथम् ॥ ३७ ॥ (दौषण्येवं अठ ७३)

नैतिक अनुष्ठान और श्रेष्ठाचार — शान्ति पर्व में साधारण नैतिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में भीष्म कहते हैं—

“मनुष्यों को मार्ग में, गड़ओं के बीच में, धान्य और अनाज के खेतों में मलसूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये । शौच के अनन्तर देवताओं का तर्पण कर के नदी में नहाना चाहिये, इस से पुण्य होता है । सूर्य की और सुख कर के सन्ध्या करनी चाहिये, सूर्य उदय हो जाने पर सोते रहना अत्यन्त अनुचित है । आतः और सायं दोनों समय सन्ध्या करनी चाहिये । हाथ, पैर और सुख ये पांच अङ्ग धोकर पूर्व दिशा की ओर सुख कर के चुपचाप भोजन करना चाहिये । अन्न तथा भक्ष्य पदार्थों की निन्दा नहीं करनी चाहिये, गीले पैर सोना हानिकर है । खादु भोजन खाना चाहिये । प्रातः काल उठते ही हाथ धोने चाहिये; शुद्ध स्थान, बैल, देव, गरेशाला, चैराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य और चैत्य इन की प्रदक्षिणा करनी चाहिये । गृहपति, अतिथि, नौकर और बन्धुओं को एक समान भोजन करना चाहिये । सायं और प्रातः इन दो समयों को छोड़ कर अन्य समय भोजन नहीं करना चाहिये । इस प्रकार केवल दो समय भोजन करने वाला व्यक्ति सदोपवासी कहाता है । नियम पूर्वक यज्ञ करता हुवा, केवल ऋतु और काल में ही स्त्रीगमन करने वाला पुरुष गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है । वैठे वैठे हैले तोड़ना, तिनके छेदना और दाँतों से नाखून काटना दीर्घायु में बाधक हैं । केवल आयुर्वेद से स्वीकृत मांस ही खाना चाहिये, अन्य मांस, यथा पीठ का मांस, खाना हानि कारक है । गृहस्थ चाहे स्वदेश में हो चाहे विदेश में, अतिथि को भूखा न रहने दे । उचित लाभ अपने पात्त रख कर शोप गुरुओं को दान कर देना चाहिये । गुरुओं को आसन देकर उन का सत्कार करने से आशु यश और धन प्राप्त होता है । उदय होते हुए सूर्य और नंगी स्त्री को नहीं देखना चाहिये । धर्मानुकूल मैथुन भी सदैव गुप्त स्थान पर ही करना चाहिये । जब जब कोई मिले,-कुशल प्रश्न अवश्य करना चाहिये । सायं प्रातः ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिये । भोजन में दायर्य हाथ ही काम में लाना उचित है । सूर्य की ओर सुख करके सूत्र करना और अपना मलसूत्र देखना अनुचित है । स्त्री के साथ कभी नहीं सोना चाहिये । बड़ों को ‘तू’ नहीं कहना चाहिये, बराबर बालों और छोटों को ‘तू’ कर के बुलाना बुरा नहीं । जान वूझ कर पाप कर के मूर्ख लोग ही फिर उसे छिपाया करते हैं ।”¹

१. पुरीषं यदि वा मूर्चं ये न कुर्वन्ति मानवाः ।

राजमार्गं गवां मध्ये धान्यमध्ये च ते शुभाः ॥ ३ ॥

शौचमावश्यकं कृतवा देवतानाम् तर्पणम् ।

धर्ममाहुर्मनुष्याणा मुपस्पृश्य नदीं भवेत् ॥ ४ ॥

सूर्यं सदोपतिष्ठेत न च सूर्योदये स्वपेत् ।

सायं प्रातर्जप्ते सन्ध्यां तिष्ठन्तपूर्वं तथोत्तराम् ॥ ५ ॥

दासी दान— महाभारत में दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। दासी को देचने, खरीदने आदि का पूर्ण अधिकार उन के स्वामियों को होता था। प्रायः स्थिरां ही दासी बनाइ जाती थीं। कर्ण पर्व में कर्ण अर्जुन को दिला देने घाले के लिये इनाम की घोषणा करता है—

पञ्चाद्रोभोजन्त् भुञ्ज्यात् प्राङ् मुखो मौनमास्यतः ।
ननिन्दयादस्त् भव्यशंश्च स्वादु स्वादु च भव्येत् ॥ ६ ॥
आर्द्रपाणिः समुत्तिष्ठेत् नार्द्रपादः स्वयेत्तिष्ठिः ।
देवर्यिन्नारदः प्राह स्तदाचार लक्षणम् ॥ ७ ॥
शुचिं देशमनहृष्टं देवं गोपञ्चतुप्पयम् ।
ब्राह्मणं धार्मिकं चैत्यं नित्यं कुर्यात् प्रदत्तिष्ठ ॥ ८ ॥
ग्रतिथीनाम् सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च ।
सामान्यं भोजनं भृत्यैः पुरुषस्य प्रशस्यते ॥ ९ ॥
सायं प्रातर्मनुपाणामशनं देवनिर्मितम् ।
नान्तरा भोजनं दृष्टुपवाती तथा भवेत् ॥ १० ॥
होमकाले तथा ऊहृत् ऊतुकाले तथा व्रजत् ।
ग्रनन्यं श्रीजनः प्राचो ग्रहोचारी तथा भवेत् ॥ ११ ॥
लोष्टमर्दी तृणञ्जेदी नगरखादी तु यो नरः
नित्योच्छिष्टः सहृकुलको नेहायुर्यन्दते महत् ॥ १२ ॥
पञ्चुपा संस्कृतं मांसं निवृत्तोमांस भव्यणात् ।
नभक्षयेद् वृथामांसं पृष्ठ मांसं च वर्जयेत् ॥ १३ ॥
स्वदेशे परदेशे वा ग्रतिर्यं नोपदासयेत् ।
काम्यं कर्म फलं लक्ष्या गुरुक्षामुपयादयेत् ॥ १४ ॥
गुरुभ्यं आसनं देयं कर्त्ताठपञ्चाभिवादनम् ।
गुरुनभ्यर्थं तुज्यन्ते शायुपा पश्यसा प्रिया ॥ १५ ॥
नेत्रितादित्यमुद्यन्तं न च नद्यां परस्तिष्ठम् ।
मैशुनं सततं धम्यं गुह्ये चैव समाप्तेत ॥ १६ ॥
वर्दने दर्शने नित्यं सुख प्रश्नमुदाहरेत् ।
सायं प्रातसु विप्राणां प्रदिष्टमभिवादनम् ॥ १७ ॥
देवागारे गवांमध्ये व्राक्षणानां क्रिया पथे ।
स्वाध्याये भोजने चैव दत्तिष्ठं पाणिसुहृते ॥ १८ ॥
प्रत्यादित्यं नमीहेत नपशयेदात्मनाः शकृतः ।
सह लियाय शयनं सह भोज्यं च वर्जयेत् ॥ १९ ॥
स्वंकारं नामधेयञ्जु ज्येष्ठानां परिवर्जयेत् ।
ग्रहराणां समानाना मुभयेषां न दुष्यति ॥ २० ॥
ज्ञानपूर्वं कृतं पापद्यादयन्त्य धु ग्राताः ।
नैनं मनुष्याः पश्यत्ति पश्यत्त्वे दिवौकसः ॥ २१ ॥

“अगर कोई मुझे अर्जुन को दिखा दे तो मैं उसे श्यामा, जवान, अच्छे खर बाली, चतुर और अलंकारों युक्त लियां दूँगा ।”^१

छाती पीट कर रोना — भारतवर्ष में स्थियों किसी की मृत्यु होजाने पर इकट्ठी होकर छाती पीटती हुई रोती हैं। किसी की मृत्यु के बाद यह एक आवश्यक प्रथा सी बन गई है। महाभारत काल में भी स्थियां इसी प्रकार शोक के अवसरों पर छाती पीट कर रोया करती थीं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश सुन कर राज घराने की स्थियां खूब ज़ोर से रोते लगीं—

“राज घराने की स्थियाँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। वे अपने बालों को नोचती और चिल्हाती थीं, हाय हाय करके छाती और सिर पीट रही थीं।”^२

राज परिवार रक्षक — राज घराने की स्थियों, उनकी सखियों और कुमारियों की रक्षा के लिये दाराध्यक्ष नाम से कुछ पुरुष नियुक्त किए जाते थे। इन का काम राजपरिवार की स्थियों की रक्षा तथा निरीक्षण करना था, ये रक्षक प्रायः वृद्धे और नपुंसक होते थे।

“स्थियों के बूढ़े रक्षक राजपरिवार की स्थियों को लेकर नगर की तरफ गए। ये दाराध्यक्ष हाथों में बैंत लिये हुए थे।”

सिर सूंघना — बयोबृद्ध लोग अपने प्रिय लोगों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिये उनके सिर सूंघते थे। उच्चोग पर्व में आता है कि—

“कन्या के प्रदक्षिणा कर लेने पर उसका सिर सूंध कर ऋषि करव उससे विदा हुए।”^३

१. तथा एवस्मै पुनर्दद्यां स्त्रीणां शतमलंकृतम् ।

श्यामानां मिष्ठ करठीनां गीतवाद्य विषयिताम् ॥ ७ ॥

(कर्ण पर्व अ० ३८)

२. ततस्तु योषितो राजद्वकन्दन्त्यो वै मुहुर्मुहुः ।

कुर्य इव शब्देन नादयन्त्यो महीतलम् ॥ ६५ ॥

आजचतुःकरजैश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत ।

लकुञ्जवृश्च तदा केशात् क्रोशम्यस्तत्र तत्रह ॥ ६६ ॥

हाहाकार निनादिन्यो विनिधनाना उरांसिच ।

क्रोशयन्त्यस्तत्र ससुः क्रन्दमानाः विशाम्यते ॥ ६७ ॥

(शत्य० अ० २८)

३. (क) ततौ वृद्धा महाराज योषितां रक्षिणोनराः ।

राजदारासुपादाय प्रयुर्नगरं प्रति ॥ ६३ ॥

(ख) वैत्रव्यासन्त हस्ताश्च दाराध्यक्षं विशाम्यते ॥ ६८ ॥

(ग) वाहनेषु समारोप्य रक्षयध्यक्षाः प्राद्रवश्च भयात् ॥ ६० ॥

(शत्य० अ० ३८)

४. इत्यामन्त्र्य सुधर्मां स कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् ।

कन्यां शिरसि उपाध्राय प्रविवेशं महीतलम् ॥ २१ ॥

(उद्योग० अ० ९६)

प्रदक्षिणा करना— विद्वाई के समय छोटे बड़ें की प्रदक्षिणा करते थे, ज्यो पर्व में आता है— “कृप, कृतवर्मा, अश्वतथामा आदि ने विदा होते समय धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा कर के गंगा की तरफ अपने धोड़ों को बढ़ाया।”^१

इसी प्रकार जब युधिष्ठिरादि वारणावत की ओर जाने लगे तब सब पुरावासी उनके पीछे चल दिये। परन्तु—

“युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर वे उस की प्रदक्षिणा कर के वापिस चले आये।”^२

भक्ष्या भक्ष्य—उस समय भक्ष्याभक्ष का धार्मिक दृष्टि से प्रायः कोई विशेष विवेक नहीं किया जाता था। मांस भक्षण साधारण रूप से प्रचलित हो चुका था। मांस भक्षण के सम्बन्ध में महाभारत में जगह जगह प्रमाण प्राप्त होते हैं। शान्तिपर्व तथा अनुशासन पर्व में एक स्थान पर भक्ष्याभक्ष्य का प्रश्न उठाया गया है, परन्तु इन स्थानों पर मांस भक्षण का निषेध नहीं किया गया।^३ राजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पशु हिंसा का निर्दर्शन है।^४ इसी प्रकार श्राद्ध के समय भी मांस प्रयोग का दिदेश है।

१. इत्येवमुक्ता राजानं कृत्वाचामि प्रदक्षिणम् ।

कृपस्य कृतवर्मा च द्रोणपुत्रस्य भारत ॥ १८ ॥

अवेद्यमाणा राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम् ।


गङ्गामनु महात्मानःस्तरामि श्वानचोदयन् ॥ १९ ॥ (ज्यो पर्व अ० ८१)

२. एवमुक्ता ततः पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ।

आशीर्भिरभि वन्दयैतान् जर्मनंगरमेव हि ॥ १८ ॥ (आदिपर्व अ० १४७)

३. (अनुशासन अ० ११५ , शान्ति अ० २६२)

४. (अश्वमेध पर्व अ० ८८, श्लो० ४०)



* चतुर्थ अध्याय *

~~~~~

### प्राकृतिक विज्ञान

प्रथम अध्याय में महाभारत कालीन युद्ध कीशल और अस्त्र शस्त्र आदि पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं, इस अध्याय में तत्कलोन प्राकृतिक विज्ञान के कठिपथ्य निर्दर्शनों को उद्धृत किया जायगा। उस समय ज्योतिष, बृक्ष विद्या, गर्भविद्या आदि विज्ञान पर्याप्त व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, महाभारत में इस के लिये पर्माणु प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

**ज्योतिष—** नक्षत्र विद्या भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन सम्पत्ति है। वैदों में ग्रहों और नक्षत्रों के सम्बन्ध में अनेक सूक्त हैं। ज्योतिष सम्बन्धी बहुत सी बातें भारतवासियों के नैतिक अनुष्ठानों का अङ्ग बन गई थीं। महाभारत के समय भी साधारण प्रजा तक नक्षत्र विज्ञान की बहुत सी बातों से साधारणतया परिचित थी। आदिपर्व में द्रौपदी को द्वृपद उपदेश देता है कि—

“जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सौम से, भद्रा का श्रवण से और अस्त्रधर्ती नक्षत्र का वसिष्ठ से है तू वही धनिष्ठ सम्बन्ध अपने पतियों से जोड़े रहना ।”<sup>१</sup>

महायुद्ध के समय घोर नक्षत्रों का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

“सूर्य का राहु से ग्रस्त होना, श्वेतग्रह का चित्रा को अतिक्रमण करना, धूम केतु का पुष्ट नक्षत्र में उदय होना, अङ्गारक की महानक्षत्रों में वक्रगति, श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति का भग नक्षत्र को अतिक्रमण करके राहु का ग्रास बनना, शुक्रका पूर्व प्रोष्टपदा नक्षत्र में उदय होना, श्वेत ग्रह का धूम सहित अग्नि के समान चमकना, ऐन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा में आना, ध्रुव का खूब प्रज्वलित होकर बाईं ओर को हट जाना। चित्रा और स्वाति में कूर ग्रह का होना, वक्र और अनुवक्र चाल से अग्नि रूप में होकर श्रवण नक्षत्रका ब्रह्मराशि नक्षत्र मण्डल में लाल रूप धारण करना, बड़े सप्तर्षियों का प्रकाश नष्ट हो जाना, बृहस्पति और शनि का विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उदय रहना, चतुर्दशी पञ्चदशी और भूतपूर्वी शोडषी इन तिथियों में भी सूर्य और चन्द्र दोनों

१. रोहणी च यथासोमे दमयन्ती यथामले ।

यथा वै ग्रवणेभद्रा वसिष्ठे चाप्यरुन्धती ।

यथा नारायणे सद्गमी स्तथात्वं भव भनूः ॥ ६ ॥ ( प्रादि० अ० ३०१ )

का ग्रहण होना, और उल्कापोत ये सब चिन्ह जनता के भयंकर विनाश और भारी विपत्ति के सूत्रक हैं । ”<sup>१</sup>

इस का अभिप्राय यह है कि तत्कालीन भारतवासी इन उपर्युक्त ग्रहों की गति, स्थिति और अवस्था का ज्ञान खूब गहराई तक रखते थे । परन्तु इस से यह न मान लेना चाहिये कि उनका सम्पूर्ण ज्योतिष ज्ञान विलकुल शुद्ध था; कई नक्षत्रों के विषय में उनका ज्ञान सर्वथा अधम पूर्ण था, उद्दरहरणार्थ चन्द्र में वह एक खरगोश को बैठा हुआ मानते थे । भीष्मपर्व में सुदर्शन द्वीप का वर्णन करते हुए लिखा है—

“महाराज, यह द्वीप चारों ओर से मण्डलाकार है । इस द्वीप पर नदियाँ भीलें, घादल के समान पर्वत, नाना प्रकार के नगर और उद्यान हैं, हसे चारों ओर से समुद्र ने घेरा हुआ है । जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखता है उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप में चन्द्र मण्डल का प्रतिविम्ब दिखाई देता है । प्रतिविम्ब के अनुसार अगर हम चन्द्र के चार भाग करें तो उन में से दो भागों में पीपल का एक बड़ा वृक्ष है और शेष दो भागों में एक बहुत बड़ा खरगोश है ।”<sup>२</sup>

१. ग्रन्थीद्यु कम्पते भूमिरक्तं राहुरूपैति च ।

श्वेतोद्यैस्तथा चित्तां रमतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२ ॥

भूमकेतुर्महाघोरः पुष्यमाक्रम्य तिष्ठति ।

सेनयोरेणिवं धोरं करिष्यति सहायहः ॥ १३ ॥

मघास्वङ्गारको वक्तः अद्येच वृहस्पतिः ।

भां नक्षत्रमाक्रम्य सूर्य द्वुत्रेण पीड्यते ॥ १४ ॥

शुक्रः प्रोष्टपदे द्वुये समाच्छद्य विरोधते ।

उत्तरितु परिक्रम्य सहितः समुदीद्यते ॥ १५ ॥

श्वेतोद्यैः प्रज्वलितः सधूम इव पावकः ।

येन्द्रं तेजस्वि नक्षत्रं ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति ॥ १६ ॥

ध्रुवः प्रलयलितो धोरमपसत्यं प्रवर्तते ।

रोहणीं पीड्यमतौतावुभो शशिभास्करौ ॥ १७ ॥

चित्रास्वात्यन्तरे चैशाचिष्ठितः पश्य ग्रहः ।

वक्रानुवक्तं कृत्वा च अद्यां पावक ग्रभः ॥ १८ ॥

अह्मारार्णि समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥ १९ ॥

पतन्त्युरुक्ताः सनिर्घीता शक्राद्यनि सम प्रभाः ॥ २० ॥

विनिसृत्य महोल्काभिस्तिमिरं सर्वतो दिशम् ।

आत्मोन्यमुपष्टितद्विस्तव्रचोक्तं महर्षिभिः ॥ २१ ॥

भूषिपाल सहस्राणां भूमिः पास्यति शोचितम् ॥ २२ ॥

( भीष्मपर्व अ० १ )

२. सुदर्शनं प्रवद्यामि द्वौपर्मु कुरुनन्दन ।

परिमण्डलो महाराज द्वौपोऽसी चक्रसंस्थितः ॥ १३ ॥

नदी जल प्रतिच्छस्यः पर्वतैश्वाभ संभ्रमैः ।

पुरैष्विदिधाकारैः रम्यैर्जनं पदैस्तथा ॥ १४ ॥

ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चन्द्र का यह चित्र नितान्त अशुद्ध है ।

**चिकित्सा** — उस समय चिकित्सा दो प्रकार से की जाती थी—मन की प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर—जिसे आज कल मैट्मरिक हीलिङ्ग कहते हैं—और औपधियों द्वारा । कर्ण पर्व में युधिष्ठिर के सम्बन्ध में लिखा है कि “वह औपधि और मन्त्र चिकित्सा के प्रभाव से शीघ्र ही स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिये चला गया ।”<sup>१</sup>

उस समय घावों को भरने के लिये ‘विशल्यं करणी’ नामकी एक औपधि प्रयुक्त की जाती थी । गहरे से गहरे घावों को भरने में भी यह औपधि आश्चर्य कारी प्रभाव दिखाती थी । युद्ध के समय इस औपधि का खूब प्रयोग किया जाता था । भीष्म पर्व में लिखा है—“विशल्यंकरणी औपधि का उपचार करने से दुर्योधन के घाव बहुत शीघ्र अच्छे हो गए ।”<sup>२</sup>

**गर्भ विझान** — स्त्री पर्व में विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा है—

“जन्म होने के बाद से ही प्रणियों की सब क्रियाएं दृष्टिगोचर होनी प्रारम्भ होती है । पांच मास बीत जाने पर उस में कुछ चेतनता आने लगती है । इस समय वह सर्वाङ्ग सम्पूर्ण हो जाता है, वह चारों ओर से मांस और रक्त से घिरा रहता है । अन्त में चात के बेग से सिर नीचे और पैर ऊपर किये हुए योनिद्वार में आकर अत्यन्त कष्ट अनुभव करता है ।”<sup>३</sup>

वृक्षः पुष्पफलोपेतैः सम्पन्न धनधान्यवाङ् ।

लघणेन समुद्रेण समन्तात् परिवारतः ॥ १५ ॥

यथा हि पुष्पः पश्येदादर्शं मुखमात्मनः ।

सर्वं सुदर्शनं द्वीपो दृश्यते चन्द्रमरणे ॥ १६ ॥

द्विरंशे पिष्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महाश् ।

सर्वैषधि समाधायः सर्वतः परिवारतः ॥ १७ ॥

( भीष्म० श्र० ५ )

१. एवमुक्त्वा ददौ चास्मै विशल्यंकरणीं शुभाम् ।

आौपधीं वीर्यसम्पन्नां विशल्यस्याभवस्तदा ॥ ११ ॥

( भीष्म० श्र० ८२ )

२. अथोपयात्मवरितो दिदन्तु र्मन्त्रौपधिभ्यां विरुजो विशल्यः ॥ ७० ॥

( महा० कर्ण० ८८ )

३. जन्म प्रभृति भूतानां क्रिया सर्वोपलक्ष्यते ।

पूर्वमेवेहकलते बसते किञ्चिदन्तरम् ॥ २ ॥

ततः सपञ्चमेतीते मासेवासमकल्ययत् ॥

ततः सर्वाङ्गं सम्पूर्णो गर्भो वै सतु जायते ॥ ३ ॥

अमेध्य मध्येवसति मांस शोणित लेपने ।

ततस्तु बायुवेगेन ऊर्धव्यादोह्यधः शिराः ॥ ४ ॥

योनि द्वारमुष्पगम्य यहूङ्कुशाङ् स मृच्छति ॥ ४ ॥ ( महा० स्त्री० श्र० ४ )

**अश्वचिकित्सा**—उस समय अश्वचिकित्सा के उत्तम उत्तम साधनों का अविश्वार हो चुका था । माद्दी के बड़े पुत्र नकुल को अश्वविद्या का एक विशेषज्ञ समझा जाता था । विराट पर्व में नकुल ने स्वयं कहा है—

“मैं अश्वशिक्षा और अश्वचिकित्सा में खूब निपुण हूँ ।”<sup>१</sup>

**शरीर ज्ञान**—शान्ति पर्व १८५ अध्याय में शरीर विज्ञान के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत निर्देश है । पांच भूतों से बने शरीर को पञ्चवायुएं ही स्थिर रखती हैं । प्राण वायु सूर्या और शरीर की अग्नि में क्रिया करती है । बुद्धि, अहंकार, विषय और पञ्चभूत ये सब प्राण से ही गतियुक्त होते हैं । अपान समान के साथ ही मनुष्य के मध्य भाग में कार्य करता है । मनुष्य के प्रवर्तन कर्म और बल; में उद्दान सब से अधिक आवश्यक है । यह शरीर के सब जोड़ों में रहता है, इत्यादि । प्राचीन वैद्य तथा चिकित्सक इसी शरीर विज्ञान के आधार पर अपनी चिकित्सा करते थे ।

**विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त**—विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शान्ति पर्व में लिखा है—“उस वायु और जल को पिण्ड में समूर्ख तम को निवारण करने वाला अग्नि उत्पन्न हुआ । तब अग्नि, वायु और जल मिल कर एक बादल के रूप में हो गया, वही बादल धीरे धीरे कठिन होकर भूमि बन गया ।”<sup>२</sup>

आज कल के वैशानिक भी विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग इस से मिलता जुलता सिद्धान्त ही मानते हैं ।

**वृक्षों में जीव**—आर्ष सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ में एक चेतन शक्ति काम कर रही है । वृक्ष और वनस्पतियों में चेतनता है, वे सर्व बढ़ती हैं । इस सम्बन्ध में हम शान्ति पर्व में वार्णत भृगु और भारद्वाज के सम्बाद का कुछ अंश उद्धृत करते हैं—

“भृगु ने कहा—कठिन वृक्षों में भी निस्पत्नेह थाकाश होता है, उन में कभी नए फूल निकलते हैं, कभी नये पत्ते । गर्भ से पत्ता मुरझा जाता है, फल फूल भी छुम्हला जाते हैं, इस से वृक्षों में स्पर्श की शक्ति

१. कुशलोऽस्म्यश्व शिक्षायां तथेवाश्व चिकित्सने ॥ ३ ॥

( विराट ० अ० ३ )

२. तस्मिन् वायुश्च संघर्षे दीपतेजा महावलः ।

प्रातुरभूद्धर्धर्शिखः वृत्वा तिस्तिमिरं नभः ॥ १४ ॥

अग्निः पवन संयुक्तः खं समाच्चिपतेजलम् ॥

सोग्निर्मरुत संयोगाद् घनत्वमुपजायते ॥ १५ ॥

स संधातत्व मापन्नो भूमित्वमनुगच्छति ॥ १६ ॥

( शान्ति ० अ० १५३ )

'सिद्ध होती है। वायु, मेघ गर्जन और जिली के गिरने से फल फूल भड़ जाते हैं, इस लिये वृक्ष में सुनने की शक्ति भी माननी चाहिये। लता वृक्ष पर चढ़ जाती है, उस के चारों ओर लिपट जाती है, इस लिये उस में देखने की शक्ति भी माननी चाहिये। अच्छी गन्ध और अनुकूल वायू के प्रभाव से वृक्ष फलते फूलते हैं, रोग रहित हो जाते हैं अतः उनमें गन्ध शक्ति भी स्वीकार करनी होगी। वे पैरों से पानी सींचते हैं, रोगी हो जाते हैं, उन के रोग की चिकित्सा भी की जाती है इस लिये उनमें रसना शक्ति भी माननी चाहिये। वृक्ष को वृद्धि के लिये जल वायु दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें दुख सुख भी अनुभव होता है। कटा हुवा वृक्ष फिर उग आता है अतः मेरा चिकित्सा है कि वृक्ष अचेतन नहीं हैं।'

‘तत्कालीन शिल्पके कुछ नमूने पहले अध्यायों में दिखाए जानुके हैं— महाराज युधिष्ठिर ने अथवेश के समय जो प्रदर्शनी की थी वह इसका एक उत्तम उदाहरण है। तत्कालीन रंग शालाएं, वेद शालाएं, सज प्रासाद और इन्द्र प्रस्तुत में मगकी बनाई अद्भुत वस्तुएं भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण हैं। चिवकारी, धातु का कार्य, गान्धर्व विद्या और धनुर्वेद आदि कलाओं और शिल्पों के प्रमाण तो महाभारत में जंगह जंगह प्राप्त होते हैं। इन सब उदाहरणों से तत्कालीन भौतिक शिल्प पर्याप्त उन्नत प्रतीत होता है।

#### १. 'भृगुरुवाचः—

घनानामपि वृक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः ।  
तेषां पुष्पं फलं व्यक्तिनिर्त्यं समुपपद्यते ॥ १० ॥  
उच्चमतोऽस्यायते पर्णं त्वक् फलं पुष्पमेवच ।  
स्यायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनाल्व विद्यते ॥ ११ ॥  
वायवग्न्यशनि निर्धोषैः फलं पुष्पं विशीर्यते ।  
ओत्रेण गृह्णते शब्दः तस्माच्छृण्वन्ति पादपाः ॥ १२ ॥  
वर्त्ती वैष्टयते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति ।  
न ह्यदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः ॥ १३ ॥  
पुण्या पुण्यैक्षतश्गन्धै धूपश्चैव गच्छति ।  
अरोगाः पुण्यताः सन्ति तस्माज्जिप्रन्ति पादपाः ॥ १४ ॥  
पादैः सलिल पानाञ्च व्याधीनाङ्गापि दर्शनात् ।  
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसना दुमे ॥ १५ ॥  
वक्षेणोत्पल नालेन यथोधर्षं जलमाददेत् ।  
तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः ॥ १६ ॥  
सुख दुःखयोद्धु ग्रहणात् छिन्नस्यच विरोहणात् ।  
जीर्णं पश्यामि वृक्षाणामत्त्वैतन्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

## \* पञ्चम अध्याय \*

~~~~~

शिल्प वैभव तथा वाणिज्य व्यवसाय

महाभारत कोल में भौतिक उन्नति की दृष्टि से भारत वर्ष संसार भर में सब से उन्नत देश था। भारत वर्ष का शिल्प तथा आन्तरिक और बाह्य व्यापार खूब बढ़ा चढ़ा था। उन दिनों भौतिक उन्नति के व्यापार, शिल्प, कृषि और गो-रक्षा (पशु पालन) ये चार मुख्य साधन समझे जाते थे, इन का सम्मिलित नाम 'वार्ता' था। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में वार्ता विद्या पर कोई एक ग्रन्थ नहीं मिलता है। हाँ, कृषि, व्यापार, समुद्र यात्रा आदि विषयों पर भिन्न २ तत्त्व ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पशु पालन पर हस्तयागुर्वेद और दक्षुल कृत शालि होत्र आदि दो चार ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। वाणिज्य के लिये ब्राह्मण काल का मायावेद प्रसिद्ध है, इस के द्वारा तत्कालीन महाजनी के सम्बन्ध में बहुत सी वार्ता ज्ञात होती है। महाभारत द्वारा भी यद्यपि तत्कालीन वार्ता का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं होता तथापि उसमें बहुत से खलों पर वार्ता की चर्चा अवश्य है। सभा वर्ष में नारद ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए हैं उन में इस सम्बन्ध के भी कुछ प्रश्न हैं—

“क्या तुमने हस्तिसूत्र, अश्वसूत्र और रथ सूत्रों का अध्ययन किया है? क्या तुम धनुर्वेद और मन्त्र सूत्र के अनुसार अभ्यास करते हो?”^१

इस से प्रतीत होता है कि इन विषयों पर उस समय प्रभूत मात्रा में साहित्य उपलब्ध होता था जो कि आज कल प्राप्त नहीं होता।

व्यापार व्यवसाय को राज्य की सहायता— उस समय व्यापार और शिल्प के कार्यों की राज्य की ओर से भी सहायता की जाती थी। भिन्न २ व्यवसायों को भिन्न २ अनुग्रात में राज्य की ओर से सहायता और परितोपक आदि देकर उत्सर्गित किया जाता था। उपर्युक्त प्रकरण में ही नारद पूछते हैं—

“क्या तुम अपने सजातियों, गुहाओं, वृद्धों, व्यापारियों और आश्रित शिल्पियों की धन द्वारा सहायता करते हो?”

“क्या तुम्हारे कर संग्रह करने वाले अधिकारी धन लाभ के लिये आण विदेशी व्यापारियों से टीक और उचित कर लेते हैं? क्या तुम्हारे राष्ट्र के

१. कच्चित्सूत्राणि सर्वाणि गृह्णाति भरतर्पभ ।

हस्ति सूत्राश्वसूत्राणि रथसूत्राणि वा विभो ॥ १२० ॥

कच्चिदभ्यस्यते सम्यक् गृहे ते भरतर्पभ ।

धनुर्वेदस्य सूत्रं वै यन्त्र सूत्रस्य नागरम् ॥ १२१ ॥

व्यापारी विना धोखेबाजी के अच्छा माल तैयार करते हैं ?

“क्या तुम राष्ट्र के सब शिल्पियों को चार चार मास बाद नियत किया हुआ धन और उपकरणादि देते हो ?

“क्या तुम्हारा हृषि विभाग और उद्यान विभाग ठीक २ चल रहा है ?

“क्या देश का व्यापार व्यवसाय तुम्हारी सहायता से सज्जनों के हाथ में ठीक चल रहा है ? राष्ट्र की उन्नति के लिये व्यापार व्यवसाय का उच्चत हीना नितान्त आवश्यक है ।”^३

पशु पालन— पशु पालन बार्ता का एक मुख्य भाग है । प्राचीन समय के बार्ता चिद्र (अर्थ शास्त्रज्ञ) पशु पालन को बहुत महत्ता देते थे । चल सम्पत्ति में पशु ही सब से मुख्य थे । पशुओं की चिकित्सा और शिक्षा के लिये राज्य की ओर से इस कार्य में निपुण मनुष्य नियुक्त किए जाते थे । महाभारत के समय युद्धों के लिये हाथी और घोड़ों को इतना निपुण कर दिया जाता था कि वे एक साथ हजारों की संख्या में युद्ध के लिये विधिपूर्वक सहायक हो सकें । गोपालन के लिये भी राज्य की ओर से यथेष्ट प्रबन्ध किया जाता था । विराट पर्व में सहदेव अंपना नाम तन्त्रपाल रख कर राजा विराट के पास जाकर कहता है—

“पांचों पालडबों में युधिष्ठिर सबसे बड़ा है । उसके प्रथम विभाग में सौ सौ गौवों के १८ हजार रेवड़ थे । दूसरे विभाग में १० हजार और तीसरे में २० हजार रेवड़ थे । मैं राजा युधिष्ठिर का ‘गोसंखण’ (Registrar of the cattle records) था । मैं ने इन गौओं का पूरा हिसाब रखकर हुवा था । मैं पशु पालन, पशु वृद्धि और पशु चिकित्सा के सब उपाय जानता हूँ । मैं अच्छे बैलों की पहचान और लक्षण भी जानता हूँ । मैं ऐसे बैलों को भी जानता हूँ जिन

२. कञ्चित्ज्ञातीन् गुरुन् वृद्धान् विषिजः शिल्पिनः प्रितान् ।

ग्रभीक्षणमनुगृह्णाति धनधान्येन दुर्गतान् ॥ ७१ ॥

कञ्चिदभ्यागता दूराद् विषिजो ज्ञाभ क्षारणात् ।

यथोक्तमवहर्यन्ते शुल्कं शुक्रोपजीविभिः ॥ ११४ ॥

कञ्चित्ते पुरुषाः राज्ञ् पुरे राष्ट्रे च मानिताः ।

उपानयन्ति पश्यानि उपधामिरवञ्चिताः ॥ ११५ ॥

द्रव्योपकरणं कञ्चित् सर्वदा सर्वं शिल्पिनाम् ।

चातुर्मास्यवरं सम्यद् नियतं सम्प्रयच्छसि ॥ ११८ ॥

कञ्चित्ते कृषितन्त्रेषु गोपु पुष्प फलेषु च ॥ ११७ ॥

कञ्चित्तन्त्रविष्ठिना तात बार्ता ते सायुभिर्जनैः ।

वर्त्तयां सप्रितस्तात लोकोयं सुखमेध्यते ॥ ७९ ॥

के सूत्र को सूंघ कर ही वन्ध्या गौण सन्तान उत्पन्न करने लायक बन जाती है । १

इस पर विराट् ने उत्तर दिया— “वै घोड़ों के स्वभाव और उन्हें सधाने के सम्पूर्ण उपाय जानता हूँ । दुष्ट घोड़ों को सधाने के उपाय और कमज़ोर घोड़ों को मज़बूत करने के आयुर्वेदीय उपाय जानता हूँ । मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी नहीं विगड़ता । [मेरे पास] एक भी विगड़ी हुई घोड़ी नहीं है । फिर घोड़े विगड़ ही कैसे सकते हैं ।” २

सूती और ऊनी वस्त्र— महाभारत के समय तक भारत का वस्त्र अवश्यक वहुत उच्चत हो चुका था । यहाँ से वहुत महीन २ वस्त्र तैयार होकर चिदेशीं में भी जाया करते थे । यूनानी ऐतिहासिक हिरांगोट्स ने लिखा है कि भारतवर्ष में ऊन वृक्षों पर लगती है । इस समय भारत में रुद्ध, ऊन, बेले के पत्तों और नाना प्रकार के रेशम से कपड़े] बना करते थे । सभा पर्व में महाराज युधिष्ठिर के लिये अन्य देशीय राजाओं द्वारा लाए गए उपहारों का वर्णन इस प्रकार है—

“कार्पासिक देश की जो सैकड़ों दास दासियाँ उपहार लेकर आई थीं, वे सभा में प्रवेश ही न पा सकीं ।” ३

१. पञ्चानां पाञ्चु पुत्राणां ज्येष्ठो भाता युधिष्ठिरः ।
तस्याएष्टशतसाहस्रा गवांवर्गाः शतंशतम् ॥ ८ ॥
तेषां गोधंख्य एवासं तन्त्रपालेति मां यिदुः ।
प्रपरे दशसाहस्राः द्विस्तावनास्तथापरे ॥ १० ॥
भूतं भव्यं भविष्यत्त्वा यज्ञ संख्यागतं गवाम् ।
नमेऽस्त्यविदितं किञ्चित्प्रभावाह्योजनम् ॥ ११ ॥
क्षिप्रं च गाषोवहुला भवन्ति न तातु रोगो भवतीह कष्टन् ।
तैहस्तैरुपायै विदितं ममैतद् एतानि शित्पानि मयि स्थितानि ॥ १३ ॥
क्षयभाद्यापि जानामि राजशू पूजित लक्षणाद् ।
येषां मूत्रमुपाग्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ १४ ॥ (विराट० छ० १०)

२. षष्ठ्यानां प्रकृतिं वेद्वि विनयं चापि सर्वशः ।
दुष्टानां प्रतिपत्तिं वृत्तस्तंच चिकित्सितम् ॥ ७ ॥
न कातरं स्यान्मम जातुवाहनं नमेऽस्त्विष्टुष्टा घृष्याः कुतो हयाः ॥ ८ ॥
(विराट० छ० १२)

३. एवं वलि समादाय प्रवेशं लोभिरे न च ।
शतंदासी सहस्राणां कार्पासिक निवासिनाम् ॥ ७ ॥ (सभा० ५१)

(६२).

“चोल और पाश्चात्य देश के लोग उपहार में हीरे मोती और महीन वस्त्र लाए ।”^१

“सिंहलद्वीप से सैकड़ों शानदार गद्दे आए थे ।”^२

“दक्षिण देश का राजा अपने साथ पेटियां, मालाएं और पगड़ियां लाया ।”^३

“उत्तर देश वासियों ने अपनी भैंट में दिव्यवस्त्र, गहनें दुशाले और सृगचम्पादिये ।”^४

“कम्भोज देश के राजा ने चूहे और बिली के बालों से बने और सोने की पञ्चीकारी से युक्त परदे भैंट किए ।”^५

“हिमालय वासियों ने हिमालय के पहाड़ी वकरों की ऊन के वस्त्र और सुन्दर सूत तथा रेशम के वस्त्र उपहार में दिए ।”^६

“पूर्व देश के राजा अपने साथ कोमती आसन, सवारियां, सेजें, कबच और शस्त्र अस्त्र लाए ।”^७

इस के साथ ही महाभारत में जगह जगह आए हुए ‘सूक्ष्म कम्बल-वासिनी’ और ‘पीत कौशिय वासिनी’ आदि विशेषण उस समय के उन्नत शिल्प वैभव का प्रमाण दे रहे हैं ।

धातु शिल्प

प्राचीनकाल में धातु शिल्प पर्याप्त उन्नत था । सोना, चांदी, टीन और सीसा इन धातुओं की अनेक सुन्दर और उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती थीं ।^८ आज कल की तरह लोहे का उपयोग उस समय भी अन्य सब धातुओं

१. मणि रत्नानि भास्वन्ति काञ्चनं सूक्ष्म वस्त्रकम् ॥ ३५ ॥ (सभा० ५२)

२. शतशशः कुशास्तत्र सिंहलाः समुपाहरम् ॥ ३७ ॥ (सभा० अ० ५२)

३. ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिव्यान्न्याभरणानि च ।

क्षौमाजिनानि दिव्यानि तस्य ते प्रददुः करम् ॥ १६ ॥

४. दाक्षिणात्यः संनहने स्त्रगुप्तीषे च मागधः ॥ ७ ॥ (सभा०, अ० ५३)

५. ग्रौरणाङ्क वैलाक्ष वार्षदंशाक्ष जातस्त्रप परिष्कृताक्ष ।

प्रावारान्निन मुख्यांशु कम्बोजः प्रददौ वहन् ॥ ३ ॥ (सभा० ५१)

६. ऊर्णज्ञराङ्क वच्चैव कीटजं घदजं तथा ।

कुरीकृतं तघैश्वात्र कमलाभं सहस्रशः ॥ २६ ॥

सूक्ष्मं वस्त्रं सकार्पासं आविकं मृदु चाजिनम् ॥ २७ ॥ (सभा० अ० ५१)

७. आसनानि विचित्राणि यानानि शयनानि च ॥ ३१ ॥ (सभा०, ५१)

८. सुवर्णस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं त्रपु ।

त्रेयं त्रपुमलं सीसं भीसस्यापि मलं मलम् ॥ ८१ ॥ (उद्योग० ३८)

की अपेक्षा अधिक किया जाता था। तीर के फल, तलवार, शतांनि आदि शस्त्राल्प लोहे से ही बनाए जाते थे।

सोने का उपयोग — उल समय सजावट के लिये सोने और चांदी का बहुत प्रयोग किया जाता था। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए हुए राजा लोग निम्नलिखित सोने का सामान उपहार रूप में लाए थे—

“राजा लोग बहुत सा सोना चांदी देकर सभा मण्डप में ‘प्रवेश पासके’।”^१

“पूर्व देश के राजा मणि और सोने थादि की चित्रकारी से युक्त हाथी दांत के कबच, नाना प्रकार के शस्त्र और सोने के पत्रों से मढ़े रथ देकर अन्दर घ्रंचिष्ठ हो सके।”^२

“खश और दीर्घवेणु थादि देशों के राजा ‘पिपीलिक’ नामक सोना लाए। इस सोने को चीटियां खोदती हैं।”^३

इस पीपीलिक सोने का वर्णन मैगस्तनीज के बात्रा वृत्तान्त में भी उपलब्ध होता है।

“किरात लोगों ने रत्नों और सोने के द्वेर महाराज युधिष्ठिर को दिए।”^४

“अङ्ग वझादि देशों के सब राजाओं ने एक २ हजार हाथी दिए, राजा विराट ने दो हजार हाथी तथा सुराष्ट्र के राजा ने २६ हाथी और २००० घोड़े भेट किए। इन सब हाथियों के हौड़ों पर तथा घोड़ों की झीनों पर सोने चांदी का काम किया हुआ था।”^५

१. प्रमाणराग सम्पन्नाश वज्रीर लमुद्रवाल्।

वल्यर्थं ददतस्त्वमै हिरण्यं रजतं वहु ॥ ११ ॥ (सभा० ५१)

दत्वापदेशं प्राप्तस्ते युधिष्ठिर निवेशने ॥ ३० ॥ (सभा०-५१)

२. मणि काञ्चन चित्राणि गजदन्त मयानि च।

कदचानि विचित्राणि शस्त्राणि विविधानिच ॥ ३३ ॥

रथाद्य विविधाकारात् जातरूप परिष्कृतात् ॥ ३३ ॥ (महा० सभा० ५१)

३. तदैपिपीलिकं नाम उभृतं वित्यपीलकैः।

जातरूपं द्रोषमेयं महार्पुः पञ्चशो वृपाः ॥ ४ ॥ (सभा० ५२०)

४. चम्परत्न बुद्धर्णानां गन्धानांच रशयः ॥ १० ॥

५. दत्वैकैकोदश शतान्कुञ्जरात् कवचावृतात् ॥ २१ ॥ (सभा० ५२)

विराटेन तु मत्स्येन वल्यर्थं हेममालिनाम्।

कुञ्जराणां सहस्रे ह्वे मत्तानां समुपाहृते ॥ २६ ॥

यामुराष्ट्रद्वद्वदानो राजापह्विंशति गजात्।

शश्वानां च सहस्रे ह्वे राजन् काञ्चन मालिनाम् ॥ २७ ॥

“सुधिष्ठिर के दान से प्रतिदिन ८८ हज़ार गृहस्थी स्नातक और १० हज़ार यतों सोनै चाँदी के वर्तनों में भोजन करते थे ।”^१

“मत्स्य देश के राजा ने सोनै से मढ़े हुए जुआ खेलने के पांसे महाराज सुधिष्ठिर को भेट किये ।”^२

माणि— सोना चाँदी के अतिरिक्त सोती और मणियां भी उस समय प्रभूत मात्रा में प्रयोग में लाई जाती थीं। समुद्रों से मोती निकाले जाते थे। मणियों में वैदूर्य मणि विशेष कीमती समझी जाती थी। उपर्युक्त प्रकरण में ही आता है—“लंका के राजाने समुद्र के सारभूत वैदूर्य मणिके हैर भेट में दिये ।”^३

पाण्डु के साथ माद्री का विवाह होने पर भोष्म ने सज्जा और नकली सोना, रत्न, आभूषण, मीती आदि उपहार रूप में दिए थे ।

स्वर्ण सुद्रा— आदि पर्व में वर्णन आता है कि—“पाण्डु के बन जाने पर उसकी दोनों स्त्रियों ने अपने सिर में लगाने की मणि, सोने के सिक्के, बहुमूल्य आभूषण आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दीं ।”^४

सोने की द्वार्सिथां— “श्री कृष्ण जब पाण्डवों के समीप आए तब पाण्डवों ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। उन्हें सोने के एक बहुमूल्य आसन पर बैठाया गया। उन के बैठ जाने पर सब पाण्डव भी अपनेर आसनों पर बैठ गये ।”^५

प्रेमोपहार— “श्री कृष्ण ने पाण्डवों के विवाह पर उन्हें वैदूर्य मणि से चित्रित सोने के आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, विविध प्रकार के शाल दुशाले,

१. ग्राहाशीति सहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः ।

दशान्यानि सहस्राणां यतीनामूर्ध्वं रेतसाम् ॥ ४७ ॥

भुजते क्रमयान्नीभिः सुधिष्ठिर निवेशने ॥ ४८ ॥ (समा० ५२ ॥)

२. मत्स्यः स्वच्छाग् एकशरवः हेमवहुपुयानहौ ॥ ८ ॥ (समा० ५२ ॥)

३. समुद्रसारं वैदूर्यं मुक्तासंघास्तवैव च ॥ ३६ ॥ (समा० ५२ ॥)

४. ततश्वृडामणिं निष्कमङ्गदे कुण्डलानिच ।

वासांसि महार्दाणि लीणामाभरणानि च

प्रदाय सर्वं विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनरभाषतः ॥ ३८ ॥ (आदि० शा० ११६)

५. आसने काञ्चने शुद्धे निष्पसाद महामनः ।

अनुग्रातास्तु ते तेन कृष्णेनामित तेजसा ।

आसनेषु महार्हेषु निषेदुर्द्विषदां वराः ॥ ३ ॥

महीन खाले तथा वस्त्र, कुर्सियें, रथ, [सोने चाँदी के वर्तनं, नौजवान सुन्दर दासियें तथा लाखों सिक्के] उपहार में दिये ।” १

गृहनिर्माण विद्या — भवन निर्माण विद्या का प्राचीन नाम वास्तु विद्या है। प्राचीन नौकाल का सब से बड़ा शिल्पी और इन्हीं थे विश्वकर्मा हुवा है। भारत के शिल्पी आज तक अपनै को उस का वंशज कहते हुए अभिमान अनुभव करते हैं ॥ महाभारत के समय तक गृह निर्माण विद्या बहुत उन्नत अवस्था तक पहुंच चुकी थी। खारडव घन के दाह के अनन्तर महाराज युधिष्ठिर ने जो किला बनवाया था उस के भगतावशेय आज भी उस की मज़बूती का परिचय दे रहे हैं। इसी किले में मय नामक असुर जाति के पक्ष व्यक्ति ने जिस गौरव पूर्ण राज सभा का निर्माण किया था उस का घर्णन ऋषिवर व्यास के शब्दों में इस प्रकार है—

“उस राज सभा के वृक्षों को सोने द्वारा सजाया गया था। उस की लम्बाई १० हजार हाथ थी। उस के भवन अग्नि, चांद और सूर्य के समान चमकते थे। उस की ऊंची अद्वालिकाओं ने बादल की तरह आकाश को धेर रखवा था। उस में लगाया हुवा सम्पूर्ण सामान बहुत बढ़िया था, उस के कोट में सुन्दर पत्थर लगे थे। विश्वकर्मा ने उस के लिये नावा प्रकार के अमूल्य चित्र तैयार किए ॥ इस सभा-भवन के मुकाबले का संसार भर में एक भी भवन नहीं था। उस की रक्षा के लिये बड़े बड़े बलवान योद्धा नियुक्त किए गए। इस के अंगन में एक तालाव बनाया गया इस में नकली बेले बनाई गई; इन बेलों के पत्ते वैद्युर्य मणि से बनाए गए थे, इन की तनुषं अन्य मणियों से और फूल सोने से बनाए गए। इस तालाव में सुगन्धित पानी भरा रहता था। इस तालाव में नकली मछलियाँ और कछुए भी थे। इस तालाव को सीढ़ियाँ

१. ततस्तु कृनदारेभ्वः पाण्डुर्भवः प्राहिणोद्वरिः ।

वैद्युर्य मणि चित्राणि हैमान्याभरणानि च ॥ १३ ॥

वासांसिच महार्हाणि नानादेश्वानि माधवः ।

कम्पतान्त्रिन रत्नानि स्पर्शवन्विशुभानि च ॥ १४ ॥

शृणनासन यानानि विविधानि महान्ति च ।

वैद्युर्यमणि चित्राणि शतशोभा जनानिच ॥ १५ ॥

रुप यौवन दातिष्यस्तेताश्च स्वचङ्कृताः ।

प्रेद्यासम्प्रन्ददौ कृष्णो नानादेश्वाः सहस्रशः ॥ १६ ॥

रथांश्च दान्ताश्च सौवर्णाश्च शुभ्रैः पठैरलंकृताश्च ।

कोटिशश्च सुवर्णज्ञः तेपामकृतकं यथा ॥ १७ ॥

योतीकृतमै मात्मा ब्राह्मणोन्मधुमूदनः ॥ १८ ॥ (आदि० अ० २०१)

बिल्लौरी पत्थर की थी ॥ सब से विचित्र बात यह थी कि यद्यपि तालाब में लबालब पानी भरा हुआ था तथापि यह एक जल रहित सुन्दर बाटिका के समान प्रतीत होता था ॥ इस तालाब के चारों ओर सुन्दर चूतरे बने हुए थे । इस सुन्दर तालाब को देख कर सभी राजा लोग धोखा खा जाते थे । इस विशाल सभा भवन के चारों ओर सुगन्धित फूलों से लदे हुए सुन्दर बृक्ष थे ।

इस सभाभवन को १४ मासों में तैयार कर के इस की सूचना मय ने महाराज युधिष्ठिर को दी ॥^१

१. सभा चसा महाराज शातकुम्भ मय दुमा ॥ २२ ॥
दश किञ्कुसहस्राणि समन्तादायता भवत् ।
यथा वन्हेयवार्कस्य सोमस्य च यथा सभा ॥ २३ ॥
भ्राजमाना तथात्यर्थ दधार परमं वपुः ।
प्रतिघृतीव प्रभया प्रभामर्कस्य भास्वराम् ॥ २४ ॥
प्रभवौ ज्वलमानेव दिव्यादिव्येन वर्चया ।
नवमेच प्रतीकाशा दिनमावृत्य विष्टिता ॥ २५ ॥
आयता विपुला रस्या विपाद्मा विगतङ्गमा ।
उत्तम द्रव्यसम्पन्ना रत्नप्राकार मालिनी ॥ २६ ॥
वहु चित्ता वहुधना निर्मिता विश्वकर्मणा ।
नदाशार्हीं सुधर्मा वा क्रहणोदाय तादूशी ॥ २७ ॥
सभा रूपेण सम्पन्ना यांचक्रे मतिमाश् मयः ।
तां स्म तत्र मयेनोक्ताः रत्नन्ति च वहन्ति च ॥ २८ ॥
सभामष्टौ सहस्राणि किङ्करा नामरात्मकाः ।
अन्तरिक्षचराः घोर्म महाकाया महावला ॥ २९ ॥
रत्नाक्षा पिङ्गलाक्षाश्च शुक्लिकर्णाः प्रहारिणः ।
तस्यां सभायां नलिनीं चकाराप्रतिमां मयः ॥ ३० ॥
वैदूर्यं पत्र विततां चणिनालोज्जवलास्तुजाम् ।
हैम सौगन्धिकवतरीं नानाद्विज गणशुताम् ॥ ३१ ॥
युष्पतैः पंकजैश्चित्रां कूर्मैर्मत्स्यैश्च काङ्क्षनैः ।
चित्रस्फटिक सौपानां निष्पङ्क्ष सलिलां शुभाश् ॥ ३२ ॥
मन्दानिलसमुद्धृतां सुतां विन्दुभिराचिताम् ।
महामणि शिलापट्ट वदुर्पर्यन्तं वेदिकाम् ॥ ३३ ॥
मणिरत्नचितां तान्तु केचिदभ्येत्य पार्थिवाः ।
दृष्टापि नाभ्यजानन्त तेऽज्ञानात्प्रपतन्त्युत ॥ ३४ ॥
यां सभामभितो नित्यं पुष्पबन्तोमहादुमा: ।
आसन्नाना विधा नीला शीतच्छाया मनोरमाः ॥ ३५ ॥
ईवृशीं तां सभां कृत्वा मासैः परिचतुर्दशैः ।
निष्ठितां धर्मराजाय मयो राजशू न्यवेदघृत ॥ ३६ ॥ (सभा० अ० ३)

इसी सभा भवन में किश्कर्मा ने एक विचित्र चमत्कार दिखाया था । उस ने स्फटिकों द्वारा एक ऐसा फूर्ण बनाया था जो पानी से भरा हुआ तालाब मालूम होता था । और ऐसे तालाब बनाए थे जो जल पूर्ण होने पर भी सूखे कर्ष के समान जान पड़ते थे । एक ऐसे ही तालाब में दुर्योधन गिर पड़ा था, एक सूखे कर्ष पर वह कपड़े उठा कर चला था । ”^१

इसी प्रकार ऐसे दरवाजे बनवाए गए थे जो खुले होने पर भी दीवार के समान प्रतीत होते थे, दूसरी ओर दीवारों के कुछ भाग इस प्रकार बनाए गए थे जो खुले हुए फाटक के समान जान पड़ते थे । दुर्योधन ने इस से भी धोखा लाया था । महाभारत के समय ये, सब शिल्प के अद्भुत चमत्कार उपलब्ध होते हैं । ”^२

कतिपय अन्य शिल्प

कृत्रिम पशु—महाभारत के समय और उस से पूर्व भी पशुओं के चर्म द्वारा उनका जीता जाता हुवा सा रूपाबना कर बड़े बड़े भवनों की सजावट की जाती थी । मनु ने भी ‘काष्ठमयो हस्ति’ और ‘अर्ममयो मृगः’ का जिकर किया है । सभापर्व एक स्थान पर पारड़वों की उपमा कृत्रिम अर्ममय मृग से दी है । ”^३

गुप्त मार्ग—उन दिनों मुख्य ! के समय सैन्य शिवरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये गुप्तमार्ग भी हुवा करते थे । वन पर्व में शत्रुघ्नी के सैन्य शिवरों में इस प्रकार के गुप्तमार्गों का वर्णन उपलब्ध होता है । ”^४

१. स्फटिकं स्यलमस्याद् जलभित्यभिशंकया ॥ ३ ॥

स्व वस्त्रोत्कर्षणं राजा कृतवाहु भुद्धिमोहितः ॥ ४ ॥

ततः स्फटिकं तोयां वै स्फटिकाम्बुज शोभिताम् ।

वार्षीं मत्वा स्यलमिव सवासाः प्रापतज्जले ॥ ५ ॥

श्वाकारं रक्षमाणस्तु न स ताङ् समुदैचत ।

पुर्वसनमुत्क्षिप्य प्रतिरिष्वन्निव स्यलम् ॥ १० ॥

२. द्वारन्तु पिहिताकारं स्फटिकं मेद्य भूमिपः ।

प्रविशन्नाहतो मूर्धिर्व्याघूर्णित इवस्थितः ॥ ११ ॥

तादृशं चापरं द्वारं स्फटिकोरु कपाटकम् ।

विद्युष्यन् कराभ्यां तु निष्कम्याग्रे पपातह ॥ १२ ॥

द्वारन्तु यिताकारं समापेदे पुनश्च सः ।

तद्वत्तं चेति मन्वामो द्वारस्यानादुपारमत् ॥ १४ ॥ (सभा० अ० ४७)

३. यथाफला परडतिला यथा अर्ममया मृगाः ।

तथैव पास्फवाः सर्वे यथा काक यदा इति ॥ १३ ॥ ३ (सभा० अ० ७६)

४. अनीकानां विभागेन पन्थानः संवृताभवत् ॥ ४ ॥ (बन० अ० १६)

छत्र—भारत में राजाओं पर छत्र रखने का रिवाज बहुत पुराना है। राजा पर ग्रति समय राजछत्र अवश्य रहता था। संस्कृत में छत्र का दूसरा नाम आतपत्र है जिसका अर्थ धूप से रक्षा करने वाला है। इस से प्रतीत होता है कि उन दिनों धूप से रक्षा करने के लिये साधारणतया छाते का प्रयोग होता था। भीष्मपर्व में युधिष्ठिर के छाते का वर्णन आता है—

“हाथी दांत की मूँठ वाला वह सफेद छाता बहुत ही सुन्दर प्रतीत होता था।”^१

पगड़ी और फैशन—भीष्म पर्व में योद्धाओं की पगड़ियों का वर्णन आता है। इसी प्रकरण में सैनिकों ने जिन फैशनों से दाढ़ी मूँछ कटाए हुए थे उनका भी वर्णन है।^२

युद्ध के दिनों में राजा युधिष्ठिर के कैम्प में सोने के लैस्पों में सुगन्धित तेल जला कर प्रकाश किया जाता था। कैम्प के चारों ओर सुनहरी पगड़ियां पहिन कर शरीर रक्षक लोग पहरा देते थे।^३

कपड़े रंगना—द्रोण पर्व में भीम के कवच का वर्णन इस प्रकार है— वह लोहे का बना हुवा था। सोने के तारों से उस पर चित्रकारी की हुई थी। पीला, लाल, श्वेत और काला इन चार रंगों से रंगे हुए कपड़े द्वारा बह ढका गया था।^४

नगर के कोटों पर शास्त्र—प्रत्येक नगर की रक्षा के लिए उस के चारों ओर एक सुदृढ़ कोट बनाया जाता था। इन कोटों पर यथेष्ट परिमाण में बड़ी बड़ी मशीनें और तोपें रक्खी जाती थीं। शान्ति पर्व में भीष्म कहते

१. समुच्छितं दन्तशलाकमस्य सुपारुदुरं छत्रमतीष भाति ॥ ६ ॥ (भीष्म० अ० २२)

२. उप्पोपैश्च तथां चित्रैः ॥ ७४ ॥

छत्रैस्तथापविदुश्च ॥ ७५ ॥

पद्मेन्दुश्चु तिभिरचैव वदनैश्चारु कुरुलैः ।

क्लृप्रशमशुभिरत्यर्थ धीराणां समजंकृतैः ॥ ७६ ॥ (भीष्म० अ० ७)

३. प्रदीपैः काञ्जैस्ताव गन्धतैजाव सेचितैः ।

परिवद्वर्महात्मानः प्रजवलद्विः समन्ततः ॥ ३१ ॥

काञ्जनोप्पीषिणस्तत्र वेनभक्तरं पाणयः ।

प्रोत्सारयन्तः शनकैस्तं जनं सर्वतोदिशम् ॥ ३३ ॥ (भीष्म० अ० ८८)

४. तस्य काष्णावसं धर्म हेम चित्रं महर्द्विं मत् ।

पीतरक्तासित सितै वर्मवासोभिश्च सुवेष्टिः ॥ १२ ॥ (द्रोण० अ० १२७)

हैं—“नगर के फाटकों पर बड़ी बड़ी मशीनें रखनी चाहिये । कोट पर जगह जगह शतांजियें (तोपें) पड़ी रहनी चाहिये ।” १

मार्ग दीप— मार्गों पर और सुन्दर भवनों के आंगन में प्रकाश करने के लिये आज कल की तरह थम्बे लगा कर उन पर लैम्प भी जलाये जाते थे । अश्वमेध पर्व में बलराम द्वारा वसाय गये रैवतक पर्वत का वर्णन आता है । इस के घर और बाग बहुत सुन्दर थे । मार्गों पर बहुत ही मनोहारी स्तम्भ दीपों द्वारा प्रकाश किया जाता था । इन लैम्पों की बदौलत यहां दृष्ट वर्षे दिन ही बना रहता था । २

विदेशों से पशु— युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बहुत से विदेशी राजा लोग अपने साथ अच्छे अच्छे पशु भी उपहार में देने के लिये लाये थे । कम्भोज का राजा दो बहुत ही दुर्लभ जातियों के ३०० घोड़े तथा ३०० ऊँड अपने साथ लाया था । मरुकन्ठ से १० हजार दासियां भैट में मिलीं । आभीर देश वाले गाय, बकरी, भेड़, ऊँट और गधे अपने साथ लाये । चीन का राजा वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े अपने साथ लाया । इसी प्रकार इन उपयोगी पालतू पशुओं के अतिरिक्त बहुत से राजा लोग उपहार में देने के लिये नाना प्रकार के सृग और पक्षी भी लाये थे । इन भेटों से ही महाराज युधिष्ठिर को हजारों बहुत ही बढ़िया हाथी और घोड़े प्राप्त हो गये । ३

इन सब निर्दर्शनों द्वारा महाभारत के समय भौतिक वैभव तथा व्यापार व्यवसाय आदि बहुत उन्नत अवस्था में प्रतीत होते हैं ।

१. द्वारेषु च गुरुरेव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा ।

आगोपयेचक्षतग्नेषु स्वाधीनानि च कारयेत् ॥ ४५ ॥

(शान्ति० ६१)

२. दीपवृच्छैश्च सौवर्णे रभीक्षणमुपशोभितः ।

गुहानिर्भार देशेषु दिवाभूतो वश्ववै ॥ ७ ॥ अश्वमेध०, ५८ ।

३. सभापर्व अ० ५१, ५२, ५३ ।





द्वितीय भाग

राजनीतिक इतिहास

[महाभारतकाल से प्राचीवैद्वकाल तक]

* प्रथम अध्याय *

—३३३—३३३—

महाभारत काल के विविध राज्य.

—४४४—

पूर्व वचन— प्राग्यौद्ध काल का राजनीतिक इतिहास लिख सकना सरल कार्य नहीं है। महाभारत काल के बाद भारत में कौन सी राजनीतिक घटनायें हुईं; इस का वृत्तान्त प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। पुराणों में केवल राजवंशों की वंशावलियाँ मात्र हीं दी गई हैं। ये भी अपर्याप्त और अपूर्ण हैं। विविध पुराणों की वंशावलियाँ परस्पर विरुद्ध हैं, उन में कई स्थानों पर गहरे मत-भेद हैं। काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथ भी इस काल के सम्बन्ध में हमारी कोई सहायता नहीं करते। इस काल के ग्रीक व चीनी विदेशी यात्रियों के कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होते। पुरातत्त्व विभाग की शोध ने भी इस काल पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। इस काल के कोई शिलालेख, ताप्रपत्र, सिक्के आदि अभी तक प्राप्त नहीं हुवे हैं। इस अवस्था में इस अन्धकारमय काल का राजनीतिक इतिहास लिखना असम्भव प्राय ही है। विदेशी व भारतीय ऐतिहासिकों ने इस काल के सम्बन्ध में अभी तक कोई विशेष प्रयत्न वहाँ किया है। श्रीयुत पार्जीटर ने यद्यपि प्राग्-महाभारत काल पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (Ancient Histroical Tradition) में पर्याप्त प्रकाश डाला है, पर महाभारत काल के बाद के विषय में उन्होंने विविध वंशावलियों को संगृहीत मात्र करना ही पर्याप्त समझा है। मिश्रवन्धुओंने महाभारत से पहले इतिहास को पर्याप्त सफलता के साथ क्रमबद्ध किया है, पर बाद के हजारों वर्षों को वे भी विना कुछ लिखे छोड़ गये हैं। श्रीयुत राय चौधरी ने इस काल पर कुछ प्रयत्न अद्वश्य किया है, पर उन्होंने अपनी पुस्तक Political History of Anceint India में इस काल के लिये वैदिक और ब्राह्मण साहित्य को अपनी अन्वेषण का आधार माना है। हम अपनी पुस्तक के पहले खण्ड में इस साहित्य की प्राचीनता को अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके हैं, अतः महाभारत के बाद के काल के लिये इसका प्रयोग किसी अवस्था में नहीं किया जा सकता। श्रीयुत दलाल ने प्राचीन राजनीतिक इतिहास को लिखने के लिये बहुत उत्तम प्रयत्न किया है। पर इस काल के सम्बन्ध में वे आधे दर्जत से

अधिक पृष्ठन लिख सके । इस से स्पष्ट है कि इस काल का राजनीतिक इतिहास सर्वथा अन्धकारमय है । फिर भी प्राचीन साहित्य का अनुशीलन करने पर इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत बातें ज्ञात हो सकी हैं, उन्हें क्रमिक रूप से लिखने का हम यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे । यह लिखने का आवश्यकता नहीं कि यह वृत्तान्त अपूर्ण तथा अपर्याप्त होगा । हम बिखरी हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं को संगृहीत मात्र कर सकेंगे, इस से अधिक कर सकना वर्तमान समय में सम्भव नहीं प्रतीत होता ।

महाभारत काल के विविध राज्य ।

महाभारत युद्ध के समय सम्पूर्ण भारतवर्ष एक राज्य के आधीन था । उस समय यह देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था । महाभारतयुद्ध में पाण्डवों और कौरवों का पक्ष लेकर जो विविध राजा सम्मिलित हुवे थे, उन से इन राज्यों का अच्छी तरह अनुशीलन किया जा सकता है । महाभारत युद्ध में पाण्डवों का पक्ष लेकर निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हुवे थे—

(१) मध्यदेश से—

१. पाञ्चाल—इस देश का राजा द्वृगद था । यह पाँडवों का श्वसुर था । पाञ्चालराज द्वृगद अपने देश के विविध सरदारों, उपराजाओं तथा अपने १० लड़कों सहित पाँडवों की सहायता के लिये आया था । पाञ्चाल सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था । पाँडवों की सम्पूर्ण सेना का मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न ही था । पाञ्चाल सेना में उत्तरीय प्रदेशों में रहने वाली कुछ राक्षस जातियाँ भी शामिल थीं ।

२. मत्स्य—इस देश का राजा विराट् था । विराट् की लड़की उत्तरा का अर्जुन के लड़के अभिमन्यु के साथ विवाह हुवा था । फहले गौवों के लिये हुवे युद्ध में पाँडव लोग मत्स्य-राज की सहायता भी कर चुके थे । मत्स्य-राज अपनी सेना में अरावली पर्वतमाला में निवास करने वाली कुछ खतन्त्र जातियाँ भी लाया था ।

३. चेदी—इस का राजा धृष्टकेतु था ।

४. कारुष

५. दशार्ण

६. काशी—इस का राजा अभिभू था ।

७. पूर्वीय कोशल

८. पश्चिमीय मगध— इसका राजा सहदेव था। जरासन्ध की मृत्यु के बाद मगध का राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया था। पश्चिमीय मगध पर सहदेव का राज्य था। यह अपनी सेना में विन्ध्याचल पर्वतों में निवास करने वाली कुछ जंगली जातियाँ भी लाया था।

(२) पश्चिम से—

पाँडवों की सहायता के लिये पश्चिमीय भारत से यादव लोग कृष्ण के नेतृत्व में सम्मिलित हुवे थे। यादव लोग गुजरात तथा उसके धूर्वचत्ती प्रदेश में रहते थे। इन के साथ ही भोज, अनधक, बृष्णि, सात्वत, मात्रव, दशाहि, आहुक, कुकुर आदि अनेक जातियाँ भी विद्यमान थीं। इन में प्रजातन्त्रराज्य स्थापित था। सारी जाति अपना शोसन स्वयं करती थीं। ऐसे राज्य को 'गण-राज्य' कहते थे। महाभारत युद्ध प्रारम्भ होने पर ये गण-राज्य एक नीति का निर्धारण न कर सके। कृष्ण को सहानुभूति पाँडवों के साथ थी। इन्हीं तरह से अन्य भी अनेक प्रमुख पुरुष पाँडवों का पक्ष लेना चाहते थे। पर इन गण-राज्यों ने कौरवों का पक्ष लेना निश्चित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के प्रक्ष पर ये गण-राज्य विभक्त होगये थे। कृष्ण ने, जो कि यादवों का नेता था, पाँडवों का पक्ष लिया था, यद्यपि यादवों की सेना कौरवों के साथ थी। इसी तरह सात्वतों का मुख्या 'युयुधान' सात्यकि एक अशौहिणी सेना लेकर पाँडवों की सहायता के लिये आया था।

(३) उत्तर-पश्चिम से—

१. पांच कैक्य राजकुमार उत्तर पश्चिम से पारद्वारों की सहायता के लिये आये थे। वैसे कैक्यों ने कौरवों का साथ दिया था, परन्तु राजघरानों के आन्तरिक झगड़ों के कारण पांच राजकुमार पारद्वारों के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे।

२. अभिसार—इस देश का राजा चित्रसेन था।

(४) दक्षिण से—

१. पारद्वय देश— यहाँ का राजा 'सारङ्घधर्ज' था। यह द्रविड़ देश से भी बहुत सी सेनायें लाया था।

२. चौल

(७६)

भारतवर्ष का इतिहास ।

३. केरल

४. काशी

महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लेकर सम्मिलित होने वाले राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं—

(१) पूर्व से—

१. पूर्वीय मगध

२. चिदेह

३. प्रागज्यातिषय यह आसाम—यज्ञों का राजा भगदत्त था । इसकी सेनाएँ में चीनी लोग भी शामिल थे ।

४. अङ्ग—इस का राजा कर्ण था ।

५. बङ्ग—सम्भवतः यह देश अङ्ग राज कर्ण के आधीन था ।

६. कलिंग—इस का राजा श्रुतायुध था ।

७. पुराङ्ग

८. उत्कल

९. मेकल

१०. अन्ध्रा

(२) मध्यदेश से—

१. शूरसेन—प्राचीन काल में मथुरा के सर्वाप यह शक्ति शाली राज्य था ।

२. वत्स

३. कोशल—इस देश के राजा का नाम वृहद्भूल था ।

(३) उत्तर-पश्चिम से—

१. सिन्धु और सौबीर—इन का राजा जयद्रथ था । यह बड़ी शक्ति शाली राजा थे ।

२. पञ्चनदि

३. गान्धार—इस देश का राजा शकुनि था ।

४. त्रिगर्त्त—यहाँ का राजा सुरामा था ।

५. मद्र—यहाँ का राजा शत्र्यु था ।

६. काम्बोज—यहाँ का राजा सुदक्षिण था ।

७. कैक्य देश

८. वाहीक

६. अम्बष्ट—यहां का राजा श्रुतायुप था ।

६०. शिवि

(४) उत्तर से—

कौरवों की सहायता करने के लिए उत्तर से बहुत सी पार्वत्य जातियां आई थीं । ये हिमालय की पर्वत मालाओं में निवास करती थीं । खश, किरात, चुलिन्द, हंसपाद आदि इन में सुख्य हैं ।

(५) मध्यभारत से—

१. यादव—इन का नेता कृतवर्मा था । ये वर्तमान बड़ौदा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में निवास करते थे ।

२. अवन्ति—इस प्रदेश के विन्द और अनुविन्द नाम के दो राजा थे । यह राज्य बहुत शक्ति शाली था । इस की दो अक्षोक्षिणी सेना कौरवों की सहायता के लिये आई थीं ।

३. माहिष्मती या माहिष्मक—इस का राजा यल था ।

४. विदर्भ

५. निषध

६. कुन्तल

(६) पश्चिम से—

१. शालव—इस का राजा उग्रकर्मा था ।

२. मालव—यह एक गण राज्य था । यह प्रदेश पञ्चोब में था, वर्तमान मालवा में नहीं ।

३. क्षद्रक

(७) दक्षिण से—

१. आनन्द या आनन्दक

२. कुकुर

३. अन्यक

इनके सिवाय कौरवों का पक्ष लेकर अश्वातक, चिञ्छिल, चूलिक, रेचक, चिकुञ्ज आदि अन्य भी बहुत सी जातियां थीं जो दो दो राज्य सम्मिलित हुवेथे ।

ऊपर दी गई सूची से यह सरलता के साथ जाना जा सकता है, कि महाभारत काल में भारत धर्ष किन विविध राज्यों में विभक्त था । निःसन्देह इन में से कई राज्य आकार तथा महत्ता की दृष्टि से बहुत छोटे थे, पर उनकी पृथक् सत्ता में कोई सन्देह नहीं है । इन विविध राज्यों में शासन पद्धति भी मिल थी । कुछ राज्य राजतन्त्र थे, तो कश्यों में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हुआ हुआ था ।

अन्धक-वृष्णि संघ—महाभारत काल के विविध राज्यों में अनेक विध शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं । इन में अन्धक वृष्णियों के राज्य (संघराज्य) में प्रजातन्त्र शासन विद्यमान था । महाभारत का निम्नलिखित संदर्भ अन्धक वृष्णि संघ पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है—

“भीष्म ने कहा—इस सम्बन्ध में यह प्राचीन इतिहास उद्भूत करने योग्य है । इस में वासुदेव और महर्षि नारद के परस्पर संवाद को उल्लिखित किया गया है । वासुदेव ने कहा—राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले महत्व पूर्ण विषयों को ऐसे आदमी से नहीं कहा जा सकता, जो मित्र न हो । ऐसे मित्र से भी नहीं कहा जा सकता, जो परिणित न हो और ऐसे परिणित मित्र से भी नहीं कहा जा सकता, जिसका अपने ऊपर पूरा अधिकार न हो । तुम मेरे मित्र हो और तुम में शेष गुण भी विद्यमान हैं, अतः मैं तुम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ । तुम्हारी सर्वतोमुखी बुद्धि को देख कर मैं तुम्हारे सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ ।

मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कहने को तो वह ऐश्वर्य है । पर वस्तुतः वह दासता के सिवाय कुछ नहीं है । यद्यपि आधी शासन-शक्ति मेरे हाथों में है, पर मुझे निरन्तर दूसरों के कटु वचन सुनने पड़ते हैं ।

हे देवर्ण ! जिस तरह अग्नि की इच्छा करने वाला निरन्तर अरणि को रगड़ता है, इसी तरह वाणी से कहे हुवे दुर्वचन निरन्तर मेरे हृदय को जलाते रहते हैं ।

यद्यपि सङ्करण में बल की प्रचुरता है, गद में सुकुमारता है, प्रद्युम्न में रूप की प्रधानता है, तथापि हे नारद ! मैं सर्वथा निःसहाय हूँ, मेरा अनुयायी कोई नहीं है ।

हे नारद ! अन्य अन्धक और वृष्णि लोग पूरे बलवान् और सुमहाभाग हैं । वे पराजित नहीं किये जा सकते । उन में राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है । ये अन्धकवृष्णि जिसके पक्ष में हो जावे, उसके पास सब कुछ है ।

ये जिसके विरुद्ध हो जायें, उसके पास कुछ नहीं है, वह जरा दैर भी विद्यमान नहीं रह सकता । १

आहुक और अक्रूर के संवन्ध में यह बात है, कि वे जिसके पक्ष में हों, उस के लिये इस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहीं हो सकती । वे जिसके विरुद्ध हों, उसके लिये उस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहीं हो सकती । मेरे लिये कठिन है कि मैं किसके साथ रहूँ ?

मेरी अवस्था जुआरियों की उस माता की तरह है, जो न एक की विजय चाहती है और न दूसरे की पराजय ।

हे महामुनि नारद ! मेरी तथा मेरे ज्ञातियों की वित्ति को ध्यान में रख कर कृपया मुझे यह बतलाओ कि दोनों के लिये कौन सी बात हितकर हो सकती है । मैं इस समय बहुत क्लेश में हूँ ।

नारद ने उत्तर दिया—

हे कृष्ण ! नण राज्य (प्रजातन्त्र) में दो प्रकार की आपत्तियां होती हैं, एक बाह्य और दूसरी आभ्यन्तर । पहली वे जो दूसरों द्वारा उत्पन्न की जाती

भीष्म उवाच

१. अब्राष्ट्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्
संवादं वासुदेवस्य महर्षेनारदस्य च ॥ १ ॥

वासुदेव उवाच

नासुहृत्परमं मन्त्रं नारदार्हति वेदितुम्
अपस्त्रितो वापि सुहृत्परिहतो वाप्यनात्मवाद् ॥ २ ॥
स ते सौहृदमास्याय किञ्चिद्वद्यामि नारद
कृत्स्नां दुर्द्विं च ते प्रेक्षं संपृष्ठेऽलिदिवङ्गम ॥ ३ ॥
दात्यमैश्वर्यसादेन ज्ञातीनां वै करोम्यहम्
श्रीर्घ्नमोक्ताऽस्मि भोगानां वाग्मुक्तानि च समे ॥ ५ ॥
श्रीरणीमध्यिकामो वा मध्नाति हृदयं मम
याचा दुरुक्तं देवर्ये तन्मां दहति नित्यदा ॥ ६ ॥
वलं सङ्कृप्यर्थे नित्यं सौकोमायं पुनर्गदे
रुपेण मतः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥ ७ ॥
श्रान्त्ये हि सुमहामागाः वलवन्तो दुरासदः
नित्योत्यानेन संपन्नाः नारदान्यकवृप्ययः ॥ ८ ॥
यस्य न स्युन्यै स चायस्य स्युः कृत्स्नमेव तत्
द्वयोरेन प्रचरतोर्ष्योम्येकतरं न च ॥ ९ ॥

हैं और दूसरी वे जो स्वयं उत्पन्न की जाती हैं । तुम्हारी वर्तमान अवस्था में यह आभ्यन्तर आपत्ति है; जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रही है । इसे अपने ही लोगों ने उत्पन्न किया है । अकूर और भोज के अनुयायियों ने, उन सब परिवारों के साथ, जो कि आर्थिक प्राप्ति की आशा से बा काम तथा वीरता की संघर्षों से उन के साथ हो गये हैं, स्वयं प्राप्त राजनीतिक शक्ति (पश्चर्य) को अन्य स्थान पर निहित कर दिया है । जिस प्रकार से कि उलटी किये हुवे भोजन को फिर नहीं खाया जा सकता, इसी तरह उस राज्य शक्ति को, जो कि अब अच्छी तरह जड़ जमा चुकी है और 'ज्ञाति' का शब्द जिसका मुख्यतया सहायक बना हुवा है, अब वापिस नहीं लिया जा सकता । अब बहु उग्रसेन से राज्य किसी भी तरह लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस से ज्ञातियों में फूट पड़ जाने का भय है । हे कृष्ण ! विशेषतया तुम अब उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते ।

और यदि अब यह मुश्कल कार्य किसी तरह सिद्ध भी हो जाय (अर्थात् वसु उग्रसेन से प्रधान पद छीन कर उसे राज्य शक्ति से विरहित कर दिया जाय) तब भी हानि, महान् व्यय आदि के खतरे हैं, और हो सकता है कि इस से सब का चिनाश ही हो जाय ।^३

२. स्यातां यस्याहुकाकूरौ किंनु दुःखतरं ततः

यस्य चापि न तौ स्यातां किं तु दुःखतरं ततः ॥ १० ॥

सोऽहं कितवमातेब द्वयोरेवमहामुने

नैकस्य जयमाशंसे द्वितीयस्य पराजयम् ॥ ११ ॥

ममैवं कृश्यमानस्य नारदोभयदर्शनात्

वकुपर्हसि यच्छ्रेयो क्षातीनामात्मनस्तथा ॥ १२ ॥

नारदं उघाच ।

आपदो द्विविधाः कृष्ण बाद्याश्चाभ्यन्तराद्यंह

प्रादुर्भवन्ति वाष्पेय स्वकृता यदि वान्यतः ॥ १३ ॥

सेयमाभ्यन्तरा तुम्यमापत् कृच्छ्रा स्वकर्मजा

आकूरभोजप्रभवा सर्वे ह्येते तदन्दयाः ॥ १४ ॥

अर्धहेतोर्हिकामाद्वा धीरवीभत्सयापि वा

आत्मना प्राप्तमैश्वर्यमन्त्र प्रतिपादितम् ॥ १५ ॥

कृतमूलमिदानीं तत् ज्ञातिशब्दं सहायष्ट्

न शक्यं पुनरादातुं वान्तमन्नमिव स्वयम् ॥ १६ ॥

बभूयसेनतो राज्यं नाप्तुं शक्यं कर्यचन

ज्ञातिभेद भयात्कृष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७ ॥

तत्र सिद्धयेत् प्रथन्तेन कृत्वा कर्म सुदुष्करम्

महाक्षयं व्ययो वा स्याद्विनाशो वा पुनर्भवेत् ॥ १८ ॥

इस लिये है कृष्ण ! एक ऐसे शख्स का प्रयोग करो, जो लोहे का बना हुआ नहीं है। जो वहुत ही नरम व मृदु है; फिर भी जो हृदय को छेदने में समर्थ है। उस शख्स का बार-बार परिशोधन करके अपने ज्ञातियों की जिहाओं को ठीक करो ।

धासुदेव ने कहा—हे मुने ! वह शख्स कौन सा है, जो लोहे का बना हुवा नहीं है। जो वहुत ही नरम व मृदु है, फिर भी जो हृदय को छेदने में समर्थ है और जिसका बार-बार परिशोधन करके मैंने अपने ज्ञातियों की जिहाओं को ठीक करना है ?

नारद ने उत्तर दिया—

जो शख्स लोहे से बना हुआ नहीं है, वह यह है—दूसरों के गुणों को स्वीकृत कर उनका यथायोग्य सत्कार करना, सहजशक्ति, क्षमा, मार्दव और अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर दान करते रहना। जो ज्ञाति लोग बोलने की इच्छा रखते हैं, उन के कड़वे तथा भावशून्य वाक्यों का तुम ख्याल न करो। उनका उत्तर देते हुवे तुम उनके हृदय, चाणी और मन को शान्त करने का प्रयत्न करो ।

जो महापुरुष नहीं हैं, जिनका आप्त्वेऽउपर संयम नहीं है, जिसके वहुत से सहायक व अनुशायी नहीं हैं—ऐसा आदमी राज्य के महान् राजनीतिक भार-का-सफलता पूर्वक वहन नहीं कर सकता है। साफ और समतल रास्ते पर तो हर एक ही वैल भार को उठा ले जा सकता है, पर विकट मार्ग पर केवल अनुभवी उत्तम वैल ही भार को ले जा सकता है ।

प्रजातन्त्र (सङ्घ) राज्यों का विनाश पारस्परिक फूट व भेद से होता है। हे केशव ! तुम सङ्घ के 'मुख्य' हो। यह सङ्घ तुम्हारी प्रत्रानता में नष्ट न हो जावे। ऐसा प्रयत्न करो, कि यह सङ्घ नष्ट न हो ।

बुद्धिशलता, सहिष्णुता, इन्द्रियनियन्त्रण और धनसंत्याग—ये गुण हैं, जो कि उस प्राण 'मुख्य' में होने चाहिये, जो सफलता से सङ्घ का सञ्चालन करना, चाहता हो। हे कृष्ण ! अपने पक्ष की उत्तरति करना, अपने दल का उद्धावन करना हमेशा धन, यश और आशु का लाते वाला होता है। इस प्रकार से कार्य करो; जिससे कि ज्ञातियों का विनाश न हो ।

१. ग्रनायसेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छदा ।

जिहामुहर सर्वेषां परिमृम्भानुमृज्य च ॥ १६ ॥

हे प्रभो ! तुम भविष्य नीति, वर्तमान नीति, युद्ध नीति तथा पाद्यगुण्य के प्रयोग में पूरी तरह निपुण हो। राजनीति की ऐसी कोई वात नहीं है, जो तुम्हें ज्ञात न हो। अन्यक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज, इन के लोग तथा शासक सब तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं।

महाभारत का यह संघर्ष अन्धक वृष्णि संघ के शासन प्रकार पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डालता है। इससे स्पष्ट लालूम पड़ता है कि अन्यक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज गण-राज्य थे। इनका परस्पर मिल कर एक सङ्घराज्य (Federation) बना हुआ था, जिसमें कि सुख्यतया दो दल थे। दोनों दलों में यहा मतभेद था और ये एक दूसरे को पराजित करने के लिये निरंतर संघर्ष करते रहते थे। संघराज्य की सभा में बहुत गरम बहस हुवा करती थी। इस में शासकों पर कटु आक्षेप किये जाते थे। उनका उत्तर भी दिया जाता था। सम्पूर्ण संघ के दो 'सुख्य' या प्रधान होते थे। महाभारतकाल में इन पदों पर चम्पु उग्रसेन और कृष्ण निर्बाचित थे। सङ्घ की सभा में आहुक और अकूर दो सुख्य नेता थे, जिनके कि सब लोग अनुयायी थे।

वासुदेव उवाच ।

श्रनायसं सुने शस्त्रं मृदु विद्यास्यहं कथम् ।

येनैषामुद्दरे जिह्वां परिमृज्यानुमृज्य च ॥ २० ॥

तारद उवाच ।

शक्याक्षदानं सततं तितिश्च ऽर्जवमार्दवम् ।

यथार्हप्रतिपूजा च शस्त्रमेतदनायस्म् ॥ २१ ॥

ज्ञातीनां वक्तुकामानां कटुकानि लधूनि च ।

गिरा त्वं हृदयं वाचं शमयस्य मनांसि च ॥ २२ ॥

नामहापुरुषः कश्चिज्ञानात्मा नासहायवाश् ।

महतीं धुरमादाय समुद्यम्योरसा वहेत् ॥ २३ ॥

सर्वं एव गुरुं भारमन्द्वान्वहते समे ।

दुर्गं प्रतीतः सुगचो भारं वहति दुर्वहम् ॥ २४ ॥

भैदाद्विनाशः सङ्घानां सङ्घमुख्योऽसि कोशव ।

यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं सङ्घस्तथा कुरु ॥ २५ ॥

मान्यत्र बुद्धिज्ञान्तिभ्यां नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ।

नान्यत्र धनसन्त्यागात् गुणः प्राचेऽवतिष्ठते ॥ २६ ॥

धन्यं यशस्यमायुच्छं खपक्षोद्भावनं सदा ।

ज्ञातीनामविमाशः स्याद्यथा कृष्णं तथा कुरु ॥ २७ ॥

महाभारत का यह वर्णन बिलकूल स्पष्ट और विशद है। इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी को आवश्यकता नहीं है।

अन्य गण-राज्य— अन्यक वृप्ति सङ्के के सिवाय महाभारतकाल में अन्य भी अनेक गण-राज्य विद्यमान थे। महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे २ राज्यों में 'मालव' 'क्षुद्रक' 'आन्ध्रक' आदि का भी उल्लेख है।। हमें अन्य ऐतिहासिक साधनों द्वारा ज्ञात है कि ये राज्य प्रजा तन्त्र थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र, सैगस्यनीज के यात्रा विवरण आदि में इन्हें गण-राज्य ही लिखा गया है। बहुत संभव है, कि महाभारत काल में भी इनसे प्रजातन्त्र राज्य ही स्थापित हो। महाभारत में कई स्थानों पर 'क्षुद्रक-मालव' इस तरह का इकट्ठा प्रयोग हुआ है। इससे सूचित होता है, कि इन का परस्पर मिलकर 'सङ्के-राज्य' (Federation) बना हुआ था।

इन के सिवाय महाभारत काल में किरात, दरद, औदुम्बर, पारक, घाहोक, शिवि, त्रिगर्त, यौधेय, अस्वष्ट, पौण्ड, वङ्ग आदि भी विविध राज्य प्रजातन्त्र थे। इन पर राजा का शासन नहीं था। अपितु श्रेणि का शासन था। इसी लिये महाभारत में इन्हें 'श्रेणिमन्तः' कहा गया है। इनकी विविध शासन पद्धतियों पर महाभारत से विशेष प्रकाश नहीं पड़ता।

अवन्ती का द्वैराज्य— गण-राज्य पद्धति के सिवाय महाभारत काल में अन्य भी अनेक शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं; इन में अवन्ती देश का राज्य विशेषतः उल्लेखनीय है। अवन्ती के हमेशा दो राजा होते थे। महाभारत युद्ध के समय इन दो राजाओं के नाम 'विन्द' और 'अनुविन्द' थे।

इस तरह महाभारत कालीन भारतवर्ष अनेक विश्व शासनपद्धतियों द्वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। मुख्यतया बहुत से देशों में इस कोल में राजा लोग शासन कर रहे थे।

२. कैराता दरदा दर्वाः शूरा वैयामकास्तथा ।

श्रौदुम्बरा दुर्विभागः पारदा वाह्निकैः सह ॥ १३ ॥

कश्मीरास्य कुमारास्य घोरका हंसकायनाः ।

शिवितिगर्तयोधेया राजन्या मद्रकैक्याः ॥ १४ ॥

श्रम्बष्टाः कौकुरास्ताद्वर्द्धा वस्त्रपाः पह्लवैः ।

यग्रातयद्य मौलियाः सह चुद्रकमाणवैः ॥ १५ ॥

पौष्टिकाः कुकुराश्चैव शक्वाश्चैव विशाम्पते ।

शङ्का वङ्गास्य उपद्रास्य शाठावत्या गयास्तया ॥ १६ ॥

मुञ्जातयः श्रेणिमातः श्रेयांसः शस्त्रधारिणः ॥ १७ ॥

* द्वितीय अध्याय *

~~~~~

### साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति:

प्राचीन भारतीय इतिहास में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति स्पष्टरूप से दिखाई देती है। यद्यपि भारतवर्ष अनेक राज्यों में विभक्त था, पर यह प्रवृत्ति शी कि सम्पूर्ण भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया जाते। इस के लिये अनेक शक्ति-शाली राजवंश विशेष रूप से प्रयत्न-शील थे। पहले पहल सूर्यवंशी राजाओं ने इस दिशा में कोशिश की। महाभारत काल में मग्ध के राजवंश ने साम्राज्य त्रिमण के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था। उस समय मग्ध का राजा जरासन्ध था। महाभारत में इसे सम्राट् लिखा है। सम्राट् जरासन्ध ने बहुत से राजाओं को पराजित कर अपने आधीन किया हुवा था। जरासन्ध की राजधानी गिरिब्रज थी। प्राच्यदेश, मध्यभारत और मध्य-देश के बहुत से राज्य गिरिब्रज की अधीनता स्वीकृत करते थे।

चेदों का राजा शिशुपाल जरासन्ध का मुख्य सहायक था। उसी तरह करुष का राजा वक्र, <sup>१</sup> अङ्ग का राजा कर्ण तथा वङ्ग और पौराङ्ग राज्य जरासन्ध के मुख्य सहायकों में थे। <sup>२</sup> प्राग्जयोतिष (आसाम) के राजा भगदत्त <sup>३</sup> तथा दक्षिणात्य के राजा भीष्मक को जरासन्ध ने अपने अधीन

१. तं स राजा जरासन्धं संप्रित्य किल सर्वशः ।

राजश्च सेनापतिर्जातः शिशुपालः प्रतापशाह् ॥ १० ॥

२. तमेव च महाराज शिष्यवत् समुपस्थितः ।

वक्रः करुषाधिपतिर्मायायोधी महावलः ॥ ११ ॥

३. वङ्गपुण्ड्रकिरातेषु राजा बलसमत्वितः ।

पौराङ्गको वसुदेवेति योऽसौ लोकेभिविश्रुतः ॥ २० ॥

४. भगदत्तो महाराज वृद्धस्त्वं पितुः सखा ।

स वाचा प्रणतस्तस्य कर्मणा च विशेषतः ॥ १५ ॥

किया हुआ था ।<sup>१</sup> भीष्म के नेतृत्व में कुह लोग भी जरासन्धि के साथी थे । मगध के इस प्रतापशाली सम्राट् ने अपने कोप को विशेषतया प्रजातन्त्रराज्यों पर प्रकट किया था । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि साम्राज्य विस्तार के इच्छुक सम्राटों के मार्ग में सब से बड़ी वादा प्रजातन्त्रराज्य ( गण घ सङ्कु राज्य ) उपस्थित करते हैं । उनमें स्वतन्त्रता और समानता का भाव उन्हें बहुत ही चिकिट संघर्ष के लिये तैयार कर देता है । और वे पराधीन जीवन के स्थान पर मृत्यु को अधिक पसन्द करते हैं । पहले अन्धकवृष्णियों का प्रसिद्ध सङ्कु-राज्य मंथुरो के समीप था । साम्राज्यवादी जरासन्धि ने इस प्रतापशाली सङ्कु को नष्ट करने का प्रयत्न किया । अठारह बार मगध की सेनाओं ने इस पर आक्रमण किये ।<sup>२</sup> परन्तु यह नष्ट नहीं किया जा सका । पर अन्त में प्राच्यदेशों के साम्राज्यवादी राष्ट्रों की सम्मिलित सेनां ने अन्धकवृष्णियों को पराजित कर दिया और वे अपनी पुराना स्थान छोड़ कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका के समीप जा चुके । जरासन्धि के आक्रमण यहाँ पर भी हुवे, पर द्वारिका में अन्धकवृष्णि सङ्कु अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने में सफल हुआ ।

अन्धकवृष्णि सङ्कु के सिवाय जरासन्धि ने अन्य भी अनेक प्रजातन्त्र राज्यों पर आक्रमण किया था । इन में से कुछ का निर्देश करना पर्याप्त होगा । उस समय उत्तर दिशा में १८ गण या कुल राज्य थे । महाभारत में इन के नाम इस प्रकार दिये हैं— शूरसेन, भेद्रकार, वोध, शाल्व पटचर, सुस्थल, मुकुन्द, कुलिन्द, कुन्ति, शाल्वायन, आदि । इन पर आक्रमण कर जरासन्धि ने इन्हें पराजित कर दिया था और वे अपने पुराने स्थान छोड़कर पश्चिम दिशा में चले जाने को बाधित हुवे थे ।<sup>३</sup>

१. भ्राता यस्याकृतिः शूरो जमदग्न्यसमोभवत् ।  
स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीहा ॥ २२ ॥

( महाभारते सभापद्म श्लो १४. )

२. इनका विवरण महाभारत में उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि मुख्यतः उसका वर्णनीय विषय कुरु राज्य है । यह विवरण हस्तिंश पुराण तथा विष्णु पुराण में विस्तृतरूप से पाया जाता है ।
३. उदीच्यात्मा तथा भीजाः कुलान्यष्टादश प्रभी ।  
जरासन्धमयादेव प्रतीर्णी दिशमास्तिः ॥ २५ ॥  
शूरसेना भेद्रकारा वोधाः शाल्वाः पटचरा ।  
सुस्थलात्मा मुकुटाद्या कुलिन्दोः कुन्तिभिः सह ॥ २६ ॥

इसी प्रकार उत्तर का कोशल-राज्य जरासन्ध की महत्वाकाँक्षाओं का विशेषतया लियाना था । यह राज्य भी जरासन्ध से ही घबराकर दक्षिण में चला गया था । और इस तरह दक्षिण कोशल की स्थापना हुई थी ।<sup>१</sup> जरासन्ध ने पाञ्चाल-राज्य का भी विनाश किया था ।<sup>२</sup> अन्य भी बहुत से राज्यों को मगध सम्बाटे वे अपने आधीन किया था । उन सब का यहाँ उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जरासन्ध ने किंतने राजाओं को अपने आधीन किया था, इस बात की कल्पना इस से हो सकती है कि महाभारत में लिखा है कि जरासन्ध शङ्कर को सत्तुष्ट करने के लिये यहाँ में राजाओं की बलि देता था और इस निमित्त से उसने बहुत से राजाओं की कैद किया हुआ था ।<sup>३</sup>

इस तरह साम्राज्य के प्रथम में महाभोरत काल में मगध के सम्बाटों की सफलता हुई थी, परन्तु मगध के सिवाय अन्य राज्य भी इस के लिये प्रयत्न कर रहे थे । महाभारत क्षेत्र में इन्द्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से साम्राज्य विस्तार की इच्छा की । प्राचीन समय में राजसूय यज्ञ करना प्रत्येक राजा अपना उच्चतम धर्म समझता था । राजसूय करके सम्बाटे पद प्राप्त करने की महत्वाकाँक्षा शक्ति शाली राजाओं में सदा विद्यमान रहती थी । राजा युधिष्ठिर में भी यह आकाँक्षा प्रादुर्भूत हुई । पर मगध सम्बाटे जरासन्ध के होते हुवे इस में सफलता होनी कठिन थी । अतः कृष्ण की सम्मति से पारडवों ने पहले जरासन्ध का विनाश करना ही आवश्यक

१. शाल्वायनाश्च राजानः सोदर्थानुचरैः यह ।

दक्षिणा ये च पाञ्चालाः पूर्वाः कुन्तिषु कोशलम् ॥ २७ ॥

तथेतरां दिशं चापि परित्यज्य भयादिताः ।

मत्स्याः सन्वस्तथादाश्च दक्षिणां दिशमाग्रिताः ॥ २८ ॥

२. तथैव सर्वपाञ्चालाः जरासन्धभयादिताः ।

स्वराज्यं सम्परित्यज्य विद्वताः सर्वतो दिशम् ॥ २९ ॥

( महाभारत सभापर्व अ० १४. )

३. त्वया चौपहता राजश्च चक्रिया लोकवासिनः ।

तदागः क्रूरमुत्पान मन्यसे किमगनायसम् ॥ ८ ॥

राजा राज्ञः कथं साधून् हिंस्याज्जनूपति सत्तम् ।

तद्राज्ञः सज्जिगृत्य त्वं रुद्रायोपजिहीर्षसि ॥ ९ ॥

( महाभारत सभापर्व अ० २२. )

संमझा । यह संमझाने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण को जरासन्ध का विनाश करने की क्यों इच्छा थी । कृष्ण अन्धकबृजिण सङ्कु पर कुछ 'मुख्य' या प्रधान था । जरासन्ध ने स्वर्य इस सङ्कु पर कई बार आक्रमण किये थे । एक बार कालयंवन नाम के अन्य शक्तिशाली राजा को भी अन्धकबृजिण सङ्कु पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया था । जरासन्ध के साम्राज्यवाद के ही कारण अन्धकबृजिण संघ मथुरा छोड़ कर द्वारिका में बस जाने के लिये घायित हुआ था । फिर, जरासन्ध अधार्मिक राजा था । साम्राज्यवाद के प्राचीन भारतीय आदर्श का परित्याग कर राजाओं के विनाश के लिये प्रवृत्त हुआ था । भारत के प्राचीन साम्राज्यवादी सम्राट् राजाओं का विनाश नहीं करते थे । वे केवल उन से आधीनता मात्र स्वीकृत करा लेते थे । परं जरासन्ध राजाओं और राज्यों का मूल से उन्मूलन करता था । इस अवस्था में कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था कि वह मगध के साम्राज्यवाद को नष्ट कर प्राचीन आदर्शानुसार इन्द्रप्रस्थ के साम्राज्यवाद को संहायता दे ।

राजा युधिष्ठिर मगध के साम्राज्यवाद को नष्ट करने में सफल हुआ । जरासन्ध मारा गया और उसके कैदखाने से बहुत से राजा मुक्त कर दिये गये । मगध के राजसिंहासन पर जरासन्ध के लड़के सहदेव को विठाया गया, जिसने कि पाँडव राजा को अपना स्वामी मानना स्वीकृत कर लिया ।<sup>१</sup> जरासन्ध की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य ढुकड़े-ढुकड़े हो गया । प्राग्ज्योतिप में भगदत्त स्वतन्त्र हो गया । अङ्ग, चङ्ग, पुराङ्ग तथा पूर्वीय भारत के अन्य राज्य मगध के प्रभाव से मुक्त हो गये । इन पर अङ्गराज कर्ण ने एक प्राचीन प्रभुन्वच की स्थापना की । दाक्षिणात्य देश का राजा भीष्मक स्वतन्त्र हो गया और उसने पाँडवों से मित्रता करली । चेद्री तथा कारुप का नवीन संघ बना, जिसका राजा शिशुपाल को स्वीकृत किया गया । ये राज्य पाँडवों के साम्राज्यवाद में बाधा डालने चाले थे । राजा शिशुपाल युधिष्ठिर की उन्नति नहीं सह सकता था । वह जरासन्ध का सेनापति था और अब पाँडवों की उन्नति में हर प्रकार से विघ्न डालने का यज्ञ करता था । परिणाम यह हुआ

१. ग्राभ्यपञ्चत तत्रै जरासन्धात्मजं मुदा ।

गत्वैकत्वं च कृष्णेन पार्थ्यमां चैव संस्कृतः ॥ ४२ ॥

किंक कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया ।<sup>१</sup> खेदिराजे शिशुपाल को मार कर उसके पुत्र धृष्टकेतु को राजगद्वी पर बिटाया गया । यह धृष्टकेतु पाण्डवों और कृष्ण का मित्रथा, तथा महाभारतयुद्ध में पाँडवों का पक्ष लेकर सम्मिलित हुआ था ।

इस तरह साम्राज्यवाद का मार्ग पाँडवों के लिये निष्करणटक ही नगर वे सरलता के साथ दिविजय कर सके । पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर -चारों दिशाओं में पाँडवों ने आक्रमण किये और राजाओं से आधीनता स्वीकृत कराई । इस दिविजय का वृत्तान्त लिखने की आवश्यकता नहीं है । इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि यह साम्राज्य प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुकूल था । तथा उस समय का सब से बड़ा महापुरुष कृष्ण इस में सहायक था । मगध की नाशकारी साम्राज्यवाद का नाश कर पाँडव लोग अपना साम्राज्य बना सके और युधिष्ठिर को भारत का सम्राट् बनाया गया ।

हस्तिनापुर के कौरव लोग पाण्डवों के इस साम्राज्यवाद को स्पर्धी की दृष्टि से देखते थे । वे इस नवीन साम्राज्य को सहन न कर सके । उन्होंने नीति द्वारा पाण्डवों को राज्यच्युत कर स्थिर इन्द्रप्रस्थ पर अधिकार प्राप्त कर लिया । पाण्डवों और कौरवों के बीच आगे जाकर जो भयानक संग्राम हुआ—उसी को महाभारत युद्ध कहा जाता है । इस युद्ध में नाम को तो कौरव और पाण्डव लड़ रहे थे, पर वस्तुतः भारतीय साम्राज्यवाद की परस्पर विरुद्ध विविध शक्तियाँ औपस में युद्ध कर रही थीं । इस युद्ध के अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुवे, जिन में सब से अधिक महत्त्व की बात यह है कि अनेक प्राचीन राज्य नष्ट हो गये और राज्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया । महाभारत कालीन अनेक राज्य पिछले काल में हमें दृष्टिगोचर नहीं होते । ये प्रायः सभी इस युद्ध में नष्ट हो गए । केवल शक्ति शाली राज्य महाभारत के बाद कायम रह सके । अपनी यह स्वापना की स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । महाभारत काल में पञ्चाब में अनेक राज्य थे । प्रायः ये सभी राज्य कौरवों के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे । महाभारत युद्ध में इन के रोजा तथा इनकी सेनायें मार दी गई । इस का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि ये राज्य बहुत निर्बल हो गये । पञ्चाब के किसी

१. महाभारत सभापर्व अध्याय ४५.

२. इस दिविजय का वर्णन महाभारत के सभापर्व में ३५ थे अध्याय से लेकर ३२ थे अध्याय तक किया गया है ।

भी अवशिष्ट शक्तिशाली राजा के लिए यह बहुत सरल होगया कि वह सुगमता से इन्हें दृष्टि करके अपने राज्य को फैलाए सके । पञ्चाब में यही हुआ । तक्षशिला के राजा नाता तक्षक ने पञ्चाब के प्रायः सभी राज्यों को जीत लिया और अपने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जिसने कि कुरुदेश तक पर आक्रमण किये । यही प्रक्रिया हमें अन्य स्थानों पर भी दिखाई देती है ।

महाभारत युद्धके बाद मध्यदेश में ३ मुख्य राज्य रह गये थे । हस्तिनापुर में चन्द्रवंश का राज्य, मगध का राज्य तथा कोशल में सूर्यवंश का राज्य । इन के सिवाय अन्य भी अनेक राज्य मध्यदेश में अवशिष्ट रहे थे, पर प्रायः वे इन्हीं राज्यों के अधीन थे । इन तीनों राजवंशों के सम्बन्ध में हमें धोड़ी बहुत बातें मालूम हैं । पुराणों में इन की चंशावलियां उपलब्ध होती हैं, जो कि अनुशीलन योग्य हैं ।

साथ ही पाञ्चाल, काशी, हैह्य आदि के राजवंशों के सम्बन्ध में भी पुराणों द्वारा कुछ प्रकाश पड़ता है । राजतरङ्गिणी काश्मीर के राजवंश के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख योग्य बातें बतलाती है । हम इनका यथा स्थान वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे ।

बौद्धकालीन भारत में राज्यों का विभाग किस प्रकार था, इस सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थों से बहुत सी बातें द्वात द्वात होती हैं । उस समय के राज्यों तथा राजाओं के विषय में हमें बहुत कुछ मालूम है । इधर महाभारतकाल के सम्बन्ध में भी महाभारत से बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है । कठिनता योज के समय की है । यह काल विलक्षुल अन्धकार में है । फिर भी प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से जो कुछ ज्ञात किया जासकता है, उसे हम क्रमिक रूप से उद्धृत करने का प्रयत्न करेंगे ।

३६६  
३६५  
३६४  
३६३

## \* तीसरा अध्याय \*

—→॥३॥←—

### मग्नध के राजेवंश

#### वार्षद्रथवंश

[ ३१३६ ई० पू० से ३१३७ ई० पू० तक ]

(१) सहदेव— महाभारत युद्ध से कम से कम १४ वर्ष पूर्व सन्मान्द जरासन्ध की हत्या की गई थी। जरासन्ध को मार कर कृष्ण तथा पाण्डवों ने सहदेव को मग्नध के सिहासन पर आरूढ़ किया था। परन्तु सहदेव का सम्पूर्ण मग्नध राज्य पर अधिकार नहीं था। जरासन्ध के पतन के बाद न केवल मग्नध का साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया था, अपितु मग्नधराज्य में भी ३ भाग हो गए थे। महाभारत काल में सहदेव के सिवाय दण्ड और दण्डधर नाम के दो अन्य राजा पूर्वीय मग्नध में शासन कर रहे थे। इन का राज्य मग्नध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज में था। इनके सिवाय सहदेव का एक और भाई था, जिसका नाम जयसेन था जयत्सेन था। सम्भवतः वह भी मग्नध के किसी भाग का स्वामी था। महाभारत युद्ध में सहदेव ने पाण्डवों का पक्ष लिया था, अन्य तीन राजा कौरवों के पक्ष में लड़े थे।

महाभारत युद्ध में सहदेव मरा गया था। जरासन्ध व सहदेव के वंश को वार्षद्रथ वंश कहा जाता है। सहदेव की मृत्यु का समय ३१३६ ई० पू० (महाभारत युद्ध कलि युग के प्रारम्भ से ३७ वर्ष पहले हुवो था) है।

(२) मार्जारि— यह सहदेव का लड़का था। ३१३६ ई० पू० में अपने पिता की मृत्यु होने पर मार्जारि राजगद्वी पर बैठा। भिन्न भिन्न पुराणों में इस के विविध नाम पाये जाते हैं। इसे भागवत पुराण में मार्जालीय, विष्णु-पुराण में सोमाधि, ब्रह्माण्ड पुराण में सोमापि, और मत्स्य पुराण में सोमवित् लिखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद मग्नध का राज्य फिर से एक हो गया था। अन्य सीनों राजा कौरवों के पक्ष में लड़े थे, अपनी सेनाओं सहित वे कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे गये थे। सम्भवतः उन के साथ ही उन के राज्य समाप्त हो गये और विजयी पाण्डवों के पक्षपाती मार्जारि ने सम्पूर्ण मग्नध पर अपना अधिकार जमा

लिया । मार्जारि की राजधानी गिरिव्रज थी । यह नगरी महाभारत काल में दण्डधर के आधोन थी । पर महाभारत युद्ध के बाद मार्जारि ने इसे हस्तगत कर के अपनी राजधानी बना लिया था । मार्जारि ने कुल ५८ वर्ष तक राज्य किया ।

( ३ ) श्रुतश्रवा — कहीं कहीं इसे श्रुतवान् भी लिखा गया है । इस ने ५८ वर्ष तक राज्य किया । इस का शासन काल ३०११ ई० पू० से ३०२७ ई० पू० तक है । वायु और ब्रह्मारण पुराणों के अनुसार इस का शासन काल ६७ वर्ष है ।

( ४ ) अयुतायु — यह श्रुतश्रवा का लड़का था । कहीं कहीं इस का नाम अप्रतीपि, अप्रतापो, अयुतायु, अयुथायु, अमुधूत आदि भी लिखा गया है । इस ने ३०१७ ई० पू० से २६८१ ई० पू० तक कुल ३६ साल राज्य किया । कहीं कहीं इस का शासन काल २६ वर्ष भी लिखा है ।

( ५ ) निरामित्र — यह अयुतायु का पुत्र था । इस ने २६८१ ई० पू० से २६४१ ई० पू० तक ४० वर्ष राज्य किया । वायु पुराण में इस का शासन काल १०० वर्ष लिखा है ।

( ६ ) सुक्तव्र — इस ने २६४१ ई० पू० से २८८३ ई० पू० तक ५८ वर्ष राज्य किया । इसके सुकृत, सुरक्ष, सुक्षता, सुक्षत आदि अनेक नाम पाये जाते हैं ।

( ७ ) बृहत्कर्मी — इसने २८८३ ई० पू० से २८६० ई० पू० तक २३ वर्ष राज्य किया ।

( ८ ) सेनाजित् — इसका शासनकाल ५० वर्ष ( २८६० ई० पू० से २८१० ई० पू० ) है ।

( ९ ) श्रुतञ्जय — इस ने २८१० ई० पू० से २७७० ई० पू० तक ४० वर्ष राज्य किया ।

( १० ) महावल — ( २७७० ई० पू० से २७३५ ई० पू० तक ) यह श्रुतञ्जय का लड़का था । इसने ३५ वर्ष राज्य किया । इसके विभु, विप्र, रिपुञ्जय आदि भी नाम हैं । प्रतीत होता है कि यह राजा बड़ा पराक्रमी, बुद्धिमान् तथा यशस्वी था । पुराणों ने इसे 'महावलो महावाहुः महाबुद्धि-पराक्रमः' इन विशेषणों से सुशोभित किया है ।

( ११ ) शुचि— ( २७३५ ई० पू० से २६७७ ई० पू० तक ) इसने ५८ वर्ष राज्य किया। कहीं कहीं इसका शासनकाल ६४४७ वर्ष भी लिखा है।

( १२ ) लेम— ( २६७७ ई० पू० से २६४६ ई० पू० तक ) इसने २८ वर्ष राज्य किया, क्षम, क्षेम्य, क्षैम्य आदि भी इसके नाम पुराणों में उल्लिखित हैं।

( १३ ) सुब्रत— ( २६४६ ई० पू० से २५८८ ई० पू० तक ) इसने ६४ साल राज्य किया। वायु पुराण ने इसका शासन काल ६० वर्ष लिखा है।

( १४ ) सुनेत्र— ( २५८८ ई० पू० २५५० ई० पू० तक ) इसने ३५ साल राज्य किया।

( १५ ) निर्वृति— ( २५५० ई० पू० से २४४२ ई० पू० तक ) इसने ५८ साल राज्य किया।

( १६ ) विनेत्र— ( २४४२ ई० पू० से २४५४ ई० पू० तक ) इसने ३८ साल राज्य किया। पुराणों में इस के सुव्रत, सुश्रम, सुश्रुम, शुश्रम, श्रम, सम, सुसव, सुम्रम, आदि भी नाम प्राप्त होते हैं।

( १७ ) द्रढसेन— ( २४५४ ई० पू० से २३९६ ई० पू० तक ) इसने ५८ साल राज्य किया।

( १८ ) सुचल— ( २३९६ ई० पू० वर्ष से २३६३ ई० पू० तक ) इसने ३४ वर्ष शासन किया।

( १९ ) सुमति— ( २३६३ ई० पू० से २३४२ ई० पू० तक ) इसने २२ वर्ष राज्य किया।

ब्रह्माएड पुराण में सुचल तथा विष्णु पुराण में सुमति को छोड़ दिया वर्ष गया है।

( २० ) सुनेत्र— ( २३४२ ई० पू० से २३०१ ई० पू० तक ) इसने ४० वर्ष राज्य किया।

( २१ ) सत्यजित्— ( २३०१ ई० पू० से २२१८ ई० पू० तक ) इसने ८३ वर्ष राज्य किया।

( २२ ) वीरजित्— ( २२१८ ई० पू० से २१८३ ई० पू० तक ) बहुत सी पुराणों में इसे विश्वजित् लिखा गया है।

( २३ ) रिपुञ्जय— ( २१८३ ई० पू० से २१३३ ई० पू० तक ) इस का शासन काल ५० वर्ष हैं। रिपुञ्जय बाहद्रथ वंश का अन्तिम राजा है। बाहद्रथ

वंश में सहदेव से लेकर कुल २३ और मार्जारि से लेकर कुल २२ राजा हुए। इस वंश का शासन काल १००६ वर्ष ( २१३६ से ११०० यू० २१३३ ई० पू० ) तक है। पुराणों में मोटे तोर पर इसका शासन काल १००० वर्ष लिख दिया गया है।

### प्रद्योत वंश

[ २१३३ ई. पू. से १६६५ ई. पू. तक ]

मगध का राजा रिपुञ्जय पुत्र विहीन था। उसके केवल एक पुत्री थी। रिपुञ्जय के प्रथानामात्र वा सेनापति का नाम 'पुलक' था। पुलक ने रिपुञ्जय का धात कर दिया और अपने लड़के प्रद्योत वा बालक को राजगढ़ी पर विठाया। <sup>१</sup> पुलक ख्यं राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकता था, व्योक्ति उसको कोई अधिकार न था। अतः उसने अपने लड़के प्रद्योत के लिये अधिकार उत्पन्न कर दिया। रिपुञ्जय की लड़की का विवाह प्रद्योत के साथ कर दिया गया और प्रद्योत नियमानुसार रिपुञ्जय का उत्तराधिकारी बन गया। किस पड़यन्त्र से वो किस भाँति रिपुञ्जय का धात किया गया था, इस का कोई चृत्तान्त उपलब्ध नहीं है। प्रद्योत से एक नवीन वंश प्रारम्भ होता है, जिसे कि उसके नाम से प्रद्योतवंश कहा जाता है। <sup>२</sup>

पुराणों के अनुसार प्रतीत होता है कि राजा रिपुञ्जय का शासन काल बहुत घटनामय था। इस काल की सब से मुख्य घटना यह है कि अवन्ती के ग्राचीन राजवंश का अन्त कर दिया गया था। महाभारतकाल में अवन्ती बड़ा शक्तिशाली राज्य था। वहाँ द्वैराज्य शासनपद्धति प्रचलित थी; और वहाँ के राजा दो अक्षौहिणी सेना लेकर महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे थे। इस शक्तिशाली राज्य का विछले समय का इतिहास पूरी तरह अन्यकारमय है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद अवन्तिदेश बहुत निर्बल हो गया था। पुराणों में इसके राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। अवन्तिराज्य के निर्बल राजाओं को रिपुञ्जय के शासन काल में जीत लिया गया था। और

#### १. विष्णु पुराण में—

‘योऽयं रिपुञ्जयो नाम वाहद्रथोऽन्त्यक्षतय सुनिको नामान्त्यो भविष्यति ।  
स चैनं स्वामिनं हत्वा स्वपुत्रं प्रद्योत-नामानमभिषेद्यति ।’

२. देखो— Narayan Shastri—The Age of Shankara Appendix I. P. 16.

यह राज्य मगध के साम्राज्यवाद का ग्रास बन गया था । इसी तरह वीतहोत्र वंश का भी रिपुञ्जय के समय अन्त किया गया । पुराणों के अनुसार कलियुग के प्रारम्भ से लेकर वीतहोत्र वंश के २० राजाओं ने राज्य किया । रिपुञ्जय कलियुग के प्रारम्भ से लगा कर २२ वाँ राजा था । अतः ये दोनों समकालीन ही थे । वीतहोत्रों का राज्य भी मगध के साम्राज्यवादी सम्राटों ने अपने आधीन कर लिया ।

क्या आश्चर्य है कि इन विजयों का करने वाला सेनापति पुलक ही हो । मौर्य सम्राट् बृहद्रथ के समय सेनानी पुष्यमित्र ने जो कुछ किया था, सम्भवतः वही रिपुञ्जय के समय पुलक ने भी किया और पुष्यमित्र को ही तरह अपने स्वामी को मार कर राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया ।

( १ ) प्रद्योत—(२१३३६० पू० से २११० ई. पू. तक) इसने २३ वर्ष राज्य किया । प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने अपने विता की विजयनीति को जारी रखा । पुराणों में लिखा है कि यह सर्वथा नीति रहत था । राजनीति, धर्मनीति, आदि के किसी सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करता था । इसने बहुत से ध्यतियों का संहार कर उनके राज्यों को आधीन किया था । अनेक पड़ोसी राजा इसके आधीन थे । अन्य दोष भी इसमें कम न थे एक पुराण में इसे 'मन्मथातुर' लिखा है ।

[ २ ] पालक—(२११० ई० पू० से २०८६ ई. पू. तक) यह प्रद्योत का लड़का था और इसने २४ वर्ष राज्य किया ।

( ३ ) विश्वर्यूष—(२०८६ ई० पू० से २०३६ ई. पू. तक) यह ५० वर्ष तक मगध के राजसिंहासन पर आरुढ़ रहा ।

( ४ ) सूर्यक—(२०३६ ई० पू० से २०१५ ई. पू. तक) इसने २१ वर्ष राज्य किया । इस के जनक, मृजुक, मूर्जक आदि अनेक नाम उल्लिखित हैं ।

( ५ ) नगिन्दर्धन—(२०१५ ई० पू० से १६६५ ई. पू. तक) इसने २० वर्ष राज्य किया । इसके भां वर्त्तिवर्धन, कीर्तिवर्धन, वर्धिवर्धन आदि अनेक नाम पुराणों में लिखे मिलते हैं ।

१. नियन्ता चत्रियाणां च वालकः पुलकोद्धः ।

स वै प्रणतसामन्त्रो भविष्यो नयवर्जितः ॥

भयो विश्वत् समा राजा भविता मन्मथातुरः ।

नन्दिवर्धन के साथ प्रद्योतवंश के इन पाँच राजाओं ने १३८ वर्ष तक राज्य किया।

### शिशुनागवंश

[ १६४५ ई० पू० से १६३५ ई० पू० तक ]

१. शिशुनाग— प्रद्योतवंश के अन्तिम राजा नन्दिवर्धन को मार कर शिशुनाग राजगढ़ी पर बैठा। शिशुनाग पहले काशी में रहता था, सम्भवतः यह घटां का शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योतवंश के अन्तिम राजा के समय इसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और उस का घात कर स्वयं मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हो गया। धौपत्रे पुत्र को इस ने काशी में शासन करने के लिये नियत किया। शिशुनाग का शासन काल ४० साल ( १६४५ ई० पू० से १६५५ ई० पू० तक ) है।

२. काकचैर्णी— ( १६४५ ई० पू० से १६१६ ई० पू० तक ) इस ने कुल ३६ वर्ष तक राज्य किया। इस को धनेक स्थानों पर शक्तिशाली लिखा गया है।

३. क्षेमधर्म— ( १६१६ ई० पू० १८६३ ई० पू० तक ) इस ने २६ वर्ष राज्य किया।

४. कृत्रज्ञ— ( १८६३ ई० पू० से १८५३ ई० पू० तक ) इस का शासन काल ४० वर्ष है।

५. विम्बिसार— ( १८५३ ई० पू० से १८१५ ई० पू० तक ) इस में ३८ वर्ष राज्य किया। राजा विम्बिसार भगवान बुद्ध का समकालीन था। इस के सम्बन्ध में चौद्ध तथा जैन साहित्य से बहुत सी वार्ते ज्ञात होती हैं। विम्बिसार ने मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण किया तथा अज्ञ देश को अपने आधीन किया। विम्बिसार के साथ हम मगध के राजनीतिक इतिहास की समाप्त करते हैं। आगे चौद्धकाल का इतिहास प्रारम्भ होता है, जिस पर कि यहां हमने विचार नहीं करना है।



## \* चौथा अध्याय \*

—४५५—

### हस्तिनापुर का चन्द्रवंश

महाभारत युद्धके बाद हस्तिनापुर का चन्द्रवंश सब से अधिक शक्तिशाली था। पाराड्व इस भयङ्कर युद्ध से पहले भी साम्राज्य स्थापित करने में सफल मनोरथ हुवे थे। उनके विरोधी तत्त्वों के संघर्ष करने पर भी अन्त में वे ही सफल हुवे। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिहासन पर आरूढ़ हुवे। प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार युधिष्ठिर ने कृष्ण के आदेश से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। महाभारत में इस यज्ञ का वृत्तान्त बड़े विस्तार के साथ लिखा है। प्राचीन समय में अश्वमेध यज्ञ करने के राजा लोग चक्रवर्ती सम्राट् के पद को प्राप्त किया करते थे। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर के लिये यह पद प्राप्त करना कठिन नहीं था। फिर भी उसे अनेक युद्ध करने पड़े। अश्वमेध यज्ञ की रीति के अनुसार जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे अनेक ल्यानों पर रोका गया और अर्जुन ने घोड़े की सच्छन्द गति रखने के लिये बहुत से युद्ध किये। अन्त में पाराड्वों को सफलता हुई और उन्होंने बड़ी धूम धाम के साथ अश्वमेध यज्ञ किया।

महाभारत युद्ध में पाराड्वों के बहुत से निकट सम्बन्धी तथा प्रिय मित्रों का संहार हुवा था। उन के शोक से तप्त हो कर तथा प्राचीन परिपाटी के अनुसार पाराड्वों ने बनवास करना स्वीकृत किया। वे अर्जुन के पौत्र परीक्षित को अपना विशाल साम्राज्य देकर स्वयं त्रिविष्टप ( तिब्बत ) की तरफ आश्रम बना कर रहने के लिये चले गये।

राजा परीक्षित अर्जुन के लड़के अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारा गया था, अतः परीक्षित ही युधिष्ठिर के बाद राजा बना। पुराणों में परीक्षित के सम्बन्ध में बहुत सी कथायें लिखी हुई हैं। इन में से उस के तक्षक सर्प द्वारा डासे जाने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिये जंगल में गया। वह रास्ता भूल गया और हिरण का पीछा करते करते एक मृत्यि की कुटी में जा पहुँचा। इस मृत्यि का नाम शमीक था। शमीक संमाधिस्थ थे, पर परीक्षित ने इसका कोई खयाल नहीं किया।

वह उनसे हिरण किधर भागा हैं, यह पूछने लगा । पर समाधिस्थ होनेके कारणः मृत्यु ने कोई उत्तर न दिया । इस पर राजा को क्रोध आ गया और उसने एक मरे हुवे सांप को मृत्यु के गले में डाल दिया । मृत्यु समाधिस्थ थे, उन्होंने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया, पर इसी बीच में मृत्यु का लड़का वहाँ पर आ पहुंचा और उस ने अपने पिता का अपमान देख कर राजा को शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से होगी । इसी के अनुसार तत्क्षक सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हुई, यद्यपि राजा ने उस से बचने के लिये नानाविध उपायों का आश्रय लिया था । महाभारत तथा पुराणोंमें इन उपायों का बड़े मनोरञ्जक तरीके से वर्णन किया गया है ।

पुराणोंमें तत्क्षक सर्प द्वारा परीक्षित के डसे जाने को कहानी की तरह लिखा है, पर वस्तुतः यह एक महान् तथ्य को प्रगटाकरता है । इस तथ्य को पहले पहल श्रीयुत पार्जित ने प्रगट किया था । बात असल में यह है कि पुराणोंने एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना को ओलंकारिक रूप में वर्णित किया है । हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत की राजधानी प्राचीन समय में तक्षशिला नगरी थी । यहाँ पर नाग वंश के राजा राज्य करते थे । महाभारत युद्ध के बाद ये राजा बहुत प्रबल हो गये थे और इन्होंने सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था । राजा परीक्षित के समय में नाग राजा का नाम तत्क्षक था । अपने साल्य को बढ़ाने की इच्छा से इसने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया और परीक्षित का घात कर दिया । पिछले वर्णन को दृष्टि में रखने से पुराणों की इस कथा की यह व्याख्या अच्छी तरह समझ में आजाती है । परीक्षित के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा । जन्मेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया । उसे यह भी फिक्र थी कि हस्तिनापुर के साम्राज्य को फिर से स्थापित किया जाय । अतः उसने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया । पुराणोंमें लिखा है कि इस यज्ञ के प्रभाव से सर्प या नाग लगातार अग्नि में गिर-गिर कर ध्वस होने लगे । नागराज ने तत्क्षक वंश के प्रभाव से बचने के लिये बहुत प्रयत्न किया । पर अन्त में वह भी अग्नि में ध्वस हो गया । इस कथा का अभिप्राय केवल यही है कि जन्मेजय के प्रयत्नों से नाग सेनाओं तथा तत्क्षक का विनाश हुआ । महाभारत के अनुसार जन्मेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण किया और इसको जीत कर अपने आधीन कर लिया । इस तरह नागराज तत्क्षक का पराभव कर जन्मेजय ने अपने साम्राज्य तथा सम्राट् पद की रक्षा की ।

जनमेजय ही के दरबार में वैशम्यायन ने व्यास द्वारा बनाए हुए महाभारत का पाठ किया था । इस दृष्टि से राजा जनमेजय का शासनकाल बहुत महत्त्वपूर्ण है । पुराणों में जनमेजय को 'परपुरञ्जय' विशेषण दिया गया है । इससे प्रतीत होता है कि वह एक प्रसिद्ध विजेता था ।

राजा जनमेजय के बाद शतानीक हस्तिनापुर की राजगढ़ी पर बैठा । इस के शासन की कोई घटना ज्ञात नहीं है ।

शतानीक के बाद उसका लड़का 'अश्वमेघदत्त' राजा बना । यदि इस नाम से कुछ अनुमान कर सकता सम्भव हो, तो यह सरलता से कल्यना की जा सकती है कि इस के पिता ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था । पुराणों में शतानीक को 'बलवान्' और 'सत्यविक्रास्त' विशेषण दिये गये हैं ।

अश्वमेघदत्त के बाद उसका लड़का अधिसीमकृष्ण राजा बना । पुराणों की रचना पहले पहल इसी के शासनकाल में हुई थी । पुराणों में लिखा है कि 'अधिसीमकृष्ण वर्तमान समय में राज्य कर रहा है ।'

अधिसीमकृष्ण के बाद उसका लड़का निचक्षु राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ । इस के समय में गङ्गा में बड़ी बाढ़ आई, जिसमें हस्तिनापुर नगर बह गया । निचक्षु ने हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी नगरी को अपनी राजधानी बनाया । यह घटना बहुत महत्त्व की है । अब से चन्द्रवंश के विशाल राज्य की राजधानी हस्तिनापुर के स्थान पर कौशाम्बी बन जाती है ।

निचक्षु के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पुराणों से कुछ ज्ञात नहीं होता केवल उन के नाम ही पौराणिक वंशावलियों में दिये गये हैं । हम भी प्रारम्भ से वंशावलि देना ही पर्याप्त समझते हैं—

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| १. अर्जुन           | ६. उष्ण       |
| २. अभिमन्त्रु       | १०. चित्ररथ   |
| ३. परीक्षित         | ११. सुचिद्रथ  |
| ४. जनमेजय           | १२. वृष्टिमत् |
| ५. शतानीक ( प्रथम ) | १३. सुषेण     |
| ६. अश्वमेघदत्त      | १४. सुनीथ     |
| ७. अधिसीमकृष्ण      | १५. रुच       |
| ८. निचक्षु          | १६. नृचक्षु   |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| १७. सुखीवल   | २४. वृहद्रथ            |
| १८. परिष्ठूब | २५. वसुदान             |
| १९. सुनथ     | २६. शतानीक ( द्वितीय ) |
| २०. मेघावी   | २७. उदयन               |
| २१. नृपञ्जय  | २८. वहीनर              |
| २२. मृदु     | २९. दण्डपाणि           |
| २३. तिरम     | ३०. निरामित्र          |

३१. क्षेमक

क्षेमक के सोथ चन्द्रवंश या पौरववंश को वंशावलि समाप्त होती है । सभवतः, निचक्षु के पीछे पौरववंश की शक्ति निरन्तर कम होनी गई । मगध का साम्राज्यवाद धीरे धीरे ज़ोर पकड़ने लगा । जो स्थान महाभारतकाल में हस्तिनापुर की प्राप्त हुवा था, वह उस के गङ्गा की दाढ़ में बहने के साथ ही समाप्त हो गया । इस समय में मध्यप्रदेश में कोशल राजा अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी पौरववंश के ह्रास में सहायता की ।

महात्मा बुद्ध के समय में कौशाम्बी के राजसिंहासन पर राजा उदयन राज्य कर रहा था । बौद्ध साहित्य से हमें मालूम होता है, कि बुद्ध के समय कौशाम्बी के राजा उदयन तथा अवन्ती के राजा प्रद्योत में परस्पर संघर्ष चल रहा था । उदयन के समय पर बौद्ध तथा व्राह्मण साहित्य बहुत प्रकाश छालते हैं, पर उससे पहले राजाओं का इतिहास सर्वथा अन्धकारमय है ।



## \* पांचवाँ अध्याय \*

—३४३०३४३०३४३०३४३०—

### कोशल का सूर्यवंश.

महाभारतकाल में कोशल का राजा वृहद्वल था। यह कौरवों का पक्षा लेकर महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुआ था। इसके उत्तराधिकारियों को सम्बन्ध में नामों के सिवाय कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद कोशलदेश बहुत कमज़ोर होगया था। समीप ही हस्तिनापुर के शक्तिशाली सम्राट् विद्यमान थे, अतः यह शक्ति न पकड़ सका। पर धीरे धीरे यहाँ के राजा शक्तिशालो होते गये और हम देखते हैं कि घौढ़ काल में कोशल का राजा प्रसेनजित् एक शक्तिशाली राजा था, जो कि साम्राज्य निर्माण के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहा था। एक तरफ वह मगध के महत्वाकांक्षी सम्राट् अजातशत्रु से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ समीपस्थ छोटे राज्यों—शाक्य प्रजातन्त्र तथा काशी राज्य—को निगलने का प्रयत्न कर रहा था। वृहद्वल और प्रसेनजित् के बीच के राजाओं के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन राजाओं की वंशावलि उद्धृत करना ही पर्याप्त है—

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| १. वृहद्वल   | १२. सुप्रतीक   | २३. रणञ्जय     |
| २. वृहनक्षण  | १३. सुप्रतीय   | २४. सञ्जय      |
| ३. उरक्षेष   | १४. मरुदेव     | २५. शुद्धोधन   |
| ४. चत्स      | १५. सुनक्षत्र  | २६. शाक्य      |
| ५. चत्सब्यूह | १६. किञ्चर     | २७. राहुल      |
| ६. प्रतियोम  | १७. अन्तरिक्ष  | २८. प्रसेनजित् |
| ७. भानु      | १८. सुवण       | २९. क्षद्रक    |
| ८. दिवाकार   | १९. अमित्रजित् | ३०. कुरुडक     |
| ९. सहदेव     | २०. वृहद्राज   | ३१. सुरथ       |
| १०. वृहदश्व  | २१. धर्मिन्    | ३२. सुमित्र    |
| ११. भानुरथ   | २२. कृतञ्जय    |                |

सुमित्र के साथ कोशल का प्राचीन सूर्यवंश—जिसमें महाराजा रामचन्द्र उत्पन्न हवे थे, समाप्त होगया।

## \* छटा अध्याय \*

—४५६७८९—

### काश्मीर का राजवंश तथा अन्य राज्य.

प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक कल्हण द्वारा विरचित राजतरङ्गिणी से काश्मीर के प्राचीन इतिहास का बहुत कुछ ज्ञान होता है। इस ग्रंथरत्न से ग्रामबोद्धकाल सम्बन्धी काश्मीर के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। हम इसका संक्षिप्त रूप से यहाँ उल्लेख करेंगे।

महाभारत काल में काश्मीर पर गोनन्द प्रथम राज्य कर रहा था। यह राजा मगध सम्बाद जरासन्ध का मित्र था और इसने अन्धकवृष्णि सङ्घ पर किये गये आक्रमणों में जरासन्ध की सहायता की थी। काश्मीर की सेनाओं ने यमुना के टट पर अपने कैम्प नाड़े थे। परन्तु इस युद्ध में गोनन्द प्रथम कृष्ण के भाई चलभद्र द्वारा मार दिया गया और काश्मीर की सेना अपने मनोरथ में सफल न हुई। अन्धकवृष्णि सङ्घ विनष्ट नहीं हुआ।

गोनन्द प्रथम की मृत्यु के बाद उसका लड़का दामोदर प्रथम राजा बना। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये इसने भी अन्धकवृष्णि सङ्घ पर आक्रमण किया। पर इस बार फिर काश्मीर की सेनाएँ पराजित हुईं और दामोदर प्रथम युद्ध में मारा गया।

मृत्यु के समय दामोदर नवयुवक ही था। उसके अभी कोई सन्तान न थी। अतः अन्धकवृष्णि सङ्घ के 'मुख्य' वा प्रधान कृष्ण की सम्मति से दामोदर की विधवा स्त्री यशोवती को राजगढ़ी पर विटाया गया। यशोवती गर्भवती थी, अतः टीक समय पर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गोनन्द रखा गया। इतिहास में इसे गोनन्द द्वितीय कहा जाता है।

गोनन्द द्वितीय के ३५ उत्तराधिकारियों के नाम नष्ट हो चुके हैं। कल्हण स्वयं लिखता है कि गोनन्द के ३५ उत्तराधिकारियों के नाम विस्मृति के सागर में झाव गये हैं और उनके नाम तथा कृत्य के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

१. आप्नायभद्राक्षिर्नष्टनामकृत्यास्ततः परम् ।

एव्विश्वन्महीपाला मग्ना विस्मृतिस्मर्ते ॥ ८३ ॥

(राजतरङ्गिणी प्रथमकालः )

३५ विस्मृत राजाओं के बाद राजतरङ्गिणी फिर हमारी सहायता करती है। हम काश्मीर के राजसिंहासन पर लब नाम के राजा को राज्य करता पाते हैं। इसने 'लोलोर' नामी नगर घनवाया, जिसमें कि पत्थर की ८० लाख इमारतें थीं, लब की भूत्यु के बाद 'कुश' राजगढ़ी पर बैठा। कलहण ने कुश द्वारा दिये गये दान का उल्लेख किया है।

कुश के बाद खगेन्द्र राजा बना। यह बहुत शक्तिशाली राजा था। इस नैतकशिला के नाम कुल का अन्त किया था। हम पहले दिखला चुके हैं कि महाभारतयुद्ध के बाद तक्षशिला में नाम बंश बहुत शक्तिशाली हो गया था। इस काँचिनाश काश्मीर के राजा खगेन्द्र ने किया।

खगेन्द्र की मृत्यु पर सुरेन्द्र काश्मीर का राजा बना। यह बहुत धर्मात्मा राजा हुवा है। सुरेन्द्र पुत्र हीन था अतः उस के साथ शोनन्द का राजवंश समाप्त हो गया और गोधर काश्मीर के राजसिंहासन पर आलड़ हुवा। गोधर का लड़का सुवर्ण महात्मा बुद्ध का समकालीन था। खतन्त्र राज्य के रूप में काश्मीर की स्थिति बहुत काल तक विद्यमान रही। अन्त में मौर्य सम्ब्राट् अशोक ने इसे अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया।

### अन्य राज्य

मगध, पौरव, कोशल और काश्मीर के सिवाय अन्य राज्यों के सम्बन्ध में पुराणों से कुछ प्रकाश नहीं पड़ता। अन्य राजवंशों की वंशावलियां तक नहीं मिलती। पुराणों से केवल इतता पता लगता है कि ऊपर वर्णित राजवंशों के सिवाय पञ्चाल में २७, काशी में २४, हैह्य देश में २८, कलिङ्ग में ३२, अश्मक देश में २५, मिथिला में २८, शूरसेन में २३ और वान होत्र में २० राजाओं ने राज्य किया। साथ ही पुराणों में यह भी लिखा है कि यह सब राजा समकालीन थे। साम्राज्यवादी शक्तिशाली राजाओं के प्रयत्नों से धीरे २ ये राज्य नष्ट हो गये। अवन्ति और वीत होत्र के राजाओं का मगध सम्ब्राट् हिपुञ्ज्य के महामन्त्री और प्रद्योतवंश के संखापक पुलिक ने अन्त किया। इसी तरह काशी का अन्त करने के लिये कोशल तथा मगध के राजा निरन्तर प्रयत्न करते रहे। कलिङ्ग बहुत समय तक अपनी खतन्त्रता कायम रख सका। पर मगध राज महापद्मनन्द ने उस पर आक्रमण कर उसे भी अपने आधीन कर लिया। इसी तरह से अन्य राज्य भी साम्राज्यवादी राजाओं द्वारा धीरे धीरे नष्ट कर दिये गये।

## \* सातवाँ अध्याय \*

~~~~~

सैमीरेमिस का आक्रमण.

[१६६४ ई० पू० के लगभग]

प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य में बहुत सी ऐसी कथाएँ संगृहीत हैं, जिनका भारतवर्ष के साथ सम्बन्ध है। इनसे भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक लोग भारत और विदेशों के राजनीतिक सम्बन्ध का ग्राहमभ प्रायः सिकन्दर के भारतीय आक्रमण से करते हैं। परन्तु वात यह नहीं है। सिकन्दर से पूर्व भी भारत का विदेशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था और अनेक विदेशी आक्रान्ताओं ने भारत पर आक्रमण किये थे।

प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य के अनुसार सब से पहला विदेशी आक्रान्ता ओसिरिस है। यह २२२० ई० पू० के लगभग मिश्र में राज्य कर रहा था। इसने अहुत से प्रदेशों को जीत कर अपने आधीन किया और भारत पर भी आक्रमण किये। भारतीय सेनाएँ ओसिरिस के शक्तिशाली तथा मायांवी सैनिकों के सम्मुख न ठहर सकीं और भारत मिश्र-सम्राट् के आधीन हो गया। ओसिरिस तीन वर्ष तक भारत में रहा और अपरिमित तथा अचाध रूप से राज्य करता रहा। विजित प्रदेशों में अपनी विजय को अनन्त काल तक स्मरण रखने के लिये उस ने बहुत से स्तम्भ लगवाये थे, जिन पर कि अपनी विजयों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ऐसे विजय-स्तम्भ भारत में गङ्गानदी के तट पर भी स्थापित कराये गये थे। ओसिरिस ने भारत में अनेक नवीन घातों का भी प्रचार किया था।

ओसिरिस के बाद दूसरा विदेशी आक्रान्ता हरक्युलीज़ है। पाश्चात्य कथाओं में यह सब से अधिक बलवान और साहसी व्यक्ति है। अपने समय में कोई भी व्यक्ति इसे पराभूत न कर सकता था। हरक्युलीज़ ने भारत पर भी आक्रमण किया और इस देश को अपने आधीन कर लिया। यहाँ उस ने अनेक नगर बसाये और भारत के सब से प्रसिद्ध नगर पाटलीपुत्र में भी अपने महलों का निर्माण कराया।

इन दोनों आक्रान्ताओं का वर्णन केवल पाश्चात्य कथाओं में पाया जाता है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे वस्तुतः इतिहास-सिद्ध व्यक्ति हैं। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने भी इन प्राचीन कथाओं की सत्यता में सन्देह छाटा किया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत पर पहले पहल सैमीरेमिस ने आक्रमण किया । यह असीरिया की रानी थी । सैमीरेमिस के पति का नाम 'नीनस' था । प्रसिद्ध प्राचीन नगर 'निनेवा' की स्थापना इसी ने की थी । यह असीरिया और वैविलोनिया के संयुक्त विशाल साम्राज्य का खामी था । नीनस का विशाल साम्राज्य सिन्धनदी से नाहल नदी तक और एशिया की खोड़ी से टेनैस के तट तक फैला हुआ था । पति की मृत्यु पर सैमीरेमिस इस विस्तृत साम्राज्य की शासिका बनी । साम्राज्य विस्तार की इच्छा से सैमीरेमिस ने भारतवर्ष पर आक्रमण करने की तैयारियां प्रारम्भ कीं । इस देश की अतुल सम्पत्ति, हरे भरे मैदान, वैभव आदि को कथायें सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत में विख्यात थीं । सैमीरेमिस ने ऐसे समृद्ध देश को जीतने का पूरा निश्चय कर लिया । सारे साम्राज्य से सेनायें एकत्रित को जाने लगीं । असीरिया के आधीन सब देशों के सब उत्तम सैनिकों को वैकिंड्रिया की सीमा पर इकट्ठा होने की आज्ञा दी गई । १६६४ ई० पू० के लगभग भारत पर आक्रमण प्रारम्भ किया गया ।

सैमीरेमिस ने खुना हुवा था कि भारतीय सेनायें हाथियों को महत्व देती हैं । स्थलयुद्ध में हाथियों के ऊपर ही विजय आश्रित होती है । जिस के पास हाथी अधिक होते हैं, वही विजयी होता है । हाथी भारतवर्ष में ही पाये जाते हैं । असीरिया की सेना में हाथियों का सर्वथा अभाव था । अतः इस कमी को पूरा करने के लिये सैमीरेमिस ने निश्चय किया कि कृत्रिम हाथी बनवाये जावें । ऊँटों के ऊपर भैंसों की खालों को इस तरह मढ़ा गया कि वे हाथी प्रतीत होने लगें । बहुत सी खालों को जोड़ कर इस तरह सीया गया कि हाथी की शक्ति बन जाय । इन्हें ऊँटों पर मढ़ दिया गया और इस तरह सैमीरेमिस की हस्ति-सेना तैयार हो गई । उस का विचार था कि अनन्त हाथियों की सेना देख कर भारतीय लोग डर जावेंगे और सरलता से भारत को अपने आधीन किया जासकेगा ।

भारत पर आक्रमण करने के लिये सिन्ध नदी को पार करना आवश्यक था । इसके लिये जहाज तथा नौकाओं की आवश्यकता थी । सम्पूर्ण साम्राज्य के जलयानों को एकत्रित होने का हुक्म दिया गया और फिजिसिया, साइ-प्रस आदि के प्रवीण मल्लाह अपने अपने जहाजों के साथ सैमीरेमिस की सहायता के लिये सिन्ध के समीप इकट्ठे हो गये । साथ ही नवीन जहाजों के निर्माण के लिये सारे जङ्गलों को काट दिया गया और असीरियन साम्राज्य के कुशल कारीगर जहाज बनाने के कार्य में लग गये ।

सैमीरेमिस की सेना में ४० लाख पदाति और अश्वारोही थे, १ लाख रथ, २ लाख ऊँट तथा ३ हज़ार जहाज थे । इसके सिवाय ४ हज़ार नौकाएँ

भी उसकी जलसेना में शामिल थीं । इस विशाल सेना को लेकर सैमिरेमिस ने थैक्ट्रिया से प्रस्थान किया । जब वह सिन्ध नदी के समीप पहुँची, तो उसने देखा कि सरसुख शत्रु की जलसेना युद्ध के लिये तैयार है । प्राचीन पाष्ठात्य लेखकों के अनुसार उस समय भारत के राजा का नाम स्टॉरोवेश्वस (Staurobates) था । सम्भवतः यह पश्चिमोत्तर भारत का शासक था, इसके चेश आदि के सम्बन्ध में प्राचीन लेखक कोई परिचय नहीं देते । स्टॉरोवेश्वस ने सैमिरेमिस का मुकाबला करने के लिये पूरी तरह से तैयारी की थी । वह भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सब तरह से उद्यत था ।

ज्ञामने शत्रु की सेना को देखकर सैमिरेमिस ने एक दम हमला करने की आज्ञा दी । यद्यपि असीरियन सेनाओं का सेनापति डेरेक्यून था, पर भारतीय आक्रमण में सैमिरेमिस स्वयं सेनाओं का सञ्चालन कर रही थी । सैमिरेमिस की जलसेना ने घड़े बेग भारतीय जहाजों पर आक्रमण किया । वहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा । दोनों ओर से अद्भुत बीरता प्रदर्शित की गई । परन्तु अन्त में सैमिरेमिस की विजय हुई । उसकी सेना में फिज़ी-सिया तथा अन्य जलशक्ति प्रधान देशों के वहुत से जहाज़ तथा सैनिक थे । जलयुद्ध में उनका अनुभव अद्वितीय था । एक हजार से अधिक भारतीय जहाज़ डुबा दिये गये और वहुत से कैद कर लिये गये । विजय के मद से मत्त होकर सैमिरेमिस ने सिन्ध के समीपवर्ती सीमा प्रदेश को लूटने का हुक्म दिया । असीरिया की सेनाओं ने स्वच्छन्दरूप से लूटमार की । दूर दूर तक के ग्रामों तथा नगरों को ध्वन्स कर दिया गया । वहुतसी लूट असीरियन विजेताओं के हाथ आई ।

यद्यपि सिन्ध नदी के युद्ध में भारतीयों की पराजय हुई थी, पर स्टॉरोवेश्वस ने हिम्मत न छोड़ी । उसने फिर अपनी सेना को एकत्रित किया और सिन्धु नदी से कुछ दूरी पर सैमिरेमिस का मुकाबला करने के लिये तैयार हो गया । सैमिरेमिस ने जहाजों और नौकाओं के द्वारा सिंध नदी पर पुल बना कर अपनी विशाल सेना को पार उतार दिया और स्टॉरोवेश्वस पर आक्रमण किया । पुल को रक्षा के लिये ६० हजार आदमी वहाँ छोड़ दिये गये ।

सैमिरेमिस ने अपने कूत्रिम हाथियों को—जिनकी संख्या ५० हजार से कम न थी—सब से आगे रखा । इतने हाथियों को देखकर पहले भारतीय सेना घबरा गई । परन्तु पीछे से उन्हें मालूम पड़ गया कि ये हाथी असली न होकर कूत्रिम हैं । सब जगह इस समाचार को फैला दिया गया और सम्पूर्ण भारतीय सेना का सारा आतঙ्क इस समाचार से दूर होगया ।

युद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय घुड़ सवारों और रथारोहियों ने सैमीरेमिस के कुत्रिम हाथियों पर हमला किया । परन्तु समीप जाकर ऊठों पर मढ़ी हुई कच्ची खालों से उन्हें इतनी दुर्गम्य आई कि वे घबरा गये । बहुत से घोड़े वापिस भाग खड़े हुवे । अनेक सवार नीचे गिर पड़े और भारतीय सेना में खलबली मच गई । अवसर देखकर सैमीरेमिस ने अपने बीर योद्धोओं को आक्रमण करने की आशा दी । भारतीय सेना के पैर उखड़ गये । पर ऐसे समय में स्टार्टोवेट्स ने अपूर्व रणकुशलता प्रदर्शित की । उसने अपनी सेना को सम्भालने का पूरा प्रयत्न किया । उसे सफलता हुई और अपनी पदातिःसेना को लेकर उसने फिर हमल किया । पीछे से हस्ति-सेना ने भी विदेशियों पर चढ़ाई करदी । घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । बहुत देर तक लड़ाई होती रही पर अन्त में असीरियल सेना घबरा गई । भारत के हाथी संग्राम क्षेत्र में बड़े आवेश के साथ विदेशी सेना को पद दलित कर रहे थे । दूसरी तरफ सैमीरेमिस के नकली हाथी असली हाथियों का काम न कर सके, वे भार स्वरूप हो गये और उन्होंने असीरियन सेना के सञ्चालन में अनेक वाधायें उपस्थित करती शुरू कर दीं । परिणाम यह हुवा कि असीरियन आक्रान्ताओं का धैर्य छूट गया । वे भागने लग गये । भारतीयों ने सिन्धु नदी तक उनका पीछा किया और विदेशी सेना बुरी तरह कतल की गई ।

इस सारे समय में स्टार्टोवेट्स एक हाथी पर बैठा हुआ सेना का सञ्चालन कर रहा था । अन्त में उसका सैमीरेमिस के साथ साक्षात्कार हुवा । दोनों में संग्राम छिड़ गया । सैमीरेमिस ने चाहा कि स्टार्टोवेट्स को मार कर अपने पराजित होते हुवे पक्ष को सम्भाल ले । पर उस का मनोरथ सफल न हुवा । स्टार्टोवेट्स बड़ा बीर पुरुष था । समुख युद्ध में उसने सैमीरेमिस को पराजित कर दिया । वह बुरी तरह धायल हुई और अपनी सेना के साथ स्वयं भी भाग खड़ी हुई । सिन्धु नदी को पार करने में भी असीरियन सेना का संहार हुआ । भारतीय सेना उनका पीछा कर रही थी और उनके पास सिन्धु के तंग पुल पर से गुज़रने के सिवाय अन्य कोई रास्ता न था । परिणाम यह हुवा कि बहुत से विदेशी सिन्धु में डूब कर मर गये । बहुत थोड़े असीरियन सैनिक सकुशल सिन्धु नदी को पार कर सके ।

अनेक लेखकों ने लिखा है कि सैमीरेमिस भी इस युद्ध में मारा गई । कुछ लेखकों के अनुसार वह केवल २० सैनिकों के साथ अपने देश को वापिस लौटी । इस तरह, भारतवर्ष पर विदेशियों का यह पहला ऐतिहासिक आक्रमण समाप्त हुवा । इस में भारत को बड़ी भारी विजय हुई ।

* आठवाँ अध्याय *

—४३६—

प्राग्वौद्ध काल के १६ राज्य.

बौद्ध साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के समय से कुछ पहले भारत में १६ राज्य (पेडप महाजनपद) विद्यमान थे । इन राज्यों का संक्षिप्तरूप से इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है—

१. मगध का राज्य—इसकी राजधानी राजगृह थी । यहाँ शैशु-नागवंश के राजा राज्य कर रहे थे । महात्मा बुद्ध के समय में विम्बिसार और फिर अजातशत्रु मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुवे । इस समय में मगध के राजा बहुत शक्तिशाली थे । वे साम्राज्य फैलाने का बड़ी तेज़ी के साथ प्रयत्न कर रहे थे ।

२. कोशल का राज्य—इसकी राजधानी श्रावस्ती थी । बुद्ध के समय में यहाँ राजा प्रसेनजित् और फिर राजा विहूडभ (पुराणों के अनुसार क्षुद्रक) ने शासन किया । कोशल के राजा भी बहुत प्रतापशाली थे । वे भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में प्रयत्न शील थे ।

३. वत्स या वंश का राज्य—इस की राजधानी कौशाम्बि थी । पाण्डवों के वंशज इसी स्थान पर राज्य करते थे । बुद्ध के समय में यहाँ पर-स्तंप और फिर उदयन ने राज्य किया ।

४. अर्चन्ति का राज्य—इस की राजधानी उर्ज्जन्ति थी । यहाँ पर-बुद्ध के समय में राजा प्रद्योत राज्य कर रहा था ।

प्राग्वौद्धकाल में ये चार राज्य सब से अधिक शक्तिशाली थे । इन में परस्पर साम्राज्य के लिये संघर्षण चल रहा था । मगध और कोशल तथा अवन्ती और वत्स विशेष रूप से एक दूसरे का विनाश करने के लिये प्रयत्न कर रहे थे ।

५. काशी—प्राचीन समय में काशी का राज्य बहुत प्रबल था । परन्तु पीछे से समीप वर्ती मगध और कोशल के साम्राज्यवाद में पिस कर यह विनष्ट हो गया । बौद्ध काल से पहले इस की पूर्थक सत्ता विद्यमान थी । परन्तु मगध और कोशल दोनों इस को निगल जाने के लिये यत्न कर रहे थे । अन्त में यह राज्य मगध साम्राज्य में लीन हो गया ।

६. अंग— यह राज्य मगध के पूर्व में था और इस की राजधानी हम्मा थी। किसी समय में यह राज्य भी बहुत शक्तिशाली था। कुछ समय के लिये मगध भी इस के आधीन हो गया था और राजगृह को अंग राज्य के अन्तर्गत समझा जाता था। अंग का राजा ब्रह्मदत्त वत्सराज की सहायता से मगध को पराजित कर ने में समर्थ हुआ था। परन्तु शक्ति के संघर्ष में, अन्त में मगध कीही विजय हुई और मगध के राजा विम्बिसार ने अंग की जीत कर अन्ते साम्राज्य में मिला लिया।

७. चेदि— यह राज्य यमुना के समीप था। जिस प्रदेश को वर्तमान समय में चुन्देलखण्ड कहा जाता है, वह तथा उसके समीपवर्ती देश को ही प्राचीन समय में चेदि राज्य कहते थे। इस की राजधानी शुक्तिमती नगरी थी।

८. कुरु— इस की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यहाँ पर भी युधिष्ठिर के घंशज राज्य करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले समय में हस्तिनापुर का राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। मुख्य राजवंश पहले हस्तिनापुर और पीछे कौशाम्बी में राज्य करता रहा और इन्द्रप्रस्थ में एक नवीन राज्य की स्थापना हुई। स्वस्मवतः, यह राज्य आगे चल कर एक गणराज्य वा प्रजातत्त्व-राज्य के रूप में परिणत होता है।

९. पाञ्चाल— प्राचीन समय में पाञ्चाल का प्रदेश दो भागों में विभक्त था। उत्तर पाञ्चाल की राजधानी अहिच्छुत्र और दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी कास्पित्य थी। इन में उत्तरीय पाञ्चाल का राज्य अधिक शक्तिशाली न था। उस को जीत लेने के लिये कुरु तथा दक्षिण पाञ्चाल में संघर्ष चल रहा था। अहिच्छुत्र का राज्य कभी कुरु राज्य के आधीन होता था, तो कभी दक्षिण-पाञ्चाल के। पाञ्चाल राज्य का इतिहास सर्वथा अन्धकार मय है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे से यहाँ पर भी गणराज्य स्थापित हो गया था।

१०. मत्स्य— इसकी राजधानी विराट् नगर या वैराट् थी। यह नगर वर्तमान जयपुर राज्य में है। यह राज्य बहुत शक्तिशाली न था। पडौस के सांस्राज्यवादी राज्य इसे जीतने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे। पहले यह चेदि राज के आधीन हुआ और फिर मगध ने सदा के लिये इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुरु और पाञ्चाल की तरह पीछे से इस में गण-राज्य स्थापित होगया था।

११. शूरसेन— इस राज की राजधानी मथुरा थी। यहाँ यदु या यादव वंश राज करता था। दुद्ध के समय में शूरसेन राज पर 'अवन्तिपुत्र' नामी राजा का अधिकार था।

१२. अस्सक या अश्मक का राज्य— इसकी राजधानी 'पोटलि' जंगरी थी। इसे आधीन करने के लिये भी समीपवर्ती राज्य प्रयत्न कर रहे थे। एक समय में यह काशी के भी आधीन रह चुका था। परन्तु बुद्ध के समय में इसकी स्वतन्त्र सत्ता थी।

१३. गान्धार— इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पश्चिमोत्तर भारत का बहुत सा प्रदेश गान्धारराज्य के अन्तर्गत था। महात्मा बुद्ध के समय में गान्धारराज्य पर राजा पुकुसाति राज्य कर रहा था। पुकुसाति ने मगधराज बिम्बसार के पास एक दृतमण्डल भेजा था।

१४. काम्बोज— इसकी राजधानी द्वारक थी। पिछले समय में यहाँ भी गण राज्य की स्थापना होगई थी। काम्बोज के इतिहास के सम्बन्ध में कोई उल्लेख योग्य बात ज्ञात नहीं हो सकी है।

१५. वैज्ञेन राज्य संघ— प्राचीन बौद्ध काल में वैज्ञेन राज्य संघ की बहुत महत्ता थी। इसमें अठ गण राज्य सम्मिलित थे। इन आठ संघातमक राज्यों (अष्टकुल) में विदेह और लिच्छवी राज्य सब से अधिक महत्त्वपूर्ण थे। इनके सिवाय ज्ञात्रिक और वज्जी राज्य भी अच्छे शक्तिशाली थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इसी तरह लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। ज्ञात्रिक राज्य का मुख्य नगर कुण्डग्राम था। जैनधर्म का प्रवर्तक आचार्य महावीर यहाँ उत्पन्न हुवा था।

वैज्ञेन के सङ्घ-राज्य को नष्ट करने के लिये मगध के साम्राज्यवादी राजाओं ने बहुत प्रयत्न किये। पर वैज्ञेन की शक्ति कम न थी। यह सङ्घ-राज्य बड़े धैर्य के साथ साम्राज्यवाद का मुकाबला करता रहा। अन्त में अजातशत्रु ने अपने प्रधानमन्त्री बस्सकार की कूटनीति से इस सङ्घ-राज्य का विनाश किया।

१६. मङ्ग— यह राज्य वैज्ञेन राज्य-सङ्घ के उत्तर में था। इस में गण-तन्त्र राज्य विद्यमान था।

इन सोलह राज्यों के सिवाय निम्नलिखित गण-राज्य भी प्राचीन काल में विद्यमान थे—

१. सुंसुमार पर्वत के भरग
२. अल्लकर्प के बुली

३. केसपुत्र के कालाम
४. रामगाम के कोलिय
५. पिप्पलिवन के मोरिय
६. कपिलबस्तु के शाक्य

महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलबस्तु में ही हुआ था। बौद्ध साहित्य के आधार पर प्राग्बौद्ध काल के विविध राज्यों की जो सूची दी गई है, वह पूर्ण नहीं है। परन्तु उससे उस समय के भारत के राजनीतिक विभागों पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है।


महाभारत काल के विविधराज्य किस प्रकार प्राग्बौद्ध काल के इन राज्यों में परिणत हो गये, इसका कोई वृत्तान्त हमें ज्ञात नहीं है। परन्तु इस समय के इतिहास में एक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बहुत से राज्य- जहाँ पर कि पहले राजा लोगों का शासन था— इस काल में गण-राज्य बन गये। किन परिस्थियों ने इन्हें इस रूप में परिवर्तित होने के लिये बाधित किया था, इसका ठीक तरह समझना अभी सम्भव नहीं है।



तृतीय भाग

शुक्रनीतिसार कालीन भारत

प्रथम अध्याय



शुक्र नीति सार

पूर्ववचन— महाभारत के आधार पर हम तत्कालीन सभ्यता तथा सामाजिक दशा पर अपने इतिहास के इस खण्ड के प्रथम भाग में पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। इस भाग में महाभारत से लेकर महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व तक के भारतीय सभ्यता के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जायगा।

प्रायः सभी पाश्चात्य ऐतिहासिक इस समय का इतिहास लिखते हुए सूत्र ग्रन्थों तथा व्राह्मण ग्रन्थों का आश्रय लिया छरते हैं। परन्तु हम ऐतिहासिक तथा शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में इस बात को भली प्रकार सिद्ध कर चुके हैं कि सूत्र ग्रन्थों तथा व्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण काल महाभारत से बहुत पूर्व है, इस अवस्था में महाभारत के बाद का इतिहास लिखते हुए हम इन ग्रन्थों का आश्रय नहीं ले सकते।

दुर्भाग्य से भारतवर्ष के इतिहास का यह काल नितान्त अन्धकार पूर्ण है। कठिपय पौराणिक गाथाओं को छोड़ कर प्राचीन संस्कृत साहित्य के किसी भी ग्रन्थ द्वारा इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। इसी कारण द्वितीय भाग में इस काल के राजनीतिक इतिहास का अनुशोलन करते हुए हमने केवल पुराण ग्रन्थों को ही आधार माना है। परन्तु इस काल की सभ्यता का इतिहास लिखते हुए हमें एक और ग्रन्थ से बहुत प्रामाणिक और अमूल्य सहायता मिल सकती है। यह ग्रन्थरत्न अन्नार्य शुक्र के अनुग्राहियों द्वारा संग्रहीत और प्रणीत “शुक्र नीति सार” है। हमारी सम्पत्ति है कि इस ग्रन्थ का निर्माण काल महाभारत के बाद से लेकर महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व तक के बीच में ही किसी समय है। अतः प्रथम अध्याय में शुक्रनीति सार के काल निर्णय के सम्बन्ध में कुछ लिख कर इस ग्रन्थ के आधार पर ही तत्कालीन सभ्यता तथा सामाजिक और राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालेंगे।

शुक्र नीति सार— यद्यपि आचार्य शुक्र महाभारत काल से भी बहुत पुराने हैं तथापि यह शुक्रनीति सार नाम का दण्डनीति तथा राजधर्म का प्रतिपादक ग्रन्थ महाभारत के बाद ही इस रूप से लाया गया है । यह शुक्राचार्य द्वारा प्रणीत शुक्रनीति नहीं है, उस के आधार पर लिखा हुआ सार-ग्रन्थ है, यह इस के नाम से ही प्रसीत होता है । शुक्र द्वारा प्रणीत सम्पूर्ण शुक्रनीति आज उपलब्ध ही नहीं होती ।

आचार्य शुक्र कौन हैं ?— शुक्राचार्य, यादव वंश के प्रारम्भ के समय के हैं । वह दैत्य गुरु, मघाभव, सौदासर्चि, कविपुत्र, काव्य, भृगुपुत्र, उशन आदि बहुत से नामों से प्रसिद्ध हैं ।^१ देवों से युद्ध छिड़ने पर दैत्यों ने उन्हें अपना प्रधानामात्य और पुरोहित चुना था । दैत्यों के राजा का नाम वृषपर्वा था, शुक्र उसी के प्रधानामात्य थे । इसी समय की कच, देवयानी, यथाति और शर्मिष्ठा आदि की कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं । शुक्र का एक और परिचय भी प्राप्त होता है,—मनुष्य समाज का सब से पहला राजा वेन का पुत्र पृथु हुवा है, शुक्राचार्य इस के प्रधानामात्य थे । दूसरी ओर उन्हीं दिनों देवताओं के गुरु और प्रधानामात्य बृहस्पति थे । ये दोनों आचार्य अपने समय के सर्वोत्तम बज्ञा और तीक्ष्णशास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति थे । दोनों एक दूसरे से खूब प्रतिस्पर्धा करते थे । पीछे से आने वाले दण्डनीति शास्त्र के सभी विद्वानों ने इन दोनों आचार्यों का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया है ।

पञ्चतन्त्र में प्राचीन गुरुओं को प्रणाम करते हुए सब से पूर्व मनु, उस के बाद बृहस्पति और शुक्र, फिर पशाशर और व्यासका नाम लिया गया है ।^२ कौटुम्ब अर्थशास्त्र में भी जगह जगह “दृत्यौशनसः” लिख कर आचार्य शुक्र के सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार की गई है ।

काल निर्णय— प्राचीन संस्कृतसाहित्य में औशनस दण्डनीति बहुत उत्कृष्ट और प्रामाणिक मानी गई है परन्तु वर्तमान समय में शुक्रनीति सार नाम से उपलब्ध होने वाले ग्रन्थ का काल निर्णय करना बहुत कठिन

१. शुक्रो मघाभवः काव्यः उशना भागवः कविः ॥

सौदासर्चिः दैत्य गुरुः घण्णयः ॥

(ऋनेकार्थ रत्नमाला अ० २ । ३३ । ३४ ।)

२. मनवे वाचस्पतये शुक्राचार्य पराशराचार्य समुत्ताय ।

चाषक्याचार्य च विदुये नमोस्तु नय शास्त्रकर्तृम्यः ॥

(पञ्चतन्त्र कथामुख)

है। इस समय शुक्रनीति सार के भिन्न २ संस्करणों में जो थोड़ा बहुत भैद पाया जाता है उस को देख कर उसे शुक्र द्वारा निर्मित ग्रन्थ मानना कठिन हो। जाता है। यह माना जा सकता है कि सम्भवतः आचार्य शुक्र के विस्तृत ग्रन्थ को इस नाम से सार रूप में संक्षिप्त कर दिया गया हो।

महाभारत शान्ति पर्व में सम्पूर्ण दरण्डनीतियों का उद्घव इस प्रकार माना गया है—

“द्वैत्यों से पराजित होकर सब देवता मिल कर ब्रह्मा के पास गए, और उनको अपना कष्ट सुनाया। इस पर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें निपुण बनाने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक एक शास्त्र सुनाया। अन्त में ब्रह्मा ने कहा कि सब लोकों के उपकार के लिये और विचारों में धर्म, अर्थ [और काम की स्थापना के लिये] मैंने तुम्हें यह शास्त्र सुनाया है। यह दरण्ड के सहित संसार की रक्षा में समर्थ हो कर निग्रह (दरण्ड) और अनुग्रह (कृपा) करता हुवा संसार में व्याप रहेगा। यह शास्त्र नियम बनाने और दरण्ड विधान का निर्देश करता है इस लिये इसे दरण्डनीति शास्त्र कहा जायगा। यह पांडुगुण्य रूप (सन्धि, विग्रह, यान, आकृत, संश्रय और द्वैधी भाव) से महात्मा लोगों में भी रहेगा; इस में धर्म, अर्थ, काम और सोक्ष्म इन चारों का वर्णन किया गया है। इसी नीति को सब से पूर्व शंकर ने ग्रहण किया। शंकर के बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु, उमापति आदि नाम प्रसिद्ध हुए।

इस के बाद शिव ने देखा कि यह ग्रन्थ तो इतना बड़ा है कि इसे पढ़ते २ मनुष्य की सम्पूर्ण आयु ही व्यतीत हो जायगी, इस लिये संक्षेप कर के उसने १ लाख की जगह १० हजार अध्याय कर दिये। इस संक्षेप को विशालाक्षकृत दरण्डनीति शास्त्र समझना चाहिये। इन्द्र ने इस को और अधिक संक्षिप्त करके ५ हजार अध्यायों का कर दिया। इस सार का नाम बाहुदरण्डक (या बाहु दन्तक) दरण्ड नीतिशास्त्र प्रसिद्ध हुवा। इस के बाद वृहस्पति ने वार्हस्पत्य दरण्डनीति शास्त्र नाम से इसे और अधिक संक्षिप्त कर के ३ हजार अध्यायों का कर दिया। अन्त में आचार्य शुक्र ने इसी दरण्डनीति को और अधिक संक्षिप्त करके १ हजार अध्यायों का कर दिया। इस प्रकार यह शुक्रनीति दरण्ड शास्त्र संक्षिप्त हो कर इस रूप में पहुंचा है।”^१

१. तानुवाच सुरान् चर्वान् स्वयंभूमग्वस्ततः ।

ग्रेषोऽहं चिन्तयिष्यामि येतु दोभीः सुरप्रभाः ॥ २८ ॥

ततोऽध्याय शतं चक्रे सहस्राण् स्वद्विजम् ।

इस प्राचीन प्रवाद के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह केवल पूर्वी अध्यायों वाला शुक्रनीति सार उपर्युक्त सहस्र अध्यायों वाली शुक्रनीति का अत्यन्त संक्षिप्त सार मान्न है। यह सार महाभारत के बाद ही बनाया गया। महाशय गुस्ताव औपर्द पी. एच, डी. वे. अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत के शास्त्र, सैन्यसंगठन और राज नीतिक सिद्धान्त' (Weapons, Army Organisation and Political Maxims in Ancient India) में लिखा है—

"शुक्र नीति के दूसरे श्लोक में ही लिखा है कि ब्रह्मा का नीतिशास्त्र सौ, सौ श्लोकों वाले एक लाख अध्यायों का था।" जिस प्रकार मानव धर्म-शास्त्र भी अब उतना बड़ा उपलब्ध नहीं होता जितना कि वह प्राचीन काल

यत् धमस्तैवार्थः कामश्चैवाभि वर्णितः ॥ ७७ ॥

शतत्कृष्णा शुभंशास्त्रं ततः स भगवान् प्रभुः ।

दैवानुषाच संहृष्टः सर्वाङ्गं शुक्रं पुरोगमान् ॥ ७८ ॥

उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाय च ।

नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ ७९ ॥

दण्डेन सहिता ह्येषा लोक रक्षणं कारिका ।

निग्रहानुग्रहस्ता लोकाननुचरिष्यति ॥ ८० ॥

दण्डेन नीयते घेदं दण्डं नयति वा पुनः ।

दण्डनीतिरिति ख्याता लौलिकानतिवर्तते ॥ ८१ ॥

घाढ़गुणवरसारेषा स्थास्यत्यर्गं महात्मसु ।

धर्मार्थं कामं मोक्षाश्च सकलाद्यव्रशब्दिताः ॥ ८२ ॥

ततस्तां भगवान्नीतिं पूर्वं जग्राह शंकरः ।

बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्याणुरुपापतिः ॥ ८३ ॥

प्रजानामायुषो ह्रासं विज्ञाय भगवान् शिवः ।

सञ्चिक्षेप ततः शास्त्रं महात्मं ब्रह्मणाकृतम् ॥ ८४ ॥

वैश्यालाक्षमिति प्रोक्तः तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत ।

दशाध्याय सहस्राणि सुव्रह्मणो महाक्षाः ॥ ८० ॥

भगवानपि तत् शास्त्रं देवात्प्राप्य महेश्वरात् ।

प्रजानां हितमन्विच्छल्लं संचिक्षेप पुरन्दरः ॥ ८१ ॥

सहस्रैः पञ्चभिस्तापि यदुक्तं बाहुदन्तकम् ।

अध्यायानां सहस्रैस्तु त्रिभिरेव वृहस्पतिः ।

संचिक्षेपेश्वरो बुदुच्या वार्हस्पत्यं यदुच्यते ॥ ८२ ॥

अध्यायानां सहस्रैण काव्यं संक्षेपमश्रवीत् ।

तच्छास्त्रमितप्रज्ञो योगाचार्यो महायशः ॥ ८३ ॥

एवं लोकानुरोधेन शास्त्रमेतम् महर्षिभिः ।

संक्षिप्तमायुर्विज्ञाय मर्त्यानां ह्रासमेव च ॥ ८४ ॥ (महाभारत शान्ति० अ० ५८)

१. धत्तस्त्रोक्त शोकमितं नीतिसारमथोक्तवान् ॥ २ ॥ (शुक्र० अ० ५)

में था, उसी प्रकार महाभारत के लेखानुसार शुक्रनीति भी आज प्राचीन विस्तृत रूप में प्राप्त नहीं होती। शुक्रनीतिसार के चतुर्थ अध्याय में लिखा है कि इस में कुल मिला कर २२०० श्लोक हैं।^१ यद्यपि प्राचीन लिखित पुस्तकों की पद्य संख्याओं में कुछ कुछ भेद है तथापि एक शुक्रनीतिसार ऐसा भी उपलब्ध होता है जिस में ठीक २२०० श्लोक ही हैं। परन्तु अन्य हस्तलिखित पुस्तकें इस में सन्देह डाल देती हैं।^२

शान्ति पर्व, राजधर्म प्रकरण के ५८ वें अध्याय में शुक्र को शास्त्रकार माना गया है।^३ इसी प्रकार कामन्दकीयादि में भी उसे शास्त्रकार स्वीकार किया गया है। महाभारत में भी इस के उदाहरण मिलते हैं। इसी आधार कुछ लोगों का कहना है कि यह अन्य, महाभारत से पूर्व बना। परन्तु इस के विरुद्ध भी युक्तियां प्राप्त होती हैं।

महाभारत, कामन्दक, हरिवंश, पञ्चतन्त्रादि में वास्तविक शुक्रनीति के उदाहरण भी पाये जाते हैं उन में से कुछ यहां दिये जाते हैं—

“न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्” इत्यादि नीतिवाक्य शुक्रनीति, कामन्दक, हरिवंश और पञ्चतन्त्र में समान रूप से पाये जाते हैं, कुछ पद्यों में थोड़ा बहुत पाठ भेद अवश्य है।

पञ्चतन्त्र में “नामिन शेषं शत्रुं शेषम्” पद्यों को शुक्र के नाम से उद्भृत किया गया है, यह पद्य शुक्रनीति में भी उपलब्ध होता है।

कामन्दक नीतिशास्त्र तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में उशना के नाम पर २० अमात्य रखने का उद्धरण दिया है। यह भी शुक्रनीति में प्राप्त होता है।

इस प्रकार इन अन्यथों में शुक्रनीति के अन्य भी बहुत से उदारण मिलते हैं अतः हम कह सकते हैं कि शुक्रनीति का प्रादुर्भाव इस सब अन्यथों से पूर्व हो चुका था। परन्तु शाठभेद अवश्य प्राप्त होते हैं इस का कारण यही प्रतीत होता है कि उन दिनों स्मृतिग्रन्थों के शब्दानुक्रम को इतनी मुख्यता दी नहीं जाती थी जितनी कि स्मृतिसिद्धान्तों को। इसी से किसी स्मृतिकार

१. मन्वाद्यैरादृतोयोर्थः तदर्थो भार्गवेण वै।

द्वार्विशति शतं श्लोका नीतिसारे प्रकीर्तिताः ॥ २४६ ॥

(शुक्र० अ० ४)

२. वर्तमान शुक्र नीति के कल्पकन्ता में जीवानन्द के प्रवन्ध से छपे संस्करण में २५६५ पद्य हैं।

३. वैशालाक्ष्य भगवान् काव्यशैव महातपा

सहस्रो महेन्द्रस्य तथा प्राचेतसो मनुः ॥ २ ॥

(महात० शान्तित० अ० ५८)

के ; सिद्धान्त को अपने शब्दों में ही व्यक्त कर के नवीन समृतिकार सन्तुष्ट हो जाते थे ।

अब प्रश्न यह है कि शुक्रनीति इस प्रकार संक्षिप्त क्वच हुई । हमारी सम्मति में इस का एक मात्र यहीं उत्तर है कि वर्तमान शुक्रनीतिसार शुक्र का बनाया हुआ ही नहीं है, प्रत्युत महाभारत काल के बाद किसी अन्य ने आचार्य शुक्र के सिद्धान्तों को लेकर इस ग्रन्थ की रचना की है । इस का सब से प्रबल प्रमाण यहीं है कि इस सार में कृष्ण और सुभद्रा तथा दुर्योधन और जन्मेजय के दृष्टान्त दिए गए हैं ।^१ इस से हम इस का काल कामन्दक, कौटिल्य आदि नीतिग्रन्थों की रचना से पूर्व, अर्थात् बौद्ध काल से पूर्व, निर्धारित कर सकते हैं ।

महाभारत राज धर्मानुशासन में उशना की निम्नलिखित उक्ति का उल्लेख किया गया है—

“धर्म की अपेक्षा करके राजा अपने धर्मानुसार शब्द उठा कर धात करने के लिये आते हुए वेदान्त पारंगत ब्राह्मण को भी दयड़ दे । जो नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा करता है, वही धर्म को पहिचानता है; इस से राजा कभी अधर्म न करे क्योंकि मन्यु पर मन्यु विजय पाता है ।”^२

शुक्रनीति में यही बात इस प्रकार कही है—“शब्द उठा कर आते हुए आततायी ब्राह्मण (भ्रूण) को भी मार कर मनुष्य भ्रूणहा नहीं होता अपितु यदि वह उसे न मारे तभी भ्रूणहा होता है ।”^३

१. रामकृष्णेन्द्रादि देवैः कूटमेवाहृतं पुरा ।

कूटेन निहतो वार्तियवनो नामुचितया ॥ ३६० ॥

न कूटनीतिरभवच्छ्री कृष्ण सदृशो वृप ।

अर्जुनं प्रापितास्वस्य सुभद्रा भगिनी छलात् ॥ ५४ ॥

(शुक्र० अ० ५)

दण्डको वृपतिः कामात् क्रोधाच्च जन्मेजयः ॥ १४४ ॥

नष्टा दुर्योधनाद्यास्तु वृपाः शूरवलाधिकाः ॥ ११ ॥

२. उद्यम्य शब्द मायान्तमपि वेद पारगम् ।

निगृहीयात् स्वधर्मेण धर्मपेत्ती नराधिपः ॥ २६ ॥

विनश्यमाणं धर्मं हि यो न रक्षेत् स्वधर्मवित् ।

न तेन धर्मं हासस्पात् मन्युस्तंमन्यु मृच्छति ॥ ३० ॥

(महा० शान्ति० अ० ३०)

३. उद्यम्य शब्दमायान्तं भूणमध्याततपिनम् ।

निहत्य भूणहानस्यात् अहत्का भूणहाभवेत् ॥ ३३६ ॥

(शुक्र० अ० ४)

शुकनीति में व्राह्मण के लिये 'भूण' शब्द आया है; इसी के सान पर इस की व्याख्या करके महाभारत में 'वेदान्त पार व्राह्मण' शब्द रखा गया है। यह महाभारत में शुक से ही उद्धृत किया प्रतीत होता है।

शान्तिपर्व के ५७ चंद्रे अध्याय में उशना की एक और उक्ति का उल्लेख है—“भूमि शत्रु से युद्धन करने वाले राजा तथा व्राह्मण को और भिक्षा न देने वाले व्यक्ति को उसी प्रकार अस लेती है जिस प्रकार कि सांप विल में रहने वाले जीवों को निगल जाता है।”

शुकनीति में यही श्लोक इस से कुछ भिन्न रूप से पाया जाता है।^३

इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शुकनीति सार का निर्माण काल महाभारत के पश्चात् और वौद्ध काल से पूर्व है।

१. द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पेविलशयानिव ।

राजानज्ञवियोद्वारं व्राह्मणज्ञप्रवातिनम् ॥ ३ ॥

(महा० शान्ति० अ० ५७)

२. राजानं चावियोद्वारं व्राह्मणज्ञप्रवासिनम् ।

भूमिरेतौ निर्गलति सर्पेविलशयानिव ॥ ३३ ॥

(शुक० अ० ४ vii)



द्वितीय अध्याय

भौगोलिक अवस्था

शुक्रनीति कोई काव्य, इतिहास, पुराण या अलंकार ग्रन्थ नहीं। उस के द्वारा किसी वंश का चरित्र, किसी जाति का इतिहास, मनोरञ्जन ऐतिहासिक गाथाएँ अथवा अत्युक्ति पूर्ण मानव चरित्रों का वर्णन नहीं जड़ना जा सकता। वह शुद्ध रूप से एक नीति शास्त्र है जिस में दण्डनीति तथा राज धर्म के सम्बन्ध में आदर्श विचार श्रगट किए गए हैं। इस नीति शास्त्र में उदाहरणों के रूप में जो कुछ कहा गया है उस में जुरा भी अत्युक्ति नहीं है। यह ग्रन्थ पद्यों में इस लिये है कि उस समय पद्यरूप में ही ग्रन्थ लिखने की प्रथा थी। शुक्रनीति में भूपर्भविद्या, खनिज विद्या, भूगोल और भौतिक विज्ञान आदि विषयों के वर्णन के लिये बहुत कम स्थान है, तथापि उन्हें उदाहरण के रूप से जहां कहीं किसी देश व जाति की प्रथाओं और व्यवहारों का निर्देश किया है, उस के आधार पर तत्कालीन भौगोलिक स्थिति और जातियों के सम्बन्ध में यत्क्षित् ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

दिग्विभाग— शुक्रनीति में राजधानी का स्थान चुनते हुए दिशाओं की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया है। राज महल के भवनों का कम दिशाओं के अनुसार ही होना चाहिये। पूर्व की ओर राजा के वस्त्रों की धुलाई और सफाई के लिये स्कान होने चाहिये, उत्तर की ओर राजा का अद्भुतालय हो, इत्यादि। इस दिग्ज्ञान के आधार पर ही तत्कालीन वास्तुविद्या (भवन निर्माण विद्या) आश्रित थी।^१

प्रान्त विभाग—दिशाओं के आधार पर ही भारत उस समय पांच भागों में विभक्त था— पूर्व देश, दक्षिण देश, पश्चिम देश, उत्तर देश और मध्य देश। शुक्रनीति में इन सब विभागों की भिन्न २ प्रथाओं का वर्णन कर्त्ता स्थानों पर आता है।

“पश्चिमोत्तर देश के निवासी वेद से भिन्न किसी और ग्रन्थ को प्रामाणिक मानते हैं।”^२

१. शुक्र ० अ० १।२।१४ स्तोक से राजधानी निर्माण प्रकरण।

२. संसंकर चतुर्वर्णा एकत्रैकत्र यावनाः।

वेदभिन्न प्रमाणास्ते प्रत्यगुत्तर वासिनः ॥ ३५ ॥

“दक्षिण देश के ब्राह्मण अपनी मस्तरी वहिन से विचाह कर लैना चुरा नहीं समझते । मध्यदेश के शिल्पी और बढ़ी गौ का मास भी खाते हैं ।”^१

“उत्तर देश में स्त्रियें भी शराब पीती हैं । रजस्वला होने पर भी उन्हें छूया जा सकता है ।”^२

इन उपर्युक्त प्रथाओं के आधार पर हम इन विभागों की स्थिति बहुत सुगमता से जान सकते हैं । आज तक भी महाराष्ट्र और मद्रास में ब्राह्मणों में मासे की कन्या से विचाह करना चुरा नहीं समझा जाता । इस लिये आज कल का दक्षिणी भारत ही शुक का दक्षिण देश है । सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग ने भी भारत के पांच विभागों का वर्णन किया है । सम्भवतः ये पांचों विभाग भी वही शुक के पांच देश ही हैं । यह मान कर वर्तमान पञ्चांश और अफगानिस्तान उस समय का उत्तर देश, आसाम वर्गाल पूर्व देश, सिन्धु गुजरात पश्चिम देश, महाराष्ट्र और मद्रास दक्षिण देश और युक्त प्रान्त मध्यदेश समझना चाहिये ।

छोटे प्रान्त—चीनी यात्रियों के कथनामुसार तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि आचार्य शुक पूर्व देश-विहार में उत्पन्न हुए थे । परन्तु उनके विचार तथा उन का व्यक्तित्व केवल अपने प्रान्त तक ही सीमित नहीं था । उन्होंने अपने विचार सम्पूर्ण भारत की प्रथाओं तथा अवस्थाओं को दृष्टि में रख कर विकसित किये हैं । उन्होंने राज्य के लेखकों की योग्यता के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि वे सब प्रान्तों तथा उन की भाषाओं का भली भाँति ज्ञान रखते हों ।^३ इसी प्रकार प्रचलित तुलाओं के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रत्येक प्रान्त के वाट भिन्न २ हैं ।^४ विदेश यात्रा तथा प्रवास के सम्बन्ध में भी कई वार्ते शुक्रनीति में कही गई हैं ।

लंका— शुक्रनीति में लंका द्वीप का भी वर्णन है—“लंका के निवासी

१. उद्यते दाचिषात्यैर्मातुलस्य सुता द्विजैः ।

मध्यदेशे कर्मकाराः शिल्पनष्ठ नवाग्निः ॥ ४८ ॥

(शुक्र० अ० ४ ८)

२. मत्स्यादाद्यनातः सर्वे छविचार रताः त्रियः ।

उत्तरे मद्यापा नार्थ्यः स्वपृश्या नृणां रजस्वताः ॥ ५० ॥ (शुक्र० अ० ४ ८ .)

३— गणना कुशलो यस्तु देशभाषा प्रभेदवित् ।

असन्दिधमूढार्थं विलिखेत् स च लेखकः ॥ १७ ॥ (शुक्र० अ० २).

४. तत्साष्ट्रादकः प्रोक्तो त्वं पर्मणस्ते तु विश्वितः ।

खातिका स्थाद्वियते तद्देशे प्रमाणकम् ॥ ३८६ ॥

(शुक्र० अ० २ १)

नकली मोती बनाने में बहुत बहुत निपुण हैं, इस लिये मोती खरीदते हुए उन की पहचान भली प्रकार कर लेनी चाहिये । ”^१

गण्डक— “गण्डक देश के निकट हीरे और मोती बहुत अच्छे निकलते हैं । ”^२ यह प्रान्त सम्बन्धितः गण्डक नदी के तट पर स्थित महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थान कुशी नगर का प्रान्त है ।

खशः— “खश प्रान्त के चासी अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर उस की स्त्री से खयं विवह कर लेते हैं । उन में यह प्राचीन प्रथा है इस लिये इस बात को पाप नहीं समझा जाता । ”^३

राजतखड़िणी के अनुसार खश जाति के लोग काश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में बसे हुए थे ।

पर्वत— शुक्रनीति में हाथी की उपमा पर्वत आदि से कई स्थानों पर दी है । पर्वतों की उपर्योगिता शुक्र ने इन साहित्यिक उपमाओं के लिये ही सीमित नहीं रक्खी है अपितु इन की प्राकृतिक स्थिति का लाभ उठाने के लिये शुक्र ने लिखा है कि राजधानीं पर्वतों से बहुत दूर नहीं बनानी चाहिये । “अगर राजधानी के निकट ही कोई पहाड़ी न हो तो उस के ज्ञारों और मज़बूत दीवार बनानी चाहिये । ”^४

इसी प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिये गिरि दुर्ग बनाने का भी विधान है । ये दुर्ग बहुत ऊँचाई पर होते हुए भी ऐसे स्थान पर होने चाहिये जहाँ पानी प्रभूत मात्रा में प्राप्त हो सके । ये गिरि दुर्ग रक्षा के लिये सर्वोत्तम

१. तदेव हि भवेत् वेध्यमवेध्यानीतराणि च ।

कुर्वन्ति कृत्रिमं तद्वत् विंहलद्वीप वासिनः ॥ ॥ ६८ ॥

(शुक्र० अ० ४)

२. रत्जे गण्डकोद्धृते मान दोषो न सर्वशा ।

पाषाण धातु जायांतु मान दोषात् विचिन्तयेत् ॥ १५३ ॥

(शुक्र० अ० ४ .iv)

३. खश जाता प्रगृहन्ति भ्रातृभार्यामभ्रत्काम् ।

अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चितदमार्हणाः ॥ ५१ ॥

(शुक्र० अ० ४ .v)

४. आसिन्धु नौगमाकूले नातिदूर महीधरे ।

सुरम्य सम भूदेशे राजधानीं प्रकल्पयेत् ॥ २१४ ॥

(शुक्र० अ० १)

५. स्वहीन प्रतिप्राकारो ह्यसमीप महीधरः ।

परिखा च तत् कार्या खातात् द्विगुण विस्तरः ।

होते हैं । दुर्गों में केवल खाई से घिरे हुवे दुर्ग सब से निकृष्ट दर्जे के और यह गिरि दुर्ग सर्वोच्चम होते हैं । ”^१

नदियाँ— नदियों के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत सी शिक्षाएँ दी हैं—“मनुष्य तैर कर नदी को पारन करे अपितु नौका द्वारा ही उसे पार करे ।”^२ नदियों पर पुल बनाने चाहिये जिस से दोनों और की सड़कों का परस्पर सम्बन्ध हो सके ।”^३

नदियों का वास्तविक उपयोग उन के द्वारा कृषि की सिचाई करना ही वर्ताया गया है “भूमि की सिचाई कृप, तालाब और नदी इन तीनों में से किस से होती है यह ध्यान में रख कर ही राजा उन पर कर नियुक्त करे ।”^४

“कृषि सब से उत्तम कार्य है । और कृषि की माता नदियाँ हैं ।”^५

इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि उस समय नदियों द्वारा यथेष्ट लाभ उठाया जाता था ।

समुद्र— शुक्र द्वारा वर्णित भारत की सीमा आसमुद्र विस्तृत है अतः शुक्र को समुद्रों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त ज्ञान था । शुक्र नीति में ज्वार-भाटे की ओर भी संकेत है—

“वे राजा जो देश को सम्पन्न बनाते हैं, लोगों को इस प्रकार प्रिय होते हैं जिस प्रकार कि चांद समुद्र को प्रिय प्रतीत होता है ।”^६ इसी

१. जल दुर्गं स्मृतं तज्जैरासमन्ताम्महाजगम् ।
सुवारि पृष्ठोऽच्च घरं विविक्ते गिरि दुर्गमम् ॥ ४ ॥
पत्तिवादैरिणं श्रेष्ठं पातिं तु ततो बनन् ।
ततो धन्वं जलं तस्माद्विरिदुर्गं ततः स्मृतम् ॥ ६ ॥
(शुक्र० अ० ४ iv)

२. नदीं तरेन्न वाहुभ्यां………… ॥ २५ ॥ (शुक्र० अ० ३)

३. नदीनां सेतवः कार्या विविधा सुप्रनोहराः ।
नौकादि जल यानानि शरणानि नदीषु च ॥ ६१ ॥
(शुक्र० अ० ४)

४. तडाग वापिका कूप मातृकाद्वेष मातृकात् ।
देशान्नदीमातृकात् तु राजानुक्रमतः सदा ॥ ११५ ॥
(शुक्र० अ० ४)

५. कृषिस्तु चोत्तमा वृत्तिर्या सारिन्मातृका मता ॥ २७४ ॥ (शुक्र० अ० ३)

६. राजास्थ जगतो हेतुर्वृद्धये वृद्धाभिसम्मतः ।
नयनानन्द जनकः शशाङ्क इव तोयधेः ॥ ६४ ॥
(शुक्र० अ० १)

तरह उपमा के रूप में सामुद्रिक जहाजों का भी जिकर है ।^७

इतना ही नहीं उस समय समुद्र पार के देशों को विजय करने की कल्पना भी थी । शुक्रनीति के प्रथम अध्याय में मारुडलिक आदि शास्त्रों की परिभाषा सब समुद्रों तथा सातों महाद्वीपों का अधिपति की है ।

नक्षत्र— नक्षत्र दो प्रकार के हैं, स्थिर और गति शील ।^८ इनका ज्ञान ज्योतिष विद्या से ही सकता है । गरमी सरदी आदि ऋतु भैद तथा काल की रचना ग्रह और नक्षत्रों की गति से ही होती है ।^९ नक्षत्र और ग्रहों की गति तथा उदय अस्तादि का काल घड़ी और पूल गिन कर जिस विद्या से जाना जाता है वह ज्योतिष विद्या है ।^{१०}

१. यदि न स्याक्षरपतिः सम्यङ् नेता ततः प्रजाः ।

प्रकर्णधारा जलधौ विष्टवेतेह नौरिव ॥ ६५ ॥

(शुक्र ० अ० १)

२. जंगम स्थावराणाङ् हीशः स्वतपसा भवेत् ।

(शुक्र १ । ५३)

३. वृष्टि शीतोष्ण नक्षत्र गतिरूप स्वभावतः ।

इष्टानिष्टाधिक न्यूनाचारैः कालस्तु भिद्यते ॥ २१ ॥

(शुक्र ० अ० १)

४. नक्षत्र ग्रह गमनैः कलो येन विधीयते ।

संहिताभिश्च होराभिः गणितैज्यर्थेतिषं हि तत् ॥ ४५ ॥

(शुभ ० अ० ४)



तृतीय अध्याय

→॥३८॥

शासन व्यवस्था (क)

~~~~~॥३९॥

### राजा, और शासन प्रबन्ध

शुक्रनीति पक्षनीति ग्रन्थ है जिस में कि आचार्य शुक्र के राजनीतिक और समाज सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा आदर्शों का वर्णन है। इस के द्वारा हम तत्कालीन राजाओं का इतिहास नहीं जान सकते; तथापि इस से इतना अवश्य ज्ञात हो सकता है कि उस समय समाज में राजा की स्थिति क्या थी, शासन प्रबन्ध किस प्रकार का था, कौनसी शासन व्यवस्था आदर्श समझी जाती थी। शुक्रनीति को पढ़ने से प्रतीत होता है कि तत्कालीन राज्य व्यवस्था पर्याप्त उन्नत थी, प्रजा का शासन में पर्याप्त हाथ था। उस समय एक प्रकार से भारत में 'मुकुट-धारी प्रजातन्त्र शासन' (Crowned Republic) थी।

**राजा की स्थिति—** आचार्य शुक्र के अनुसार राजा के पद पर विद्यमान व्यक्ति की व्यक्ति रूप से कुछ भी विशेषता नहीं है। राजा सार्वजनिक हित का उत्तरदायी प्रतिनिधि होता है इस कारण इस महान पद के प्रति आचार्य शुक्र ने विशेष सम्मान और विनय के भाव प्रगट किये हैं। परन्तु यह राजा सदैव प्रजा का आज्ञाकारी सेवक ही होना चाहिये—

"ईश्वर ने राजा को प्रजा के नौकर रूप से पैदा किया है। इस सेवा के बदले प्रजा राजा को वेतन रूप में अपनी आय का कुछ भाग (कर) देती है अतः राजा को सदैव प्रजा का पालन ही करना चाहिये।"<sup>9</sup>

व्यक्ति रूप से राजा की कुछ भी महत्ता नहीं है। इस घात का निर्दर्शन आचार्य शुक्रने बहुत कठोर शब्दों में किया है, उन्होंने व्यक्ति रूप से राजा की उपमा कुत्ते तक से दे डाली है।

"अगर एक कुत्ते को सजा कर बढ़िया रथ पर बैठा दिया जाय तो

१. स्वभाग भूत्या दास्यत्वे प्रजानाम् दृपः कृतः ।

ब्रह्मणा स्वामिष्ठपस्तु पालनार्थं हि सर्वदा ॥ १८८ ॥

( शुक्र ० श्र० १ )

क्या वह राजा के समान शानदार प्रतीत नहीं होता ? इसी से तो कर्तव्य पालन न करने वाले राजा की उपमा कवि लोग कुत्ते से ही देते हैं ।<sup>१</sup>

राजा की यह स्थिति मान कर आचार्य शुक्र उसे सदैव प्रजा की सम्मति का सन्मान करने तथा उस पर चलने का निर्देश करते हैं— “राजा अपने उस कांर्यकर्ता को पदचयुत कर दे जिस के विरुद्ध १०० नागरिक नालिश करते हो ।”<sup>२</sup>

“राजा को सदैव अपने मन्त्रियों, राज सभा के सदस्यों तथा सहकारियों की सलाह लेकर ही राज्य कार्य करना चाहिये, स्वयं अपनी सम्मति के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिये । जो राजा केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही राज्य का कार्य करता है, उस से प्रजा असन्तुष्ट हो जाती है और सदैव उसे राज्यचयुत होने का भय बना रहता है ।”<sup>३</sup>

इस प्रकार आचार्य शुक्र के अनुसार राजा एक प्रकार से केवल मात्र अपनी प्रजा का आङ्गा पालक भूत्य ही है । शुक्रनीति के प्रारम्भ में ही राजा में ईश्वर तथा देवताओं का अंश स्वीकार किया गया है । परन्तु यह देवीय महत्ता राजा व्यक्ति की नहीं है उस के महान कार्य तथा उच्च पद की है ।

**आदर्श राजा**— आचार्य शुक्र के अनुसार राजा की स्थिति शासन विभाग के प्रधान ( Executive head ) की है अतः उस की इस महान उत्तरदायिता को हृषि में रख कर आचार्य शुक्र ने उस के सदाचारी होने पर बहुत बल दिया है । राजा को सदैव सावधान हो कर इन्द्रिय दमन द्वारा रहना चाहिये । उसे कभी अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिये । जो व्यक्ति अपने मन का ही दमन नहीं कर सकता वह सागर

१. राजयानारूढितः किं राजा श्वानं समोऽपि च ।

शुना समो न किं राजा कविभिर्भाव्यतेऽन्न सा ॥ ३७१ ॥

( शुक्र० अ० १ )

२. प्रजा शतेन संट्विष्टं संत्यजेदधिकारिणम् ।

ग्रामात्यमपि संबीक्ष सकृदन्याय गामिनम् ॥ ३७६ ॥

( शुक्र० अ० १ )

३. सम्याधिकारि प्रकृति सभासत्सुमतै स्थितः ।

सर्वदास्याम्नृपः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥ ३ ॥

प्रभुः स्वातन्त्र्यमापन्नो ह्यनर्थ्यैव कल्पते ।

भिन्न राष्ट्रो भवेत् सद्योभिन्न प्रकृतिरेव च ॥ ४ ॥

( शुक्र० अ० २ )

पर्यन्त विस्तृत भूमि का शासन किस प्रकार करेगा । ”<sup>१</sup>

राजा को थगर किसी इन्द्रिय का भी कोई व्यसन लग जाय तो उसे सदैव मृत्यु का भय बना रहता है अतः उसे निर्व्यसनी होना चाहिये ।<sup>२</sup>

इसी प्रसङ्ग में आचार्य-शुक्रने इन्द्र, दण्डक, तटुष, रावण आदि बहुत से राजाओं के उदाहरण दिये हैं । ये राजा व्यसनी थे और इसी कारण इन का नाश हो गया ।<sup>३</sup>

इस प्रकार पूर्ण सदाचार तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए राजा की प्रजा का पालन करना चाहिये । प्रजा को सुखी तथा राष्ट्र को समृद्ध करना ही राजा का एक मात्र कर्तव्य है ।

जो राजा स्वयं अपने दुर्गुण नहीं जानता वह स्वयं अपना नाश ही कर रहा होता है । अतः राजा को सदैव गुप्तचरों द्वारा यह मालूम करने का यत्न करना चाहिये कि प्रजा उसकी समालोचना किस प्रकार करती है । उब कभी प्रजा राजा से ज़रा भी असन्तुष्ट हो, उसे अपने गुप्तचरों द्वारा प्रजा के अपने प्रति असन्तोष के कारण को जान लेना चाहिये । यही नहीं, राजा के अपने कर्मचारी तथा अमात्य उस की किस प्रकार की समालोचना करते हैं, कौन उसे कितना चाहता है, यह सब राजा को गुप्तचरों द्वारा जानना चाहिये । परन्तु अपनी

१. विषयामिष लोभेन मनः प्रेरयतीन्द्रियम् ।

तन्निरुद्धुयात् प्रथनेन जिते तस्मिन् जितेन्द्रियः ॥ ९९ ॥

एकस्यैव हि योशलो मनसः सन्निवर्षणे ।

महीं सागरपर्यन्तां स कथं त्यवलेप्यति ॥ १०० ॥

( शुक्र० अ० १ )

२. एकैकशो विनिभन्नि विषया विष संनिधाः ।

किं पुनः पञ्च मिलताः न कथं नाशयन्ति हि ॥ १०८ ॥

नट गायक गणिका मल्लपण्डाल्प जातिषु ।

योतिसल्लो वृयो निद्यः सहि यत्रुमुखे स्थितः ॥ १२८ ॥

दुद्धिमन्तं सदाद्वैषि मोदते वज्रकैः सह ।

स्वदुर्गुणं तैव वैति स्वात्म नाशाय सनृपः ॥ १२९ ॥

( शुक्र० अ० १ )

३. धर्मं पुत्रं नलाद्यास्तुः सुधूतेन विनाशिताः ।

सकापट्यं धनायालं दृतं भवति तद्विदाम् ॥ ११० ॥

व्यायचञ्चन्त वहवः खीपु नाशं गता असी ।

इन्द्र दण्डक सहुष राष्ट्राद्याः सदा ह्यतः ॥ ११४ ॥

( शुक्र० अ० १ )

निन्दा सुन कर राजा को लोगों पर नाराज़ नहीं होना चाहिये—अपने दोष हटाने का प्रयत्न करना चाहिये । अपनी प्रशंसा सुन कर उसे खुश नहीं होना चाहिये । इस प्रसङ्ग में शुक्र ने राम का सीता को निर्वासित करने का दृष्टान्त भी दिया है ।<sup>१</sup>

इस प्रकार आदर्श राजा का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था पूर्वक अपने को इश्वर तथा दैवीय शक्तियों का प्रतिनिधि समझ कर दराडनीति के आधार पर शासन करे ।

**युवराज की शिक्षा और स्थिति**—राष्ट्र में युवराज की विशेष स्थिति और महत्त्व है । वह भावी में राष्ट्र का शासक बनेगा, इस लिये राजा को अपने जीवन काल में ही उसे राज्य के बहुत ही महत्व पूर्ण कामों में लगाना चाहिये जिस से कि वह भावी के लिये पूरी तरह तैयार हो सके । अपने जीवन में ही राजा को अपने सुयोग्य उपेष्ठ पुत्र को युवराज नियुक्त कर देना चाहिये । अपने पुत्र के अभाव में भाई के योग्य पुत्र को, उसके अभाव में किसी अन्य योग्य लड़के को गोद लेकर उसे युवराज बना देना चाहिये ।<sup>२</sup>

बचपत से ही राजा को अपने पुत्रों के निरीक्षण तथा सुशिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करना चाहिये । अन्यथा राजकुमार ही किसी से वहकाये जाकर राज्य के लोभ में अपने पिता का घात कर सकते हैं । मनुष्य में महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, इस के वशीभूत होकर पुत्र पिता की भी हत्या कर दैठते हैं, भाई की

१. द्वपो यदा तदा लोकः तुभ्यते भिद्यते यतः ।

गूढाचारैः श्रावयित्वा स्ववृत्तं दूषयन्ति के ॥ १३१ ॥

भूषयन्ति च कैर्मवैरज्ञात्याद्याद्य तद्विदः ।

मयि कीदूक्ष च सम्प्रीतिः केषामप्रीतिरेव वा ॥ १३२ ॥

सुकीर्त्यै संत्यजेन्नित्यं नावमन्येत वै प्रजाः ।

लोको निन्दति राजंस्त्वां चारैः संशावितो यदि ॥ १३४ ॥

कोपं करोति दौरात्म्यादात्म दुर्गुण लोपकः ।

सीता साध्यपि रामेण त्यक्ता लोकापवादतः ॥ १३५ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

२. कल्पयेद् युवराजार्थं ग्रौरसं धर्मपत्रिजम् ॥ १४ ॥

स्वकनिष्ठं पितृव्यं वानुजं वाग्रजसम्भवम् ।

सुव्रं सुत्रीकृतं दत्तं यौवराज्येऽभिषेच्येत् ॥ १५ ॥

क्रमादभावे दैर्घ्यहत्रं स्वप्रियं वा नियोजयेत् ॥ १६ ॥

( शुक्र० अ० २ )

तो गिरती ही करा है। १

इस लिये राजपुत्रों को सुयोगम और उदाचारी अध्यापकों की अध्यक्षता में एकात्म में रखना चाहिये।

गुप्तचरों द्वारा उनका वृत्तान्त जानते रहना चाहिये। राजपुत्रों को भूल कर भी विलासी नहीं बनाना चाहिये। उन्हें तपस्या पूर्वक वीर और सुशिक्षित बनाने का यत्त करना चाहिये। २

**राजतन्त्र—** शासन में राजकुमारों की संरक्षा तथा सुशिक्षा का प्रश्न एक बहुत ही महत्व पूर्ण प्रश्न है। संसार के सब हेशों की राजसत्ता में ऐसे वीसियों उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिन में कि राजपुत्रों ने ही राज्य के लोभ से अपने पिता या बड़े भाई का खून करने के लिए यत्त किया है। इस लिये आचार्य शुक्र ने भी इस समस्या पर विशेष बल दिया है—“राजकुमार अगर विगड़ भी जावे तो उसे निर्वासित नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह इस प्रकार शत्रु राष्ट्रों से सहायता लेकर राज्य पर आक्रमण करने का यत्त करता है।” ३

इस प्रकार पुत्र के पूर्ण शिक्षत हो जाने पर विधि पूर्वक राजा को उसका ‘युवराज्याभिषेक’ करना चाहिये। शुक्र ने कहा है कि—“युवराज और मन्त्र-

१. स्वर्धम निरतात्। शूरात् भक्तात् नीतिमतः सदा।

संरक्षयेद्राजपुत्रात् वालानपि सुयततः ॥ १७ ॥

लोकुप्यमानास्तेषु पु हन्युरेनमरक्षिताः।

रक्ष्यमाणा यदि छिद्रं कथञ्चित् प्राप्नुवन्ति ते ॥ १८ ॥

पितरज्ञापि निधन्ति भ्रातरं ल्पितरं तु किम् ।

मूर्खो वालोऽपीच्छतिस्म स्वाम्यं किं न पुनर्युवा ? ॥ २० ॥

( शुक्र० अ० २ )

२. स्वात्यन्त सन्निकर्पेण राजपुत्रांस्तु रक्षयेत्।

सद् भृत्यैषापि तस् स्वात्यन्तं द्वैतज्ञात्वा सदा स्वयम् ॥ २१ ॥

शौर्यं युद्धरतात् सर्वकला विद्या विदोऽनुपः।

सुविनीतात् प्रकुवीर्त ह्यमात्माद्यै वृपः सुतात् ॥ २२ ॥

( शुक्र० अ० २ )

३. राजपुत्रः सुदुर्बृतः परित्यागं हि नार्हति।

क्षिप्यमानः स पितरं परानाश्रित्य हन्ति हि ॥ २३ ॥

( शुक्र० अ० २ )

मण्डल यही दोनों राजा की दाँई और बाँई भुजाएं हैं । ”<sup>१</sup>

युवराज को सदैव यह समझ कर कि मैं राज्यकार्य सीख रहा हूँ, पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिये; प्रजा की वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं को समझने का यत्न करना चाहिये । युवराज को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राजा तथा प्रजा दोनों के अनुरुद्धर आचरण करने में ही उस का हित है ।<sup>२</sup>

**मन्त्रिमण्डल**— हम पहले ही कह चुके हैं कि आचार्य शुक्र के अनुसार राजा की स्थिति केवल मात्र शासनविभाग के अध्यक्ष मात्र की है । राष्ट्र का नियामक-विभाग ( Legislation ) उस के हाथ में नहीं है । उसे मन्त्रि-मण्डल तथा राज सभा की सम्मति से ही सब नियम बनाने चाहिये । इतना ही नहीं अपितु शासन-विभाग में भी उसे बहुत सा कार्य मन्त्रियों की सहायता से ही करना चाहिये । शुक्रनीति के दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा है—“जो बिलकुल छोटे २ कार्य हैं वे भी एक अकेले आदमी से होने कठिन हैं, किर शासन का महान कार्य एक ही व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है; इस लिये राजा को अपने सभी कार्य नीति-शास्त्र में कुशल और अनुभवी मन्त्री-मण्डल की सहायता से ही करने चाहिये ।”<sup>३</sup>

परन्तु इन मन्त्रियों की नियुक्ति किस आधार पर तथा कितने समय के लिये होती थी, इनके कर्तव्य क्या थे, ये सब बातें शुक्र नीति में विस्तार के साथ नहीं पाई जातीं ।

१. सुवराजोऽमात्यश्णौ भुजावेतौ महीभुजः ।

तावेव नयने कण्ठै दक्षसव्यौ क्रमात् दमृतौ ॥ १२ ॥

( शुक्र० अ० २ )

२. पितुराज्ञोऽन्नेन प्राप्यापि पदमुत्तमम् ।

तस्माद् भ्रष्टा भवन्तीह दासवद्राज पुत्रकाः ॥ ४१ ॥

तत्कर्म नियतं कुर्याद् येन तुष्टो भवेत् पिता ।

तत्त्वं कुर्यात् येन पिता मनागपि विषेदति ॥ ४३ ॥

विद्यया कर्मणा शीलैः प्रजाः संरक्षयन् सदा ।

त्यागी च सत्यसम्पन्नः सर्वात् कुर्यात् वशे स्वके ॥ ४५ ॥

( शुक्र० अ० २ )

३. यद्यप्यत्पतरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

पुरुषेणासहायेन किमुराज्यं महोदयम् ॥ ५३ ॥

सर्वविद्यासु कुशलो नृपो ह्यपि सुमन्त्रवित् ।

मन्त्रिभिस्तु विनामन्त्रं नैकार्थं चिन्तयेत् क्वचित् ॥ २ ॥

( शुक्र० अ० २ )

**मन्त्रिपरिषद् की रचना—** महामति कौटिल्य से मन्त्रिपरिषद् की रचना में आचार्य शुक्र को उद्घृत करते हुए लिखा है कि इन के सिद्धान्त के अनुसार मन्त्रिपरिषद् में २० सदस्य होने चाहिये । शुक्रनीति सार में १० मंत्रियों का वर्णन है ।<sup>१</sup> यह मन्त्रिमण्डल ८ सदस्यों का भी हो सकता है—

सुमन्त्रः परिषतो मन्त्री प्रधानः सचिवस्तथा ।

ग्रामात्यः प्राङ्गविवाकश्च तथा प्रतिनिधि स्मृतः ॥ ७२ ॥ ( शुक्र० ग्रा० २ )

शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान मण्डल की रचना इसी आधार पर की थी । उस के अनुसार हम इन आठों सचिवों के कार्य का विभाग इस प्रकार कर सकते हैं—

### १. सुमन्त्र—अर्थ सचिव ( Minister of Finance )

इस का कार्य राष्ट्र के आय व्यय का प्रबन्ध करना, बजट बनाना, आय वृद्धि के उपाय सोचना, करों का प्रबन्ध करना, व्यापार पर नियन्त्रण रखना, कोष रक्षा और प्रत्येक राष्ट्रीय आर्थिक वात के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है ।

### २. परिषतामात्य—विधान सचिव ( Minister of Law )

इस का कार्य कानूनों का रूप बनाने में मन्त्रिमण्डल की सहायता करना,<sup>२</sup> उन के व्याख्या करना, विवाहों को धर्म और स्मृति का विरोधी न होने देना और इस सम्बन्ध में राजा के सन्मुख पूर्ण उत्तरदायी होना है ।

### ३. मन्त्री—अन्तर्राष्ट्र सचिव ( Home Minister )

इस का कार्य राष्ट्र की घरेलु वातों का प्रबन्ध करना, पोलीस आदि द्वारा शान्ति रक्षा का यन्त्र करना, नगर समितियों तथा गण पूगादि का नियन्त्रण, प्रजा की उशिक्षा का प्रबन्ध और इन वातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है ।

### ४. प्रधान—सभाध्यक्ष ( President of the council )

यह जन-सभा<sup>३</sup> का अध्यक्ष होता या और इसी अधिकार से मन्त्री मण्डल में सम्मिलित चमभा जाता था । इस का कार्य सभा की बैठकों में शान्ति और व्यवस्था रखना है ।

### ५. सचिव—युद्ध सचिव ( Minister of war )

इस का कार्य सेना की व्यूहशिक्षा का प्रबन्ध करना, सेनिक व्यय पर नियन्त्रण रखना, मुद्रादि का प्रबन्ध तथा इन वातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है ।

### ६. अमात्य—कृषि तथा कर सचिव ( Minister for Revenue and Agriculture )

#### ७. एकांश विभाग प्रतिनिधि: प्रधानः सचिवस्तथा ॥ ६८ ॥

मन्त्री च प्राङ्गविवाकश्च पस्तितश्च सुमन्त्रकः ।

ग्रामात्यो द्वृत इत्येता राजः प्रकृतयो दश ॥ ७० ॥ ( शुक्र० ग्रा० २ )

२. शुक्रनीति प्रथम आध्याय के ३५२-५३ स्थोकों के अनुसार उस समय जन-सभा की सत्ता चिढ़ु होती है । इस विषय पर विस्तार से हम आगे आध्याय में लिखेंगे ।

इस का कार्य प्रजा पर कर नियुक्त करने में अर्थ सचिव की सहायता करना, कर जमा करने का प्रबन्ध करना, भूमि का माप रखना, उसे कृषि योग्य बनाने के लिये यत्न करना और इस सम्बन्ध में राजा के समने उत्तरदायी रहना है।

#### ७. प्राष्टुतिवाक—न्यायसचिव ( Minister of Justice and Chief Justice )

यह व्यक्ति स्वयं राष्ट्र का प्रधन न्यायाधीश होता था, और इसी अधिकार मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था, इस का कार्य राष्ट्र भर के न्यायालयों का निरीक्षण करना, न्याय सम्बन्धी विवादों का निर्णय देना और इस सम्बन्ध में राजा के समुख उत्तरदायी होना है।

#### ८. प्रतिनिधि—( Representative ),

प्रतिनिधि का वास्तविक कार्य नहीं जाना जा सका है; समझतः यह राजा के प्रतिनिधि रूप से मन्त्रिमण्डल में होगा। मन्त्रिमण्डल में इस का एक विशेष स्थान है। राजा की अनुपस्थिति में यही उसका कार्य करता है। आचार्य शुक्रने इस के चतुर और कार्य कुशल होने पर क्षेष बल दिया है।

दूसरे सिद्धान्त के अनुसार अगर मन्त्रिमण्डल में १० सदस्य अभीष्ट हों तो ये दो सचिव और होंगे—

#### ९. पुरोहित-धर्म सचिव ( Minister of Religion )

इस का कार्य राष्ट्र के धार्मिक कृत्यों और उत्सवों का प्रबन्ध करना, राजा का पुरोहित बन कर रहना और प्रजा के आचार का निरीक्षण करना है।

#### १०. दूत—( Minister of Diplomacy )

इस का कार्य विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना है। आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र राष्ट्रों से सहित या विघ्न करने के लिये राजा इसी को सम्पूर्ण अधिकार देकर अपने प्रतिनिधि के रूप से भेजता है।

इन मन्त्रियों के कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए हम ने, शिवाजी के समय शुकनीति के आधार पर जिस प्रकार मन्त्रिमण्डल, ( अष्टप्रधान मण्डल ) की रचना की गई थी—उस से भी ज्ञायता ली है। शुकनीति में इन दोनों की परिषदों के सम्बन्ध में ये निर्देश प्राप्त होते हैं—

उपर्युक्त प्रकार से आचार्य शुक्र के अनुसार मन्त्रिमण्डल में १० व्यक्ति होने चाहिये। परन्तु कुछ अन्य आचार्यों के मत से मन्त्रिमण्डल में ८ ही व्यक्ति होने चाहिये। इन दोनों मन्त्रिमण्डलों में एक विशेष व्यवस्था सम्बन्धी मेद है। आचार्य शुक्र के अनुसार मन्त्रिपरिषद के १० सदस्य होने चाहिये और 'पुरोहित' इन में सब से मुख्य है, 'राष्ट्र की रक्षा और उन्नति मुख्यतया उसी पर

१. भारतीय शासन व्यवस्था में पुरोहित को मुख्यता बहुत प्राचीन है। रामायण काल में भी पुरोहित ही प्रधनामन्त्र का करता था।

परन्तु दूसरे आचार्यों के अनुसार मन्त्रिपरिषद् के जो आठ सदस्य हैं उनमें पुरोहित का नाम नहीं है। इस से सिद्ध होता है कि शुक्र के अनुसार “पुरोहित” शब्द प्रधानामात्य का वाचक है, जिसकी महान् शक्तियों के आधार पर ही राज्य की उन्नति आश्रित है। इस अवस्था में राजा बहुत अधिक सीमित अधिकारों वाला ही एह जाता है। शासन-विभाग में भी उस के बहुत अधिक अधिकार नहीं वचते। परन्तु दूसरे मत के अनुसार मन्त्रिमंडल एक प्रकार से राजा का सहायक मात्र है। राजा स्वयं ही प्रधान मंत्री का कार्य भी करता है, आठों मंत्री अपने अपने विभागों द्वारा उस की सहायता करते हैं।

**मन्त्रिपरिषद् की महत्ता**—ये मंत्री केवल राजा को सलाह मात्र देने वाले ही नहीं थे। राजा पर इन का बहुत अधिक प्रभाव होता था। मन्त्रिपरिषद् से सलाह लिये विना वह कुछ न कर सकता था। आचार्य शुक्र ने मंत्रियों की महत्ता अनुभव करते हुए प्रवल शब्दों में उन्हें शक्तिशाली बनने को कहा है—

“इन मंत्रियों की सलाह के बिना राज्य का नाश हो जायगा, इस लिये महियों को चाहिये कि वे राजा को सदैव उत्तम सलाह और सहायता देते रहें। जिन मन्त्रियों से राजा नहीं डरता उन से राष्ट्र की उन्नति सर्वथा असम्भव है, वे केवल खियों के आभूयणों की तरह ही राष्ट्र की नाम मन्त्र के लिये कुछ शान बढ़ाते हैं। जिन मंत्रियों को होते हुए वल और करेश नहीं बढ़ता उन से लाभ ही क्या है।”<sup>3</sup>

**मन्त्रियों की वैयक्तिक स्थिति**—इन १० मंत्रियों में ‘पुरोधा’ सब से बड़ा है; राष्ट्र की उन्नति और रक्षा मुख्यतया उसी पर ही निर्भर है। पुरोधा के बाद प्रतिनिधि और उस के बाद प्रधान की स्थिति है, उसके बाद क्रमशः सचिव, मन्त्री, प्राङ्गिवाक, परिषित, सुमन्त्र, अमात्य और दूत की स्थिति है।<sup>4</sup>

१. विना प्रकृति सन्मन्त्राद्राज्यनाशो भवेद् धुवस् ।

रोधनं न भवेत् तस्मात् राज्यस्तै स्युः सुमन्त्रिणः ॥ ८१ ॥

न विभेति नृपो येभ्यस्तै स्यात् किं राज्यवर्धनम् ।

यथालङ्कार वचाद्यैः खियो भूष्यास्तथा हि ते ॥ ८२ ॥

राज्यं प्रज्ञा वलं कोशः सुन्तप्त्वं च वर्धितम् ।

यन्मन्त्रयतोरि नाशस्तै मन्त्रिभिः किं प्रयोजनम् ॥ ८३ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. पुरोधा प्रथमं श्रेष्ठः सर्वेभ्यो राजराष्ट्रभृत् ।

तदनुस्यात् प्रतिनिधिः प्रधानस्तदनन्तरम् ॥ ७४ ॥

सचिवस्तु ततः प्रोक्तो मन्त्री तदनु चोच्यते ।

प्राङ्गिवाकस्ततः प्रोक्तः परिषितस्तदनन्तरम् ॥ ७५ ॥

सुमन्त्रस्तु ततः ख्यातो ह्यमात्यस्तु ततः परम् ।

दूतस्तथा क्रमादेते यूर्वं श्रेष्ठा यथा गुणाः ॥ ७६ ॥

इन सब में प्रधानामात्य ही सब से अधिक महत्वपूर्ण है अतः उसे सब विद्याओं में निपुण और कर्तव्यशील होना चाहिये । वह जितेन्द्रिय हो, वह त्रिव्यसनी और दुर्बलता रहित हो । वह छहों शास्त्र पढ़ा हो, युद्ध-विद्या में में कुशल हो । यह इतना प्रभावशाली हो कि उस से डर फर राजा भी सदैव धर्मतीति का ही अनुसरण करे । वह राष्ट्र की रक्षा में समर्थ और राजनीति शास्त्र में प्रवीण हो । उस के पास किसी को दरड देने व किसी को इनाम देने के अवधित अधिकार हों ।<sup>१</sup>

प्रतिनिधि की काम करने की सूझ बहुत प्रबल होनी चाहिये, प्रधान खूब अच्छी तरह निरीक्षण करने वाला हो, सचिव सेत्य संचालन में निपुण हो । मन्त्री राज नीतिज्ञ हो और परिणित धर्म और कानून का घास्तविक तत्व समझता हो, प्राङ्गविवाक समाजशास्त्र का विद्वान हो, दुनियाँ का व्यवहार समझता हो । अमात्य अवसर को पहचानता हो, सुमन्त्र राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्र में प्रवीण हो; दूत मनुष्य को पहचानता हो, अवसर को समझता हो और बात चीत करने में चतुर, निर्भय और समझ दार हो ।<sup>२</sup>

१. मन्त्रानुष्ठानसम्पन्नस्त्रैविद्यः कर्मतत्परः ।

जितेन्द्रियो जितक्रोधो लोभमोहविवर्जितः ॥ ७७ ॥

पठङ्गवित् साङ्गथनुर्वेद विच्यार्थं धर्मवित् ।

यत् कोपभीत्या राजापि धर्मतीतिरतो भवेत् ॥ ७८ ॥

नीतिशास्त्रान्वृहादि कुशलस्तु पुरोहितः ।

सैवाचार्यं पुरोधा यः दण्डानुग्रहयोक्तमः ॥ ७९ ॥

( शुक्र० अ० २ )

२. कार्यकार्यं प्रविज्ञाता स्मृतः प्रतिनिधिस्तुः सः ।

सर्वदर्शीं प्रधानस्तु सेनावित् सचिवस्तथा ॥ ८४ ॥

मन्त्री तु नीतिकुशलः परिष्ठितो धर्मतत्ववित् ।

लोकशास्त्रनयक्तस्तु प्राङ्गविवाकः स्मृतः सदा ॥ ८५ ॥

देशकालं प्रविज्ञाता ह्यमात्य इति कष्यते ।

आयव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः स च कीर्तिः ॥ ८६ ॥

इङ्गिताकारचेष्टकः स्मृतिमातृ देशकालवित् ।

प्राङ्गुण्यमन्त्रविद्वाग्मी दीतभीर्दूत इप्यते ॥ ८७ ॥

( शुक्र० अ० २ )

**मन्त्रियों का कार्य**—इन मन्त्रियों के कार्यों का विभाग आचार्य शुक्र ने इस प्रकार किया है—

“राष्ट्र के लिये कौन सा कार्य हितकर है कौन सा अहितकर, कौन सा कार्य बहुत आवश्यक है, इन सब वातों की सलाह राजा को देना; चाहे राजा उस की सलाह पर न भी चले तथापि अपनी वात को मनवाने का यज्ञ करना ‘प्रतिनिधि’ का कार्य है ।” १

“सब राज कर्मचारियों तथा सभा के नियमानुकूल और नियम विरुद्ध कार्यों का निरीक्षण करना ‘प्रधान’ का कार्य है ।” २

“सेना के हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ऊँट और वैलों का निरीक्षण करना, सैनिकों को व्यूहाभ्यास वैराण तथा झरिडयों से बातचीत करने की शिक्षा देने का प्रबन्ध करना, कौन सी सेना आगे चले, कौन सी पीछे रहे, किस के पास राष्ट्र का झंडा रहे, कौन कैसे शख्त धारण करे, नौकर कहाँ रहें—इन सब वातों का अध्ययन करना; शख्ताओं द्वा उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक काम के लायक हैं, कितने काम के अयोग्य हैं, कितने नये और कितने पुराने हैं इन सब वातों का पता रखना; सेना के पास कितना बालूद, कितने शख्त और गोले हैं इन का ज्ञान रखना, और इन सब वातों की सूचना राजा को देना ‘सचिव’ का कार्य है ।” ३

१. अहितव्यापि यत् कार्यं सद्यः कर्तुं यदोचितम् ।

अकर्तुं यद्गुतमपि राजः प्रतिनिधिः सदा ।

बोधयेत् कारयेत् कुर्यात् कुर्यात् बोधयेत् ॥ ८८ ॥

२. सत्यं वा यदि वासत्यं कार्यजातं च यत् किं ।

सर्वेषां राजकृत्येषु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत् ॥ ८९ ॥

३. ग्रन्तान्न तथाद्वामां रथानां पदगामिनाम् ।

सुदृढानां वयोप्त्वाणां वृद्याणां सद्य एव हि ॥ ९० ॥

वायुभाषासु संकेत व्यूहाभ्यासन शालिनाम् ।

प्राक् प्रत्यक्गामिनां राज्यचिन्दशखात्पारिणाम् ॥ ९१ ॥

परिचारगणानां हीनमध्योन्नतमकर्मणाम् ।

ग्रामाणामेष जातीनां चक्रः स्वतुरगीगणः ॥ ९२ ॥

कार्यव्यवस्थ प्राचीनः साद्यस्कः कृति विद्यते ।

कार्यसमर्थः कत्यस्ति शख्तगोलामित्तुर्युक्त ॥ ९३ ॥

संग्रामिकश्च कत्यस्ति सम्भारस्तात् विचिन्त्य च ।

सचिवव्यापि तत् कार्यं राजे सम्यक् निवेदयेत् ॥ ९४ ॥

“साम, दान, दण्ड, भेद इन में से कौन सा कहाँ व्यवहृत किया जाय, किस के व्यवहार से कैसा फल होगा, यह सब सोच कर इस की सलाह ‘मन्त्री’ राजा को दे ।”<sup>१</sup>

“कौन सी साक्षी सज्जी है कौन सी झूड़ी है, तर्क और प्रमाणों के आधार पर मुकद्दमे में कौन सा पक्ष सज्जा है, जूरियों की सम्मति किस दल के पक्ष में है इन बातों की मन्त्रणा और सूजना जूरियों के साथ ‘प्राढ़् विवाक्’ राजा को दे ।”<sup>२</sup>

“समाज का आचार कैसा है, वह किस प्रकार उन्नत हो सकता है, कौन से कार्य शास्त्र और स्मृति सम्मत हैं, कौन से विरुद्ध हैं, इनकी सलाह ‘पण्डित’ राजा को दे ।”<sup>३</sup>

“कोश में इतना धन जमा है, इस वर्ष इतनी आय होगी, इतना व्यय होगा और यह शेष रहेगा; राष्ट्र की चल और अचल सम्पत्ति कितनी है इस विषयक परामर्श ‘सुमन्त्र’ राजा को दे ।”<sup>४</sup>

“राष्ट्र में कितने शहर और कितने गाँव हैं, कितना भाग जंगलों से आच्छादित है, कितनी जमीन में कृषि की जाती है, कितनी उपज होती है, उस पर कितना कर लिया जाता है; खाली भूमि में से कितनी बंजर है कितने पर खेती हो सकती है; राष्ट्र में कितनी काने हैं उन से वर्ष भर में क्या निकलता है,

१. साम दानञ्ज भेदस्य दण्डः केषु कदा कथम् ।

कर्तव्यः किं फलं तेभ्यो वहु मध्यं तथालक्षकम् ।

शतत् सञ्ज्ञिन्त्य निष्ठित्य मन्त्री सर्वं निवेदयेत् ॥ ८५ ॥

२. साक्षिभिर्लिखितै भोगैश्वर्षै भूतैश्च मानुषाङ् ।

स्वेनोत्पादितसम्प्राप्त व्यवहारात् विचिन्त्य च ॥ ८६ ॥

दिव्यसंसाधनाद्वापि केषु किं साधनं परम् ।

युक्ति प्रत्यक्षानुमानोपमानैलौक शास्त्रतः ॥ ८७ ॥

वहुसम्मत संसिद्धात् विनिष्ठित्य सभास्तिः ।

ससम्भवः प्राढ़् विवाकस्तु नृपं संबोधयेत् सदा ॥ ८८ ॥

३. वर्तमानाष्टु प्राचीना धर्माः के लोकसंप्रिताः ।

शास्त्रेषु के समुद्दिष्टा विरुद्धयन्ते च केऽधुना ॥ ८९ ॥

लोकशास्त्रविरुद्धाः के पण्डितसत्तात् विचिन्त्य च ।

नृपं संबोधयेत् तैष्व परत्रे ह सुखप्रदैः ॥ ९०० ॥

४. इवच्च सञ्ज्ञिनं द्रव्यं वत्सरेऽस्मिन् तृणादिकम् ।

व्ययीभूतमियच्चैव शेषं स्यावरजङ्गमम् ।

द्वयदस्तीति वै राज्ञे सुमन्त्रो विनिवेदयेत् ॥ ९०१ ॥

कितनी सम्पत्ति बिना किसी मालिक के है, कितने की चोरी हुई है, कितना कर जमा किया गया है + इन सब बातों की सूचना 'अमात्य' राजा को दे ।" १

**राजाज्ञाओं का प्रकाशन**— आचार्य शुक्र के अनुसार राजा के मुख से निकला हुवा प्रत्येक वाक्य वेद वाक्य नहीं है। उस की प्रत्येक बात राष्ट्र का कानून नहीं मानी जा सकती। राष्ट्रीय-विधान नियमपूर्वक राजा द्वारा अन्तिम स्वीकृति लिये जाने के पश्चात् राजकीय घोषणा द्वारा प्रचारित करने के बाद से ही नियम का रूप धारण कर सकते हैं। किसी नियम के लागू होने से पूर्व उस का प्रकाशन आवश्यक है। शुक्रनीति प्रथम अध्याय में लिखा है—

"राजा को चाहिये की वह राष्ट्रीय कानूनों को लिखवा कर या खुदवा कर चौराहों पर लगवा दे;—कोई दुष्ट व्यक्ति या शत्रु ( विद्रोही ) नियमों का उल्लंघन करे तो उसे पूर्ण दण्ड दे ।" २

"राजा को सिंहासनालड़ होते ही निष्ठलिखित आज्ञाएँ अपने राज्य में प्रकाशित करनी चाहिये—मेरे राष्ट्र के सेवकों को छियों, बच्चों, विद्यार्थियों, नौकरों अथवा दासों से भी कठोरता पूर्वक वातचीत नहीं करनी चाहिये। किसी व्यक्ति को भार में, माप में, सिक्के में, रसों में, धातुओं में, धी, दूध, चरवी या तेल में कभी मिलावट नहीं करनी चाहिये। कोई मनुष्य किसी से कोई वयान अथवा गवाही ज़बरदस्ती अथवा शूस देकर न लिखवाए, कोई किसी से घूस न ले, नौकर को रुपया देकर स्वामी के काम में वाधा न डाले। कोई बदमाश, चोर, व्यभिचारी या राष्ट्रदोही को अपने यहाँ आश्रय न दे। कोई मान्य जनों का अपमान न करे। कोई व्यक्ति पति और पत्नि, स्वामी और भूत्य, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र अथवा भाइयों में फूट डालने

+ अमात्य का काम राष्ट्र की गणना तालिकाएँ ( Imperial gazeteer ). प्रकाशित करना होता था ।

१. पुराण च कति ग्रामा ग्ररण्यानि च सन्ति हि ।

कर्विता कति भूः केन प्राप्तो भागस्तथा कति ॥ १०२ ॥

भागशेषं स्थितं कस्मिन् कत्यकृष्टा च भूमिका ।

भागद्रव्यं वत्सरेऽस्मिन् शुल्कदण्डादिजं कति ॥ १०३ ॥

ग्रकृष्ट पच्यं कति च कति चारण्यसम्भवम् ।

कतिचाकर संजातं निधिप्राप्तं कतीति च ॥ १०४ ॥

ग्रस्वामिकं कति प्राप्तं नाइकं तस्कराहृतम् ।

सञ्चितन्तु विनिश्चित्यामात्यो राजे निवेदयेत् ॥ १०५ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. लिखित्वा शासनं राजा धारयीत चतुष्पथे ।

सदा चोद्यतदण्डः स्यादसाधुमु च शत्रुपु ॥ ३१३ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

का यज्ञ न करे, । कोई मनुष्य बावड़ी, कुथाँ, पश्चायत का स्थान, धर्म-शाला अथवा शराब घर के मार्गों को न रोके, किसी अंग हीन या कमज़ोर व्यक्ति को भी मार्ग में न रोका जाय । मेरी विशेष आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति जूआ न खेले, शराब न पीए, शिकार न खेले और शस्त्र धारण न करे । पशु, जमीन, सोना, चांदी, रक्ष, मादक पदार्थ, विष आदि बेचने की रजिस्टरी करवानी चाहिये । क्रय, विक्रय, दान और ऋण के लिये भी रजिस्टरी करवाना आवश्यक है । कोई वैद्य बिना अधिकारपत्र ( Licence ) लिये चिकित्सा नहीं कर सकता । किसी को ये काम नहीं करने चाहिये—भयंकर गाली गलौच, शपथें लेना, नये सामाजिक नियम उद्घोषित करना, वर्ण संकरता, खोई हुई चीज़ों को छिपाना, राज्य के रहस्यों का प्रकाशन और राजा की निन्दा । स्वर्गम त्याग, असत्य भाषण, व्यभिचार, भूठी साक्षी, घूस लेना नियम से अधिक कर लेना, चोरी, हत्या आदि बुरे कार्य भी नहीं करने चाहिये । नौकरों को किसी प्रकार से भी स्वामी के विरुद्ध भड़काना नहीं चाहिये । भार और लम्बाई के माप राज्य द्वारा ही निश्चित होंगे । जब कभी कोई अपराध हो जाय तो लोगों को चाहिये कि वे अपराधी को पकड़ कर सरकार के हवाले करदें । वैल आदियों को सड़कों पर खुला छोड़ देना मना है । जो व्यक्ति इन आज्ञाओं का उल्लङ्घन करेगा उसे मैं भारी दरड़ दूँगा ।”<sup>9</sup>

१. शासनं त्वीदृशं कार्यं राजा नित्यं प्रजासु च ॥ २९३ ॥

दासे भृत्येऽथ भार्यायां पुत्रे शिष्येऽपि वा क्वचित् ।

वाग्दशष्ठपरुषं नैव कार्यं मद्भेशसंस्थितैः ॥ २९४ ॥

तुला शासनमानानां नाणकस्यापि वा क्वचित् ।

निर्यासानाञ्च धातूनां सजातीनां धृतस्य च ॥ २९५ ॥

मधुदुर्घवसादीनां पिटादीनाञ्च सर्वदा ।

कूठं नैव तु कार्यं स्याद् वलाच्च त्तिखितं जनैः ॥ २९६ ॥

उन्कोच ग्रहणं नैव स्वामीकार्यविलोभनम् ।

दुर्वृत्त कारिणञ्चोरं जारं मद्द्वेषिणं द्विषम् ॥ २९७ ॥

न रचन्त्वप्रकाशं हि तथान्यानपकारकासू ।

मातृणां पितृणाञ्चैव पूज्यानां विदुषामपि ॥ २९८ ॥

ज्ञावमानं नौपहार्सं कुर्यात् सद्वृत्तशालिनाम् ।

न भेदं जनयेयुवै नृनायोः स्वामिभृत्ययोः ॥ २९९ ॥

भ्रातृणां गुरुशिष्याणां न कुर्यात् पितृपुत्रयोः ।

वापी कूपारामसीमा धर्मशालामुरालयात् ॥ ३०० ॥

**राजा की दिनचर्या—** राष्ट्र की उत्तरदायिता सब से बढ़ कर राजा पर ही है । अतः उसे अपना जीवन खूब नियमित रखना चाहिये । आचार्य शुक्र की सम्मति में राजा का दैनिक समय विभाग इस प्रकार होना चाहिये । एक दिन, अर्थात् २४ घण्टों में, ३० मुहूर्तों के हिसाब से ही शुक्र ने राजा का दैनिक समय विभाग निश्चित किया है—

मार्गान्नैवे प्रबाधेयुर्हीनाङ्ग विकलाङ्गकाश ।  
 व्यूष्म मद्यपानञ्च मृग्यां शस्त्रधारणम् ॥ ३०१ ॥  
 गोगजाश्वोप्रमहियो नृणां वै स्थावरस्य च ।  
 रजतस्वर्णरत्नानां मादकस्य विपस्य च ॥ ३०२ ॥  
 क्रपो वा विक्रपो वापि मद्यसंधानमेव च ।  
 क्रपयत्रं दानपत्रं ऋणनिर्णय पदकम् ॥ ३०३ ॥  
 राजाज्ञया विनानैव जनैः कार्यं चिकित्सितम् ।  
 महापापाभिश्पन्नं निधि ग्रहणमेव च ॥ ३०४ ॥  
 नवसमाज नियमं निर्णयं याति दूषणम् ।  
 अस्वाभिनाष्टिक धनसंग्रहं मन्त्र भेदनम् ॥ ३०५ ॥  
 नृप दुर्गुणालापन्तु नैव कुर्यात् कदाचन ।  
 स्वधर्म हानिमन्तरं परदाराभिमर्शनम् ॥ ३०६ ॥  
 कूटसादर्यं कूटलेखमप्रकाश प्रतिग्रहम् ।  
 निर्धारित कराधिक्यं स्तेष्यं साहसमेव च ॥ ३०७ ॥  
 मनसापि न कुर्वन्तु स्वामिद्वेषं तथैव च ।  
 भृत्या शुल्केन भागेन वृद्धा दर्पात् बलाच्छलात् ॥ ३०८ ॥  
 आधपण्यं न कुर्वन्तु यस्य कस्यापि सर्वदा ।  
 परिमाणोन्मानमानं धार्यं राजविमुद्रितम् ॥ ३०९ ॥  
 गुणसाधनसंदर्भा भवन्तु निखिला जनाः ।  
 साहसाधिकृते दद्युः विनिगृह्णाततायिनम् ॥ ३१० ॥  
 उत्सृष्टा वृषभाद्या यैस्तैस्ते धार्याः सुपन्निताः ।  
 इतिमच्छासनं श्रुत्वा येन्याद्य वर्तयन्ति ताज् ॥ ३११ ॥  
 विनिष्पामि दशहेन महता पापकारकाद् ।  
 इति प्रदोधयेन्नित्यं प्रजा शासनदिग्दिष्टमैः ॥ ३१२ ॥ ( शुक्र० अ० १! ) ।

१. उत्थाय पश्यिमे यामै मुहूर्तं द्वितयेन वै ।  
 नियतायस्मि क्षत्यत्तिं व्ययश्च नियतः कर्ति ॥ २७६ ॥  
 कोश भूतस्य द्रव्यस्य व्ययः कर्ति गतस्तथा ।  
 व्यष्टिहारे मुद्रिताय व्यय शेषं कर्तीति च ॥ २७७ ॥  
 ग्रस्त्वाज्ञतो सेखतस्य चात्का चाद्यं व्ययः कर्ति ।

३० मुहूर्त = ६० दण्ड = २४ घण्टे ।

- २ " — राजकीय आय व्यय पर विचार ।  
 १ " — शौच और स्तनान ।  
 २ " — धार्मिक कर्तव्य सन्ध्या आदि ।  
 १ " — व्यायाम ।  
 १ " — इनाम बाँटना ।  
 ४ " — अनाज, वस्त्र, धातु आदि का बाजारी भाव विश्वित करना ।  
 १ " — भोजन और विश्राम ।  
 १ " — नई और पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण ।  
 २ " — न्यायाधीशों से परामर्श ।  
 २ " — शिकार आदि  
 १ " — सेना के व्यूहाभ्यास ( Parade ) का निरीक्षण ।  
 १ " — सायंकालीन सन्ध्या ।  
 १ " — भोजन ।  
 २ " — गुप्तचरों से बात चीत  
 ८ " — निद्रा ।

३० मुहूर्त

भविष्यति च तत्तुल्यं द्रव्यं कोशानु निर्हरेत् ॥ २७८ ॥  
 पश्चात्तु वेगनिर्मीक्षं स्नानं मूहूर्त्तिकं भतम् ।  
 सन्ध्या पुराण दानैश्च मुहूर्त द्वितयं नयेत् ।  
 गवाश्वयान व्यायामैर्नयेत् प्रातमुहूर्तकम् ॥ २७९ ॥  
 पारितोषिकदानेन मुहूर्तन्तु नयेत् सुधीः ।  
 धान्यवस्त्र स्वर्णरत्न सेना देश विलेखनैः ॥ २८० ॥  
 ग्रायव्ययैमुहूतानां चक्कन्तु नयेत् सदा ।  
 स्वस्यचित्तो भोजनेन मुहूर्तं सुहृन्तृपः ॥ २८१ ॥  
 प्रत्यक्षीकरणाङ्गीर्ण नवीनानां मुहूर्तकम् ।  
 ततस्तु प्राहृत्विषयाकादि बोधित व्यवहारतः ॥ २८२ ॥  
 मूहूर्तं द्वितयश्चैव मृगया क्रीडनैर्नयेत् ।  
 व्यूहाभ्यासैमुहूर्तन्तु मुहूर्तं सन्ध्यया ततः ॥ २८३ ॥  
 मुहूर्तं भोजनैषव द्विमुहूर्तं च वार्त्तया ।  
 गूढचारै श्रावितया निद्रयाष्ट मुहूर्तकम् ॥ २८५ ॥  
 एवं विहरतो रात्रः सुखं सम्यक् प्रजायते ।  
 अहोरात्रं विभज्यैत्रं त्रिशद्भस्तुमुहूर्तकैः ॥ २८५ ॥

( शुक्र० अ० १ )

**राजकीय सेवा**— उस समय आजकल की तरह राजकर्मचारियों की व्यवस्था बहुत सुसंगठित थी । प्रत्येक विभाग के अधिकारियों की संख्या उन का पद तथा सम्मान निश्चित होते थे । इन सेवाओं में योग्य पुरुष अपनी योग्यता के आधार पर ही सम्मिलित किए जाते थे ।

“प्रत्येक विभाग में तीन मनुष्य नियुक्त करने चाहिये । इन में से जो सब से अधिक योग्य हो उसे इन का प्रधान नियुक्त करना चाहिये । प्रत्येक विभाग पर दों दों निरीक्षक नियुक्त करने चाहिये । ये कार्यकर्ता तीन, पाँच, सात अथवा १० वर्ष के लिये नियुक्त किये जाय । कार्यकर्ताओं की योग्यता देख कर उन की पदवृद्धि की जाय, उन को अयोग्य पाकर उन से वह पद छोन लिया जाय । जो जिस अधिकार के योग्य हो उसे उस से बड़ा अधिकार नहीं देना चाहिये । अन्यथा वह बहुत अव्यवस्था उत्पन्न करता है ।”<sup>१</sup>

**स्थिर सेवक**— प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये अलग २ स्थिर कर्मचारी नियुक्त करने चाहिये— “राष्ट्र के हाथी, धोड़ा, रथ, पैदल, पशु, ऊँट, मृग और पक्षियों के प्रवन्ध के लिये अलग अलग कर्मचारी नियुक्त करने चाहिये । इसी प्रकार सुवर्ण, रत्न, स्थिर और अस्थिर सम्पत्ति आदि के प्रवन्ध के प्रवन्ध के लिये भिन्न २ कार्यकर्ता नियुक्त किये जाय । राष्ट्र के वाग, भ्रमणीय स्थान, भवन, धार्मिक स्थान और जनता की सम्पत्ति के लिये अलग अलग २ निरीक्षक नियत किये जाय । प्रत्येक शहर और गाँव में ये छः अधिकारी नियुक्त किये जाय— न्यायाधीश, नगर का प्रधान, कर संग्रह करने वाला, लेखक, चुह़ी का अध्यक्ष और समाचार वाहक ।”<sup>२</sup>

१. एकस्मिन्ननिधिकारे तु पुरुषाणां वर्यं सदा ।

नियुक्तित प्राकृतमं सुखमेकन्तु तेषु वै ॥ १०९ ॥

द्वौ दशकौ तु तत्कार्यं हायनैस्तन्निवृत्येत् ।

विभिर्वा पञ्चमिर्बापि सम्भिर्दशभिर्वच वा ॥ ११० ॥

दृष्ट्वा तत्कार्यं कौशल्ये तथा तौ परिवर्त्येत् ।

नाधिकारं चिरं दद्याद्यस्मै कस्मै सदा नृपः ॥ २२१ ॥

अधिकारे चमं दृष्ट्वा ह्यधिकारे नियोजयेत् ।

अधिकार मदं पीत्वा को न मुत्येत् पुनरिचरस् ॥ ११२ ॥

२. गजाश्वरय पादात पशूप्र मृगपत्रिणाम् ॥ ११७ ॥

सुवर्ण रत्न रजत वत्त्वामामधि पान् पृथक् ।

विनानामधिपं धान्याधिपं पाकाधिपं तथा ॥ ११८ ॥

आरामधिपतिं चैव सौध गेहाधिपं पृथक् ।

सम्भारं देवतुष्टि पतिं दान पतिं सदा ॥ ११९ ॥

साहसाधिपतिं चैव ग्रामनेतामरमेघ च ।

भगहारं तृतीयं तु लेखकं च चतुर्थकम् ॥

शुल्कग्राहं पञ्चमञ्च प्रतिहारं तथैव च ॥ १२० ॥

पट्कमेतन्नियोक्तव्यं ग्रामे ग्रामे भुरे भुरे ॥ १२१ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

इन सब पदों पर योग्य पुरुषों को ही नियुक्त करना चाहिये । इन की नियुक्ति में जातपात का विचार नहीं करना चाहिये—

“जिस प्रकार पिघला कर सोने की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्मचारियों के कार्य, सहवास तथा गुणशोलादियों से उन की परीक्षा होती है । कर्मचारी की सदा परीक्षा करते रहना चाहिये, जिस से कि जो विश्वास योग्य हो उसी पर विश्वास किया जाय; उन की जाति और कुल पर ही सन्तोष नहीं करना चाहिये । मनुष्य का सम्मान उस के गुण कर्म और स्वभाव से ही होता है, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिये । जातपात और कुल का विचार तो केवल भोजन और विवाह में ही करना चाहिये ।”<sup>१</sup>

पद वृद्धि—राजकीय सेवाओं में कोई भी मनुष्य अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर समिलित हो सकता है । परन्तु फिर उसकी पद वृद्धि करते हुए सदैव उसकी योग्यता के साथ ही साथ सेवा काल की अवधि का भी ध्यान रखा जायगा—

“कोई बहुत योग्य हो तो उस की पद वृद्धि कर के उस के स्थान पर उस के योग्य उत्तराधिकारी, उस के लीचे काम करने वाले व्यक्ति, को उस पद पर नियुक्त कर देना चाहिये । उस के बाद फिर ऐसे व्यक्ति को जिस का सेवाकाल उस से कम हो । अगर एक अधिकारी का पुत्र बहुत योग्य हो तो उसे ही उसके स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिये । राजकीय सेवाओं में शामिल हुए २ व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसके सेवाकाल की अवधि के हिसाब से उस की पद वृद्धि होती रहे ।”<sup>२</sup>

१. परीक्षकैद्रवित्वा यथा स्वर्णं परीक्ष्यते ।

कर्मणा सहवासेन् गुणैः शीलं कुलादिभिः ॥ ५३ ॥

भौत्यं परीक्षयेन्नित्यं विश्वास्यं विश्वसेत् सदा ।

नैव जातिर्न कुलं केवलं लक्षयेदपि ॥ ५३ ॥

कर्मशील गुणाः पूज्यास्तथाजाति कुलेन हि ।

न जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥

विवाहे भोजने नित्यं कुलजाति विवेचनम् ॥ २६ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. ग्रतः कार्यं चमं दृष्ट्वा कार्येन्ये तं नियोजयेत् ।

वत् फार्ये कुशलं चान्यं तत् पदानुगतं खलु ॥ ११३ ॥

नियोजयेद्वृत्तने तु तदभावे तथापरम् ।

तदगुणे यदि तत्पुत्रः तत्कार्ये तं नियोजयेत् ॥ ११४ ॥

यथा यथा श्रेष्ठपदे द्युधिकारी यदा भवेत् ।

अनुक्रमेण संयोज्यो शृन्ते तं प्रकृतिं नयेत् ॥ ११५ ॥ ( शुक्र० अ० ३ )

**निरीक्षक** — राज्य के प्रत्येक विभाग तथा कार्ब पर निरीक्षक अवश्व नियुक्त करने चाहिये— “जो कार्य जितना अधिक महत्वपूर्ण हो, उस पर उतने ही अधिक निरीक्षक नियुक्त किए जायें। अथवा उस कार्य के अध्यक्ष रूप से एक वहुत ही योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाय।”<sup>१</sup>

**गुप्तचर** — शासन कार्य भली प्रकार चलाने के लिये राजा को गुप्तचर रखने का आदेश आचार्य शुक्र ने दिया है। ये गुप्तचर विश्वास पात्र और दुष्टिमान हों। राजा प्रतिदिन रात के समय एकान्त में इस विभाग के अध्यक्षों से मिलकर राज्य के वास्तविक रहस्य जाना करे। गुप्तचर रखने की व्यवस्था केवल शुक्र ने ही नहीं दी है, वहुत प्राचीन काल से—रामायण काल से भी पूर्व—राजा अपने दोष जानने के लिये गुप्तचर रखा करते थे। ये गुप्तचर राज्य के निवासियों की राजा और सरकार के सम्बन्ध में की हुई आलोचनाओं को राजा तक पहुँचाते थे, ताकि राजा अपनी वास्तविक स्थिति से अभिज्ञ रह सके। इन आलोचनाओं को लुन कर राजा जहाँ अपने दोष जान सकता है, वहाँ उसका कौन सा कर्मचारी कैसा है—इस बात का भी पता रख सकता है।<sup>२</sup>

ये गुप्तचर न केवल साधारण प्रजा की आलोचनाओं को जानने के लिये ही रखने चाहिये अपितु राजकर्मचारियों पर उन की वास्तविक स्थिति जानने के लिये भी गुप्तचरों को नियुक्त करना चाहिये।

**आवागमन के साधन** — आज कल के राष्ट्रों के शासन की उत्तमता तथा स्थिरता में आवागमन के साधनों का अच्छा होना एक मुख्य कारण है। रेल और तार आदि द्वारा समूचे देश के समाचार एक ही दिन में राजधानी की सरकार को ज्ञात हो जाते हैं। विना आवागमन के अच्छे साधनों के एक घड़े देश में एक ही सरकार सफलता पूर्वक शासन नहीं कर सकती। इसी लिये आचार्य शुक्र ने राजा को आदेश दिया है कि वह—

“दस हजार कोस दूर तक के समाचार एक ही दिन में जान ले।”<sup>३</sup>

इस से प्रगट होता है कि राज्य के समाचार जानने के लिये उस समय सरकार कितना पूर्ण प्रबन्ध रखता करती होगी। राजधानी में प्रतिदिन समाचार भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक नगर तथा गाँव में एक एक प्रतिनिधि रखना चाहिये।

१. अधिकारि वस्तु दृष्टा योजमेदृश्यकान् वहृज् ।

अधिकारिणमेकं वा योजयेदृश्यकैर्विना ॥ ११६ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. शुक्र० अ० १ । १३० इलोक से १३६ तक।

३. अयुत क्रोशजां कर्त्ता हरेदेव दिनेन वै ॥ ३६७ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

इस कार्य के लिये उस समय सङ्कों का पूर्ण प्रबन्ध था। राज्य भरमें सहृदयी और सुरक्षित सङ्कों थी; जिन पर यात्रियों के आराम के लिये सराय, घुड़शालाएँ, वृक्ष और झील दर्शक पत्थर आदि लगाए जाते थे। <sup>३</sup> इन सङ्कों का वर्णन हम आर्थिक अवस्था के प्रकरण में करेंगे।

.१. शुक्ल अ० १ राजमार्ग प्रकरण ।



## चतुर्थ अध्याय

→॥४॥

### शासन व्यवस्था ( ख )

#### प्रजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य

आचार्य शुक्र ने जिस प्रकार की शासन पद्धति का वर्णन किया है उसे हम 'मुकुटधारी प्रजा-तन्त्र शासन' कह सकते हैं। उन के अनुसार शासन में प्रजा की स्थिति इसी होनी चाहिये इस का वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। परन्तु इस से पूर्व हम यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि उस समय प्रजा के अधिकार के सम्बन्ध की ये सब बातें केवल अव्यवहारिक आदर्श राजनीतिक सिद्धान्त मात्र ही न थीं, अपितु ये सब बातें उस समय व्यवहार में भी आधा करती थीं, अपनी यह स्थापना सिद्ध करने के लिये हम केवल दो उदाहरण देना पर्याप्त समझते हैं।

(१) महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से कम से कम ५०० वर्ष पूर्व हुवा था उन के पिता का नाम, शुद्धोधन था। सभी ऐतिहासिक इस बात से सहमत हैं कि शाक्यवंशीय शुद्धोधन कपिलवस्तु के जन-तन्त्र शासन के निर्वाचित प्रधान थे। कपिलवस्तु में उस समय शुद्ध रूप से जन-तन्त्र शासन ही था। प्रजा स्वयं राज्याधिकारियों को निर्वाचित किया करती थी, इसी प्रकार उस समय अन्य भी क्तिपय छोटी०२ रियासतों में प्रजातन्त्र शासन होने का प्रमाण मिलता है।

(२) सप्तांश्चन्द्रगुप्त के दरवार में यूनान के राजदूत की हैसियत से आए हुए मैगस्थेनीज़ ने अपने भारतवर्ष के वर्णन में यहाँ के निवासियों का जिकर करते हुए लिखा है—“सातवीं जाति मन्त्री और सभासद् लोगों की है—अर्थात् वे लोग जो राज का देखभाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से ही यह श्रेणी सब से छोटी है परन्तु अपने उप्रत चरित्र और वृद्धि के कारण सब से अधिक प्रतिष्ठित है क्यों कि इसी वर्ग से राजा के मन्त्री गण राज्य के कोपाध्यक्ष और विचारकर्ता, जो भगड़ों को निपटाते हैं—लिये जाते हैं। सेनाके नायक और प्रधान न्यायाधीश गण भी प्रायः इसी वर्ग के होते हैं।”<sup>३</sup>

1. The Fragments of the Indika of Megasthenes. Fragment I. Para 51.

बद्यपि ये उदाहरण शुक्रनीति सार के निर्माण से कुछ पीछे के हैं तथापि इन से सिद्ध होता है कि उस समय भारतवर्ष में प्रजा के अधिकारों का स्वीकार किया जाना कोई आश्वर्यकारी बात नहीं थी ।

**जनता की योग्यता—** इड्डलैण्ड के लुप्रसिद्ध वार्षिक जै० एस० मिलने किसी देश की जनता को प्रजातंत्र शासन के योग्य सिद्ध करने के लिए दो परखें दी हैं—देश की जनता प्रतिनिधि-शासन के नियमों के संचालन में व्यावहारिक रूप से सहायक हो । कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के पाप को छिपाये नहीं । लोग उस शासन व्यवस्था के मार्ग में बाधक न हों ।” आचार्य शुक्र ने भी राजा के राज्यारोहण करते ही उसे जनता के लिये इसी कर्म की उद्घोषणा करने का आदेश दिया है । राजा राष्ट्र के नियमों के संचालन में प्रजा से व्यवहारिक सहायता की आकांक्षा करे । राजनियमों के पालन में जनता किसी प्रकार भी बाधक न हो । इस प्रकार उस समय जनता कितनी सुसंगठित ठित और समझदार समझी जाती थी, यह ज्ञात होता है ।

**प्रजा के अधिकार—** पाश्चात्य देशों में जिस सिद्धान्त को १६ चंचली में आकर स्वीकार किया गया, वह सिद्धान्त भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से सर्वमान्य है राष्ट्र भर में राजा सब से अधिक उत्तरदायी व्यक्ति है परन्तु वह राष्ट्र की जतना का स्वामी नहीं नौकर है । वह प्रजा पर मनमाना निरंकुश शासन नहीं कर सकता अपितु वह राजा ही तभी तक रह सकता है जब तक कि वह प्रजा के अधिकारों की रक्षा करता है, राष्ट्र के नियमों का पालन करता है; अगर वह निरंकुश हो उठे तो प्रजा को यह अधिकार है कि वह उसे राज्यच्युत भी कर सके । स्वेच्छाचारी राजा को राज्यच्युत करने का यह वैध उपाय आचार्य शुक्र ने लिखा है—“यदि राजा निरंकुश अधार्मिक और आचार भ्रष्ट हो उठे तो उसे राष्ट्र का नाशक समझ कर प्रजा राज्य च्युत कर दे । उस के खान पर प्रधानाभात्य ( पुरोहित ) प्रजा के नेताओं और प्रतिनिधियों की अनुमति लेकर उसके बंशज किसी योग्य पुरुष को राजा नियुक्त करदे ।”<sup>१</sup> तत्कालीन इड्डलैण्ड में कोई इस प्रकार का स्वप्न भी न ले सकता था ।

१. शुक्र० अ० १ श्लोक २५७-८८ और ३१० ।

२. गुणनीति वल द्वे श्री कुलभूतोप्यधार्मिकः ।

नृपो यदि भवेत् तन्तु त्यजेद्राष्ट्रविनाशकम् ॥ २७ ॥

तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्तं पुरोहितः ।

मकृत्यनुमतिं कृत्या स्थापयेद्राज्य गुप्तये ॥ २७५ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

“राजा के विना प्रजा में अव्यवस्था फैल जाती है और प्रजा के सहयोग के विना राजा का राजत्व ही नहीं रहता इस लिये राजा और प्रजा दोनों अन्योन्याश्रित हैं। राजा अगर न्याय मार्ग पर चले तो वह अपने को और प्रजा को धर्म अर्थ ओर काम से युक्त कर देता है; अगर वह अन्यायाच्चरण करे तो वह जहां राष्ट्र को हानि पहुंचाता है वहां स्वयं भी नष्ट हो जाता है।”<sup>१</sup>

**वैध शासन—** राष्ट्र में राजा को वैयक्तिक महत्त्व ज़रा भी नहीं है। राष्ट्र के सम्बन्ध में वह जो मौखिक आज्ञाएँ दे उन्हें राजाज्ञा ही नहीं समझना चाहिये। वास्तविक वैधशासक राजा की मुद्रा है, राजा की मुद्रा से अङ्कित प्रत्येक आज्ञा जनता को अवश्य शिरोधार्य करनी चाहिये—

“राज्याधिकारी राजा की लिखित आज्ञाओं के विना कोई भी कार्य न करें। राजा भी अपनी प्रत्येक छोटी से छोटी आज्ञा भी लिखित रूप से ही प्रकाशित करे। मनुष्य स्वभाव से भ्रमपूर्ण है इसलिये लिखित नियम ही प्रामाणिक मानने चाहिये। वह राजा और वे राज कर्मचारी जो लिखित आज्ञाओं के विना कार्य करते हैं शासक नहीं अपितु चोर हैं। वे लिखित आज्ञाएँ किन पर राजा की मुद्रा अङ्कित है, वास्तव में राजा हैं, राजा व्यक्ति रूप में राजा नहीं है।”<sup>२</sup>

“राजा की मुद्रा से अंकित लिखित आज्ञा सब से उत्तम आज्ञा है, राजा की लिखित आज्ञा भी उत्तम है; मन्त्री आदियों की लिखित आज्ञाएं मध्यम हैं; नगर समितियों के अधिकारियों की लिखित आज्ञाएं तीसरे दर्जे की हैं परन्तु इन सब के द्वारा कार्य सिद्ध हो सकता है।”<sup>३</sup>

१. न तिष्ठन्ति स्वधर्मे विना पालेन वै प्रजा ।

प्रजया तु विना स्वामी पृथिव्यां नैव शोभते ॥ ६६ ॥

त्वाय प्रवृत्तो नृपतिरात्मानमय च प्रजा ।

त्रिवर्गेणोपसन्धते निहत्ति ध्रुवमन्यथा ॥ ६७ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

२. न कार्यं भृनकः कुर्यान्वृप लेखाद्विना क्वचित् ।

नाशापयेल्लेखनेन विनाल्पं वा महन्वृपः ॥ २८० ॥

भ्रान्तेः पुरुष धर्मत्वाल्लेखयं निर्णायकं परम् ।

अलेख्यमान्नापयति ह्यलेखयं यत् करोति यः ।

राजकृत्यमुभौ चोरो तौ भृत्य नृपती सदा ॥ २८१ ॥

वृप संचिन्हितं लेखयं नृपस्तत्र नृपो नृपः ॥ २८२ ॥

३. समुद्र लिखितं राजा लेखयं तत्त्वोन्नमोन्नम् ।

उत्तमं राज लिखितं मध्यं मन्त्र्यादिभिः कृतम् ।

पौरलेखयं कनिष्ठं स्यात् सर्वं संसाधन चमम् ॥ २८३ ॥

“युवराज और मन्त्रियों से [लेकर साधारण राज्याधिकारी तक सब शासकों को चाहिये कि वे अपने दैनिक, मासिक, वार्षिक और बहु वार्षिक विवरण लिख कर राजा के पास भेजा करें । राजा की मुद्रा से अंकित लिखित कानूनों को संगृहीत करते रहना चाहिये, ताकि बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी उन के अनुसार कार्य करने में कोई वाधा उपस्थित न हो सके ।”<sup>१</sup>

**व्यवस्थापिका सभा** — शुक्रनीति में बड़ी स्पष्टता के साथ व्यवस्थापिका सभा का वर्णन पाया जाता है । व्यवस्थापिका सभा को उस समय सभा ही कहा जाता था । यह सभा राष्ट्र के नियमों का निर्धारण करती थी, आवश्यक शासन सम्बन्धी कार्यों में भी राजा को सलाह दिया करती थी । सभा की बैठकों में चारों जातियों तथा गण पूगादियों के प्रतिनिधि, मन्त्रि मण्डल के सदस्य, स्वयं राजा द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्र के कार्यकर्ता सम्मिलित हुवा करते थे । यद्यपि शुक्रनीतिसार द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि इस सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार और कितने समय के लिये होता था, इस के अधिकार कहाँ तक थे, मन्त्रि परिपद और राजा का इस से क्या सम्बन्ध था, तथापि सभा की सत्ता और उस की यत्किञ्चित् महत्ता का ज्ञान अवश्य होता है—

“राजा को चाहिये कि वह मंत्रि परिपद के सभ्यों, राज्य के मुख्य अधिकारियों और जनता द्वारा निर्वाचित सभा के सभासदों की अनुमति पर चल कर ही कार्य करे, यथेच्छ कार्य न करे ।”<sup>२</sup>

हमारा अनुमान है कि सभ्य और सभासद में अन्तर है । मन्त्रि परिपद के सदस्य को सभ्य कहा जाता था और जन सभा के सदस्य को सभासद । सभ्य, सभासद और अधिकारी ये तीनों ‘सभा’ के सदस्य होते थे ।

आचार्य शुक्र ने राजा के छोटे सेवकों के कार्य लिखते हुए दौवारिक के लिये निर्देश दिया है कि—

१. यस्मिन् यस्मिन् हि कृत्ये तु राजा योऽधिकृतो नरः ।

सामात्य युवराजादिर्यथानुक्रमतश्च सः ॥ २५४ ॥

दैनिकं मासिकं वृतं वार्षिकं बहुवार्षिकम् ।

तत् कार्यजात लेखन्तु राजे सम्यङ् निवेदयेत् ॥ २५५ ॥

राजाद्यङ्कित लेखस्य धारयेत् स्मृतिं पत्रकम् ।

कालेतीते विस्मृतिर्वा भान्तिः संजायते दृष्टाम् ॥ २५६ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. सभ्याधिकारि प्रकृति सभासंतुष्टिमते स्थितः ।

सर्वदा स्यान्वृपः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥ ३ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

“वह जब देखे कि सभा भवन में सभासद आगए हैं तब वह राजा को उन का नमस्कार निवेदित करे और वापिस आकर उन के स्थान की सूचना उन्हें दे ।”<sup>१</sup>

“राज- सभा में जब पुरोहित ( प्रधानामात्र ) आए तब राजा को खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिये, उस से कुशल प्रश्न करने चाहिये । मन्त्री परिषद् के अन्य सभ्यों का भी इसी प्रकार सम्मान करना चाहिये । जब राज्याधिकारी सभा में आएं तब राजा को शान से बैठे रहना चाहिये; राज्याधिकारी उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करें ।”<sup>२</sup>

“राजा को अपने मित्रों, सम्बन्धियों तथा शरीर रक्षकों के साथ राज-सभा में जाना चाहिये । राजा का सिंहासन सभा-भवन के मध्य में हो तथा अन्य सदस्य उस के चारों ओर बैठें ।”<sup>३</sup>

राजा सभा में जाने से पूर्व मन्त्री परिषद् के सभ्यों से सब विषयों पर एकान्त में सलाह कर ले, अगर रातका समय हो तो यह मन्त्रणा महल में और अगर दिन का समय हो तो वाग के साफ़ मैदान में होनी चाहिये ।”<sup>४</sup>

इस प्रकार शुक्रनीति के आधार पर उस समय जन-सभा की सत्ता सिद्ध होती है । इस जन सभा का सभापति ‘प्रधान’ होता था जो कि इसी हैसियत से मन्त्री परिषद् का एक प्रभाव शाती सदस्य था ।

१. दृष्टागतात् सभामध्ये राजे दण्डधरः क्रमात् ।

निवेद्य तत्त्वतीः पश्चात् तेषां स्थानानि सूचयेत् ॥ २११ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. पुरोगमनमुत्पानं स्वासने सन्निवेशनम् ।

कुर्यात् स कुशल प्रश्नं क्रमात् सुस्मित दर्शनम् ॥ २८० ॥

राजापुरोहितगदीनां त्वन्येषां स्नेह दर्शनम् ।

अधिकारि गणादीनां सभास्थस्य निरालसः ॥ २८१ ॥

३. सुहंद्रिभातुभिः सादुर्ग सभायां पुत्र वान्धवैः ।

राजकृत्यं सेनपैष्ठ सभ्यावैश्चन्तयेत् सदा ॥ ३५२ ॥

सभायां प्रत्यग्दृश्य मध्ये राजासनं स्मृतम् ।

दक्षसंस्था वाम संस्था विशेषः पाश्वकोष्टगाः ॥ ३५३ ॥

४. ग्रन्तवैश्मनि रात्रौ वा दिवाररये विशेषिते ।

मन्त्रयेन्मन्त्रिभिः सार्थं भावि कृत्यन्तु जिर्जने ॥ ३५१ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

**तत्कालीन शासन का स्वरूप—** उपर्युक्त विवेचना से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि शुक्रनीति के अनुसार राष्ट्र में प्रजा की स्थिति बहुत महत्व पूर्ण है; राजा राष्ट्र का सब से अधिक महत्व पूर्ण व्यक्ति होते हुए भी बिलकुल सीमित अधिकारों वाला है। वह राष्ट्र की व्यवस्था तथा साधारण विधानों से ऊपर नहीं है, इन के आधीन है। इस शासन को हम “नियमित राजतन्त्र” ( Constitutional Monarchy ) कह सकते हैं। अपनी इस खापना को हम कुछ विस्तार के साथ पुष्ट करना चाहते हैं।

जर्मनी के सुप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रज्ञ ब्लंशली ने अपनी The Theory of the State नामक पुस्तक में नियमित राजसत्ता का रूप इस प्रकार वर्ताया है—

“नियमित राज-सत्ता ( Constitutional Monarchy ) में—

१. राजा का सम्मान तथा उस की शक्तियां राष्ट्र की शासन व्यवस्था ( Constitution ) से शासित रहती हैं। इस पद्धति में राजा न तो राष्ट्र की शासन व्यवस्था से ज़ुदा होता है और न उस से ऊपर होता है अपितु वह उस का एक अङ्ग होता है। यह निश्चित नहीं कि यह शासन व्यवस्था लिखित रूप में ही हो अपितु इस में राष्ट्र की प्रथाएँ आदि भी शामिल हैं।

२. इस पद्धति में राजा न केवल शासन-व्यवस्था ही मानने को धारित है अपितु उसे राष्ट्र के साधारण विधान भी मानने होते हैं। प्रजा से उसे केवल अवश्यानुकूल चलने की आशा ही रखनी चाहिये।

३. राष्ट्र के विधानों का निर्माण करते हुए उन के लिये प्रजा के प्रति-निधियों की सहमति भी आवश्यक है। इस के बिना कोई विधान प्रजा के लिये मान्य नहीं हो सकता।

४. प्रजा पर कर लगाने में भी प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है।

५. राष्ट्र के शासन में राजा के लिये मन्त्रियों की सहायता लेना आवश्यक है। राजा की आज्ञाओं पर उस विभाग के मन्त्री के भी हस्ताक्षर होने चाहिये।

६. मन्त्रियों तथा अन्य अधिकारियों का उत्तरदायित्व अबाध्य रूप से आवश्यक है।

७. राष्ट्र का न्याय विभाग शासकों के आधीन नहीं है, वह उनका भी निरीक्षण करता है।

८. व्यक्तित्वा श्रेणियों के अधिकार के बल वैयक्तिक और निज् ही नहीं समझे जाँशने, उन्हें सामाजिक अधिकार स्वीकार किया जायगा । उनकी अवहेलना ठीक उसी प्रकार नहीं को जा सकती जिस प्रकार कि स्वयं राजा के अधिकारों की ।” १

आचार्य शुक द्वारा वर्णित शासन-व्यवस्था भी ठीक इन्हीं सिद्धान्तों पर अनिवार्य है; उस में भी प्रजा के अधिकारों को इतनी ही महत्ता दी गई है, इसीलिये हम ने उस शासन व्यवस्था का नाम ‘नियमित राज-सत्ता’ ही दिया है ।

### स्थानीय स्वराज्य

आचार्य शुक ने अपने नीतिशास्त्र में स्थानीय स्वराज्य (Local self govt.) को बहुत सुख्ख्या दी है । इस सञ्चयन्धु में उनके बताये हुए निर्देश और विचार अज्ञकल भी प्रामाणिक रूप से देखे जा सकते हैं । उन के अनुसार प्रत्येक नगर और गाँव में अलग २ प्रबन्ध समितियाँ होनी चाहिये । इन में कुछ सदस्य नागरिकों द्वारा निर्वाचित तथा कुछ सदस्य सरकार द्वारा नामज़द रहने चाहिये । इन नगर समितियों के पास शासन, न्याय तथा अपने स्थानीय नियम बनाने के अधिकार भी होने चाहिये । इतना ही नहीं व्यवसाय तथा पेशे के हृषि से भी प्रजा को संघ बनाने चाहिये, इन संघों को भी शासन, न्याय तथा स्थानीय नियम बनाने के यथोचित अधिकार होने चाहिये । इन संघों के लिये शुकनीति में गण, पूग और संघ ये तीन शब्द आते हैं ।

“किसानों, श्रमियों, शिलियों, महाजनों, नर्तकों, सन्यासियों तथा तस्तरों के संघों और नगर समितियों को अपने झगड़े आपस में मिटा लेने का अधिकार होना चाहिये ।” २

इसी तरह मुरुद्दमों में जब मध्यस्थ (जूटी) नियत करने हों तो उनका निर्वाचन भी अभियुक्त तथा अभियोगी के संघों द्वारा ही करवाना चाहिये ।

1. Theory of the State. Bluntschli. Page 437-38.

२. कीनाशः कारुकाः गिलिप कुशीदि श्रेणीमर्तकाः ।

लिङ्गितस्त्वकराः कुर्युः स्वेत धर्मेण निर्णयम् ॥ १८ ॥ ( शुक० च० ४. V.)

“श्रेणियाँ ( नगर-समितियाँ ) उन मामलों का निर्णय करें जो कुलों ( परिवारों ) द्वारा निर्णीत नहीं हो सके हैं; गण ( जातियों के संघ ) उन मामलों का निर्णय करें जिनका निर्णय श्रेणियों द्वारा नहीं हो सका था और श्रेणियों द्वारा भी अनिर्णीत मामलों का निर्णय सरकार करे। ”<sup>१</sup>

“राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के रीतिरिवाजों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये और उसे जातियों, ग्राम समितियों और कुलों के सानीय नियमों तथा रिवाजों का भी अध्ययन करना चाहिये। न्याय करते हुए इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिये नहीं तो प्रजा में भयंकर आन्दोलन उठ खड़ा होता है। ”<sup>२</sup>

इस प्रसंग में ‘तस्कर संघों’ का कुछ परिचय दे देना आवश्यक है। ये तस्कर-संघ क्या थे ? तस्कर शब्द का अर्थ चोर है, इस लिये यह शब्द कई बार खड़ा श्रम उत्पन्न करता है। चोरों के संघों को भी न्याय लम्बन्धी कुछ अधिकार देना बहुत हास्यापद प्रतीत होता है। हमारी समस्ति ये इन तस्करसंघों के द्वारा अभिग्राय हो सकते हैं—

१. संस्कृत के शब्दार्थ चिन्तामणि कोश से तस्कर शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है—“तस्कर दो प्रकार के होते हैं—प्रकाश और अप्रकाश; राजा को चाहिये कि वह इन सब तस्करों का ज्ञान रखे। प्रकाश तस्कर वे होते हैं जो नाना प्रकार का थोड़ा २ सौदा बेज कर निर्वाह करते हैं और अप्रकाश तस्कर वे होते हैं जो दलाली द्वारा कमाते हैं। ”<sup>३</sup>

तस्कर शब्द की इस व्याख्या के अनुसार तस्कर संघों का अभिग्राय खोचेवालों का संघ और दलालों का संघ प्रतीत होता है।

१. राजा ये विदिताः सम्यक् कुलश्रेणि गणादयः ।

साहस-स्तेय दद्यार्णि कुर्युः कार्याणि ते नृणाम् ॥ ३० ॥

२. प्रत्यहं देश दृष्टैश्च शाख दृष्टैश्च हेतुभिः ।

जाति जानपदान् धर्मान् श्रेणिधर्मस्तथैव च ।

समीक्ष्य कुल धर्मस्य च धर्मं प्रतिपालयेत् ॥ ४७ ॥

३. देश जाति कुलानां च ये धर्माः मात् प्रवर्तिताः ।

तथैव ते पालनीयाः प्रजा प्रज्ञुभ्यते ऽन्यथा ॥ ४८ ॥

( शुक्र० अ० ४. )

४. द्विविधाम् तस्कराम् विद्यात् पर द्रव्यापहरकात् ।

प्रकाशं द्युम्राप्रकाशं चार चक्षुर्महीपतिः ॥

प्रकाशक्षुकास्तेषां नाना परयोपजीविनः ।


मच्छस वज्रकास्त्वयेते येस्तेनाटविकादयः ॥

( शब्दार्थचिन्तामणि, तस्कर शब्द )

२. कौटिल्य-अर्थशास्त्र में अनेक स्वार्थों पर आदर्शिक संघों का वर्णन भाता है, ये आदर्शिक जनपदों को सीमाओं पर लिन्वास किया करते थे। इन के चागुरिक, शब्दर, पुलिन्द, चण्डाल, अररयचर आदि अनेक सेव अर्थ शास्त्र में वर्णित हैं। सम्भावतः तस्कर लंबों से इन आदर्शिक संघों का भी अभिप्राय समका जासकता है।<sup>१</sup> इस के अनुसार ये तस्कर संघ सीमा प्रान्त के बिदेशी शासकों के आक्रमण से भारत की रक्षा करते थे; आवश्यकता पड़ने पर डाके आदि डाल कर उन्हें तंग भी करते थे। सरकार इस के लिये इन्हें कुछ धन देती थी और इन के स्थानीय उपनियमों का माल करती थी।

१. कौटिल्य अर्थ शास्त्र और २ अधियो १ अथ-

११ अधियो १ अथ-



## पञ्चम अध्याय

~~~~~

न्याय-व्यवस्था

न्याय विभाग — आचार्य शुक्र के अनुसार न्यायविभाग राष्ट्र के शासन विभाग से बिलकुल अलग और खतन्त्र है। राजा इन दोनों विभागों में सम्बन्ध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है; प्राइविवाक् इस विभाग का मुख्य अध्यक्ष है। न्याय-विभाग के शासन विभाग के अधीन न होने से ही उचित न्याय तथा प्रजा का धर्मानुकूल शासन सम्भव है। यदि न्यायकर्ता और शासक एक ही व्यक्ति हों तो अत्याचारी और स्वार्थी शासकों पर न्याय और कानून का नियन्त्रण रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इस अवस्था में शासकों की ग्रन्ति विगड़ने की ओर ही होगी। प्रजा की दुखभरी आहों पर ध्यान देने वाली कोई भी वलशाली व्यवस्था शेष न रहेगी। इस लिये राष्ट्र के कल्याण को दृष्टि में रख कर न्याय विभाग और शासन विभाग का पृथक होना चितान्त आवश्यक है।

इसी तथ्य को ध्यान में रख कर आचार्य शुक्र ने व्यवस्था दी है कि— “प्राइविवाक् (Chief Justice) अपनी सभा (Council) में वैठा हुवा गवाहों, लिखित पत्रों, भोग्य द्रव्यों और अपने सामने कही गई सच्ची या झूठी बातों से सुकृदमे पर अच्छी तरह विचार कर के दिय परीक्षा अथवा युक्ति, प्रत्यक्षि, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र द्वारा प्रीक्षा कर के बहुसम्मति द्वारा निर्णय कर के अपना फैसला राजा के सामने रखें। तब राजा उस पर हस्ताक्षर करे और अपराधी को यथायोग्य दंड दे।”¹

उपर्युक्त उद्धरण में न्याय-विभाग का अध्यक्ष और उस की सभा ये दोनों प्रधान न्यायाधीश और जूरी कमीशन की ही द्योतक हैं। राष्ट्र के प्रधान न्याया-

१. साक्षिभिर्लिखितैः भोगैश्वरै भूतैरच मानुषाण् ।

स्वेनोत्पादित सम्प्राप्त व्यष्टिरस् विचिन्त्य च ॥ ९६ ॥

दिय संसाधनाद्वारा प्रक्रिया के पुरु किं साधनं परम् ।

युक्ति प्रत्यक्षानुमानोपमनैर्लोकि शास्त्रतः ॥ ९७ ॥

यह सम्पत संसिद्धाय विनिश्चित्य समाप्तिः ।

सप्तमः प्राइविवाकस्तु च यं संबोध्येत् सदा ॥ ९८ ॥ (शुक्र० आ० ३)

धीश का कार्य यथासम्बव राजा स्वयं करे; जिन अवस्थाओं में वह ऐसा न कर सके उन में वह अपने शान पर वेदों के अच्छे ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुलीन, दूसरों के चित्त को दुखित न करने वाले, स्थिर स्वभाव, परलोक से डरने वाले, धर्मनिष्ठ, क्रोधशूल्य ब्राह्मण को न्याय-विभाग का अधिष्ठाता बनावे । यदि, कोई ब्राह्मण इस योग्य न मिले या ब्राह्मण के मुकावले में कोई अधिक योग्य धर्मिय मिल जाय तो उसी द्वारा वह कार्य करावे । ज्ञात्रिय के अभाव में वैश्य भी नियुक्त किया जा सकता है ।”^१

न्याय-सभा— “न्याय-सभा (Jury Commission) के सभा-सदृश व्यवहार कुशल, शील और गुणों से युक्त, शत्रु के साथ भी न्यायानुकूल आचरण करने वाले, सत्य वक्ता, आलस्य रहित, काम क्रोधादियों को जीतने वाले और मधुरभाषी हों । सभी जातियों के ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को राजा न्याय-सभा का सदस्य बनाये ।”^२

इसी प्रकार किसान, राज आदि शिल्पियों के संघों के सदस्यों का पर-स्पर कोई विवाद हो तो उस का निर्णय उन्हीं के धर्म तथा रिवाजों के अनुसार करना चाहिये; जूरी भी इन्हीं संघों द्वारा नियुक्त करवाने चाहिये ।

“तपस्त्रियों के विवादों का निर्णय तथा मायाविद्या और योगविद्या जानने वालों के भगड़ों का निर्णय भी राजा को स्वयं न कर के तीनों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों से करवाना चाहिये क्यों कि अशुद्ध निर्णय हो जाने पर ये लोग नाराज़ होकर राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाते हैं । इसी प्रकार जंगल के वासियों के विवादों का निर्णय जंगल वासी, सैनिकों के विवादों का सैनिक ही निर्णय करें, जिस समूह का भगड़ा हो; उसी समूह के प्रतिनिधि मध्यस्थ बन कर उसका

१. यदा न कुर्वाम्नृपतिः स्वयं कार्य विनिर्णयम् ।

तदा सत्र नियुक्तजीता ब्राह्मणं वेद पारगम् ॥ १२ ॥

दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्वेगकरंस्थिरम् ।

परब्र भीरुं धर्मिष्ठमुद्युक्तं क्रोधवर्जितम् ॥ १३ ॥

यदा विप्रो न विद्वान् स्यात् चत्रियं तत्र योजयेत् ।

वैश्यं या धर्मशास्त्रं शूद्रं यन्नेन वर्जयेत् ॥ १४ ॥

२. व्यवहार विदः प्राचा वृत्त शील गुणान्विताः ।

रिपौ मित्रे समा ये च धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ॥ १५ ॥

निरालसा जितक्रोध काम लोभाः प्रियवंदाः ।

राजा नियोजितव्यास्ते सभ्याः सर्वासु जितेषु ॥ १६ ॥ (शुक्ला अ० ४०)

३. शुक्र अध्याय ४, इतिहास ४२-झोक १८-२० ।

निर्णय करें । इस प्रकार राजा लोक व्यवहार तथा न्याय व्यवहार के लिये धार्मिक सुगरीक्षित सम्भरों को कार्य में लाए वाचे ।”^१

‘लोक और वैद्वतों के जानने वाले पांच, सात या तीन ब्राह्मण जिस सभा में हों, वह सभा यज्ञ के सदृश पवित्र है । व्यवहार सम्बन्धी अभियोगों को सुनने के लिये वैश्यों को नियुक्त करना चाहिये । शाल्व और कानून जानने वाले व्यक्ति को चाहे निर्णायक नियुक्त किया जाया या न किया जाय, उसे सदैव सत्य कह ही देना चाहिये ।’^२

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय किसी अभियोग में केवल न्यायाधिकारियों, अभियुक्तों और गवाहों को ही बोलने का अधिकार नहीं होता था अपितु दर्शकों को भी अगर कोई बात सूझ जाय तो वह बात वे न्यायधीश से कह सहते थे, इस के लिये उन्हें साधारण अवस्था में रोक न थी । न्याय ठीक हो, इसी ओर सम्पूर्ण यत्न किया जाता था । जूरी बनने वाले व्यक्ति के लिये आचार्य शुक्र ने कहा है—“मनुष्य या तो सभा में जावे ही नहीं, अगर वह जाता है तो वहां सच्ची २ बात कहे, सच्ची बात न कह कर चुप चाप रहने वाला या भूड़ बोलने वाला मनुष्य पापी होता है ।”^३

“राजा जिन संघों, गणों या कुलों पर पूरा विश्वास रखता हो उन को डाका या चोरी आदि के मामलों को छोड़ कर शेष स्थानीय विवादों के अधिकार दे । कुल जिस बात का विचार न कर सके उस का निर्णय श्रेणियाँ करें,

१. तपस्त्विनां तु कार्याणि त्रैविद्यैरेव कारयेत् ।

मायायोगविदां चैत्र न स्वर्यं कोपकारणात् ॥ २१ ॥

सम्यग् विज्ञान सम्पन्नो नोपदेशं प्रकल्पयेत् ।

उत्कृष्ट जातिजीलानां गुर्वाचार्य तपस्त्विनाम् ॥ २२ ॥

आरण्यकास्तु स्वकैः कुर्यात् सर्थिकाः सर्थिकैः सह ।

सैनिका सैनिकैरेव ग्रामेऽप्युभये वासिभिः ॥ २३ ॥

अभियुक्ताश्च ये यत्र यज्ञिबन्धु नियोजनाः ।

तत्रत्य गुण दोषानां त एव हि विचारकाः ॥ २४ ॥

राजा तु धार्मिकात् सम्याज् नियुक्त्यात् सुपरोक्षिताश्च ।

व्यवहारधुरं वोद्धुं ये शक्ता पुङ्गवा इव ॥ २५ ॥

२. लोक वेदत्र धर्मज्ञाः पञ्च सप्त व्रयोपिद्धा ।

यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञ सदृशी सभा ॥ २ ॥

ओतारो वणिजस्तत्र कर्तव्या सुविचच्चाणाः ॥ २७ ॥

अनियुक्तो वा नियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमहति ।

दैवीं वाचं स वदति यः शास्त्रं उपजीवति ॥ २८ ॥

३. सभां धा न प्रवैष्टव्या वक्तव्यं धा समझुसम् ।

अब्र वश् विश्रु वश् धापि नरो भवति किल्विषो ॥ २९ ॥ (शुक्र अ० ४७)

चहं अभियोग श्रेणियों के बाद गण और गण के बाद राजा के न्यायालय में जाना चाहिये। कुलादियों से उक्षष सभा के सम्पर्क हैं, उन से उक्षष उनका अध्यक्ष-न्यायाधीश है। परन्तु वात्सविक मुख्यता तो न्यायानुकूल निर्णय की है। ऊँच और सब प्रकार के आंगड़ों का निर्णय राजा को करना होता है इस लिये सब से ऊँच राजा को सत्ता है।^१

एक ही अभियोग में जूरी कमीशन को परिचर्तित करके अथवा उस की कई बैठकें करवा कर भी विचार किया जाता था—“न्याय-सभा के सभ्यों द्वारा अलग २ एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार भी विचार करवा कर निर्णय करना चाहिये। बादी और प्रतिवादी को, शेष सभ्यों तथा लेखकों और और दर्शकों के जो सदस्य न्यायानुकूल बातों से प्रसन्न करता है उसे ‘सभा-स्तर’ कहना चाहिये।”^२

“किसी अभियोग का निर्णय करने में ये दस चीज़ें सहायक हैं— राजा, अधिकारी, सभ्य, समृतियें (कानून), गणक, लेखक, सोना, अर्जि, जल और राज-पुरुष (पोलीस)। राजा को न्यायासन पर बैठ कर इन्हीं दस अंगों की सहायता से ही न्याय करना चाहिये।”^३

इन दसों के कार्य निम्नलिखित है—“चक्रा या प्राड विवाक् न्यायाध्यक्ष है, शासक राजा है, और कार्य की परीक्षा करने वाले सभ्य लोग हैं, समृति निर्णय

१. राजा ये विदिता सम्यक् कुल श्रेणिगणादयः ।

साहसस्तेय वज्यानि कुर्याः कार्याणि ते नृणाम् ॥ ३० ॥

विचार्य श्रेष्ठिभिः कार्यं कुलैर्यज्ञ विचारितम् ।

गणैश्च श्रेष्ठयविज्ञातं गणान्नगतं नियुक्तकैः ॥ ३१ ॥

कुलदिभ्योऽधिकाः सभ्यस्तेभ्योऽधदक्षोऽधिकाः कृतः ।

सर्वेषामधिको राजा धर्माधर्म नियोजकः ॥ ३२ ॥

उत्तमाधम मध्यानां विवदानां विचारणात् ।

उपर्युपरि बुद्धीनं चरन्तीस्वर बुद्धयः ॥ ३३ ॥

२. एक द्वित्रि चतुर्वर्त व्यवहारानुवित्तनम् ।

कार्यं पृथक् पृथक् सभ्यै राजा द्येष्टोत्तरैः सह ॥ ३६ ॥

श्रीर्थं प्रत्यर्थिनौ सभ्याङ् लेखकं प्रेक्षकंश्च यः ।

धर्मवाक्यै रज्जयर्ति स सभास्तारतामियात् ॥ ३७ ॥

३. नृपोधिकृत सभ्याश्च स्मृतिर्गतज सेवकौ ।

हेमाग्न्यमुस्तुरुपा साधनाङ्गानि वै दश ॥ ३८ ॥

स्तहशाङ्ग करणं पस्पामध्यारूप पार्थिदः ।

न्यायात् पश्येत् कृतमतिः सासभाध्वर सञ्चिभा ॥ ३९ ॥ (शुक्र० अ० ४. v.)

देती है और जप, दान और दम का उपदेश देती है । शपथ के लिये सोना और आग है । एग्रसे के लिये जल है, गणक चस्तु की परीक्षा करे और लेखक गच्छ-हियों और निर्णय को लिखे ।”^१

“राजा को गणक और लेखक उस प्रकार के रखने चाहिये जो शब्द शास्त्र और भाषा के दोषों को जानने वाले तथा भिन्न २ भाषाओं में प्रवीण हों ।”^२

न्यायालय—न्यायालय को प्राचीन काल में धर्माधिकरण कहा जाता था, क्योंकि इस समा में धर्म शास्त्र और स्मृति शास्त्रों के आधार पर अभियोगों और विवादों का निर्णय किया जाता था—“इस धर्म समा में व्यवहारों को देखने की इच्छा वाला राजा उत्तम मन्त्रियों और ब्राह्मणों के साथ प्रवेश करे, और धर्म नन पर बैठ कर उपस्थित अभियोगों को देखे । पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों के प्रति समझर्ण होकर राजा दोनों पक्षों से उन के वयान ले । प्रतिदिन देश में प्राप्त होने वाले उदाहरणों तथा शास्त्रों में दिये हेतुओं के अनुसार राजा राष्ट्र, सम्प्रदायों तथा कुलों के स्वार्थों की रक्षा करे ।”^३

“पहले से चले आए हुए राष्ट्र और जाति के कानूनों तथा प्रथाओं के आधार पर ही न्याय करना चाहिये जिस से प्रजा विरुद्ध होकर विगड़न उठे ।”^४

१. दशानमपि चैतेषां कर्म प्रोक्तं पृथक् पृथक् ।

वक्ताध्यक्षो नपः शास्त्रा सभ्याः कार्यपरीक्षकाः ॥ ४० ॥

स्मृतिर्विनिर्णयं न्रूते जपं दानं दमं तथा ॥ ४१ ॥

शपथार्थे हिरशयाग्निं ग्राम्बुद्यित चुब्धयोः ।

गणको गणयेदर्थं लिखयेन्यायं च लेखकः ॥ ४२ ॥

२. शब्दाभिधान तत्वज्ञौ गणाना कुशलो शुची ।

नाना लिपिज्ञौ कर्तव्यौ राजा गणक लेखकौ ॥ ४३ ॥

३. धर्मशास्त्रानुसारेण स्वर्थं शास्त्रं विवेचनम् ।

ग्रावाधिक्रियते स्याने धर्माधिकरणं हि तत् ॥ ४४ ॥

व्यवहारात् दिवृत्सुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

मन्त्रवैमन्त्रभिश्चैत्र खिनीतः प्रविशेत सभाम् ॥ ४५ ॥

धर्मात्मनमधिष्ठाय कार्यं दर्शनमारभेत् ।

पूर्वोत्तर समो भूत्वा राजा पृच्छेदू धिवादिनौ ॥ ४६ ॥

प्रत्यहं देश दृष्टैश्च शास्त्रं दृष्टैश्च हेतुभिः ।

जाति जानपदात् धर्मात् श्रेणिधर्मात्मत्यैष च ।

समीक्ष्य कुल धर्मांश्च स्व धर्मं प्रतिपालयेत् ॥ ४७ ॥

४. देश जाति कुलानां च ये धर्माः प्राक् प्रथर्त्तिताः ।

तत्पैव ते पातनीयाः प्रजा प्रकुभ्यतेन्यथा ॥ ४८ ॥ (शुक्र ४० ४८)

न्यायालय की कार्यवाही—मुद्रित को अर्थी और मुद्राला को प्रत्यर्थी कहा जाता है। कोई अभियोग प्राप्तम् होने पर पहले अर्थी धर्मासन पर बैठे हुए राजा को झुककर नमस्कार कर के अपना अभियोग लिखित रूप में ठीक २ उसके सामने निवेदित करे। राजा उसे साम पूर्वक शान्त कर के उस अभियोग के सम्बन्ध में अपना कानून बतला दे और फिर विनीत अर्थी से कहे कि 'तुम डरो नहीं, सच सच कहो; तुम्हें क्या कष्ट है? किस से तुम्हें शिकायत है? तुम्हें किस दुष्ट ने कब, किस प्रकार, कहां, कैसे कष्ट पहुंचाया है?' यह कह कर वह अर्थी का उत्तर सुने, उस की आवाज़ और हंग से यह पहिचानने का यत्न करे कि वह सत्य वात कह रहा है या नहीं। लेखक अर्थी की वातों को न्यायालय द्वारा स्वीकृत भाषा में लिखता चला जाय। जो लेखक अर्थी या प्रत्यर्थी की वात को कुछ का कुछ लिख दे उसे राजा चोर की तरह दखड़ दे। इसी प्रकार अगर सभा के सभ्य (जूरी) भी कभी इसी तरह कुछ का कुछ लिख दें तो राजा उन्हें भी चोर की तरह दण्ड दे।"

"राजा के अभाव में प्राङ्गिवाक् (प्रधान न्यायाधीश) को धर्मासन पर बैठे कर इसी प्रकार के प्रश्न करने चाहिये। प्राङ्गिवाक् दोनों वादों प्रतिवादियों से प्रश्न (जिरह) करता है इस लिये उसे प्राङ्गिवाक् कहते हैं; वह सभ्यों द्वारा विवेचन करता है अथवा सत्यासत्य का निर्णय करता है इस लिये भी प्राङ्गिवाक् कहाता है।" २

१. धर्मासन गत दृष्टा राजानं मन्त्रिभिः सह ।

गच्छेन्निवेदमानं यत् प्रतिरुद्यमधर्मतः ॥ ५७ ॥

यथा सत्यं विन्नवित्वा लिखित्या च समाहितः ।

नत्वा च प्राज्ञनिः प्रहो ह्य अर्थी कार्यं निवेदयेत् ॥ ५८ ॥

पश्यार्हमेनमभ्यर्थ्य वाद्युषेः सह पर्याप्तः ।

सान्तवेन प्रश्नमव्यादौ स्व धर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ५९ ॥

काले कार्यार्थिनं पृच्छेत् प्रणतं पुरतः स्थितम् ।

किं कार्यं का च ते पीड़ा मा भैयी दृष्टि मानव ! ॥ ६० ॥

केन कस्मिन् कदा कस्मात् पीड़ितोऽसि दुरात्मना ।

एवं पृष्ठा स्वभावोक्तं तस्य संशृण्याद् वचः ॥ ६१ ॥

प्रतिदृ लिपि भाषामिस्तदुक्तं लेखको लिखेत् ॥ ६२ ॥

आन्यदुक्तं लिखेदन्योऽर्थं प्रत्यर्थिनां वचः ।

चौरवत् त्रासयेद्राजा लेखकं द्रागतन्द्रियः ॥ ६३ ॥

लिखितं तादृशं सभ्या न विवृयुः कदाचन ।

वलाद् गृह्णन्ति लिखितं दखयेत् तांस्तु चौरवत् ॥ ६४ ॥

२. प्राङ्गिवाको नृपाभावे पृच्छेदेवं सभागतम् ॥ ६५ ॥

वादिनौ पृच्छति प्राङ्ग वा विवाको विविनवत्यतः ।

विवारयति सभ्यैर्वा धर्माधर्मान् विवक्ति वा ॥ ६६ ॥ (शुक्र० अ० ४. ७.)

“सभां के श्रेष्ठ पुरुष को सम्मान कहते हैं। समृति नियमों और आचार से इहित दुष्टों से पीड़ित हों कर दुखी आदमी राजा के पास आकर अपनी शिकायत करता है, इसी से कचहरी के लिये धर्माधिकरण शब्द प्रयुक्त होता है।” ३

“राजा स्वयं कभी किसी से भगड़ा या विवाद न करे। राजा के कर्म-चारियों को भी कभी किसी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाना चाहिये। राजा कभी लोभ या क्रोध से पीड़ित हो कर किसी को कष्ट न दे। राजा सूचकों और स्तोभकों की सलाह ले कर उन अभियोगों का भी निर्णय करे जिन को दरखास्त किसी प्रार्थी ने नहीं दी है। विशेषतः उन वातों का निर्णय जिन से कि उस के अपने अधिकारियों का सम्बन्ध है बिना किसी प्रार्थी के निवेदन के भी करे। राजा की आज्ञा लिये बिना ही जो लोग शास्त्र के अनुकूल उस से न्याय के लिये निवेदन करते हैं वे स्तोभक कहाते हैं। जिन लोगों को प्रजा के द्वैप देखने के लिये राजा ने स्वयं नियुक्त किया है वे सूचक कहाते हैं।” ४

बादी को दण्ड— “वह बादी दण्ड के योग्य है जो उद्धत, कठोरता से बोलने चाला, गर्वित या क्रोधी हो अथवा न्यायाधिकारियों के बराबर आसन पर बैठने का यत्त करे।” ५

आवेदन और साक्षी— “अर्थी की लिखित प्रार्थना ‘आवेदन पत्र’ कहाती है। प्राढ़ विवाह कथवा अन्य न्यायाधिकारियों के प्रति इजहार देते हुए कही गई भापा बहुत सरल होती चाहिये, जिसे सब कोई समझ सकें।

१. सभायां ये हिता योग्याः सम्यास्ते चापि साधवः॥ ६७॥

समृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः ।

आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पर्दं हि तत् ॥ ६८॥

२. नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नांप्यस्य पूरुषः ।

न रागेण न लोभेन न क्रोधेन ग्रसेन्तुः ।

परैप्रापितानर्थात्त्वं चापि स्वमनीषया ॥ ६९॥

छलानि चापराधांश्च पदानि नृपतेस्तथा ।

स्वयमेतानि गृह्णीयान्तृप्तस्त्वावेदकैर्विना ।

सूचक स्तोभकाभ्यां वा श्रुत्वा चैतानि तत्वतः ॥ ७० ॥

शास्त्रेणानिन्दितस्त्वर्थीं नापि राजा प्रचोदितः ।

आवेदयन्ति यत् सूर्वं स्तोभकः स उदाहृतः ॥ ७१ ॥

नृपेण विनियुक्तो यः परदोपानुवीक्षणे ।

नृपं संसूचवैज्ञात्वा सूचकः स उदाहृतः ॥ ७२ ॥

३. उद्धतः कूरवाग्वेशो गर्वितश्वरेण एव हि ।

सहासनश्चातिमानी बादी दण्डमवाप्नुयात् ॥ ८० ॥ (शुक्रो अ० ४. v.)

अर्थी के इस आवेदन पत्र को पूर्व पक्ष समझना चाहिये, न्यायाधीश यदि उचित समझे तो अर्थी द्वारा निर्दिष्ट गवाहों से अतिरिक्त गवाहों की भी गवाहियाँ ले अथवा उन में से भी कुछ गवाहियाँ वर्ध समझ कर छोड़ दे । इस आवेदन पत्र पर अर्थी के हस्ताक्षर करवा कर न्यायालय की मोहर कर देनी चाहिये ।” १

“न्याय सभा के जो सभ्य दिना स्पष्ट किये ही राग लोभादि के वशीभूत हो कर अन्याय करें सजाव उन्हें यथोचित दण्ड देकर पदच्युत कर दे ।” २

“राजा पूर्व पक्षी के हजहार की ग्राह्य और अग्राह्य वातों पर अच्छी तरह विचार करे । पूर्व पक्ष को भली प्रकार सुन लेने के उपरान्त राजा प्रार्थी को बाहर भेज दे । फिर उस अपराध स्वीकार न करने वाले प्रत्यर्थी को राजा अपनी आज्ञा द्वारा पकड़वा कर न्यायालय में दुलावे । प्रत्यर्थी को इस प्रकार पकड़ना आसेध कहाता है । यह आसेध स्थान, समय, प्रवास और कार्य के समुदार चार प्रकार का होता है । प्रत्यर्थी को चाहिये कि वह भूल कर भी इस आसेध का उल्लङ्घन न करे । परन्तु जो राजकर्मचारी प्रत्यर्थी को आसेध करते हुए उसे अनुचित उपायों से तंग करता है वह स्वयं ही अपराधी है ।” ३

१. अर्थिना कथितं राजे तदावेदन संज्ञकम् ।

क्वचित् प्राद्विवाकादौं सा भापादिल वोधिनी ॥ ६० ॥ :

सपूर्वपक्षः सभ्यदिस्तं विमृश्य यथार्थतः ।

अर्थितः पूर्येद्वीन् तत्साख्यं मधिकं त्यजेत् ॥ ६१ ॥

वादिनश्चिन्हतं साक्ष्यं कृत्वा राजा विमुद्रयेत् ॥ ६२ ॥ :

२. अग्नोधयित्वा पक्षं ये ह्युत्तरं दापयन्ति तात् ।

रागाज्ञेभाद् भयद्वापि स्मृत्यर्थं वाधिकारिणः ।

सभ्यादीन् दण्डयित्वा तु ह्यधिकारान्निवर्तयेत् ॥ ६३ ॥ :

३. ग्राह्याग्राह्यं विवादन्तु सुविमृश्य समाश्रयेत् ।

सञ्चातपूर्वपक्षं तु वादिनं सन्निरोधयेत् ॥ ६४ ॥

राजान्नया सत्पुरुषैः सत्यवार्गमनोहरैः ।

निरालसेन्नितज्जैश्च दृढ़ चत्त्राक्ष धारभिः ॥ ६५ ॥ :

वक्तव्येऽर्थं ह्य तिष्ठन्त उक्तामन्तं च तद्वचः ।

आसेधयेद् विवादार्थी यावदाह्वान दर्शनम् ।

प्रत्यर्थिनं तु शपथेराज्ञया वा वृपस्य च ॥ ६६ ॥

स्थान सेधः कालकृतः प्रवाप्तात् कर्मणस्तथा ।

आसेधयदनासेधैः स दण्डयो न त्वतिक्रमी ॥ ६७ ॥

आसेध काल आसिद्व आसेधं योजित्वर्तते ।

स विनेयोन्यथा कुर्वन्नासेद्वा दण्डभाग भवेत् ॥ ६८ ॥ (शुक्र० अ० ४०. v. ३)

बारहट— “जिसका अभियोग हो और जिस पर अभियोग हो अथवा जिस पर अभियोग होने की आशंका हो उसे राजा अपनी मुद्रा से अंकित आज्ञा से राजकर्मचारियों द्वारा न्यायालय में बुलाये । इव बारहटों द्वारा राजा रोगियों, बालकों, बूढ़ों, नवकार्यों में संलग्न, आपदग्रस्तों, दुखियों, राजकार्य में लगे हुओं, उत्सवों में मस्त और मत्त तथा कष्ट में पड़े हुए नौकरों को न बुलाए । अकेली युवती, कुलदेवी, प्रसूता, उच्च वर्ण की कन्या, और विधवा लियों को भी राजा बारहट द्वारा ज़बरदस्ती न्यायालय में न बुलावे ।”^१

“इसी प्रकार राजा विवाह कार्यों में संलग्न, रोगी, यज्ञ में व्यग्र, आपदग्रस्त, किसी अन्य अभियोग में फँसे हुए, गवालों, किसानों, शिल्पियों, युद्ध में गए हुवों और नाबालिगों को भी बारहट निकाल कर न बुलावे ।”^२

“परन्तु अगर कार्य बहुत अधिक आवश्यक हो, इन के बिना नहो सकता हो तो राजा को इन्हें भी बारहट निकाल कर बुलाना चाहिये, परन्तु इस अवश्या में उन के आने जाने के लिये तेज़ सवारियों का पूर्ण प्रयत्न उसी को करना चाहिये । अभियोग की ठीक जाँच पड़ताल करने के बाद अगर उस में किसी वानप्रस्थ या सन्यासी की गवाही की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भी बुलवाना चाहिये, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस में उन का अधिक समय व्यय न हो ।”^३

१. यस्याभियोगं कुरुते तत्वेनाऽशङ्क्याथवा ।

तमेवाह्नानयेद्राजा मुद्रया पुरुषेण वा ॥ १०० ॥

अकल्य वाल्य स्थविर विषमस्य क्रियाकुलान् ।

कार्यातिपाति व्यसनी नृपकार्योत्सवाकुलान् ।

मत्तोन्मत्त प्रमत्तार्त भृत्यानाह्नानयेन्नृपः ॥ १०२ ॥

न हीन पक्षां युवतीं कुरुते जातां प्रसूतिकाम् ।

सर्व वर्णोत्तमां कर्त्तां नाज्ञात प्रभुका स्त्रियः ॥ १०३ ॥

२. निर्वेष्टुकामो रोगात्तर्ती वियज्जुर्वर्यासने स्थितः ।

अभियुक्तस्थान्येन राजकार्यद्यतस्तथा ॥ १०४ ॥

गर्वां प्रचारे गोपालाः शस्यावाप्ये कृषीवलाः ।

शिल्पिनश्चापि तत्कालमायुधीयाश्च विग्रहे ॥ १०५ ॥

अप्राप्य व्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो व्रती ।

विषमस्याश्च नासेध्या न चैतानाह्नयेन्नृपः ॥ १०६ ॥

३. कालं देशं च विज्ञाय कार्याणां च वलावलम् ।

अकल्यादीनपि शनैर्नैराह्नानयेन्नृपः ॥ १०८ ॥

ज्ञातवाभियोगं ये उपि स्वृप्ते प्रव्रजितादयः ।

तमप्याह्नानयेद्राजा गुरुकर्येष्वकोपयन् ॥ १०९ ॥ (शुक्र० अ० ४ व०)

प्रतिनिधि (वकील)— व्यवहार (कानून) से अनभिज्ञ अर्थी या प्रत्यर्थी अपना पक्ष पुष्ट करने के लिये किसी योग्य कानूनदाँ को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है । मूर्ख, पागल, बृद्ध, स्त्री, बालक और रोगियों की ओर से उन का कोई वन्धु या अन्य नियुक्त मनुष्य उन का पक्ष आपित कर सकता है । अगर किसी वादी या प्रतिवादी के अभियोग को उस के पिता, माता, सित्र, वन्धु, भाईया अन्य कोई जानकार और अधिक अच्छी तरह उपस्थित करना चाहें तो उन्हें इस की आज्ञा देनी चाहिये । जो कोई जिस की आज्ञा से कार्य करे वह कार्य आज्ञा देने वाले का ही समझा जायगा, उस का अपना नहीं । वकील जो कुछ कहता है वह उस के मुख्यिक्ल का कथन समझा जाहिये ।”^३

वकील का वेतन—“अभियोग को जीत लेने से जितना धन प्राप्त हो उस का १६ घाँ भाग वकील को मेहनताने के रूप में देना चाहिये । ज्यों ज्यों अभियोग द्वारा रक्षणीय द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाय त्यों त्यों वकील की भूति कम होती जाती है । यह भूति रक्षणीय द्रव्य की मात्रा का २० वाँ भाग, ४० वाँ भाग, ८० वाँ भाग अथवा कम से कम १६० वाँ भाग होनी चाहिये । अगर एक ही पक्ष की ओर से बहुत से वकील नियुक्त किये जायें तो उनका मेहनताना और किसी प्रकार ही निश्चित होना चाहिये ।

“वकील को स्मृति, आचार नियम और कानूनों का ज्ञाता होना चाहिये । कानून के आधार पर ही उसे अपना पक्ष पुष्ट करना चाहिये, वह अगर धूस आदि देकर अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का यत्न करे तो उसे भी दूर्ड मिलना चाहिये । आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्तों के लिए राजा को स्वयं वकील नियुक्त करदेना चाहिये । यह वकील अगर लोभवश अपने कर्तव्य का भली प्रकार पालन न करे तो इसे भी दूर्ड मिलना चाहिये । अभियुक्त को राजा अपनी इच्छा के अनुसार वकील नियुक्त करने के लिये चाहित न करे । जो व्यक्ति न तो वादी या प्रतिवादी में से किसी का रिश्तेदार है और न वकील है वह अगर

३. व्यवहारानभिज्ञेन ह्यन्यकार्याकुलेन च ।

प्रत्यर्थिनार्थिना तज्ज्ञः कार्यः प्रतिनिधिस्तदा ॥ ११० ॥

अप्रगल्भ जड़ोन्मत्त वृद्धस्त्री वालरोगिणाम् ।

पूर्वोत्तरं वदेद् वन्धुनियुक्तो वाथवा नरः ॥ १११ ॥

पिता माता सुहृद् वन्धुभ्राता सम्बन्धिनो ऽपि च ।

यदि कुर्युरुपस्यानं वादं तत्र प्रवर्तयेत् ॥ ११२ ॥

यः कश्चित् कारयेत् किञ्चित्नियोगाद् येन केनचित् ।

तत् तैव कृतं चेयमनिर्धार्य हि तत् स्मृतम् ॥ ११३ ॥ (शुक्र० अ० ४.५.)

कसी अभियुक्तके पक्षया विपक्षमें बिना पूछे कुछ कहे तो उसे दण्ड मिलना चाहिए । अभियोग प्रारम्भ होजाने पर अगर अभियुक्त या अभियोगी की मृत्यु हो जाय तो उस मुकद्दमे को उस के पुत्र या सम्बन्धी जारी रख सकते हैं ।”

गुरुतर अपराध— “इन अपराधों के अभियुक्त को बकील करने का अधिकार नहीं होना चाहिये, इनमें अभियुक्त स्वयं ही अपनाए पक्ष पुष्ट करे—हत्या, चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण, कन्याहरण, कठोरता, जालसाजी, राज द्रोह और डकैती ।”^१

जमानत— “यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में राजा की आशा द्वारा बुलाया जाकर घमण्ड या परिवार की महत्त्वाके बल पर असे से इन्कार करते तो उसे इस बात का भी, अभियोग की गुरुता के अनुसार दण्ड मिलना चाहिये । अभियोग चलने पर बादी या प्रतिवादी को अगर कोई विशेष कार्य हो तो उन्हें जमानत पर छोड़ा भी जा सकता है । जो व्यक्ति उन की जमानत ले उसे न्यायालय में यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये—‘मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह मनुष्य जो कुछ नहीं चुकायेगा वह मैं चुकाऊँगा । इसे मैं अमुक तिथि को न्यायालय में अवश्य उपस्थित कर दूँगा, इस ब्रात की आप कोई चिन्ता न कीजिये, जो कार्य यह नहीं करेगा, वह मैं कर दूँगा । यह मनुष्य अमुक कार्य करता है, आप विश्वास कीजिये यह असत्य व्यवहार नहीं करेगा ।’ जो व्यक्ति जमानत ले वह ईमानदार,

१. नियोगितस्यापि भूति विवादात् पोङ्गाशांशिकम् ।

विशत्यंशां तदद्वौं वा तदद्वौं च तदद्वौंकाम् ॥ ११४ ॥

यथा द्रव्याधिकं कार्यं हीना हीना भूतिस्तथा ।

यदि वहु नियोगी स्यादन्यथा तस्य पोषणम् ॥ ११५ ॥

धर्मज्ञो व्यवहारज्ञो नियोक्तव्योऽन्यथा-न हि ।

अन्यथा भूतिगृह्णतं दस्त्येच्च नियोगिनम् ॥ ११६ ॥

क्वार्यो नित्यो नियोगी न नृपेण स्वमनोषया ।

लोभेन ग्रन्थया कुर्वन् नियोगी दण्डमर्हति ॥ ११७ ॥

यो न भ्राता न च पिता न पुत्रो न नियोग कृत् ।

परार्थ वादी दण्डयाः स्याद् व्यवहारेषु विवक्तु ॥ ११८ ॥

प्रवर्तयित्वा वादन्तु वादिनौ तु मृतौ यदि ।

तत्पुत्रो विवदेत् तज्ज्ञो ह्यन्यथा तु निवर्तयेत् ॥ ११९ ॥

२. मनुष्य मारणे स्तेये परदाराभिमर्शने ।

अभक्ष्य भक्षणे चैव कन्या हरण दूषणे ॥ १२१ ॥

पारुष्ये कूटकरणे नृपद्रोहे च साहसे ।

प्रतिनिधिन दातव्यः कर्ता तु विवदेत् स्वयम् ॥ १२२ ॥ (शुक्रोग्राम ४०४ . v.)

थेनी, चतुर और सम्माननीय होना चाहिये । जमानत दोनों दलों से लेनी चाहिये, परन्तु अच्छा यही है कि जब तक सत्यासत्य का निर्णय न हो जाय तब तक चादि प्रतिवादी को नजरवन्द ही रखा जाय ; उनका व्यय चाहे सरकार दे या चाहे वे स्वयं दें । उनके परिवार का खर्च देने के लिये सरकार उत्तरदाता नहीं ।”⁹

अर्जी या प्रतिज्ञा के बाब्य— “बादो को अपना पक्ष ऐसा रखना चाहिये जिस में हेत्वाभास न हों, उस की युक्तियाँ सन्देह जनक और असम्भव न हों । भापा के ये दोप हैं, न्यायाधीश को इन का ध्यान रखना चाहिये—उस से कई मतलब निकलता, कोई अर्थ न होना, युक्ति शाल्व (तर्क) के विरुद्ध होना, रुक २ कर बोलना या बहुत कम बोलना । भापा अप्रसिद्ध, उचित्रुत्त्व, निष्प्रयोजन, निरर्थक, असाध्य व विरुद्ध नहीं होनी चाहिये ।”

“जो किसी ने न देखा हो न सुना हो वह अप्रसिद्ध है जैसे—मुझे एक गूँगे ने गाली दी अथवा बन्ध्या के पुत्र ने मारा । ये वातें निष्प्रयोजन और निरवाध का उदाहरण हैं—यह पढ़ता है अपने घर में आजन्द करता है, इस के घर का दरवाजा बाजार में खुलता है इत्यादि । मेरी दी हुई कन्या का मेरा यह जमाई उपयोग करता है, यह बन्ध्या होकर गर्भ धारण नहीं करती, यह मरा हुवा मनुष्य नहीं बोलता—ये वातें असध्य का उदाहरण हैं । यह संसार मेरे दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होता—इत्यादि वातें निरर्थक हैं । बादी का पूर्व पक्ष इन दोनों से

१. आहूतो यत्र नागच्छेद् दर्पाद् बन्धुवलान्वितः ।

अभियोगानुरूपेण तस्य दशङ् प्रकल्पयेत् ॥ १२३ ॥

द्रूतेनाहूनितं प्राप्नाधर्पकं प्रतिवादिनम् ।

दृष्ट्वा राजा तयोश्चिन्त्यो यथा हि प्रतिभूस्त्वतः ॥ ११४ ॥

दास्याम्यमत्तमेतेन दर्शयामि तथनितके ।

एनमार्थं दाययिष्ये त्यस्मात्ते न भय क्वचित् ॥ १२५ ॥

अकृतज्ञं करिष्यामि त्यनेनायज्ञं वृत्तिमात् ।

अस्तीति न च मिद्यैतदङ्गी कुर्यादतन्द्रियः ॥ १२६ ॥

प्रगल्भो वहु विश्वस्तानधीनो विश्वतो धनी ।

उभयो प्रतिभूयाह्यः समर्थः कार्यं निर्णये ॥ १२७ ॥

विवादिनौ सच्चिराध्य ततो वादं प्रवर्तयेत् ।

स्वपुष्टौ परपुष्टौ वा स्वभूत्या पुष्ट रक्षकौ ।

संसाधनौ तत्वमिच्छुः कूट साधनशङ्क्या ॥ १२८ ॥ १२८ ॥

रहित होनी चाहिये । इस प्रकार का निर्देश पूर्व पक्ष लिखा जाने के बाद फिर उत्तर पक्ष लिखना चाहिये ।”^१

“दोनों पक्ष लिखे जाने के बाद पहले अभियोगी से प्रश्न करने चाहिये और फिर उस के बाद अभियुक्त से । राज्याधिकारियों से प्रश्न स्वयं न्यायाधीश को ही करने चाहिये ।”^२

जिरह—वादी या प्रतिवादी ने जो बात डर या धूर्तता से नहीं कही है, अथवा अशुद्ध बात कह दी है, उस को भिन्न २ प्रकार के प्रश्न कर के जान लेना चाहिये ।”^३

१. प्रतिज्ञा दोष निर्मुक्तं साध्यं सत्कारणान्वितम् ।
 निश्चितं लोक मिदुच्च पञ्चं पञ्चविदो विदुः ॥ १२४ ॥
 अन्यार्थं अर्थहीनञ्च प्रमाणागम वर्जितम् ।
 लेख्य हीनाधिकं भ्रष्टं भाषा दोषा उदाहृताः ॥ १३० ॥
 अप्रसिद्धुं निरावाधं निरर्थं निष्प्रयोजनम् ।
 असाध्यं वा विरुद्धुं वा पक्षाभासं विवर्जयेत् ॥ १३१ ॥
 न केनचिच्छ्रुतो हृष्टः सोऽप्रसिद्धु उदाहृतः ।
 अहं सूकेन संशस्त्रो वन्ध्या पुत्रेण ताङ्गितः ॥ १३२ ॥
 अधीते सुस्वरं गाति स्वगेहे विहरत्ययम् ।
 धत्ते मार्गं मुख द्वारं मम गेह समीपतः ।
 इति ज्ञेयं निरावाधं निष्प्रयोजनमेव च ॥ १३३ ॥
 सदा मद्वत्त कन्यायां जामाता विरहत्ययम् ।
 गर्भं धत्ते न वन्ध्येयं मृतोर्यं न प्रभाषने ।
 किमर्थं मिति तज्ज्ञेयमसाध्यञ्च विरुद्धकम् ॥ १३४ ॥
 मद् दुःख सुखतो लोको दूयते न च नन्दति ।
 निरर्थं मिति या ज्ञेयं निष्प्रयोजनमेव वा ॥ १३५ ॥
 विनिश्चिते पूर्वपक्षे ग्राहाग्राह्य विशोधिते ।
 प्रतिज्ञाते स्थिरीभूते लेखयेदुत्तरं ततः ॥ १३६ ॥

२. तत्राभियोक्ता प्राक् पृष्ठो ह्यभियुक्तस्त्वनन्तरम् ।
 प्राढ् विवाकः सदस्याद्यैदाप्यते ह्युत्तरं ततः ॥ १३८ ॥
 ३. मोहाद् वा यदि वा शात्यात् यन्नोक्तं पूर्ववादिना ।
 उत्तरान्तर्गतं वा तत् प्रश्नैर्ग्राह्यं द्वयोरपि ॥ १४३ ॥

उत्तरों का वर्गक्रिरण—वादी या प्रतिवादी द्वारा दिए गए उत्तर चार प्रकार के हो सकते हैं—स्वीकृति, इन्कारी, प्रत्यवस्कन्दन, और पूर्वन्याय। वादी द्वारा लागवे दोष को उसी प्रकार स्वीकार कर लेना स्वीकृति कहाता है। विषयकी की कही वात को अस्वीकार कर के उस के विरोध में उस द्वारा वताए तथ्यों अथवा भाषा में से दोष निकालना अस्वीकृति कहाता है, यह—‘मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता, यह भूत है, मैं तब वहाँ नहीं था मैं तब पैदा ही नहीं हुआ था, इन चार प्रकारों से हो सकता है। वादी द्वारा दिये गए व्यान को स्वीकार करते हुए उसी से उसके प्रतिकूल अर्थ निकालना प्रत्यवस्कन्दन है। अपने पक्ष में न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे ही एक पुराने मामले के निर्णय को उद्धृत करना पूर्वन्याय कहाता है। यह तीन प्रकार का होता है—पुराने निर्णय को उद्धृत करना, वह निर्णय देने वाले न्यायाधीश को गवाह रूप में उपस्थित करना या इस सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति की गवाही देना।’⁹

आभियोग का प्रकार—“अभियोग का सारा कार्य दोनों दलों-वादी और प्रतिवादी-की उपस्थिति में ही होना चाहिये। जो न्यायाधीश ऐसा नहीं करते उन्हें चोर की तरह दण्ड देना चाहिये। अर्थी और प्रत्यर्थी दोनों के व्यान विधि पूर्वक लिख लेने के बाद ही अभियोग पर विचार प्रारम्भ होना चाहिये। किसी अभियोग के चार भाग किये जा सकते हैं—पूर्वपक्ष की स्थापना,

१. सत्यं मिथ्योन्नरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा ।

पूर्वन्याय विधिवश्चैमुत्तरं स्याच्चतुर्विधम् ॥ १४४ ॥

अद्वीकृतं यथार्थं यद्वायुक्तं प्रतिशादिना ।

सत्योन्नरं तु तज्ज्ञेयं प्रतिपत्तिश्च सा स्मृता ॥ ११४५ ॥

श्रुत्वा भाषार्थमन्यस्तु यदि तं प्रतिपेधति ।

अर्थतः शब्दतो वापि मिथ्या तज्ज्ञेयमुत्तरम् ॥ १४६ ॥

मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र न सन्निधिः ।

अज्ञातश्चास्मि तत्काले इति मिथ्या चतुर्विधम् ॥ १४७ ॥

अर्थिना लिखतो ह्यर्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा ।

ग्रन्थ कारणं द्वयात् प्रत्यवस्कन्दनं हि तत् ॥ १४८ ॥

अस्मिन्नर्थे ममानेन वादः पूर्वमध्यतदा ।

जितोऽयमिति चेद्वयात् प्राढ्यन्याय स उदाहृतः ॥ १४९ ॥

जयपत्रेण सभ्यैर्वा साविभर्मध्याम्यहम् ।

मया जितः पूर्वमिति प्राढ्यन्यायः त्रिविधः स्मृतः ॥ १५० ॥ (गुरुकृष्ण ४० ४० v.)


उत्तर पक्ष की स्थापना, क्रिया(जिरह आदि) और निर्णय ।” १

‘अभियोगों का क्रम — “साधारण अवस्था में जिस क्रम से अभियोग आएं उसी क्रम से उन पर विचार करना चाहिये, अथवा अभियोग की महत्त्व के अनुसार उन का क्रम निश्चित करना चाहिये, जो अभियोग जितना अधिक संगीन अथवा आवश्यक हो उस पर उतना शीघ्र विचार किया जाय, अथवा उच्चारणों के क्रम से अभियोगों की तिथि निश्चित करनी चाहिये ।” २

‘साक्षी — अभियोग में साक्षियों का स्थान सब से अधिक महत्व पूर्ण है, इस लिये इन के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत विस्तार के साथ निर्देश दिये हैं । हम संक्षेप से उन में से कुछ बातें यहां देंगे—

“साक्षी निम्न लिखित प्रकार के होते हैं—

साधन (गवाही)



तत्व सच्ची गवाही को कहते हैं और छल भूंडी गवाही को । न्यायाधीश को इन दोनों की पहचान करने का पूर्ण यंत्रन करना चाहिये । गवाहियाँ लेने में देर नहीं करनी चाहिये अन्यथा उन से बड़ा भ्रम और दोष पैदा हो सकता

१. अन्योऽन्ययोः समक्षन्तु वादिनो पश्चमुत्तरम् ।

न हि गृह्णन्ति ये सभ्या दण्डयस्ते चौरवत् सदा ॥ १५१ ॥

लिखते शोधिते सम्यक् सति निर्देष उत्तरे ।

अर्थि प्रत्यर्थिनोर्वापि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १५२ ॥

शूर्वपत्रःस्मृतः पादो द्वितीयश्चोत्तरात्मकः ।

क्रियापादस्तृतीयस्तु चतुर्थो निर्णयाभिधः ॥ १५३ ॥

२. क्रमागतान् विवादांस्तु पश्येद् वा कार्य गौरवात् ॥ १५६ ॥

यत्य वाभ्यधिका पीड़ा कार्य वाभ्यधिकं भवेत् ।

वर्णानुक्रमतो वापि नयेत् पूर्व विवादयेत् ॥ १५७ ॥ (शुक्र अ० ४. v.)

हैं । सब साक्षियाँ अभियुक्त और अभियोगी दोनों की उपस्थिति में लेनी चाहिये ।”^१

साक्षियों के लिये निर्देश— “जिस मनुष्य की बुद्धि, स्मृति और कान दोप युक्त नहीं हैं; जो बहुत दिनों के बाद भी अपनी बात नहीं बदलता वही साक्षी बनने योग्य है । साक्षी यथा सम्भव किसी मकान का मालिक, स्वतन्त्र, बुद्धिमान, अप्रवासी और जवान होना चाहिये । स्थियों की साक्षी स्थियों के अभियोगों में ही लेनी चाहिये । हत्या, डाका, अपमान और स्थियों को चुराने के अपराधों में साक्षियों को बहुत महत्ता नहीं देनी चाहिये । चालक, स्थियों, सम्बन्धियों, और शत्रुओं की साक्षी नहीं लेनी चाहिये । न्यायालय में आए हुए किसी साक्षी को साक्षी देने के लिए कहा जाए और वह इन्कार करे तो उसे दरड़ देना चाहिये; इसी प्रकार किसी जानकार को साक्षी देने के लिए बुलाया जाय और वह आने से इन्कार करे अथवा भूठ बोले तो उसे भी दरड़ देना चाहिए ।”^२

१. तत् साधनन्तु द्विविधं मानुषं दैविकं तथा ॥ १६३ ॥

क्रिया स्थालिलितिं भुक्तिः साक्षिणश्चेति मानुषम् ।

दैवं घटादि तद्विधं भूतागतमान्नियोगेत् ॥ १६४ ॥

तत्वं छलानुसारित्वात् भूतं भव्यं द्विधां स्मृतम् ।

तत्वं सत्यार्थाभिधायिं कूटाद्याभिहितं छलम् ॥ १६५ ॥

क्लं. क्लिरस्य भूतेन व्यवहारात्. नयेन्नपुः ।

युक्तयानुभान्तो नित्यं सामादिभिरुपक्रमैः ॥ १६६ ॥

न काल हरणं कार्यं राजा साधन दर्शने ।

महात् दोषो भवेत् फालादुर्म व्यापत्ति लक्षणः ॥ १६७ ॥

ग्रथिं प्रत्यर्थं प्रत्यक्षं साधनानि प्रदर्शयेत् ।

आप्रत्यक्षं तयोर्नैव गृहीयात् साधनं नृपः ॥ १६८ ॥

२. यस्य नोयहताः बुद्धिः स्मृतिः श्रोत्रं च नित्यशः ।

सुदीर्घेणापि कालेन सैव साक्षित्यर्थमहंति ॥ १६९ ॥

गृहिणो न पराधीनाः सूरयश्चाप्रवासिनः ॥. १७० ॥

युवानः साक्षिणः कार्याः स्थियः स्त्रीपु च कीर्तिताः ॥. १७१ ॥

साहसेपु च सर्वेषु स्तेयं संग्रहयेषु च ।

वागदण्डयोद्धा पास्प्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ १७२ ॥

वालोऽज्ञानादसत्यात् स्त्री पामाभ्यासाच्च कूटकृत ।

चिन्नूयाद् वान्यवः स्नेहाद्वैरनिर्यातनाददिः ॥ १७३ ॥

प्रत्यक्षं वादयेत् सात्व्यं न परोक्षं कथंचन ।

नाङ्गीकरोति यः सात्व्यं दण्डः स्याद्देशितो यदि ॥ १७४ ॥

यः साक्षान्नैव निर्दिष्टो नाहूतो नैव देशितः ।

बूयात् मिष्येति तथ्यं वा दण्डः सोमि नराधमः ॥ १७५ ॥ (शुक्र अ० ४. ३.)

साक्षियों के आने पर न्यायाधीश को चाहिये कि वह उन्हें सत्य सत्य कहने के लिये भली प्रकार समझाए और उनकी गवाही सुनने के बाद वकीलों को उन से जिरह करने की आज्ञा भी दे ।^१

“परन्तु किसी अभियोग का निर्णय करने के लिए केवल साक्षियों पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिये । क्योंकि वे बहुत बार स्नेह, लोभ, भय या क्रोध से झूठ बोल देते हैं ।”^२

मुद्रा पत्र (Stamp Paper)—स्टाम्प पेपर को उस समय ‘लिखित’ कहा जाता था । ये लिखित दो प्रकार के होते थे—राजकीय और लौकिक (official and nonofficial) ये देश काल के अनुसार अपने हाथ से लिखे हुए या किसी दूसरे के हाथ से लिखे हुए, गवाही सहित या बिना गवाही के होते हैं । लौकिक लिखित इन सात कार्यों के लिये होते हैं—विभाग, दान, विक्रय, स्वीकृति, प्राप्ति, समिवभाग और ऋण । राजकीय लिखित इन तीन कार्यों के लिये होता है—शासन की आज्ञा देना, विज्ञापन (नोटिस) और निर्णय । धन के विभाग सम्बन्धी सभी लिखतों पर धन के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये अन्यथा वह उतने प्रमाणिक न होंगे । सम्पत्ति और धन सम्बन्धी सभी लिखितों पर साक्षियों तथा भूमि या नगर के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिये । राजकीय लिखितों पर राजा की मुद्रा तथा उस विभाग के प्रधानाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिये । इन लिखितों पर काल, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्राप्ति, नगर, स्थान, जाति, आकृति और आयु आदि सभी कुछ अंकित होने चाहिये, जिन लिखितों पर ये सब अंकित न होंगे वे बहुत कमज़ोर समझे जायगे । जिन का क्रम या भाषा ठीक न होगी वे निरर्थक होंगे । जो लिखित अवधि समाप्त होने के बाद लिखे जायगे अथवा जो पागलों, बच्चों या स्त्रियों से लिखाए जाएंगे या जिन्हें बल पूर्वक लिखवाया जायगा वे प्रमाणित नहीं होंगे ।”^३

१. शुक्र० अ० ४. V. ज्ञोक १९८ से २०८ तक ।

२. स्नेह लोभ भय क्रौंचैः कूटसाक्षित्वं शंकया ।

केवलैः साक्षिभिन्नैऽवं कार्यं सिद्धुच्यति सर्वदा ॥ २१४ ॥

३. राजकीयं लौकिकं च द्विविधं लिखितं स्मृतम् ।

स्वहस्त लिखितं वान्यं हस्तेनापि विलेखितम् ।

असाक्षिमत् साक्षिमत्त्वं सिद्धिदैश स्थितेस्तयोः ॥ १७३ ॥

भाग दान क्रियादान संविहान कर्णादिभिः ।

सम्प्रधा लौकिकं चैतत् त्रिविधं राज शासनम् ।

(शुक्र० ४. अ० ५.)

भूमि का मौरुसी होना— आचार्य शुक्रके अनुसार भूमि पर निरन्तर निवास के अधिकार को स्वीकार करना चाहिये—“किसी व्यक्ति का अगर एक भूमि से ज़रा भी भुक्ति सम्बन्ध नहीं है तो उस भूमि पर वह अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता, चाहे वह उस वें पट्टे पर क्यों न लिखवा रखी हो । किसी व्यक्ति की कोई छोटी सी चल सम्पत्ति भी अगर निरन्तर किसी अन्य व्यक्ति के पास रही हो तो उस पर उसका अधिकार नहीं रहता । किसी व्यक्ति की भूमि अगर निरन्तर २० वरस तक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ वें रहे तो उस पर उस का अधिकार नहीं रहता । यिन पट्टा लिखाए भी अगर कोई व्यक्ति लगातार ६० वरस तक एक भूमि को उपयोग में लाता रहे तो वह भूमि उसी की हो जाती है । निम्नलिखित पर अद्वितीयता हो जाने पर भी उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते— गिरवी, सीमा की भूमि, नावालिंग की जायदाद, द्रुस्ट की सम्पत्ति, दासियों का धन, राज कर और विद्रोहों के लिये दी हुई सम्पत्ति ।”^१

शासनार्थ जायनार्थ निर्यार्थ वितीयकम् ॥ १७४ ॥
 सामिनद्रिकृथभिमतं भागपत्रं सुभक्तियुक् ।
 निष्ठिकृत्वान्यथा पित्रा कृतमप्यकृतं स्मृतम् ॥ १७५ ॥
 दायादाभिमतं दानं क्रदं विक्रयं पञ्चकम् ।
 स्यावरस्य ग्रामपादि सात्त्विकं सिष्ठिकृतं स्मृतम् ॥ १७६ ॥
 राजा स्वहस्त संयुक्तं स्वसुद्रार्चवन्हतं तथा ।
 राजकीयं स्मृतं सेष्यं प्रकृतिभिश्च सुद्रितम् ॥ १७७ ॥
 निवेश्य कालं वर्षं च मासं पञ्चं तिर्थियं तथा
 वेलां प्रदेशं विषयं स्यानं जात्याकृती वयः ॥ १७८ ॥
 यत्रैताति न लिख्यन्ते हीनं सेष्यं तटुच्यते ।
 भिन्नं क्रमं व्युत्क्रमार्थं प्रकीर्णार्थं निर्यकम् ॥ १८१ ॥
 अतीतकालं लिखितं न स्पात् तत् साधनचमम् ।
 अप्रगल्भेन च चिया वलात्कारेण यत् कृतम् ॥ १८२ ॥
 १. ग्राममेषि वलं नैव भुक्ति स्तोकापि यत्र नो ॥ २२० ॥
 यं कञ्चिद्विषयं वर्षाणि दिन्नधौ प्रेचते धनी ।
 भुज्यमानं परैर्यं न स तं लब्धुमर्हति ॥ २२१ ॥
 वर्षाणि विग्रहितयस्य भूर्भुक्ता तु परेहि ।
 सति राज्ञि समर्थस्य तस्य सेह न विदुच्यति ॥ २२२ ॥
 अनागमापि या भुक्तिर्विच्छेदो परमोजिमकता ।
 पष्टि वर्षात्मिका सापहन्तुं शक्या न केनचित् ॥ २२४ ॥
 आधिः सीमा वालधनं निवेषोपनिधिस्तथा ।
 राजस्वं श्रोतृत्यस्वं न च भोगेन ग्रणशयति ॥ २२५ ॥ (शुक्र० अ० ४ व.)

दैवी साक्षी— उस समय दैवी साक्षी लेने की भी प्रथा थी,—अग्नि, वायु, जल आदि द्वारा अभियुक्त की सत्यता पहचाने का यत्त्र किया जाता था, इस दैवी साक्षी का कोई अभिप्राय स्वरूप नहीं होता । इतना अवश्य प्रगट होता है कि कोई मानुषीय साक्षी प्राप्त न होने पर ही दैवी साक्षी लेने का यत्त्र किया जाता था । मानुषीय साक्षी के मुकाबले में दैवी साक्षी बहुत कमज़ोर समझी जाती थी । दैवी साक्षी इन साधनों से ली जाती थी—“अग्नि, विष, घड़ा, पानी, धर्म, अधर्म, चावल और शपथ । इन में से अपराध की गुणता के अनुसार अगली अगली वस्तु लेनी चाहिये, शपथ सब से छोटे अपराध के लिये है । अग्नि द्वारा इस प्रकार साक्षी लेनी चाहिये—लोहे का गोला आग से लाल कर के हाथ में रख कर नौ कदम चलाना चाहिये, धधकते अङ्गारों पर सात कदम चलाना चाहिये; जिह्वा से तपे हुए लोहे के चटवाना चाहिये, इत्यादि ।

अगर एक मनुष्य मानुषी साक्षी दे और दूसरा दैवी तो न्यायाधीश को मानुषी साक्षी ही स्वीकार करनी चाहिये । अगर मानुषी साक्षी का कुछ अंश भी प्राप्त हो जाय तो उसे सम्पूर्ण दैवी साक्षी से अधिक प्रामाणिक समझना चाहिये ।”^१

आय के भाग (Shares)— किसी सम्मिलित व्यवसाय से जो आय होती है उस के विभाग के लिये की शुक्रनीति में खूब विस्तार से नियम बताए गए है । भिन्न २ संघों में आय विभाग की रीति भिन्न २ है । हम उन में से कुछ उदाहरण यहाँ देते हैं—“राजा की आज्ञा से चोर लोगों ने जो धन विदेशों से लूटा हो उस में से छठा भाग राष्ट्र के कर रूप में देकर शेष

१. अग्निर्विष घटस्तोयं धर्माधर्मै च तण्डुलाः ।

शपथाइचैत्र निर्दिष्टा मुनिमिर्दिव्य निर्णये ॥ २३९ ॥

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं कार्यं दृष्ट्वा नियोजयेत् ।

लोक प्रत्यपतः प्रोक्तं सर्वं दिव्यं गुरुस्मृतम् ॥ २४० ॥

तप्तायोगोलकं धृत्वा गच्छेन्नवपदं करे ।

तप्ताङ्गरेपु वा गच्छेत् पदभ्यां सप्तपदानि हि ॥ २४१ ॥

तप्त तैल गतं लोहमार्णं हस्तेन निहरेत् ।

सुतप्तं लोहपात्रं वा जिह्वायासंलिहेदपि ॥ २४२ ॥

यद्येको मानुषीं ब्रूयादन्यो ब्रूयात् दैविकीम् ।

मानुषीं तत्र गृह्णीयात् तु दैवीं क्रियां नृपः ॥ २४३ ॥

यद्येक देश प्राप्तापि क्रिया विद्येत मानुषी ॥

सा ग्राह्या न तु पूर्णापि दैविकी वदतां नणाम् ॥ २४० ॥ (शुक्र० अ० ४. ८५)

धन उन्हें वरावर २ खोट लेना चाहिये । अगर उन में से कोई व्यक्ति विदेशियों द्वारा पकड़ लिया जाय तो उसे छुड़वाने के लिये शेष सब को वरावर २ धन देना चाहिये । जो संघ (Componies) सोना, अनाज, रस आदि का व्यवसाय करते हैं उन की आय का विभाग हिस्सेदारों के हिस्सों के अनुपात से ही होना चाहिये । जो हिस्सेदार हिस्से को पहले से निश्चित, वरावर, कम या अधिक मात्रा को नियत समय पर दे दें और संघ द्वारा हिस्सेदारों के लिये निश्चित अन्य कार्य भी कर दें उनका अपने हिस्से के अनुपात से आय पर पूर्ण अधिकार है ॥”^१

इस प्रकांग में हमारी तस्फर संघों के सम्बन्ध में की हुई दूसरी कल्पना और भी अधिक पुष्ट हो जाती है । ये चोर स्पष्ट रूप से राष्ट्र द्वारा आज्ञाप्त थे ।

कुछ अन्य नियम— जो मनुष्य चोर से, मालिक से पूछे विना किसी अन्य व्यक्ति से अथवा गुप्त रूप से कोई सामान खरीदता है वह भी चोर के समान दण्डनीय है । जब सूद पर उधार लिये धन का सूद मूलधन से ढुगना हो जाय तो फिर उस पर और सूद नहीं लगना नाहिये । किसी नकली चीज़ को असली कह कर वेक्ने वाले को चोर के समान दण्ड देना चाहिये । राजा प्रतिदिन की चांदी की विक्री का पांचवां, चौथा, तीसरा या आधा भाग कर रूप से ले इससे अधिक नहीं । जो व्यक्ति धातुओं में खोट मिला कर उन्हें वेचे उसे ढुगना दण्ड देना चाहिये ॥”^२

१. पर राष्ट्र धनं यज्ञौरैः स्वाम्याज्या हृतम् ।

राजे परांश्मुद्धृत्य विभजेरन् समांशकम् ॥ ३११ ॥

तेषां चेत् प्रस्तानां च ग्रहणं समवाप्नुयात् ।

तन्मोक्षार्थं च यद्यन्तं वहेयुस्ते समांशतः ॥ ३१२ ॥

प्रयोगं कुर्वते ये तु हेम धान्य रसादिना ।

समन्यूताधिकैरैर्षैर्तर्मस्तेषां तथाविधः ॥ ३१३ ॥

समोन्यूनोऽधिको ह्यंशो योनुजिप्तस्तथैव सः ।

व्ययं दद्यात् कर्म कुर्यात् लाभं गृहीत चैव हि ॥ ३१४ ॥

२. अस्वाभिकोभ्यश्चैरभ्यो विगृह्णाति धनं तु यः ।

अ गत्तमेव क्रीणाति स दण्ड्यश्चैरवन्नृपः ॥ ३१८ ॥

मूलान्तु द्विगुणा वृद्धिगृहीता चाधमर्यिकात् ।

तदीत्तमर्यमूलं तु दापयेन्नाधिकं ततः ॥ ३२२ ॥

कूट पर्यस्य विक्रेता स दण्ड्यश्चैरवत् सदा ॥ ३२७ ॥

उपसंहार— “प्राचीन समय के बुद्धिमानों द्वारा प्रचलित की गई व्यवहार पद्धतियों का हमने संक्षेप से वर्णन किया है, यह व्यवहार अनन्त है, इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में हम ने संक्षेप से न्याय के सम्बन्ध में कुछ विधान बताए हैं इन के गुण दोषों की आलोचना यहां नहीं की, वह लोक व्यवहार से हो परखी जा सकती है।”^३

पञ्चमांशं चतुर्थांशं तृतीयांशं तु कर्षयेत् ।

अर्धं वा राजताद्राजा नाधिकं तु दिने दिने ॥ ३२८ ॥


धातूनां कूट कारी तु द्विगुणो दण्डमहति ॥ ३३७ ॥

१. लोक प्रचारैस्त्पन्नो मुनिभिर्विघृतः पुरा ।

व्यवहारोनन्तपथः स वक्तुं नैव शक्यये ॥ ३३८ ॥

उक्त राष्ट्र प्रकरणं समाप्तात् पञ्चमं तथा ।

अत्रानुक्ता गुणा दोषास्तेज्या लोक शास्तः ॥ ३३९ ॥ (शुक्र अ० ४ वं)



छठा अध्याय

सेना-प्रबन्ध, शस्त्रास्त्र तथा युद्धनीति

यद्यपि शुकनीतिसार एक नीति अन्थ है, इस लिये उस में लिखी अविकांश वातें आचार्य शुक के राजनीति सम्बन्धी आदर्श मात्र कही जा सकती हैं तथापि उस में वर्णित सेना-प्रबन्ध तथा शास्त्राखों के सम्बन्ध में यह वात नहीं कही जा सकती। क्योंकि एक राजनीतिज्ञ शासन-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था या कार्य-विभागादि के सम्बन्ध में तो अपने आदर्श अधश्य रख सकता है परन्तु सेना-प्रबन्ध तथा शास्त्रों का वर्णन करते हुए उसे अपनी कल्पना को लगभग विद्वाम ही दे देना होगा।

आचार्य शुक कोई चतुर सेनापति नहीं थे, वह एक महान नीतिशास्त्रज्ञ थे, इस लिये सेना के प्रबन्ध तथा शास्त्राख के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने सोधी तरह से तत्कालीन सैन्य व्यवस्था का वर्णन मात्र ही किया है। उन्होंने जो सेना के विभाग और वारूद आदि वनाने के गुर वर्णित किये हैं वे उस समय उसी प्रकार प्रचलित थे—यह वात निश्चित समझनी चाहिये। इतनी भूमिका के साथ हम इस अध्याय को प्रारम्भ करते हैं।

सेना विभाग— “सेना दो प्रकार की होती है स्वगमा और अन्यगमा। स्वयं चलने वाली सेना को स्वगमा कहते हैं और रथ, घोड़े और हाथी इन तीन पर चलने वाली सेना को अन्यगमा। मुख्यतया हम सैन्य वल के दो विभाग कर सकते हैं—अपनी सेना और मित्र राष्ट्र की सेना। इन दोनों के भी फिर दो भाग होते हैं—स्थिर सेना (Standing army) और नई भरती की हुई सेना। इन दोनों के भी उपयोगी और अनुपयोगी ये दो विभाग हो सकते हैं। इस प्रकार सधी हुई, न सधी हुई, राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित, सीधा राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित न की हुई, सरकार द्वारा शस्त्र प्राप्त करने वाली और स्वयं शर्खों का प्रबन्ध करने वाली, सरकार द्वारा रथ प्राप्त करने वाली और स्वयं रथों का प्रबन्ध करने वाली इत्यादि द्वैती भावों से सेना के

‘अनेक विभाग किए जा सकते हैं ।’^३

- “उपर्युक्त प्रकार से सेना के भिन्न २ विभागों के निम्नलिखित नाम हैं—
 मैत्र-मित्र राष्ट्र द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिये प्राप्त सेना ।
 स्वीय—राष्ट्र की निजू सेना जिसे वेतन देकर रक्खा जाता है ।
 मौल—राष्ट्र की पुरानी स्थिर सेना ।
 साद्यस्क—नए रंगरुट ।
 खार—युद्ध करने के योग्य सेना ।
 असार—युद्ध करने के अयोग्य सेना ।
 शिक्षित—वह सेना जो व्यूहादि बनाने में खूब कुशल है ।
 अशिक्षित—जिसे व्यूहाभ्यास नहीं ।
 गुलमीभूत—जिस सेना के नायक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं ।
 अगुलमक—जिस के नायक स्वयं सेना द्वारा चुने जाते हैं ।
 दत्तात्र्य—जिस सेना को सरकार अख्य देती है ।
 अदत्तात्र्य—जो स्वयं अपने शत्रुओं का प्रबन्ध करते हैं ।
 कृतशुल्म—वह सेना जिस का निर्माण सरकार द्वारा नियुक्त नायकों ने किया है ।
 स्वयंगुलम—जो स्वयं अपना निर्माण करती है ।
 आरण्यक—किरातादि जंगली जातियों से निर्मित वह सेना जो सर्वथा स्वतन्त्र होती है ।

१. स्वगमाऽन्यगमा चेति द्विधा सेना पृथक् त्रिधा ॥ २ ॥

स्वगमा या स्वयं गन्ती यानगाऽन्यगमा समृता ।

पादातं स्वगमं चान्यद्रशभव गजं त्रिधा ॥ ३ ॥

सेना बलं तु द्विविधं स्वीयं मैत्रं च तद्विधा ।

मौल साद्यस्क भेदाभ्यां सारासरे युनर्द्विधा ॥ ४ ॥

अशिक्षितं शिक्षितञ्च गुल्मी भूतमगुल्मकम् ।

दत्तात्रादि स्वशक्त्रास्त्रं स्ववाहि दत्त वाहनम् ॥ ५ ॥

२. सौजन्यात् साधकं मैत्रं स्वीयं भृत्या प्रपालितम् ।

मौलं वहूद्वानुवन्धि साद्यस्कं यत् तदन्यथा ॥ १० ॥

स्वयुद्धकामुकं सारमसारं विपरीतकम् ।

शिक्षितं व्यूह कुशलं विपरीतं अशिक्षितम् ॥ ११ ॥

गुल्मीभूतं साधिकारी स्वस्वरमिक गुल्मकम् ।

दत्तात्रादि स्वामिना यत् स्वशक्त्रास्त्रमतोन्यथा ॥ १२ ॥

कृतगुल्मं स्वयं गुल्मं तद्वच दत्त वाहनम् ।

आरण्यकं किरातादि यत् स्वाधीनं स्वचेतसा ॥ १३ ॥ (गुक्र० अ० ४. vii.)

सेना निष्ठार्ण— “राजा को चाहिये कि वह सैनिकों का वेतन बढ़ा कर, उन्हें खूब व्यायामादि करवा कर, अच्छे २ शत्रु देकर और बुद्धिमान शास्त्रज्ञ लोगों से ललाह लेकर अपने सैन्य वल को खूब बढ़ावे। सेना का अनुपात इस प्रकार होना चाहिये”^१—

अगर सेना में एक बुड़े सवार हो तो इस अनुपात से अन्य सेना होनी चाहिये—

पैदल—४

वैल—५

ऊँट—२

हाथी—३२

रथ—५४

तोपें—३२

रथ— उस समय प्रायः वड़े वड़े योद्धा रथों पर बैठ कर ही युद्ध किया करते थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, कृप आदि सब वड़े वड़े योद्धा रथारोही ही थे। इन लोगों के रथ खूब मज़बूत और हल्के होते थे। शुक्रनीति में युद्ध के रथों के सम्बन्ध में कहा है—“युद्ध के लिये रथ लोहे के बने होने चाहिये, वे पहियों द्वारा सरलता से घूम सकते हों, रथारोही के लिये वैठने की जगह ऊँची हो, सारथी का स्थान रथ के मध्य में हो, रथ के अन्दर यथेष्ट हथियार रखे होने चाहिये, उन का छाता ऐसा होना चाहिये जिसे सब आंख घुमाया जा सके, वे सुन्दर हों और उन के घोड़े खूब उत्तम हों।”^२

हाथी— उन दिनों युद्धों के लिये हाथी एक अत्यन्त आवश्यक साधन था, हाथियों को पालने का मुख्य उद्देश्य युद्ध ही समझे जाते थे।

१. सेना वलं सुभृत्या तु तपोऽभ्यसैस्तथाच्छिकम् ।

वर्धयेच्छास्त्रं चतुरं संयोगाद्विं वलं सदा ॥ १७ ॥

चतुरुणं हि पादात्मश्वतो धारयेत् सदा ।

पञ्चमांशांस्तु वृपभानष्टांशांश्च क्रमेलकाद् ॥ १८ ॥

चतुर्थांशास्त्रं गजानुद्गादजाद्वृश्च रथात् सदा ।

रथात् द्विगुणं राजा वृहन्नालीकमेव च ॥ २० ॥

२. लोहसार मथशक्तं दुग्मो मञ्जुकासनः ।

स्वान्दोलायित रुद्धस्तु मध्यमासन-सारथिः ॥ २८ ॥

शस्त्रांश्च सन्धायुर्दर इष्टचक्रायो मनोरमः ।

स्वंविधो रथो राजा रक्षो नित्यं सदश्वकः ॥ ३० ॥ (शुक्र० अ० ४- vii)

हाथियों की पहिचान, उन की लम्बाई, चौड़ाई तथा उन के स्वभाव के सम्बन्ध में शुक्रनीति में बहुत से निर्देश दिए हैं— “नीले तालु और नीली जिहा बाले, टेढ़े दांतों बाले, देर तक क्रोध या मस्ती की हालत में रहने वाले, पीछ हिलाने वाले, जिन के पैरों के १८ से कम भाग हों, या जिन की पूँछ ज़मीन को छूती हो वे हाथी बुरे हाथी होते हैं, इन के अतिरिक्त अन्य हाथी अच्छे होते हैं । हाथी चार प्रकार के होते हैं— भद्र, मन्द्र, मृग और मिश्र ।”^१

“इन की लम्बाई चौड़ाई इस प्रकार होती है—^२

१ हाथ = २ फीट	भद्र	मन्द्र	मृग
ऊँचाई—	७ हाथ	६ हाथ	५ हाथ
लम्बाई—	८ ”	८ ”	७ ”
पेट की परिधि—	१० ”	६ ”	८ ”

इन सब की विस्तृत पहिचान आचार्य शुक्र ने दी है। सेना के लिये इस पहिचान से परख कर ही हाथियों को रखना चाहिये और उन्हें युद्ध के लिये शिक्षित करना चाहिये ।

घोड़े— वर्तमाल समय में युद्ध के साधनों और प्रकारों में इतनी उन्नति और परिवर्तन हो जाने पर भी सधी हुई घुड़सवार सेना की महत्ता अभी तक कम नहीं हुई है। युद्ध के लिये घोड़ों को इस प्रकार सधाने की प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है। आचार्य शुक्र ने घोड़ों की पहिचान तथा स्वभाव आदि के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उन्हें पढ़ कर अब तक आश्र्य होता है। घोड़ों के सम्बन्ध में उनका ज्ञान बहुत विस्तृत और बड़ी गहराई तक गया हुआ था। हम उदाहरण के लिये उन में से दो निर्देश यहां देते हैं—

“सब से उत्तम घोड़े का मुँह ४० अंगुल, उत्तम घोड़े का ३६ अंगुल,

१. नील तालुनील जिहो वक्रदन्तो हृददन्तकः ।

दीर्घद्वेषी कूरसदस्तथा पृष्ठ विधूनकः ॥ ३१ ॥

दशाष्टोन नखो मन्दो भूविशेधन मुच्छकः ।

सर्व विधोऽनिष्ट गजो विपरीतः शुभावहः ॥ ३२ ॥

भद्रो मन्द्रो मृगो मिश्रो गजो जात्या चतुर्विधः ॥ ३३ ॥

(शुक्र० अ० ४ vii.)

२. शुक्र० अ० ४ vii. श्लोक ३८—४३ ।

मध्यम का ३२ अंगुल और निकृष्ट का २६ अंगुल लम्बा होता है ।^{१५९}

“घोड़े की आयु के अनुसार उस के दांत और जबड़ों के रंग में निम्न-लिखित परिवर्तन आता है—^२

वर्ष	रंग
१ म	सफेद
२ य	काला और लाल
३—६	गहरा काला
६—९	काला
९—१२	पीला
१२—१५	सफेद
१५—१८	शीशे का रंग
१८—२१	शहद का रंग
२१—२४	शंख का रंग

“घोड़ा अगर कभी हिच्छ हिनाए तो उसे पासों पर मारना चाहिए, अगर हिच्चकिचाए तो कानों के नीचे, अगर सीधा न चले तो गले पर, अगर कोधित हो तो अगली दोनों दाँगों के बीच में, अगर सुस्त हो तो पेट पर, अगर डरा हुआ हो तो छाती पर और अगर ठीक न चले तो पिछले भाग पर मारना चाहिए। घोड़े को अशुद्ध स्थान पर कभी नहीं मारना चाहिये, नहीं तो वह विगड़ जाता

१. चत्वारिंशाङ्गुल मुखो वाजी यद्योन्तमोत्तमः ।

पट्त्रिशदंगुलमुखो ह्युन्तमः परिकीर्तिः ॥ ४३ ॥

द्वात्रिशदंगुलमुखो मध्यमः स उदाहृतः ।

अष्टाविंशत्यङ्गुलो यो मुखे नीचः प्रकीर्तिः ॥ ४४ ॥

२. दन्तानामुद्भैर्वर्णेरायुक्तेर्यं वृपाश्वयोः ॥ १५८ ॥

अश्वस्य पट्तिता दन्ताः प्रथमाद्वौ भवन्ति हि ।

कृष्णा लोहित वर्णस्तु द्वितीयेऽव्यधोगताः ॥ १५९ ॥

तृतीयेऽव्यैतु संन्दशौ क्रमात् कृष्णौ पङ्कव्यैतः ।

तत्पाश्व वर्त्तनौ तौतु चतुर्थे पुनरुद्धनौ ॥ १६० ॥

अन्त्यौ द्वौ पञ्चमाव्यैतु सन्दंशौ पुनरुद्धतौ ।

मध्य पार्श्वन्तर्गतौ द्वौ द्वौ क्रमात् कृष्णौ पङ्कव्यैतः ॥ १६१ ॥

नवमाव्यैत् क्रमात् पीतौ तौसितौ द्वादशाव्यैतः ।

दशपञ्चाव्यैतस्तौतु काचाभौ क्रमशः स्मृतौ ॥ १६२ ॥

अष्टादशाव्यैतस्तौ हि मध्याभौ भवतः क्रमात् ।

श्वामौ चैकर्विशाव्याच्चतुर्विशाव्यैतः सदा ।

द्विदं सञ्चालनं पातो दन्तानाञ्च विके विके ॥ १६३ ॥ (शुक्र० अ० ४ viii)

है । सब से अच्छे घोड़े को एक ब्रणटे में ६४ मौल चलना चाहिये ।”^१

सैन्य पालन — आचार्य शुक्र के अनुसार राष्ट्र की सेना का पालन सेना को भिन्न २ सूवेदारों के पास रख कर करना चाहिये । सूवेदारों की आय के अनुपात से उन के सैनिक निश्चित होने चाहिये । जिस सूवेदार की आय १ लाख रुपया वार्षिक हो उसे निम्नलिखित प्रकार से सेना रखनी चाहिये—^२

१०० शूर्यक (Reserve force.)

३०० बन्दूक धारी पैदल

८० घुड़ सवार

१ रथ

२ तोर्पे

१० ऊँट

२ हाथी

२ छकड़े

१६ बैल

६ लेखक

३ मन्त्री।

१. हर्षिते कक्षयोर्हन्यात् स्खलिते पक्षयोस्तथा ।

भीते कर्णान्तरे चैव ग्रीवासून्मार्ग गामिनि ॥ १२३ ॥

कुपिते वाहुमध्ये च भ्रान्तचित्ते तथोदेरे ।

अश्व सन्ताङ्गते प्राज्ञैर्नान्यस्थानेषु कर्हिचित् ॥ १२४ ॥

अथवा ह्रेषिते स्कन्धेस्खलिते जघनान्तरे ।

भीते वक्षस्थलं हन्यात् वक्त्रमुन्मर्गगामिनि ।

कुपिते पुच्छ संघाते भ्रान्तेजानुद्वयं तथा ॥ १२५ ॥

गच्छेत् घोड़श मात्राभिरुद्धमोश्वो धनुः शतम् ॥ १२६ ॥

(१०० धनु = २०० गज़ । १० मात्रा = ४ सैकण्ड अतः १६ = मात्रा ६. ४ सै०)

२. सवयः सारवेशोऽव शस्त्राखं तु पृथक् शतम् ।

लघुनालिक युक्तानां पदातीनां शतत्रयम् ॥ २२ ॥

अशीत्यश्वान् रथं चैकं वृहन्नालद्वयं तथा ।

उष्ट्राश दश गजौ द्वौ तु शकटौ घोड़शर्पभान् २३॥

तथा लेखक शटकं हि मन्त्रिवितयमेव च ।

धारयेन्तृपतिः सम्यग्बत्सरे लक्ष कर्षभाक् ॥ २४ ॥

यथा यथा न्यून गतिरश्वो हीनस्तथा तथा ॥ १२८ ॥ (शुक्र० अ० ४, vii.)

“उस सूबेदार को अपना वार्पिक बजट इस प्रकार बनाने चाहिये—”

			मासिक	वार्पिक
चैयक्तिक आवश्यकताओं तथा दान के लिये	१५००	१८०००
६ लेखकों का वेतन	१००	१२००
३ मन्त्रियों का वेतन	३००	३६००
पारिचारिक व्यय	३००	३६००
शिक्षा	२००	२४००
पैदल और घुड़ सवार सेना के लिये	४०००	४८०००
हाथी, ऊँट आदि	४००	४८००
स्थिर करेश के लिये वचत	१५००	१८०००
<hr/>				
		योग	८३००	९६६००
		(लगभग १ लाख)		

सैनिकों के वेतन में से उन की पौपाक का व्यय काट लेना चाहिये।”

सूबेदारों की वार्पिक आय के इस प्रकार व्यय होने के लाले से दो एक अन्य मनोरञ्जक वाते भी ज्ञात होती हैं। इस बजट के अनुसार लेखकों का मासिक वेतन १६ रुपया और सूबेदारों के मन्त्रियों का मासिक वेतन १०० रुपया मासिक सिद्ध होता है, इस के द्वारा तत्कालीन समाज के जीवन निर्वाह के माप का अनुमान सरलता से किया जा सकता है। दूसरी वात यह ज्ञात होती है कि उस समय राष्ट्र की ओर से ही ग्रन्ति की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्यायों में चिस्तार से लिखेंगे।

छावनियाँ— “सेना के घोड़े और चैलों को पानी के समीप रखना चाहिये, हाथी और ऊँटों को जंगलों में और पैदल सिपाहियों को बड़े शहरों के

१. सम्भार दान भोगार्थ धनं सार्थसहस्रकम् ।

लेखकार्थं शतं मासि मन्त्र्यर्थं तु शतत्र्यम् ॥ २५ ॥

त्रिशतं पुत्रदारार्थं विद्वदर्थं शतद्वयम् ।

साव्यश्व पदगार्थं हि राजा चतुः सहस्रकम् ॥ २६ ॥

गजोप्र वृषनगलार्थं व्ययी कुर्याच्चतुः शतम् ।

शेषं कोशे धनं स्थाप्यं राजा सार्थ सहस्रकम् ॥ २७ ॥

मतिवर्षं स्ववेशार्थं सैनिकेभ्यो धनं हरेत् ॥ २८ ॥

(मुक्त० अ० ४ viii)

समोप रखना चाहिए । राष्ट्र-भर में चार चार मील के अन्तर पर सौ सौ सैनिकों को रखना चाहिए । ”^१

सम्भवतः सेना को इस प्रकार फैला कर रखने का उद्देश्य शान्ति रक्षा का कार्य हो ।

“समय समय पर आवश्यकतानुसार हाथी, ऊँठ, घोड़े और बैलों द्वारा युद्ध सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी चाहिये । वर्षा ऋतु को छोड़ कर साधारण अवस्था में सामान ढोने के लिये छकड़े सर्वोत्तम होते हैं । ”^२

सैनिकों को शिक्षा — वादों (बिगुल वैरड आदि) द्वारा बनाए गए संकेत इस प्रकार गुप्त रखने चाहिये कि उन्हें अपने सैनिकों को छोड़ कर अन्य कोई न समझ सके । युद्ध सचार, हाथी-सचार और पैदलों के लिये वादों के अलग २ चिन्ह निश्चित करने चाहिये । इन में से किसी विभाग का कोई सैनिक चाहे आगे, पीछे, दांए, बांए, कहीं ठहरा हुआ हो उसे अपना संकेत सुन कर तत्क्षण उस का पालन करना चाहिए । सैनिकों को प्रतिदिन टोलियां बनाना (Grouping), फैलना, घूम जाना, संकुचित हो जाना, चलना, तेज़ चलना, और एक दम पीछे लौटने का अभ्यास कराना चाहिये । इसी प्रकार सीधी पंक्ती में मैं एक साथ आगे जाना, सीधे खड़ा होना, एक साथ लेट जाना, झुक कर खड़ा होना, गोठ घूमना, सूचिव्यूह, शक्ट व्यूह, अर्धचन्द्र व्यूह आदि का भी अभ्यास कराना चाहिये । साथ ही हिस्सों में फट जाना, एक दम एक लम्बी पंक्ती बांध लेना, शब्दों को तरीके से एक साथ उठाना और रखना, लक्ष्य भेद तथा एक साथ शब्द चलाने की शिक्षा भी देनी चाहिये । ”^३

१. अनूपे तु वृषाश्वानां गजोप्राणान् जङ्गले ।

साधारणे पादातीनां निवैशाद्रक्षणं भवेत् ॥ १७६ ॥

शतं शतं योजनान्ते सैन्यं राष्ट्रे नियोजयेत् ॥ १७७ ॥

२. गजोप्र वृषभाश्वाः प्राक् भेष्टः सम्भारवाहनैः ।

सर्वेभ्यः शक्टा श्रेष्ठा वर्षकालं विना स्मृताः ॥ १७८ ॥ (शुक्र० अ० ४ vii,)

३. व्यूहरचन संकेताङ् दाद्यभाषा समीतिताङ् ।

स्व सैनिकैर्विना कोपि न जानीयात् तथा विधात् ॥ २६६ ॥

नियोजयेत्वं मतिमात् व्यूहान्नानाविधात् सदा ॥ २६८ ॥

अश्वानाञ् गजानाञ् पदातीनां पृथक् पृथक् ।

उच्चैः संश्रावयेद् व्यूह संकेतात् सैनिकात् नृपः ॥ २६९ ॥

वाम दक्षिण संस्थो वा मध्यस्थो वाग्र संस्थितः ।

अत्वा ताङ् सैनिकैः कार्यमनुशिष्टं यथा तथा ॥ २७० ॥

सम्मीलनं प्रसरणं परिभ्रमणमेव च ।

आकुञ्जनं तथा यानं प्रयाणमपयानकम् ॥ २७१ ॥

पर्यायेण च साम्मुख्यं समुत्थानञ्च लुण्ठनम् ।

संस्थानं चाट दल चक्रवद्दोष तुल्यकाम् ॥ २७२ ॥

“सैनिकों को व्यूहाभ्यास की शिक्षा देने के लिए इन वार्ताओं का भी प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये—शब्दों को एक साथ ऊपर उठाना, उन्हें शीघ्र सीधे कर लेना, इस कार्य को शीघ्र शीघ्र कर सकना, शब्द चलना, संकुचित होकर अपनी रक्षा कर लेना, दो दो, तीन तीन या चार चार सैनिकों का कदम मिलाते हुए चलना और सीधा, उलटा या बाँई पार्श्व में मुड़ना ।”^१

सेना के लिये आवश्यक सामान—आचार्य शुक के अनुसार
सैनिकों को किसी से लेन देन करने का सीधा अधिकार नहीं होना चाहिये, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अलग वस्तु भण्डार होने चाहियें । उन्हें शहरों से बाहर छावनी में रखना चाहिये । ये सब वार्ते वास्तव में बहुत लाभदायक हैं—

“शहर के बाहर परन्तु शहर के समीप सैनिकों के लिये छावनियां बनानी चाहिये : सैनिकों को शहर के वासियों से लेन देन करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उनके लिए सब वस्तुओं के भण्डार पृथक् होने चाहियें । सैनिकों को कहीं एक साथ एक वर्प से अधिक नहीं रखना चाहिये ।”^२

सैनिकों के लिये अन्य नियम— यह समझा जाता है कि सैनिकों पर जनता के हित की दृष्टि से कठोर नियन्त्रण रखने की प्रथा विल्कुल नवीन है । आज से चार सौ वर्ष पूर्व पश्चिम के सभ्य राष्ट्रों तथा मुसलमान देशों की सेनाओं मौका पड़ने पर साधारण जनता को अपनी शक्ति के गर्व से बहुत तंग किया करती थीं । परन्तु शुकनीति से विदित होता है कि उस समय सैनिकों पर सरकार का कठोर शासन रहा करता था—

सूचि तुल्यं शकटवदद्वं चन्द्रसमन्तु वा ।

पृथग् भयनमल्पात्पैः पर्यायैः पञ्चांशेनम् ॥ २७३ ॥

शस्त्राखयोर्धारणज्ञ सन्धानं लक्ष्यमेदनम् ।

मोक्षणज्ञ तथाखाणां शस्त्राणां परिघातनम् ॥ २७४ ॥ (शुक्र० अ० ४ vii)

१. द्राक् सन्धानं पुनः पातो ग्रहो मोक्षः पुनः पुनः ।

स्वगूहनं प्रतीघातः शस्त्राख्य पदविक्रमैः ॥ २७५ ॥

द्वाभ्यां त्रिभिर्युतुर्भिर्वा पञ्चक्ततो गमनं ततः ।

तथा प्राग् भयनं चापसरणं तूपसर्जनम् ॥ २७६ ॥

२. ग्रामाद्विहिः समीपे तु सैनिकाङ्ग धारयेत् चदा ।

ग्राम्य सैनिकयोर्न स्यादुत्तमर्णाधर्मर्णता ॥ ३७० ॥

सैनिकार्थं तु परेणानि सैन्ये सन्धारयेत् पृथक् ।

नैकत्र वासयेत् सैन्यं वत्सरन्तु फदाचन ॥ ३८० ॥

“सरकार को सैनिक नियमों की घोषणा प्रति संप्रताह छावेनियों में करते रहना चाहिये। सैनिकों के लिये ये नियम होने चाहियें—वे हत्या और उदाहरणता न करें, सरकारी कार्यों के कारने में ढाँड़ न करें, राज्य के अपराधियों के प्रति उदासीन न रहें, राजा के शत्रुओं से मित्रता न करें, सरकार की विशेष आज्ञा के बिना वे शहरों में न जायें। वे अफसरों की समालोचना न करते रहें, उन से मित्रता के भाव से रहें। वे अपने शक्ति, ऊँस, और पोषाक को सदैव साफ (तैयार) रखें। सैनिकों को अपना भोजन, पानी, वर्तन आदि साथ रखने चाहिये। सरकार यह घोषणा करे कि जो सैनिक सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दरड मिलेगा।”^१

सैनिकों की गणना— शुक्र नीति के अनुसार सैनिक गणना (Roll Call) का जिस प्रकार का वर्णन मिलता है वह आज कल की दृष्टि से भी भी सर्वथा पूर्ण है—“प्रातः सायं दोनों समय सैनिकों की हाज़री लेनी चाहिये, रजिस्टरों में सैनिकों का नाम, जाति, लम्बाई, मोटाई, उमर, निवास भूमि, प्रान्त और शहर का नाम लिखा होना चाहिये।”^२

सैनिकों को वेतन— “लेखक को चाहिये कि वह सैनिकों को वेतन देते हुए उन की सेवा की अवधि, वेतन की मात्रा, कब तक का वेतन दिया जा चुका है, कितना शेष है, इस समय उसे कितना इनाम (भत्ता) दिया गया है, यह सब दर्ज कर ले। वेतन देकर सैनिकों से प्राप्ति के लिये हस्ताक्षरे करवा कर ‘वेतन पत्र’ काट दे। जो सैनिक सधे हुए हों उन्हें पूरा वेतन और नए

१. संशासयेत् स्वनियमात् सैनिकानष्टमे दिने ॥ ३८१ ॥

चौरात्वमतितायित्वं रोजकार्यं विलम्बनम् ।

अनिष्टोपेक्षणं राज्ञः स्वधर्मं परिवर्जनम् ॥ ३८२ ॥

त्यजन्तु सैनिका नित्यं सज्जापमर्पि वा परैः ।

वृपाक्षया विना-ग्रामं न विशेषुः कदाचन् ॥ ३८३ ॥

स्वाधिकारिगणस्यापि ह्यपराधं दिशन्तु नः ।

मित्रभावैन वर्त्तध्यं स्वामि कृत्ये सदाखिलैः ॥ ३८४ ॥

सूज्जवलानि च रक्षन्तु शक्तिं वसनानि च ।

अन्नं जलं प्रस्थमात्रं पात्रं वह्निसाधकम् ॥ ३८५ ॥

शासनादन्यथा चारात् विनेष्यामि यमालयात् ॥ ३८६ ॥

२. सायं प्रातः सैनिकानां कुर्यात् सङ्घर्णनं नृपः ।

जात्याकृति वयोदेश ग्राम वासात् विमृश्य च ॥ ३८७ ॥

रूपरूपों को आधा देना चाहिये ॥१॥

सैनिकों को दरड— सैनिकों का दरड विधान साधारण जनताँ के दरड विधान से बहुत कठोर होना चाहिये। आचार्य शुक्र के अनुसार सैनिकों को दरड देने के लिये जुर्माना करने की अपेक्षा उन्हें शारीरिक दरड देना अधिक अच्छा है—

“पीटने से मरुप्य और पशु प्रायः दवा कर रखे जा सकते हैं, खिशोप कर सैनिकों पर जुर्माना आदि न करके उन्हें सदैव शारीरिक दरड़ हेना अधिक अच्छा है ॥२॥

सैनिकों के लिये प्राणदरड की व्यवस्था बहुत से अप्राप्तियों के लिये है—

“उन सैनिकों की हत्या कर देनी चाहिये जो कि दुष्टों या शत्रुओं (विद्रोहियों) से गुप्त सम्बन्ध रखते हैं। सदैव उन सैनिकों का पता लगाते रहना चाहिये जोंकि सेना में शत्रुओं की प्रशंसा और राजा निवा करते रहते हैं, ऐसे सैनिकों को भी प्राणदरड़ देना चाहिये। जो सैनिक आराम पसन्द हों उन्हें सेना सेनिकाल देना चाहिये ॥३॥

इस सेना विभाग का मुख्य अध्यक्ष ‘सचिव’ होता था। यह मन्त्र-मण्डल में युद्ध सचिव का कर्त्त्य करता था। अपने विभाग के सम्पूर्ण भूमध्य के लिये यह शक्तिसहित उत्तरदायी था।

तत्कालीन शस्त्राख्यः

कतिपय ऐतिहासिकों का मन्त्रव्याप्ति में वारुद और वन्दुक आदि का प्रयोग मुसलमानों के इस देश में आने के बाद से ही प्रारम्भ

१. कालं भृत्यवर्धिं देवं दत्तं भृत्यस्य लेख्येत् । ।

कति दत्तं हि भृत्येभ्यो षेतनं पारितोपिकम् । ।

तत्प्राप्तिपत्रं गृणीयाद्याद्याद्येतनं पत्रकम् ॥ ३८८ ॥

सैनिकाः शिक्षिता ये ये तेषु पूर्णा भृतिः स्मृता ।

व्यूहाभ्यासे नियुक्ता ये तेष्वद्दूर्भृतिसावहेत् ॥ ३८९ ॥

२. मुताङ्नैर्विनेया हि मरुप्याः पशवः सदा । ।

सैनिकास्तु विशेषेण न ते वै धन्दरण्डतः ॥ ३९० ॥

३. सत्कर्त्त्वाग्निं सैन्यं नाशयेच्छत्रयोगतः ॥ ३९१ ॥

बृप्त्यासद् गुणरताः के गुणदवेषिणो नराः । ।

असद् गुणोदासीनाः के हन्तान्तान् विमृशन् नृपः ।

सुखासक्तांस्त्वजेद् भृत्यात् गुणिनोऽपि नपः सदा ॥ ३९२ ॥ (शुक्रो ग्रा० ४. viii.)

हुवा है। वे लोग बारूद के आविष्कार का श्रेय अरब भारतवासियों को ही देते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए ही भारतवासियों को बारूद का परिचय हुवा है। परन्तु वह सिद्धान्त सर्वथा अयुक्तियुक्त और प्रमाण विरुद्ध है। अपने इतिहास के इसी खण्ड के प्रथम भाग में हम महाभारत के प्रमाणों द्वारा उस समय अन्याख्यों और बारूद आदि की सत्ता सिद्ध कर चुके हैं। शुक्रनीतिसार में तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बारूद के फारमूले प्राप्त होते हैं; इस ग्रन्थ में तोप, बन्दूक, गोले आदि का वर्णन कई स्थानों पर प्राप्त होता है। केवल शुक्रनीति ही नहीं अपितु अन्य कतिपय सूति ग्रन्थों, पुराणों तथा साहित्यिक ग्रन्थों द्वारा मुसलमानों से बहुत पूर्व भारतवर्ष में बारूद तथा बन्दूक आदि की सत्ता सिद्ध होती है। उन ग्रन्थों के तथा कतिपय अन्य प्रमाण यहाँ दे देना अनुचित न होगा—

१. सद् १७८८ में महाशय लैंग्ले (M. Langle) ने फ्रान्स की साहित्य-परिषद् (French Institute) के सामने एक निवन्ध पढ़ा था जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि अरब के लोगों ने भारतवासियों से बारूद बनाना सीखा और किर उत्त से यूरोप के अन्य देशों ने। इसी बात को जे० वैकमैन ने अपनी पुस्तक 'आविष्कारों का इतिहास' (History of Inventions and Discoveries) में सिद्ध किया है।

२. मनुस्मृति में एक श्लोक आता है; उस का अर्थ है— “लड़ाई में कोई व्यक्ति अपने शत्रु को छिपे हथियारों से, तेज़ या विप में बुझे हुए तीरों से अथवा आग फेंक कर न मारे।”^१ इस श्लोक से स्पष्टतया किसी ऐसे हथियार की झलक मिलती है जिसके द्वारा कि आवश्यकता पड़ने पर अग्निवर्षा की जाती होगी।

३. हरिवंश पुराण में आए हुए एक श्लोक का अभिप्राय इस प्रकार है— “राजा सागर ने भार्गव ऋषि से अन्याख्य प्राप्त करके सप्ततालजंघों को मार कर सारी पृथिवी को जीता।”^२

४. महाराज तथा महाकवि हर्ष द्वारा विरचित नैयम काव्य में एक श्लोक आता है जिस का अभिप्राय इस प्रकार है—

१. न कुतैरायुधैर्न्यात् युद्धमानो रणे रिपुम् ।

न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वलित तेजनैः ॥ ८३ ॥ (मनुस्मृति अ० १०)

२. आग्नेयमस्त्रं लवध्वा च भार्गवात् सगरो नृपः ।

जिगाय पृथिवीं हत्वा तालजंद्यान् सहैह्यान् ॥

(हरिवंश पुराण अ० १४. स्तो० ३३)

“दमयन्ती की दोनों भुवें सदन और रति की भुवों के समान जान पड़ती हैं; उस की नाक के दोनों छेद कामदेव को बन्दूकों के समान हैं, जिन से कि वह सारे संसार को जीतता है।”^१

इन सब प्रमाणों से यह भली प्रकार सिद्ध होता है कि बन्दूक आदि आग्नेयास्त्रों का प्रयोग भारत वर्ष में बहुत प्राचीन काल से चला आता है।

शस्त्रास्त्रों के भेद— शुक्लनीति के अनुसार उस समय के शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है—

“जो मन्त्र, मशीन या आग की सहायता से फेंका जाय उसे अख्त कहते हैं, इन से भिन्न हथियारों—तलवार वर्ढी आदि—को शस्त्र कहते हैं। अख्त दो प्रकार के होते हैं—मन्त्र की सहायता से फेंके जानेवाले और यन्त्र की सहायता से फेंके जाने वाले। जीतने की इच्छा वाले राजा को युद्ध में मान्त्रिक अस्त्रों के अभाव में यान्त्रिक अख्त तथा तेज़ शस्त्रों का प्रयोग करना चाहिये। इन शस्त्र अस्त्रों के आकार और तीक्ष्णता के भेद से अनेक नाम हो जाते हैं।”^२

बन्दूक— “नालिक अख्त दो प्रकार के होते हैं—छोटे (बन्दूक) और बड़े (तोप)। इस नालिक अख्त में एक टेड़ी और ऊपर तक गए हुए छेद वाली नालिका होती है जो ढाई हाथ (५ फीट) लम्बी होती है। इस अख्त के एक सिरे पर एक विन्दु बना होता है इस से निशाना साधा जाता है, इस के नीचे एक स्थान होता है जिस में बारूद रखवा जाता है,। इस पर मशीन द्वारा दवाव डालने से आग पैदा होती है। इस अख्त का कुन्दा मज़बूत लकड़ी का बना होता है; इस के द्वारा बारूद और गोली दोनों को छोड़ा जा सकता है। नालिका का छेद वीच की ऊँगली के बराबर मोटा होता है, रखने के लिये एक मज़बूत धातु की शलाका बनी होती है। इस लघु नालिका द्वारा पैदल और घुड़ सवार दोनों युद्ध कर सकते हैं। जिस नालिका का छेद जितना बड़ा, मज़बूत और गोल होता है उस

१. धनुषि पञ्च वाण्योरुदिते विश्वजयाय तद्भुवौ ।

नालिके न् तदुन्न नातिके त्ययि नालिका विमुक्तिमाप्नुयौ ।

(नैयध. सर्ग २. छोक. २८)

२. ग्रस्यते क्षिप्यते यत्तु मन्त्र यन्त्राग्निभिश्च यत् ॥ १८१ ॥

अस्त्रं तदन्ततः शस्त्रमस्तुत्तादिकञ्च यत् ।

अख्तन्तु द्विविधं चेयं नालिकं मान्त्रिकं तथा ॥ १८२ ॥

यदा तु मान्त्रिकं नास्ति नालिकं तत्र धारयेत् ।

सह शस्त्रेण नृपतिर्विजयार्थन्तु सर्वदा ॥ १८३ ॥

नघु दीर्घाकार धाता भेदैः शस्त्रास्त्रं नामकम् ।

प्रथयन्ति तवं भिन्नं व्यवहराय तद्विदः ॥ १८४ ॥

से उतना अधिक दूर तक निशाना मारा जा सकता है ।”

तोप—“बड़ी नालिका के एक सिरे पर कील लगा होता है । जिस के द्वारा उस का मुंह थेच्छ-घुमाया जा सकता है । इस का खाका मज़बूत लकड़ी का बना होता है; इसे छकड़ों पर उठा कर ले जाया जाता है । युद्ध में विजय-शास्त्र करने के लिये यह एक सुख्य साधन है ।”^२

बारूद बनाने की विधि—बारूद बनाने के लिये इस अनुपात से निम्नलिखित सम्मान लेना चाहिये—सुवर्ची नमक के पाँच हिस्से, गन्धक का एक हिस्सा और आक, स्नूही या किसी ऐसे ही पेड़ की लकड़ी के कोइले का एक हिस्सा, यह कोइला इस प्रकार बनना चाहिये जिस से, कि धूआँ न निकला हो, इन तीनों चीजों को अलग अलग स्वच्छ वर्तनों में खूब बारीक पीस, लेना चाहिये और फिर इन्हें मिला देना चाहिये । इस चूर्ण में स्नूही या आक का रस डाल कर इसे धूप में सुखाना चाहिये और फिर इस्तेखांड की तरह चूर्ण बनालेना चाहिये । यही बन्दूक में छोड़ने का बारूद है ।

गन्धक और कोइले की मात्रा उतनी ही रख कर सुवर्ची नमक की चार या छः मात्राएं भी डाली जासकती हैं ।”

१. नालिकं द्विविधं ज्ञेयं वृहत् चुद्र विभेदतः ॥ १९५ ॥

तिर्यगूर्ध्वं चिक्कद्र मूलं नालं पञ्च वितस्तिकम् ।

मूलाद्ययो लंज्वत् भेदि तिष विन्दु युतं सदा ॥ १९६ ॥

यन्त्राधाताग्नि वृद्धं ग्राव चूर्णधिकर्णमूलकम् ।

सुकाटोपाङ्गु बुधन्जु मध्याङ्गलविलान्तम् ॥ १९७ ॥

स्वान्तेऽग्नि चूर्णं सन्ध्यात् शलाका संयुतं दृढः ।

लघु नालिक् मष्प्रेतत् प्रधार्यं पत्तिसादिभिः ॥ १९८ ॥

यथा यथा तु त्वक्कारं यथा स्थूल विलान्तरम् ।

यथा दीर्घं वृहत्तोलं दूर भेदी तथा तथा ॥ १९९ ॥

२. मूल कील भ्रमाद्यत्प सम् सन्ध्यान भाजि यत् ।

वृहन्नालिक संज्ञं तत् काटु बुधन विनिर्मितम् ।

प्रवाह्यं शकटाद्यैस्तु सुयुक्तं विजय प्रदम् ॥ २०० ॥

३. सुवर्चिलवणात् पञ्च पलानि गन्धकात् पलम् ।

अन्तर्धूम विषकार्क स्तुद्याद्यङ्गरतः पलम् ॥ २०१ ॥

शुद्धात् संग्राह्य संज्ञर्यं समीत्य प्रपुटेद्रसैः ।

स्तुद्यर्कणां रसोनस्य शोषयेदतप्रेत च ।

पिष्टा शर्करवचैतदग्निचूर्णं भवेत् खलु ॥ २०२ ॥

सुवर्चिलवणात् भागाः षड्वा चत्वार एव त्रा ।

नालाद्यार्थमित्र्यर्णं तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत् ॥ २०३ ॥ (शु० अ० ४. vii.)

गोले और गोलियाँ—“ तोप के गोले लोहे के होते हैं; ये दो प्रकारे के होते हैं एक में वारूद भरा होता है दूसरे केवल लोहे के ही होते हैं। वन्दुक की गोलियाँ प्रायः सीसे की बैनाई जाती हैं, ये किसी अन्य धातु से भी बनाई जा सकती हैं। ”

“नालाख (तोप) लोहा या किसी अन्य मज़्बूत धातु से बना होना चाहिये, इसे संदैव सच्छ रखना चाहिए और सशब्दलोगों का इस के चारों ओर पहरा रहना चाहिये । निपुण लोग कई प्रकार से वारूद तैयार करते हैं—कोइला, गन्धक, सुवर्चि पत्थर, हरिताल, सीसा, हिंगुल, लोह चूर्ण, कपूर, जतु, नील, सरल वृक्ष के रस आदि से भी वारूद तैयार किया जाता है । इस वारूद का रंग आवश्यकतानुसार सफेद, काला या मटियाला रखवा जा सकता है । तोप में गोलों को रख कर उन्हें आग छुंवा कर लक्ष्य पर फेंकते हैं । नालाख को पहले साफ करना चाहिये फिर बड़ी सावधानी से वारूद को इस के सिरे के पास चाले खान पर रखना चाहिये, इस पर गोले को रखना चाहिये और फिर गोले पर कुछ वारूद डाल देना चाहिये । इस वारूद को आग दिखा कर गोले को लक्ष्य पर छोड़ना चाहिये । ”^३

अन्य हथियार—तत्कालीन अन्य शखांखों का विस्तार से परिचय देने की आवश्यकता नहीं । हम संक्षेप से उनका दिग्रन्त मात्र कराएंगे—

१. गोलो लोहमयो गर्भ बुटिकः केवलोऽपि वा ।

सीसस्य जघु नालार्थं हन्तर्धातुभवोपि वा ॥ २०४ ॥

२. लोह सारमयं वापि नालास्त्रं त्वन्य धातुजम् ।

नित्यं सन्मार्जनं स्वच्छमस्त्रपातिभिरावृतम् ॥ २०५ ॥

अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुर्वर्चि लवणेश्य च ।

शिलाया हस्तिलास्य तथा सीसमलस्य च ॥ २०६ ॥

हिंगुलस्य तथा कान्त रजसः कर्पूरस्य च ।

जतोर्नील्याश्च सरल निर्यासस्य तथैव च ॥ २०७ ॥

समन्यूनाधिकैरंशैरग्निं चूर्णान्यनेकशः ।

कल्पयन्ति च तद्विद्याश्चन्द्रिका भादि मन्ति च ॥ २०८ ॥

क्षिपन्ति चाग्नि संयोगाद्वौलं लक्ष्ये सुनालगम् ॥ २०९ ॥

नालास्त्रं शोधयेदादौ दद्यात्तत्राग्नि चूर्णकम् ।

निवेशयेत्तद्वर्षेन तालमूले यथा दृढम् ॥ २१० ॥

ततः सुगोलकं दद्यात् ततः कर्णेग्नि चूर्णकम् ॥

कर्णं चूर्णाग्नि दानेन गोलं लक्ष्ये निपातयेत् ॥ २११ ॥

बाण—ऐसा हो जिस के द्वारा ४ फीट लम्बा तीर सरलता से छोड़ा जा सके ।

गदा—अष्ट्र कोण हो, छाती की ऊंचाई तक लम्बी हो ।

पट्टीश—मनुष्य के कद के बराबर लम्बा हो, दोनों पासों से तेज़ हो, एक ओर मुड़ा लगा हो ।

एक धार—थोड़ा गोलाई लिये हुए हो, एक ओर से तेज़ और चार अंगुल चौड़ा हो ।

कुर प्रान्त—बीच में चौड़ा, मज़्ज़वूत मूँठ वाला और चांद के समान चमकीला हो ।

तलवार—चार हाथ लम्बी और उस्तरे के समान तेज़ हो ।

भाला—२० फीट लम्बा हो, सिरेपर शंकू के समान तेज़ भाला लगा हो ।

चक्र—१२ फीट परिधि युक्त, उस्तरे के समान तेज़ किनारे चाला तथा अच्छे केन्द्र वाला हो ।

पाश—यह ६ फील लम्बा डण्डा हो जिस पर तीन तेज़ नोकें और एक लोहे की झंजीर लगी हों ।

कवच—यह घुटनों से ऊपर तक लम्बा हो, इस पर लोहे की टोपी भी लगी हो, देखने में अच्छा हो ।

करज—यह ठोस लोहे का बना हुआ हो, इसका एक सिरा खूब तेज़ हो ।

जिस राजा के पास ये शब्द प्रभूत मात्रा में हों, और जिसके मन्त्री पड़गुण युक्त युद्ध नीति में खूब निपुण हों उसी को किसी से युद्ध छेड़ने का साहस करना चाहिये नहीं तो अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ता है ।”^१

१. लक्ष्य भेदी तथा बाणों धनुज्या विनीयोजितः ।

भवेत् तथा तु सन्वाय द्विहस्तश्च शिलीमुखः ॥ २१२ ॥

अप्याशा पृथु बुध्ना तु गदा हृदय सम्मिता ।

पट्टीशः स्वसमो हस्त बुधनश्चोभयतो मुखः ॥ २१३ ॥

ईशदूकशचैक धारो विस्तारे चतुरंगुलः ।

कुर प्रान्तो नामि समो दृढ़ मुष्टि सुचन्द्ररुक् ॥ २१४ ॥

खङ्गः प्रासश्चतुर्हस्त दण्ड बुध्नः कुरानकः ।

दश हस्तमितः कुन्तः फलाग्रः शङ्कु बुधनकः ॥ २१५ ॥

चक्रं पद्मस्त परिधि कुरप्रान्तं सुनामि युक् ।

निहस्त दण्डः त्रिशिखो लोहरज्जु सुपाशकः ॥ २१६ ॥

अग्न्यास्त्रों का प्रयोग — उपर्युक्त वन्दूक, तोप आदि अग्न्यास्त्रों का उपयोग केवल युद्धादि के समय हो नहीं होता था, साधारण अवस्था में पुलीस और फौज के लोग भी वन्दूकें लेकर ही नगर रक्षा किया करते थे। अर्थात् इन अस्त्रों का प्रयोग करना कोई बड़ा गैरवपूर्ण असाधारण कार्य नहीं समझा जाता था अपितु आज कल की तरह वन्दूकें साधारण कार्यों के लिये भी प्रयुक्त होती थीं। शुक्रनीति प्रथम अध्याय में नगर रक्षा के प्रसङ्ग में कहा है—

“नगर के चारों ओर बालों दीवार पर सदैव वन्दूक हाथ में लिए हुए मज़बूत सिपाहियों पहरा रहना चाहिये।” फिर राजा के तुरगीगण में तोपों को भी गिनाया गया है।⁹

इस प्रकार शुक्रनीति के अनुसार तत्कालीन शस्त्रास्त्र बहुत पूर्णता तक पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं।

युद्ध नीति

राजा को राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति में निपुण लोगों की सदैव आवश्यकता रहती है। इन के बिना अच्छी सेना तथा अच्छे शस्त्रास्त्र होते हुए भी राजा युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। शुक्रनीति में इस युद्ध-नीति को पढ़गुण नीति कहा है।

षट्खण्ड — ये पढ़गुण सन्धी, विग्रह, यान, आसन, समाश्रय और द्वैश्री भाव हैं। वे क्रियाएँ जिन से कि दो प्रबल शत्रु मित्र हो जाते हैं सन्धी कहाती हैं। जिन उपायों से शत्रु को तंग किया जाय या आधीन कर लिया जाय वे विग्रह कहाते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने तथा शत्रु को नष्ट करने के लिये जाने को यान कहते हैं। आसन उस अवस्थिति को कहते हैं जिसमें

गोधूम सम्मित स्थूलपत्रं लोहमयं दृढम् ।

कवचं शिरसाणमूर्द्धं काय विशेषनस् ॥ २१७ ॥

तीक्ष्णाग्रं करजं श्रेष्ठं लोहसामयं दृढस् ॥ २१८ ॥

यो वै सुपुष्ट सम्भारस्तथा पड़गुण मन्त्रवित् ।

वृहस्त्र संखुतो राजा योद्धुमिच्छेत् स एव हि ।

अन्यथा दुःखमाप्नोति स्वराज्याद् भ्रम्यते ऽपि च ॥ २१९ ॥ (शुक्र० अ० 8. vii.)

१. यामिकैः रक्षितौ नित्यं नालिकास्त्रैश्च संयुतः ।

सुवहु दृढ़ गुल्मश्च सुगवाच्चप्रणालिकः ॥ २३० ॥

वृहस्त्रालिक यन्त्राणि ततः स्वतुरगीगणः ॥ २४५ ॥

(शुक्र० अ० १.)

में स्थित होकर अपनी रक्षा और शत्रुं का नाश किया जा सके। ओश्रेय उन उपायों को कहते हैं जिन से कि दुर्बल भी बलवान् हो जाता है। अपनी सेना को अलग अलग खण्डों में फैला देने को द्वैधी भाव कहते हैं।”^१

इन पड़्युणों में खूब प्रवीण मन्त्रियों की सलाह लेकर ही राजा को युद्ध की घोषणा तथा युद्ध का प्रत्येक कार्य करना चाहिये।

“साम, दान आदि उपायों में भेद और पड़्युणों में समर्थ्य सर्वोत्तम है। सब युद्धों में इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये।”^२

युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व ही अपनी शक्ति की जांच कर लेनी चाहिये। अगर शक्ति कम हो तो युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिये, परन्तु एक बार युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर फिर जब तक ज्ञाना भी शक्ति या सामर्थ्य शेष है—युद्ध बन्द नहीं करना चाहिये। क्षत्रिय के लिये युद्ध से बढ़ कर और कोई उत्तम कार्य नहीं है। खाट पर पड़े २ बीमारी से हाय, हाय करते हुए मरना एक क्षत्रिय के लिये पाप है।”^३

‘व्यूह—ग्राचीन भारतीय युद्धनीति में व्यूह रचना का स्थान बहुत महत्व पूर्ण है। यह समझा जाता था कि व्यूह बनाने में खूब कुशल छोटी सेना भी एक बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। ये व्यूह अनेक प्रकार के होते थे।

१. सन्धि च विग्रहं यानमासनं च समाग्रयम् ।

द्वैधीभावं च सम्बिद्यान्नन्तस्यैतांस्तु षड्गुणोऽ॒ ॥ २३४ ॥

थभिः क्रियाभिर्वलवान् मित्रतां याति वै रिपुः ।

सा क्रिया सन्धिरित्युक्ता विमूर्तेत् तां तु धत्ततः ॥ २३५ ॥

विकर्षितः सङ् वाधीनो भवेच्छव्वस्तु येन वै ।

कर्मणा विग्रहस्तं तु चिन्तयेन्मन्त्रिभिनृपः ॥ २३६ ॥

शत्रुनाशार्थं गमनं यानं स्वाभीषु सिद्धुये ।

स्वरक्षणं शत्रु नाशो भवेत् स्यानात् तदासनम् ॥ २३७ ॥

थैर्गुप्तो वलवान् भूयाद् दुर्बलोऽपि स ग्राग्रयः ।

द्वैधीभावः स्वसैन्यानां स्यापनं गुल्म गुल्मतः ॥ २३८ ॥

२. उपायेषूत्तमो भेदः षड्गुणेषु समाग्रयः ।

कार्यैँ द्वौ सर्वदा तौ तु न पेण विजिगीपुणा ॥ २३९ ॥

ताभ्यां विना नैव कुर्यात् युद्धं राजा कदाचन ॥ २४० ॥

३. उपायान् पड़्युणान् वीक्ष्य शत्रोः स्वस्यापि सर्वदा ।

युद्धं प्राणात्यये कुर्यात् सर्वस्व हरणे सति ॥ २४१ ॥

अर्धमः क्षत्रियस्यैष यच्छत्या मरणं भवेत् ।

विसज्ज्ञ श्लेष्म पित्तानि कृपयणं परिदेवयन् ॥ २४२ ॥

किसी में सेना को फैला दिया जाता था, किसी में संकुचित कर दिया जाता था, किसी में उस्त को एक विशेष स्वरूप में खड़ा किया जाता था । इन अनेक व्यूहों में से कुछ व्यूह निम्न लिखित हैं ।—

क्रौञ्च व्यूह—इस में क्रौञ्च पश्ची के आकार के समान सेना को खड़ा किया जाता था, इस व्यूह का गला पतला, पूँछ मध्यम आकार की और पंख मोटे होते थे, यह व्यूह इसी रूप में चलता भी था ।

श्येन व्यूह—वाज़ के आकार का । पंख लम्बे, गला और पूँछ मध्यम और मुँह छोटा ।

मकर व्यूह—मगरमच्छ के आकार का । चार टांगे, लम्बा और पतला मुँह, तथा दो होंठ ।

सूचि व्यूह—आठ छल्ले के समान चक्र हों, मुँह केवल एक ही हो ।

सर्वतो भद्र व्यूह—इस व्यूह के आठ पासे होते हैं ।

शकट व्यूह—रथ के आकार का ।

सर्प व्यूह—साँप की तरह कुरुक्षेत्री दारा ।

युद्ध के प्रकार—मन्त्रों की सहायता से किया गया युद्ध सर्वोत्तम है, आरनेयाखों से किया गया मध्यम, शख्खों से किया गया कनिष्ठ और वाहु-युद्ध निक्षण होता है । मन्त्रों की सहायता से वाण और शक्तियां चला कर जो युद्ध किया जाता है वह मान्त्रिकाख युद्ध होता है । तोप और बन्दूक से गोला वारूद घरसाने को नालिकाख युद्ध कहते हैं, यह सब से अधिक भयंकर होता है । वाण भाला आदि शख्ख चला कर जो कनिष्ठ युद्ध किया जाता है वह प्रायः बन्दूक और तोपों के अभाव में ही करना चाहिये । आपस में मुक्कामुक्की

१. क्रौञ्चानं खे गतिर्यादृक् पंजितः सम्प्रजायते ।

तादृक् सञ्चार्येत् क्रौञ्च व्यूहं देश वर्त्य यथा ॥ २७० ॥

सूक्ष्म ग्रीवं मध्य पुच्छं स्थूल पक्षन्तु पद्मितः ।

वृहत्पर्वं मध्यगालपुच्छं श्येनं मुखे ततु ॥ २८० ॥

चतुष्पात् मकरो दीर्घं स्थूल वक्त्रं द्विरोषकः ।

सूची सूक्ष्ममुखो दीर्घं सम दण्डान्तरन्प्रयुक् ॥ २८१ ॥

चक्रव्यूहप्रचैक मार्गो हृष्टधा कुरुक्षेत्रीकृतः ।

चतुर्दिव्वषष्ट परिधिः सर्वतो भद्रसंचकः ॥ २८२ ॥

अमार्गश्वाष्वलयी गोलकः सर्वतो मुखः ।

शकटः शकटाकारो व्यालो व्याताकृतिः सदा ॥ २८३ ॥

(शुक्ल अ० ४. viii. १)

या बाल आदि खाँच कर जो युद्ध किया जाता है वह बाहु युद्ध होता है ।”^२

“सैनिकों को युद्ध से पहले शराब पिला कर उत्तेजित कर के युद्ध भूमि में लेजाना चाहिये ।”^३

धर्मयुद्ध और कूट युद्ध—आचार्य शुक्र ने धर्म युद्ध और कूट युद्ध में भेद किया है । धर्म युद्ध में बहुत से नियमों का ध्यान रखना चाहिये, परन्तु कूट युद्ध में सब प्रकार की धौखे बाजी आज्ञा है, उस में केवल विजय और शत्रु नाश ही उद्देश्य होना चाहिये । धर्मयुद्ध में—“हाथी सघार को हाथी सघार से, पैदल को पैदल से, घुड़सघार को घुड़सघार से और रथी को रथी से ही युद्ध करना चाहिये । इतना ही नहीं जिस के पास जैसा हथियार हो उसे वैसे ही हथियार बाले से युद्ध करना चाहिये ।

धर्म युद्ध में इन लोगों को नहीं मारना चाहिये—भय से छिप कर बैठे हुए, नपुंसक, हाथ जोड़ते हुए, खुले हुए बालों वाले, में तेरा हूँ ऐसा कहने वाले, सौए हुए, बिना कवच के, नंगे, निरस्त, न लड़ने वाले, दर्शक, किसी दूसरे से लड़ते हुए, पीते हुए, खाते हुए, किसी दूसरे काम में लगे हुए, डरे हुए और भागने वाले । इन लोगों को कभी नहीं मारना चाहिये—बृद्ध, बालक और स्त्री ।

परन्तु ये सब नियम धर्म युद्ध के लिये हैं । कूट युद्ध में इन से कोई नियम लागू नहीं होता, उस में विजय प्राप्त करना ही उद्देश्य होना चाहिये । प्राचीन काल में राम, कृष्ण आदि महापुरुषों ने भी छल से ही बाली और नसुचि-

२. उत्तरम् मान्त्रिकास्त्रेण नालिकास्त्रेण मध्यमम् ।

शस्त्रैः कनिष्ठं युद्धयन्तु बाहुयुद्धं ततोधमम् ॥ ३३४ ॥

मन्त्रेरित महाशक्ति बाणादैः शत्रुनाशनम् ।

मान्त्रिकास्त्रेण तद्युद्धं सर्वयुद्धोत्तरम् स्मृतम् ॥ ३३५ ॥

नालाभ्यां भूर्णं संयोगाभ्यव्ये गोल निपातनम् ।

नालिकास्त्रेण तद्युद्धं महात्रासकरं रिपोः ॥ ३३६ ॥

कुन्तादि शस्त्र संघातै त्रिपूणां नाशनञ्च यत् ।

शस्त्र युद्धन्तु तज्जेयं नालाश्वाभावतः सदा ॥ ३३७ ॥

कर्षणैः सन्धि मर्माणां प्रतिलोमानुलोमतः ।

वन्यनैर्धातनं शत्रोर्युक्त्या तंड बाहु युद्धकम् ॥ ३३८ ॥

३. पाययित्वा मदं सम्प्रकृ सैनिकान् शौर्यवर्द्धनम् ।

उत्तेजितांश्च निर्देवधान् वीरान् युद्धे नियोजयेत् ॥ ३४२ ॥

यवन को मारा था ।”⁹

हमारा अनुमान है कि यह धर्म युद्ध के नियम भारतवर्षीय तथा अन्य पूर्वीय राजाओं के संघ के नियम होंगे । वे सब राष्ट्र जो परस्पर इस प्रकार की सम्मी करते होंगे, इन्हीं नियमों पर चलते हुए आपस में युद्ध भी करते होंगे । कूट युद्ध उन जातियों व राष्ट्रों से किया जाता होगा जो राष्ट्र कि इस ‘पूर्वीय संघ’ की सम्मियों में शामिल न होंगे ।

इसी प्रसंग में आचार्य शुक्र ने कूट युद्ध के बहुत से उपायों का निर्देश किया है । धन का लोभ देकर, धोखा देकर, शत्रु सेना में फूट डाल कर किसी भी प्रकार से शत्रु को पराजित करना इस युद्ध का उद्देश्य है ।

विजित सम्पत्ति का विभाग— “युद्ध में जो पक्ष जीतता है उस का दूसरे पक्ष की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होजाता है । विजित दल के सोना, चांदी, अनाज आदि पर विजयी दल का अधिकार होजाता है । विजयी होजाने पर राजा को चाहिये कि वह सैनिकों को उन की बहादुरी के अनुसार उस प्राप्त धन में से पर्याप्त भाग देकर उन्हें प्रसन्न करे । विजयी राजा को शत्रुओं से समुचित कर लेकर उन का सम्पूर्ण राज्य अथवा उस का कुछ भाग अपने शासन के आधीन कर लेना चाहिये । इस के अनन्तर उस विजित देश की

१. गजो गजेन यातव्यस्तुरगेण तुरङ्गमः ।

रथेन च रथो योज्यः पत्तिना पत्तिरेव च ।

एकेनैवश्च शस्त्रेण शस्त्रमस्त्रेण वास्त्रकम् ॥ ३५४ ॥

न च हन्यात् स्थलास्तु न क्लीवं न कृताच्छलिम् ।

न मुक्तकेशमासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ३५५ ॥

न सुषं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।

नायुद्युयमानं पश्यन्तं युद्युयमानं परेण च ॥ ३५६ ॥

पिवन्तं न च भुज्ञानमन्यकार्याकुलं न च ।

न भीतं न परावृत्तं सतांधर्ममनुस्मरन् ॥ ३५७ ॥

वृद्धो वालो न हत्यो नैव स्त्री केवलो नपः ।

वथायोग्यं तु संयोज्य निघ्न धर्मो न हीयते ॥ ३५८ ॥

धर्म युद्धे तु, कूटे वै न सन्ति नियमा अमी ।

न युद्धं कूट सदृशं नाशनं वलवद्रिपोः ॥ ३५९ ॥

रामकृष्णेन्द्रादि देवैः कूट मेवाद्रितं पुरा ।

कूटेन निहतो वालिर्यवनो नामुचिस्तथा ॥ ३६० ॥

(शुक्र० अ० ४. vii.)

जनता को भी प्रसन्न करने का यत्त्व ही करना चाहिये ॥” १


इस प्रकार युद्ध के अनन्तर साधारण सेना को विजित देश में खुलीं लूटमार करने देने के आचार्य शुक्र नितान्त विरुद्ध हैं ।

५. रूप्यं हेम च कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ।

दद्यात् कार्यानुरूपं च हृष्टो योद्गुद्ग्र प्रहर्षयत् ॥ ३७२ ॥

विजित्य च रिप्तेवं समादद्यात् कर्त तथा ।

राज्यांशं वा सर्वराज्यं नन्दयीत ततः प्रजा ॥ ३७० ॥ (शुक्र ० अ० ४, vii,)



सातवां अध्याय

॥४३॥

राष्ट्रीय आय व्यय

—५—

वर्तमान समय के अर्थ शास्त्रज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय आय व्यय का हिसाब बहुत उन्नत अवस्था तक पहुंच चुका है। आज कल के राष्ट्रीय वजटों में आय व्यय का विव्लेशण जिस ढंग से किया होता है वह स्पष्ट और विस्तृत होता है। इसी कारण शुक्रनीति में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना अगर हम इङ्ग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध अर्थ शास्त्र मार्शल द्वारा वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय से करने लगें तो वह हमें बहुत सन्तोपप्रद प्रतीत न होगा। परन्तु यदि हम इस ढाई, तीन सहस्र वर्ष पुराने नीति शास्त्र में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना फ्रांस के १६ वीं सदी के सुप्रसिद्ध नीतिशास्त्र बोडिन (Jean Bodin) के राष्ट्रीय आय व्यय से करें तो आचार्य शुक्र का विश्लेषण उस की अपेक्षा बहुत उन्नत प्रतीत होगा। बोडिन ने जहां राष्ट्रीय आय के स्रोतों के छः विभाग किये हैं वहां आचार्य शुक्र ने इस के नौ विभाग किये हैं। अस्तु; हम इस तुलना के विस्तार में न जाकर अपने प्रकरण को प्रारम्भ करते हैं।

आय के स्रोत—शुक्रनीति में अमात्य (अर्थ सचिव) के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए उसे इन नौ साधनों से आय प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है—^१

१. भाग—भूमि कर
२. शुक्र—व्यापार, वाणिज्य पर कर कर।
- ३- दरड-जुर्मानों की आय।
४. अकृष्टपच्चा—प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ।
५. आरसयक—जंगल की आय।
६. आकर—कानों द्वारा आय।
७. निधि—राष्ट्र ने जो धन अमानत (Deposites) के तौर पर धनी नागरिकों के पास रखा हुआ है, उसकी आय।
८. अस्वामिक—जिस सम्पत्ति का कोई मालिक नहीं।
९. तरस्कराहित—तस्कर जातियों द्वारा प्राप्त।

“तस्कराहित” के दो अभिप्राय हो सकते हैं—सीमा प्रान्त की तस्कर जातियों द्वारा विदेशी राष्ट्रों से लूट कर लाया गया धन, जिस में से कुछ भाग वे सरकार को देती हैं। अथवा चोरों के पास से पोलीस द्वारा बरामद किया हुवा चोरी का माल, जिस में से कुछ भाग सरकार अपनै श्रम के बदले रख लेती है।

इन भी साधनों में से चौथा, सातवां, आठवां और नौवां ये चार साधन राष्ट्र की आय के खिल साधन नहीं हैं। ये साधन मुख्य नहीं अपितु गौण हैं। इन की आय अनिश्चित हैं।

शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय चिभाग में राष्ट्रीय आय की जो तालिका दी है उस के अनुसार राष्ट्रीय आय के १० साधन होते हैं। इन के सम्बन्ध में शुक्रनीति में निम्न लिखित निर्देश प्राप्त होते हैं—

बाणिज्य कर— (शुल्क) यह कर चुंगी और आन्तरिक कर (Excise) इन दोनों रूपों में लगाया जाता था—‘ग्राहकों और व्यापारियों के माल पर लगाए राज कर को ‘शुल्क’ कहते हैं। यह कर सीमा पर (चुंगी) तथा मण्डियों में (Excise) लगाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ पर किसी न किसी रूप में एक बार कर अवश्य लग जाना चाहिये। किसी पदार्थ पर दुहरा कर नहीं लगना चाहिये। किसी पदार्थ के मूल्य का इ॒॑ वां भाग उस पर शुल्क लगाना चाहिये। इ॒॑ वां या दृ॒ वां भाग कर लगाने से भी वस्तुओं के मूल्य में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति लागत के दाम से भी कम मूल्य पर अपना सामान बेच रहा है तब उस पर कर नहीं लगाना चाहिये। कर तभी लगना चाहिये जब कि बेचने वाले को पर्याप्त लाभ हो रहा हो।’^१

ये ३ दृ॒ प्रति शत से लेकर ६ दृ॒ प्रति शत कर की दर बहुत अधिक नहीं है।

भूमि कर— (भोग) की दर भूमियों की उपज के अनुसार भिन्न होनी चाहिये—“उन भूमियों पर जो तालाब, नहर, कूआं, घर्षाया नदी से सींची

१. विक्रेतृ क्रेतृतो राज भागः शुल्कमुदाहृतम् ।

शुल्क देशा हट्टुमार्गः कर सीमा: प्रकीर्तिः ॥ १०८ ॥

वस्तुजातस्यैक वारं शुल्कं ग्राह्यं प्रयत्नतः ।

क्वचिन्नैवासकृच्छुल्कं राष्ट्रे ग्राह्यं नृपैश्चलात् ॥ १०९ ॥

द्वात्रिशांशं हरेद्राजा विक्रेतुः क्रेतुरेव वा ।

विंशांशं वा पोऽशांशं शुल्कं मूल्याविरोधकम् ॥ ११० ॥

न हीन सम मूल्याद्विः शुल्कं विक्रेतृतो हरेत् ।

लाभं दृष्ट्वा हरेच्छुल्कं क्रेतृतश्च सदाः नृपः ॥ १११ ॥ (शुक्र० अ० ४ ii.)

जाती हैं, उन की उपज के अनुसार उपज का चौथाई, तिहाई या आधा सांड कर लगाना चाहिये । जो भूमि अनुपजाऊ और वंजर हो उस की उपज का छाड़ा भाग ही कर रूप में लेना चाहिये ।^१

यह भूमि कर प्रत्येक किसान से अलग अलग नहीं लिया जाता था अपितु गांव के एक धनी व्यक्ति से ही सारे गांव की भूमि का लगान ले लिया जाता था, लगान का सारा उत्तरदायित्व उस पर ही रहता था । किसान लोग उसी को अपने लगान का अंश दे देते थे । इस प्रकार लगान जमा करने का तरीका पूरी तरह केन्द्रित था—“भूमि कर निश्चित होने पर उस की सम्पूर्ण मात्रा राजा को गांव के एक धनी से ले लेनी चाहिये अथवा गांव के एक मनुष्य को ज़मिन बना कर उस से एक निश्चित समय के बाद लगान लेते रहना चाहिये ।”^२

इस से प्रतीत होता है कि सम्भवतः कुछ वर्षों के लिये लोगों को लगान जमा करने के टेके दिये जाते होंगे । लगान जमा करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे उनका वेतन प्राप्त लगान का १३, १२, १०, १२ या १५ होता था ।^३

यह अन्तर भी भूमि की उपजाऊ शक्ति के धांधार पर ही होता था ।

भूमि कर की मात्रा भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार सरकार ही निश्चित करती थी । आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि अगर ज़मीदार को खेती करने से पर्याप्त लाभ हो तभी उस पर उपर्युक्त मात्रा में भूमिकर लगाना चाहिये—

“घरी कृपि सफल समझनी चाहिये जिस के द्वारा कि ज़मीदार को अपने कुल खर्च-जिस में सरकारी लगान भी शामिल है—से दुगुना लाभ अवश्य हो । इसी के अनुसार उत्तम, मध्यम और निम्न प्रभुमि निश्चित करनी चाहिये । जिस भूमि से इस से कम आय हो वह ‘दुःखद’ भूमि है ।”^४

१. तडाग धायिका कूप मरत्काद्वदेव मातृकात् ।

देशान्नदी मातृकात् तु राजानुक्रमतः सदा ॥ ११५ ॥

तृतीयांशं चतुर्थांशं मर्दुशिन्तु हरेत् फलम् ।

पष्ठांशमूषरात् तद्वत् पापाणादि समाकुलात् ॥ ११६ ॥

२. नियम्य ग्राम भूमागमेकस्माद् धनिकादुरेत् ॥ १२४ ॥

गृहीत्वा तत्प्रतिभुवं धनं प्राक् तत्समन्तु वा ।

विभागश्च गृहीत्वापि मासि मासि ऋतौ ऋतौ ॥ २५ ॥

३. पोङ्ग द्वादश दशाष्टांशतो धाधिकारिणः ।

स्वांशात् पष्ठांश भागीन ग्रामपात् सन्नियोजयेत् ॥ १२६ ॥

४. वहुमध्याल्प फलतस्तारतम्यं विमृश्य च ।

राज भागादि व्ययतो द्विगुणं लभ्यते वतः ।

कृपि कृत्यन्तु तच्छ्रौषं तन्नूनं दुःखदं नृशाम् ॥ ११४ ॥ (शुक्र० अ० ४. ii.)

जिस भूमि को अभी उपजाऊ बनाने का यत्क्रम किया जा रहा है उस परे भूमि कर नहीं लगाना चाहिये—“जो लोग अभी नया व्यवसाय शुरू करें, नई भूमि पर कृषि प्रारम्भ करें, अथवा जो लोग कूआं, नहरें या तालाबें अदि खुदवां रहे हों उन पर तब तक सरकार को लगान नहीं लेगानी चाहिये जब तक कि खर्च से आय दुगनी न होने लगे।”^१

“सरकार को किसानों की आय देख कर ही उन पर लगान लगानी चाहिये।”^२

“राजा को जमीदारों से लगान इस प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार कि माली वृक्षों से फूल तोड़ता है, ताकि जमीन्दारों को नाश न हो। लगान कोइले के व्यापारियों की तरह नहीं लेना चाहिए।”^३

कोइले के व्यापारी कोइला बनाने के लिये लकड़ी को जला करे उसको नाश कर देते हैं, परन्तु माली सदैव फूल इस प्रकार इकट्ठे करता है कि उस के द्वारा वृक्ष को किसी प्रकार की हानी न पहुँचे। लगान इकट्ठा करने की थह उपमा इतनी अच्छी है कि सम्राट् अकबर के बज़ीर अब्दुल फाजिर ने भी इसे ‘आइने अकबरी’ में उद्धृत किया है।

लगान जमा करने का प्रबन्ध बहुत ही उत्तम था, इस में मुगल काल की तरह कोई अव्यवस्था न हो सकती थी—“सरकार को चाहिये कि वह सब किसानों को, उन पर लगाए हुए कर की मात्रा आदि अपनी मुद्रा से अंकित कर के दे।”^४ इसी के अनुसार किसानों से कर लिया जायगा।

आचार्य शुक्र के अनुसार उस समय रैयतवारी नहीं अपितु जमीन्दारी की प्रथा ही सिद्ध होती है। परन्तु ये जमीन्दार स्थं किसान हैं, ये जितनी ज़मीन बोते हैं उस पर इन का स्वतन्त्र अधिकार है।

खनिज कर—शुक्रनीति द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं होता कि कानून राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जाती हैं या वैयक्तिक, तथापि कानूनों की उत्पत्ति पर कर की मात्रा इतनी निश्चित की गई है कि उस की आय का पर्याप्त भाग राष्ट्र के कोश में आजाय। इस साधन से भी सरकार को एक अच्छी रकम प्राप्त होती थी। खनिज कर की दृर्श्य इस प्रकार हैं—

१. कुर्वन्त्यन्यतं तद्विधं वा कर्पन्त्यभिनवां भुवस् ।

तद् व्यय द्विगुणं यावन्न तेभ्यो भागमाहरेत् ॥ ११८ ॥

२. लाभाधिकयं कर्पकादेर्यथा दुष्टा हरेत् फलस् ॥ ११९ ॥ (शुक्र० अ० ४. ii.)

३. हरेत् कर्पकाद्वागं यथा नष्टो भवेत् सः ।

मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकारवत् ॥ ११३ ॥

४. दद्यात् प्रतिकर्पकाय भागं पत्रं स्वचिन्मितस् ॥ १२४१ (शुक्र० अ० ४ ii.)

“सोने पर ५० प्रतिशत, चांदी पर ३३ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत; लोहे और जस्ते पर ६४ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत और हीरे, खनिज शीघ्रेतथा सीसे पर ५० प्रतिशत खनिज कर लगाना चाहिये।”^१ सरकार यह धन भी कर रूप में ही लेगी।

जंगलात्— राष्ट्रीय आय का चौथा साधन जंगलों की उपज पर लगाया गया कर है। यह कर जंगलों की धास, लकड़ी तथा ऐसी ही अन्य उपजों पर लगता है। इस की दर इस प्रकार है—“वनों की उपज के अनुसार यह दर ३३ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत, २० प्रतिशत, १४ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत, १० प्रतिशत या ५ प्रतिशत होनी चाहिये।”^२

पशु कर— राष्ट्रीय आय का पांचवाँ साधन पालतू पशुओं पर लगाया हुआ कर है—“वकरी, भेड़, गौ, भैंस और घोड़ों की जितनी संख्या वहे उनके मूल्य पर १२ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर लगाना चाहिये; और वकरी, गौ, तथा भैंस के दूध से जो आय हो इस पर ६ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर लगाना चाहिये।”^३

अम— राष्ट्रीय आय का यह छठा साधन कुछ विचित्र प्रतीत होता है। राष्ट्र के शिलिंगों और कारीगरों को राष्ट्र के लिये कुछ दिन तक वाधित रूप से कार्य करना पड़ता था।^४ उन का यह कार्य ही उन पर कर समझा जाता था।

चार अन्य साधन— (७) महाजनों को रूपया उधार देने से जो व्याज मिलता है उस पर ३ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर लगाना चाहिए।^५ (८) मकानों पर कर।^६ (९) दूकानों पर और मरिडियों पर कर।^७ (१०) सड़कों तथा गलियों की सुरक्षा के लिए उन पर चलने वालों पर लगाया गया कर।^८

१. स्वर्णाद्वृच्चरजतात् तृतीयांश्च ताम्रतः ।

चतुर्थांश्चन्तु पष्ठांश्च लोहात् वंगाच्च सीसकात् ॥ ११८ ॥

रत्नार्थं चैव चाराद्वृ खनिजात् व्यय शैयतः ।

२. विधा वा पञ्चांशा कृत्वा समधा दशधायि वा ॥ ११९ ॥

तृणकाष्टादि हरकात् विश्वन्यं ग्रहेरेत् फलम् ।

३. अजावि गोमहिष्याश्व वृद्धितोऽष्टांशमाहरेत् ।

महिष्यजावि गो दुग्धात् पोद्धशांश्च हरेन्नपः ॥ १२० ॥

४. कारु-शिल्प गणात् पक्षे दैनिकं कर्म कारयेत् ॥ १२१ ॥

५. वाह्युपिकाच्च कौसीदात् द्वात्रिशांश्च हरेन्नपः ।

६. गृहाव्याधार भूशुल्कं कृष्ट-भूमेरिवाहरेत् ॥ १२२ ॥

७. तथा चापणिकेभ्यु परय भूशुल्कमाहरेत् ।

८. मार्ग संस्कार रक्तार्थं मार्गोभ्यो हरेत् फलस् ॥ १२३ ॥ (शुक्र० अ० ४, ५५)

इन उपर्युक्त १० विभागों में जनता की आय के सभी छोट अन्तर्गत ही जाते हैं। कोई भी सम्पत्ति ऐसी नहीं बचती जिस पर किसी न किसी रूप में कर न लगा हो।

इस प्रकरण से थद्यपि वह प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र व्यवसाय तथा वाणिज्य पर सरकार का कठोर नियन्त्रण रखने के पक्ष में हैं, तथापि वह राष्ट्रीय व्यवसाय चलाने के पक्ष में हैं या नहीं—यह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। केवल—“मध्यम राजा वैश्यों का अनुसरण करता है।”^१ इल एक पद से राष्ट्रीय व्यवसायों की सत्ता की कुछ झलक मिलती है। परन्तु केवल इसी एक आधार से कोई परिणाम निकालने का साहस हम नहीं कर सकते। इस पद का अभिप्राय सम्भवतः यह भी हो सकता है कि जो राजा अपनी वैयक्तिक आय बढ़ाने लिये व्यवसाय करे वह मध्यम होता है। यहां तक कि नमक की उत्पत्ति पर भी राष्ट्र का एकाधिकार होने का प्रभाग शुक्रनीति में नहीं मिलता।

करों की पूर्वोक्त सब दरें साधारण अवस्था के लिए हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के हित के लिये इन दरों को कुछ समय के लिये बढ़ाया भी जा सकता है। धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों की जायदाद पर साधारण अवस्था में कर नहीं लगाया जाता, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी कर लगाया जा सकता है।^२ राष्ट्र के धनी पुरुषों से ऐसे समय धन की एक विशेष मात्रा ली जा सकती है।^३

राष्ट्रीय ऋण—राष्ट्र पर कोई आपत्ति आने पर अथवा कोई अन्य आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय ऋण लेने का विधान शुक्रनीति में है। यह ऋण सरकार देश के धनी धनी नागरिकों से लेती थी। वे लोग सरकार को यह ऋण देने के लिये वाधित होते थे। आपत्ति हट जाने पर सरकार उन को यह धन व्याज सहित वापिस कर देती थी।^४

कर सिद्धान्त—“जिस राष्ट्र की शक्ति जितनी अधिक हो उसका खजाना उतना ही बढ़ता है, जिस राष्ट्र का खजाना भरा हुआ हो उस की शक्ति बढ़ती है—दोनों बातें परस्पर सहायक हैं। राजा को चाहिये कि वह जिस किसी

१.मध्यमो वैश्य वृक्षितः ॥ १८ ॥

२. दण्डभूमाग शुल्कानामाधिक्यात् कोश वर्धनम् ।

अनापदि न कुर्वति तीर्थ देव कर ग्रहात् ॥ ८ ॥

३. यदा शत्रु विनाशार्थ वल सरचणोद्यतः ।

विशिष्ट दण्ड शुल्कादि धनं लोकात् तदा हरेत् ॥ १० ॥

४. धनिकेभ्यो भूर्ति दत्त्वा स्वापत्तौ तदुनं हरेत् ।

राजा स्वापत्समुन्नीर्णस्तत् स्वं दद्यात्सवुद्विक्म् ॥ ११ ॥ (शुक्रठ अ५ '४, ३३)

प्रकार भी सब उपायों से धन संग्रह करे और उस के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करे।”^१ इस प्रकार इस प्रसङ्ग में आचार्य शुक्र ने धन की महिमा बता कर धन-संग्रह के लिये सभी उचित और अनुचित (येन केन प्रकारेण) उपायों को बरतने का निर्देश किया है। कर संग्रह के इन उचित और अनुचित उपायों की उन्होंने स्वयं ही संक्षिप्त व्याख्या करदी है—

“वह मनुष्य जो धन को उचित उपायों से कमाता है और उचित हँग पर खर्च करता है, पात्र है, इस से उलटा करने वाला व्यक्ति अपात्र है। राजा को चाहिये कि वह अपात्र का सम्पूर्ण धन ज़बरदस्ती ले ले, यह करने से राजा को पाप नहीं लगता है। पापी व्यक्ति का सारा धन राजा को छीन लेना चाहिये। धोखे से, वल से या चोरी से शत्रु राष्ट्र का धन छीन लेना चाहिये। परन्तु इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो राजा अपनी प्रजा को धन प्राप्त करने के लिये तंग करता है प्रजा उस के विरुद्ध हो जाती है और शत्रु उस देश पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।”

इस प्रकरण में तो आचार्य शुक्र एक साम्यवादी प्रतीत होते हैं। उन के अनुसार जो व्यक्ति समाज की रचना का अनुचित उपयोग उठा कर, वुरे उपायों से, धनी वन जाते हैं उन की सम्पत्ति राष्ट्र को ज्ञाप्त कर लेनी चाहिये। यह कर-सिद्धान्त साम्यवादिश्वों का है।

आय के ये स्रोत कर रूप में नहीं हैं, इन्हें ऊपर की आय समझना चाहिये, इन से पूर्व हमने जिन आय के स्रोतों का वर्णन किया था वे सब कर रूप में ही थे। शत्रु राष्ट्रों को अपने आधीन लाकर उन से भेंट लेने के पक्ष में ही आचार्य

१. वल मूलो भवेत् कोशः कोशमूलं वलं स्मृतम् ।

वल संरणात् कोश राष्ट्र वृद्धिरर्ति च्यः ॥ १४ ॥

येन केन प्रकारेण धनं सञ्चितुयात् नृपः ।

तेन संरक्षयेद्राष्ट्रं वलं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २ ॥

२. स्वागमी सद्व्ययी पात्रमपार्वं विपरीतकम् ।

अपात्रस्य हरेत् सर्वं धनं राजा न दोषभाक् ॥ ६ ॥

अर्धम् शीलात् नृपतिः सवशः संहरेद्दुनम् ।

द्वलाद् वलाद्देदस्यु वृत्या परराष्ट्राद्वरेत् तथा ॥ ७ ॥

त्यहा नीनि वलं स्वीय प्रजा पीडनतो धनम् ।

सञ्चितं येन तत्स्य स राज्यं शत्रुसद्ववेत् ॥ ८ ॥

शुक्र ने अपनी सायंदी है। इन भेटों से राष्ट्र का कोश बहुत बढ़ता है।^१ इन भेटों को छोड़ कर राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय आदि किसी अन्य साधन का वर्णन शुक्रनीति में नहीं प्राप्त होता।

इस कर प्रकरण से हम करों के सम्बन्ध से निम्न लिखित परिणाम निकाल सकते हैं—

१. राष्ट्र भर की सब समाजों, जातियों तथा संघों पर समान रूप से कर लगाना चाहिये।^२ कोई भी समूह करों से घञ्चित न रखा जाय।
२. जिस व्यक्ति या समूह पर जो कर निश्चित किया जाय वह उसे से शीघ्र ही ले लेना चाहिये। उसको चुकाने की प्रतीक्षा देर तक नहीं करनी चाहिये—“भूमि कर, भृति, आयात निर्यात कर, व्याज और झुर्माना आदि शीघ्र ही चुका लेने चाहिये।”^३
३. कर संबंध कर्त्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने हिसाब को खूब स्पष्ट रखें। कर की दर, वस्तु परिमाण, प्राप्त कर आदि की विस्तृत सूचियाँ उन्हें बनानी चाहिये।
४. कर राष्ट्र के सामूहिक हित के लिये ही लिया जाता है यह बात सदैव सरण रखनी चाहिये। इस लिये सदैव लाभ पर ही कर लेना चाहिये। सब प्रकार के करों—चुंगी, आन्तरिक कर और भूमि कर—को उसी अवश्या में पुष्ट किया जासकता है जब कि वे लाभ पर लिये जा रहे हों। भूमि कर तब लेना चाहिये जब कि किसान को अपने व्यय से कम से कम दुगनी आय अवश्य हुई हो। भूमि में या, कृषि के साधनों में जब सुधार किया जा रहा हो तब भी कर नहीं लेना चाहिये। तब व्यवसायों से तब तक कर नहीं लेना चाहिये जब तक कि उन से आय न होने लगे।^४ इस प्रकार कर—मुक्तिद्वारा जए व्यवसायों को संरक्षण देना चाहिये। प्रत्येक पदार्थ पर एक बार कर अवश्य लगाना चाहिये, साथ ही किसी वस्तु पर दुहरा कर नहीं लगाना चाहिये।

१. मालाकारस्य वृत्यैव स्वप्रजा रक्षणे च।

शत्रुं हि करदीकृत्य तद्दुनैः कोशवद्दुनम् ॥ १८ ॥

२. सर्वतः फलभुग्भृत्वा दासवत् स्यात् रक्षणे ॥ १३० ॥

३. भूविभागं भृतिं शुल्कं वृद्धिमुक्तोचकं करम् ।

सद्य एव हरेत् सर्वं नतु कालविलम्बनैः ॥ १२३ ॥

४. शुक्र० अ० ४. ii. सौक १०९, ११४, और ११८।

(शुक्र० अ० ४ ii.)

इस प्रसंग में हमें एक और वार ओचार्य शुक्र की कर सम्बन्धी उपमा की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं— “राजा को प्रजा से कर इस प्रकार लैना चाहिये जिस प्रकार कि माली वृक्षों से फल था फूल चुनता है ।”^१

मुद्रा पद्धति और विनिमय माध्यम—शुक्रनीति के अनुसार उस समय बड़ी स्पष्टता से मुद्रापद्धति का प्रमाण मिलता है। यह कहता कि उस समय केवल वस्तु विनिमय (वार्डर) की प्रथा थी, नितान्त भ्रममूलक है। इन उदाहरणों से उस समय मुद्रा पद्धति स्पष्टतया सिद्ध होती है—

“वे वस्तुएँ जो संसार में वहुत कम पाई जाती हैं—हीरों के दाम से विकर्ती हैं। किसी वस्तु का मूल्य समय और स्थान के अनुसार निश्चित होता है। अनुपयोगी वस्तुओं का कोई दाम नहीं होता। महंगे दाम, मध्यम दाम और सस्ते दाम सभी बुद्धिमानों के व्यवहार के अनुसार निश्चित होते हैं।”^२ इन सिद्धान्तों में दामों के सम्बन्ध के मुख्य २ अर्थशास्त्रीय नियम—न्यूनता, मांग, ऊपलब्धि और उपयोगिता—संक्षेप से अंजाते हैं।

शुक्रनीति चतुर्थ अध्याय के पञ्चम चिभाग में ऋण, व्याज आदि की जो संख्याएँ दी, हैं उन से भी स्पष्टतया उस समय किसी मुद्रापद्धति की सक्ता सिद्ध होती है।

उस समय धर्मियों और हीरों का दाम इस प्रकार था—“एक रक्ती हीरे का दाम पांच स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। अगर हीरा एक रक्ती से भारी तथा आंकार में बड़ा हो तो उस का दाम २५ स्वर्ण मुद्रा होता है।”^३ इस ग्रन्थ में मिन्न भिल मणियों और हीरों के दाम भी दिए गए हैं।

१. हरेच कर्षकाद्वारां यथा नष्टो भवेच्च सः ।

मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकार वृत् ॥ १५३ ॥

२. रत्न भूतन्तु तत्त्वं स्याद् यद्यदप्रतिमं भुवि ।

यथादेशं यथाकालं मूल्यं सर्वस्य कल्पयेत् ॥ १०६ ॥

न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहारक्षमस्य च ।

नीच मध्योत्तमत्वन्तु सर्वस्मिन् मूल्यं कल्पने ।

चिन्तनीयं बुद्धेलोकाद् वस्तुजातस्य सर्वदा ॥ १०७ ॥

३. एकस्यैव हि वज्रस्य त्वेक रक्तिमितस्य च ।

मुविस्तृत दण्डस्यैव मूल्यं पञ्च मुवर्णकम् ॥ ६८ ॥

रक्तिकादल विस्ताराच्छ्रेष्ठं पञ्चगुणं यदि ।

यथा यथा भवेन्न्यूनं हीन मौल्यं तथा तथा ॥ ६९ ॥

मोतियों का दाम इस प्रकार निकाला जाता है—“एक मोती का जितने रक्ती भार हो उसे १४^१ से गुणा कर के २४ से भाग दे देना चाहिये । इस प्रकार प्राप्त रक्तियों की संख्या के समान सोना ही उस मोती का दाम होगा ।”^२ यह दाम सर्वोच्चम् मोतियों का है, मध्यम और साधारण मोतियों के दाम उनकी चमक के अनुसार निश्चित होते हैं ।^३

धातुओं के दाम में परस्पर यह अनुपात होता है—

सोना = १६ चांदी

चांदी = ८० ताम्बा

ताम्बा = १५ ज़िङ्क़

ज़िङ्क़ = २ टीन

” = ३ सीसा

ताम्बा = ६ लोहा

होरों के दोष स्वाभाविक होते हैं, परन्तु धातुओं के मल अस्वाभाविक होते हैं, इस लिए धातुओं को शुद्ध करके ही उन के सिक्के बनाने चाहिये । वास्तव में यही उपर्युक्त सात धातुएँ ही असली धातुएँ हैं, अन्य धातुएँ—कांसी, पीतल आदि—इन्हीं के मेल से बनती हैं । ज़िङ्क़ और ताम्बा मिला कर कांसी बनाई जाती है और ताम्बा तथा रांगा मिला कर पीतल ।”^४

१. व्यङ्ग्यि चतुर्दश हतो वर्गो मौक्तिक रक्तिजः ।

चतुर्विंशतिभिर्भक्तोलब्धाश्च मूल्यं प्रकल्पयेत् ॥ ८४ ॥

उत्तमन्तु शुष्पर्णार्घमूनमूनं यथा गुणम् ॥ ८५ ॥

२. रजतं पोडश गुणं भवेत् स्वर्णस्त्वमूल्यकम् ॥ ८२ ॥

ताम्बं रजत मूल्यं स्यात् प्रायोऽशीति गुणं तथा ।

ताम्बायिकं सादृगुणं वज्रं वज्रात् तथा परे ॥ ८३ ॥

रज्ञ सीसे द्वित्रिगुणे ताम्बाष्ठोहं तु शङ्गुणम् ।

मुल्यमेतद्विशिष्टन्तु ह्युक्तं प्राड़ मूल्य कल्पनम् ॥ ८५ ॥

३. रत्ने स्वाभाविका दोषाः सन्ति धातुपु क्रित्रिमाः ।

अतो धातूश्च सम्यरीद्य तन्मूल्यं कल्पयेद् बुधः ॥ ८७ ॥

शुष्पर्ण रजतं ताम्बं वज्रं सीसं च रज्ञकम् ।

लोहं च धातवः सम्ब्येषामन्ये तु सङ्करा ॥ ८८ ॥

यथा पूर्वं तु श्रेष्ठं स्यात् स्वर्णं श्रेष्ठतरं मतम् ।

वज्रं ताम्बं भवं कांस्यं पित्तलं ताम्ब रज्ञजम् ॥ ८९ ॥

(शुक्ला अ. अ० ४ ii.)

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सोना और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के "स्वीकृत मुद्रा" (Legal tender) थे । इस प्रकार उस समय द्विधात्वीय मुद्रा पद्धति थी । सोने के सिक्के की 'सुवर्ण' और चांदी के सिक्के को 'कर्पक' कहा जाता था । एक सुवर्ण का भार १० माशे होता था और ५ सुवर्णों के वरावर ८० कर्पकों का दाम होता था ।^१ साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि इन सिक्कों में उतने दाम की धातु वास्तव में होती थी, जो दाम कि इन पर लिखा रहता था । आचार्य शुक के अनुसार विनियम मध्यम रूप धन (Money) को द्रव्य कहा जाता है ।^२ द्रव्य और धन में वही भेद है जो Money और Wealth में है ।

बजट— राष्ट्रीय वार्षिक बजट बनाने का कार्य शुक नीति के अनुसार दो व्यक्तियों के आधीन होता है—सुमन्त्र और अमात्य । सुमन्त्र राष्ट्र के प्राप्त और अप्राप्त धन की सूचियाँ तैयार करता है । राष्ट्र की चल और अचल सम्पत्ति, ऋण, सम्पूर्ण व्यय, वचत अद्वि की विस्तृत तालिकाएँ भी वही तैयार करता है । अमात्य 'कर सचिव' का कार्य करता है । पूर्वोक्त १० आय के स्रोतों की तालिकाएँ बनाना उसका कर्तव्य होता है ।^३ ये दोनों विभाग अपने अपने सम्बन्ध की सब गणनाएँ विस्तार से प्रकाशित करते रहते हैं ।

व्यय के विभाग— एडम स्मिथ के अनुसार यूरोप के मध्ययुग में राजाओं के कार्य बहुत सीमित हुआ करते थे । जनता के प्रति उन के कर्तव्य बहुत कम होते थे । धीरे २ विकास होते होते अब जनता के प्रति सरकारों के कर्तव्य बहुत घड़ गए हैं । परन्तु आचार्य शुक के अनुसार हम प्राचीन भारत के विषय में यह बात नहीं कह सकते हैं । शुक नीति द्वारा स्पष्टतया प्रतीत होता है कि उस समय भी प्रजा के प्रति सरकार के कर्तव्य कम नहीं होते थे । आज कल की तरह राष्ट्र की सामूहिक तथा वैयक्तिक उन्नति करना ही राष्ट्र का उद्देश्य समझा जाता था; प्रथम अध्याय

१. आचार्य रक्षिको मापो दशमापै सुवर्णकम्

स्वर्णस्य तत् पञ्चमूल्यं राजताणीति कर्पकम् ॥ ७० ॥

(शुक्र० अ० ४. ii.)

२. रजत स्वर्णतामादि व्ययहारार्थं सुद्रितम् ।

व्यवहार्यं वराटाद्यं रत्नान्तं द्रव्यमीरितम् ।

स पशु धान्य रत्नादि तृणान्तं धन संचिकम् ॥ ३५४ ।

व्यवहारे चाधिकृतं स्वर्णाद्यं धन संचिकम् ॥ ३५५ ॥

(शुक्र० अ० २)

३. शुक्र० अ० २० स्तोक १०१—१०५ ।

मैं कहा है— “राजा को प्रति वर्ष शिल्प में उन्नत व्यक्तियों तथा विद्वानों का सम्मान करना चाहिये । उसे सदैव इस प्रकार का यत्न करना चाहिये जिससे कि राष्ट्र में विद्या तथा विज्ञान की उन्नति हो ।”^१

“राजा को सदैव राष्ट्र में बसने वाले इन लोगों की इज्जत करनी चाहिये; इनको वज़ीफे, वेतन आदि देकर उत्साहित करना चाहिये— तपस्वी, दानी, जों श्रुति और स्मृति में पारंगत हैं, पौराणिक (इतिहासज्ञ), शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, मान्त्रिक, डाक्टर, कर्मकारडी, तान्त्रिक तथा अन्य गुणी पुरुष ।”^२

यह व्यय किस अनुपात से करना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमें दो तालिकाएं शुक्रनीति में ही उपलब्ध होती हैं । पहली तालिका के अनुसार प्रत्येक सामन्त शासक को, जिस की वार्षिक आय १ लाख कर्ष है, इस अनुपात से व्यय करना चाहिये ।^३

विभाग	सम्पूर्ण आय का—
१. ग्रामों के अधिकारियों का वेतन	... ^१ / _३ भाग
२. सेना	... ^३ / _३ ”
३. दान	... ^१ / _३ ”
४. जनता की शिक्षा तथा मनोरञ्जन	... ^५ / _३ ”
५. राज कर्मचारी	... ^१ / _३ ”
६. उच्च स्थिर सेवक	... ^१ / _३ ”
	<hr/>
	^{१२} / _३ = ^१ / _३

१. समाप्तिवदं संदूष्वा तत्कार्यं तन्नियोजयेत् ।

विद्या कलोत्तमाज्ज दृष्ट्वा वत्सरे पूजयेच्च तात् ॥ ३६८ ॥

विद्या कलानां वृद्धिः स्यात्तथा कुर्यान्तुपः सदा ॥ ३६९ ॥ (शुक्र० अ० १)

२. तपस्विनो दानशीला ग्रति स्मृति विशारदाः ।

पौराणिकाः शास्त्र विदौ दैवज्ञा मान्त्रिकाश्च ये ॥ १२२ ॥

आत्मवेदविदः कर्मकारडनास्तान्त्रिकाश्च ये ।

ये चान्ये गुणिनः श्रेष्ठाः बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ १२३ ॥

तात् सर्वाज्ज पोषयेद् भृत्या दानैर्मानैः सुपूजितात् ।

हीक्षे चान्यथा राजा ह्यकीर्त्ति चापि विन्दति ॥ १२४ ॥ (शुक्र० अ० २)

३. त्रिभिरंशैः वलं धार्य दानमद्वांशकेन च ॥ ३१५ ॥

अद्वांशेन प्रकृतयो ह्यद्वांशेनाधिकरिणः ।

अद्वांशेनात्मभोगस्य कोशांशेन रक्षयते ॥ ३१६ ॥

आपस्यैवं शद्विभागैर्वर्यं कुर्यात् तु वत्सरे ।

सामन्तादिषु धर्मोऽयं न न्यूनस्य कदाचन ॥ ३१७ ॥

शेष इ भाग को राष्ट्र की सामयिक आवश्यकताओं के लिये स्थिर कोश में जमा करते जाना चाहिये ।

इस का अभिप्राय यह हुआ कि जनता की उन्नति के लिये राष्ट्रीय आय का $\frac{1}{3}$ वां भाग व्यय किया जाता था और सेना के लिये $\frac{1}{4}$ भाग व्यय होता था । यह सैनिक व्यय यद्यपि भारत वर्ष के वर्तमान सैनिक व्यय के मुकाबले में बहुत कम है तथापि इसे कम नहीं समझना चाहिये । हमारी सम्मति में यह बात उस समय के लिये, बहुत गौरव पूर्ण नहीं है ।

राष्ट्रीय व्यय की दूसरी तालिका हम छटे अध्याय में १८५ पृष्ठ पर दे चुके हैं, उसे यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है । उस के अनुसार स्थिर कोश के लिये व्यवत करने की मात्रा कुल आय का केवल $\frac{1}{4}$ टा भाग है ।

राष्ट्रीय व्यय के सिद्धान्त— राष्ट्रीय व्यय की उपर्युक्त दीर्घी तालिकाओं के अनुसार हम व्यय के तीन भाग कर सकते हैं— सेना, राष्ट्र और त्याग (यज्ञ) । ^१ जो राजा राष्ट्रीय आय का उपयोग अपने तथा ख्री पुत्रादियों के लिए ही करता है वह इस लोक तथा परलोक में दुख ही प्राप्त करता है । ^२ इस का अभिप्राय यही है कि राजा को यथा शक्ति वैयक्तिक व्यय कम करने चाहिये । राष्ट्र से अभिप्राय जनता का है । जनता की उन्नति तथा मनोरञ्जक के लिये भी स्पष्ट रूप से शुक्रनीति में व्यय करने का आदेश है ।

राष्ट्रीय व्यय में सब से मुख्य भाग सेना का है । प्रथम तालिका के अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का चौथाई भाग और द्वितीय तालिका के अनुसार सम्पूर्ण आय का आधा भाग सैनिक-प्रबन्ध तथा अखादि में व्यय करना चाहिये । ये अंक बहुत अधिक प्रतीत होते हैं । परन्तु अगर यूरोप के $\frac{1}{4}$ वां सदी के आरम्भ से लेकर गत महायुद्ध तक के सब युद्धों का सम्पूर्ण व्यय तथा इसी काल में यूरोप के सब देशों की सम्पूर्ण आय का अनुपात निकालें तो आचार्य शुक का सैनिकव्यय-विधान बहुत अधिक प्रतीत नहीं होगा । सरकार का सर्व सम्मत उद्देश्य राष्ट्र की ओन्टरिक तथा बाह्य आपत्तियों से रक्षा करना है, इस उद्देश्य के अनुसार एक उन्नति शील स्वतन्त्र राष्ट्र के लिये सेना पर पर्याप्त व्यय करना स्वाभाविक है । प्रसिद्ध अमेरिकन सेनापति स्टौक्टन के शब्दों में सैनिक व्यय शान्ति रक्षा का स्थिर वीमा है ।

१. तेन संरक्षयेद्राष्ट्रं वर्लं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २॥ ॥

२. ख्री पुत्रार्थं कृतो यश्च स्वोपभोगांय केवलम् ।

नरकायैष स ज्ञेयो न परत्र सुखप्रदः ॥ ४ ॥ (शुक्र० अ० ४ i.e.)

आचार्य शुक्र ने भी यही बात कही है— “अच्छी सेना के बिना राज्य, धन, या प्रभाव की रक्षा नहीं हो सकती । जो बलवान् है, लोग उसके मित्र बन कर रहते हैं । जो दुर्बल है, उसके सभी शत्रु बन जाते हैं; साधारण लोगों में भी यही बात देखी जाती है फिर राष्ट्र के लिये तो क्या कहना है ।”^१ इसलिये सेना पर व्यय किए गए धन को भी उत्पादक व्यय ही समझना चाहिये ।

प्रति वर्ष जो धन भावी आवश्यकताओं के लिये बचाया जाय, वह सम्पूर्ण धन मुद्रा रूपमें ही नहीं बचाना चाहिये । परन्तु उसके कुछ भाग से अनाज, दबाइयाँ, खानिज पदार्थ, घास, लकड़ी, अख, शख, बारूद, बरतन, कपड़े आदि खरीद कर जमा करते जाना चाहिये ।^२ यह सामान आवश्यकता पड़ने पर बहुत काम आता है । इस धन से बढ़ी, राज आदिकों के औज़ार खरीद कर भी स्थिर कोश में जमा करने चाहिये ।^३

राज कर्मचारियों का वेतन.

वेतन— वेतन तीन प्रकार का होता है— कार्य के परिमाण से, काल के परिमाण से, कार्य और काल दोनों के परिमाण से । इस गटे के भार को तू वहाँ रख दे तो तुझे इतना वेतन मिलेगा, यह कार्य के मान से वेतन कहाता है । प्रति दिन, प्रति मास या प्रति वर्ष इतना वेतन मिलेगा—यह काल के परिमाण से वेतन हुवा । तुम यदि इतने काल में इतना कार्य करोगे तो इतना वेतन मिलेगा, यह कार्य और काल के परिमाण से वेतन कहलाता है ।^४

१. सैन्याद्विना नैव राज्यं न धनं न पराक्रमः ।

वलिनो वशगाः सर्वे दुर्वलस्य च शत्रवः ।

भवन्त्यस्य जनस्यापि नृपस्य तु न किं पुनः ॥ ४ ॥ (शुक्र० अ० ४ vii.)

२. गृहीयात् सुप्रयत्नेन वत्सरे वत्सरे नृपः ॥ २८ ॥

ओषधीनां च धातुनां तृणकाष्ठादिकस्य च ।

यन्त्र शत्राघ्निचूर्णं भाण्डादेवासां तथा ॥ ३० ॥

यद्यच्च साधकं द्रव्यं यद्यत्कार्यं भवेत् सदा ।

संग्रहस्तस्य तस्यापि कर्तव्यः कार्यं चिह्निदः ॥ ३१ ॥ (शुक्र० अ० ४. ii.)

३. यन्त्राणि धातुकारणं संरक्षेद् वीक्ष्य सर्वदा ॥ ४० ॥ (शुक्र० अ० ४. iv.)

४. कार्यमाना कालमाना कार्यं कालमितिस्त्रिधा ।

भृतिरक्षा तु तद्विच्चैः सा देया भाषिता यथा ॥ ३८२ ॥

अयं भारस्त्वया तत्र स्थाप्यस्त्वैतावतीं भृतिम् ।

दास्यामि कार्यमाना सा कीर्तिं तत्त्विदेशकैः ॥ ३८३ ॥

वत्सरे वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने ।

एतावतीं भृतिं तेऽहं दास्यामीति च कालिका ॥ १९४ ॥

एतावता कार्यमिदं कालेनापि त्वया कृतम् ।

भृतिमेतावतीं दास्ये कार्यकालमिता च सा ॥ ३८५ ॥

सरकार म तो किसी का वेतन मारे और न किसी को वेतन देर में दे ।^१

जितने वेतन से सेवक का अपना तथा उसके माता पिता आदि परिवार के व्यक्तियों का पालन हो सके, उतना वेतन मध्यम वेतन होता है। इन के पालन के अतिरिक्त और भी अधिक द्रव्य मिलने पर श्रेष्ठ वेतन कहाता है। जिस वेतन से केवल एक ही व्यक्ति का पालन हो उसे हीन वेतन समझना चाहिये। राजा को चाहिये कि वह व्यक्ति की योग्यतानुसार उसे वेतन दे। योग्य सेवक को इतना वेतन अवश्य देना चाहिये जिससे कि उसका और उसके परिवार का पालन भली प्रकार हो सके। जो सेवक योग्य होते हुए भी कम वेतन पर रखके जाते हैं वे राजा के स्वयं बनाए हुए शत्रु हैं। ये राजा को सब प्रकार की हानि पहुँचाते हैं; आपत्ति आने पर ये शत्रु से मिल जाते हैं।^२

शूद्रों को केवल इतना ही वेतन देना चाहिये जिस से कि उनका भोजन वस्त्रादि का गुजारा भली प्रकार हो सके, अधिक वेतन देने से वे उसे मांस, शराब आदि में व्यय करने लगते हैं, जिसका पाप वेतन देने वाले पर ही पड़ता है। नौकर मन्द, मध्य और शीघ्र इन तीन प्रकार के होते हैं। इनका वेतन भी क्रमशः सम, मध्य और श्रेष्ठ इन तीन प्रकार का होना चाहिये।^३

भृत्यों को अवकाश— सेवकों को घर के कार्य के लिए एक दिन में एक पहर और रात को तीन पहर का अवकाश देना चाहिये—इस प्रकार आठ पहरों में से ४ पहर नौकर को अवकाश मिलेगा। जो नौकर केवल दिन के लिए ही हों उस्वे दिन में आधा पहर अवकाश देना चाहिये।

१. न कुर्याद् भृति लोर्यं तु तथा भृतिविलम्बनम् ।

२. अवश्य पोष्य भरणा भृतिर्मध्या प्रकीर्तिता ॥ ३८६ ॥

परिपोष्या भृतिः श्रेष्ठा समान्नाच्छादनार्थिका ।

भवेदेकस्य भरणं यया सा हीनं संज्ञिका ॥ ३८७ ॥

यथा यथा तु गुणवाङ् भृतकस्तद् भृतिस्तथा ।

संयोज्या तु प्रयन्तेन नृपेणात्म हिताय वै ॥ ३८८ ॥

अवश्य पोष्य वर्णस्यं भरणं भृतकाद्वैत् ।

तथा भृतिस्तु संयोज्दा तद्योग्य भृतकाय वै ॥ ३८९ ॥

ये भृत्या हीन भृतिकाः शब्दवस्ते स्वयं कृताः ।

परस्य साधकास्ते तु छिद्र कोश प्रजाहराः ॥ ४०० ॥

३. अन्नाच्छादन मात्रा हि भृतिः शूद्रादिपु स्मृता ।

तत्पाप भागन्यथा स्यात् पोषको मांस भोजिषु ॥ ४०१ ॥

मन्दो मध्यस्तथा शीघ्रस्त्रिविधो भृत्य उच्यते ।

समामध्या च श्रेष्ठा च भृतिस्तेपां क्रमात् स्मृता ॥ ४०२ ॥ (शुक्र० अ० २०)

उत्सव आदियों पर भी नौकरों को अवकाश देना उचित है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर ट्यौहार के दिनों में भी उन से काम लिया जा सकता है ।^१

रुणावकाश तथा वेतन— रोगी होने पर उन दिनों का चौथाई वेतन काट लेना चाहिये । लम्बी बीमारी होने पर अगर सेवक ५ मास का अवकाश ले तो उसे उस अवधि में ३ मास का ही वेतन देना चाहिये । और अधिक लम्बा, एक वर्ष तक, रुणावकाश लेने पर आधा वेतन देना चाहिये । आवश्यकता पड़ने पर १५ दिन का रुणावकाश विना कुछ भी वेतन काटे दे देना चाहिये । अगर सेवक बीमार पड़े तो कम से कम एक वर्ष तक तो उसे बर्खास्त न कर के उस के स्थान पर उतने समय के लिये एक और आदमी रख कर काम चलाना चाहिये । अगर बहुत गुणी कर्मचारी हो तो वह जब तक बीमार रहे उसे आधा वेतन देते रहना चाहिये ।^२

पेन्शन— जिस व्यक्ति ने निरन्तर ४० वरस तक सरकारी सेवा की हो उसको इस सेवा के बाद उसके अन्तिम दिनों के वेतन का आधा वेतन जीघन पर्यन्त पेन्शन स्वरूप देते रहना चाहिये । यदि उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई बालक-पुत्र या कन्या-नाबालिंग हो, अथवा खीं जीवित हो तो उसकी पेन्शन का आधा भाग उन्हें देते रहना चाहिये ।^३

१. भृत्यानां गृहकार्यार्थं दिवा यामं समुत्सृजेत् ।

निश्चि याम त्रयं नित्यं दिन भृत्येर्धयामकम् ॥ ४०४ ॥

तेभ्यः कार्यं कारयीत त्युत्सवाद्यैर्विना नृपः ।

अत्यावश्यं तूत्सवेऽपि हित्वा आदुदिनं सदा ॥ ४०५ ॥

२. पाद हीनां भृतिं त्वार्त्तं दद्यात् त्रैमासिकीं ततः ।

पञ्च वत्सर भृत्ये तु न्यूनाधिकर्यं यथा तथा ॥ ४०६ ॥

पाण्मासिकीं तु दीर्घार्त्तं तद्वद्वृं न च कल्पयेत् ।

नैव पञ्चार्दुं मार्गस्य हातव्याल्पापि वै भृतिः ॥ ४०७ ॥

सम्त्वसरोषितस्यापि ग्राह्यः प्रतिनिधिस्ततः ।

सुमहद्वगुण वर्तिनं त्वार्तं भृत्यद्वृं कल्पयेत् सदा ॥ ४०८ ॥

सेवां विना नृपः पञ्च दद्यात् भृत्याय वत्सरे ॥ ४०९ ॥

३. चत्वारिंशत् समा नीता सेवया येन वै नृपः ।

ततः सेवां विना तस्मै भृत्यद्वृं कल्पयेत् सदा ॥ ४१० ॥

यावज्जीवं तु तत्पुत्रेऽन्नमेवाले तदर्दुकम् ।

भार्यायां वा सुशीलायां कन्यायां वा स्वश्रेष्ठे ॥ ४११ ॥ (शुक्र० अ० २०)

इनाम— एक वर्ष के बाद सेवक को उस के वेतन का आठवां भाग इनाम रूप में देना चाहिये; अथवा किये कार्य के आठवें भाग का वेतन विना कार्य कराए ही दे देना चाहिये ।^१

खासी की सेवा करते हुए जिसका देहान्त होजाय उसका वेतन उस के पुत्र के पास पहुँचा देना चाहिये । जब तक उस का पुत्र नावालिंग रहे उसे सहायता देते रहनी चाहिये; जब वह बालिंग हो जाय तब उसकी योग्यतानुसार उसे भी किसी सेवा पर नियुक्त कर लिया जाय । सेवक के वेतन का छटा या चौथाई भाग खासी को अपने पास रख लेना चाहिये और दो तीन वर्ष बाद उस के वेतन का आधा या पूरा भाग उसे दे देना चाहिये ।^२

कर्मचारियों पर दण्ड का प्रभाव— कठोर वाणी का प्रयोग, वेतन की न्यूनता, अपमान या प्रबल दण्ड, इन सब के द्वारा भी राजा सेवकों के हृदय में शत्रुता का बीज बोता है । इस के प्रतिकूल सेवकों को सम्पत्ति देने से उन्हें राजा पूरी तरह अपने वश में कर लेता है । अध्रम लोग धन चाहते हैं, मध्यम धन और मान दोनों चाहते हैं, परन्तु उत्तम पुरुष मान ही चाहते हैं । क्यों कि मान ही वडे पुरुषों का धन है ।^३

आय व्यय के लेख पत्र— राष्ट्रीय आय तथा व्यय के खूब विस्तार से रजिस्टर आदि बने रहते थे, जिस से कि इस मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो सके । इन में आय, व्यय, लेन, देन, किस विभाग में व्यय हुआ-आदि के खाने बने रहते थे । इन लेख पत्रों पर उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर होते थे, उन की अनुमति से ही कोई व्यय किया जा सकता था ।

१. ग्रष्मांशं पारितोष्यं दद्यात् भृत्याय वत्सरे ।

कार्याद्विमांशं वा दद्यात् कार्यं द्रागधिकं कृतम् ॥ ४१२ ॥

२. स्वामि कार्ये विनष्टो यस्तत्पुत्रेतद् भृति वहेत् ।

यावद् वालोऽन्यथा पुत्र गुणान्दृष्टा भृति वहेत् ॥ ४१३ ॥

पष्टांशं वा चतुर्थांशं भृतेभृत्यस्य पालयेत् ।

दद्यात् तदर्थं भृत्याय द्वित्रिवर्षेऽखिलं तु वा ॥ ४१४ ॥

३. वाक् पारुष्यान्यून भृत्या स्वामी प्रबल दण्डतः ।

भृत्यं प्रशिक्षयेन्नित्यं शत्रुत्वमपमानतः ॥ ४१५ ॥

भृति दानेन सन्तुष्टा मानेन परिवर्धिताः ।

सान्तिवता मृदु वाचा ये न त्यजन्त्यधियं हि ये ॥ ४१६ ॥

अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ तु मध्यमाः ।

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥ ११७ ॥ (शुक्र० अ० २०)

लेख पत्रों की स्वीकृति— लेख पत्रों पर अन्तिम स्वीकृति राजा की ली जाती है, राजा को चाहिये कि वह हस्ताक्षर करते समय व्यय की जाँच पड़ताल कर लिखा करे। उस लेखपत्र पर प्राइविवाक, दूत और एडिट को, यह लिख कर कि “यह लेख अपने विरुद्ध नहीं है”, अपने हस्ताक्षर करने चाहिये। फिर अमात्य को उस पर लिखना चाहिये—“यह लेख ठीक लिखा है”। फिर सुमन्त्र उस पर लिखे—“इस पर ठीक तरह से विचार किया गया है”। तब प्रधान यह लिखे—“यह लेख सत्य और यथार्थ है”। फिर प्रतिनिधि लिखे—“यह स्वीकार करने योग्य है”। फिर युवराज और पुरोहित कमशः यह लिखें—“यह स्वीकार कर लिया जाय” और “यह लेख मुझे स्वीकृत है”। सब मन्त्रियों को हस्ताक्षर करने के साथ ही साथ अपनी मुद्रा भी अङ्कित कर देनी चाहिये। अन्त में राजा उस पर “स्वीकृत है” यह लिख कर अपनी मोहर करदे।

यदि युवराज आदि बहुत कार्य व्यग्र होने से स्वयं उस लेख पत्र को न देख सकें तो उस पर लिख दें—“इसे अमुक व्यक्ति को ठीक तरह से दिखा दिया गया है।” परन्तु मन्त्री को मोहर करके उस की ठीक २ जाँच पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिये। अगर राजा के पास समय न हो तो वह उस पर “देख लिया” यही लिख दे।^२

१. राजा स्वलेख्य चिन्हं तु यथाभिलिप्तं तथा ।
 लेखासुपूर्वं कुर्याद्वि दृष्ट्वा लेख्यं विचार्य हि ॥ ३६२ ॥
 मन्त्री च प्राइविवाकश्च परिडितो दूत संक्षकः ।
 स्वाविशुद्धुं लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं त्विमे ॥ ३६३ ॥
 ग्रमात्यः साधु लिखनमस्त्येत् प्राग्निखेदयम् ।
 सम्यग्विचारितमिति सुमन्त्रो विलिखेत् ततः ॥ ३६४ ॥
 सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत् स्वयम् ।
 ग्रन्थीकर्तुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिर्लिखेत् ॥ ३६५ ॥
 ग्रन्थीकर्तव्यमिति च युवराजो लिखेत् स्वयम् ।
 लेख्यं स्वाभिमतं चैतत् विलिखेच्च पुरोहितः ॥ ३६६ ॥
 स्व स्व मुद्रा चिन्हतं च लेखपात्रं कुर्यादेव हि ।
 ग्रन्थीकृतमिति लिखेन्मुद्रयेच्च ततो नृपः ॥ ३६७ ॥
२. कार्यान्तरस्याकुलत्वात् सम्यग् द्रष्टुं न शक्यते ।
 युवराजदिभिर्लेखं तदनेन च दर्शितम् ॥ ३६८ ॥
 समुद्रं विलिखेयुर्वै मन्त्रं मन्त्रिगणस्ततः ।
 राजा दृष्टमिति लिखेत् प्राक् सम्यग्दर्शनक्षमः ॥ ३६९ ॥ (शुक्र० अ० २०)

आध व्यय का लेखा— रजिस्टर में पहले आध लिखे और फिर व्यय; अथवा आधे पृष्ठ पर आध लिखे और आधे पर व्यय। इन आधे २ हिस्सों में जो जो संख्याएँ लिखी गई हैं, उनका योग दोनों के नीचे कर देना चाहिये। यथा सम्भव संख्याएँ एक दूसरे के नीचे ही लिखनी चाहियें। यदि राशियाँ अधिक हों तो उन्हें एक पंक्ती में भी लिखा जा सकता है।^१

सुगमता के लिये हम एक कलियत उदाहरण यहां देते हैं—

८ चैत्र शुक्ले २०७१ विक्रमाब्दे ।

राज कोशस्य आध व्यय लेखम् ।

आध	व्यय
३००००१ भौम करः दशार्ण देशीयः	२०००१ गजानां भास्त्रिक भौजनम्
४००००१ सौचीराणां सुपायनी कृतम्	२०००००१ कर्मचारिभ्यो वेतनम्
५०००००१ सामुद्रिक व्यापारिणां शुलकम्	२०००१ गज सेवकानाम्
६०००००१ कार्लकातातः	८०००१ अश्व सेवकानाम्
२०००००१ मद्रासतः	१६००००१ राजधानी सेवकानाम्
३०००००१ मुम्बापुरीतः	१००००००१ युद्ध सामग्री प्रेषणाथस्
५०७००००१ सर्वयोगः ।	५०००१ दुःखित दीने भौजनार्थम्
हः—	१३०७००००१ सर्व योगः ।
प्रधानः— मन्त्री—	युवराजः— राजा—
प्रतिनिधिः— पुरोहितः—	

१. आयमादौ लिखेत् सम्बूद्ध व्ययं पश्चात् वथागतम् ।

वामेवायं व्ययं दक्षे पत्र भागे च लिखयेत् ॥ ३७० ॥

यत्रोभौ व्यापक व्याप्तौ वामोर्द्व मागां ऋमात् ।

आधारादेय रूपौ वा कालार्थं गणितं हि तत् ॥ ३७१ ॥

आधोऽधश्च ऋमात् तत्र व्यापकं वामतो लिखेत् ।

व्याप्तानां मूल्य मानादि तत्पट्टत्यां सञ्चिवेशयेत् ॥ ३७२ ॥

ऋग्वेगानां तु गणितमधः पट्टयां प्रजायते ।

यत्रोभौ व्यापक व्याप्तौ व्यापकतयेन संस्थितौ ॥ ३७३ ॥


सजातीनां च लिखनं कुर्याच्च समुदायतः ।

यथा प्राप्तं तु लिखनमायन्त समुदायतः ॥ ३७५ ॥ (शुक्र० अ० २०)

इस से यह ज्ञात होता है कि किसी भी विभाग में राष्ट्रीय आषध्य करते हुए उस पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति आवश्यक होती थी, चाहे वह कोई भी विभाग क्वाँ न हो । प्रत्येक लेख पर सब मन्त्रियों की मोहरें भी लगाई जाती थीं । अनितम स्वीकृति राजा से ली जाती थी, यरन्तु यह स्वीकृति नाम भात्र की ही होती थी ।



* श्राठवाँ अध्याय *



समाज की आर्थिक दशा।



मनुष्य समाज में धनियों का सम्मान बहुत प्राचीन काल से चला आता है। आचार्य शुक्र से धन की यह महिमा छिपी नहीं हुई है। उन्होंने लिखा है— “धनियों के द्वार पर अच्छे २ गुणी लोग नौकरों की तरह खड़े रहते हैं। धनी मनुष्य के दोप भी लोगों को गुण प्रतीत होते हैं और निर्धनों के गुण भी दोप समझे जाते हैं। बहुत गरीब होने के कारण ही बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत से शहर छोड़ कर भाग गए हैं, बहुत से पहाड़ों में चले गए हैं, बहुतों ने आत्म-हत्या की है और बहुत से पागल और दास बन गए हैं।”

धन कमाने के उपाय— धन की उपर्युक्त महिमा अनुभव करते हुए आचार्य शुक्र ने कहा है— “मनुष्य को जिस किसी प्रकार भी धनवान् धनने का यत्न करना चाहिये। धन कमाने के ये आठ उपाय हैं— (१) विद्वत्ता के आधार पर कमाना-पढ़ाना आदि (२) राजकीय सेवाएँ (३) सेना में प्रविष्ट होकर कमाना (४) कृषि (५) रूपया उधार देकर उस पर सूद लेना (६) व्यापार-थोक या फुटकर (७) शिल्प और व्यवसाय, (८) भीख मांगना।”

१. तिष्ठन्ति सधन द्वारे गुणिनः किङ्करा इव ॥ १८२ ॥

दोपा अपि गुणायन्ते दोपायन्ते गुणा अपि ।

धनवतो निर्धनस्य निन्द्यते निर्धनोऽखिलै ॥ १८३ ॥

सुनिर्धनस्थं प्राप्यैके मरणं भेजिरे जनाः ।

ग्रामयैके चलायैके नाशायैके प्रवद्यतुः ।

उन्मादमेके पुष्पन्ति यान्त्यन्ये द्विपतां वशम् ।

दास्यमेके च गच्छन्ति परेपामर्थं हेतुना ॥ १८४ ॥

२. सुविद्यया सुसेवाभिः शौर्येण कृपिभिस्तथा ।

फौसीद वृद्धचो परेयेन कलाभिंश्च प्रतिग्रहैः ।

यथा कथा चापि वृत्या धनवान् स्यान्तथा चरेत् ॥ १८५ ॥

(शुक्रै० अ० ११)

इस सब उपायों की कुछ व्याख्या तथा आलोचना भी आचार्य शुक्र ने स्वयं ही कर दी है— “सरकारी नौकरी धन कमाने का अच्छा साधन है, परन्तु वह बहुत ही कठिन है, बुद्धिमान लोग ही उसे कर सकते हैं, साधारण लोगों के लिये वह तलवार की धारा के समान असाध्य है। पुरोहित का कार्य बहुत आसाम का है और उस से धन भी पर्याप्त मिलता है। कृषि, जो कि नदिनों पर निर्भर है, भी कमाई का उत्तम साधन है।^१ भूमि ही सब धनों का प्रारम्भिक स्रोत है, भूमि के लिये राजा भी अपने प्राण के देते हैं। धन और जीवन की रक्षा मनुष्य उपभोग के लिये करता है, परन्तु जिस मनुष्य ने भूमि की रक्षा नहीं की उसके धन और जीवन दोनों निरर्थक हैं।^२ आचार्य शुक्र की सम्मति में व्यापार विशेष लाभ कर नहीं है।^३ इस बात से विशेष आश्र्य नहीं होना चाहिये। एक और प्रकरण में आचार्य ने शुक्र ने व्यवहार को धनोपार्जन का एक उत्तम साधन बताया है और साथ ही व्यापारिक लंबों, श्रेणी और गणों का भी वर्णन किया है; इस से प्रतीत होता है कि उस समय व्यापार में खड़ी तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो चुकी होगी, साधारण लोगों के लिये व्यापार विशेष लाभ करन रहा होगा, इसी से उन्होंने व्यापार को विशेष लाभकर नहीं बताया। इस को अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि व्यापार अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में अनुत्पादक है ज्योंकि जब पुरोहित के कार्य को उत्पादक बताया गया है तब व्यापार को अनुत्पादक नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार शुक्रनीति के तीसरे अध्याय में सूद ऋण आदि की भी विस्तार से व्याख्या की गई है।

१. राजसेवां विना दुर्व्य विपुलं नैव जायते ।

राज सेवातिगहना बुद्धिमन्त्रिविना न सा ।

कर्तुं शक्या चेतरेण व्यतिधारेव सा सदा ॥ २७७ ॥

आधर्यादिकं कर्म कृत्वा या गृज्ञते भूतिः ।

सा किं महाधनायैत ?……… ॥ २७८ ॥

कृपिस्तु चोत्तमा वृत्तिर्या सर्विमातृका मता ।

मध्यमा वैश्य वृत्तिश्च शूद्र वृत्तिस्तु चाधमा ॥ २७४ ॥ (शुक्र० अ० ३.)

२. खनिः सर्वधनस्येयं देवदेत्यविमर्दिनी ।

भूम्यर्थं भूमि पतयः स्वात्मानं नाशयन्त्यवि ॥ १७९ ॥

उपभोगाय च धनं जीवितं येन रक्षितम् ।

न रक्षिता तु भूर्येन किं तस्य धनजौवितैः ॥ १८० ॥ (शुक्र० अ० १)

३. “वाणिज्यमलमेव किम् ? २७६ ॥ (शुक्र० अ० ३)

शिल्प और व्यापार — शुक्रनीति में अनेकों शिल्पों तथा व्यवसायों का वर्णन उपलब्ध होता है । इन सब का यहाँ विस्तार से वर्णन करना असम्भव है, हम संक्षेप से इन व्यवसायों के नाम ही दिना देंगे । लगभग ५० व्यवसाय ऐसे हैं जिन की सरकार को अत्यन्त आवश्यकता रहती है, अतः सरकार को इन व्यवसायों के करने वाले लोगों को उत्साह और सहायता देनी चाहिए । इन में (१) गायक, बजाने वाले, नाचने वाले, मसौलिय, चित्रकार आदि भी शामिल हैं । शेष में से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं (२) शिल्पी (इज्जतीयर), किला बनाने वाले, शहर का खाका बनाने वाले, वाग बनाने वाले तथा सड़कों बनाने वाले आदि (३) मशीनें बनाने वाले, तोपची, बड़ी र तोपें और घन्टूकें बनाने वाले तथा हल्की मशीनें, बालद, गोले, धाण, तलवार, धनुष, झाया, हथियार, औजार आदि बनाने वाले । (४) चुनार, जौहरी, रथ, और आभूषण बनाने वाले और बड़ई । (५) नाई, ओवी और भंगी । (६) डाकिये, दर्जी, समन ले जाने वाले, युद्ध में थेरेड बजाने वाले, खलसो, खानों में काम करने वाले, शिक्कारी, किरात और मुरम्मत फरने वाले । (७) जुलाहे, चमार, घर साफ करने वाले, सामान की सफाई करने वाले, गन्धी और कच्च बनाने वाले । अनाज साफ करने वाले, तम्बू लगाने वाले । (८) गायक और वेश्याएँ । इन सब को इन के कार्यों की महत्ता या लघुता के आधार पर इन्हें सरकार की ओर से नियुक्त करना चाहिये ।

१. ये चान्दे साधकास्ते च तथा विज्ञ विरचकाः ।

सुभृत्यास्ते उपि सन्ध्यार्वा नृपेणात्म हितोप्य च ॥ १८३ ॥

वैतालिकाः सुकृतयो येत्र दण्ड धराद्य ये ।

गिर्ष्यज्ञात्य कलापन्ती ये मदाप्युदकारिणः ॥ १८४ ॥

दुर्गुणा सूदका भागा नर्तका वहुरुपिणः ।

आराम कृत्रिमशन कारिणो दुर्ग कारिणः ॥ १८५ ॥

महानालिक यन्त्रस्य गोलैर्लद्वय विभेदिनः ।

जघुयन्त्रागतेय जूर्ण वायगोलाति कारणः ॥ १८६ ॥

अनेक यन्त्र गच्छात्य धनुष्टूणादि कारिकाः ।

स्वर्यस्त्राद्यलङ्कार घटका रथकारिणः ॥ १८७ ॥

पापाण घटका लोह कारा धातु विलोपकाः ।

फुम्भकाराः गौलियकात्य तत्त्वाणो मार्गकारकाः ॥ १८८ ॥

नापिता रजकाश्चैव वासिका मलहारिकाः ।

बार्तारागः सौधिकात्य राजचिन्हाग्र धारिणः ॥ १८९ ॥

भेरी पठह गोपुच्छ शहू वेश्यादि निष्ठवनैः ।

ये छूह रचका यातव्यपयनादि वोधकाः ॥ २०० ॥

कला—राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में विद्या और कला दोनों की उन्नति के लिये यत्न करे। विद्या किसी सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञान को कहते हैं और कला से अभिप्राय शिल्प का है। आचार्य शुक्र ने ६४ कलाओं का वर्णन किया है। इन में निम्न लिखित २३ कलाओं का सीधा उद्घम वेदों को माना गया है।

इन २३ में से ७ कलाएँ मनोरञ्जन के लिये हैं—नाचना, वाद्ययन्त्र बजाना, घट्ठ और आभूषणों से शरीर को सजाना, अनेक हाँव-भाव कर सकना, मालाएँ गूथना और लोगों को प्रसन्न कर सकना।^१ १० कलाओं का सम्बन्ध चिकित्सा और आशुर्वेद से हैं फूलों में से आसव निकालना आदि, चिकित्सा के लिये चीरा-फाड़ी (operations) करना, दवाइयों का पाक, आशुर्वदोक्त दवाइयों को बोना, धातु पत्थर आदि को जला कर उन की भस्में बनाना खाँड़ और गुड़ द्वारा ही सब वीमारियों का इलाज करना, धातुओं और औपधियों का गुणज्ञान, मिली हुई धातुओं को शुद्ध करना, एक धातु को देख कर उसकी पूरी रचना को परिचानना, भिन्न २ क्षार बनाना।^२ ५ कलाओं

नविका खनका व्याधाः किराता भारिका ग्रपि ।

शस्त्र सम्मार्जन करा जल धान्य प्रवाहिकाः ॥ २०१ ॥

आपणिकाश्च गणिका वाद्यजाया प्रजीविनः ।

तनुवायाः शालुनिकाश्चित्रकाराश्च चर्मकाः ॥ २०२ ॥

गृहसम्मार्जकाः पात्र धान्य वस्त्र प्रमार्जकाः ।

शथ्याविनानस्तर्त्त्वा कारकाः शासकाग्रपि ॥ २०३ ॥

हीनाल्प कर्मिणश्चैते योज्याः कार्यानुरूपतः ॥ २०४ ॥ (शुक्र० अ० ३)

१. हाव भावादि संयुक्तं नरनं तु कला स्मृता ।

अनेक वाद्य करणे ज्ञानं तद्वादने कला ॥ ६७ ॥

वस्त्रालङ्कार सन्धानं स्त्री पुरुषोश्च कलास्मृता ।

अनेक रूपाविभावाकृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ६८ ॥

शथ्यास्तरण संयोग पुष्पादि ग्रथनं कला ।

द्यूताद्यनेक क्रीड़ाभिः रञ्जनं तु कला स्मृता ॥ ६९ ॥

अनेकासन सन्धानैः रतेन्नर्ननं कला स्मृता ।

कला सप्तक मेतद्विग्रान्यर्वं समुदाहृतम् ॥ ७० ॥ (शुक्र० ४ iii)

२. मकरन्दास वादीनां मद्यादीनां कृतिः कला ।

शत्यं गूढाहृतौ ज्ञानं शिरावृणं व्यधेकला ॥ ७१ ॥

हिङ्गशादिं रस संयोगादन्नादि पचनं कला ।

धृत्तादि प्रसवारोप पालनादि कृतिः कला ॥ ७२ ॥

पापाण धात्वादिद्वित्स्तद्वस्मी करणं कला ।

धात्वदिजुविकारणं कृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ७४ ॥

धात्वौपर्धीनां संयोग क्रियाज्ञानं कला स्मृता ।

का सम्बन्ध सैनिक कार्यों से है— हथियारों को एक साथ उठाना और इकट्ठा छोड़ना, कदम मिलाते हुए चलना, मल्ल युद्ध, बाहु युद्ध, विगुल द्वारा संकेत करने का अभ्यास, व्यूह बनाना, हाथी सवारों और शुड़ सवारों का एक पंक्ती में तरोंके से युद्ध करना।^१ तन्त्रों के अनुसार भिन्न २ आसनों पर स्थित होकर तप करना भी कला है। परन्तु ये छहों कलाएं कला होते हुए भी शिल्प के कार्य नहीं हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य कलाएं ये हैं—मिट्टी, पत्थर या धातु के वर्तन बनाना, इन पर रोगन करना, चित्र आदि बनाना, तालाव, नहर और चौक आदि बनाना, बड़ी और छोटी घड़ियां तथा बाजे बनाना, कपड़ों को हलका, मध्यम या गाढ़े रंग से रंगना, पानी चायु या आग की शक्ति से कार्य लेना, नौका और रथ आदि बनाना, धागा और रस्सियां बनाना, भिन्न २ प्रकार से बुनना, मोतियों की पहचान करना और उन में छेद करना, सोना तथा अन्य धातुओं की परीक्षा करना, नकली सोना और नकली मोती बनाना, भिन्न २ धातुओं से आभूषण बनाना, चमड़े को नरम करना, पशुओं की खाल को उनके शरीर से जुदा करना, दूध दोहना, कपड़े सीना, तैरना, घर के वर्तन और सामान आदि साफ करना, कपड़े धोना, नाई का काम, तेल निकालना, खेतों करना और बाग लगाना, दूसरों को खुश करना, वांस आदि से टोकरे बुनना, शीघ्रे के वर्तन बनाना, पानी के नलके लगाना, लोहे के औजार बनाना, बोड़े हाथी और ऊंठों के हौदे बनाना, वज्रों को पालना, उन्हें खुश रखना, अपराधियों को चाबुक लगाना, वहुतसी भिन्न २ लिपियोंमें लिख सकना, और पान लगाना।^२

ये सब कुल मिला कर ६४ कलाएं हैं। इन में से अधिकांश शिल्प हैं और कुछ पेशे हैं।

धातु संकर्य पार्यक्य करणन्तु कला स्मृता ॥ ७५ ॥

संयोगापूर्व विज्ञानं धात्वादीनां कला स्मृता ।

ज्ञार निष्काशन ज्ञानं कलासंकर्तु तत् स्मृतम् ।

कला दशक मेतदि द्यायुर्वेदागुमेषु च ॥ ७५ ॥

१. शस्त्र संधान विक्रेपः पादादि न्यासतः कला ।

सन्ध्याघाताकृष्टि भेदैमल्लयुद्धं कला स्मृता ॥ ७६ ॥

कालाभि र्सचिते देशे यन्त्राद्यस्त्रनिपातनम् ।

वाद्य संकेततो व्यूह रचनादि कला स्मृता ॥ ७० ॥

गजाश्व रथ गत्या तु शुद्ध संयोजनं कला ।

कला पञ्चकमेताद्वि धनुर्वेदागमे स्थितम् ॥ ८१ ॥

२. मृत्तिका काट पापाण धातु भाल्डादि सत्क्रिया ।

पृथक् काला चतुष्कं तु चित्राद्यालेखनं कला ।

व्यवसायों में सदतन्त्रता — उपर्युक्त आठ पेशीों और ६४ कलाओं में पढ़ाने से लेकर चमार तक के सब कार्य अन्तर्गत हो जाते हैं। परन्तु इन कार्यों के लिए आचार्य शुक्र ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है कि अमुक वर्ण का व्यक्ति ही अमुक कार्य करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये अधिक अनुकूल सिद्ध हो वह वही कार्य करे। उदाहरणार्थ राजकर्मचारी बनने का कार्य उन लोगों को करना चाहिये जो दिमागों शक्ति में उन्नत हों, शासन करना जानते हों। इस प्रकरण

तड़ाग वापी प्रासाद समझूमि क्रिया कला ।

घटचाव्यनेक यन्त्राणां वाद्यानान्तु कृतिः कला ॥ ८४ ॥

हीन मध्यादि संयोग वर्णाद्यै रज्जनं कला ।

जल वायवग्नि संयोग निरोधैश्च क्रिया कला ॥ ८५ ॥

नौका रथादि यानानां कृतिज्ञानं कला स्मृता ।

सूत्रादि रज्जु करण विज्ञान्तु कला स्मृता ॥ ८६ ॥

अनेक तन्तु संयोगैः पट वन्ध्यः कला स्मृता ।

वेधादि सदसज्जनानं रत्नानञ्जु कला स्मृता ॥ ८७ ॥

स्वर्णादीनान्तु याथात्म्य विज्ञानञ्जु कला स्मृता ।

कृत्रिम स्वर्ण रत्नादि क्रिया ज्ञानं कला स्मृता ॥ ८८ ॥

स्वर्णाद्यलङ्घार कृतिः कलालेपादि सत्कृतिः ।

मार्दवादि क्रियाज्ञानं चर्मणान्तु कला स्मृता ॥ ८९ ॥

पशु चर्माङ्गु निर्हार क्रियाज्ञानं कला स्मृता ।

दुर्घ दोहादि विज्ञानं घृतानन्तन्तु कला स्मृता ॥ ९० ॥

सीधने कज्जुकादीनो विज्ञानन्तु कलात्मकम् ।

घाहादिभिश्च तरणं कला संज्ञं ज्यो स्मृतम् ॥ ९१ ॥

मार्जने गृह भाण्डादेविज्ञानन्तु कला स्मृता ।

वस्त्र सम्मार्जनश्चैव ज्ञुरकर्म कलैद्युभे ॥ ९२ ॥

तिलमांसादि स्नेहानां कला निष्कासने कृतिः ।

सीराद्याकर्षणे ज्ञानं वृक्षाद्यारोपणे कला ॥ ९३ ॥

मनोकूल सेवायाः कृतिः ज्ञानं कला स्मृता ।

वैष्णवत्रादि पात्राणां कृति ज्ञानं कलास्मृता ॥ ९४ ॥

काच पात्रादि करण विज्ञानन्तु कला स्मृता ।

संसेचनं संहरणं जलानां तु कला स्मृता ॥ ९५ ॥

लोहाभिसार शस्त्राख कृति ज्ञानं कला स्मृता ।

गजाश्व वृषभोष्ट्राणां पल्याणादि क्रिया कला ॥ ९६ ॥

शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे क्रीड़ने कला ।

सुयुक्त ताडन ज्ञानमपराधिजने कला ॥ ९७ ॥

नाना देशादि वर्णानां सुसम्यग् लेखने कला ।

ताम्बूल रचादि कृति विज्ञानन्तु कला स्मृता ॥ ९८ ॥

(शुक्र० अ० ४३५)

से यह भी नहीं प्रतीत होता कि किसी पेशे में खास लोगों को ही शामिल होने की व्यवस्था हो; अन्य लोग इच्छा करने पर भी उस में शामिल न हो सकें। अर्थात् उस किस्म की श्रेणी प्रथा (Gild system) का अभास, जिसे कि पाञ्चात्य अर्थ शाख़ा मध्ययुग का मानते हैं, इस प्रकरण में नहीं पाया जाता ।

संघों द्वारा उत्पत्ति— शुक्रनीति में स्पष्ट रूप से संगठित व्यवसायों की सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह की ज्वाइएट स्टौक कम्पनियों का वर्णन, जिन का मूल धन जमा करने के लिए हिस्से बेचे जाते हैं, दूसरे अध्याय में है। इन के लेख को “सामयिक पत्र” कहा जाता था— “हिस्सेदार लोग व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिये अपने २ हिस्सों का धन दे कर उस के लिये जो लेख पत्र लिखते हैं उन्हें सामयिक पत्र कहा जाता है।”^१ इस प्रकार का सम्मिलित उद्योग व्यापार व्यवसाय के लिये ही नहीं होता था, अन्य पेशों के लोग भी संघ बना कर अपना कार्य करते थे— “यह सम्मिलित उद्योग की प्रथा केवल व्यापारियों के लिये ही नहीं है, किसान लोग भी ऐसा ही किया करते हैं।”^२ “जो लोग सोना, अनाज, रस आदि बेचने के कार्य सम्मिलित उद्योग द्वारा करते हैं, उन्हें अपने अपने हिस्सों के अनुसार लाभ हुए हुए धन को बाँट लेना चाहिये।”^३ इसी तरह— “जो खुनारे संघ बना कर व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने कार्य के अनुसार लाभ का विभाग करना चाहिये।”^४

तस्कर संघों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। “उन लोगों के मुखिया को, जो लोग कि मिल कर मदल, मन्दिर या तालाब बनवाएँ, शैप सब से दुगना, लाभ मिलना चाहिये।”^५ इस मुखिया का अभिगाय कार्य का संचालन तथा संगठन करने वाले से है। यही नहीं, नाचने और गाने वालों के संघ भी हुआ करता थे। इन संघों पर भी वही नियम लागू होते थे जो

१. मेलवित्वा स्वधनांशांश् व्यवहाराय साधकाः ।

कुर्वन्ति तेष्यपत्रं यत् तत्र सामयिकं स्मृतम् ॥ ३१२ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. विजानां कर्यकाणामेप एव विधिः स्मृतः ॥ ३१५ ॥

३. ग्रयोगं कुर्वते ये तु हेम धान्य रसादिना ।

सम न्यूनाधिकैरंशैलाभस्तेषां तथाविधिः ॥ ३१३ ॥

४. हेम फारादयो यत् शिशुं सम्भूय कुर्वते ।

कार्यानुच्छपं निर्वेशं लभेरस्ते यथार्हतः ॥ ३०७ ॥ (शुक्र० अ० ४. v.)

५. हर्म्यं देवगृहं धापि वापिकोपस्कराणि च ।

सम्भूय कुर्वतां तेषां प्रसुखो द्वौपंशर्हति ॥ ३०८ ॥

कि अन्य व्यावसायिक संघों पर होते थे ।^१ इन संघों का आधार भूत सिद्धान्त यह था— “जो हिस्सेदार प्रत्येक हिस्से (share) की संघ द्वारा पहले से निश्चित बराबर, कम या अधिक मात्रा की नियत समय पर दें और संघ द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य भी कर दें उनको अपने २ हिस्से के अनुपात से आय का भाग मिलेगा ।”^२

श्रेणियाँ और उनके अधिकार— उपर्युक्त संघ के बल आर्थिक उद्देश्य से ही बने होते हैं, इन के सदस्यों में परस्पर के बीच आर्थिक सम्बन्ध ही होता है, अन्य वैयक्तिक मामलों में उनका संघ कोई दखल नहीं देता। परन्तु यही पेशेवार संघ अगर और अधिक संगठित हो जाय, अर्थात् संघके सदस्यों का परस्पर सामाजिक संगठन भी हो जाय, तब इन्हें ‘श्रेणी’ कहा जायगा। उपर्युक्त सभी पेशे वालों के संघ श्रेणी रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। एक श्रेणी के सदस्य, एक पेशे के व्यक्ति और एक पेशे वाले कई संघ दोनों ही हो सकते हैं। इन श्रेणियों के लिये हम “गिल्ड” शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। यूरोप के मध्यकालीन gilds से इन श्रेणियों की रचना की तुलना भी की जा सकती है।^३

तत्कालीन नियमों में इन श्रेणियों की सत्ता सरकार स्वीकार करती थी— “इन श्रेणी, पूर्ण और गणों के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद उठ खड़ा हो तो उस का निर्णय गवाहों, लिखित प्रमाणपत्रों तथा प्रचलित अधिकार से करना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति श्रेणी आदि से देश करता हो तो उसकी गवाही, उन के विरुद्ध मामलों में, नहीं सुननी चाहिये क्योंकि वह व्यक्ति देशवश सत्य नहीं कहेगा ।”^४

इन श्रेणियों का संगठन के बल आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य से ही नहीं होता था, इनको सरकार की ओर से कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। सरकार इनके उपनियमों को स्वीकार करती थी, आवश्यकता पड़ने पर पर उनकी प्रामाणिता का सम्मान करती थी। ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों को,

१. नर्तकानामैव धर्मः सद्विरेश उदाहृतः ।

तालज्ञो रभतेऽर्थाद्वृ गायकास्तु समांशिनः ॥ ३१० ॥

२. समो न्यूनोऽधिको धृशो योऽनुक्तिस्तत्त्वैव सः ।

व्ययं दद्यात् कर्म कुर्यात् लाभं गृह्णीत चैव हि ॥ ३१४ ॥

३. स्थावरेषु विवादेषु पूर्ण श्रेणिगणादिषु ।

.....सात्रिभिर्लिखिते नाथ भुक्त्या चैतांश्च प्रसाधयेत् ॥ २६५-६६ ॥

श्रेणिदिषु च वर्गेषु कस्त्रिच्छेद्वैश्यतामियांत् ।

तस्य तेभ्यो न साद्यं स्याद्वेष्टाः स्वर्य यते ॥ १३३ ॥

अपराध करने पर, थोड़ा वहुत दूरदूर भी दे सकती थीं। इस प्रकार इनकी सच्चा साम्राज्यान्तर्गत सामाजिकों के समान प्रतीत होती है।

इन श्रेणियों को दो राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। (१) अपने लिये उपनियम बनाना (२) अपने झगड़ों का स्वयं निर्णय करना— “न्यायाधीश को चाहिये कि वह न्याय करते हुए जाति, श्रेणी, नगर संघ आदि के उपनियमों को भी अवश्य ध्यान में रखें।”^१ “किसान, बर्डी, कारीगर, महाजन, गायक, तपसी और तस्करों की श्रेणियों को स्वयं अपने विवादों का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये।”^२ “वे कुल, श्रेणी और गण जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं, अपने सदस्यों के खून और छाके अंदि गुरुतर अपराधों को छोड़ कर अन्य मामलों का निर्णय स्वयं कर सकते हैं।”^३ कुलों का निर्णय सब से छोटी अदालत का निर्णय समझा जाता था, इस के बाद क्रमशः श्रेणी, गण और सरकारी न्यायालयों में अपील की जासकती थी।^४

कुल का अभिप्राय विराद्दरी से है। गण और पूर्ग एक ही संस्था के पर्याप्रवाची हैं। हमारी सम्पत्ति में गण ‘शहर के संघ’ (Municipality) को कहा जाता होगा। ये नगर संघ नागरिक झगड़ों का स्वयं निर्णय करते थे। इन के अधिकारों का थ्रेत्र नगर की सीमा तक सीमित होगा।

आवागमन के मार्ग — शुक्रनीति में सड़कों आदि का जो वर्णन है उस से प्रतीत होता है कि उस समय मार्गों की महता से सरकार अपरिचित नहीं थी। सड़कों का परिमाण उन के उपयोग और उन की राजनीतिक महत्ता के अनुसार रक्खा जाता था। राष्ट्र भर के प्रत्येक गांव और शहर को सड़कों द्वारा मिलाया हुआ था। इन सड़कों की रक्षा खूब अच्छी प्रकार की जाती थी। मार्गों पर डाका डालने वालों के लिए फाँसी के दरड का विधान है— “सरकार का कर्तव्य है कि यात्रियों के आराम के लिये सड़कों की रक्षा का पूर्ण प्रयत्न करे। जो रास्तों पर डाका डालें उन का वध कर देना चाहिये।”^५

१. जाति जानपदात् धर्माद् श्रेणिधर्मा स्तर्यैव च ।

समीद्वयं कुल धर्माद्य स्वधर्म प्रतिपालयेत् ॥ ४७ ॥

२. कीनाशः कार्यकाः शिरिपु कुसीदि श्रेणिनर्तका ।

लिङ्कृनस्तस्करा कुर्युः स्वेन धर्मेण निर्णयम् ॥ १८ ॥

३. राजा ये विदिता सम्यक् कुल श्रेणि गणादयः ।

साहसस्त्वेय वज्यर्यानि कुर्युः कार्यर्यणि ते नृकाम् ॥ ३० ॥

४. विचार्य श्रेणिभिः कार्यं गणैर्यज्ञं विचारितम् ।

गणैश्च श्रेण्यविचारं गणान्नात् नियुक्तकैः ॥ ३१ ॥ (हक्क० अ० ४ अ०)

५. मार्ग संचरणं कुर्यात् क्षया पान्यं सुखाय च ।

पान्यं प्रपीडिका ये ये हन्तव्यास्ते प्रयत्नतः ॥ ३१५ ॥

इन सङ्कों की प्रति वर्ष मुरम्मत कराई जाती थी— “सरकार को चाहिये कि वह सङ्कों पर प्रति वर्ष पत्थर कुटवा कर उनकी मुरम्मत करवाया करे । यह कार्य चोरों और कैदियों से करवाना चाहिये ।”^३ चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रकरण में भी कैदियों के लिये यही दरड कहा है ।^४

सङ्कों की मुरम्मत के लिये जो व्यय होता था, वह उन पर बलने वालों पर इसी उद्देश्य से कर लगा कर पूरा किया जाता था ।^५

सङ्कों चौड़ाई के अनुसार भिन्न २ प्रकार की होती थीं । इन के उद्देश्य भी भिन्न २ होते थे । “पद्य पगदण्डी को कहते हैं, यह ४२ फीट चौड़ी होती है । बीथी गाँव की गलियों को कहते हैं, यह ७२ फीट होती है । मार्ग साधारण रास्तों को कहते हैं, ये १५ फीट चौड़े होते हैं । ये तीनों मार्ग प्रत्येक गाँव में यथेष्ट होने चाहिये जिस से कि उसका सम्बन्ध राजधानी से से हो सके ।”^६ “इन के अतिरिक्त राज मार्ग—जो कि एक शहर को दूसरे शहर से मिलाते हैं—२५ फीट से ४५ फीट तक चौड़े होने चाहिये । राज-मार्गों का उद्देश्य सामान को इधर उधर ले जाना है, जहाँ आवश्यकता हो, चाहे शहर में और चाहे गाँव में, राज-मार्ग बनाने चाहिये । इन सब मार्गों का सम्बन्ध राजधानी से होना चाहिये ।”^७

“वीचि और पद्य ये दोनों गाँवों में ही होनी चाहिये; बड़े शहरों और राजधानी में नहीं ।”^८ “इन सङ्कों पर सरायें भी बहुतायत से होनी चाहिये ।

१. मार्गाङ्ग सुधा शर्करैर्वा घटिताङ् प्रतिवत्सरस् ।

अभियुक्त निरुद्धैर्वा कुर्यात् यात्य जनैर्नपः ॥ २६६ ॥ (शुक्र० अ० १)

२. मार्ग संस्कारये योज्याणां ॥ १०८ ॥

निगडैवत्ययित्वा तं योजयेन्मार्गं संस्कृतौ ॥ १५ ॥ (शुक्र० अ० ४ i.)

३. मार्गं संस्कार रक्षायं मार्गमेभ्यो हरते फलस् ॥ १५८ ॥ (शुक्र० अ० ४, ii.)

४. कर चयात्मिका पद्या वीथिः पञ्चकरात्मिका ।

मार्गो दश करः प्रोक्तो ग्रामेषु नगरेषु च ॥ २६२ ॥

प्राक् पश्चाद्विष्णोदकृ ताङ् ग्राममध्यात् प्रकल्पयेत् ।

पुरं दृष्ट्वा राजमार्गाङ्ग सुवह्मकल्पयेन्तृपः ॥ २६३ ॥

५. राजमार्गस्तु कतव्याश्तुर्दिक्षु नृपगृहात् ।

उत्तमो राजमार्गस्तु विशदुस्तमितो भवेत् ॥ २६० ॥

मध्यमो विशति करो दशपञ्चकरोधमः ।

परं यमार्गस्तथा चैते पुरग्रामादिषु स्थिताः ॥ २६१ ॥

६. न वीर्यं न च पद्यां हि राजधान्यां प्रकल्पयेत् ॥ २६४ ॥ (शुक्र० अ० १)

ये सरायें पानी के निकट और सुरक्षित स्थान पर हों, इन के कमरे एक घरावर और एक पंक्ती में हों।^१

सड़कों की बनावट— सड़कें खूब साफ रखी जाती थीं। इन्हें चीच में से कुछ ऊँचा और दोनों ओर को ढलवाँ बनाया जाता था ताकि इन पर पानी खड़ा न हो सके। जहाँ नाले आदि आते थे वहाँ पुल बनाये जाते थे। सड़कों के दोनों ओर नालियाँ होती थीं, ताकि उनके द्वारा सारा पानी निकल जाय। शहरों में सड़कों के पास जो मकान होते थे उन का मुँह सदैव सड़क की ओर ही होता था। और घरों के पिछवाड़े की ओर गलियाँ और गन्द निकलने की नालियाँ होती थीं।^२

इस प्रकार शुक नीति द्वारा सड़कों का बहुत उन्नत वर्णन प्राप्त होता है।

मारण्डयाँ— प्रत्येक शहर में सामान बेचने के लिये बाज़ार और मरिडयाँ होती थी। इनका विभाग क्रम से किया जाता था— “मरिडयों में टूकानें और गाँदाम अलग २ सामान के क्रम से बनाने चाहिये। सड़कों की दोनों तरफ से धन के क्रम से समान पेश वाले लोगों को बसाना चाहिये। यह प्रबन्ध शहर और गाँव दोनों में हों।”^३

दूर से आए हुए व्यापारियों को ठहराने का भी यथोचित उत्तम प्रबन्ध किया जाता था, इस का वर्णन हम भौतिक सभ्यता के प्रकरण में करेंगे।

पदार्थों का मूल्य तथा सुनाफा— पिछले अध्याय में हम शुक्र-नीति सारकालीन धातुओं का आपेक्षिक मूल्य बतला चुके हैं; परन्तु उस समय चाँदी या सोने की तुलनात्मक क्रय शक्ति क्या थी यह ठीक २ चता सकता बहुत कठिन है। तथापि शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में कुछ ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं जिन के आधार पर हम चत्तर्थों के तत्कालीन मूल्य

१. पन्थशाला नतः कार्या सुगुप्ता सुजलाशया ।

सञ्चातीय गृहाणां हि समुदायेन पंक्तिः ॥ २५७ ॥

२. कूर्म पृष्ठा मर्त्ता भूमिः कार्याः ग्राम्यैः सुखेतुका ।

कुर्यान्मार्गान् पार्श्वं खातान्निर्गमार्थं जलस्य च ॥ २६६ ॥

राजमार्गं सुखानि स्युः गृहाणि सकलान्यपि ।

गृहं पृष्ठे सदा वीथिमलं निर्दरणस्थलम् ॥ २६७ ॥

३. सजाति प्रणय निवहैरापणे पण्य वेशनस् ॥ २५८ ॥

धानिकादि क्षमेणैव राजमार्गस्य पार्श्वयोः ।

स्यं हि पत्तनं कुर्यात् ग्रामज्ञैष नराधिपः ॥ २५९ ॥ (शुक्र० अ० १)

को धर्तमान रूपयों की संख्या में जान सकते हैं। पदार्थों के मूल्य की यह तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दाम साधारण तथा उत्तम पदार्थों के भिन्न हैं। निम्नलिखित पशुओं का अधिकतम मूल्य इस से अधिक नहीं होना चाहिये।^१ इसका अभिप्राय यही है इन पशुओं का मूल्य उस समय लगभग इतना ही रहा करता होगा। यह स्वरण रखना चाहिये कि उस समय सोना और चाँदी के अपेक्षिक मूल्य का अनुपात एक और सोलह था।

साधारण पशु

नाम	मूल्य	आधुनिक रूपयों में
गाय	१ पल	८ रुपया
बकरी	२ "	४ "
भेड़	३ "	२ "
मैदा	१ "	८ "
हाथी	२५० से ५०० तक	२००० से ४००० तक
घोड़ा	" "	" "
ऊद	७ या ८	५६ या ६४
भैंस	"	"

१. सुशृङ्खवणा छुदुघा बहुदुग्धा सुवत्सवा ।

तदस्यस्या वा महती मूल्याधिक्याय गौर्भवेत् ॥ १५ ॥

पीतवत्सा प्रष्टुग्धा तच्छूल्यं राजतं पलम् ।

ग्रजायाद्य गवार्धं स्यात्मेष्या दूस्यमजार्धकम् ॥ १६ ॥

द्वाद्यस्य शुदुशीतस्य पलं मेषस्य राजतम् ।

देश वाटौ पलं मूल्यं राजतं तूत्तमं गवाम् ॥ १७ ॥

पलं मेष्या श्रवेश्वापि राजतं मूल्यमुत्तमम् ।

गवां समं सार्धगुणं महिष्या मूल्यमुत्तमम् ॥ १८ ॥

शुशृङ्खवणा वलिनो वोडुः शीघ्रगमस्य च ।

श्रृष्टालवृषस्यैव मूल्यं पष्टिपलं स्मृतम् ॥ १९ ॥

महिषस्योत्तमं मूल्यं सम चाटौ पशानि च ।

द्वित्रिचतुःसहस्रं वा मूल्यं श्रेष्ठं गजाश्वयोः ॥ २० ॥

उद्यस्य माहिषससं मूल्यमुत्तममीतिम् ॥ २१ ॥

योजनानां शतं गन्ता चैकेनाहाश्व उत्तमः ।

मूल्यं तस्य शुवण्णिना श्रेष्ठं पञ्च शतानि हि ॥ २२ ॥

जिं शद्योजनागन्ता वै उद्यं श्रेष्ठस्तु तस्य वै ।

पशानां तु शतं मूल्यं राजतं परिकीर्तिम् ॥ २३ ॥

बलेसोच्चेन युद्धेन मदेनाप्रतिमो राजः ।

यस्तस्य मूल्यं निष्काण्डं द्विसहस्रं प्रकीर्तिम् ॥ २४ ॥ (शुक्र० अ० ४. ५५.)

उत्तम पशु

नाम	मूल्य	आधुनिक रूपयों में
गाय	८ से १० पल	६४ से ८० रुपया
बकरी	१ "	८ "
मैड	१ "	८ "
मैस	८ से १५ "	३४ से १३० "
चैल	६० "	४८० "
सर्वोत्तम घोड़ा	५०० सुवर्ण	२००० "
" ऊँद्र	१०० पल	८०० "
" हाथी	२००० निष्क	६६६६ "

इस तालिका द्वारा हम तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पदार्थों के मूल्य की कल्पना बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। यद्यपि इस तालिका द्वारा चाँदी की तत्कालीन क्रय शक्ति उसकी वर्तमान क्रय शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रतीत होती है; तथापि वह मुगल कालीन भारत की अपेक्षा बहुत ही कम है। सम्राट् अकबर के समय इन पशुओं का मूल्य इस तालिका में वर्णित मूल्य की अपेक्षा बहुत कम था। इस का अभिप्राय यही है कि भारतवर्ष व्यावसायिक उन्नति की दृष्टि से शुक्रनीति के समय में मुगलकाल की अपेक्षा अधिक उन्नत था।

इसी प्रकार व्यापारियों के लाभ को भी नियन्त्रित करने का यत्न किया जाता था। “व्यापारियों को व्यवसाय में अपने व्यय का इ१ से लेकर इ५ तक (अर्थात् इ३ से इ८ प्रतिशत तक) लाभ लेना चाहिये। यह लाभ स्थानीय अवस्थाओं और लागत के दामों के अनुसार ही निश्चित होना चाहिये।”^१ स्थानीय अवस्थाओं का अभिप्राय आवागमन के व्यय, मरडी की भूमि का किराया और राजकर आदि से है। प्रतीत होता है कि शुक्रनीति में वर्णित पूर्वोक्त वस्तुओं के दाम यही लाभ मान कर निश्चित किए गए हैं।

मूल्य और दाम— “एक चीज़ के बनने में या प्राप्ति में उस पर जितना व्यय हुआ है वह उसका मूल्य है। एक वस्तु का दाम [मुख्यतया उसकी प्राप्ति में कष्ट तथा उसकी उपयोगिता के आधार पर ही निश्चित होता है।”^२

१. द्वार्तिशांशं योऽशांशं लाभं परये नियोजयेत् ।

नान्यथा तद्वय्युं चात्वा प्रदेशाद्यतुष्पतः ॥ ३२० ॥ (शुक्रो अ० ४. v.)

२. येन व्ययेन संचिद्दुस्तद् व्ययस्तस्य मूल्यकम् ॥ ३५६ ॥

सुलभासुलभत्वाच्चागुणत्वं गुणसंश्रयैः ।

यथा कामात् पद्यर्णनामर्थं हीनाधिकं भवेत् ॥ ३५७ ॥ (शुक्रो अ० ५)

इस का अभिप्राय यही है कि वस्तुओं के दाम उन पर हुए व्यय तथा उन की उपयोगिता के आधार पर बदलतं रहते हैं परन्तु सिक्कों तथा विनिमय मध्यम खानिजों—यथा हीरा—आदि के दामों में परिवर्तन नहीं आने देना चाहिये । अर्थात् जिस प्रकार अन्य पदार्थों के दामों में प्रतिदिन परिवर्तन आता रहता है, उस प्रकार सोना और चाँदी के सिक्कों के मूल्य में नहीं आना चाहिये । विशेषकर धातुओं का मूल्य गिरना तो व्यापार के लिये विशेष हानिकर है—“धातुओं और खनिजों के मूल्य में हीनता नहीं आनी चाहिये । इन की मूल्य-हानि सरकार के दोष से ही होती है ।”^१

मूल्य और दामों के सम्बन्ध में शुक्रनीति की यह उपर्युक्त स्थापना वर्तमान अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार भी पूर्ण और तथ्य है । इस प्रकरण में हम शुक्रनीति में चर्णित उपयोगिता पर आश्रित मूल्य के सिद्धान्त की ओर भी अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार मुख्यतया किसी वस्तु की उपयोगिता द्वारा ही उसका दाम निश्चित होता है—“किसी गुणहीन वस्तु का कोई दाम नहीं होता ।”^२ “किसी वस्तु के कम, अधिक या मध्यम दाम उस की उपयोगिता के आश्रय पर ही निश्चित होते हैं । उसकी यह उपयोगिता बुद्धिमानों द्वारा ही निश्चित की जाती है ।”^३ “जो वस्तुएँ बहुत अधिक उपयोगी और अत्यन्त दुर्लभ हैं उनके दाम उनकी माँग के अनुसार निश्चित होते हैं ।”^४

कृषि— भारत वर्ष की भूमि बहुत उपजाऊ होने से यह देश बहुत प्राचीन काल से कृषिप्रधान देश माना जाता है । यहां कृषि को सदैव आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है । आचार्य शुक्र ने व्यापार व्यवसाय की अपेक्षा कृषि को अधिक श्रेष्ठता दी है ।^५ धन कमाने का यह सर्वोत्तम उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने के लिए कृषि, व्यापार या नौकरी का आश्रय लेना चाहिये ।^६

१. न हीनं मणिधातूनां क्वचिज्ञ मूल्यं प्रकस्पयेत् ।

मूल्य हानिस्तु चैतेषां राज दौषेचन जायते ॥ ३४८ ॥ (शुक्र० अ० २.)

२. न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहारात्म स्त्य च ।

३. नीच मध्योत्तमत्वन्तु सर्वस्मिन् मूल्य कल्पने ।

चिन्तनीयं बुधैर्लोकाद् वस्तु जातस्य सर्वदा ॥ १०७ ॥

४. अत्यन्त रमणीयानां दुर्लभानां च कामतः ॥ ८३ ॥ (शुक्र० अ० ४. ii.)

५. कृषिस्तु चोत्तमावृतिर्या सरिन्मातृका मता ॥ २७४ ॥ (शुक्र० अ० ३)

६. कौसीद वृद्धया परयेन कलाभिष्ठ प्रतिग्रहेः ।

यथा कथा चापि वृत्या धनवान्मस्यात्तथाचरेत् ॥ १८१ ॥ शुक्र० अ० ३)

सरकार को चाहिये कि वह राष्ट्र के व्यवसाय तथा कृषि दोनों की वृद्धि के लिए शिलिपयों तथा कृषकों को आवश्यकतानुसार सहायता दे, उन्हें इन कार्यों में अपनी ओर से नियुक्त करे ।^१ कृषकों और जमींदारों के संघों का वर्णन हम विछले अध्यायों में कर चुके हैं, इन संघों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त थे । उन दिनों जिस प्रकार व्यवसाय में सम्मिलित उद्योग किया जाता था, उसी प्रकार कृषि में भी कंरने की प्रथा थी, इस के लिये उचाइन्ट स्टौक कम्पनियां बना करती थीं । उन दिनों भारतवर्ष के ग्रामों और नगरों में सातीय खराक्य प्रथा प्रचलित थी । इन ग्राम संघों में प्रायः कृषकों की अधिकता रहती थी, इस कारण कृषिकार्य दूबासमान दूर्घ कार्य समझा जाता था । कृषि में क्षियां भी अपने पतियों की सहायता करती थीं ।^२


सरकार कृषकों से भूमिकर लेती थी । भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार इस कर की दर भिन्न २ होती थी । आवार्य शुक्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार को भूमिकर उसी अवस्था में लेना चाहिये जब कि कृषकों को कृषि से पर्याप्त लाभ हो रहा हो । भूमिकर के रेट हम सातवें अध्याय में दे चुके हैं, ये रेट बहुत अधिक नहीं हैं, इस कारण हम सुगमता से अनुमान कर सकते हैं कि उस समय के कृषक बहुत आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते होंगे ।

१. कार्ह शिलिप गणन राष्ट्र रेत कार्यनुसारतः ।

अधिकारू कृषि कृत्ये वा भूत्य वर्गे नियोजयेत् ॥ ४१ ॥

२. शुक्र० अ० ४ ७. श्लोक १८

३. कृषि परियादि पुढ़कृत्ये भवेयुस्ताः प्रसाधिकाः ॥ २६ ॥ (शुक्र० अ० ४ ७.)



* नौवाँ अध्याय *

— शुक्रनीतिसार —

भौतिक सम्यता और धर्म.

यद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से शुक्रनीतिसार काल को 'आदर्श काल' कहने का साहस नहीं किया जा सकता, तथापि हम यह स्थापना बड़ी हृदयता से कर सकते हैं कि शुक्रनीति के आधार पर ज्ञात होने वाली भारतवर्ष की पुरानी भौतिक सम्यता वर्तमान वृद्धिशक्ति के भारतवर्ष की भौतिक अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक उच्चत है। इस अध्याय में हमें शुक्रनीति के आधार पर फुटकर प्रमाण देकर अपनी यह स्थापना पुष्ट करने का यत्न करेंगे।

जंगलात— आचार्य शुक्र जंगलों की महत्ता से भली प्रकार परिचित थे; उन्होंने राष्ट्र के अन्य विभागों में जंगलात को भी एक पृथक् विभाग स्वीकार किया है, इस विभाग का अध्यक्ष अमात्य होता था। अमात्य जंगलों से सबन्ध रखने वाले सब अंक अपने पास रखता करता था।^१ इन सरकारी बन्द जंगलों द्वारा भी सरकार को अच्छी आय हुआ करती थी।

आचार्य शुक्र ने जंगलों के चार मुख्य उपयोग बताए हैं— १. मनुष्य जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया जा सकता है, इन में तृतीय आश्रम 'वानप्रस्थ' जंगलों में ही व्यतीत करना चाहिये।^२ २. राजा के शिकार के लिये कुछ जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिये। शिकार करते हुए राजा को भयंकर पशुओं का ही बध करना चाहिये।^३ ३. जंगल सैनिक कार्यों के लिये बहुत उपयोगी हैं। जंगलों द्वारा यह कार्य दो प्रकार से किया जाता है, वनदुर्ग बना कर और वन्य सेना का प्रबन्ध करके। वन दुर्ग को शुक्रनीति

१. पुराणि च कति ग्रामा अरण्यानि च सन्ति हि ॥ १०२ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. (शुक्र० अ० ४. ii. १ से ३.)

३. व्याग्रादिभिर्वनचरैः मयूराद्यैश्च पञ्चिभिः ।

क्रीडयेत् मृगयां कुर्यात् दुष्ट सत्वान्निपातयन् ॥ ३३१ ॥ (शुक्र० अ० १.)

में सर्व श्रेष्ठ किलों में गिना गया है । , बन में रहने वाली सेना को 'किरात' नाम से कहा गया है । प्राचीन युद्धों में शत्रुराष्ट्र के जंगलों में आग लगा कर उन्हें तड़ा करने का यत्त किया जाता था । "किरात सेना" ऐसे समयों में जंगलों की रक्षा करती थी । ^२ ४. जंगलों का औथा उपयोग राष्ट्रीय आय में है । जंगलों से शहतीर, जलाने की लकड़ी, घास, वाँस आदिकी प्राप्ति होती है । सरकार इन सब वस्तुओं के टेके दिया करती थी । इन टेकेदारों को जो आय होती थी, उस पर भिन्न २ अनुपात से आय कर लगता था । इस आय कर का अनुग्रात हम राष्ट्रीय आय के प्रकरण में लिख चुके हैं ।

इन जंगलों में आवश्यकतानुसार भिन्न २ किसों के वृक्ष, पौधे और झाड़ियाँ बोई जाया करती थीं । यह कार्य करने के लिये सरकार निपुण व्यक्तियों को नियुक्त करती थी । जंगलों में कटेदार वृक्ष बोए जाते थे और शहरों के निकट फलों के वृक्ष छाया के लिये लगाए जाते थे । ^३ इसी प्रकरण में चीसों प्रकार के फलों के नाम भी गिनाए गए हैं ।

इस प्रकरण में यह बता देना भी आवश्यक होगा कि शुक्राचार्य ने अपने अन्य में आयुवदीय बनस्पतियों की उत्पत्ति की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है । उनका कहना है कि संसार में ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो किसी दवाई के काम न आसके । ^४ उन्होंने बनस्पतियों के जो आयुर्वेदीय प्रयोग बताए हैं उन्हें हम प्रकरणान्तर होने से यहाँ नहीं दे सकते ।

तोल और परिमाण—शुक्रनीति में एक रक्ती से लेकर एक टन तक के समान वाटों का वर्णन है । ये तोल निम्न लिखित हैं—

१. महा कण्टक वृक्षीधैः व्याप्तं तद्वन्दुर्गमम् ॥ ३ ॥ (शुक्र० अ० ४. vi.)

२. तृणाञ्च जलं संभारा ये चान्ये शत्रुपोषकाः ।

सभ्यद् निरुद्ध ताङ् यत्रात् परित्थिरमासनात् ॥ २८६ ॥

(शुक्र० अ० ४. vii.)

३. शुक्रनीति अ० ४ vi. ४४ से ५०:

४. अमन्त्रं अक्षरं नास्ति नास्ति मूर्लं अनौपधम् ।

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ॥ १२६ ॥ (शुक्र० अ० २.)

५. गुज्जा माप्रस्तथा कर्षः पदार्थः प्रस्थ एव हि ।

यथोक्तरा दश गुणाः पञ्च प्रस्थस्य चढ़काः ॥ ३८५ ॥

ततश्चाद्वादकः प्रोक्तो द्व्यमण्डते तु विश्वतिः ।

खारिका स्पान्निद्यते तद् देशे, देशे प्रमाणकम् ॥ ३८६ ॥ (शुक्र० अ० २.)

परिमाण			वर्तमान पैमाने में	
१ शुज्ज	१ रक्ती
१० शुज्ज = १ माघ	१० "
१० माघ = १ कर्ष	१ तोला ४	"
१० कर्ष = १ पदार्ध	...	२ छट्टांक	४०	"
१० पदार्ध = १ प्रस्थ	...	१ सेर ४ "	४ "	१६ "
५ प्रस्थ = १ आढ़क	५ "	८ " ८ "	८०	"
८ आढ़क = १ अर्मण	१ मन १२ "	१ "	१ "	६४ "
२० अर्मण = १ स्वरिका	२६ "	१ ", १२ "	३ "	७२ "
			(लगभग १ टन)	

एक चार अड्डुल चौड़े, चार अड्डुल लम्बे और पांच अड्डुल गहरे वर्तमान में जितना पानी आता है उसे एक प्रस्थ परिमाण कहते हैं ।

आचार्य शुक्र ने दो नाप प्रमाणिक माने हैं एक प्रजापति का नाप और दूसरा मनुष्यका ॥ ये दोनों नाप इस प्रकार हैं—

प्रजापति	मनु	पैमाने
(क) ८ यव	५ यव	१ अंगुल
२४ अंगुल	२४ अंगुल	१ हाथ
४ हाथ	५ हाथ	१ दण्ड
अतः ७६८ यव	६०० यव	१ दण्ड

१. पञ्चाङ्गगुलाष्ठं पात्रं चतुरड्गुल विस्तृतम् ।

प्रस्थ पादं तु तज्ज्ञेयं परिमाणे सदा बुधैः ॥ ३८७ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. करैः पञ्च सहस्रैर्द्वा क्रोशः प्रोक्ताः प्रजापतेः ।

हस्तैश्चतुरसहस्रैर्वा मनोः क्रोशस्य विस्तरः ॥ १८४ ॥

षार्थ द्विकोटि हस्तैश्च क्षेत्रं क्रोशस्य ब्रह्मणः ।

पञ्चविंशतिनैः प्रोक्तं क्षेत्रस्तद्विनिवर्तनम् ॥ १८५ ॥

संध्यमासध्यम पर्वं द्वैर्यं यच्च तदड्गुलम् ।

यवोदरैरप्यभिस्तद्वैर्धं स्थौल्यन्तु पञ्चभिः ॥ १८६ ॥

चतुर्विंशत्यड्गुलैस्तै प्राजापत्यः करः स्मृतः ।

स श्रीष्टो भूमिमाने तु तदन्यास्त्वधमा मताः ॥ १८७ ॥

चतुः करात्मको दण्डो लघुः पञ्च करात्मकः ।

तदड्गुलं पञ्च यवै मानवं मानमेव तत् ॥ १८८ ॥

षष्ठु परमुनि संख्याकैयवै दण्डः प्रजापतेः ।

यवोदरैः पद्म शतैस्तु मानवो दण्ड उच्यते ॥ १८९ ॥

प्रजापति		मनु		पैसाना
(स) ५००० हाथ	...	४००० हाथ	=	१ कोश
अतः ५००० × ५०००	...	४००० × ४०००		
अर्थात्		अर्थात्		
२५००० ००० वर्ग हाथ	...	१६००० ००० वर्ग०	=	१ वर्ग कोश
(ग) २५०० परिवर्तन	=	१ वर्ग कोश
अतः १०००० वर्ग हाथ	=	१ परिं क्षेत्र फल
अतः १०० हाथ	=	परिं की एक भुजा
(घ) २५ दण्ड	...	२५ दण्ड	=	१ निवर्तन
अतः २५ × ७६८ यव {	...	२५ × ६०० यव {	=	१ निवर्तन
अर्थात् १६२०० } ...		१५०० यव } =		
अथवा २५ × ४ = १०० हाथ		२५ × ५ = १२५ हाथ	=	१ निवर्तन
इसी प्रकार २५ × ४ × २४ अंगुल { २५ × ५ × २४ अंगुल } = १ निवर्तन				
= २४०० अंगुल } = ३००० अंगुल } =				
" २५ × ४ × २४ × ८ { २५ × ५ × २४ × ५ यव } = १ निवर्तन				
१६२०० यव } १५००० यव }				

पञ्चविंशतिभिर्दर्शैर्भयोस्तु निवर्तनम् ।
 विश्वच्छतैरंगुलैर्यैष्ट्रिं पञ्चसहस्रकौः ॥ २०० ॥
 सपाद शत हस्तैश्च मानवन्तु निवर्तनम् ।
 जन विश्वति साहच्चैर्द्विंशतैश्च यवोदरैः ॥ २०१ ॥
 चतुर्विंश शतैरेव हांगुलैश्च निवर्तनम् ।
 प्राजापत्यन्तु कथितं शतैरचैव वारैः सदा ॥ २०२ ॥
 सपाद पट शता दण्डा उभयोश्च निवर्तने ।
 निवर्तनान्यपि सदोभयोर्कैं पञ्च विश्वतिः ॥ २०३ ॥
 पञ्च समति साहस्रैरङ्गुलैः परिवर्तनम् ।
 मानवं शटि साहस्रैः प्राजापत्यं तथाङ्गुलैः ॥ २०४ ॥
 पञ्चविंशाधिकैर्हस्तैरेकतिंश्चतैर्मनोः ।
 परिवर्तनमाल्यातं पञ्चविंशशतैः करैः ॥ २०५ ॥
 प्राजापत्यं पाद हीनं चतुर्लक्ष्य यदैमनोः ।
 अशीत्यधिक साहस्र चतुर्लक्ष्य यवैः परम् ॥ २०६ ॥
 निवर्तनानि द्वायिंशन्मनुमानेन तस्य वै ।
 सपुः सहस्र हस्ताः स्युर्दस्त्राशाए शतानि हि ॥ २०७ ॥

(ड़)	25×25 वर्ग दरड़ २ = 625 वर्ग दरड़	5×25 वर्ग दरड़ = 125 वर्ग दरड़	१ निवर्तन का क्षेत्र फल
	625×4 = 2500 हाथ	125×4 = 500 हाथ	१ परिवर्तन का क्षेत्र फल
अतः	2500×24 अंगुल = 60000 अंगुल	500×24 = 12000 अंगुल	१ परिवर्तन या १ निवर्तन का क्षेत्र फल
	60000×8 यव = 480000 यव	12000×5 यव = 60000 यव	" "
(च)	१०० हाथ	१२५ हाथ 125×32 हाथ = 4000 हाथ	१ निवर्तन ३२ निवर्तन
		$\frac{4000}{5} 800$ दरड = ३३ निवर्तन	

राजधानी— समय नगरों का निर्माण जिस ढंग से होता था, वह तत्कालीन भारत के लिये गौरव की वस्तु है। भारतवर्ष के प्राचीन नगरों के जो अवशेष आज उपलब्ध होते हैं वे प्रायः मुगलकालीन हैं; रात दिन किसी बाह्य आक्रमण की आशंका से भयभीत रहने के कारण ये नगर बहुत संकुचित और भट्टे रूप में बसाये गये हैं। परन्तु शुक्रनीति के आधार पर नगर निर्माण का जो ढंग ज्ञात होता है उस के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय भारतवर्ष की भौतिक सभ्यता बहुत उन्नत अवस्था तक पहुँच चुकी थी।

आचार्य शुक्र ने विस्तार से राजधानी का जो खाका खींचा है, उसके आधार पर हम तत्कालीन नगरनिर्माण कला का अनुमान सुगमता से कर सकते हैं। राजधानी का स्थान ऐसा होना चाहिये—“जो स्थान बहुत उपजाऊ और जल पूर्ण हो, जिस पर अच्छे बाग लगाए जा सकें, जहां लकड़ी आदि सुगमता से प्राप्त हो सके, जो स्थान किसी ऐसी नदी के निकट हो जिस से कि

पञ्चविंशतिभिर्दण्डैर्भुजः स्यात् परिवर्तने ।

करैरयुत संख्याकैः क्षेत्रं तस्य प्रकीर्तिम् ॥ २०८ ॥

चतुर्भुजैः समं प्रोक्तं कष्ट भू परिवर्तम् ॥ २०९ ॥ (शुक्र अ० ४)

सुमुद्र में जाया जा सके, जिससे पर्वत चहुत दूर न हो, जो सुन्दर और समतल हो, ऐसे साँत पर राजधानी बनानी चाहिये । ”^१

राजधानी का चित्र यह होना चाहिये—“वह आधे चांद के समानगोलाई लिये हुए हो, अथवा चौकोन हो; उस के चारों ओर भोटी दीवार और खाई होनी चाहिये । वह अनेक भागों में विभक्त हो । राजधानी के मध्य में राजसभा भवन होना चाहिये । इस में पर्याप्त मीत्रा में कूरं, तालाव और वाचड़ियाँ होनी चाहियें । राजधानी में सड़कें, उद्यान, उपवन, नलकै आदि यथेष्ट परिमाण में हों; यात्रियों के लिये धर्मशालाएं तथा सरायें भी होनी चाहियें । राजसभा भवन के चारों ओर राजमहल होने चाहियें, गौ, घोड़े और हाथियों के रहने के लिये अलग स्थान होना चाहिये । महल चतुर्भुज न हो कर पञ्चभुज, सप्तभुज आदि होने चाहिये, केवल साधारण कमरे और साधारण मकान ही चतुर्भुज होने चाहिये; राजमहलों के चारों ओर सुदृढ़ दीवार हो, जिस की प्रत्येक दिशा में एक एक फाटक हो । यह दीवार सुदृढ़ मशीनों (तोपों) से सुरक्षित हो; इस के अन्दर तीन घड़े आंगन होने चाहियें । फाटकों पर रात दिन पहरा रहना चाहिये । ”^२

१. नाना वृत्तलताकीर्णं पशु पक्षिगणावृते ।

सुघूदकधान्ये च तैर्णकाए मुखे सदा ॥ २१३ ॥

धासिन्पु नौगमाकूले नातिद्वूर महीधरे ।

सुरस्य सम भूदेशो राजधानीं प्रकल्पयेत् ॥ २१४ ॥

२. अर्धचन्द्रां वर्तुलां वा चतुरप्त्रां सुशोभन्तम् ।

सप्राकारां सपरिखां ग्रामादीनां निवेशिनीम् ॥ २१५ ॥

सभामध्यां कूपवापी तडागादि युतां सदा ।

चतुर्दिन्द्वु चतुर्द्वारां सुमार्गाराम वीथिकाम् ॥ २१६ ॥

द्वृढ़सुरालय मठ पाञ्चशाला विराजिताम् ।

कल्पयित्वा वसेत् तत्र सुगुप्तः सप्रजो चृषः ॥ २१७ ॥

राजगृहं सभामध्यं गवाश्वगज शालिकम् ।

प्रशस्तवापी कूदादि जलयन्त्रैः सुशोभितम् ॥ २१८ ॥

सर्वतः स्थात् समभुजं दक्षिणोच्चसुदृगतम् ।

शालां विना नैकमुजं तथा विषम वाहुकम् ॥ २१९ ॥

प्रायः शालो नैकमुजा चतुः शालं विना शुभा ।

शब्दान्नधारि संयुक्त प्राकारं सुपुर्णवकम् ॥ २२० ॥

सत्रिकक्ष चतुर्द्वारं चतुर्दिन्द्वु सुशोभितम् ।

दिवारात्रौ सशक्तात्रैः प्रतिक्रासु गोपितम् ॥ २२१ ॥ (शुक्र० अ० १)

राजनिवास का क्रम इस प्रकार होना चाहिये—“पूर्व की ओर राजा का स्नानगार, पाकशाला, भोजनालय, उपासना गृह और कपड़े धोने के भवन होने चाहियें । दक्षिण की ओर शयनगार, पानागार, विहार भवन, रोदनगृह, भण्डार और परिचारक गणों के कमरे होने चाहियें, पश्चिम की ओर राजकीय एशुशाला, गोशाला, हस्तिशाला, मृगशाला आदि होनी चाहिये और उत्तर की ओर शब्दागार, व्यायामशाला, बुड़साल, रथ आदि रखने के कमरे, पुस्तकालय, अन्वेशण विभाग के भवन और रक्षकों की बैरकें होनी चाहियें । ये भवन राजा की, इच्छानुसार बनने चाहियें । राजनिवास के उत्तर की ओर राजा की शिल्पशाला होनी चाहिये ।”^१

भवन निर्माण— एक भवन (Hall) की दीवार की ऊँचाई उस की लम्बाई की अपेक्षा तृँया या इस से अधिक हो । भवन की चौड़ाई उस की लम्बाई का तृँया या इस से अधिक हो । यह परिमाण एक तल्ला मकानों के लिये ही है, दुमध्यले मकानों का अनुपान इस से भिन्न होना चाहिये । एक भवन के कमरों को एक दूसरे से जुदा करने के लिये दीवारों या खम्बों से काम लेना चाहिये । एक घर में तीन, पांच, या सात कमरे होने चाहिये । साधारणतया मकानों के फर्श की ऊँचाई मकान की कुल ऊँचाई से तृँया हो । पास के घरों की खिड़कियां आमने सामने नहीं होनी चाहियें । खपरैल से बनी हुई छतें बीच में से ऊँची होनी चाहियें ताकि उन पर पानी न खड़ा हो सके । कमरे की छत और फर्श कमज़ोर या झुके हुए न हों ॥^२

१. वस्त्रादि मार्जनार्थं च स्नानार्थं यजनार्थकम् ।

भोजनार्थञ्च पाकार्थं पूर्वस्थां कल्पयेत् गृहाङ् ॥ २२३ ॥

निद्रार्थञ्च विहारार्थं मानार्थं रोदनार्थकम् ।

धान्यार्थं घरठाद्यर्थं दासी दासार्थमेव च ॥ २२४ ॥

उत्सर्गार्थं गृहाङ् कुर्याद्विज्ञास्यामनुक्रमात् ।

गोमृगोष्ठे गजावर्थं गृहाङ् प्रत्यक् प्रकल्पयेत् ॥ २२५ ॥

रथवाज्यञ्च शशार्थं व्यायामायामिकार्थकम् ।

वस्त्रार्थकन्तु द्रव्यार्थं विद्याभ्यासार्थं मेव च ॥ २२६ ॥

धर्माधिकरणं शिल्पशालां कुर्यात् उदाग गृहात् ।

२. पञ्चमांशाधिकच्छ्राया भित्तिविस्तारतो गृहे ॥ २२८ ॥

कोष्ट विस्तार षष्ठांश स्थूला सा च प्रकीर्तिता ।

एकमूमेरिदं मानं जर्ध्वमूर्ध्वं समन्ततः ॥ २२९ ॥

स्तम्भैश्चभृत्तिभिर्विष्पि पृथक्षोटानि संन्यसेत् ।

विष्पोषं पञ्च कोष्टं वा स्तम्भैश्च गृहं स्मृतम् ॥ २३० ॥

सभा भवन—राष्ट्र की समस्याओं तथा शासन प्रबन्ध के मामलों पर विचार करने के लिये 'सभा भवन' बनाया जाता था । राजसभा तथा मन्त्री पंचिपद की बैठकें इसी भवन में होती थीं ।^१ यह भवन बहुत सुन्दर और खूब विस्तार वाला होता था—“सभा भवन के कमरों की दीवारों में यथेष्ट दरवाजे और लिङ्कियां होनी चाहिये । मध्य के कमरे (Hall) की चौड़ाई पास के कमरों की चौड़ाई से हुगनी होनी चाहिये । भवन की ऊँचाई उस की चौड़ाई का $\frac{1}{2}$ था इस से अधिक होनी चाहिये । दीच का घड़ा कमरा एक तल्हा और दोनों भुजाओं के कमरे दो तल्हे होने चाहियें । सभा भवन खूब सुन्दर हो, इस के अन्दर उत्तम २ स्तम्भ और बाहर यथेष्ट सड़कें होनी चाहिये । सभा भवन में फलारे, बाद्य यन्त्र, बड़े २ पंखे, कूकै, दर्पण और चित्र लगे होने चाहिये ।”^२

“सभा भवन के पूर्व और उत्तर में मन्त्रियों, लेखकों, सभा के सदस्यों और अधिकारियों के रहने का प्रबन्ध हो । इसी ओर काफ़ी अन्तर छोड़ कर सेना के निवास स्थान होने चाहिये ।”^३

सराये—शुक्रनीति के अनुसार आवागमन के लिये सभी आचरणक प्रबन्ध करना राष्ट्र का कार्य है । अतः आचार्य शुक्र ने जहाँ सड़कों के सम्बन्ध में

द्वारार्थ अष्टुधा भक्तं द्वारस्याशौ तु मध्यमौ ॥ २३१ ॥

गृहपीठं चतुर्थं शुच्छ्रायस्य प्रकल्पयेत् ॥ २३४ ॥

विस्तारार्धं य मध्योद्धा छटिः खर्पर सम्भवा ।

पतितं तु जलं तस्यां सुखं गच्छति वाय्यथः ॥ २३५ ॥

हीना निम्ना छदिन्द स्यात् ताहूक् कोष्टस्य विस्तरः ॥ २३७ ॥ (शुक्र० अ० १)

१. एवं विधा राजसभा मन्दिरार्था कार्य दर्शने ॥ २५० ॥

२. परितः प्रतिकोष्टे तु धातायत विराजिता ।

यार्थं कोष्टात् तु द्विगुणो मध्य कोष्टस्य विस्तरः ॥ २४५ ॥

पञ्चमांशाधिकं तूचं मध्य कोष्टस्य विस्तरात् ।

विस्तारेण समं तूच्चं पञ्चमांशाधिकं तु वा ॥ २४६ ॥

कोटकानाञ्च भूमिर्वा छदिर्वा तत्र कारयेत् ।

द्विभूमिके पार्श्वं कोष्टे मध्यमं त्वेकभूमिकम् ॥ २४७ ॥

पृथक्स्तम्भान्तसन्तकोष्टा चतुर्मार्गार्गमा शुभा ।

जलोद्धर्व पाति यन्त्रैष्य युता सुस्वर यन्त्रकैः ॥ २४८ ॥

वातप्रेरक यन्त्रैष्य यन्त्रैः कालप्रवोधकैः ।

प्रतिष्ठिता च स्वादशैस्तथा च प्रतिष्ठपकैः ॥ २४९ ॥

(३०. तथा विधामात्यलेख सभ्यधिकृत शालिका ॥ २४० ॥)

कतव्याश्च पृथक् त्वेतात्प्रदर्शनं पृथक् पृथक् ।

उद्ग द्विशत दस्तां प्रज्ञसेता सदेशनार्थिकाम् ॥ २५१ ॥ (शुक्र० अ० १)

खूब विस्तार से निर्देश दिए हैं वहाँ यात्रियों के आराम के लिये निवास स्थानों के प्रबन्ध का वर्णन भी किया है। इन सरायों का निरीक्षण करना नगर तथा ग्राम के अधिकारियों का आवश्यक कर्तव्य होता था। यह निरीक्षण राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टियों से किया जाता था—“प्रत्येक नगर में एक एक सराय होनी चाहिये। ग्राम के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन सराय का स्थयं निरीक्षण करें। जब सराय में कोई यात्री आए तो सराय के प्रबन्धकर्ता को उस से निम्नलिखित प्रश्न करने चाहिए—तुम कहाँ से और किस उद्देश्य से आए हो ? तुम ने कहाँ जाना है ? तुम्हारे साथ और आदमी हैं या नहीं ? तुम्हारे पास कोई हथियार या सवारी है ? अपनी जाति, कुल और निवास स्थान का ठीक २ पतां दो ?—ये सब बार्ता प्रबन्धकर्ता को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेनी चाहिये। यात्री से हथियार लेकर उसे कह देना चाहिये कि वह सराय में खूब सावधान होकर सोए। रात को सराय में जितने आदमी हों, उन की गिनती कर के द्वारा जल बन्द कर देना चाहिए। ग्रातः काल सब यात्रियों को जगा कर उन्हें हथियार दे देने चाहिये। रात को सराय पर दहरा रहना चाहिये। यात्रियों को नगर की सीमा तक विदाई देने के लिये नगर के किसी आदमी को साथ कर देना चाहिए।”^१

विद्याएं—पिछले अध्याय में हम ६४ कलाओं (Arts) का वर्णन कर चुके हैं। यहाँ ३२ विद्याओं (Sciences) का निर्देश कर देना उपयोगी होगा। ये विद्याएं निम्नलिखित हैं—^२

१. ग्राम द्वयान्तरे चैव पान्थ शालां प्रकल्पयेत् ॥ २६८ ॥

नित्यं सम्मार्जिताञ्चैव ग्रामपैश्च सुगमेपिताम् ।

तत्रागतन्तु सम्पृच्छेत् पान्थं शालाधिपः सदा ॥ २७० ॥

प्रयतोसि कुतः कस्यात् क्वगच्छसि ऋत्वंवद् ।

स्वसंहायोऽसहायो वा र्कं सशक्तः सवाहनः ॥ २७२ ॥

काजातिः किं कुलं नाम स्थितिः कुलास्ति ते चिरम् ।

इति पृष्ठा लिखेत् सायं शक्तं तस्य प्रगृह्ण च ॥ २७२ ॥

सावधान मना भूत्वा स्वापं कुर्वति शासयेत् ।

तत्रस्याम् गणयित्वा तु शाला द्वारं पिधाय च ॥ २७३ ॥

संरक्षयेद् यामिकैश्च प्रभाते ताहुं प्रबोधयेत् ।

शक्तं दद्यात् च गणयेत् द्वारमुद्घात्य मोचयेत् ॥ २७४ ॥

कुर्यात् सहायं सीमान्तं तेषां ग्राम्यं जनः सदा ॥ २७५ ॥ (शुक्र० अ० १)

२. कृपयजुः साम चार्यर्थं वैदा आयुर्धनुः क्रमात् ।

ग्राम्यर्थं चैव तम्भाणि उपवेदाः प्रकीर्तिर्ताः ॥ २७ ॥

१. वेद	४
२. उद्वेद	४
३. वेदाङ्ग	६
४. दर्शन	६
५. इतिहास	१
६. पुराण	१
७. समृति	१
८. नास्तिक मत	१
९. अर्थशास्त्र	१
१०. कामशास्त्र	१
११. शिल्पशास्त्र	१
१२. अलंकार	१
१३. काव्य	१
१४. देश भाषा	१
१५. अवसरोक्ति	१
१६. यज्ञ मत	१

योग ... ३२

शुक्लनीति में इन विद्याओं का विस्तृत परिचय भी दिया गया है; हम इन में से कुछ विद्याओं का संक्षिप्त परिचय मात्र देना ही पर्याप्त समझते हैं—‘नास्तिक मत’ का अभिप्राय उस दार्शनिक समग्रदाय से है जो वेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। राजचंशों की तालिका तथा चरित्र वर्णन को पुराण कहते हैं। ‘अर्थशास्त्र’ में राजनीति (politics) और अर्थशास्त्र (economics) दोनों ही अन्तर्गत हैं। बातचीत और शिष्टाचार की विद्या में खूब प्रब्रीण होना ‘अवसरोक्ति’ में

शिर्जा व्याकरण कल्पो निरुक्तं ज्योतिंयं तथा ।

कृतः पठ्ड्वानीमानि वेदान्तं कीर्तितानि हि ॥ २८ ॥

मीमांसा तर्कं सांख्यानि वेदान्तो योग एवच ।

इतिहासः पुरुषानि समृतयो नास्तिकं मतम् ॥ २९ ॥

अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं तथा शिल्पमलङ्कृतिः ।

काव्यानि देश भाषावसरोक्तिर्यावनं मतम् ।

देशादि धर्मो द्वार्तिशदेता विद्याभि संक्षिताः ॥ ३० ॥ (शुक्र० अ० ४० iii.)

शामिल है। भिन्न २ देशों की भाषा में प्रवीणता प्राप्त करना 'देश भाषा' कहाता है। 'यत्वन मत' का अभिप्राय दार्शनिकों के उस सम्प्रदाय से है जो कि निराकार ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु वेद की प्रामाणिकता नहीं 'मानते।'

राजकीय पत्र—चतुर्थ अध्याय में हम राजकीय मुद्रा तथा लिखित राजाज्ञाओं का वर्णन कर चुके हैं। शुक्रनीति के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा से अंकित हुए बिना राष्ट्र का कोई भी नियम राष्ट्र में प्रामाणिक रूप से प्रचलित नहीं किया जा सकता। उस समय राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न २ वृत्तलेख्य भी (Documents) प्रकाशित किये जाते थे। ये वृत्तलेख्य १६ प्रकार के थे। इन के नाम तथा कार्य निम्नलिखित हैं— २

१. जय पत्र—न्यायालय का निर्णय ।

२. आहारपत्र—अधीनस्थ राजाओं और ज़िलाध्यक्षादियों को विशेष अधिकार देकर उन्हें कोई विशेष कार्य सौंपना ।

३. प्रज्ञान पत्र—पुरोहितों को राजकीय निर्देश ।

४. शासन पत्र—प्रजा को सूचना (Govt. notifications) ।

५. प्रसाद पत्र—कुपा के रूप में राजकीय आय का कुछ भाग देना ।

६. भोग पत्र—कुछ समय के लिए किसी को कोई वस्तु देना ।

७. भाग पत्र—सम्पत्ति का विभाग ।

८. दान पत्र—कोई बीज़ किसी को दे देना ।

९. क्रय पत्र—खरीदना या बेचना ।

१०. सादि पत्र—गिरवी का वर्णन पत्र जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर होते थे ।

११. सत्य पत्र—दो नगरों का पारस्परिक समझौता ।

१२. संचित पत्र—संधी ।

१३. ऋण पत्र—उधार ।

१४. शुद्धि पत्र—प्रायश्चित्त का प्रमाण पत्र ।

१५. सामयिक पत्र—ज्वाइण स्टौक कम्पनियों का कागज (Share paper.) ।

१६. क्षेम पत्र—दो व्यक्तियों का किसी मामले पर वह का समझौता जो न्यायालय में जाने से पूर्व हो जाय ।

१. शुक्र ० अ० ४. iii स्रोक ३२ से ६४ तक

२. शुक्र ० अ० २ स्रोक २ ९९ से ३१५ तक ।

इन सब लेख्य पत्रों पर अपने २ विभाग की राजकीय मुद्रा लंगती थी, मुद्रांकित होने के अनन्तर ही ये प्रामाणिक माने जाते थे ।

खनिज — आचार्य शुक्र ने सुमन्त के कार्यों का वर्णन करते हुए उसे खानों से प्राप्त होने वाली आय की गणना खनिज का भी निर्देश दिया है ।^१ खनिज कर उन दिनों राष्ट्रीय आय का एक उत्तम साधन था । खनिजों पर जिस प्रकार की दर से खनिज कर लगा करता था उस का वर्णन हम राष्ट्रीय आय के प्रकरण में कर चुके हैं । केवल कानों से निकाले जाते समय तक ही खनिजों पर राष्ट्रीय निरीक्षण सीमित न था अपितु लोहार, सुनार आदि खनिज पदार्थों के व्यवसाइयों पर भी सरकार का यथेष्ट नियन्त्रण रहता था, इन्हें सरकार की ओर से यथायोग्य सहायता भी दी जाया करती थी ।^२ धातुओं में धोखे से मिलावट करने वाले को सरकार दरड देती थी ।^३

खनिजों से हम मुख्यतया धातुओं का ही अभिप्राय लेते हैं । शुक्रनीति में ७ धातुओं का वर्णन है—“सुवर्ण (सोना), रजत (चाँदी), ताम्र (ताम्बा) वङ्ग (टीन), सीसा (सीसां), रङ्गक (रांगा), और लोह (लोहा) । इन के अतिरिक्त अन्य धातुएँ संकर होती हैं, जो इन में से किन्हीं धातुओं को परस्पर मिलाने से बनती हैं । इन में सोना सर्वोत्तम है, किर कम से अन्य धातुएँ श्रेष्ठ हैं ।^४

इन धातुओं को मुख्यतया चार कार्य में प्रयुक्त किया जाता था—१. अभूपण, २. सिक्के, ३. दघाइयाँ और ४. सजावट । आभूपण दो प्रकार के होते थे—१. शारीरिक शोभा बढ़ाने के लिए खी और पुरुष भिन्न २ प्रकार के के आभूपण धारण किया करते थे ।^५ पुरुषों का आभूपण धारण करना कोई

१. शुक्र० आ० २. स्तो० १०५ ।

२. शुक्र० आ० ४ . iv. स्तो० ४३ ।

३. शुक्र० ४ v स्तो० ३३ ।

४. सुवर्णै रजतं तथं वङ्गं सीसं च रङ्गकम् ।

लोहं च धातवः सप्त ह्येपामन्ये तु सङ्कराः ॥ ८८ ॥

यथा पूर्वं तु श्रेष्ठं स्यात् स्वर्णं श्रेष्ठं तमं मतम् ।

वङ्गं तात्र भवं कांस्यं पित्तलं तात्र रंगम् ॥ ८९ ॥

(शुक्र० आ० ४ ii)

५. न भूपथस्यलङ्कारो न राज्यं न च पौरुषम् ।

न विद्या न धनं तादृग् यादृग् सौजन्यं भूपणम् ॥ २३४ ॥

विचित्र बात नहीं है आज कल भी पुरुष सोने की जंजीर और अंगूठी आदि के रूप में आभूषण धारण करते हैं । ii राजकीय इनाम जो पदक आदि के रूप में किसी सेवा के बदले दिये जाते थे । इन पदकों को चिन्ह रूप में राजकीय सेवक धारण करते थे । इन की भिन्न २ श्रेणियाँ (Orders) थीं । राजा का चिन्ह सब से मुख्य (grand master of the orders) समझा जाता था ।, सिक्कों का वर्णन हम आठवें अध्याय में कर चुके हैं । पूर्वोक्त ६४ कलाओं में से १० कलाएँ ऐसी हैं जिन का सम्बन्ध सनिजों-मुख्यतया धातुओं से है—३ धातुओं को औषधियों में मिलाना, धातुओं का संश्लेषण और विश्लेषण दो धातुओं को मिला कर नकली धातु बनाना, थार और लवण बनाना, धातुओं को साफ करना, उन पर पौलिश करना, धातुओं को रंगना, आभूषण बनाना, धातुओं से चित्रकारी के काम लेना, उनके यन्त्र, बर्तन आदि बनाना ।

नकली धातुओं की परीक्षा करने के लिये शुक्रनीति में दो उपाय बताए गए हैं—“भिन्न २ धातुओं के एक समान भार के भिन्न २ खण्ड लिए जायें तो उन सब के आयतन में अन्तर होगा । सोने का टुकड़ा सब से छोटा होगा क्यों कि वह सब से अधिक भारी होता है ।”^३ यह सिद्धान्त धातुओं की अपेक्षिक घनता पर आश्रित है । इस अपेक्षिक घनता के आधार पर धातुओं की परख की जा सकती है । दूसरा उपाय निम्नलिखित है— “दो समान आकार (आयतन) के धातु खण्डों को ले लिया जाय, इन में से एक शुद्ध धातु का हो और दूसरे में मिलावट हो । इन दोनों खण्डों को तोला जाय तो इन के भार में अन्तर होगा ।”^४ इस भार के अन्तर से उसकी मिलावट पहचानी जा सकती है । सब धातुओं का पारस्परिक आपेक्षिक भार जान कर यह परख

१. यत्कार्ये नियुक्त्या ये कार्याङ्कैरङ्कयेच्च ताम् ।

सोहैस्ताम्बजै रीतिभवै रजत सम्भवैः ॥ २३४ ॥

सौवर्णे रत्नजैर्वापि यथा योग्यै स्वलाञ्छनैः ।

प्रविशानाय द्वारात् वस्त्रैश्च सुकौटैरपि ॥ ४२४ ॥

वास वाहन भेदैश्च भृत्याङ् कुर्यात् पृथक् पृथक् ।

स्वविशिष्टं च यच्चिन्हं न दद्याद् कस्यचिन्तृपः ॥ ४२५ ॥

(शुक्र ० अ०-२)

२. शुक्र ० अ० ४-iii ७५ से ८० तक ।

३. मान् सममपि स्वर्णं ततु त्यात् पृथुलाः परे ॥ ६० ॥

४. एक छिक्र समाकृष्टे समखण्डे द्वयोर्यदा ।

धातोः सूत्रं मानसमं निर्दृष्टस्य भवेत् तदा ॥ ६१ ॥

करनी चाहिये । उदाहणार्थ सोने और ताम्बे के एक ही समान आयतन वाले खण्डों के भार में १६ और ८ का अनुपात होगा ।

आचार्य शुक्र के समय सोने और चाँदी के आपेक्षिक मूल्य का अनुपात १ और १६ था ।^१ आज कल यह अनुपात १ और २४ तक पहुँच गया है । इस प्रकार चाँदी का मूल्य तब से लेकर अब तक के अन्तर में बहुत गिर गया है । भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह बात विशेष महत्वपूर्ण है ।^२

इन सब फुटकर प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्रनीतिसार कालीन भारत की भौतिक सम्यता उस समय के अन्य संसार की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत थी ।

धर्म और सामाजिक दशा,

शुक्रनीतिसार द्वारा उस समय की धार्मिक या सामाजिक दशा का अनुमान करना बहुत कठिन है । आचार्य शुक्र ने अपने इस ग्रन्थ में धर्म का वर्णन नहीं किया है । प्रकरण वश उन्होंने आधार की महत्ता को बहुत मुख्यता दी है । राजा के वैयक्तिक चरित्र के आदर्शों पर विचार करते हुए उन्होंने उसे पूर्णतया संयमी, दयालु, निस्वार्थ सेवी और सच्चा होने का आदेश दिया है । खास कर इन्द्रिय निग्रह पर उन्होंने बहुत अधिक वल दिया है । इस के लिये नहुप, रावण आदि कामी राजाओं के ऐतिहासिक दृष्टांत भी दिए हैं ।^३

शराव और जूआ— परन्तु तत्कालीन सर्व साधारण समाज की धार्मिक दशा बहुत उन्नत नहीं जान पड़ती । उस समय शराव पीना, जूआ खेलना और वेश्याओं का नाच आदि कार्य प्रारम्भ हो चुके थे । तथापि सरकार इन बातों को मनुष्य समाज की कमज़ोरी ही समझती थी, इस लिये खुले आम यह कार्य करने की आज्ञा न थी, सरकारी आज्ञा लिये विना शराव खेलना, जूआ खेलना आदि कार्य नियम विरुद्ध थे । सरकारी आज्ञापत्र (Licence) लेकर ही शराव खेली जाती थी ।^४ शिकार के लिये भी आज्ञापत्र लेना आवश्यक था । शराव की दूकाने शहर से बाहर होती थीं । शरावी के बल उन्हीं दूकानों पर ही

१. रजतं शोङ्गशुगुणं भवेत् स्वर्णस्य मूल्यकम् ॥ ६२ ॥ (शुक्र० अ० ४. ii.)

२. शुक्र० अ० १ स्तोक ८८ से ११४,

३. शुक्र० अ० ६ स्तोक ३०१-२.

शराव पी सकते थे; अपने घरों में नहीं । ये शराव को दुकाने के बाहर रात के समय ही खुलती थीं । १

प्रतिमा निर्माण — उस समय पौराणिक देवताओं का प्रतिमानिर्माण प्रारम्भ होचुका था । शुक्रनीति में प्रतिमा निर्माण और प्रतिमा स्थापन समारोह आदि का विस्तार के साथ वर्णन है । “देव-मन्दिर के आँगन में देवता के बाहन (सवारी) की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिये । मुख्य बाहन गरुड़ है । उसकी मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिये—मूर्ति की बाहुएँ, चौंच, आँखें और पंख होने चाहिये । वह मनुष्य के आकार की हो परन्तु उस के मुंह पर चौंच लगी हो, सिर पर मुङ्गुट और शरीर पर कबच हो; उस के हाथ बंधे हों, और सिर नीचे को झुका हो; उस की आँखें अपने प्रभु के चरण कमलों की ओर झुकी हुई हों ।” २

“जिस जिस देवता के जो जो पक्षी, शेर या बैल बाहन हैं उन की प्रतिमा को उन देव-मन्दिरों के आँगन में बैठाना चाहिये ।” ३ इस के बाद बैल आदि की मूर्ति का वर्णन किया गया है ।

देव मूर्तियों में सुख्यतया गणपति, शक्ति, बाल, सप्ताल और पैशाची मूर्ति का वर्णन किया गया है । हम उदाहरणके लिये गणपतिकी मूर्ति का संक्षिप्त रूप यहाँ उद्धृत करते हैं—“गणपति (गणेश) की मूर्ति का मुंह हाथी की तरह और शेष शरीर मनुष्य के ढंग का होना चाहिये । उस के कान लम्बे, पेट मोटा, कन्धे, हाथ तथा पैर छोटे परन्तु मोटे होने चाहियें; सूँड लम्बी और चांयाँ दाँत टूटा हो, सूँड और दाँत खूब सुन्दर ढंग से मुड़े हों; सारा शरीर खूब गढ़ा हुवा और मोटा हो, वह अपने चाहन पर सवार हों ।” इसके अनन्तर मूर्ति के अंगों का ठोक-ठीक माप दिया गया है ।

१. गङ्गा गृहं पृथक् ग्रामात् तस्मिन् रक्षेत् मद्यपात् ॥ ४२ ॥

न दिवा मद्य पानंतु राष्ट्रे कुर्याद्वि कश्चन ॥ ४३ ॥ (शुक्र० अ७ ४. iv.)

२. देवतायाञ्च पुरुतो मरणे बाहनं न्यसेत् ।

द्विवाहुर्गुडः प्रोक्तं सुचञ्चु स्वचिपक्तं युक् ॥ १६१ ॥

नराकृतिश्वज्जु मुखो मुकुटी कवचाङ्गदी ।

वद्वाञ्जिर्नम्ब शीर्षः सेव्ययादाव्ज लोक्नः ॥ १६२ ॥

३. बाहनत्वं गता ये ये देवतानां च पक्षिणः ।

काम रूप धरास्ते ते तथा सिंह वृषादयः ॥ १६३ ॥

४. गजाननं नराकारं ध्वस्त कण्ठं पृश्चदरम् ।

वृहत्संक्षिप्त गहन पीन स्कन्धाद्विध पाणिनम् ॥ १६४ ॥ (शुक्र० अ० ४. iv.)

“शिल्पी को चाहिये कि वह मूर्ति को युवावस्था युक्त ही बनाएं, आवश्यकता हो तो वालंकपन का रूप भी दिया जा सकता है परन्तु बुद्धापे का रूप कभी नहीं देना चाहिये ।”^१

इस प्रकार मूर्ति स्थापन का उद्देश्य क्या था, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । शायद इन पौराणिक देवताओं की प्रतिमा-पूजा उस समय प्रारम्भ हो चुकी हो; अथवा इन का उद्देश्य पुराणों में वर्णित ईश्वर की गिर्व-भिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि रूप वालंकारिक देवताओं की भावपूर्ण मूर्तियाँ स्थापित करना ही हो;— जिस प्रकार कि आजकल पाश्चात्यदेशों में ‘स्वतन्त्रता’ ‘लक्ष्मी’ ‘सरस्वती’ आदि की भावपूर्ण मूर्तियाँ बनाई जाती हैं । शुक्लनीति में जहाँ इन देव-मूर्तियों के निर्माण का वर्णन खूब विस्तार के साथ किया गया है वहाँ इन की पूजा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया । इसी कारण हमें उस समय मूर्तिपूजा प्रारम्भ हो गई थी, यह स्थापना करते हुए संकोच होता है । पूजा के उद्देश्य के बिना ही प्रतिमा स्थापना के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार के साथ अपनी “पुराणमत पर्यालोचन” नामक पुस्तक में लिख चुके हैं । शुक्लनीति में इस सम्बन्ध में केवल एक ही श्लोक उपलब्ध होता है— “ध्यान योग की सिद्धि के लिये प्रतिमा निर्माण किया जाता है ।”^२ परन्तु केवल इसी एक प्रमाण के आधार पर ज्ञोई निश्चित स्थापना नहीं की जा सकती ।

सरकार और देव संदिर्— यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन भारतवासी प्रायः इन उपर्युक्त देवों की प्रतिमाएँ ही मन्दिरों में स्थापित किया करते थे । सरकार स्वयं धर्म में कोई इस्ताक्षेप न करती थी, परन्तु क्योंकि प्रजा की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना उस का कार्य था, अतः जनता की इच्छा पर वह उपर्युक्त मन्दिरों का निर्माण कराती थी । इन देवताओं के नाम पर होने वाले मैलों तथा उत्सवों का प्रवन्ध भी सरकार ही करती थी । परन्तु यह बात विशेषतया ध्यान में रखने योग्य है कि आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों राजा को प्रजा के परम्परागत प्रचलित उत्सवों में ही भाग लेने का आदेश दिया है । उसे स्वयं

वृच्छुष्ठं भग्न यामरदमीषित याहनम् ।

ईपत् कुटिष दारहाग्र यामशुण्डमद्विषम् ।

सन्ध्यस्ति धमनी गृहं कुर्यान्मानमितं सदा ॥ १६८ ॥

१. क्वचित्तु वालं सदृशं सदैव तदृशं यपुः ।

२. वृत्तीनां कल्पयेच्छर्षपी न वृद्धं सदृशं क्वचित् ॥ २०१ ॥ (शुक्र० श्र० ४. vi.)

३. ध्यान योगस्य संसिद्धृं प्रतिमा तदृशं स्मृतम् ॥ ४१ ॥ (शुक्र० श्र० ४. iv.)

अपनी इच्छा से किसी धार्मिक मामले में दखल नहीं देना चाहिये, और किसी धार्मिक प्रथा में पत्तिर्तन लाने के लिये राजशक्ति का उपयोग भी न करना चाहिये—

“राजा को चाहिये कि वह राष्ट्र में इन देव-मन्दिरों की स्थापना करे और प्रति वर्ष इन के उत्सवों का प्रबन्ध करे। देव-मन्दिर में अप्रमाणिक परिमाण बाली और दूरी मूर्ति को नहीं रखना चाहिये, देव-मन्दिरों को मुरम्मत कराते रहना चाहिये। देव-मूर्तियों के निमित्त से उनके सन्मुख जो नाच आदि कराया जाता है उसे देख कर राजा को स्वयं भोगी नहीं बनना चाहिये। सर्वसाधारण प्रजा में जो त्योहार और उत्सव परम्परा से चले आरहे हैं, राजा को केवल उन्हीं उत्सवों के मनाने का प्रबन्ध करना चाहिये। उसे प्रजा की ग्रेसन्नता में ही प्रसन्नता मनानी चाहिये और प्रजा के दुख में दुख ।”^१

आश्रम व्यवस्था— शुक्रनीतिमें ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों का वर्णन उपलब्ध होता है— “ब्राह्मण के लिये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम हैं, शेष तीन वर्णों के लिये चौथे आश्रम को छोड़ कर अन्य सब आश्रमों का विधान है। ब्रह्मचर्य में विद्याभ्यास, गृहस्थ में सब का पालन, वानप्रस्थ में संयम और स्वाध्याय तथा सन्यास में मोक्ष-प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये।”^२

वर्ण व्यवस्था— शुक्रनीति के समय जन्म से वर्ण व्यवस्था मौजूद होने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। राजा को कर्तव्य था कि वह सब वर्णों में

१. एवं विधान् नृपो राष्ट्रे देवात् संस्थापयेत् सदा ।

प्रति सम्बत्सरं तेषां उत्सवात् सम्याचरेत् ॥ २०३ ॥

देवालये मान हीनां मूर्तिं भग्नां न धारयेत् ।

असादांश्च देवाञ्जीर्णानुद्रुत्य यज्ञतः ॥ २०३ ॥

देवतां तु पुरस्कृत्य नत्यादीन् वीच्य सर्वदा ।

न मनः स्वोपभोगार्थं विदध्यात् यज्ञतो नृपः ॥ २०४ ॥

प्रजाभिर्विधृता ये ये हृत्सवास्तांश्च पालयेत् ।

ग्रनानन्देन सन्तुष्येत् तद्दुर्विदुःखिनो भवेत् ॥ २०५ ॥ (शुक्र० अ० ४ iv.)

२. ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थी यतिः क्रमात् ।

चत्वार आश्रमाश्चैते ब्राह्मणस्य सदैव हि ।

अन्येपामन्त्य हीनाश्च चत्र विद्व शूद्रं कर्मणाम् ॥ १ ॥

विद्यार्थं ब्रह्मचारी स्यात् सर्वेषां पालने गृही ।

वानप्रस्थः संदमने सन्यासीं मोक्षं साधने ॥ २ ॥ (शुक्र० अ० ४. iv)

अव्यवस्था न आने दे; जिस वर्ण के लोग अपने वर्ण के विरुद्ध कार्य करते थे उन्हें सरकार की ओर से दण्ड मिलता था । ^१ आचार्य शुक्र ने इन चार वर्णों के वही कर्तव्य बताए हैं जो कि मनु आदि अन्य स्मृतिग्रन्थों तथा धर्मग्रन्थों में वर्णित हैं । अतः हम उनके विस्तार में न जाकर वर्ण व्यवस्था के स्वरूप पर विचार करेंगे ।

यह प्रतीत होता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार मुख्यतया जन्म को ही माना जाता था । साथ ही वड़ी कड़ाई से वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन किया जाता था । सरकार या कर्तव्य था कि वह प्रजा में वर्णसंकरता न आने दे, सब वर्णों को अपने २ मार्ग पर चलने के लिये शिक्षित और उत्साहित करे । ^२

प्रत्येक वर्ण को ठीक उसी प्रकार के कर्तव्य पालन करने होते थे जो कि परम्परा से चले आते थे । उन्हें सामूहिक रूप से भी अपने कर्तव्यों में परिवर्तन करने का अधिकार न था, यह करने पर वे राजा द्वारा दण्डित हो सकते थे । प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिये भिन्न-भिन्न चिह्न निश्चित थे । ^३

परन्तु आचार्य शुक्र स्वयं केवल जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था मानने के पक्ष में नहीं है । उनका विचार है कि किसी वर्ण में जन्म होने पर भी प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण वन सकता है । उनका कहना है— “जिस प्रकार वृक्ष की उत्तमता वीज के अच्छा होने और जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर होती है उसी प्रकार वर्ण की उत्तमता जन्म और कर्म दोनों के आधार पर आधित है । विश्वामित्र, वसिष्ठ, मातङ्ग, नारद आदि सब त्रृप्ति अपने जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं थे परन्तु अपने कर्मों के कारण वे ब्राह्मण वन गए ।” ^४

१. यत्त्यन्त्यन्यथा दण्ड्या या वर्णाश्रम जातयः ॥ ३ ॥ (शुक्र० अ० ४, iv.)

२. कुण्डान्यकुलातां पान्ति स्यकुलानि कुलीनताम् ।

यदि राजोपेचितानि दण्डतोऽशिक्षितानि च ॥ ४ ॥

३. स्व स्यजात्युक्त धर्मो यः पूर्वोरचरितः सदा ।

तमाचरेच्च सा जातिर्दण्ड्या स्वादन्यया नृपैः ॥ ३८ ॥

जाति वर्णाश्रमाद् सर्वात् पृथक्किञ्चन्है सुलभयेत् ॥ ४० ॥

४. फदाचिद् धीजमाहात्म्यात् चेत्रमाहात्म्यतः क्षचित् ।

नीचोत्तमत्वं भवति श्रेष्ठत्वं चेत्र वीजतः ॥ ३७ ॥

विश्वामित्रो विष्टुष्ट्य मातङ्गो नारदोदयः ।

तयो विशेषैः सम्प्राप्ता उत्तमत्वं न जातितः ॥ ३८ ॥ (शुक्र० अ० ४, iv.)

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र धर्म और राजनीति इन दोनों को विलक्षण पृथक् रखना चाहते थे । उनका कहना है कि धर्म का राजनीति में कोई दबाल न हो और राजनीति वहीं तक धर्म का आश्रय ले जहाँ तक की उस का सम्बन्ध प्रजा की प्रसन्नता तथा अन्य सामाजिक बातों से है । धार्मिक उत्सवों का वर्णन करते हुए हम इस बात का एक प्रमाण पहले ही दे चुके हैं । राजकर्मचारियों की नियुक्ति का वर्णन करते हुए आचार्य शुक्र ने जाति या वर्ण को भूल जाने की सलाह दी है— “जो कर्मचारी विश्वासपात्र और गुणी हों उन्हें ही नियुक्त करना चाहिये, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को नियुक्त करना ठीक नहीं । मनुष्य के कर्म, स्वभाव और गुणों की ही पूजा करनी चाहिये जाति और कुल की नहीं; जाति और कुल अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता । जाति और कुल की पूछताछ तो केवल भौजन और विवाह में ही करनी चाहिये ।”^१

इन चार वर्णों के अतिरिक्त यवन लोग जो उत्तर पश्चिमीय भारत में रहते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे । वे वेदों की प्रमाणिकता ही स्वीकार नहीं करते थे ।

स्त्रियों की स्थिति— भारत वर्ष में उन दिनों स्त्री समाज की दशा अत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी । स्त्रियों के पास कोई अधिकार शोष नहीं रहा था, वे केवलमात्र शुरुष की सहायका ही समझी जाती थीं । एक प्रकार से उन की पृथक् सज्जा ही लग कर दी गई थी । इस हृषि से यह काल इतना अधिक पतित हो चुका था कि आचार्य शुक्र से स्वतन्त्र विचारक और विद्वान नीतिज्ञ भी इस सम्बन्ध की सामाजिक कुरीतियों का विरोध नहीं कर सके हैं । शुक्रनीति सार में स्त्रियों के आठ दुर्गुणों का वर्णन किया गया है—“स्त्रियों के आठ स्वामाचिक दोष हैं— भूड़ बोलना, साहस, कपटता, मूर्खता, लोभी पन, अपवित्रता, निर्दयता और घमण्ड ।”^२ कैसे बुरे ढंग से संसार भर के सम्पूर्ण

१. भूत्यं परीक्षयेन्नित्यं विश्वास्यं विश्वसेत्सदा ।

नैव जातिर्न कुलं केवलं लक्ष्येदपि ॥ ५४ ॥

कर्मशील गुणाः पूज्यास्तथा जाति कुलेन हि ।

न जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥

विवाहे भोजने नित्यं कुल जाति विवेचनम् ॥ ५६ ॥

(शुक्र० अ० २.)

२. शुक्र० अ० ४, iv. श्लो० ३५.

श्ल. अनृतं साहसं माया मूर्खत्वं अतिलोभिता ।

स्त्रशौचं निर्दया दर्पः स्त्रीणामद्यौ स्वदुर्गुणः ॥ ११६४ ॥

दोषों को स्थिरों के माथे मढ़ा गया है ! “ पति को चाहिये कि वह अपनी पत्नी की अन्य घर वालों के विरुद्ध शिकायतों पर विना स्वप्न साक्षी प्राप्त किए विश्वास न करे । ”^१ परन्तु इस के बाद ही स्थिरों पर दया कर के एक और नियम बना दिया गया है—“ १६ वरस की आयु के बाद पुत्र को और १२ वरस की आयु के बाद कन्या को मारना और गाली देना अच्छा नहीं है । ”^२

उन दिनों स्वयंवर की प्रथा का सर्वथा अभाव हो चुका था । कन्या के विवाह में उस के माता पिता का ही दखल होता था—“ युवक और युक्ति का विवाह उन के धन, कुल, शोल, लग, विद्या, वल और आयु के आधार पर उन के माता पिता को कर देना चाहिये । परन्तु विवाह से माता पिता को धन का अधिक खाल नहीं रखना चाहिये । पुरुष अन्तर गरीब है परन्तु वह विद्यावान्, बुद्धिमान और स्वस्थ है तो उस के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिये । इन सब में से किसी एक ही चीज़ के आधार पर विवाह करना अच्छा नहीं है । ”^३ “ विवाह में कन्या पुरुष के हार का, माता उसके धन को, पिता उस की विद्वत्ता को, और सम्बन्धी उस के कुल को देखते हैं, अन्य वराती केवल मिठाई चाहते हैं । ”^४

शुक्रनीति में स्थिरों की जो दिनचर्या बताई गई है, वह संक्षेप में इस प्रकार है—“ जप, तप, तीर्थयात्रा, देवपूजा, यज आदि धार्मिक कर्तव्य लों को पति के विना अपेले नहीं करने चाहिये । उस की पति के विना सत्ता ही नहीं है । स्त्री को पति से पहले ही उठ कर शोब्र आदि से निवृत होने के अनन्तर विस्तरा लपेट कर कपड़े बदल लेने चाहिये । इस के बाद घर में

१. न प्रियाकर्यितं सम्यग्मन्येतानुभवं विना ।

अपराधं मातृ स्तुपाभात् पति सपत्निजम् ॥ १६३ ॥

२. पोङ्गव्यादात् यर्तं पुत्रं द्वादण्व्यादात् परं स्थियम् ।

न ताड़येत् दुष्ट याक्षैः पीड़येत् स्तुपादिकम् ॥ १६५ ॥

३. दृष्टा धनं कुलं यीलं रूपं विद्यां वलं वयः ।

कन्यां दद्यादुन्नमं चेन्मैत्रीं कुर्यादयात्मनः ॥ १६६ ॥

भार्यार्थिनं वयो विद्या रूपिणं निर्धनत्वपि ।

न केवलेन रूपेण वयसा वा धनेन च ॥ १७० ॥

४. कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् ।

धान्याः कुलमिच्छन्ति मिद्धन्तमितरे जनाः ॥ १७२ ॥ (शुक्र० अ० ३)

चौका वुहारी कर के आग और घास की सहायता से यज्ञ के बर्तन साफ़ करने चाहिये । यज्ञपात्र ज्योरेकि चिकने होते हैं, अतः उन्हें गरम पानी से धोना चाहिए । इस प्रकार के अन्य कार्य करके उसे अपने श्वसुर आदियों को नमस्कार करना चाहिये, और तदनन्तर अपने पति, पिताया अन्य सम्बन्धियों के दिए हुए सुन्दर खख अलंकार आदि पहिन लेने चाहिये । खीं के शुद्ध गूर्वक अपने मून, वचन और कर्म से पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छाया की तरह पति का अनुसरण करना चाहिये । उसे अच्छे कामों में पति के मित्र की तरह और घर के कामों में दासी की तरह बरतना चाहिए । पति को भोजन करवा कर तदनन्तर खयं भोजन करके घर के हिसाब किताब का पूरा विवरण रखना चाहिए । स्त्रियों का पति ही देवता है । शूद्र और किसानों की स्त्रियों को चाहिये कि वे खेतीबाड़ी के काम में अपने पतियों की मदद किया करें ॥ १ ॥

सती प्रथा— पति के देहान्त के अनन्तर खीं के कर्त्तव्यों पर विचार करते हुए शुकनीति में उसे सती हो जाने तक की भी सलाह दी

१. जप्तं तपस्तीर्थसेवां प्रश्नज्यां मन्त्र साधनम् ।

देवपूजां नैव कुर्यात् स्त्रीशूद्रस्तु पर्ति विना ।

न विद्यते पृथक् स्त्रीणां त्रिवर्गं विधि साधनम् ॥ ५ ॥

पत्नुः पूर्वं समुत्थाय देह शुद्धिं विधाय च ।

उत्थाप्य शयनीयानि कृत्वा वेशम् विशेषनम् ॥ ६ ॥

मार्जनैर्लेपनैः प्राप्य सानलं यवसाङ्गणम् ।

शोधयेद् यज्ञपात्राणि त्तिग्धान्युष्णेन वासिणा ॥ ७ ॥

स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसन्नद्रविणानि च ।

कृतपूर्वाहुं कृत्येयं श्वशुरावभिवादयेत् ॥ १० ॥

ताम्यां भर्ता पितृभ्यां वा भ्रातृमातुल बान्यदैः ।

वस्त्रालङ्घार रत्नानि ग्रदत्तान्येव धारयेत् ॥ ११ ॥

मनोवाक्षर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ।

द्वायेवानुगता स्वच्छा सखीव हित कर्मसु ।

सासीष दिष्ट कार्येषु भार्या भर्तुः सदा भवेत् ॥ १२ ॥

पर्ति च तदनुग्राता शिष्टमन्नाद्यमात्मना ।

भुक्त्वानयेदहः शेष सदाय व्यव विन्त्या ॥ १४ ॥

द्विजस्त्रीणामयं धर्मः प्रायोन्यासामपीष्यते ।

कृपि पश्यादि उद्कृत्ये भवेयुस्ताः प्रसाधिकाः ॥ २६ ॥ (शुक्र० अ० ४. vi.)

रहे हैं—“पति की मृत्यु के बाद खी को उस के साथ सती हो जाना चाहिये अथवा पुनर्विवाह न करके ब्रह्मचर्य धत का पालन करते हुए शेष आगु व्यतीत करनी चाहिये।”^१ इस के अगले ही श्लोकों में खी को उपदेश दिया गया है—“खी का पति के समान और कोई मालिक नहीं है, उस के समान और कोई सुख नहीं है अतः खी को चाहिये वह धन दौलत आदि को लात मार कर पति की ही शरण ले।”^२

स्त्रियों के अन्य अधिकार— स्त्रियों को इतनी दुर्दशा कर दी गई, थी कि उन्हें न्यायालय में साक्षी देने का भी अधिकार नहीं रहा था, वे केवल स्त्रियों के अभियोग में ही साक्षी दे सकती थीं क्योंकि उन अभियोगों में पुरुषों का साक्षी होना कठिन है। अन्य अभियोगों के लिये शुक्रनीति में लिखा है—“क्योंकि स्त्रियां सत्रभाव से ही पाप करने वाली और भूउ घोलने वाली होती हैं अतः उन की साक्षी नहीं लेनी चाहिये।”^३

आर्थिक मामलों में भी शुक्रनीति में स्त्रियों को विलकुल पराधीन माना गया है, उन की अपनी कमाई पर भी वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार नहीं किया गया। “खी, पुत्र और दास^४ इन तीनों का किसी धन पर अधिकार नहीं होता, ये लोग जो कुछ कमाते हैं इस पर उनके स्वामी का ही अधिकार हो जाता है।”^५

परन्तु जब खी अकेली हो, अर्थात् जब तक उस का विवाह न हुआ हो, अथवा वह विवाह हो चुकी हो, तब उसे भी अपने पिता या पति की जायदाद में से कुछ भाग भाग देना आचार्य शुक्र ने स्वीकार किया है—“एक मनुष्य के देहान्त के बाद उस की पत्नी और उस के पुत्रों को उस की जायदाद का एक समान भाग मिलना चाहिये। कन्या को पुत्र की

१. मृते भर्तरि संगच्छेद् भतुर्वा पालयेद् व्रतस् ।

परवेशम रुचिर्न स्यात् ब्रह्मचर्ये स्थिता सती ॥ २८ ॥

२. नास्ति भर्तृ समो नाशो नास्ति भर्तृ समं सुखस् ।

विशुज्य धन सर्वस्वं भर्ता वै शरणं त्रियाः ॥ ३० ॥ (शुक्र० अ० ४. iv.)

३. वालोऽज्ञानादसत्यात् खी पापाभ्यासाच्च कृट कृत् ॥ ९९ ॥

४. भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः ।

यन्ते समधिगच्छन्ति यस्मैते तस्य तद्वनम् ॥ २५५ ॥

* इस स्त्रोक द्वारा उस समय “दास प्रथा” की सत्ता प्रतीत होती है।

अपेक्षा आधा भाग मिलना चाहिए । पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों के समान कन्याओं को भी उपर्युक्त अनुपात से दायर भाग देना चाहिये । इस जायदाद पर ख्यातों का पूर्ण वैयक्तिक अधिकार है, वे इस धन को चाहे जिस कार्य के लिये व्यय कर सकती हैं” ।

खी का उस धन पर भी पूर्णतया वैयक्तिक अधिकार होता है जो धन कि विवाह के बाद उस के माता पिता उसे उपहार स्वरूप सेजते हैं या स्वयं पति उस के वैयक्तिक व्यय के लिये उसे जो कुछ देता है । ३

इस प्रकार इस दृष्टि से शुक्रनीतिसार कालीन भारत बहुत अवन्दत प्रतीत होता है ।

१. समान भागिनः कार्योः पुत्रा स्वस्य च वै ख्ययः ।

स्वभागार्धहरा कन्या दोहित्रस्तु तदर्धभाक् ॥ २९९ ॥


मृतेऽधिष्ठेऽपि पुत्राद्या उक्त भाग हरास्मृताः ॥ ३०० ॥

२. सौदायिकं धनं प्राप्य लीलां स्वाम्यमिष्यते ।

विक्रये चैव दाने च यथेषु स्यावरेष्वपि ॥ ३०३ ॥

जड्या दान्यया वापि पत्न्युः पितृ गृहाच्च यत् ।

मातृ पित्रादिभिर्दत्तं धनं सौदायिकं स्मृतम् ॥ ३०४ ॥ (शुक्रो अ० ४, ७.)



चतुर्थ भाग

भारतीय सम्यता का विदेशों में प्रसार

एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजमनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वं मानवाः ॥

(मनु)

* प्रथम अध्याय *

~~~~~

### चीन और भारत

~~~~~

पूर्व वचन— महाभारत काल से लेकर वौद्धकाल से पूर्व तक की सभ्यता पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। भौतिक सभ्यता तथा राजनीतिक उन्नति की हृषि से इस काल का भारतवर्ष भी प्राचीनतम काल के भारतवर्ष की तरह बाकी सम्पूर्ण संसार की अपेक्षा अधिक उन्नत प्रतीत होता है। भारतवर्ष की भौतिक सभ्यता इन दिनों इतनी उन्नत हो चुकी थी कि संसार के अन्य देशों में भी उसका प्रसार प्रारम्भ हो गया था। उस समय भारतवर्ष सच्चे अर्थों में संसार की सभ्यता का गुरु था। सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु के शब्दों में—“इस देश में उत्पन्न तथा इसी देश में शिक्षित हुए हुए ब्राह्मणों द्वारा ही प्राचीनकाल से संसार के अन्य सब देश सभ्यता और आचार की शिक्षा लेते रहे हैं।”^१

भारतवर्ष का विदेशी सम्बन्ध कघ प्रारम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकते। इस देश के प्राचीन से प्राचीन साहित्य में भी जहाज़ों, नौकाओं और समुद्र-यात्रा आदि का चर्णन है। रामायण, महाभारत मनुस्मृति आदि अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा भारत के साथ अन्य देशों के तत्कालीन सम्बन्धों की सूचना मिलती है। इस सम्बन्ध के रामायण और महाभारत के प्रमाण हम अपने इसी ऐतिहास में यथार्थान उद्धृत कर चुके हैं, मनुस्मृति के प्रमाण हम इसी अध्याय में आगे चल कर देंगे। उसी प्रकरण में ऐतिहासिक तथ्यों को उद्धृत कर के भी इस स्थापना की पुष्टि की जायगी।

इस विदेशी सम्बन्ध के प्रकरण में चीन और भारत का प्राचीन सम्बन्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष की तरह चीन की सभ्यता भी

१. एतद्वैश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरह पूर्यिष्यां सर्वमानवाः॥ मनुः॥

अत्यन्त प्राचीन है, एक समय चीन भी संसार के सब से अग्रगण्य देशों में गिना जाता था । उस उन्नत दशा में भी चीन भारतवर्ष का सब से बड़ा शिष्य था । भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को, उसके धार्मिक और दार्शनिक विचारों को तत्कालीन चीन ने भली प्रकार अपना लिया था । इसके बाद जब मध्य-काल में भारतवर्ष ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली, तब सम्पूर्ण चीन भी महात्मा बुद्ध के नाम पर चले हुए सम्प्रदाय को अनुगामी हो गया । आज भी आवादी की दृष्टि से चीन संसार भर का सब से बड़ा देश है, और उसके अधिकाँश घासी भारतीय बौद्ध-धर्म के ही अनुयायी हैं । इस अध्याय में हम चीन और भारत के बौद्ध काल से पूर्व के सम्बन्ध का वर्णन करेंगे ।

(१)

प्राचीन धर्मों की समानता.

भारत और चीन का प्राचीन साहित्य — तत्कालीन भारत और चीन के पारस्परिक सम्बन्ध का सब से बड़ा प्रमाण दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और धर्म में बहुत अधिक समानता का होना है । कई साहित्यिक मुहावरे दोनों देशों के साहित्य में बिलकुल एक ही रूप में पाये जाते हैं—

१. चन्द्रमा में हिरण की कल्पना— चा पिङ्ग नामक चीनी राजा (३३२ ई० पू० से २६५ ई० पू०) ने अपनी “ब्रह्म प्रश्नावली” नामक कविता में कहा है— “चन्द्रमा पर बैठ कर देखता हुवा खरगोश किस चोज़ की आशा करता है ?”

संस्कृत में चन्द्रमा का नाम “शशाङ्क” भी है जिसका अर्थ है “खरगोश के चिन वाला ।” श्री हर्ष चरित में आता है—

शशो यदस्यास्ति शशीति चोक्तम्.

अर्थात् क्योंकि चन्द्रमाँ में शशक है इसी लिये उसे “शशी” कहते हैं ।

२. कूप मण्डक— संस्कृत में जिस व्यक्ति का अनुभव बहुत संकुचित हो, उसे “कूप मण्डक” (कुएं का मैडक) कहते हैं । इसी प्रकार टोइस्म के १७ वें अध्याय में आता है— “कुएं का मैडक समुद्र के मैडकों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जान सकता ।”

३. शाखों और उपनिषदों में मनुष्य शरीर के अन्दर ही द्वार और सात ऋषि गिनाए गए हैं ।

- I. पुरमेकं नष्टद्वारम् । (कठोपनिषद्)
- II. सप्तर्षयः प्रहिता शरीरे । (यजुर्वेद्)

चीनी साहित्य में आता है— I. “गर्भज योनियों के शरीर में द्वार होते हैं और अखण्ड योनियों शरीर में द्वार होते हैं।”^१

II. “मनुष्य शरीर में देखने दुनने आदि के लिये उछेद होते हैं।”

४. रथ पति— संस्कृत में राजा को रथपति कहा जाता है— निरुक्त के तृतीय अध्याय में हम पढ़ते हैं—

यज्ञ संयोगात् राजा स्तुति लभते । राज संयोगाद् युद्धेय कारणानि । तैयां रथः प्रथम गामी भवति ।

चीनी कांगजी ग्रन्थ के १६ वें खण्ड के द्वितीय भाग में भी राजा को “रथों का स्वामी” कहा है।

दोनों देशों के प्राचीन साहित्य की तुलना करते हुए हम इतने ही प्रमाण देना पर्याप्त समझते हैं।

परम्परा से विद्यादान— जिस प्रकार प्राचीन भारत में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परम्परा पूर्वक विद्या दी जाती थी उसी प्रकार विद्यादान करने की प्रथा चीन में भी प्रचलित थी। प्रश्नोपनिषद् में आता है—

ओम् बुकेशा च भृत्वाजः शौब्यश्च सत्यकामः,

सौर्यायणी च गार्यः कौशलाद्यश्वलायनोः ।

भार्गवो वेदर्भि कवन्त्यी कात्ययनस्ते हैर्यः,

ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मन्वेशमाणः ।

एष है तत्सर्वं ब्रह्मन्तीति तेह समित्याणयोः

भवन्तं विष्पत्ताद्मुपसन्नः ॥

(प्रश्नोपनिषद्)

इसी प्रकार चीनी कांगजी ग्रन्थ के छठे अध्याय में कहा है—“मैंने यह विद्या फूल से सीखी, उन ने इसे लेजिङ्ग के पोते से सीखा, लेजिङ्ग के पोते ने शैयटी मिच्चू से...”^२

अन्य साहित्यक समानताएं— इस के अतिरिक्त चीनी धर्म ग्रन्थों में बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो उपनिषद् वाक्यों के अक्षरशः अनुवाद प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ—

१. Kwangze Book. XXII. S. B. E. Part II. Page 63.

२. Text of Toism. S. B. E. Part II Page 297.

चीनी धर्म ग्रन्थ

उपनिषदेः

१. आओ मैं तुम्हें बताऊँगा कि तोओ (प्राचीन चीन का ईश्वर) क्या है : इस का परम तत्व सुगूढ़ रहस्य में छिपा हुआ है । इस की पराकाष्ठा अन्यकार और शास्ति में हैं । जब यह आत्मा को अपनी बाहुओं में निश्चलता पूर्वक पकड़ लेता है तब इस का बाह्य शरीर ख्ययं ही ठीक हो जाता है ।

तुम शान्त रहो, तुम पवित्र रहो अपने शरीर को अधिक परिश्रम में डाल कर अपनी जीवन शक्ति को विकृष्ट भय मत करो, इस प्रकार तुम चिरायु हो सकोगे ।

तुम्हारे अन्दर व्या है इस पर सदैव निगरानी रखें, अपनी उस वृत्ति को जो बाह्य विषयों से तुम्हारा सम्बन्ध कराती है बन्द रखें । अधिक ज्ञान धातक है ।

१. शूब्र साधान होकर तीर की तरह तन्मय होने से ही वह प्राप्त किया जासकता है । जब सब इन्द्रियें मन और बुद्धि ज्ञान पूर्वक निश्चल हो जाती हैं तब परम गति प्राप्त होती है । वह आंख से देखा नहीं जा सकता; वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वह किसी इन्द्रिय के लिये प्राप्य नहीं है । जब ज्ञान के प्रसाद से आत्मा शुद्ध और निश्चेष्ट हो जाता है तभी उस का अनुभव किया जा सकता है । यह सूक्ष्म आत्मा चित्त से ही जाना जाता है जिस में प्राण यांच प्रकार से प्रविष्ट है । जिस प्रकार धातुओं को विघ्नाने पर उन के मल नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार प्रायश्चित्त करने से मन के मैल नष्ट हो जाते हैं ।

१. अप्रमत्तेन वेदव्यं शरदत्तन्मयो
भवेत् । (मुण्डक २।२।४),
यदां पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि
मनसा सह ॥
बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां
गतिम् ॥ (कठवल्ली),
न चक्षुषा गृह्णते नापि वाचा ना-
न्यैर्देवैः तपसा कर्मणौ वा । ज्ञान
प्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं प-
श्यते निष्कलं ध्यायमानः ।

(मुण्डक ३।१।६),
एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो
यस्त्रिप्राणः पञ्चधा संविवेश ।
(मुण्डक ३।१।६),
दद्यन्ते धमायमानानां धातूर्णं हि
यथा मलाः ।

चीनी धर्म ग्रन्थ	उपनिषदें
मैं तुम्हारे साथ प्रकाश के उच्च- तम शिखर पर चलूँगा जहां कि हम वास्तविक स्तोत पर पहुँच जायेंगे ।	
२. जिस प्रकार कपड़ों से शरीर ढका जाता है उसी प्रकार इस ने सम्पूर्ण जगत् को ढका हुआ है । (Part I. ch. xxx.)	२. ईशावास्य मिदं लर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत् । (कठ०)
३. इसे महान् से महान् और सूक्ष्म से वस्तुओं में भी पुकारा जा सकता है ।	३. अणोरणीयाऽ यतो महीयाऽन् । (कठ०)
४. हम इसे सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पाते अतः इसे 'अश्राव्य' कहते हैं । हम इसे पकड़ना चाहते हैं पर पकड़ नहीं पाते अतः इसे 'अस्पर्श' कहते हैं । उस का वर्णन नहीं किया जा सकता इसी से हम उस के सब शुणों को इकट्ठा देखने का यत्न करते हैं और "एकत्व" को प्राप्त कर लेते हैं ।	४. नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन । न सन्दूशा तिप्रिति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चिदैनम् । हृदामनीषी मनसाभिलक्ष्मो य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति । नैव धाचा न मनसा प्राप्तुंशब्दो न चक्षुपा । अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते । (कठ) यद्वावतोऽन्यानत्येति । (ईश)

१. संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की उत्ता है ।

२. यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान् से महान् है ।

३. यह सुनने से नहीं जाना जा सकता, उसे बुढ़ि या विद्या द्वारा भी नहीं जान
सकते । उस का रूप किसी को दिखाई नहीं दे सकता, आंखों से उसे किसी ने
महीं देखा । आपने हृदय द्वारा जो विद्वान् उसे जान पाते हैं वे अमृत हो जाते
हैं । यह धाणी मन या आंखों से ग्राप नहीं किया जा सकता । यह है यह कहते
हुए भी ग्राप नहीं होता । यह स्त्रिय है परन्तु दौड़ने क्षासे उस से पिछड़ जाते हैं ।

चीनी धर्म प्रन्थ

उपनिषदें

हम उस से मिलते हैं परन्तु
उस का अग्रभाग नहीं देख पाते,
हम उस का अनुसरण करते हैं
परन्तु उस की पीठ नहीं देख पाते ।

(Part. I Book. vii)

५. जो उसे जानता है । वह उस का
वर्णन नहीं कर सकता, जो उस
का वर्णन करता है वह उसे नहीं
जानता । तो क्या उस का “न
जानना” ही “जानना” नहीं ? और
“जानना” ही “न जानना” नहीं
है ? परन्तु कौन कह सकता है
कि इसे न जानने वाला अवश्य ही
इसे जानता है !

(Kwangze book Part I.
Book xxii)

६. यह पहले भी ऐसा ही था जैसा
कि अब है । यह सब के शरीरों
को घड़ता और सजाता है ।

(Kwangze book xxii. and vi.)

५. यो नस्तद्वेद तद्वेद । नो न वेदेति
वेद च । यस्यामतं तस्य मतं मर्तं
यस्य न वेद सः ।
अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमवि-
ज्ञानताम् ।^४

६. गह्यरेष्टं पुराणम् ।^५ (कठ वल्ली)
त्वष्टा विश्वकर्मा ।^६ (मृ० ८१०)

यज्ञ— भारतवर्ष के प्राचीन तम काल के कर्मकारण का एक बड़ा
भाग यज्ञ हैं । चीन के प्राचीन इतिहास में भी यह कर्मकारण इसी रूप में उप-
लब्ध होते हैं । प्र०० हर्थ का कथन है— “राजा शू-किङ् और उसके वंशजों

४. जो उसे नहीं जानता वही उसे जानता है । जो उसे जानता है वह नहीं जानता ।
जो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ वह धास्तव में उसे नहीं जानता, जो उसे
समझता है वही उसे जानता है ।

५. वह प्राचीन काल से रहस्यमय और एक रस है ।

६. उसी ने यह संसार और ये शरीर बड़े हैं ।

का वृत्तान्त पढ़ने से प्रतीत होता है कि बलिदान की क्रियाएँ चीनी अध्यात्म-जीवन का मुख्य भाग हैं, चाहे ये बलिदान शाँगती (परमात्मा) के नाम पर हों अथवा उसके आधीनस्थ अन्य छोटे देवताओं के नाम पर हों या अपने वापदादाओं की आत्माओं के प्रति हों। इन बलिदान की क्रियाओं ने अब तक भी कुलीन चीनियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर अधिकार किया हुआ है। अब तक भी वहाँ जो व्यक्ति जितना अधिक कर्मकारणी होता है वह समाज में उतना ही ऊँचा समर्थन जाता है। राजा के लिये भी कर्मकारणी होना आवश्यक होता है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर इस प्रकार के बलिदानों का प्रभाव चाहुंश (१२ शताब्दि ६० पू०) के उदय से भी पूर्व से चला आ रहा है। चाहुंश के राज्य काल में ही ये प्रथाएँ पूर्ण रूप से विकसित होकर स्थिर प्रथाएँ बन गईं।”

प्राचीन आर्य ऋतु सम्बन्धी यज्ञ किया करते थे क्योंकि वे अश्वि को अहुत अधिक पवित्र करने वाला समझते थे। ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतया इन्हीं ऋतु सम्बन्धी यज्ञों का वर्णन है। प्रतीत होता है कि प्राचीन चीनी लोग भी ऐसे ही यज्ञ किया करते थे। डाकूर लेगे ने ‘शिकिङ्ग का इतिहास’ नामी पुस्तक की भूमिका में लिखा है— “चीन में प्राचीन काल से ही अश्वि अत्यन्त पवित्रता करने वाला समझा जाता है। वहाँ प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ में राष्ट्रीय अश्वि इस उद्देश्य से सुलगाई जाती थी कि उसके द्वारा ऋतु के बुरे प्रभावों से रक्षा हो। इस प्रयोजन के लिये किन्हीं विशेष वृक्षों की लकड़ी ही काम में लाई जाती थी। इन अश्वियों का प्रबन्ध एक मुख्य व्यक्ति के हाथ में होता था। राजा यि झूह काओं सेन (२१६० ६० पू० से २०८५ ६० पू०) के राज्य काल में इस प्रकार का प्रबन्ध प्रारम्भ हुआ था।”

भारतवर्ष के इतिहास में भी एक ऐसा काल आ चुका है जब कि यज्ञ, बलिदान आदि का क्रिया कारण, — जिसका उद्देश्य परमात्मा और उसकी इच्छा के अनुकूल वैयक्तिक और सामाजिक कर्म करना था, ^१ विगड़ कर पशुबलि के रूप में परिवर्तित हो गया। सम्भवतः इस का प्रभाव चीन पर भी पड़ा। इस अंश में भी चीन ने अपनी मातृभूमि भारत का अनुकरण किया, डाकूर लेगे का

१. वौद्वायन गृह्ण परिभाषा सूक्त में यज्ञ का यही अभिप्राय बताया है— “स चतुर्धा ज्ञेय उपास्यस्य,— स्वाध्याय यज्ञो, जपयज्ञः, कर्म यज्ञः मानसशेषेति तेषां परस्पराद्वशमुणोन्तरो वीर्येण। व्रज्जवारी-गृहस्थ-वानप्रस्थ-यतीनां विशेषेण प्रत्येकः। सर्वं एवैतं गृहस्थस्या प्रतिपिद्वाः क्रियात्मकत्वात्। (११। २०-२३)

कथन है— “चीन में बलिदानोत्सव करने से पूर्व मुख्यतया राजा तथा उसके साथियों को उपवास आदि पवित्र होने के साथन करने होते थे । इन उत्सवों में सभी आधीनस्थ राजे भी सम्मिलित हुआ करते थे । सुगन्धित द्रव्यों की ओहुतियें हृदय की आकर्षित करती थीं । एक कार्यकर्ता जो मुख्य द्वार में वैठा होता था प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति की सूचना ऊँची आवाज़ से देता जाता था । मुख्य बलि— लाल वैल-का बलिदान राजा ख्यय अपने हाथों से करता था । बलिदान के बहुत से अन्य पशु भी होते थे । यज्ञ के शेष सब कार्यकर्ता अपने २ काम पर लगे होते थे । ये काम थे— मरे हुए पशु को कोड़े लगाना, मांस को उवालना या भूनना, उसको स्फूलों और तखियों पर रख कर याहिकों के आगे लाना । राजमहल से राज महिलाएँ आकर गाती बजाती थीं, उस समय शराब का प्याला भी चक्र लगा रहा होता था ।”

भारतीय तान्त्रिक छन्दों के साथ यह वर्णन पूरी तरह मेल खाता है ।

ब्राह्मण ग्रन्थों का कथन है कि यज्ञ पात्र लकड़ी के बनाए जाने चाहिये । इसी प्रकार कांगड़ी पुस्तक के बारहवें भाग में लिखा है— “सौ वर्ष पुराने वृक्ष के एक भाग को काट कर एक यज्ञ पात्र घड़ना चाहिये जिसके एक ओर वैल की मूर्ति भी बनी हो ।”

सृतात्माओं के लिये श्राद्ध— प्राचीन भारत में पितृ यज्ञ था पूज्य व्यक्तियों की सेवा एक गृहस्थी का आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था । परन्तु कालान्तर में पितृयज्ञ का अभिप्राय सृत पितरों के नाम पर बलि चढ़ाना और ब्राह्मणों को भोजन देना समझा जाने लगा । शीकिङ्ग पुस्तक के डाकूर लेगे द्वारा किए गए अनुवाद से प्रतीत होता है कि चीन ने भारत की इस विकृत प्रथा का भी हृवह अनुसरण किया— “चीनी लोगों में चिरकाल से यह विश्वास चला आता है कि सृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म रूप से भौजूद रहती है और उस मनुष्य के वंशजों का कर्तव्य होता है कि वे उस की आत्मा को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ धार्मिक क्रियाएँ किया करें । चीनी धर्म ग्रन्थों में राजमन्दिरों में होने वाले इस प्रकार के कर्मकाण्डों के लिये सुगन्धित द्रव्यों की आवश्यकता बताई है । साथ ही इस सम्बन्ध के धन्यवाद पूर्ण गीत और प्रार्थनाएँ आदि भी लिखी हैं । इस श्राद्ध क्रिया के काल, पात्र, विधि आदि का वर्णन भी विस्तार के साथ किया गया है । इन क्रियाओं द्वारा वृत पितरों की आत्माएँ हवि को स्वीकार करने के लिये बुलाई जाती थीं ।”

परमात्मा सम्बन्धी विचार— शीकङ्ग के वृत्तान्तों द्वारा प्रतीत होता है कि प्राचीन चीनी लोग एक ही देवता के उपासक थे। देवराज शाङ्कृती की सर्वसाधारण चीनी लोग ईश्वर के समान पूजा करते थे। चीन की प्रत्येक जाति में किसी न किसी नाम से शाँगती की उपासना अवश्य की जाती थी। शीकङ्ग पुस्तक के अनुवाद की भूमिका में डाकूर लेगे ने लिखा है— “प्राचीन चीन में परमात्मा के लिये जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था: उसका अर्थ ‘शासक’ है। ‘शासक’ शब्द से परमात्मा की सर्वोच्चता भली प्रकार घोषित होती है; राजा की आज्ञा मानने से ही ईश्वर प्रसन्न होगा और उसकी आज्ञा भंग करने से ईश्वर कामबन्ध गिरेगा। जब प्रजाएँ पाप करती हैं तब ईश्वर उन को तूफान, आँधी, दुर्भिक्ष आदि द्वारा दण्ड देता है।”

जिस प्रकार चीनी लोग ‘शासक’ शब्द द्वारा शाँगती का सम्बोधन करते थे उसी प्रकार निम्नलिखित वेदमन्त्र में भी इसी भाव द्वारा ईश्वर को स्वरण किया है— “जगत् के सम्राट् और विश्वात् वरुण की मैं स्तुति करता हूँ। वरुण ने सूर्य के सामने पृथ्वी को इस प्रकार फैलाया है जिस प्रकार कि कसाई चमड़े को फैलाता है। उसने बनों में वायु को फैलाया है, घोड़ों में वल और गांवों में दूध दिया है, मनुष्य में बुद्धि और पानी में आग (बादल में विजली) रखकी है, आकाश में सूर्य और पहाड़ों में सोमलता को पैदा किया है। जब वह भूमि से दूध दुहना चाहता है तब वह उसे और कृषि को सीचता है। उसी के द्वारा पर्वत बादलों में ढके रहते हैं।”

मैक्टीकल की “इशिड्यन थीड़म” पुस्तक का निम्नलिखित उद्धरण वैदिक शाँगती के गुणों को स्पष्ट करता है— “यह वरुण सब से ऊचे लोकों में विराजमान है और मनुष्यों का निरीक्षण कर रहा है। उस के सहस्रों दूत संसार की सब सीमाओं तक जाते हैं और मनुष्यों के कार्यों की खबर लाते हैं। यद्यपि उसमें अनेक गुण हैं तथापि मुख्यतया वह सामाजिक सदाचार का ही निरीक्षक है। अन्य सब वैदिक देवताओं की तुलना में वह एक ऐसा देवता है जिस के सन्मुख जाते ही भक्त लोग अपना अपराध खोकार कर लेते हैं। वह सदैव भलाई और बुराई का निरिक्षण करता रहता है। वह परम रक्षक सब स्थानों को मानो विलकुल समीप से देखता है। केवल दो व्यक्ति भी जहाँ वडी गुपता से कोई सलाह कर रहे होते हैं वहाँ यह तीसरा व्यक्ति-वरुण-अवश्य उपस्थित होता है। भूलोक से परे भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जाकर प्राणी वरुण से छिप सकें।

आध्यात्म सिद्धान्त—भारत और चीन दोनों देशों के आत्मा और प्रकृति आदि के सम्बन्धी प्राचीन दार्शनिक विचार भी एक ही प्रकार के हैं। भारतीय सिद्धान्तों की ध्वनि ही चीनी ग्रन्थों में पाई जाती है। प्रो० विनय कुमार सरकार ने अपनी “Chines Religion through Hindu Eyes” नामक पुस्तक में लिखा है—“चीनी दर्शनों में द्वैत तथा अद्वैत सम्बन्धी विचार और ब्रह्म के सम्बन्ध में असीम पन, अज्ञेयवाद, आदि की कल्पनाएं प्राप्त होती हैं। द्वैत के उदाहरण के लिये चीनी यज्ञ और यिन तथा भारतीय पुरुष और प्रकृति, स्वर्ग और पृथक्की, स्त्री और पुरुष के उदाहरण लिये जा सकते हैं। सात आठ शताब्दि पूर्व के चीनी और भारतीय कर्मकारण, विचार, आदर्श आदि हृबहृ लिखते हैं।”

पुनर्जन्म और कर्म सिद्धान्त—पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्तों में आधारभूत है। प्राचीन चीन में भी यह सिद्धान्त इसी रूप में प्रचलित था। कांगज़ी पुस्तक (१६६) में लिखा है—“वह उत्पादक सच-मुच महान है। वह तुम्हें किस रूप में परिवर्तित करे? वह तुम्हें कहां दे जाय क्या वह तुम्हें चूहा या कीट पतङ्ग बना डाले?”

(Text of Toism S.B.E. Part I. Page 244)

II. थेशाङ्ग पुस्तक में लिखा है—“मनुष्य के भाग्य में सुख या दुख के आने का कोई विशेष द्वार नहीं है; वे तभी आते हैं जब उन्हें मनुष्य स्वयं बुलाता है। अच्छे बुरे कार्मों के साथ छाया की तरह उन का फल लगा रहता है।”

जगत की उत्पत्ति—वेद और शास्त्रों का कथन है यह सब दूसरा जगत अपनी वर्तमान अवस्था की उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में मौजूद था—

तम आसीन्तमसागृहस्ये (ऋग्वेद १०.१२६.३)

“जगत की उत्पत्ति से पूर्व यह सब अन्धकारमय था।” मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का पांचवा श्लोक है—

आसीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमलक्षणिष्म् ।
अप्रत्यक्यमविज्ञेयं प्रसुप्रमिष सर्वतः ॥

“उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अन्धकारमय था; उस समय की अवस्था का लक्षण नहीं किया जा सकता, उसे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। उस का कोई शूल रूप नहीं था अतः उसे इन्द्रियों के ज्ञान से समझा ही नहीं जा सकता था।”

इसी प्रकार कांगड़ी पुस्तक के सातवें भाग में लिखा है—“सब वस्तुएं क्रमशः अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होकर अदृश्य हो जाती हैं।”

(Text of Toisms S.B.E. Part I. Page 134)

इसी प्रकार १० वें भाग में आता है—“इस कथन से तुम्हारा क्या अभिप्राय है कि इस का कोई आदि और अन्त नहीं। कांगड़ी ने उत्तर दिया—यह परिवर्तन, बनना और विगड़ना, निरन्तर सभी वस्तुओं में घराघर होता रहता है। परन्तु हम नहीं जानते कि वह कौन सी शक्ति है जो सब वस्तुओं को जारी और स्थिर रखती है।”

यजुर्वेद का कथन है—

“यथा पूर्वमकल्पयत्”

“ईश्वर ने संसार को उस रूप में पैदा किया जिस में कि यह पहले था।”
वेदान्त दर्शन का सूत्र है—

न कर्मादिभादिति चेत्तानादित्वात् (२ । १ । ३५)

“कर्म ही संसार के जीवों में विषमता और दुःख आदि का कारण नहीं हो सकता क्यों कि सूष्टि के प्रारम्भ में सब जीव कर्म रहित थे—यह युक्ति ठीक नहीं है क्यों कि संसार का प्रारम्भ ही नहीं है।

चीनी चिद्रान लिज्जू का कथन है—“जीवन को किसी ने पैदा नहीं किया जीवन में परिवर्तन लाने वाला स्वयं परिवर्तन शील नहीं है। जो स्वयं पैदा न हो वही जीवन को पैदा कर सकता है। स्वयं अपरिवर्तन शील ही दूसरे में परिवर्तन ला सकता है। जीवन उत्पन्न नहीं होता अपि तु परिवर्तित होता है। इसी से उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सदैव विद्यामान रहते हैं।”

दोनों सिद्धान्तों में कितनी अधिक समानता है

योग और प्राणायाम—भारत और चीन के प्राचीन तपस्वियों के जीवन का मुख्य भाग योग और प्राणायाम है। शिवसंहिता में लिखा है—

बुशोभने भठे योगी पद्मासन समन्वितः ।
आधीनोपि संविशत् पवनाभ्यासमाचरेत् ॥
समकायः प्राञ्जलिष्ठ प्रणाय च गुरुङ्ग सुधी ।
दज्जे वासेच विध्नेशं जल पला म्बिका युनः ॥

ततश्च उर्जाङ्गुष्टीन निश्चय पिंगला सुधीः ।
ईडपा पूरयेद्वायुं यथा शक्तया तु कुम्भयेत् ॥
ततस्त्यक्त्वा पिंगलया शनैरेव न वेगतः ॥

अर्थात् “योगी एक सुन्दर और रमणीय घर में कुशासन पर बैठ कर पश्चासन लगाए हुए प्राणायाम का अभ्यास करे । पहले वह सीधा बैठ कर अपना शरीर स्थिर कर के हाथ जोड़ कर अपने गुरु को नमस्कार करे, इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला (नाक का दायाँ छेद) को बन्द करे और इडा (बायाँ छेद) द्वारा फेफड़ों को भर कर कुम्भक करे और फिर वायु को पिंगला द्वारा धीरे धीरे छोड़े ।”

चीनी ग्रन्थों में लिखा है “(i.) मनुष्य अपनै स्वास्थ्य धन-प्राण वायु-का निरोध कर के ताओ मार्ग के उच्चतम पदों को प्राप्त कर सकता है । (ii) वह अपना मुख बन्द कर के नाक को बन्द करे और इस प्रकार प्राण-वायु को अन्दर बन्द करने से उस के जीवन की श्रम जनक थकावट दूर होगी । (iii) वह अपनै होंठ चिपका लेवे, अपने जबड़ों को भींच ले, अपनी आँखों और कानों से न देखे न सुने । इस अवस्था में वह अपनै अन्दर के भावों पर विचार करे । वह दीर्घ श्वास ले और उसे एक दम छोड़े ।”

निष्काम कर्म— गीता का कथन है—

युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति त्रैष्ठिकीम् ।
श्रयुक्तः काम चारेण फले सक्तो निवध्यते ॥

“योगी पुरुष कर्म फल की आशा को छोड़ कर स्थिर शान्ति प्राप्त करता है । योग रहित अस्थिर मति मनुष्य फलेच्छा के वश में हो कर बन्धन में बंध जाते हैं ।”

इसी प्रकार कांगड़ी पुस्तक के पन्द्रहवें भाग में लिखा है—

“जो मनुष्य सब वस्तुओं को भुला देता है और फिर अपनै पास रखता है, जिसकी शान्ति निस्सीम है उसको सब अमूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं ।”

पूर्ण योगी और जीवन मुक्त— भारतीय और चीनी योगियों के सम्बन्ध के निम्नलिखित उदारणों द्वारा दोनों की समानता की तुलना भली प्रकार कही जा सकेगी—

चीनी ग्रन्थ	भारतीय शास्त्र
<p>जब हम सोते हैं तब आत्मा अन्दर जागत रहता है, जब हम जागते हैं तब शरीर स्वतन्त्र ही जाता है।</p> <p>Text of Toims. S.B.E. Part I. P. 336</p> <p>क्या शरीर को विखरे हुए वृक्ष की तरह और मन को बुझे हुए चूने की तरह बनाया जा सकता है।</p>	<p>समाधि, सुशुप्ति और मुक्ति में आत्मा विश्राम करता है और इस का स्वरूप ब्रह्म सा हो जाता है। (सांख्य १।१६)</p> <p>जिस प्रकार गरम पत्थर परड़ाला गया पानी चारों ओर से संकुचित होकर सूखता जाता है, उसी प्रकार यह प्राण निरन्तर अन्दर और बाहर आता हुआ अधिक परीथ्रम के कारण अपना कार्य छोड़ने लगता है और शरीर अधिक शिथिल पड़ जाता है।</p> <p>(वाचस्पति कृत योग ट्रीका २।५०)</p> <p>योगी रुई से लेकर परिमाणु तक की सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा ध्यान योग का अभ्यास करके स्वयं सूक्ष्म रूप हो जाता है तब उस में आकाश में उड़ सकने और पानी पर चल सकने की शक्ति आजाती है। वह मकड़ी के जाले पर चल सकता है, वह सूर्य की किरणों पर सैर कर सकता है। इस प्रकार वह अपनी इच्छानुसार सब कहों जा सकता है।</p> <p>(व्यासकृत योग भाष्य ३। ४२)</p> <p>मन का, शरीर की परवाह न कर के, बाह्य स्तम्भन करने को यहां विदेह कहते हैं। इस के द्वारा प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और योगी दुसरे मनुष्य शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। (योग ३। ४३)</p>
<p>१. कायाकाशयोः सम्यन्धं संयमात् लघुतूलं समाप्तेश्वकाशं गमनम् ।</p> <p>२. वहिरकल्पिता वृत्तिर्मिष्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणच्छ्रयः ।</p>	

चीनों ग्रन्थ

भारतीय शास्त्र

हैं, वह अपनी अन्तरात्मा से बात करने लगता है। वह गूँन्य स्थान में भी पदार्थों को देखता है और अपने को देवताओं के साथ रहता हुआ अनुभव करता है। उसे एक अपूर्व आनन्द होता है उसकी आत्मा अन्दर ही यथेच्छ अमण कर सकती है।

(Text of Toism. S.B.E. II.
Pages 270-71.)

पूर्ण मनुष्य शुद्ध आन्मा के समान ही जाता है। उसे चाहे उबलते हुए पानी चाले तालाब में भी डाल दिया जाय तब भी वह गर्मी अनुभव नहीं करेगा, उसे चाहे बरफ में भी डाल दिया जाय तो भी वह सरदी अनुभव नहीं करेगा। जब वज्रपात से पतथर फूट रहे हैं, समुद्र में भयंकर तृफान आरहा हो तब भी वह भयभीत नहीं होगा। वह बादलों में धूम फिर सकता है, सूर्य और चन्द्र लोक की सैर कर सकता है।

(Text of toism. II. P. 192)

जिस व्यक्ति ने 'ताओ' के गुण

वस्तुओं के स्थूल और सूक्ष्म रूप तथा उनके सम्बन्धों पर विचार करने से योगी को सूक्ष्म भूतों का भी ज्ञान हो जाता है, वह भूत और भविष्य को भी जान सकता है। वह दिव्य स्पर्श करता है, खर्गीय सुगन्ध सूंघता है, खर्गीय स्वाद लेता है। ये सब आनन्द उसे स्थिर रूप से प्राप्त हों जाते हैं।^१

(योग० ३। ४४)

उदान पर जय प्राप्त करने से जल और कांटे आदि योगी को नहीं सता सकते, वह आकाश में भी उड़ सकता है।^२

(योग० ३। ३६)

भावों पर विचार कर के योगी दूसरे के मन की बात जान सकता है।^३ (योग० ३। ३६)

आसनों की सिद्धी करके योगी सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है।^४ (योग० ४८)

ही अर्जुन मात्रा, स्पर्श, सरदी, गरमी, विजय, हार, सुख, दुख, इन सब सब की परवाह छोड़ कर तुम

१. स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्व संयमाद् भूतजयः ।

२. उदान जयाज्जल पञ्च कण्ठकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च ।

३. प्रत्यस्य पर चित्तज्ञानम् ।

४. शीतोष्णदिभिर्द्वन्द्वेन जयान्तभिभूयते । ततो द्वानभिघातः ।

चीनी ग्रन्थ

पूर्ण रूप से अपनै में धारण कर लिये हैं, वह बालक के समान निष्पाप है। उसे विषेले जीव नहीं काटेंगे। शिकारी जानवर उस पर नहीं टूटेंगे।

(Text of Toism.)

भारतीय शास्त्र

सुखी हो सकोगे।^४ (गीता)

पूर्ण अहिंसा के पालन और परन्मात्मा की समीपता से मनुष्य सर्वथा भय रहित हो जाता है।^५

(योग २ । ३५)

ऐसे मनुष्य के पास आकर उन जीवों की दुश्मनी भी नष्ट हो जाती है जो कि स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं; उदारणार्थ घोड़ा और भैंस, चूहा और बिल्ली, तथा सांप और नेवला अदि।^६

(योग २ । ३५ का वाचस्पति भाष्य)

इस प्रकार सिद्ध होता है कि दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और विचारों में बहुत अधिक समानता है। इस समानता को सिद्ध करने के लिए हम दोनों देशों के साहित्य के अन्य भी वीसियों प्रमाण दे सकते हैं परन्तु हमारी स्वापना को पुष्ट करने के लिए इतने ही प्रमाण पर्याप्त होंगे। अब हम इस अध्याय के अगले प्रकरण में ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि चीन की मातृभूमि भारत वर्ष है और चीनी सभ्यता का विकास भी भारतीय सभ्यता से ही हुआ है।

४. मात्रा स्पर्शस्तुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाः ।

आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्य भारत ॥

५. शाश्वतिक विरोधा आपि शश्व महिष मूषक मार्जराहि नकुलादयोऽपि भगवतः प्रतिष्ठिताहिंसय संनिधानात्तद्विज्ञानुकारिणो यैरं परित्यजन्ति ।

(२)

ऐतिहासिक प्रमाण

साधारणतया यह समझा जाता है कि संसार भर के सम्पूर्ण देशों का पारस्परिक सम्बन्ध पश्चिम की इस नई सभ्यता के कारण ही स्थापित हो सका है। आज प्रायः सम्पूर्ण संसार साहित्यिक और आर्थिक दृष्टि से एक हो चुका है, राजनीतिक दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित होने में अब देर नहीं है। इस सभ्यता के विकास से पूर्व विभिन्न देशों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था; उन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य का कोई नाम भी न जानता था। खास कर पूर्वीय देशों पर तो यह लाजड़न और भी अधिक जोर से लगाया जाता है। परन्तु ज्यों ज्यों प्राचीन इतिहास की खोज अधिक होती चली जाती है यह मिथ्या विश्वास, जो कि लगभग एक निश्चित तथ्य की तरह समझा जाने लगा था, खण्डित होता चला जाता है।

दुर्भाग्य से पूर्वीय देशों का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास आज पूरी तरह प्राप्त नहीं होता। इस लिये उन के प्राचीन सम्बन्धों को विस्तार से जान सकना प्रायः असम्भव हो गया है, तथापि उन के प्राचीन सम्बन्धों की सत्ता सिद्ध करने वाले प्रमाण आज भी बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस प्रकरण में हमें भारत और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों के विस्तार में न जाकर केवल उनकी सत्ता ही सिद्ध करनी है।

प्राचीन काल में एशियाई देशों का सम्बन्ध केवल पूर्व तक ही सीमित नहीं था, अपितु सुदूर अमेरिका तक एशियाई सभ्यता-जिस का केन्द्र भारतवर्ष था—का प्रसार हो चुका था। सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्रान डाकूर सेपिर वर्धों की खोज के अनन्तर इस परिणाम पर पहुँचे हैं—“अमेरिका के उत्तरीय भाग में रहने वाले मूल निवासियों (Red Indians) की भाषा का विकास प्राचीन चीनी, तिब्बती और स्थामी भाषाओं से ही हुवा है। प्राचीन चीनी भाषा और इन अमेरिका के मूल निवासियों की भाषा में बहुत कम अन्तर है। आश्चर्य है कि प्रशान्त महासागर (Pacific Ocean) के दोनों ओर के सुदूर तटों की भाषा में इतनी सम्यनता क्यों है। ऐसा प्रातीत होता है कि किसी प्राचीन काल में चीनी लोगों के कुछ जट्ये खल भाग से पर्वत और मैदानों को लांघते हुए कैनाडा हो कर अमेरिका पहुँचे होंगे और उन्हीं के द्वारा अमेरिका के मूल-वासी भाषा सभ्यता आदि सीख सके होंगे।”^१ इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट प्रतीत

होता है कि उस प्राचीन काल में भी चीन और एशिया जैसे दूर देशों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुवा था ।

महा कवि कालिदास का समय ईसवी सम्वत के प्रारम्भ होने से पूर्व ही माना जाता है । महाकवि कालिदास के समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि चीन और भारत का पारस्परिक व्यापार बहुत अधिक उन्नत अवस्था तक पहुँच चुका था । चीनी रेशम और चीनी कपड़े का भारत में खूब प्रचार हो चुका था । कालिदास के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ शकुन्तला में एक श्लोक आता है जिस का धर्थ है— “मैं अपने शरीर की आगे ले जा रहा हूँ परन्तु मेरा अव्यवस्थित चित्त उस प्रकार पीछे भाग रहा है जिस प्रकार कि जहाज़ का चीन देश का बना पाल जहाज़ को वायु से उलटी दिशा में ले जाने पर पीछे की ओर भागता है ॥”^१

इसी प्रकार कालिदास के समकालीन रघुनन्दन ने अपनी यात्रातत्त्व नामक पुस्तक में लिखा है— “यात्रा से पूर्व मृदुद्रव्यों से खूब मालिश करे, सुगन्धित मालाएँ पहने और चीन देश के बने हुए सुन्दर कपड़े धारण करे ।”^२

चीन और भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ—भारत और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध उस प्राचीन काल से चला आता है जब कि चीन में सब से प्रथम मनुष्यों ने वसना शुरू किया । भारतवर्ष प्राचीन चीन की मातृभूमि है । भारतीय लोग ही चीन देश में जाकर वसे । इस ऐतिहासिक तथ्य का अधिकार सब से पूर्व रायल एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान सर चिलियम जोन्स ने ही किया है । इस से पूर्व समझा जाता था कि चीन को आवाद करने का श्रेय तिव्रत या अरव को ही है । वर्तमान चीनी जाति का उद्गम चीन देश में ही हुवा है यह बात मानने वालों की संख्या बहुत कम है ।

संस्कृत साहित्य में ‘चीन’ शब्द बहुत स्थानों पर प्रयुक्त हुवा है, इस का अभिप्राय मौजूदा चीन देश से ही है । मनुस्मृति के अनुसार चीनी जाति के लोग भारतीय धन्त्रिय वर्ण के ही मनुष्य हैं— “पौरङ्ग, ओड, द्रविड, काम्भोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीनी, किरात, धनद और खश ये

१. गच्छति पुरः शरीरं धार्वति पश्चादसंस्थितं चेतः ।

चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ (शकुन्तल)

२. सर्वाङ्गमनुलिप्येत् चन्दनेन्दु मदुद्रवैः ।

सुगन्धि माल्या भरणैश्चीन चेतैः सुशोभनैः ॥ (यात्रा तत्त्व)

सब जातियाँ एक समय भारतीय क्षत्रिण वर्ण में ही अन्तर्गत थीं, उस समय ये जाति भेद न थे। पीछे से जब ये जातियाँ दूर देशों में जाकर बख गईं और भारतीय ब्राह्मण इनके आचार आदि का नियन्त्रण न रख सके तब ये सब जातियाँ शूद्र हो गईं ।”^३

सर विलयम जोन्स ने भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि सिद्ध करते हुए एक बहुत मनोरञ्जक प्रमाण दिया है। उनका कथन है— “संस्कृत के एक विद्वान् काश्मीरी परिणित ने मुझे एक ‘शक्ति संगम’ नामक प्राचीन पुस्तक, जो कि काश्मीरी अक्षरों में लिखी हुई थी, दिखाई। इस पुस्तक में एक अध्याय चीन देश पर भी था। इस पुस्तक में बताया हुआ था कि चीन देश में भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग जाकर ही आबाद हुवे हैं। चीन देश २०० भागों में विभक्त है आदि। वह परिणित वर्तमान भूगोल के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखता था। मैंने उसके सामने एशिया का एक नकशा रख कर उसे काश्मीर का स्थान दिखा दिया और पूछा कि अपनी पुस्तक के आधार पर बताओ कि वह चीन देश कहाँ है? उसने शीघ्रतां से अपनी अङ्गुली वर्तमान चीन के पश्चिमोत्तर भाग पर रखकर कहा— चीनी लोग सब से पूर्व इस स्थान पर बसे थे, परन्तु मेरी पुस्तक में वर्णित ‘महाचीन’ का विस्तार इस स्थान से लेकर पूर्व दक्षिणीय समुद्र तक तक है।” जब भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में जगह २ चीन का वर्णन उपलब्ध होता है और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता और धर्म में इतनी अधिक समानता है तब भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि न मानने के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

रामायण में चीन देश के लिये आता है कि उस देश में रेशम के कीड़े पैदा होते हैं।^४

इस प्रकार इन सब प्रमाणों से प्रतीत होता है कि भारत और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है।

भारतवर्ष के प्राचीन धर्म, सभ्यता, साहित्य आदि में बहुत अधिक समानता है इसे हम इस अध्याय के पूर्वांक में सिद्ध कर चुके हैं। दोनों

३. शनकैस्तु क्रियालोपादिमा चत्रिय जातयः ।

वृपतत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात् ॥

पौण्ड्रकाशौद्विघः काम्भोजा यवनाः शकाः ।

पारदाः पश्चवाश्चीनाः किराता धनदा खशाः । (मनुस्मृति)

४. भूमिञ्च कोप कारणां भूमिञ्च रजताकराम् । (किञ्चिकान्या काश्छ ४० । २२)

दैशों का अवसायिक और व्यापारी सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन है—यह सिद्ध हो चुका है। परन्तु अब प्रश्न यह है कि भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि क्यों माना जाय, चीन की ही भारत की मातृभूमि क्यों न मान लिया जाय। यह समस्या बहुत जटिल नहीं है। जब स्पष्ट रूप से भारतीय साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग ही चीन देश में जाकर आंदोल हुवे हैं तब दूसरे पक्ष का कोई प्रमाण उपस्थित न होने से इस स्थापना में शंका करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। तथापि इस सम्बन्ध में हम एक और युक्ति देना चाहते हैं।

प्र०० मैक्समूलर का कथन है कि ऋग्वेद संसार का सब से प्राचीन ग्रन्थ है; इससे प्राचीन ग्रन्थ कम से कम वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता। वह ऋग्वेद का निमाणकाल कम से कम २५०० वर्ष ई० पूर्व मानते हैं; उनका कथन है कि ऋग्वेद में वर्णित सम्यता तो २५०० ई० पू० से भी बहुत पुरानी है। इसी प्रकार अन्य पाश्चात्य पुरातत्व वेता और विचारक भी ऋग्वेद को संसार का प्राचीन तम ग्रन्थ मानते हैं। परन्तु ताओ मार्ग की प्राचीनता अधिक १००० ई० पू० समझी जाती है। इस अवस्था में वैदिक शिक्षाओं का उद्भव ताओ मार्ग से होना सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है।

एक और बात भी है। चीनी और भारतीय साहित्य में जो जो बातें समानता लिये हुए पाई जाती हैं उन का पूर्ण और विकसित वर्णन हमें भारतीय साहित्य में ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये योग और प्राणायाम को लिया जा सकता है। भारतीय शास्त्रों में इन दोनों की जितनी विस्तृत और विकसित व्याख्या है, चीनी धर्म ग्रन्थों में उस का दर्शांश भी प्राप्त नहीं होती। ताओ मार्ग में केवल प्राणायाम द्वारा होने वाली योड़ी सी सिद्धियों का ही वर्णन है परन्तु योग दर्शन में प्राणायाम और योग का विधि सहित पूर्ण वैज्ञानिक रूप से वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्रह्मविद्या का जो विस्तृत वर्णन उपनिषदों में है वह ताओ मार्ग के ब्रह्म सम्बन्धी उपदेशों में कहाँ।

चीन देश को आदाद करने का तथा वहाँ सम्भवता का प्रकाश फैलने का श्रेय प्राचीन भारतीयों को ही प्राप्त है; चीनी लोगों के प्राचीन आदि पुरुष भारतीय क्षत्रिय ही थे। इस का प्रमाण हम मनुस्मृति द्वारा इस

प्रकरण के प्रारम्भ में हादे चुके हैं। इस प्रसङ्ग में मनुस्मृति की प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ निर्देश करना अप्रासङ्गिक न होगा। बहुत से ऐतिहासिकों का विचार है कि यद्यपि सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु के सिद्धान्त भी आचार्य शुक्र के सिद्धान्तों की तरह बहुत प्राचीन हैं परन्तु वर्तमान मनुस्मृति के रूप में उपलब्ध होने वाले ग्रन्थ का निर्माण काल मध्ययुग में, ईसी सम्बत प्रारम्भ होने के बाद, ही है। परन्तु हमारी सम्मति में मनुस्मृति का यह स्वरूप भी पर्याप्त प्राचीन है। यह कम से कम महात्मा बुद्ध के जन्म से तो पूर्व का ही रूप है। क्यों कि जहाँ मनुस्मृति में अपने समय के आचार विचार, सिद्धान्तों और आदर्शों का विस्तार के साथ वर्णन है वहाँ बौद्ध आचार विचारों का जिकर भी नहीं किया गया; अगर मनुस्मृति का निर्माण काल महात्मा बुद्ध के बाद होता तो यह बात सर्वथा असम्भव थी। इसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रन्थ धर्म पद में कुछ ऐसे श्लोक आते हैं जो मनुस्मृति के श्लोकों का पाली संस्करण मात्र ही प्रतीत होते हैं। अगर मनुस्मृति का निर्माण काल बौद्धधर्म के अर्विभाव के बाद होता तो यह बात भी असम्भव थी। हम उदाहरण के लिये केवल दो श्लोक मात्र देना ही पर्याप्त समझते हैं—

मनु

धर्म पद

अभिवादन शीलस्य

अभिवादन सीलस्स

नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

नित्यं बुडदा पचभिनम् ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते

खतारी धर्मावहृन्ति

आयुर्विद्या यशोबलम् ॥ १२१ ॥

आनुयवणपी सुलम् ॥ viii. ६ ॥

न तेन वृद्धो भवति ।

न तेन चेरो सीहोती

येनास्य पलितं शिरः ।

चैत्तस्स पालितं सिरो ।

यौं वै युवाप्यधीयान-

परिपक्वो वचो तस्मं

स्तं देवाः स्थाविरं विदुः ॥ १५६ ॥

मधिजितोति बुधवति ॥ xix. ५ ॥

(मनु अ० २

इस का कारण यही प्रतीत होता है कि मनुस्मृति के ये श्लोक बौद्ध काल से पूर्व इतने अधिक सर्वप्रिय हो चुके होंगे कि धर्मपाद के कर्त्ताओं ने भी उन्हें इसी रूप में रखना उचित समझा हांगा। इसी प्रकार महाभारत में भी बहुत से स्थानों पर मनुस्मृति के श्लोक हूबहू उसी रूप

में उपलब्ध होते हैं और उनका मनुस्मृति से लिया जाना महाभारत कारने स्वयं स्वीकार किया है। इन युक्तियों के आधार पर मनुस्मृति की प्राचीनता में सन्देह नहीं रहता ।

८

चीन के सम्बन्ध में महाभारत का एक और प्रमाण दे कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। शान्तिपर्व में महाराज युश्मिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं—“यवन, फिरात, कान्धारी, चीनी, शवर, वर्षर, शक, तुपार, कङ्ग, पल्लव, आंध्र, मद्रक, पौराङ्ग, पुलिन्द, अरड, काच और म्लेच्छ जातियाँ जो कि भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के संकरत्व से पैदा हुई हैं किस प्रकार धर्म की रक्षा करेंगे? और इन जातियों को मेरे जैसे राजा किस प्रकार के नियमों में रखें?” इन श्लोकों से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ये सब देश पहले भारतीय ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों द्वारा उपनिवेशीों के रूप में वसाये गए थे, परन्तु धीरे धीरे परिस्थितियों के प्रभाव से इनका अपना मातृभूमि से सम्बन्ध कम होता गया।

प्राग्वौद्ध कालीन भारत का चीन पर प्रभाव—उपर्युक्त प्रकार से से चीन देश भारतीयों द्वारा ही आवाद किया गया। इस का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि चीन निवासी प्रत्येक दृष्टि से अपनी मातृभूमि के धर्म, आचार, विचार, प्रथाओं आदि को ही आदर्श समझ कर उनका अनुकरण करते रहे। प्राचीन चीन पर भारत वर्ष का यह नैतिक प्रभाव बहुत समय तक कायम रहा। इस सम्बन्ध में बहुत से प्रमाण हम इस अध्याय के पहले हिस्से में दे चुके हैं।

महात्मा बुद्ध के उदय से पूर्व भी भारतवर्ष का चीन देश पर बहुत अधिक प्रभाव था; चीन देश का साहित्य स्वयं इस का साक्षी है। प्रसिद्ध चीनी

१. यवनाः किरता गान्धाराद्यनाः शवर्वर्वराः ।

शकास्तुयाराः कङ्गाद्य पल्लवाद्यान्धमद्रकाः ॥ १३ ॥

उप्राः पुलिन्दा आरट्राः काचा म्लेच्छाद्य सर्वेशः ।

ब्रह्मक्षत्र प्रसूताद्य वैश्या शूद्राद्य मानवाः ॥ १४ ॥

कथं धर्मं चरिष्यन्ति सर्वे विषय वासिनः ।

मद्विधैश्च कथं स्याप्या सर्वे वै दस्युजीविनः ॥ १५ ॥

(महाऽ शान्तिऽ अ० ६४)

चिद्रान् यांगत्साई ने १५५८ में एक ग्रन्थ लिखा था जिसे हूँ या ने १७७६ में पुनः सम्पादित किया था । इस पुस्तक के पादरी क्लार्क द्वारा किए अनुवाद का निम्न लिखित उद्धरण हमारी उपर्युक्त स्थापना को पूरी तरह पुष्ट करता है—“यह सम्भव है कि इसी प्रान्त द्वारा वर्तमान चीनी साम्राज्य की नींव रखकी गई हो । अत्यन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष के मोली-ची राज्य का आह-यू नामक राज कुमार यूनन प्रान्त में आया । इस राजकुमार के पुत्र का नाम ती-मोंगेङ्ग था । सम्भवतः यह कुमार भी अपने पिता के साथ आया और इस ने अपने पिता को यहां राज्य स्थापित करने में सहायता दी । कालान्तर में राजा ती-मोंगेङ्ग के क्रमशः नौ पुत्र हुए । ये नौ पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए और उन्होंने भिन्न २ जातियों की नींव डाली ।

“पहले पुत्र मौङ्ग-कू-फू ने साम्राज्य के सोलहवें भाग को बसाया (मालून नहीं कि यह स्थान कौन सा है) । दूसरे पुत्र मौङ्ग-कू-लिन ने त्वाफन या तिव्वत का राज्य बसाया । तीसरे पुत्र मौङ्ग-कू-लू ने हैन-रैन या चीन देश को बसाया । चौथे पुत्र मौङ्ग-कू-फू ने मैनत्साई राज्य बसाया । पांचवे पुत्र मौङ्ग-कू-तू ने मौङ्गशी (सम्भवतः मङ्गोलिया) राज्य को बसाया । छठे पुत्र का नाम भी मौङ्ग-कू-तू था, इस ने लीअन (सम्भवतः स्याम) देश को आबाद किया । सातवें पुत्र मौङ्ग-कू-लोन ने अनाम देश बसाया । आठवां लड़का मौङ्ग-कू-सङ्ग प्राचीन यज्ञीस जाति का पूर्व पुरुष है । नौवें पुत्र मौङ्ग-कू-नव ने पई-इब या पेह-इब को आबाद किया ।

भिन्न २ राजवंशों के साथ ही साथ यूनन देश का नाम भी बदलता रहा । यह नाम चाहुं वंश से लेकर मिङ्ग वंश ११२२ ई० पूर्व से ६६० ई० पश्चात् तक रहा ।

इसी पुस्तक में एक हिन्दू प्रान्त की सरकार का वर्णन इस प्रकार किया गया है—‘यहां की सरकार की रवना इस प्रकार थी—नियामक विभाग, सिविल और सैनिक कार्यों का नियन्त्रण करने के लिए आठ मन्त्री थे; प्रबन्ध विभाग के नौ मुख्य अधिकारी थे, इन मन्त्रियों पर एक सभापति था; जन संघा (गणना) का एक अध्यक्ष था; सैनिक कार्यों के लिए एक विह्व सलाहकार था; जनता के कार्यों तथा व्यापार-संघों के दो मुख्य अधिकारी थे; सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए तीन अधिकारी थे; एक घोड़ें और पशुओं का अध्यक्ष था; एक प्रधान सेनापति और रसद विभाग का अध्यक्ष था । यहां यज्ञ-चैङ्ग-फू आदि नाम के दो अधिकारी थे । दो ब्रिगेड के अध्यक्ष थे ।

१७ अधिकारी मिश्र २ प्रान्तों में नियुक्त थे। ताली राज्य के पूर्वीय भाग में सेना के ३५ अधिकारी नियुक्त थे।”

यह वर्णन एक प्राचान चीनी हिन्दू प्रान्त की सरकार का है। पाठक इस की तुलना भारतीय नीति ग्रन्थों-मनुस्मृति, शुक्लनीति, शान्ति पर्व, कौटिल्य-अर्थशास्त्र आदि—में वर्णित शासन पद्धति से करें। इन दोनों शासन पद्धतियों में बहुत अधिक समानता है। इस पद्धति में भारतीय अष्ट प्रधान, मन्त्री-सभा आदि हृष्टव्य उसी रूप में पाये जाते हैं। इस प्रकार चीनी साहित्य स्वर्य दोनों देशों के प्राचीनकालीन सम्बन्ध की साक्षी देता है।

भारतीय राजकुमार—श्रीयुत् दलाल का कथन है कि उपर्युक्त भारतीय राजकुमार, जिस ने चीन देश को आबाद किया, का वर्णन पुराणों में भी है—“यद्गत्सार्इ द्वारा वर्णित भारतीय राजकुमार आह-यू का वर्णन पुराणों में भी प्राप्त होता है। हमारी सम्मति यह राजकुमार आह-यू वास्तव में पौराणिक साहित्य में सुप्रसिद्ध राजा पुरुरवा का पुत्र ‘आयु’ ही है।” टौड के राजस्थान में अबुल गाज़ी द्वारा वर्णित उल्लेख से भी इस स्थापना को पूर्णतया पुष्टि होती है। वह उल्लेख इस प्रकार है—

“एक औगक्स के दो लड़के थे, एक का नाम था कियम (सूर्य) और दूसरे का नाम था आय अथवा आयु (चन्द्र)। इन में से आयु तातरि लोगों का पूर्व पुरुष है। आयु या आह-यू के जन्म के सम्बन्ध में पुराणों और चीनी ग्रन्थों में जौ वर्णन उपलब्ध होता है उस में भारी समानता है। पुराणों (विष्णु पुराण, IV. I.) के अनुसार बुद्ध ने इड़ा को देखा, जब वह उस के समीप रहने लगी तब उस से पुरुरवा नामक एक पुत्र हुवा, इस पुरुरवा का घड़ा लड़का ही आयु था। चीनी ग्रन्थों के अनुसार आह-यु भी एक तारे का ही पुत्र था, वह तारा फो (बुद्ध नक्षत्र) था। यह नक्षत्र भी आह-यु की माता पर यात्रा में ही आसक्त हुआ था। इस आह-यु ने २२०७ ई० पू० राज्य किया। इसी सम्राट् ने चीनी साम्राज्य को ६ भागों में विभक्त किया।”^१

भगदत्त—महाभारत में वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर के समकाल में चीन देश पर भगदत्त नाम का राजा शासन कर रहा था, यह

१. विष्णु पुराण भाग ३. अध्याय ८

२. Modern Review August 1916.

राजा महाभारत के भारतीय महायुद्ध में भी सम्मिलित हुवा था । युद्ध में इस ने कौरवों का पक्ष लिया था; इसी युद्ध में ही इस की मृत्यु हुई । इस के कारण कौरवों की बहुत अधिक सेना वृद्धि हुई थी ।

उपसंहार— अन्त में हम सर विलियम जोन्स के इन शब्दों के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं—“हमें अत्यन्त प्राचीन चीनी लोगों में ऐसे विश्वास और धार्मिक कृत्य प्राप्त होते हैं जो कि प्राचीन तम भारतीय विश्वासों और धार्मिक कृत्यों के साथ हूँवहूँ मेल खाते हैं । इनको चीनी विचारक और चीनी सरकारे भी प्रोत्साहित ही करती रही हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों और चीनी धर्म ग्रन्थों के बहुत से विद्वानों में समानता है । प्राचीन हिन्दुओं के मृतक संस्कार, श्राद्ध आदि भी इसी रूप में प्राचीन चीनियों में भी पाये जाते हैं । इतना ही नहीं अपितु बहुत सी प्राचीनतम भारतीय कथाएँ और हिन्दू काल की ऐतिहासिक घटनाएँ कुछ विगड़े हुए रूप में चीनी साहित्य में उपलब्ध होती हैं । ये सब समानताएँ श्रीयुत ले जैरिटल और श्रीयुत वैल्ली ने अनथक खोज के बाद सिद्ध की हैं । यह समझना कि बौद्ध धर्म के साथ ही साथ ये सब बातें चीनी साहित्य और चीनी सभ्यता में प्रवेश कर गई होंगी—भारी भूल होगी । क्योंकि इन में बहुत सी प्रथाएँ ऐसी हैं जो बौद्ध सभ्यता के एक दम प्रतिकूल हैं । उदाहरणार्थ यज्ञों में पशुबलि की भारतीय प्रथा अहिंसाप्राण बौद्ध धर्म अपने साथ चीन में ले ही नहीं जा सकता था । ये सब प्रथाएँ प्रागबौद्ध कालीन हिन्दू धर्म के साथ ही पूरी तरह मेल खाती हैं ।” “इन सब प्रमाणों से भली प्रकार सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू और चीनी लोग प्रारम्भ में एक ही जाति के थे । परन्तु जब उन में से कुछ लोग चुदूर चीन देश में जाकर बस गए तब हजारों वर्षों के बाद क्रमशः चीनी लोग तो अपनी प्राचीन सभ्यता, धर्म, भाषा आदि को प्रायः भूल से गए परन्तु भारत वर्ष में वह सभ्यता अवनत नहीं हुई ॥”

इस प्रकार भारतवर्ष और चीन के प्रागबौद्ध कालीन सम्बन्ध की सत्ता, और उनकी पारस्परिक घनिष्ठता भली प्रकार सिद्ध हो चुकी । इस काल के बाद तो, अर्थात् बौद्ध काल में, यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया । भारतीय प्रचारकों के अनवरत यत्न से सारे का सारा चीन महात्मा बुद्ध के सम्प्रदाय का अनुयायी हो उठा । उस काल का वर्णन हम यथास्थान अपने इतिहास के धरंगले खण्डों में करेंगे ।



* द्वितीय अध्याय *

भारत और ईरान



भारत और ईरान के मध्यकालीन पारस्परिक सम्बन्ध के सब से बड़े जीवित और प्रमाण वर्तमान भारतवासी पारसी लोग ही हैं। वे लोग आज से बहुत कालपूर्व भारत में आकर वसे थे। अब तो भारतवर्ष ही इन लोगों की मातृभूमि बन चुका है। परन्तु प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता को ईरान ने बड़ी उत्करणा से स्वीकार किया था तथा भारतीय प्रथाओं और विचारों को अपनाया था—यह बात सिद्ध करने के लिये कुछ प्रमाण देना आवश्यक होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय भारतीय आर्य लोग ही ईरान में जाकर आवाद हुए होंगे। इसी से इस देश का नाम “आर्य-स्थान” पड़ा होगा, जो कि अब विगड़ते विगड़ते “ईरान” हो गया है। पारसियों का प्राचीन धर्म ग्रन्थ “जिन्दावस्था” है। इसी ग्रन्थ को वे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। जिन्दावस्था में बहुत सानों पर ‘आर्य’ शब्द प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये—

“आर्यों के प्रताप के कारण”^१

“मज्दा के द्वारा की गई आर्यों की कीर्ति के कारण”^२

“हम मज्दा द्वारा स्थापित की हुई आर्यमहिमा के प्रति आहुति देते हैं।”^३

“आर्यों के देश किस प्रकार उपजाऊ बनेंगे?”^४

“देखो, आर्यजाति उस के प्रति तर्पण करती है।”^५

इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि जिन्दावस्था में जिन प्राचीन ईरानी लोगों की प्रार्थनाएँ वार्णित हैं वे अपने को आर्यजाति का ही मानते थे। इस बात की सिद्धि के लिए कि ईरान के प्राचीनतम महापुरुष ईरान देश

1. Serozah. I; 9. V. II. P.7.

2. " I. Bud. I. 25. Vol. II. P.11

3. " II. 9. P. 15.

4. " I. Bud. 9.

5. " I " 3. 4. P. 108.

के नहीं थे, एक प्रमाण देनां अप्रासङ्गिक न होगा । ज़िन्दवस्था में ऋषि जोराष्ट्र का वर्णन बहुत सम्मान व श्रद्धा के साथ किया गया है । इस ऋषि जोराष्ट्र के सम्बन्ध में विद्वान् विचारक स्पीगल का कथन है कि यह ईरानी का न होकर अद्वितीय का था ।

इसी प्रकार कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ज़िन्दावस्था वास्तव में “छन्दोवस्था” का अपभ्रंश है । अर्थात् उपनिषदों की शिक्षा को ही छन्दोवस्था के रूप में लिखा गया था । इस बात की विवेचना हम आगे चल कर करेंगे ।

सम्बन्ध शिथिल कब हुवा ?— हमारी सम्मति में कम से कम महाभारत काल तक तो भारतवर्ष और ईरान का पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त धनिष्ठ रहा होगा । उस काल के बाद ही इस सम्बन्ध में शिथिलता आनी प्रारम्भ हुई होगी । महाभारत में “पारस” देश का नाम कई स्थानों पर आया है । साथ ही महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों की बहुत सी बातें ज़िन्दावस्था के साथ खूब मेल खाती हैं—

१. पारस देश के धर्मग्रन्थ पहलवी भाषा में लिखे हुए हैं । पहलवी भाषा बोलने वालों के लिये संस्कृत साहित्य में “पल्हव” नाम आता है । यह नाम महाभारत में अनेक बार आया है । इसी प्रकरण में पारसीक, यवन, हरद, खश आदि नाम भी साथ ही आये हैं । ये पारसीक फ़ारसी और पल्हव पहलवी भाषा का प्रयोग करते थे ।

२. महाभारत में लिखा है कि गौ को नहीं मारना चाहिये ; जो लोग यज्ञों में पशुहत्या करते हैं, वे धूर्त हैं । इसी प्रकार ज़िन्दावस्था में लिखा है कि परमात्मा ने गोरक्षा के लिये ज़रदुष्ट को नियुक्त किया ।

३. धार्मिक दृष्टि से महाभारत का काल भारत में अवनति का काल था । इसी समय से कलियुग (पापयुग) का प्रारम्भ माना जाता है । ज़िन्दावस्था में लिखा है— “लोग परमात्मा को भूल रहे हैं ; पुराने समय में स्वर्णीय काल था जब कि सब लोग धर्मानुकूल आचरण करते थे । ” इससे प्रतीत होता है कि यह वर्णन महाभारत का समकालीन ही है ।

४. वहुत से पारसी विश्वास भारतीय विश्वासों के आधार पर ही चनाए हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ पारसियों में कुत्ता पवित्र समझा जाता है। इस का वास्तविक कारण पारसी ग्रन्थों में यही बताया गया है कि जब चरवाहे सो रहे होते हैं तब कुत्ता गौओं की रक्षा करता है अतः वह पवित्र है। भारतीयों की तरह ईरानवासी भी गोमूत्र को वहुत पवित्र समझते हैं। एक समय वे वच्चे की शुद्धि के लिये उस पर गोमूत्र ही छिड़का करते थे। भारतीय धर्म ग्रन्थों की तरह ज़िन्दावस्था में भी गौ को माता माना गया है।

५. ‘यास्ना’ पारसीयों की धर्म पुस्तकों में से एक है। इस के ४६ वें और ४७ वें अध्याय में ज़रदुष्ट ने ईश्वरीय धर्म के प्राचीन तम स्वरूप का वर्णन किया है। यास्ना के ४३ वें अध्याय में “अङ्गिरा” का भी नाम आता है। भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अङ्गिरा एक महर्षि हुआ है, जिसे संसार की उत्पत्ति के प्रारम्भ में अथर्व वेद का ज्ञान हुआ था।

६. पारसी ग्रन्थ ‘होवा युष्टु’ में अथर्व वेद का वर्णन भी आता है। घहाँ लिखा है— “कृशानु राजा बड़ा दुष्ट था। उसने आज्ञा दी थी कि कोई अथर्व वेद का ज्ञाता “आपय, अविष्टय” आदि न पढ़े। इसी कारण उसे राजसिंहासन से उतार दिया गया। महाभारत के अनुसार अथर्ववेद का प्रारम्भ “शन्नो देवो रमिष्टय आपो—” मन्त्र से होता है। “आपो” और “अविष्टय” ये दोनों शब्द इसी मन्त्र में आते हैं। अतः समझते हैं दोनों शब्दों के द्वारा उस समय अथर्व वेद का ग्रहण ही किया जाता होगा।

७. ज़िन्दावस्था में “कावा उसा” नामी एक महापुरुष का वर्णन आया है। वैदिक साहित्य में “कवि पुत्र उपना” नामक एक महान् व्यक्ति का वर्णन है, संस्कृत साहित्य में इसी को ‘काव्य’ और ‘उपना’ नाम दिये गये हैं।

इस प्रकरण में वर्णित ज़रदुष्ट का समय भिन्न २ विद्वान भिन्न २ मानते हैं। महाशय ग़जैन्थस के अनुसार वह १८०० वर्ष ई० पू० में हुआ। यूनानी विद्वान एरिस्टोटल और प्लेटो उसे ७००० ई० पू० और महाशय वारेसस २२०० ई० पू० का मानते हैं।

उपर्युक्त तुलनाओं से प्रतीत होता है कि महाभारत काल तक भारत और ईरान का सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ठ था, तथा ईरान की सभ्यता और विचार भारतीय सभ्यता और विचारों के आश्रय पर चिकिसित हुए। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल तक ईरान देश तथा ईरानी जाति की

पृथक् सत्तों भली प्रकार मौजूद थी । दूसरे शब्दों में भारतीय सभ्यता महाभारत काल तक उस देश में ईरानी सभ्यता का रूप धारण कर चुकी थी । परन्तु दोनों देशों का सम्बन्ध इस समय भी पर्याप्त घनिष्ठ होगा ।

ज़िन्दावस्था का निर्माण काल महाभारत ग्रन्थों के निर्माण के समकालीन या उससे कुछ पूर्व प्रतीत होता है, क्योंकि इस में “वियास” (व्यास) का वर्णन भी उपलब्ध होता है ।

धर्मों की समानता— पारसी धर्म ग्रन्थों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्थग्न रूप से वेदों से ली गई प्रतीत होती हैं । बहुत से वैदिक देवताओं तथा ईश्वर के नाम ज़िन्दावस्था में उसी रूप में पाये जाते हैं । उदाहरण के लिये—

१. ज़िन्दावस्था में ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम “अहुरमज्ञदा” है । यह शब्द वास्तव में वैदिक शब्द “असुरमेधा” का विगड़ा हुआ रूप है । वेद में अनेक स्थानों पर ईश्वर के लिये “असुर” शब्द प्रयुक्त किया गया है । वहाँ इस का अर्थ “प्राणों को धारण करने वाला” और “प्रलय कर्ता” है । इसी प्रकार ईश्वर के मित्र, नाराशंसी, अर्यमन्, ब्रह्मन्, भग आदि नाम भी ज़िन्दावस्था में प्राप्त होते हैं । ३३ वैदिक देवताओं के अनुसार ज़िन्दावस्था ने भी ३३ देवता ही माने हैं ।

२. वैदिक यज्ञों का वर्णन भी ज़िन्दावस्था में प्राप्त होता है । वहाँ “सोम यज्ञ” तथा “गोमेध” को “होम” तथा “गोमेज़” नाम से लिखा है । इन यज्ञों का अभिप्राय कृषिपरक है । इसी प्रकार वैदिक “दर्शेष्ठि” यज्ञ को ज़िन्दावस्था में “दास” नाम दिया गया है ।

३. चार वैदिक वर्णों के अनुसार ही पारसी धर्म ग्रन्थों में इन चार वर्णों का वर्णन है—

- I. हरिस्तरन (Horistoran) — ब्राह्मण.
- II. नूरिस्तरन (Nuristoran) — धूत्रिय.

१. अष्ट ते हैडो नमोभिरिव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः ।

— ऋष्यस्माभ्युत्तर प्रचेता राजनेनासि शिश्रथः कृतग्नि ॥ [क्र०.१.२४.१४.]

यथा रुद्रस्य सूनषो दिवो विश्वन्त्युत्तुरस्य वेधसः ।

युवानस्तथेदसर ॥ [क्र०.८।२०।१७.]

III. सोसिस्तरन (Sositoran) — वैश्य.

IV. रोजिस्तरन (Rozistoran) — शूद्र.

४. वैदिक ग्रन्थों की तरह पारसी धर्म ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दिया गया है। उन के अनुसार बीर्यनाश एक भग्रङ्कर पाप है।

अन्य समानताएं—पारसी लोगों की बहुत सी प्रथाएँ भारत-वासियों की प्राचीन प्रथाओं से बिल्कुल मिलती हैं—

भारत-वासियों की तरह पारसी लोग भी सोना, चाँदी, पीतल और मिट्ठी के वर्तनों को कमशः कम पवित्र समझते हैं। ईरान में भी गर्भिणी और ऋतुमति खो से छूत रखती जाती थी।

प्राचीन पारसी पुरोहितों के लिए वैदिक पुरोहितों की तरह यज्ञोपवीत पहरना, यज्ञ करना, अध्यापन, अध्ययन, संयमियों की तरह रात्रि जागरण, उपवास आदि ब्रत करना आवश्यक होता था। प्राचीन पारसी ब्राह्मण भी भारतीय ब्राह्मणों की तरह निर्धनता का जीवन ही व्यतीत करते थे।

पारसी ग्रन्थ 'महा वू' में लिखा है—“शब्द भी ब्रह्म है।”

'यामा' के अनुसार प्राचीन पारसी लोग गायत्री का जाप करते थे।

'सिरोजा' के अनुसार—“परमात्मा सहस्राक्ष है—”

'यामा' के अनुसार—“परमात्मा के १०१ नाम पूज्य हैं।”

दोनों सभ्यताओं की समानता के लिए इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त है।

जिन्द अवस्था—यह नाम भी वैदिक नाम है। “जिन्द” शब्द “छन्द” का अपभ्रंश है। अवस्था का अर्थ है, ज्ञान। इसका अंभिप्राय “छन्द ज्ञान” अर्थात् “मन्त्र ज्ञान” हुआ।

भाषाओं में समानता—

जेन्द भाषा का उद्भव संस्कृत भाषां से ही हुआ है। यह बात सिद्ध करने के लिये विशेष युक्तियां देने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए हुए कुछ शब्दों द्वारा हमारी यह स्थापना स्वयं पुष्ट होजायगी—

संस्कृत	जेन्द	अर्थ
(संस्कृत 'स' जेन्द में 'ह' होगया है।)		
असुर	अहुर	परमेश्वर
सोम	होम	वनस्पति

(२८६)

भारतवर्ष का इतिहास ।

संस्कृत
सप्त
सेना

जेन्द्र
हप्त
हेना

अर्थ
सात
फौज

(संस्कृत 'ह' जेन्द्र में 'ज़' होगया है ।)

हस्त
होता
आहुति
बाहु
अहि

ज़स्त
ज़ोता
आजुति
बाजु
अज़ि

हाथ
हवन कराने वाला
आहुति
बाहु
सांप

(संस्कृत 'ज' जेन्द्र में 'ज़' होगया है ।)

जानु
घञ्ज
अजा
जिह्वा

ज़ानु
घञ्ज
अज़ा
हिज्वा

घुटना
वञ्ज
बकरी
जघान

(संस्कृत 'श' जेन्द्र में 'स्प' हो गया है ।)

विश्व
अश्व

विस्प
अस्प

संसार
घोड़ा

(संस्कृत का पहला 'श' या 'स्व' जेन्द्र में 'क' हो गया है ।)

श्वसुर
स्वप्न

क्लसुर
क्लप्न

ससुर
सपना

संस्कृत 'त' जेन्द्र में 'ध' हो गया है ।)

मित्र
मन्त्र

मिथ्र
मन्थ

मित्र
मन्त्र

(संस्कृत 'भ' जेन्द्र में 'फ' हो गया ।)

गृभ
गोमेध

गृफ
गोमेज़

पकड़ना
खेती करना ।

संस्कृत

ज्ञेन्द्र

धर्म

(इन शब्दों में कोई अन्तर नहीं आया ।)

पशु	पशु	पशु
गौ	गाव	गाय
उक्षन्	उक्षन्	वैल
यव	यव	जौ
वैद्य	वैद्य	वैद्य
वायु	वायु	वायु
इतु	इतु	वाण
रथ	रथ	रथ
गन्धर्व	गन्धर्व	गाने वाले
अर्थर्वन	अर्थर्वन	यह ऋषि
गाथा	गाथा	पवित्र पुस्तक
इष्टि	इष्टि	यह
ज्ञन्द	ज्ञन्द	ज्ञान

वैदिक शब्द—

अस्मै = अहमै	कस्मै = कहमै
श्वान = स्यान	श्वः = स्य
शुने = सुने	शूनस् = सूनो
शुना = शुनाम्	पथिन् = पथात्
पथ = पथा	पथ्यनक्ष = पन्नानो
कृणोमि = किरिनाउमि	गमयति = जमयति
येपाम् = हयूनाम्	श्वान = स्यानम्
श्वास = श्यास	गृष्णामि = गैरिनामि
पन्थ = पन्न	

इसी प्रकार अन्य भी बहुत से समान शब्द उद्भूत किये जासकते हैं । कितने काल के व्यवधान में ये शब्द इस रूप में परिवर्तित हुए इस सम्बन्ध में अभी तक शब्दशास्त्रज्ञ चुप हैं ।

इन सब प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पारसी सभ्यता का विकास भारतीय वैदिक सभ्यता से ही हुआ है ।



* तीसरा अध्याय *

एसनीज़ लोग और भारतीय आर्य

~~~~~

एसनीज़ लोगों का वास पैलस्ट्राइन देश में था। एसनीज़ एक विशेष प्रकार के सम्प्रदाय का नाम था, जो कि देश या जन्म के आधार पर संगठित नहीं था। इस जाति की अनेक शाखाएँ थी, इन में से एक मुख्य शाखा का नाम 'थेराप्यूट्स' था। ऐसा प्रतीत होता है कि एसनीज़ सम्प्रदाय ने भी भारतीय सभ्यता और वैदिक विचारों को भली प्रकार अपना लिया था। बहुत से एसनीज़ रीतिरिवाज और विचार भारतीय ही प्रथाओं और विचारों से हूबहू मिलते हैं।

**थेराप्यूट्स**— थेराप्यूट्स लोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ वैज्ञानिक कुमारी फेराजा के अनुसार संक्षेप में कुछ बातें यहाँ लिखी जाती हैं— “सम्पूर्ण एसनीज़ जाति में थेराप्यूट्स लोग ही अपने पास कुछ भी धन नहीं रखते थे। परन्तु फिर भी वे सब से अधिक सम्पन्न थे; क्योंकि उन की आवश्यकताएँ बहुत ही कम थीं। लोभ, जो कि अन्याय की ओर ले जाने वाला है, से वे सर्वथा मुक्त थे। थेराप्यूट्स सदैव ब्रह्मज्ञान की ओर ही अपना ध्यान रखते थे। अपनी जाति की प्राचीन रीति के अनुसार वे दार्शनिक विचारों को भी आलंकारिक रूप में ही लिखा करते थे। वे लोग अतिथि सत्कार के लिये बड़े उत्सुक रहते थे; अन्य देशों से आए हुए लोगों के लिये उनके द्वारा सदैव खुले रहते थे। उनकी संस्थाएँ भी धर्म और परोपकार के लिये ही बनाई जाती थीं। वे सदैव खूब प्रसन्न रहते थे। किसी व्यक्ति का सम्मान वे उस के जन्म और जाति के आधार पर नहीं अपितु उस के गुणों के आधार पर ही करते थे।

“थेराप्यूट्स लोग सदैव पैथागोरियन दार्शनिकों के विचारों के आधार पर अनिर्बाच्य परब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे। ईश्वर का यह पवित्र नाम जैट्रोग्रमेशन ( Jetragrammation ) है; आज कल इस का अनुवाद ‘जहोवा’ किया जाता है। इस शब्द के प्रत्येक अक्षर में भिन्न भिन्न भाव भरे हुए हैं; ईश्वर के सब गुण इन भावों में समा जाते हैं। इसी नाम के आधार पर प्राचीन एसनीज़ साहित्य में लिखा है कि ईश्वर के मुख्य नाम के अक्षरों से

ही संसार उत्पन्न हुवा है, और स्थिर है । धैराप्यूद्स लोग परमेश्वर के इस नाम के मूलमन्त्र का रहस्य अपने शिष्यों को बहुत गुप्त रीति से बताया करते थे ।”

धैराप्यूद्स लोगों के उपर्युक्त वर्णन में भारतीय तपस्वी ग्राहणों के वर्णन से कितनी अधिक साम्यता है इसका निर्णय पाठक स्वयं कर सकते हैं । एक बात की ओर हम स्वयं पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । ईश्वर का सर्वोच्चम वैदिक नाम “ओ३म्” है । यह ओ३म् भी चतुष्पाद है इस के प्रत्येक पद में अनेक भाव भरे हुए हैं । मुण्डकोपनिषद् और यजुर्वेद में इस की विस्तृत व्याख्या की गई है । एसनीज़ साहित्य की तरह वैदिक साहित्य की भाषा में हम कह सकते हैं कि ओ३म् के चार अक्षरों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है ।

**एसनीज़ लोग**— इस जाति के लोग मृत सागर ( Dead Sea ) के किनारों पर फैले हुए थे । यह जाति जन्म या देश के आधार पर नहीं थी । इसे एक विशेष सम्प्रदाय कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । यह तपस्वियों का एक विशाल समुदाय था । इस के कई विभाग थे, जिन में से धैराप्यूद्स का चर्णन हम कर चुके हैं । एसनीज़ सम्प्रदाय की बहुत सी वार्ते भारतीय प्राचीन तपस्वियों से बहुत अधिक मिलती हैं । उदाहरणार्थ Encyclopidia of Religion and Ethics के आधार पर एसनीज़ लोगों का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ उद्धृत करते हैं—<sup>१</sup> “ये लोग पैलस्टाइन और सीरिया में भोपड़ियाँ डाल कर अथवा वृक्षों के तले रहते थे । ये लोग सदैव ईश्वर भक्ति में मग्न रहते थे ; पशु-हत्या या बलिदान कभी न करते थे । शहरों से बाहर छोटे छोटे दल बना कर रहते थे । वे तर्क को व्यर्थ और ज्ञान मार्ग में बाधक समझते थे ; आचार शास्त्र के अध्ययन पर बहुत अधिक बल देते थे ; प्राचीन प्रथाओं का अक्षरशः पालन करते थे । उपासना के लिये सब ने अलग अगल स्थान ले रखते थे । प्रातःकाल ईश्वरोपासना के बाद अपना सारा समय ये लोग आचार शास्त्र के प्राचीन नियमों और व्यवस्थाओं के अनुशीलन में लगाते थे । ये लोग भिन्न भिन्न छन्दों में कविता भी किया करते थे । सप्ताह के अन्तिम दिन अवकाश मनाते थे ; उस दिन सब लोग एक स्थान पर जमा होकर अपनी आयु के क्रम से बैठते थे । एक व्यक्ति धर्म-ग्रन्थ को ऊँची आवाज़ में पढ़ता था और शेष सब खूब ध्यान से उसे सुनते

१. Encyclopidia of Religion and Ethics.— “Essenes.”

by James Moffot.

थे। बीच २ में शंकासमाधान भी किया जाता था। वे लोग तपस्या, दया, पवित्रता, न्याय, भ्रातृभाव आदि के अनुद्घल अपने जीवन को ढालने का यज्ञ करते थे, उन के जीवन का मूलमन्त्र था— मनुष्य, ईश्वर और सत्य से प्रेम। प्रतिदिन वे तपस्या पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के लिये यज्ञ करते थे। अपने पास धन रखने को वे लोग पाप समझते थे, लोभ का समूल नाश करने का यज्ञ करते थे। यशकामना को बाधक समझ कर वे इन्द्रिय दमन के लिये यज्ञ करते थे। उन लोगों में पूर्ण रूप से साम्यभाव था। उन की सब वस्तुओं पर प्रत्येक एसनीज़ का समान अधिकार था। यहाँ तक कि भोजन, वस्त्र, वर्तन आदि आवश्यक वस्तुएँ भी सब लोगों की समान सम्पत्ति ( Common property ) समझी जाती थीं। अपनी आजीविका के लिये शहरों में जाकर वे कुछ घणटे काम भी करते थे और अपनी सम्पूर्ण आमदनी को प्रतिदिन इकट्ठा कर लेते थे।

“एसनीज़ लोग विवाह से छृणा करते थे। अपने सम्प्रदाय में वे अन्य लोगों के बालकों को, उन की परीक्षा लेकर, शामिल करते थे। धन को वे बाज़ठनीय वस्तु न समझ कर आपस में भ्रातृभाव बढ़ाने का यज्ञ करते थे। सूर्योदय से पूर्व सांसारिक बातों के सम्बन्ध में वे एक शब्द भी न बोलते थे; इस समय तक वे प्राचीन काल से चली आती हुई प्रार्थनाओं का ही पाठ करते रहते थे। सूर्योदय के बाद वे नित्यकर्म करके ठगड़े पानी से स्नान करते थे। उनकी भोजन शालाएँ खूब स्वच्छ रहती थीं। सब लोगों के बैठने का एक समान ही प्रबन्ध होता था, एक ही प्रकार का भोजन बनता था। भोजन करते हुए वे विलकुल शान्त रहते थे। प्रार्थना के कुछ गीत गा कर ही वे भोजन प्रारम्भ करते थे। भोजन समाप्त करने पर पुनः प्रार्थना की जाती थी। उनका वचन शपथ से भी बढ़कर होता था।

“उनके सम्प्रदाय में जो कोई शामिल होना चाहता था, पहले उसकी परीक्षा ली जाती थी। उसे एक सफेद रस्सी और मेखला धारण कराई जाती थी।

“दैज़रा सा अपराध करने पर स्वयं दण्ड लेने को उत्सुक रहते थे। बड़ों की आज्ञा का वे सम्मानपूर्वक पालन करते थे। अपने कार्यों के अनुसार वे चार श्रेणियों ( वर्णों ) में विभक्त हुए हुए थे। इन चार वर्णों में से सब से निचले वर्ण का व्यक्ति उत्तम वर्ण के व्यक्ति को हूँ भी नहीं सकताथा, अगर वह हूँ ले तो उत्तम वर्ण के व्यक्ति को पवित्र होने के लिये स्नान करना पड़ता था। इनकी आयु खूब लम्बी होती थी। वे अपने शरीर को अत्यन्त कष्ट देते थे। परन्तु इस में वे दुख अनुभव नहीं करते थे।”

“उन का दृढ़ विश्वास था कि शरीर तो नश्वर है परन्तु आत्मा अजर और अमर है। शरीर को वे आत्मा का पिंजरा मात्र ही समझते थे ।”

यह उपर्युक्त वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में ही दिया गया है। पाठक सुगमता से इस की तुलना भारतीय तपस्त्वयों के जीवन से कर सकते हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञोपवीत, मेखला, वर्ण-व्यवस्था, आत्मा की नित्यता आदि सम्पूर्ण वातों द्वारा यही सिद्ध होता है कि एसनीज़ लोग पूर्ण रूप भारतीय सभ्यता के ही अनुयायी थे। यहाँ तक कि एसनीज़ लोगों के चार वर्णों का वर्णन करते हुए विश्वकोश के सम्पादक को ख्यां भारतीय वर्ण-व्यवस्था की याद हो आई है !

इस तुलना की पुष्टि में एन और प्रमाण देकर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। एसनीज़ लोगों के धर्म ग्रन्थों में अधिकाँश रूप से उपनिषदों की वैदिक शिक्षा की ही व्याख्या करने का यत्न किया गया है। इस के लिये एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा—ईयोपनिषद में “अहमस्मि” वाक्य आता है। इस की व्याख्या एसनीज़ धर्म ग्रन्थ एक्सोडस ( Exodus ) के शब्दों में ही इस प्रकार है—“ईश्वर ने मोज़िज़ को बताया—मैं हूँ, मैं ही वही हूँ; तुमें इसराइल के बच्चों से कहना चाहिये कि उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।”<sup>9</sup> इसी प्रकार अन्य भी बहुत से उपनिषद् वाक्यों की व्याख्या एसनीज़ धर्म ग्रन्थों में प्राप्त होती है।

इस प्रकार संक्षेप में हमने एसनीज़ जाति के साहित्य और प्रथाओं में भारतीय प्रथाओं और विचारों का संबन्धित सिद्ध कर दिया है। एसनीज़ जाति का प्रारम्भिक इतिहास इतना अन्यकारमय है कि उस के प्रारम्भ के सम्बन्ध में किसी प्रकार की ऐतिहासिक स्थापना करना अभी तक लगभग असम्भव है। फिर भी अगर प्राचीन साहित्य और रीतिरिवाजों के आधार पर कोई स्थापना की जा सकती है तो वह यही कि एसनीज़ जाति की सभ्यता का मूल स्रोत ही नहीं अपितु उसका पथ प्रदर्शक भारतीय सभ्यता ही है।

q. “I am that I am and God send unto Moses—I am that I am,  
and he said thou shall say unto the children of Isarail—He  
hath sent me to you.”

Exodus, ch. 3, verse 13, 14.

## \* चतुर्थ अध्याय \*

### भारत और पश्चिमी एशिया

पश्चिमी एशिया के प्राचीन देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार से ही सभ्यता का विकास हुआ था। इतना ही नहीं, हमारा विचार है कि इन में से कुछ देश बहुत समय तक भारत के उपनिदेशों के रूप में भी रहे होंगे। हमारे इस विचार की पुष्टी में सब से बड़ा प्रमाण वर्तमान सिन्धु और पञ्जाब में प्राप्त होने वाले प्राचीन नगरों के अवशेष हैं। पश्चिमी एशिया से हमारा अभिप्राय, वैदिकोन, सीरिया और अरब से है। प्रारम्भ में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण देकर हम इन देशों की सभ्यता पर भारतीय सभ्यता का असर सिद्ध करने के लिये प्राचीन साहित्य में से प्रसाण उद्भूत करेंगे।

**मोहन जोदड़ो**— यह स्थान वर्तमान सिन्धु प्रान्त के मध्य में अवस्थित है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ विस्मय कारी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा नगर हज़ारों वर्ष पूर्व किसी दैवीय कोप के कारण भूमि में समा गया होगा। अभी तक इस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई बहुत ही कम हुई है, अणकल अन्वेशण का कार्य जारी है; इस लिये इस स्थान पर प्राप्त हुई वस्तुओं द्वारा इतनी शीघ्र कोई निश्चित स्थापना करना अनुचित होगा। इस समय तक जो खोज हुई है; वह इस प्रकार है—

मोहन जोदड़ों का अर्थ है विस्थय कारी टीला। इस की ऊंचाई ३० से लेकर ४० फीट तक है। एक समय सिन्धु नदी इस टीले के पास से ही बहा करती थी। सिन्धु नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण ही यह स्थान टीले के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस को खुदाई सन् १६२३ से प्रारम्भ हुई है। सब से पूर्व यहाँ मिट्टी और पत्थर की कुछ मुहरें प्राप्त हुई थीं जिन पर मैसो-पोटेमिया की सुमेरियन लिपि से मिलते जुलते अक्षर बने थे। इन मोहरों पर बैल और पीपल के बृक्ष के भी चिन्ह हैं। खुदाई से निकलने वाले घर बहुत ही अच्छे ढंग से बसाए गए थे। घरों और गलियों का क्रम ऐसा है कि उस के द्वारा सफाई, स्वास्थ्यरक्षा, वायु का आवागमन भली प्रकार हो सके। गन्दे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिये नालियों का ढंग की बहुत उत्तम है। घरों के अन्दर ही स्नानागार और कूप आदि भी उपलब्ध हुए हैं।

इन के अतिरिक्त मिट्ठी, पत्थर, पोर्सलीन ( चीनी मिट्ठी ), हाथी दांत, सोना, चांदी, अक्रीक, विलौट, शंख, हड्डी, पकाई हुई मिट्ठी के सुन्दर सुन्दर खिलौने हथियार, वर्तन आदि भी प्राप्त हुए हैं ।

सफेद पत्थर की बनी हुई मनुष्य की कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं । इन के मुंह की बनावट प्राचीन असोरियन लोगों से बहुत कुछ मिलती है । कुछ चांदी के चौकोर टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर वैविलोनिया की प्राचीन लिपि से मिलते जुलते कुछ अश्वर बने हैं । उस समय की भौतिक सभ्यता के परिचायक ताम्बे के वर्तन, औजार, आरी आदि तथा चांदी के गहने, सूख्यां, करघनों, सोने के मुलम्मे वाले ताम्बे के दाने, सोने के हार, बहुत ही धारीक और सुन्दर बने हुए सोने के आभूयण आदि भी प्राप्त हुए हैं । कुछ घरों में मनुष्यों की ठठरियाँ भी मिली हैं ।

खुदाई से जिस नगर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, उस नीचे की एक और, उस से भी प्राचीन तम, नगर के अवशेष प्रतीत होते हैं । यह दोहरी खुदाई अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्राचीन तम नगर के नष्ट हो जाने पर उस के खण्डरानों पर कालान्तर में दूसरा नगर बसाया गया होगा । यह नगर भी नष्ट हो गया । अभी तक इसी नगर के अवशेषों की ही खुदाई हो रही है । यह बाद का बसा हुआ नगर भी आज से कम से कम ५००० चर्प पुराना है । अर्थात् यह वैविलोनिया के प्राचीनतम नगर का समकालीन है । इन मकानों के निर्माण में कच्चों और पक्की दोनों प्रकार की ईटें व्यवहार में लाई गई हैं ।

खुदाई में बहुत से मन्दिर ( उपासना गृह ) भी प्राप्त हुए हैं । इन में सब से बड़े मन्दिर की रचना वैविलोनिया के प्राचीन मन्दिरों से मिलती है । एक पझासन लगाए हुए मनुष्याकार देवता का चित्र भी प्राप्त हुआ है, इस चित्र में दाँई और बाँई ओर दो मनुष्य खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं ।

इन घरों के निर्माण में प्लास्टर का उपयोग भी किया गया है । छत से नालियों में पानी गिराने के लिये मिट्ठी के पकाये हुए नल लगे हैं । प्राचीन मिश्र और वैविलोन के घरों से मुकाबला करने पर यहां की भवन निर्माणकला अधिक उन्नत प्रतीत होती है । कुछ अन्वेशकों का विचार है कि इन घरों में प्रयुक्त किया हुआ प्लास्टर मैसोपोटेमिया से यहां लाया जाता होगा ।

**हरप्पा—**—यह स्थान पञ्चाव के मिण्डगुमरी ज़िले में है । एक समय रावी नदी इस स्थान के समीप वहां करती थी । इस स्थान पर खुदाई करने से अधिकांश उसी ढंग की घस्तुएँ प्राप्त हुई हैं जिस ढंग की बस्तुओं मोहन जोदड़े में प्राप्त

हुई हैं। इस स्थान के आस पास लगभग ५० मील के घेरे में इसी प्रकार के अनेक टर्म्ले हैं, इन की खुदाई करने से, अनुमान है कि, ५००० वर्ष पूर्व की सभ्यता का सिलसिलेवार इतिहास प्राप्त हो सकेगा।

हरणा में एक पक्की ईंटों की २० दुहरी दीवारों वाला मकान भी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यहां के मिट्टी के पकाए हुए नल, रङ्गीन वर्तन, मसालों की बनावट आदि मोहन जोड़ों में प्राप्त वस्तुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।

बहुत से अन्वेशकों, का विचार है कि ये अवशेष प्राचीन भारतवर्ष की द्राविड़ियन जाति की सभ्यता के द्योतक हैं। जब भारतवर्ष में द्राविड़ियन सभ्यता पर्याप्त विकसित हो चुकी तब व्यापार आदि द्वारा, आज लगभग ५००० वर्ष पूर्व, पश्चिमी एशिया,-असीसिया, मैसोपोटामिया, वैविलोन आदि-में उस का प्रसार प्रारम्भ हुआ। इस के कुछ काल अनन्तर ही उत्तर से आर्य जाति ने भारत पर आक्रमण कर के उस पर अपना अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के प्रभाव से भारतवर्ष में से द्रविड़ियन सभ्यता का ह्रास होना प्रारम्भ होगया। कुछ लोगों का विश्वास है कि आज से लगभग ४००० वर्ष पूर्व भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर भाग पर असीरियन लोगों ने आक्रमण किया। भारतीय आर्य परास्त हुए और असीरियन लोग इस भाग में अपनी सभ्यता का प्रसार करने में सफलता प्राप्त कर सके, इसी कारण पश्चिमोत्तर भारत और बलोविस्तान में इस सभ्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैं।

हमारी स्थापना है कि वैदिक सभ्यता संसार की प्राचीन सभ्यताओं में प्राचीनतम है। भारतीय सभ्यता के एक भाग द्वारा ही पश्चिमीय एशिया में सभ्यता का प्रसार हो सका। हम भारतीय इतिहास को अँग्रेजी ऐतिहासिकों के दृष्टिकोण से नहीं देखते। भारतीय इतिहास के प्रारम्भ में ही भारतीय सभ्यता को तुच्छ समझकर कुछ आधार रहित स्थापनाओं को आधार मान लेना हमें पसन्द नहीं है। अभी तक उपर्युक्त ऐतिहासिक स्थानों की खोज बहुत अपूर्ण है। इसलिये उसके आधार पर इस समय तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

**अन्य ऐतिहासिक प्रमाण—** असीरिया और वैविलोन के पुरातत्व ज्ञान में विशेषज्ञ डाकूर साइस<sup>1</sup> का कथन है कि वैविलोन और भारत का सम्बन्ध ३००० ई० पू० में भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। जिस समय कि

1. His lecture on the origin and growth of Religion among the Babylonians, 1882.

वैविलोन का सम्बाद् उर बनसे चालड़ी लोगों के उर प्रान्त पर भी शासन कर रहा था। इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि उर में प्राप्त हुए प्राचीन अवशेषों में भारतीय सागून की लकड़ी के टुकड़े भी मिले हैं। सम्बन्धितः यह लकड़ी मालावार के जहाजों द्वारा वहाँ लेजाई जाती होगी। इसी प्रकार वैविलोन के प्राचीन वस्त्रों की सूचि में एक प्रकार के रेशमी वस्त्र के लिये “सिन्धु” नाम आता है। यह कपड़ा भारत से वहाँ लेजाया जाता होगा। इसी कारण इसका “सिन्धु” नाम पड़ा। श्रीयुत हैविट का विचार है कि इन्हीं वैविलोन लोगों द्वारा ही भारतीय व्यापारियों का नाम सिन्धु से “हिन्दू” होगया होगा, जिस के द्वारा कि कालान्तर में भारतवर्ष का नाम हिन्दौस्तान होगया।

पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में कठिपय विशेषज्ञों और पुरातत्त्व वेत्ताओं का विचार है कि असीरिया, वैविलोन और भारतवर्ष आदि देशों का पारस्परिक व्यापार इतने प्राचीन काल से नहीं अपितु ७ शताब्दि ई० पू० से ही प्रारम्भ हुआ है। इस समय भारत और इन देशों के पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिये वे लोग अनेक प्रमाण देते हैं। कोई भी पुरातत्त्व वेत्ता इस समय भारत और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध से असहमत नहीं है। हम इस काल से प्राचीन काल के सम्बन्ध की सत्ता ही सिद्ध कर रहे हैं, अतः इन लोगों की युक्तियाँ यहाँ देना धर्थ होगा।

श्रीयुत कैनेडी का कथन है कि ७ शताब्दि ई० पू० भारत और वैविलोन में परस्पर समुद्र द्वारा व्यापार प्रारम्भ होगया था। तब भारतीय व्यापारियों ने अरब और अफ्रीका के सामुद्रिक तटों पर अपने उपनिवेश भी बना रखे थे। यह व्यापार अरब समुद्र और पर्सिया की खाड़ी के मार्ग से ही होता था। इस समय तक वैविलोन में भी बहुत से भारतीय उपनिवेश बस चुके थे।

भारत और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध की साक्षी बाइबल द्वारा भी प्राप्त होती है। बाइबल के प्राचीन भाग ( Old Testament ) में कहा है—“मोज़िक काल ( १४६१ ई० पू० से १४५० ई० पू० तक ) में लोग हीरों की, विशेष कर भारतवर्ष से लाए गए हीरों की, खूब कदर करते थे। कठिपय उत्तम हीरे सुदूर पूर्व ( Far east ) से भी आते थे।”

प्राचीन सीरियन साहित्य से भी भारत और सीरिया के प्राचीनतम सम्बन्ध की सत्ता सिद्ध होती है। एक सीरियन ग्रन्थ में लिखा है कि जब

1. Prof. V. Bells article on “A Geologist’s contribution to the History of India.” I. A. August 1884.

सीरिया पर १०१५ ई० पू० में राजा सोलोमन राज्य कर रहा था उस समय वहाँ भारतवर्ष से हाथीदाँत, कपड़े, कवच, मसाले आदि आया करते थे। एक और पुस्तक में लिखा है कि राजा सोलोमन के समय एक जहाज पर भारत से सोना, कीमती लकड़ी, हीरे आदि आए। पादरी टी० फौक<sup>१</sup> का कथन है कि राजा सोलोमन के काल में ये भारतीय जहाज भारत के दक्षिण प्रदेश से ही जाया करते होंगे।

हैरोडोटस ने लिखा है कि भारतवर्ष में सोना संसार भर के सब देशों से अधिक है। उसने सोना खोदने वाली चींटियों का वर्णन भी किया है। उसके कथनानुसार भारतवर्ष से बैबिलोन में हीरे और बेद्धिया कुत्ते जाया करते हैं।

**पञ्चासन—मैसोपोटेमिया और भारत का प्राचीन सम्बन्ध हम मोहन-** जोदड़ो और हरप्पा के वर्णन में सिद्ध कर चुके हैं। मैसोपोटेमिया में एक बड़ी सी मोहर प्राप्त हुई है, पुरातत्व वेत्ताओं का विचार है कि यह मोहर कम से कम २८५० ई० पू० की है। इस मोहर के मध्य में मनुष्य का चित्र है जो कि एक चिशेष आसन लगा कर बैठा हुआ है। यह आसन भारतीय “पञ्चासन” से बिल्कुल मिलता है। इस मोहर के नीचे अरबी अक्षरों से मिलते जुलते अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है।<sup>२</sup>

महाशय आर० एन्थोवन का विश्वास है कि प्राचीन काल में मैसोपोटेमिया से ही भारतवर्ष के लोगों ने पञ्चासन लगाना सीखा है। मिठ० एन्थोवन अंग्रेज़ हैं, आप पराधीन भारतवर्ष के प्राचीन गौरव को सह नहीं सकते। पञ्चासन जैसी भारतवर्ष की प्राचीन चीज़ को अन्य देशों से लिया गया बताना एक चमत्कार नहीं तो क्या है। प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक श्यानों पर पञ्चासन का वर्णन प्राप्त होता है। योग दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हुए ऋषि व्यास ने स्पष्ट शब्दों में पञ्चासन का जिकर किया है।<sup>३</sup>

**भौतिक सभ्यता—मैसोपोटेमिया के वासियों ने भौतिक सभ्यता की अधिकांश बातें भारतवर्ष से ही सीखी हैं, उदाहरणार्थ लिखना, ईर्टें बनाना,**

1. Indian Antiquary, Vol. VIII.

2. The Journal of the Royal Asiatic Society for G. B. and I. for October 1922.

3. “स्थिर सुखमासनम् ॥४६॥” (योग। साधन याद)

तथाया—पञ्चासनम्, भद्रासनम् आदि।

ज्योतिष, माप और जल प्रावन की कथा थादि । परन्तु महाशय एन्थोवन का कथन है कि ये सब बातें भी भारतवर्ष ने मैसोपोटेमिया से ही सीखी हैं । उन के कथनानुसार छः या सात शताब्दि पूर्व भारत और मैसोपोटेमिया का पारस्परिक व्यापार प्रारम्भ हुआ । तब जो भारतीय व्यापारी मैसोपोटेमिया गए, उन्हीं के द्वारा भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का भारतवर्ष में प्रचार हो पाया । उन का यह कथन नितान्त भ्रमपूर्ण है । हम वैदिक साहित्य के प्राचीनतम प्रमाणों द्वारा यह बात बात सिद्ध करेंगे कि उपर्युक्त सब बातें भारतवर्ष ने वैदिक सभ्यता के मूलस्रोत वेदों द्वारा ही सीखी हैं ।

वैद के कई मन्त्रों द्वारा लेखन कला का प्रकार स्पष्ट सिद्ध होता है । हम केवल एक ही प्रमाण देना पर्याप्त समझते हैं । अथर्ववैद के एक मन्त्र का अर्थ है—“वैद की पुस्तक को हम जिस स्थान से उठायें उसे फिर उसी स्थान पर रखदें ।”<sup>१</sup>

मन्त्र में ‘वैद’ शब्द आता है, प्रकरण को देख कर यहाँ उस का कोई और अर्थ किया ही नहीं जा सकता । इस मन्त्र से पूर्व जो दो मन्त्र आए हैं उनके द्वारा वैद का अभिप्राय वैद पुस्तक ही सिद्ध हीता है ।<sup>२</sup>

यजुर्वेद में पकी हुई ईंटों का वर्णन प्राप्त होता है । इसी मंत्र में संख्याएँ भी गिनाई गई हैं । मन्त्र का अर्थ है—“इस यज्ञ कुरड में, कुरड के परिमाण के अनुसार, एक, दस × दस = सौ, सौ × दस = हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, समुद्र, मध्य, अन्त या परार्थ जितनी भी ईंटें लगी हैं वे सब मेरा इस जन्म और अगले जन्म में कल्याण करने में सहायक हों ।”<sup>३</sup> इसी मंत्र में परिमाण का वर्णन भी आगया है ।

ज्योतिष सम्बन्धी मन्त्र तो वैद में जगह प्राप्त होते हैं; वैद में ज्योतिष सम्बन्धी मंत्रों की सत्ता से कोई इन्कार नहीं करता । इस कारण उदाहरणार्थ मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है । जल घ्लावन की कथाओं में भारतीय व्राह्मण

१. यस्मात् कोशात् उद्भरामवेदं तस्मिन्नन्तरधदधम एन्स् ॥ अथर्व १८ । ७२ । १.

२. ग्राभ्यचसश्च ग्राभ्यचसश्च विर्लं विश्यामि मायया ।

तथ्यामुद्धृत्य वैदं ग्राभ्य कर्माणि कृशमहे ॥ अथर्व १८ । ७१ । १.

स्तुता मंयावरदा वैदमात्ता प्रचोदेयन्तां यावमानी द्विजानाम् ॥ अथर्व १८ । ७१ । १.

३. इमा मे शान् इष्टका धेनवः सन्तवेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सप्तसूतं च चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं च प्रयुतं चार्युदं च न्यर्युदं च सप्तुदश्च मध्यं चान्तस्तु परार्थश्चैवा मे ग्राम इष्टका धेनवः सन्तवमुत्रामुभिं ज्ञोके ॥

ग्रन्थों में वर्णित जल प्लावन कथा की प्राचीनता हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में सिद्ध कर चुके हैं ।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मैसोपोटेमिया और ईरान में भौतिक सभ्यता का प्रसार भारतवर्ष द्वारा ही हुवा । क्योंकि वेदों की प्राचीनता का पांच, छः शताब्दि ई० पू० मानना तो स्वयं ही हास्यास्पद होगा । सरमार्शल की स्थापना है कि भारतवर्ष में भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का विकास मैसोपोटेमिया और ईरान द्वारा हुवा, धीरे धीरे भारतीयों ने इन सब वातों को पूरी तरह अपना कर भारतीय बना डाला । परन्तु ऊपर दी हुई युक्तियों के आधार पर हम इस से सर्वथा प्रतिकूल स्थापना करते हैं कि भारतवर्ष से भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का प्रसार मैसोपोटेमिया और ईरान आदि देशों में हुवा । धीरे धीरे उपर्युक्त देशों ने इस भारतीय सभ्यता को भली प्रकार अपना लिया ।

**चालडी और वैदिक साहित्य—** १६ वीं शताब्दि के उत्तरार्ध में मैसोपोटेमिया प्रान्त में जो चालडी साहित्य प्राप्त हुवा है, वह पुरातत्त्व वेत्ताओं के लिये विशेष महत्वपूर्ण वस्तु है । यह साहित्य ईसा से लगभग ५ हज़ार वर्ष पुराना है । बहुत से पाश्चात्य ऐतिहासिकों का विचार है कि इस चालडी सभ्यता के सन्मुख भारतीय सभ्यता बहुत ही नवीन है । उनका कथन है कि ईसा से केवल २००० वर्ष पूर्व ही भारतीय आर्यों, जो कि अभी तक मध्य एशिया में ही रहते थे, का असीरियन और वैविलोनियन लोगों से सम्बन्ध हुवा । इसी समय से ही आर्य लोगों ने खेती करना, धातु के औज़ार बनाना, मकान बनाना, विनियम मध्यम का प्रयोग, लेखन कला आदि सीखा ।

हमारी स्थापना है कि इस प्राचीन चालडी साहित्य का आधार वेद है । और चालडी भाषा बोलने वाली पश्चिमी एशिया की प्राचीन जातियाँ सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा के लिए भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति की ऋणी हैं । इन जातियों का भारतवर्ष से सम्बन्ध आज से छः सात हज़ार वर्ष से भी अधिक प्राचीन है । यह सम्बन्ध कव प्रारम्भ हुवा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते । यह चालडी साहित्य जिस समय लिखा गया था उस समय तक असीरियन लोग भारतीय सभ्यता के आधार पर अपनी सभ्यता भली प्रकार विकसित कर चुके थे । साथही यह भी सम्भव है कि स्वभाविक रूप से प्राचीन असीरियन सभ्यता का थोड़ा बहुत प्रभाव भारतीय सभ्यता पर भी पड़ा हो । यह कहना कि वैदिक सभ्यता का उद्गम आज से केवल ४००० वर्ष प्राचीन है,

नितान्त भ्रमपूर्ण है ; स्वयं चालडी साहित्य में ही उहुत से वैदिक शब्द उसी अभिप्राय में प्राप्त होते हैं जिस में कि वे वेद में प्रयुक्त किये गये हैं। इसके कुछ प्रमाण हम पहले भी उद्धृत करते चुके हैं उनके अतिरिक्त निम्नलिखित वैदिक शब्द चालडी साहित्य में कुछ विकृत रूप में प्राप्त होते हैं—

I. सुप्रसिद्ध असीरियन शब्द “जहोवा” वैदिक “यहू” शब्द का अपभ्रंश है। यह ईश्वर का नाम है। वैदिक साहित्य में “यहू” वरुणदेव के लिये प्रयुक्त होता है।

II. चालडी शब्द “अवजु” वैदिक शब्द “अप्सु” का विकृत रूप है। चालडी साहित्य में अवजु का अर्थ जल सम्बन्धी ही है। वैदिक संस्कृत में इन्द्र के लिये “अप्सुजित” ( जलों का विजेता ) नाम आया है।

III. चालडी साहित्य में वडे के लिये “उरु” शब्द आया है। वेद में भी “उरु” शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। वेद में “उरु क्षय” “उरु गाय” आदि शब्द आते हैं। “उरु लोक” और “उरु वशी” भी इसी का उदाहरण हैं।

इसी प्रकार उहुत से अन्य शब्द भी उद्धृत किये जा सकते हैं।

पश्चिमी एशिया की जातियों के उहुत से देवी देवता भी भारतीय पौराणिक देवी देवताओं के आधार पर ही कलिपत किये गये हैं। परन्तु यह समानता प्राचीनतम काल की नहीं है। उदाहरणार्थ—

सैमिरेमिस = श्रामीरमा देवी.

निनस = लीलेश्वर.

मक्का = मोक्षस्थान.

अरकोलन = अस्त्रलन.

मनावेग = महाभागा.

अलसीडा = अनायासा.

### हिन्दू और भारतीय सभ्यता

निम्नलिखित तालिका द्वारा दोनों सभ्यताओं की समानता भली प्रकार प्रदर्शित हो सकेगी—

## हिन्दू

## भारतीय

१. नियोग— “बोऽज्ञ कहता है कि मैं मोलान की स्त्री रथ को अपनी स्त्री बनाता हूँ जिससे कि उसके सूत पति का नाम बना रहे, उसकी जायदाद भी उसी के वंश में बनी रहे, और रथ का वंश नष्ट न होजाय।

२. पवित्र और अपवित्र जन्म— सूसा का कथन है कि वे पशु, जिन के खुर चिरे हुए नहीं, यथा सूअर आदि, अपवित्र हैं; पक्षियों में चील अपवित्र है।

३. शब स्पर्ष— “जो व्यक्ति सूत-देह को छूएगा वह सात दिन तक अपवित्र रहेगा। सूतक के घर में प्रवेश करने से भी मनुष्य अपवित्र होजाता है।”

४. सूतक— “पुत्र उत्पन्न करने अथवा रजस्वला होने के सात दिन बाद तक स्त्री अपवित्र रहती है। यदि बालिका उत्पन्न हो तो वह १४ दिन अपवित्र रहती है और उस की पूर्ण शुद्धि ६० दिन के बाद होती है।”

१. “किसी और व्यक्ति को पति बना कर सन्तान उत्पन्न कर।”

२. मनु का कथन है—“विष्टा खाने वाले, नगरों में रहने वाले और बेचिरे खुरों वाले पशुओं का मांस नहीं खाना चाहिए।”<sup>२</sup>

३. “शब को छूने वाले एक दिन या तीन दिन के बाद पानी से स्थान करके शुद्ध होते हैं।”<sup>३</sup>

४. रजस्वला होने पर अंथवा पुत्र उत्पन्न करने पर कुछ दिन तक स्त्री को सूतक रखना चाहिये। सूतक माता पिता का ही होना चाहिये, पिता भी अगर माता को न छूए तो अकेली माता को ही सूतक रखना चाहिये।<sup>४</sup>

१. ग्रन्यमिच्छस्व सुभगे पर्ति मत् । वेद

२. क्रव्यादान्शकुनान्वर्वान् तथा ग्रामनिवासिनः ।

अनिर्दिष्टांश्चैक पषाण दिट्टभं च विवर्जयेत् ॥ मनु. ५ । ११.

३. ग्रन्हा चैकेन रात्रा च विरात्रैरेव दिनैच्चिभिः ।

शब स्पृशाविशुद्धयन्ति च्यहादुदकं दायिनः ॥ मनु.

४. यथेदंशावमा शौचं स पिश्वेतु विधीयते ।

जननेष्वने वस्यान्निषुणं शुद्धिमिच्छुता ॥ मनु. ५ । ६१.

..... माता पित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मातुरेवस्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ मनु. ५ । ६२.

हिन्दू

५. तपस्त्री-जहोवा का कथन है कि मैंने भोग विलास हीन तपस्त्री सन्तों को सब उपभोग के योग्य वस्तुएँ दी हैं। परन्तु वे लोग उह्हें फिर मेरे ( परमात्मा ) प्रति ही समर्पित कर देते हैं।

६. मांस निषेध— “तुम में से जो व्यक्ति, चाहे वह इसराइल वंश का हो अथवा किसी अन्य वंश का, रुधिर या मांस खाएगा उस पर मेरा भारी कोप गिरेगा ; मैं उस को नष्ट कर दूँगा ।”

“क्योंकि खून शरीर का भाग है इस लिये मैं इसराइल के वंशजों को रुधिर भक्षण से रोकता हूँ । जो इस का सेवन करेगा वह नष्ट हो जायगा ।”

“अरोत और इसराइल के वंशजों से कहो कि वे परमात्मा की आज्ञा और वचनों पर ध्यान दें । जो व्यक्ति किसी वैल, बकरी, भेड़, या ऐसे ही किसी अन्य जीव को देव-पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर पर मारेगा वह हत्या का पाप करेगा । और यदि वह मांस खाएगा, तो भयंकर दरड़ का भागी होगा ।

इस प्रकार हिन्दू सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जहुत अधिक समानता प्रतीत होती है । उपर्युक्त हिन्दू उद्धरण हमने बाइबल के Old Testament में से दिये हैं ।

७. नायादविधिना मासं विधिज्ञोनापदि द्विजः ।

जग्धाव्यविधिना मासं प्रेत्यतैर्द्यतेऽवशः ॥ मनु. ५। २३.

भारतीय

५. भारतीय तपस्त्रियों का वैदिक ग्रन्थों में यही वर्णन प्राप्त होता है ।

६. साधारण अवस्थाओं में द्विजों को मांस नहीं खाना चाहिये । आपन्ति काल आने पर भी विधि विहित मांस ही खाना चाहिये, अन्यथा भयंकर दरड़ मिलता है ।

## \* पाँचवाँ अध्याय \*

### भारत और यूनान.



पूर्व और पश्चिम के दो देशों का प्राचीन इतिहास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, पूर्व में भारतवर्ष और पश्चिम में यूनान। भारतवर्ष द्वारा सम्पूर्ण एशिया महाद्वर्ग ने सभ्यता का पाठ सीखा और यूनान ने यूरोप के देशों को सभ्यता की शिक्षा दी। दोनों देशों ने संसार के इतिहास में सदा के लिये अमर रहने वाले ऋषियों और दार्शनिकों को जन्म दिया है। भारतवर्ष के बाल्मीकि, गौतम, कपिल, कगाद, व्यास आदि ऋषि और यूनान के होमर, सुकरात, अरिस्टोटल, प्लेटो, हेरोडोटस आदि कवि और विचारक सदैव के लिए संसार की सभ्यता के गुरु माने जाते रहेंगे। भारतवर्ष और यूनान क्रमशः पूर्व, पश्चिम के सूर्य, चाँद हैं। इन दोनों द्वारा ही पूर्व और पश्चिम सभ्यता के उज्ज्वल प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो पाये हैं। परन्तु हमारा विश्वास है कि यह प्रकाश पाने के लिये पश्चिम का चाँद पूर्व के सूर्य का ऋणी है। भारतवर्ष और यूनान के पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध के जो ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं वे हम अन्त में देंगे, उस से पूर्व यूनान के साहित्य तथा दार्शनिक विद्याओं में भारतीयता की झलक दिखाने का यत्न किया जायगा।

**रामायण और इलियड**—रामायण की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कविवर बाल्मीकी ने एक श्रेष्ठतम काव्य के रूप में किया है। इसी की छायाएँ को लेकर यूनान देश के आदिकवि होमर ने इलियड नामी सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की। कविकुल गुरु बाल्मीकी और कविवर होमर के इन दोनों काव्यों में असाधारण समानता है। निम्न तालिका द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार रामायण के कथानक को लेकर इलियड की रचना की गई है।

#### इलियड

१. इलियड के मुख्यपात्र दो भाई हैं, जिन में परस्पर अत्यन्त प्रेम है, जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते।

#### रामायण

१. रामायण के राम और लक्ष्मण की जोड़ी जगत्प्रसिद्ध है।

इलियड

रामायण

२. इन दोनों को इनके पिता शार्गस ने राज्य से निकाल दिया था ।

३. इलियड की नाथिका हैलन नाम की एक रूपवती कन्या है जो माता के पेट से पैदा नहीं हुई ।

४. इलियड का नाथक मैनिलस हैलन को उसके पिता के द्वारा किए गए स्वयंवर में, अन्य सब प्रतिद्वन्द्यों को नीचा दिखा कर, बरता है ।

५. राज्य से बहिष्कृत होने पर एक बार मैनिलस की अनुपस्थिति में पेरिस उसके घर आता है, और उस की धर्मपत्नि हैलन को चुरा कर समुद्र पार वसे हुए द्राय नगर में लेजाता है ।

६. द्राय के महल समतल भूमि से बहुत ऊँचाई पर बने हुए थे ।

७. एक ऊँचे महल पर चढ़ कर द्राय के एक मुख्य व्यक्ति ने द्राय सेना के सेनापतियों के नाम गिनाए थे ।

८. द्राय के युद्ध में यूनानी सेना अनन्त थी । प्रांटे की सम्मति में उस की संख्या लगभग १ लाख थी । सेना में ११२६ जहाज़ और रथ तथा अश्वा-रोही आदि भी थे ।

९. द्राय सेना के सेनापति हैकूर के बाण, फिर उस के तर्कस में लौट आते थे ।

२. पिता की आज्ञा से बन जाते हुए राम के साथ ही लक्ष्मण ने भी राज्य छोड़ दिया था ।

३. रामायण की नाथिका सीता को भी पृथिवी से ही पैदा हुई भाना जाता है ।

४. राम ने स्वयंवर में अपने प्रति-स्पर्धी राजाओं को नीचा दिखा कर सीता का बरण किया ।

५. राम की अनुपस्थिति में रावण सीता को चुरा कर समुद्र पार लङ्घा में लेगया ।

६. लङ्घा की राजधानी साधारण भूमितल से बहुत ऊँचाई पर बसी हुई थी ।

७. विभीषण ने एक ऊँची पहाड़ी पर चढ़ कर लङ्घा के सेनापतियों के नाम भी श्रीराम को बताए थे ।

८. लंका के युद्ध में राम की बानर सेना अनन्त थी । युद्ध में रथों का वर्णन भी आता है ।

९. रावण के बाण पुनः उस के तर्कस में लौट आते थे ।

## इलियड

१०. अक्षिलस के भयानक गर्जन से द्राय नगर की सेना काँप उठती थी ।

११. इलियड में अपशकुन दिखाने के लिये जीयस द्वारा खून की वर्षा कराई जाती है ।

१२. जीयस का पुत्र मरने को था कि खून बरसा ।

१३. द्राय का बीर मार्स जब पलास द्वारा मारा जाकर भूमि पर गिरा तब उसके द्वारा ७ एकड़ ज़मीन घिर गई ।

१४. इलियडमें जोव (Jove) सोना बरसाता है ।

१५. मैनिलस को पुनः उसकी पत्नि हेलन प्राप्त हो जाती है ।

१६. द्राय के युद्ध में देवता लोग आकाश में बैठकर दर्शक रूप से युद्ध देखते हैं ।

१७. एकिलस जब भूख के कारण मरने के करीब था तब इन्द्र ने मिनर्वा के हाथ उसके लिये अमृत भेजा ।

१८. हैक्टूर ने द्राय शहर के मुख्य फाटक काँ लोहे से बना हुआ विशाल दरवाजा, जो कि पत्थर की दीवार में लगा हुआ था, उखाड़ डाला । द्राय के युद्ध में कई महारथी बड़ी २ शिलाएँ उठा कर शत्रु सेना पर फैकते थे ।

१९. द्राय में सब से अधिक बुद्धिमान एरटीनर था जो कि पेरिस के दुष्कृत्य से सहमत न था ।

## रामायण

१०. हनुमान की भारी गरज से लंका की सेना दहल जाती थी ।

११. रामायण में अपशकुन या असाधारण घटना दर्शाने के लिए खून आदि की वर्षा का वर्णन किया गया है ।

१२. रावण की मृत्यु के पूर्व खून की वर्षा हुई ।

१३. कुम्भकर्ण जब मरकर भूमिपर गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई पहाड़ भूमि पर गिर पड़ा है ।

१४. रामायण में कुर्वेर सोने आदि की वर्षा करता है ।

१५. राम पुनः सीता को प्राप्त कर लेता है ।

१६. लंका के युद्ध को देवगण विमानों में बैठ कर देखा करते थे ।

१७. सीता ने जब अशोक चाटिका में भोजन का त्याग कर दिया तब स्वर्य इन्द्र ने उसे अमृत लाकर दिया ।

१८. रामायण में हनुमान द्वारा लंका के विशाल फाटक के तोड़े जाने का वर्णन है । लंका के युद्ध में राक्षस और बानर बड़ी २ शिलाएँ एक दूसरे पर फैकते थे ।

१९. लंका में विभीषण सब से अधिक बुद्धिमान था ; यह रावण के पापकार्य से सहमत न था ।

| इलियड                                                                                                                                                                                                  | रामायण                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( क ) द्राय में जाकर मैनीलस और उसका छोटा भाई ओडेसस दोनों अवश्य मारे जाते यदि वहाँ एण्टीनर न होता ।                                                                                                     | ( क ) लंका में जाकर हनुमान का बचाव लगभग असम्भव था यदि वहाँ विभीषण न होता ।                                                                                                    |
| ( ख ) एटीनर ने पूरे यत्न से पेरिस को उपदेश दिया था कि तुम हेलन को लौटा दो ।                                                                                                                            | ( ख ) विभीषण ने भरसक यत्न किया था कि रावण सीता को लौटा दे ।                                                                                                                   |
| ( ग ) हताश होकर एण्टीनर पेरिस का पक्ष छोड़कर मैनीलस से मिल गया ।                                                                                                                                       | ( ग ) विभीषण ने निराश होकर रावण का पक्ष छोड़ दिया और श्रीराम की शरण ली ।                                                                                                      |
| ( घ ) पेरिस के मारे जाने पर एण्टीनर ही द्राय का राजा बना ।                                                                                                                                             | ( घ ) रावण के बध हो जाने पर विभीषण ही लंका का राजा बना ।                                                                                                                      |
| ( २० ) होमर ने इलियड में ग्रीक सेना का सेनापति एक ऐसा व्यक्ति रखा है जिसे कि ग्रीस के राजा ने “विश्वकर्मा” के बनाए शख्त दिए थे । इस सेनापति को इन्द्र ( Jove ) ने अपना रथ, घोड़ा और सारथी भी दिया था । | ( २० ) राम को ताड़का का बध करने के लिये विश्वामित्र ने दैवीय अस्त्र दिये थे । लंका के युद्ध में भी इन्द्र ने उसे विश्वकर्मा के बनाए अस्त्र तथा अपना रथ, घोड़े और सारथि दिये । |

केवल उदाहरण मात्र के लिये ही इलियड और रामायण की थोड़ी सी समानताएँ यहाँ उद्धृत की गई हैं । वस्तुतः सम्पूर्ण इलियड अत्यं द्वितीय अस्त्र द्वारा दिया गया प्रतीत होता है । दोनों ग्रन्थों में इतनी अधिक समानता सिद्ध करने से हमारा अभिप्राय कविवर होमर के महाकाव्य की महत्ता कम करना नहीं है ; हम केवल यही सिद्ध करना चाहते हैं कि कविकुल गुरु वाल्मीकी का यह “रामायण” काव्य इतना अधिक प्रसन्न किया गया कि जिन देशों का सम्बन्ध उन दिनों भारतवर्ष से था, उन सुदूरवर्ती देशों के प्रतिभाशाली लेखकों ने भी रामायण के आधार पर ही अपने प्रसिद्ध काव्यों की रचना की । यह समानता भारतवर्ष और यूनान का पारस्परिक नैतिक सम्बन्ध सिद्ध करने वाली है ।

**मनु और मिनौस—** सुप्रसिद्ध नीतिकार मनु ने भारतवर्ष में, समाज शास्त्र के सिद्धान्तों का एक विशेष रूप में प्रतिपादन किया है। मनु महाराज के अनन्तर उनके सिद्धान्तों का अनुसरण करने वालों में “मनु” शब्द एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होने लगा। नीति शास्त्र की भाषा में इस समूह को हम “भानव सम्प्रदाय” कह सकते हैं। हमारा अनुमान है कि भानव सम्प्रदाय के कतिपय आचार्य समय २ पर विदेशों में भी गए, और वहाँ जाकर उन्होंने मनु महाराज के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार के एक आचार्य यूनान में भी गए, और उन्होंने वहाँ मानव सिद्धान्तों का प्रचार किया। यह आचार्य यूनान देश के इतिहास में मिनौस नाम से प्रसिद्ध हैं। यूनानी धर्मों के अनुसार मिनौस क्रीट प्रांत का प्राचीनतम शासक है। क्रीट के प्राचीनतम राजवंश की नींव इसी ने डाली थी। मिनौस ने क्रीट में एक विशेष प्रकार की नीति को जन्म दिया। इस की जन्मभूमि यूनान नहीं थी। कुछ प्राचीन यूनानी कथाओं के आधार पर वह मनुष्य की सन्तान ही न था; वह सूर्यदेव का पुत्र था।<sup>१</sup> परन्तु वर्तमान यूनानी ऐतिहासिक उस के जन्म की खोज करने के लिए यत्न कर रहे हैं।

भारतीय धर्मों के अनुसार मनु महाराज भी सूर्यवंशी थे। भारतवर्ष में सूर्यवंश की नींव मनु ने ही डाली थी।

**दार्शनिक विचारों में समानता—** यूनानी और भारतीय दार्शनिक विचारों में परस्पर इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के प्राचीन दर्शन शास्त्रों से थोड़ी बहुत परिचिति रखने वाला मनुष्य भी स्वयं इस समानता को अनुभव करने लगता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धान्त मुख्यतया छः भागों में विभक्त हैं ये छहों प्रकार मिलते जुलते रूप में प्राचीन यूनानी सभ्यता में भी पाये जाते हैं। हम यहाँ बहुत संक्षेप से उदाहरण के लिये कुछ समानताएँ उद्धृत करेंगे—

## यूनानी

## भारतीय

१. यूनानी विद्वान हैरोडोटस का कथन है—“वास्तव में ईश्वर एक ही

१. “वह वास्तव में एक है, परन्तु बुद्धिमान उसे मिन्न २ नामों से याद

1. Inencyclopedia Britannica, “Minos”.

## यूनानी

है ; वर्तमान देवता-जिनकी पूजा की जाता है—वास्तव में उसी एक महान शक्ति के भिन्न २ रूप हैं। प्राचीन लोग भी यही मानते थे, परन्तु पीछे से इन देवताओं की पृथक् पृथक् पूजा चल पड़ी।”<sup>१</sup>

२. यूनानी यूसेवियस ( Eusebius ) का कथन है— “यूनान की वर्तमान समय में प्रचलित प्राचीन गाथाएँ ( Mythology ) प्राचीन धर्म का विकृत और परिवर्तित रूप हैं।”<sup>२</sup>

३. यूनानी दार्शनिक खेनोफेनस ( Xenophanes ) का कथन है कि संसार और ईश्वर वास्तव में एक ही हैं; यह एक ही सत्य, स्थिर और परिवर्तनशील है।”

४. अरिस्टोफेन की एक सुप्रसिद्ध कथिता का अनुवाद निम्नलिखित है— “प्रारम्भ में यहाँ अन्धकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यह अन्धकार स्थिर और गूढ़तम था। तब न पृथिवी थी, न आकाश था, न तारे थे—कुछ भी नहीं था। यहूं समय बाद इस सर्वत्र व्याप्त अन्धकार से ही प्रेम ( काम ) की उत्पत्ति हुई। इस, सब को प्यारी, घस्तु के सुनहरे पहुँचे ; उनसे यह सब

## भारतीय

करते हैं।”<sup>३</sup> यह वैदिक सिद्धांत है। वर्तमान पौराणिक देवताओं का मूल स्रोत ईश्वर के भिन्न नाम ही हैं। स्वस्मी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इसकी भली प्रकार व्याख्या की है।

२. भारतवर्षकी पौराणिक गाथाएँ भी प्राचीनधर्म का विकृत रूप है, यहूं से भारतीय आचार्यों का यही मत है।

३. वेदान्त का सिद्धान्त है कि प्रकृति और ईश्वर वास्तव में एक है, वही एक अविनाशी है।<sup>४</sup>

४. “उस समय न कारण रूप प्रकृति थी, न कार्य रूप, न पृथिवी लौक था, न यह फैला हुआ आकाश था, न यह चमकते हुए तारे थे। तब न मृत्यु थी, न जीवन था, न रात थी, न दिन था ; तब वह अकेला ही विना बायु के श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। तब केवल अन्धकार था ; इस गूढ़तम अन्धकार में ही यह कारण और कार्य रूप प्रकृति तप की

1. History of Greece, vol. i. Page 10.

2. “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।” वेद.

3. Præp. Eevan. Lib. ii. cap. 1.

4. “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” वेदान्त.

## यूनानी

ओर फड़फड़ाता था । इसी प्रेम से ही मनुष्यजाति उत्पन्न हुई । इसी से प्रकाश की उत्पत्ति हुई । जब प्रेम नहीं था तब यहाँ न मनुष्य थे, न देवता थे । तब संसार भर की सब वस्तुएँ एक दूसरे में व्याप्त थीं ।”

५. एम्पेडोकलीस का कथन है कि “जो चीज़ एक समय विद्यमान नहीं है वह कभी विद्यमान हो वही नहीं सकती, जो चीज़ एक समय उपस्थित है उसका नाश हो ही नहीं सकता ।”

## भारतीय

महिमा से विलीन हुई हुई थी । इस से सब से पूर्व इच्छा ( काम ) की उत्पत्ति हुई ; जो कि मन की शक्ति है उसी काम से यह सब संसार पैदा हुआ ।<sup>१</sup>

५. सुप्रसिद्ध सांख्य सिद्धांत “सत्कार्यवाद” संक्षेप में इस प्रकार है—

“निभन्नलिखित कारणों से सत्कार्यवाद सिद्ध होता है—जो चीज़ नहीं है, उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता ; उपादान का ग्रहण नहीं होता ; एक चीज़ से सब कुछ नहीं बनाया जा सकता ; जो चीज़ जो कुछ बनाने में समर्थ है उस से केवल वही चीज़ ही बनाई जा सकती है ; कारण और कार्य में कोई भेद नहीं है ।”<sup>२</sup>

गीता में कहा है— “जिस वस्तु की सत्ता है उसका अभाव नहीं हो सकता, जो वस्तु नहीं है उसकी सत्ता असम्भव है ।”<sup>३</sup>

१. नासदासीन्नो सदासीन्नदानीं नासीद्रजो नो व्योमा पुरोयत् ॥ १ ॥

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्ह आसीत्प्रकेतः ।

श्रामीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्बुन्यन्न परः किञ्चनास ॥ २ ॥

तम असीनमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदस् ।

तुच्छेनाभ्यपिहितं तदासीनपस्तन्महिना जायतैकम् ॥ ३ ॥

कामस्तदग्रे समर्थताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ॥ ४ ॥

ऋग्वेद १० । १२८.

२. असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्व सम्भवा भावात् ।

शक्तस्य शक्य करणात् कारणभावात् सत्कार्यम् ॥ ६ ॥ सांख्य कारिका.

३. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । गीता २ । १६.

यूनानी

६. प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रूकर का कथन है कि यूनान के प्लूटार्च, क्लेमेन्स, एलक्ज़ाड्रीनस, औरफस आदि विचारकों के मतानुसार यह सम्पूर्ण विश्व एक दिन क्षय होजायगा । और पीछे से इसकी रात्र (अवशेष) से इसी प्रकार के नए जगत की उत्पत्ति होगी । सम्भवतः औरफस ने यह विचार मिश्र के लोगों से लिया था ।<sup>१</sup>

७. टिमोथस के मतानुसार—“औरफस ने अपने ग्रन्थ में घोषणा की है कि ईश्वर वास्तव में एक है, उसी के तीन भिन्न भिन्न नाम हैं ।<sup>२</sup>

कुडवर्थ का कथन है—“वास्तव में जूपिटर, नैप्चून और प्लूटो—इन तीनों देवताओं की कोई पृथक् सत्ता नहीं है । एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये तीन भिन्न २ नाम हैं । एक प्राचीन मूर्त्ति में जूपिटर की वास्तव में तीन आँखें प्राप्त हुई हैं । यह तीन आँखों वाला ईश्वर ही है । लोग इस से भिन्न कल्पनाएँ करते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर स्वर्ग, पृथग्वी और समुद्र की रक्षा करता है अतः उसकी तीन आँखें वनर्ई गई हैं । तीन आँखों का यह अभिप्राय ठीक है या नहीं इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकते । परन्तु इससे यह अवश्य स्पष्ट होजाता है कि जूपिटर, नैप्चून और प्लूटो वास्तव में एक ही ईश्वर के भिन्न २ नाम हैं ।”<sup>३</sup>

भारतीय

६. वैदिक साहित्य तो प्रलय और उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्मदाता ही है । वेद के अनेक मन्त्रों में प्रलय और सुष्टुप्ति उत्पत्ति का वर्णन है । अर्थात् वेद के एक मन्त्र का अर्थ है—“तब प्रलय हो गया..... तदन्तर ईश्वर ने सम्पूर्ण विश्व को पहले की तरह फिर से बनाया ।”<sup>४</sup>

७. भारतीय पौराणिक साहित्य में जगह २ त्रिमूर्ति और उसकी महत्ता का वर्णन है । यह त्रिमूर्ति ही जगत की पैदा करती है, उसे स्थिर रखती है और अन्त में उसका नाश कर देती है । इस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश-ये तीन महादेवता सम्मिलित होते हैं । पौराणिक युग में सम्पूर्ण भारतवर्ष में मुख्यतया इन्हीं तीन देवताओं की पूजा होती रही है ।

वेद में भी ईश्वर की तीन आँखों का वर्णन है—“हम उस तीन आँखों वाले ईश्वर की स्तुति करते हैं ।”<sup>५</sup> इन सीन आँखों से ईश्वर की द्यूलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथग्वी लोक के निरीक्षण करने की शक्ति का अभिप्राय है ।

1. Seneca, Natural. Lib. iii. Chap. 30.

2. ततो रात्रि अजायत्... असौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ॥ क० १०। १००। १-३.

3. Intellectual system, book i, chap. iv. sect. 17.

4. Intellectual system, book i. chap. iv. sect. 32.

5. व्यम्बकं यजामहे शुगन्धिहुष्टि वर्धनम् ।

## यूनानी

## भारतीय

८. कोलब्रुक का कथन है<sup>१</sup>— “यह देख कर हमें आश्र्य होता है कि पैथागोरस और ओसेलस (Ocellus) के बहुत से सिद्धान्त भारतीय दार्शनिकों से बहुत मिलते हैं। पैथागोरस ने स्वर्ग, पृथिवी और मध्यलोक का वर्णन किया है। उसका कथन है कि मध्यलोक में राक्षस, स्वर्ग में देवता और पृथिवीलोक में मनुष्य रहते हैं।”

“पैथागोरस अनुभव करने वाले भौतिक अंग (मन) को चेतन आत्मा से पृथक समझता है। इसमें से एक शरीर के साथ नष्टहो जाता है, और दूसरा अमर है। साथ ही वह आत्मा के इस स्थूल दृश्य आवरण के अतिरिक्त उसका एक सूक्ष्म अदृश्य आवरण भी खोकार करता है।... मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय विचारक ही इन ग्रीक दार्शनिकों के गुरु हैं।”

८. भारतीय शास्त्रों और वेदों में तीन लोकों का वर्णन है— ध्यूलोक, मध्यलोक और पृथिवी लोक। पौराणिक विश्वासोंके अनुसार तीन भिन्न २ लोकों में देवता, मनुष्य और राक्षस निवास करते हैं। साथ ही वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार मन और आत्मा भिन्न २ हैं। इन में से आत्मा नित्य और स्वभाव से पवित्र है।

उपनिषदों में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का वर्णन किया गया है। आत्मा का यह सूक्ष्म शरीर रूपी आचरण वाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता।”

इस प्रकार हम ने बहुत संक्षेप में थोड़े से उदाहरण भारतीय और यूनानी दार्शनिक विचारों की साम्यता सिद्ध करने के लिये पेश किये हैं। अन्य भी बहुत से प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी स्थापना को पुष्ट करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं। केवल हमारा ही नहीं बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन विचारकों का भी यह दृढ़ विश्वास है। एक यूनानी दर्शनकार भारतीय दार्शनिकों के झटणी हैं। अन्त में हम प्रो० रिचर्ड गार्ब के इन शब्दों के साथ इस प्रकरण का समाप्त करते हैं— “यूनानी और भारतीय दर्शनों में इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के दर्शनों का अध्ययन करने वाला कोई भी विद्यार्थी इसे अनुभव किये बिना नहीं रह सकता। कहीं कहीं तो दोनों के विचार एक ही प्रतीत होने लगते हैं।”<sup>२</sup>

1. Loc. Cit. 44I et. seq.

2. Philosophy of ancient India, by R. garb. Page. 32.

**पुनर्जन्म का सिद्धान्त**—भारतवर्ष के प्राचीनतम विचारक भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । यूनान के श्रेष्ठतम दार्शनिकों ने भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । प्लेटो का कथन है—“आत्मा ही मनुष्य की अपनी वस्तु है ; शरीर में आत्मा ही मुख्य है ।”<sup>१</sup> मृत्यु के बाद आत्मा पुनः इस पृथिवी पर लौट आती है और मनुष्य या किसी अन्य जीव का शरीर धारण करती है ।”<sup>२</sup> भारतीय विचारकों के अनुसार आत्मा ज्ञान के विना मुक्त नहीं हो सकता ।<sup>३</sup> प्लेटो भी इसी सिद्धान्त को मानता है—“कोई व्यक्ति सामाजिक गुणों में पूर्णता प्राप्त करके भी विना ज्ञान के दैवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, वह मनुष्य अगले जन्म में किसी सामाजिक जीव—यथा चौदों, मनुष्य आदि—का शरीर धारण करके चाहे अपनी पूर्ण सामाजिक उन्नति क्यों न करले, परन्तु ज्ञान के विना वह देवताओं की श्रेणी में नहीं आ सकता ।”<sup>४</sup> इसी प्रकार पैथागोरस का कथन है—“यदि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार न करके यह मान लिया जाय कि मनुष्य का जन्म एक बार ही होता है तो मनुष्य समाज में जो जन्म से ही विपर्मताएँ प्राप्त होती हैं उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । कुछ लोग दीन और क्षीण शरीर के साथ जन्म लेते हैं और कुछ लोग सम्पन्न घरों में सुन्दर तथा वलिए शरीर के साथ जन्म लेते हैं । यह देखकर किसी सिर व्यायकारी व्यवस्थापक की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है । यह बात ठीक है कि इस जन्म से पूर्व हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं और भावी में भी अनेक जन्म होंगे । आवागमन का यह क्रम सर्वत्र व्याप्त है और आत्माओं की दशा का भेद-भाव पुनर्जन्म का प्रबल प्रमाण है । सब आत्माएँ भूतपूर्व जन्म में अपनी स्वतन्त्रता का असमान उपयोग करती हैं, इसी से इस जन्म में उन में असमानता नज़र आती है । मनुष्य में बुद्धि-भेद इसलिए होता है कि मनुष्य जन्म न मालूम किस आत्मा ने किस जीव-योनि के धाद प्राप्त किया होता है । वास्तव में यह पृथिवी एक जहाज़ के सदृश है और हम सब प्राणी उन यात्रियों के समान हैं जो कि भिन्न २ दिशाओं की ओर जा रहे होते हैं । सभी प्रकार के अनेक श्रेणियों में विभक्त

1. Dialogues of Plato, Vol. V. P. 120

2. The Idea of Immortality. Pattison. P. 37.

3. ऋतेज्ञानान्न मुक्तिः ।

4. Phaedo, 82.

शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पूर्वकृत मानसिक विकल्पों और कर्मों के फल ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि आत्मा पर मानसिक संकल्पों या शारीरिक क्रियाओं के संस्कार पड़ते रहते हैं। क्रमशः काल तथा अवस्था के अनुसार ये पूर्वजन्म के संस्कार लुप्त या प्रकट होते रहते हैं।<sup>1</sup> पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए योग दर्शन में यह युक्ति भी बड़ी प्रबलता से दी गई है। उपनिशदों में भी इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

**वर्ण व्यवस्था**— भारतीय सम्बन्ध समझा जाता है। इस वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार सामाजिक श्रमविभाग ही है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। देश रक्षक शत्रियों के सम्बन्ध में उसने लिखा है— “नगर के सम्पूर्ण निवासियों में से केवल इन्हीं को सोने या चाँदी को छूने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सोना, चाँदी उन्हें अपने घरों में भी नहीं रखना चाहिए, न इसे जेव में डाल कर धूमना चाहिए, न इसके द्वारा शात्र आदि पीनी चाहिए। जब ये लोग भूमि, मकान और धन के ऐयक्तिक रूप से स्वामी हो जाते हैं तब वे रक्षकों के ल्यान पर व्यापारी और किसान (चैश्य) बन जाते हैं। अन्य नागरिकों के मित्र न होकर कष्टदायी ज़मीदार बन जाते हैं। तब ये लोग बाहर के शत्रुओं की अपेक्षा अन्दर के शत्रुओं से ही अधिक भयभीत रहते हैं, इस प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्र विनाश की ओर खिसकता चला जाता है। इसी कारण, मेरा मन्तव्य है कि, हमारे रक्षकों को उपर्युक्त प्रकार से ही रहना चाहिए।”<sup>1</sup>

**संस्कार**— पैथागोरस न केवल पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ही स्वीकार करता है अपितु वह बालक पर अच्छे प्रभाव डालने के लिए संस्कारों को भी महत्वपूर्ण समझता है। गर्भाधान के सम्बन्ध में उसका कथन है— “जब माता पिता यह जानते हैं कि बालक की आत्मा यह जन्म लेने से पूर्व भी विद्यमान थी तब उन्हें गर्भाधान को एक आत्मा के नये जन्म लेने का आह्वान मात्र समझ कर ही, उसे एक पवित्र कार्य की तरह करना चाहिये; क्योंकि जन्म लेने वाली आत्मा पर माता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता और पिता, दोनों को गर्भाधान और ऋतुचर्या की पूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए। माता जब गर्भवती हो तब उसके स्वाध्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बालक को

ईश्वरीय नियमों के अनुकूल सात बरस तक माता के आधीन ही रखना चाहिये ; इस समय तक पिता का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिये ।” भारतीय शिक्षाओं के अनुसार भी बालक को पाँच बरस तक “मातृमान” बनाने का यज्ञ करना चाहिए ।

चतुर्पन के लिये वर्णित बहुत से भारतीय संस्कार कुछ विकृत रूप में प्राचीन यूनान में भी पाये जाते हैं । यूनान के एटिक प्रान्त में बालक के जन्म के बाद एम्पिड्रोमिया ( Ampidromia ) नाम का एक समारोह किया जाता था । इस में परिवार को लोग बालक को गोद में लेकर अंगि के चारों ओर चक्र लगाते थे । यह समझा जाता था कि इस के द्वारा बालक पवित्र हो जायगा ।<sup>1</sup>

प्राचीन यूनान में गार्हपत्य अंगि की सत्ता भी प्रतीत होती है—“प्रत्येक घर में एक “पवित्र अंगीड़ी” होती थी, इस में दिन रात अंगि प्रज्वलित रखी जाती थी । यह समझा जाता था कि इस के द्वारा घर पवित्र रहेगा । प्रत्येक नगर में भी किसी पवित्र स्थान पर नगर की शान्तिक्षा के उद्देश्य से सम्पूर्ण नगर की अंगि प्रति समय प्रज्वलित रखी जाती थी ।”<sup>2</sup>

**शिक्षा पद्धति**—पैथागोस की पाठशाला का वर्णन भारतवर्ष के प्राचीन गुरुकुलों से बहुत कुछ मिलता है । इस पाठशाला में—“प्रातः काल स्नान के पश्चात् विद्यार्थी फूल हाथ में लेकर उपासनागृह में जाते थे, जिस से कि आत्मा को शान्ति प्राप्त हो । इस के बाद पढ़ाई होती थी । बड़े विद्यार्थी वृक्षों की छाया में वैठ कर ही पढ़ा करते थे । विद्यार्थीं प्रतिदिन अपने से बड़ों के लिये ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे । ये लोग सूर्य के प्रकाश को उच्च जीवन तथा रात के अन्यकार को पापिष्ठ जीवन का प्रतिनिधि समझते थे । इस पाठशाला में सदैव मधुर रस युक्त सादा भोजन ही विद्यार्थियों को दिया जाता था । भोजन सदैव निरामिश होता था । दोपहर को पुनः प्रार्थनाएँ की जाती थीं । दोपहर के बाद विद्यार्थीं शारीरिक व्यायाम किया करते थे । व्यायाम के बाद स्वाध्याय और उपासना होती थी; उस के बाद प्रातः काल पढ़े हुए पाठ पर मानसिक मनन किया जाता था । सूर्यास्त हो जाने पर पुनः ईश्वर से उच्च स्वर में प्रार्थनाएँ पढ़ी जाती थीं, उपासना के गीत गाए जाते थे । प्रार्थना के अनन्तर कुछ विशेष वृक्षों की लकड़ियां जला कर पवित्र प्रार्थनाओं के उद्वारण के साथ इस में सुगन्धित द्रव्यों की आहुतियां दी जाती थीं । यह कार्य तब

1. Cults, V. P. 356.

2: Op. cit., vol V, PP. 350-354.

तक होता था जब तक आकाश में तारे न निकल आवें । दिन का कार्य रात्रि-भोजन के साथ समाप्त होता था । भोजन के बाद छोटे बालकों को बड़े विद्यार्थी ज़ोर ज़ोर से पाठ थाद कराया करते थे ।”<sup>१</sup>

इस वर्णन में बहुत स्पष्ट रूप से यज्ञ का वर्णन भी आजाता है ।

**सत्ययुग**— भारतीय साहित्य के अनुसार प्राचीन काल को सुखपूर्ण काल माना जाता है । यह समझा जाता है कि उस समय लोग शान्त, सच्चे और आपस में प्रेम करने वाले थे । इसी सत्ययुग को पश्चिम के देशों में “गोल्डन एज” नाम से कहा जाता है । प्लेटो ने भी इस सत्ययुग और कलियुग का वर्णन किया है—“एथीनियन ने कहा—‘इस पृथिवी पर बीमारियाँ, अकाल और उपद्रव फैल गए । इन से चरवाहों और पर्वत निवासियों को छोड़ कर और कोई भी नहीं बच सका । ये लोग भी इस लिये बच गए कि इन में धोखेबाज़ी नहीं थी, परस्पर प्रेम था ।’

“नोशियन ने कहा—‘प्रारम्भ में मनुष्य एक दूसरे को सचमुच प्यार करते थे क्यों कि वे संख्या में कम थे और संसार में उन् के लिये बहुत स्थान था । कोई किसी को एक स्थान से हटाने के लिये न कहता था । तब न गरीबी थी, न भावों के विकार थे, न सौंदे होते थे । वे सोने और चांदी तक के भी लोभी नहीं थे । उन में न कोई धनी था न गरीब । अगर हम उन का कुछ साहित्य प्राप्त कर सकें तो हमें उस में इन बातों के पर्याप्त प्रमाण मिल जावेंगे’ ॥<sup>२</sup>

**शिक्षा के सिद्धान्त**— प्लेटो ने शिक्षा के जिन आधार भूत सिद्धान्तों का वर्णन किया है वे भारतीय शिक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से सर्वथा मिलते हैं । हम प्लेटो के कुछ उद्धरण यहाँ देते हैं, पाठक अष्टविंशति दयानन्द द्वारा उल्लिखित सत्यार्थप्रकाश के शिक्षा सम्बन्धी समुल्लास में इन्हीं सिद्धान्तों को पायेंगे—<sup>३</sup>

१. शिक्षा बाधित होनी चाहिये ।
२. शिक्षा देशा राष्ट्र का कर्तव्य है ।
३. बालक और बालिकाओं को एक ही साथ कदापि शिक्षा नहीं देनी चाहिये ।

1. Pythagoras. P. 80-81.

2. The Laws of Plato. Book III.

3. १ से ३ तक The Laws of Plato. ४ से ११ तक Plato's Republic,

४. शिक्षा-काले में विद्यार्थियों के आचार पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिये ।
५. विद्यार्थियों को अशुद्ध साहित्य और गन्दी कविताएं नहीं पढ़ानी चाहियें ।
६. चाहे राजा के लड़के हों और चाहे किसान के, सब को एक साथ शिक्षा देनी चाहिये ।
७. बड़ी अवस्था में विद्यार्थियों को गाना और नाचना भी सिखाना चाहिये ।
८. बालक और बालिका को क्रमशः ३० और २० वरस की आयु तक ब्रह्मचारी रहना चाहिये ।
९. स्त्री और पुरुष को शिक्षा का समान अधिकार है ।
१०. शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त 'सादा रहना और उच्च विचार' होना चाहिये ।
११. विद्यालय और महाविद्यालय शहर से दूर एकान्त स्थान पर बनाने चाहिये ।

**देवताओं में समानता**— भारतवर्ष में जिन पौराणिक देवताओं का वर्णन प्रारब्धकालीन साहित्य में पाया जाता है, उन में से कतिपय देवताओं का इस से मिलता जुलता वर्णन ही प्राचीन यूनानी साहित्य में भी प्राप्त होता है। इन वर्णनों में इतनी समानता देख कर दोनों देशों के नैतिक सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये यहां कुछ देवताओं का वर्णन दिया जाता है ।

**यम और प्लूटो**— भारतीय साहित्य में इस का वर्णन इस प्रकार है। यम भयंकर काले रंग वाला है; उस की आँखें धधकते हुए अङ्गारे के समान लाल हैं, वह भैंस पर बैठ कर चलता है; उस के सिर पर मुकुट है, हाथ में डरडा रहता है, इसी से उस का नाम 'दण्डधर' है। वह मृत्यु का देवता है इसी से उस का नाम 'श्राद्धदेव' है। मृतात्माएं वैतरणी नदी पार करके यम के दरवार में पहुँचती हैं।

यूनान के प्लूटो देवता का वर्णन इस प्रकार है—वह भयंकर भूरे शरीर वाला है। उस के चेहरे की मुस्कराहट बहुत भयंकर होती है। उस के हाथ में एक डरडा रहता है। प्लूटो मृत्यु का देवता है; मृतात्माएं उस के दरवार में पहुँचती हैं।

कृष्ण और अपोलो— कृष्ण का वर्णन इस प्रकार है— कृष्ण गोपाल है, उस के हाथ में एक दिव्य अख्ति है, उस ने सांप को मारा। कृष्ण संगीत का बड़ा प्रेमी है। उस का रंग श्याम है। हाथ में एक बांसुरी रहती है।

अपोलो के एक हाथ में हाल और पीठ पर तर्कस है; दूसरे हाथ में एक विशेष चादू यन्त्र है। यह भी चरवाहा है, इस ने एक भयंकर सर्प को मारा। यह संगीत का विशेष प्रेमी है।<sup>१</sup>

काली और लावर्न— काली देवी की जो मूर्त्ति “कालीघाट” पर स्थापित है उस में केवल उस का सिर ही है शरीर नहीं है। कालो को चोरों और डाकुओं से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। लावर्न का भी केवल सिर ही स्वीकार किया जाता है; वह भी चोरों से रक्षा करने वाली देवी है।<sup>२</sup>

बैल— भारतीय देवताओं में महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, बैल महादेव का वाहन है, अतः बैल बड़ा पवित्र समझा जाता है। आज कल मन्दिरों में बैल की भी पूजा की जाती है। प्राचीन एथन्स में बैल को इसी प्रकार बड़ा पवित्र और अवध्य समझा जाता था। बैल का वध करना भारी पाप समझा जाता था। यह कार्य करने पर फांसी तक की सज्जा दी जाती थी।<sup>३</sup>

ऋतुयज्ञ— भारतवर्ष के वैदिककाल में ऋतुयज्ञ किये जाते थे। प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ होने पर उस ऋतु की उपज और फल आदि की आहुतियाँ यज्ञ में दी जाती थीं। प्राचीन यूनान में भी इसी प्रकार के ऋतु यज्ञों का वर्णन उपलब्ध होता है— “प्रत्येक मास के प्रारम्भ में कुछ विशेष वृक्षों के पत्ते और उस ऋतु की उपज के आनाज आदि को शहद में भिगो कर प्राचीन प्रथा के अनुसार आग में डाला जाता था। इस अग्नि में वनस्पतियों की आहुतियाँ ही दी जाती थीं। एथन्स में रोटी और पके हुए अज्ञ की आहुतियाँ दी जाती थीं। फल, शहद और बेकती ऊन भी कुछ लोग अग्नि के अर्पण करते थे।”<sup>४</sup>

अन्य समानताएं— यूनानी और भारतीय विचारों की कुछ और समानताएं दिखा कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे।

1. Hindoo Religion. Introduction. P. 34

2. " " " P. 37.

3. Potter's Antiquities of Greece. Vol. 1. P. 217

4. Greek Native Offerings. P. 53

अहिंसा— भारतीय विचारकों ने अहिंसा को परम धर्म स्वीकार किया है।<sup>१</sup> यूनानी दार्शनिक ग्लैनोफेनीज़ ने आचार्य पैथागोरस के सम्बन्ध में लिखा है— “एक बार वह किसी मार्ग पर जारहे थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति एक कुत्ते को बड़ी बेदर्दी से मार रहा है; तब दयार्दे होकर उन्होंने कहा— ‘अपना हाथ रोक लो; इसे मारो नहीं। इस की कस्तुणा पूर्ण चीखों द्वारा मैं इस में एक मनुष्य के समान आत्मा को देख रहा हूँ, जो कि तुम्हारी मार से कष्ट अनुभव कर रही है।’”<sup>२</sup>

इस वर्णन को पढ़ कर स्वयं अंग्रेज़ विद्वान् डाकटर कुक को भी इस में भारतीयता की गन्ध आई है।

यूनानी स्मृतिकार ग्लैनोकेटीस का कथन है—“अपने बलुर्गों का सम्पान करो और देवताओं को फलों की भेंट चढ़ाओ, जानवरों के मांस नहीं।”<sup>३</sup>

सत्य— यूनानी साहित्य में लिखा गया है— “एक बार पैथागोरस से पूछा गया कि मनुष्य देवता किस प्रकार वन सकता है। उसने उत्तर दिया— ‘सत्य भाषण द्वारा। सब से बड़े देवता औरोमगदस ( अहुर मङ्दा ) के विषय में भी कहा जाता है कि उसका शरीर प्रकाशमय है और उस की आत्मा सत्य स्वरूप है।’”<sup>४</sup>

भारतीय साहित्य में भी सत्य को सब से अधिक महता दी गई है। वेदों में कहा है कि यह पृथिवी सत्य के आधार पर ही स्थित है।<sup>५</sup> योग दर्शन में आता है कि सत्य द्वारा श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्ति की जा सकती है।<sup>६</sup>

पञ्चभूत— भारतीय दार्शनिक इस संसार की उत्पत्ति पञ्चभूतों द्वारा हुई मानते हैं। उनका कथन है कि शून्य प्रलयावस्था से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी पैदा

१. अहिंसा परमोर्धमः ।

2. K.-Cook's The Fathers of Jesus. P. 314.

3. Higher Aspects of Greek Religion P. 45.

4. K. Cook's The Fathers of Jesus. P. 335.

5. सत्येनोत्तमिताभूमिः । ( श्रद्धावेद् )

६. सत्य प्रतिष्ठाय त्रियाकलाश्रयत्वम् ॥ ३१ ॥ योग. साधन पाद.

हुई ।<sup>१</sup> पैथगोरस के शिष्य दर्शनिक एम्पेडोकलीस का कथन है— “सब से पहले शून्य ( Chaos ) से आकाश पैदा हुआ, उससे आग, उसके द्वारा पृथिवी, उससे पानी और वायु पैदा हुए ।<sup>२</sup> दोनों सिद्धान्तोंमें पञ्चभूत एक समान ही माने गए हैं परन्तु उनके क्रमोंमें कुछ अन्तर अवश्य है ।

इस प्रकार इन सब समानताओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता, साहित्य तथा रीतिरिवाजों का प्राचीन यूनान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था । इतने प्रमाण उपस्थित होते हुए दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध से इन्कार किया ही नहीं जा सकता । ये सब प्रमाण प्राचीन काल के हैं । महात्मा बुद्ध के जन्म के अनन्तर तो दोनों देशों का पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ठ होगया । इस समय भारत और यूनान के व्यापारिक सम्बन्धों के पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते हैं । मौर्यकाल में तो यूनान ने भारतवर्ष पर असफल आक्रमण भी किया था । इन सब बातों का वर्णन यथास्थान अगले खण्डोंमें किया जायगा ।

१. एतास्माद्वा तस्माद्वा आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अच्छ्यः पृथिवी ।

2. W. Ward's History, Literature & Mythology of the Hindoos.

## \* छटा अध्याय \*

### इटली और भारत।

— ३४५ —

प्राचीनकालीन भारत और इटली के पारस्परिक सम्बन्धों के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण प्रायः प्राप्त नहीं होते। परन्तु दोनों देशों के प्राचीन धर्मों का अनुशीलन करने से उनमें इतनी अधिक समानता प्रतीत होती है कि इन दोनों देशों के प्राचीन सम्बन्ध की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है। इस समानता को सिद्ध करने के लिए हम बहुत संक्षेप में कुछ उदाहरण यहाँ उद्धृत करेंगे। यह मान लेना कि इतनी अधिक समानता अचानक संयोगवेश ही होगई है, कदापि उपर्युक्त न होगा। दोनों देशों के प्राचीन देवताओं की गाथाएँ ( Mythology ) तथा उनके स्वरूपों की समानता संक्षेप में बहाँ दी जाती है।

**जेनस ( Janus ) और गणेश**— जेनस इटली के मुख्य देवताओं में से एक है। इसके दो सिर माने जाते हैं। रोमन लोग जेनस को पिता मानते थे। यह सब वस्तुओं का उत्पादक माना जाता है। देवताओं में इसकी संख्या प्रथम है। यह मार्गों का रक्षक और मञ्जूल कार्यों का प्रवर्तक है। बहुत प्राचीन काल में रोम का वर्ष मार्च मास से प्रारम्भ होता था, परन्तु पीछे से जेनस के नाम पर ही वर्ष का प्रथम मास जनवरी को बना दिया गया। सम्पूर्ण देश में इसके १२ मन्दिर थे। जेनस को ही नये उत्पन्न हुए बालकों का अधिष्ठाता माना जाता था।

भारतीय गणेश भी देवताओं में अग्रगण्य हैं। जेनस की अलौलिक बुद्धि दिखाने के लिये उसके दो सिर बना दिये गए हैं परन्तु गणेश की असाधारण बुद्धि बताने के लिए उस पर सब जीवों से बड़े हाथी का सिर लगा दिया गया है। गणेश देवताओं में प्रथम है, अतः किसी कार्य को प्रारम्भ करते हुए गणेश का ही आशाहन किया जाता है। इसी कारण, पीछे से कोई भी श्रन्थ प्रारम्भ करने पर “श्रीगणेशाय नमः” लिखा जाने लगा। सभी मञ्जूल कार्यों में गणेश की मूर्त्ति स्थापित की जाती है। मार्गों, मैदानों और मन्दिरों के द्वारों पर भी गणेश की मूर्त्ति स्थापित की जाती है। यात्रा से पूर्व और विवाह के प्रारम्भ में इसी की पूजा की जाती है।

इस प्रकार इन दोनों देवताओं के स्वरूप में बहुत कुछ समानता है ।

**सैटर्न ( Saturn ) और सत्यव्रत—** पुराणों में शतपथ ब्राह्मण की छाया लेकर जल-प्रावन की एक मनोरञ्जक कथा आती है । इसके सम्बन्ध में विस्तार से हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में लिख चुके हैं । यहाँ प्रसङ्ग वश उस कथा को संक्षेप में उद्धृत करना अनुचित न होगा । वैवस्वत मनु नदी के किनारे आव्रम्ण करने वैठे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आगई । मछली ने रोकर कहा—“मेरी रक्षा करो, नहीं तो बड़ी मछलियाँ मुझे निगल जायंगी ।” दयार्द्र होकर मनु ने उसे एक कुरड़ में डाल दिया, परन्तु मछली इतनी बड़ी होगई कि कुरड़ में उसका समाना कठिन होगया, तब मनु ने उसे क्रमशः तालाब, नदी और समुद्र में रखवा । समुद्र में रखते समय वह समझ गये कि यह मछली नहीं सवयं देखता है ! उन्होंने उससे इस रूपपरिवर्तन का कारण पूछा । उत्तर मिला—“अब संसार में जल-प्रावन आने वालों हैं उसी से मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ ।” क्रमशः जल-प्रावन आया और चला गया । सृष्टि फिर से बनी । भागवत और मत्स्य पुराण में लिखा है कि विष्णु की कृपा से उस युग का ‘सत्यव्रत’ मनु को बनाया गया और सम्भवतः उसी के नाम से उस युग का नाम “सत्य-युग” पड़ा ।

रोमन लोगों में यही सत्यव्रत सैटर्न नाम से प्रसिद्ध है । इटली के पुराने सिक्कों पर सैटर्न के लिए जो चिन्ह पाया जाता है वह भी विशेष महत्व का है । उन सिक्कों पर सैटर्न का प्रतिनिधि जहाज़ का मस्तूल है । जहाज़ के मस्तूल का सम्बन्ध यदि मनु के जलविष्वव के समय जहाज़ बनाने से जोड़ने का प्रथम किया जाय तो यह खेंचातानी न होगी ।

**पोमी ( Pomey )** ने एलैंग्जैरडर पौलीहिस्टर से एक उद्धरण दिया है जिससे सैटर्न की कहानी पर बहुत प्रकाश पड़ता है । एलैंग्जैरडर का कथन है कि सैटर्न ने असाधारण वृष्टि होने के विषय में भविष्यद्वाणी करते हुए आज्ञा दी थी कि जलविष्वव से मनुष्यों, पशुओं तथा कीट पतङ्गों की बचाने के लिये एक विशाल नौका ( जहाज़ ) का निर्माण किया जाय ।

स्ट्रो ने एक खान पर एक दन्तकथा का वर्णन किया है जिसके अनुसार सैटर्न और साइयेल दोनों को थेटिस ( Thetis )-समुद्र-की सन्तान बताया गया है । इन कथाओं के अनुसार सैटर्न का जल-विष्वव के साथ पूरा पूरा सम्बन्ध जुड़ जाता है । स्ट्रो का कथन है कि सैटर्न का अर्थ “समय” है और सैवेल का अर्थ “पृथिवी” ( Space ) है । जलविष्वव के बाद ‘समय’ और

‘पृथिवी’ की लड़की ( सिरिस ) अम्ब की “बहुतायत” उत्पन्न हुई ।

**सिरिस ( Seres ) और श्री—** सिरिस सैटर्न की लड़की है । यह सौभार्य और धन सम्पत्ति की प्रतिनिधि है । सिरिस के शब्दार्थ हैं “बहुतायत”-अर्थात् धन सम्पत्ति की बहुतायत । भारतीय साहित्य में भूरु मृष्णि की कन्या श्री, जिस के कमला और लक्ष्मी दो और नाम भी हैं, धन सम्पत्ति की देवी समझी जाती है । श्री का अर्थ ही सम्पत्ति है । सिरिस और श्री दोनों खियां हैं । भारतवर्ष में गया के निकट जो श्री की मूर्त्ति उपलब्ध हुई है वह रोम की सिरिस की मूर्त्ति से बहुत कुछ मिलती है । दोनों ने छाती के नीचे एक सी पेटी बांध रखली है ।

**जूपिटर ( Jupiter ) और इन्द्र—** ओविद की एक कविता द्वारा यह पता लगता है कि जूपिटर विजली ( वज्रपात ), स्वतन्त्रता और अधिकार का देवता है । रोमन लोग अनेक जूपिटरों को मानते थे । इन में से एक जूपिटर स्वयं आकाश का है जिसकी इन्नियन नामक मूर्त्ति बना फर पूजा की जाती है । जूपिटर सब देवताओं का राजा है । सर विलियम जॉन्स के अनुसार जूपिटर शब्द का विकास इस प्रकार हुआ है—

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Dives Petir ( दिवस पिटर ) | = ( द्यौपितर ) आकाश का राजा |
| Dives petir ( दिवस पिटर ) | = Diespetir ( डाइस्पीटर )   |
| Diespetir = ( डाइस्पीटर ) | = Jupiter ( जूपिटर )        |

भारतीय साहित्य में बिजली, अधिकार और स्वतन्त्रता का देवता इन्द्र ही है । इन्द्र ही सब देवताओं का राजा है, इन्द्र का एक नाम है द्यौ पिता, इस का अर्थ “आकाश का राजा” है ।

रोमन साहित्य में जूपिटरों के लिये दूसरा शब्द इन्नियस जोव ( Ennius Jove ) प्रयुक्त हुआ है; यह इन्नियस भी इन्द्र शब्द से बहुत मिलता है । इन्द्र वज्र धारण करता तथा जोव भी वज्रधारी है ।

**जूनो ( Juno ) और पार्वती—** जूनो एक देवी है जो ओलम्पियस पर्वत पर निवास करती है, इसी से उस का नाम ( Olympian Juno ) रक्खा गया है । पर्वत की पुत्री पार्वती कैलास पर्वत पर निवास करती है । दोनों देवियां यूनानी और भारतीय साहित्य में खीजनोचित उदारता, प्रेम, गम्भीरता, आदि गुणों के लिये प्रसिद्ध हैं ।

पार्वती का पुत्र मोर पद सवार होकर देश सेना का सेनापति बनता है, उधर जूनो का पुत्र भी देवताओं का रक्षक (Warder) बनता है। छः मुख और बारह आँखों वाला स्कन्द पार्वती को रक्षा करता है, उधर इतने ही मुख और आँखों वाला अर्गस जूनों की रक्षा करता है।

**मिनर्वा (Minerva)** और दुर्गा— रोमन साहित्य में दो मिनर्वाओं का वर्णन है। प्रथम मिनर्वा हृथियारों वाली देवी है। यह ओज और मन्त्र पूर्ण देवी है, सदैव दुष्टों और पापियों का संहार करने में तत्पर रहती है। दूसरी ओर दुर्गा भी राक्षसों से युद्ध करती रहती है, युद्ध में विजय प्राप्त कर के घह “चरणी” कहलाने लगती है। भारतीय साहित्य में दुर्गा ही शक्ति की प्रतिनिधि समझी जाती है।

**मिनर्वा (Minerva)** और सरस्वती— वह द्वितीय मिनर्वा शब्द धारण नहीं करती। यह शान्तिमयी देवी रोमन साहित्य में बुद्धि और विद्या की प्रतिनिधि समझी जाती है। मिनर्वा वाणी की देवी है, रोमन देश का एक प्राचीन व्याकरण इसी देवी के नाम से प्रसिद्ध था। मिनर्वा संगीत कला की प्रेमी है, उस के हाथ में सदैव एक विड्युती वीणा (Flute) रहती है। इच्चर सरस्वती भी विद्या और बुद्धि की प्रतिनिधि है; वह वाणी की देवी है। उस के हाथ में सदैव एक वीणा रहती है, वह संगीत की भी अधिष्ठात्री देवी है।

बहुत से गाथाविज्ञों (Mythologists) विशेष कर गिरीलदस का कथन है कि रोमन “मिनर्वा” और मिश्र की “इसिस” ये दोनों देवियाँ वास्तव में एक ही हैं। प्लटार्च ने मिश्रसैस के एक इसिस-मन्दिर पर खुदा हुवा यह घाव्य उद्धृत किया है जो कि भागवत के एक ऋगेक के अर्थ से सर्वथा मिलता है— “मैं ही सम्पूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्य हूँ। मेरा पर्दा अब तक किसी भी मरणाधर्मा ने नहीं उठाया।” इस प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि मिश्र का “इसिस” और भागवत का “ईश्वर” एक है।

**जूनो (Juno)** और भवानी— भवानी और जूनो में बहुत समता है, जूनो रोमन लोगों में संतति की अधिष्ठात्री देवी समझी जाती है। यह मूर्ति मनुष्य और खी दोनों आकारों में बनाई जाती है। भारत की भवानी देवी का चित्र अपने पति शिव से सदा हुवा बनाया जाता है। यह भवानी संस्कृत साहित्य में जगदम्बा या जगन्माता कहाती है। यह स्त्री

अधिष्ठात्री देखी है । खी पुरुष के सम्मेलन द्वारा यह अर्थनारीश्वर बनाया गया है ।

**डायोनीसस ( Dianisos ) और राम—** प्राचीन रोमन साहित्य में डायोनीसस के बहुत से नार्म पाये जाते हैं । उसने वहाँ सर्वसाधारण के लिए कानून बनाए, लोगों के भगड़ें का निर्णय किया । सामुद्रिक व्यापार की उन्नति की और समुद्र पार के देशों को विजय किया, भारतीय श्रीराम का चरित्र भी इससे मिलता जुलता है । राम भी एक भारी विजेता था; बानरों की सहायता से उसने समुद्रपार लड़ा का विजय किया । समुद्र पर पुल बांधा । जिस प्रकार राम के चरित्र को लेकर रामायण की रचना हुई, उसी प्रकार डायोनीसस के चरित्र के आधार पर रोम में भी एक काव्य की रचना की गई । बालमीकी की रामायण और तोनस की डायोनीशिया ( Dianisia ) दोनों समान श्रेणी के प्रवृथ हैं ।

**कृष्ण और मूसा—** पौराणिक साहित्य के अनुसार कृष्ण गोपियों में विहार करता है । गोथों को चराता है । एक बार उसने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया था । रोमन मूसा अप्सराओं ( परियों ) के साथ आमोद प्रमोद करता है । मूसा ने पर्वेशस ( Purnahus ) पर्वत को उठाया था । कृष्ण संगीत का प्रेमी है, मूसा को परियाँ गाना सुनाती हैं ।

इस प्रकार बहुत संक्षेप से दोनों देशों के कतिपय मुख्य मुख्य देवताओं की तुलना हमने पाठकों के सन्मुख रख दी है । यह स्पष्ट है कि इतने देवताओं में इतनी गहरी समानता यूंही, अचानक नहीं आसकती । इस कारण दोनों देशों के सम्बन्ध की सत्ता प्राचीन काल में भी खीकार करनी ही पड़ेगी ।

**रीतिरिवाज—** अब संक्षेप से दोनों देशों के प्राचीन रीतिरिवाजों की तुलना करने का यत्न किया जायगा । प्राचीन इटली के विवाह सम्बन्धी निष्प्रलिखित नियम भारतीय प्रथाओं से बहुत मिलते थे—

१. विवाह में कथा का पिता भग्नि की साक्षी रख कर जलाञ्छि के साथ कन्यादान करे ।
२. विवाह के समय चर घंटू का हाथ अपने हाथ में ले, और दोनों एक ही पात्र में भोजन करें । ( भारतर्थ में एक ही पात्र में मधुपक्क लेने की प्रथा थी । )
३. विवाह से कुछ समय पूर्व ही मँगनी हो जाती थी । उसके बाद एक नियत समय के अनन्तर विवाह होता था ।

४. मँगनी के बाद कोई विशेष कारण उपस्थित होजाने पर मँगनी और विवाह में दो से पाँच घण्टे तक का अन्तर पड़ जाता था ।
५. पूर्ण युवावस्था आने से पूर्व अगर विवाह हो भी जाय तो कन्या अपने पिता के घर में ही रहती थी ।
६. विवाह की अन्तिम प्रथा यह थी कि कन्या एक बार अवश्य पति के घर जाती थी । इस समय खूब गाना बजाना होता था । ( भारत की “गौने” की प्रथा इससे मिलती है । )
७. एक वंश के वंशजों में परस्पर विवाह न होसकता था । घर की सात पीड़ियों और वधु की पाँच पीड़ियों से बाहर ही विवाह किया जासकता था । मँगनी करके विवाह न करना बहुत लज्जा जनक समझा जाता था ।
८. व्यभिचारिणी खी का अपने दहेज पर अधिकार न रहता था, पति भी उसकी जायदाद लौटाने को बाधित न होता था ।
९. खी इन अवस्थाओं में पति को त्याग सकती थी—पति नपुंसक हो, अपराधी हो, नीच हो, कोढ़ी हो, चिरप्रधासी हो या किसी स्पर्श रोग का रोगी हो ।

भारतवर्ष में भी विवाह के सम्बन्ध में यही प्रथाएँ प्रचलित थीं । मनु का कथन है—“कन्यादानं पानी के साथ होना उचित है । पुरोहित की उपस्थिति में यज्ञाश्रि के सन्मुख कन्या को वस्त्राभूषणों से सजाकर पति के अर्पित करना चाहिए । विवाह एक गोत्र या एक कुल में नहीं करना चाहिए ।”<sup>१</sup>

**राज नियम**—दोनों देशों के बहुत से प्राचीन राज नियमों में भी पर्याप्त समानता है । रोम के निश्चलिखित राज नियम प्राचीन भारतीय नियमों से बहुत समानता लिये हुवे हैं—

1. Leg. 66, i. Digest of Justinian.

2. Sec. 10. De, Sposabious.

३. अद्विरेव द्विजाग्राणं कन्यादानं विशिष्यते ॥ ३५ ॥

यत्ते तु वितते सम्यग् ऋत्विके कर्म रुर्वते ।

अर्लंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ ३८ ॥

असपिष्ठा च या मातुः असपिष्ठस्य या पितुः ।

स प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मैयुने ॥ ५ ॥ मनु० अ० ३.

१. परोपकारार्थ लिये हुए धन पर व्याज नहीं होता ।
२. उधार ली हुई वस्तु यदि स्वयं ही नष्ट होजाय, उसमें उधार लेने वाले का दोष न हो तो वह उसकी हानी का उत्तरदाता नहीं ।
३. यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के लिए उधार ली गई हो ; और लेने वाला उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही उसे लौटा देना चाहे तो वस्तु का स्वामी उसे लेने को बाधित नहीं है ।
४. यदि उधार दी हुई वस्तु की विशेष आवश्यकता होने से उसके बास्तविक स्वामी की कोई हानी होरही हो, तो उधार लेने वाला अवधि से पूर्व भी उस वस्तु को लौटाने के लिए बाधित किया जा सकता है ।
५. किसी व्यक्ति को विश्वासपात्र समझ कर यदि उसके पास कोई वस्तु रखी जाय तो उसे धरोहर समझना चाहिए ।
६. यदि विश्वास पर रखी हुई धरोहर को चोर चुरा कर लेजाय या उसे राजा छीन ले अथवा वह किसी और आकस्मिक कारण से नष्ट होजाय, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को लौटाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि वह आपत्ति आने से पूर्व वस्तु का स्वामी अपनी वस्तु माँग चुका हो तो उस व्यक्ति को उस वस्तु का मूल्य और देरी का दण्ड भी देना होगा ।
७. विना स्वामी की आङ्ख के उसकी धरोहर को काम में लाने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी होगा । ऐसा करने पर उसे उस वस्तु का मूल्य व्याज सहित देना होगा ।

याज्ञवल्क और मनु ने भी ऋण और धरोहर के सम्बन्ध में इन्हीं नियमों का ग्रेतिपादन किया है । मनु का कथन है— “यदि धरोहर पर रक्खी हुई वस्तु चोर चुरा ले, पानी में डूब जाय अथवा वह आग से जल जाय या किसी और कारण से नष्ट होजाय तो वह व्यक्ति उसे लौटाने को बाधित नहीं ।”<sup>१</sup> “यदि धरोहर रक्खी हुई वस्तु का कोई व्यक्ति उपभोग करले तो उसे उस वस्तु का व्याज सहित मूल्य लौटाने को बाधित किया जा सकता है ।”<sup>२</sup>

१. चौराहनं जलेनोदमग्निना दग्धमेव वा ।  
नष्टः स्याद्यदि तत्मात्स न संहति किंचन ॥
२. न भोक्तव्यो वलादधि भुज्ञानो वृद्धिमुत्सजेत् ।  
मूस्येन तोपयेच्चैनमधिस्तेनोन्यथा भवेत् ॥

**चतुर्वर्ण**— भारत की तरह प्राचीन रोम में भी समाज आर आगों में विभक्त था—

- |                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| १. पुरोहित ( Priests )    | = | ब्राह्मण. |
| २. शासक ( Senators )      | = | शशिय.     |
| ३. सामूकार ( Patricions ) | = | वैश्य.    |
| ४. दास ( Pleabions )      | = | शूद्र.    |

**धार्मिक आचार विचार**— प्राचीन रोम के बहुत से धार्मिक आचार विचारों में भारतीयता की गन्ध आती है—

१. प्राचीन रोमन लोग पुरोहित का बहुत सम्मान करते थे । उनके कथन का लोगों पर जादू के समान असर होता था । उन्हें रोमन उत्सवों में दान में मिले हुवे वस्त्र पहिन कर ही सम्मिलित होना होता था । उनके अश्विकुरड की आग पवित्र समझी जाती थी, उस आग को साधारण कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था ।

भारतवर्ष में भी ब्राह्मण पुरोहितों के घर में सदैव यज्ञाय्नि प्रज्वलित रखी रहती थी । समाज में पुरोहितों का बहुत सम्मान था । उनके विस्तरों पर और कोई व्यक्ति नहीं सो संकता था ; उनकी प्रत्येक वस्तु को पवित्र समझा जाता था ।

२. प्राचीन रोमन न्यूमिना ( Numina ) तथा कतिपय अस्य देवताओं की पूजा बिना कोई मूर्त्ति बनाए किया करते थे । राजकीय फोरम के निकट पवित्र अग्नि सदैव जलती रहती थी ।

प्राचीन भारत में भी देवताओं की पूजा बिना प्रतिमा के ही कीजाती थी, गृहस्थी लोग गार्हपत्याय्नि प्रज्वलित रखा करते थे ।

३. प्रत्येक रोमन नियत समय पर यज्ञ अथवा अपने इष्ट देवता की पूजा किया करता था । इन पूजाओं को विधिपूर्वक करते हुए ही कोई व्यक्ति धार्मिक समझा जाता था । भारत में भी यज्ञ विधान के लिए समय निश्चित था । यज्ञ करने वाले व्यक्ति पुण्यवान् समझे जाते थे ।

४. भोजन के समय एक थाली में पवित्र भोजनों को रखकर उस पर, घर में सर्वदा जलने वाली अग्नि का कुछ भाग डाला जाता था । इसमें सभी

देवताओं के नाम पर एक एक आहुति दी जाती थी, सापही कुछ सुगन्धित द्रव्य भी डाला जाता था ।

यह क्रिया भारतीय बलिदैवदेवग्रन्थ से मिलती है ।

५. अमीर लोग भोजन करने से पूर्व एक विशेष थाली में भोजन की प्रत्येक वस्तु का थोड़ा थोड़ा भाग रख कर एक नौकर के हाथ उसे, घर के सामने सदैव जलते रहने चाले, अद्विदुर्घट में डालने के लिये भेजते थे । नौकर वापिस आकर जब तक यह नहीं कह देता था कि देवता प्रसन्न हैं, तब तक वे भोजन न करते थे ।

यह क्रिया भी भारत की “बलि क्रिया” की प्रथा से मिलती है ।

६. रोमन लोगों का यह विश्वास था कि गर्भ स्थित वस्त्रे तथा उसकी माता की रक्षा जूनो लूक्टीनो ( Juno-Lucino ) देवता के अतिरिक्त अन्य २० देवता भी करते हैं । अतः पुत्र उत्पन्न होने ही संस्कार क्रिया जाता था ।

भारतवर्ष में वालक या वालिका के उत्पन्न होने पर जातकर्म करने की प्रथा थी ।

७. वालक के जन्म से १० दिन के अन्दर और कन्या के जन्म से ८ दिन के अन्दर उन का नाम रखा जाता था ।

प्राचीन आर्यों में नामकरण संस्कार ११ वें दिन क्रिया जाता था ।

८. वालक अपनी आशु के सत्रहवें वर्ष के बाद किसी गृह देवता के मन्दिर में जाकर अपने पुराने कपड़े उतारता था । इस समय कुछ दान, पूजा की जाती थी, पुरोहित को कुछ भेंट भी दी जाती थी, कुछ धन जूपिटर के सन्दूक में डाला जाता था ।

यह त्योहार भारतीय समावर्तन संस्कार से काफ़ी मेल खाता है ।

९. स्वर्णीय पितरों की समृति में उनकी सृत्यु के दिन एक सहभोज क्रिया जाता था । यह प्रथा धाद्र से मिलती है ।

१०. विवाह के समय वर और वधू भेड़ की खालों से ढकी हुई कुर्सियों पर बैठते थे । इस समय जूपिटर को रक्खीन बलि दी जाती थी ; सब लोग एक विशेष प्रकार की रोटी खाते थे । भोजन के बाद लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे । वर के साथी उससे हँसी मज़ाक करते थे । ये प्रथाएँ भी भारतीय विवाहों की प्रथाओं से कुछ अंश तक मेल खाती हैं ।

११. लोगों का विश्वास था कि मृतक का अन्त्येष्टि कर्म विधिपूर्वक करने से उसकी आत्मा को एक विशेष खुख अनुभव होता है। मृतक के बंशजों का यह कर्तव्य था कि वे उसका अन्तिम संस्कार करें। यह न करने वाला व्यक्ति पापी समझा जाता था।

१२. मृतक को गाड़ देने के बाद, उस किया में सम्मिलित होने वाले लोग अपने को तब तक अपवित्र समझते थे जब तक वे एक विशेष संस्कार न कर लेते थे।

महाभारत में रोम निवासियों का वर्णन आया है; महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ये लोग भी अपनी भेंट लाए थे।<sup>१</sup>

ये सब प्रथाएँ भारतवर्ष की प्राचीन प्रथाओं के परिचर्तित और विकृत-रूप प्रतीत होती हैं। इन प्रमाणों के आधार पर हम बड़ी दृढ़ता के साथ यह स्थापना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भी ये दोनों देश पर्याप्त घनिष्ठ सम्बन्ध से जुड़े हुए थे। साथ ही भारतीय सभ्यता का प्रभाव इस सुदूर देश पर भी पड़ा था। अन्यथा इतनी अधिक समानताओं का होना सर्वथा असम्भव था।

१. ग्रौष्णीकामन्तवासांशु रोमकाशु पुरुषादकाशु। महाभारत सभा०



## \* सातवाँ अध्याय \*

### ड्रूइड लोग तथा आर्यजाति.

प्राचीन समय में, जब कि इंग्लैण्ड में ऐंग्लो-सैक्सन आदि जातियों आवाद नहीं हुई थीं, तब वहाँ कैल्ट (Celt) जाति के लोग रहा करते थे। चर्तमान ऐतिहासिकों का विचार है कि आज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले पूर्व दिशा से आकर ये लोग यहाँ आवाद हुवे थे। इस कैल्ट जाति के पुरोग्हितों और धर्माचार्यों को 'ड्रूइड' कहा जाता था। ये ड्रूइड लोग प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों की तरह समाज के आचार तथा रीतिहिवाज़ों का निरीक्षण किया करते थे। इनका एक विशेष सम्प्रदाय समझा जाता था। ड्रूइड लोगों तथा भारतीय ब्राह्मणों में अत्यधिक समानता है। धर्म, रीतिहिवाज़, संगठन आदि सभी दृष्टियों से इन दोनों में बहुत कम भेद प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैल्ट लोगों के ये धर्माचार्य किसी समय भारतीय सम्यता तथा रीतिहिवाज़ों के अनुयायी होंगे। इस अध्याय में अत्यन्त संक्षेप से इन दोनों में पारस्परिक समानता दिखाने का यक्ष किया जायगा।

**दार्शनिक विचार और रीतिहिवाज़—** ड्रूइड लोगों तथा भारतीय ब्राह्मणों के धार्मिक और दार्शनिक विचारों तथा प्रथाओं की समता इस तालिका द्वारा भली प्रकार स्पष्ट होजायगी—

| ड्रूइड                                                                                                                                                                                                                                 | वैदिक                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>१. "ड्रूइड लोग आत्मा को अमर मानते थे। उन का विश्वास था कि आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। रोमन लोगों का कथन है कि ड्रूइड लोग, इस आत्मा की अमरता के सिद्धान्त की बदौलत ही मौत से नहीं डरते थे।"</p> | <p>१. मनु का कथन है—“सत्त्विक कर्म करने वाले दैवीय योनि प्राप्त करते हैं, राजसिक कार्य करने वाले मातुषीय और तामसिक वाचरण वाले पाशबिक योनि प्राप्त करते हैं।”<sup>१</sup></p> |

1. Historian's History of the world vol. xviii.

2. देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः।

तिर्यकृत्वं तामसा-नित्यं इत्येषा विविधा गतिः ॥ मनु १३. ४७॥

ड्रूइड

वैदिक

२. डायोडोरस सिवयूलस ने ड्रूइडों के इस सिद्धान्त की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है कि 'आत्माएं' अमर हैं, वर्षों की नियत संख्या के बाद वे फिर जन्म लेती हैं, और दूसरा शरीर धारण करती हैं।<sup>१</sup>

३. स्ट्रॉबो ( Strabo ) का कथन है कि हमारे देश के प्राचीन ड्रूइड लोग आत्मा और संसार के अमरत्व को खीकार करते थे। उनका यह भी विश्वास था कि अग्नि और जल इस संसार में सब कहीं व्याप्त है।<sup>२</sup>

४. ड्रूइड लोगों के अनुसार अर्थ का उद्देश्य वैर्याकृक आचार का सुधार, शान्ति-प्रचार, परोपकार तथा अच्छे कार्यों के लिये उत्साहित करना था। निष्ठलिखित साधनों से मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है—

क. ईश्वर पर विश्वास रखना

ख. सत्याचरण

ग. धैर्य का कभी त्याग न करना।  
धार्मिक उच्चति के लिये ये आखार भूत सिद्धान्त हैं।<sup>३</sup>

२. "यह आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, न यह कहीं से आया है न इस नै कोई रूप परिवर्तन किया है; यह जन्म नहीं लेता, नित्य है, प्राचीन है; इस मर जाने वाले शरीर में इस की मृत्यु नहीं होती।"<sup>४</sup>

३. "न यह मारता है, न मा जाता है।"<sup>५</sup>

"सब और जल ही जल था।"<sup>६</sup>

"जिस प्रकार आग सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है।"<sup>७</sup>

४. आत्मिक उच्चति के लिये यम नियमों का पालन आघश्यक है। अहिंसा सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह ये यम हैं। तथा, स्वाध्याय ईश्वर भक्ति ये नियम हैं।<sup>८</sup>

— — —

I. Celtic Religion by Prof. Edward Anwyll.

२. Prof. E. Anwyll's Celtic Religion.

३. Historian's History of the World.

४. न जायते नियते वापि कश्चित् नायं कुतश्चिन्न वस्त्रव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोर्यं पुराणो न हन्ते हन्त्यते हन्त्यमने शरीरे ॥ कठ. २ : १२

५. नायं हन्ति न हन्त्यते । कठ २ । १९

६. ग्राप्रकेतं सत्तिं सर्वमा इदम् । ऋग्वेद १०।१२९ । ३

७. अग्निर्यधौको भुवनं प्रविष्टः । कठोप्रतिष्ठ

८. अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यपरिग्रहायमाः ॥ योग दर्शनः

शौचसंतोपतपः स्वाध्यायेश्वरं प्रणिधानाति नियमाः ॥

| झूँझूँड                                                                                                                          | वैदिक                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५. झूँझूँड लोग बड़ी अवस्था हो जाने पर नगर से दूर जंगलों में जाकर निर्जन गुफाओं और कुटियों में रहा करते थे।                       | ५. आगु के तीसरे भाग में नगर छोड़ कर वन में चले जाना चाहिये। वहां एकान्त में रह कर नित्यकर्म निवम पूर्वक करते हुए जितेन्द्रिय हो कर रहना चाहिये। <sup>१</sup>                                             |
| ६. वनों में निवास करने वाले झूँझूँड लोग अपने आचरण की पवित्रता के कारण समाज में विद्वानों की अपेक्षा भी अधिक सान प्राप्त करते थे। | ६. किसी वृक्ष के नीचे रहते हुए वानप्रस्थी को मुखों की इच्छा छोड़ कर ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिये। <sup>२</sup>                                                                              |
| ७. झूँझूँड लोग कुछ उच्च विद्याओं को विलकुल गुप्त रखा करते थे, वे रहस्य अपात्र लोगों पर प्रगट नहीं किये जाते थे।                  | ७. अयोग्य अपात्र को रहस्यपूर्ण विद्या देने की अपेक्षा वह विद्या साथ लेकर मर जाना ही अच्छा है। विद्या ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा—“मैं तेरा खजाना हूँ; मेरी रक्षा कर। मुझे अयोग्य को मत दे।” <sup>३</sup> |
| ८. उच्च धार्मिक विद्या विद्यालयों में भी विशेष उच्च छुलों के योग्य वालकों को ही दी जाती थी।                                      | ८. विद्या ने ब्राह्मण से कहा-मुझे पवित्र जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को ही दे। <sup>४</sup>                                                                                                     |
| ९. झूँझूँड लोग न केवल अपने को धार्मिक विद्याओं के विद्वान ही समझा करते थे अपितु वे प्राकृतिक विद्याओं,                           | ९. राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों से वेद, दण्डनीति ( Politics ) तर्कशास्त्र और ब्रह्म विद्या आदि सब                                                                                                      |
| १. संत्यग्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैत्र परिच्छदस् ।                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| उत्तेषु भार्यां निक्षिप्य घनं गच्छेत् सहैत्र वा ॥ ३ ॥                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि परिच्छदस् ।                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| ग्रामादरशं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ मनु अ० ६                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| २. अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| शरणोप्वमयज्ञैर्यं वृक्षमूल निकेतनः ॥ ३६ ॥ मनु० ६.                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| ३. विद्ययैष सर्वं कामं कर्तव्यं ब्रह्मादिना ।                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिषे वपेत् ॥ ११३ ॥                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेषधिष्ठेस्म रक्ष मास् ॥                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| आसूयकाय मां भादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ ॥ मनु० २.                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| ४. यसेव तु शुचिं विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणाम् ।                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| तस्मै मात्रौहि विप्राय निधिपाया प्रमादिने ॥ ११५ ॥ मनु० २                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |

| ड्रूइड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वैदिक                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नक्षत्र विद्या, विज्ञान, चिकित्सा आदि में भी अपने को अत्यन्त प्रबोध समझते थे। वे इन सब विद्याओं को भी, जितना उनका ज्ञान था, अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे।                                                                                                                                                                                                                                              | विद्याएं सीखे । <sup>१</sup><br>ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे दण्डनीति, आदि उपाङ्गों सहित वेद विद्या का अध्ययन करें। <sup>२</sup>                                                                                                                                                 |
| १०. तत्कालीन कैलट जाति के धार्मिक कार्य और समारोह विना ड्रूइड लोगों की उपस्थिति के न हो सकते थे। इन्हों ड्रूइड पुरोहितों द्वारा ही लोग देवताओं के प्रति वलियां चढ़ावाया करते थे ये लोग कविता भी किया करते थे। देश में सदैव, लड़ाई और शान्ति दोनों कालों में, इन की अत्यन्त आवश्यकता समझी जाती थी। अगर कभी लड़ाई इन लोगों की अनुमति के बिना प्रारम्भ कर दी जाती थी तो ये उसे बीच में ही रुकवा भी देते थे। | १०. पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना करना, दान देना, लेना—ये ब्राह्मणों की कार्य हैं। राजा को चाहिये कि वह सदैव ब्राह्मणों को बड़ीफे देता रहे। <sup>३</sup><br>सदैव प्रत्येक कार्य को ब्राह्मणों की सलाह लेकर ही करना चाहिये, उन्हें प्रत्येक बात में प्रामाणिक समझना चाहिये। <sup>४</sup> |
| ११. ड्रूइड लोगों की सभाओं द्वारा ही कैलट जाति के लोग अपने पारस्परिक विवादों का निर्णय कराया करते                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११. राजा जब स्वयं किसी मामले का निर्णन न करना चाहे तब उसे इस कार्य के लिए किसी विद्रान ब्राह्मण                                                                                                                                                                                    |

१. त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनोति च शाश्वतीम् ।

आन्वीक्षकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ ४३ ॥ मनु अ० ७.

२. धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृहणः।

ते शिष्या ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यञ्च हेतवः ॥ १०० ॥ मनु अ० १२.

३. अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ मनु १, ८८.

मिथमाणो ऽप्याददीत न राजाश्चोन्नियात्करम् ।

न च ज्ञधास्य संसीदेच्छ्रौत्रियो विषये वसत्तु ॥ १३३ ॥

श्रुतवृत्ते विदिष्वाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ।

संरक्षेत्सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिवौरसम् ॥ १३५ ॥ मनु ७.

४. अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्ब्रवेत् ।

यं शिष्या ब्राह्मणा श्रूयुः स धर्मः स्यादशंकितः ॥ मनु १२, १०२

| ड्रूइड                                                                                                                                                                                                                                                                             | वैदिक                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| थे। ये सभायें एक तरह से अदालतों का काम भी करती थीं।                                                                                                                                                                                                                                | को नियुक्त करना चाहिए। यह ब्राह्मण तीन अन्य ब्राह्मणों को सभा के साथ इस मामले पर विचार करे। <sup>१</sup>                                                                                                                                                 |
| १२. ये लोग नक्षत्रों की गति पृथिवी की स्थिति आदि समस्याओं पर खूब विचार करते थे। प्रत्येक कार्य में नक्षत्रों की स्थिति का ख्याल रखा जाता था।                                                                                                                                       | १२. वैदिक क्रियाओं में भी नक्षत्रों की गति और स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।                                                                                                                                                                |
| १३. ड्रूइड बालकों को २० वरस की आयु तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रखा जाना था; इस समय में वे तप पूर्वक विद्याभ्यास किया करते थे।                                                                                                                                                             | १३. वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाले विद्यार्थी को ३५ वरस गुरु के पास रह कर ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाभ्यास करना चाहिये। <sup>२</sup>                                                                                                               |
| १४. ड्रूइड लोग ही कैलट बालकों को शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के अन्य प्रायः छन्दों में वद्ध थे। ड्रूइड लोग इस कार्य को बहुत पसन्द करते थे। वे बालकों को मुफ्त पढ़ाया करते थे; बालकों के पिता अपनी इच्छानुसार उन्हें भोजनादि दिया करते थे उसी से इनका निर्वाह होता था। <sup>३</sup> | १४. प्राचीन भारत में भी बालकों की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में ही हो थी। पाठ्यग्रन्थ भी प्रायः छन्दों में वद्ध होते थे। ब्राह्मण इस कार्य को बहुत पसन्द करते थे। इन ब्राह्मणों का निर्वाह भी अपने यजमानों के इच्छापूर्वक दिये गये दान द्वारा ही होता था। |
| १५. यदि कोई ड्रूइड अपने किसी अधिकार का अनुचित उपयोग करता था तो उसे धार्मिक कृतयों से वहिष्कृत करने का दण्ड दिया जाता था,                                                                                                                                                           | १५. धार्मिक कार्यों से अपराधियों को वहिष्कृत करने की प्रथा भारत में भी थी—“बीमार, गुरु के विरुद्ध आचरण करने वाले, व्याजखोर तथा                                                                                                                           |

१. Celtic Literature by E. Anrvyll.

२. यदा स्वयं न कुर्यात् नृपतिः कार्यं दर्शनम् ।

तदा नियुक्तीयाद्विद्वान्सं ब्राह्मणं कार्यं दर्शने ॥ ६ ॥

सोस्य कार्याणि संपश्येत्सम्यैरेवत्रिभिर्वृतः ।

सभामेष व्रिश्याग्रामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥ मनु श्र० ८

३. पट्टिंशदाद्विकं चर्यं गुरौ वैवेदिकं व्रतम् ।

तदर्थिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमैष वा ॥ १ ॥ मनु ० ३

| ड्रूइड                                                                                                                                                            | बैदिक                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यह दरड इन लोगों में सब से कठोर माना जाता था । इस दरड द्वारा दरिड़त लोग बड़ी चुरी हालत में हो जाते थे । समाज के सब अधिकारों से वे बच्चित रह जाते थे । <sup>१</sup> | यहाँ का त्याग करने वाले ब्राह्मण को धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित नहीं करना चाहिये । <sup>२</sup> इस के अन्य बहुत से प्रमाण भी सूति ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं । |

इन सब प्रमाणों द्वारा प्राचीन इडलैरेड के ड्रूइड और भारतीय ब्राह्मणों में बहुत अधिक समानता सिद्ध होती है । ड्रूइड लोग भी कैलट लोगों के दिमाग पर ठीक उसी प्रकार शासन करते थे जिस प्रकार कि प्राचीन भारतीय जाति के मस्तिष्क पर तत्कालीन ब्राह्मण लोग । सर्वसाधारण जनता के प्रत्येक सामाजिक या वैयक्तिक कार्यों में इन से सलाह ली जाती थी, लोग इन्हीं के आदेशों का पालन करते थे । वे लोग समाज में व्यवस्था और शान्ति बनाए रखने के लिये पूर्ण यत्न करते थे । इन की आज्ञा मान कर लोग द्वेष, शत्रुता आदि का भी त्याग कर देते थे । युद्ध प्रारम्भ होजाने पर भी यदि ड्रूइड लोग उस लड़ाई को अच्छा न समझ कर उसे रोक देने की आज्ञा देते थे तो लड़ाई बन्द कर दी जाती थी । इनका अपना आचार बहुत अच्छा होता था । सीज़र का कथन है कि ड्रूइड लोग एक अलग वर्ण ( Caste ) की तरह थे, जो वर्ण कि क्षत्रियों से भिन्न था । वे लोग तत्कालीन इडलैरेड के कवि, धर्मचार्य, पुरोहित, शिक्षक, व्यायकर्ता आदि होते थे । कुछ लोगों का विश्वास है कि शक्तिशाली गौल लोगों के दार्शनिक और तत्त्वज्ञानी ड्रूइड लोगों के शिष्य थे ।

हमारा विचार है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष की कोई जाति, या भारतीय सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हुई कोई अन्य एशियाई जाति इडलैरेड में जाकर आबाद हुई, और उस ने अपनी सभ्यता तथा आचार की बदौलत वहाँ के कैलट निवासियों से श्रद्धा व सन्मान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की ।

1. Historian's History of the World.

2. प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः ।

प्रतिरोद्धा गुरोरचैव त्यक्ताग्निर्वार्धुषितस्या ॥ १५३ ॥ मनु० अ० ३.

## \* आठवाँ अध्याय \*

### भारत और अमेरिका

~~कृष्णप्रसाद~~

लन् १४६२ में जेनेवा के प्रसिद्ध पर्यटक क्लोलस्मित ने अमेरिका का 'अनुसन्धान' किया था। इससे पहले यूरोप के निवासी इस विस्तृत महाद्वीप के सम्बन्ध में कुछ भी न जानते थे। परन्तु प्राच्य देशों के 'धर्मसभ्य' लोग १५ बीं सदों से बहुत पूर्व अमेरिका से परिचित थे। हे गिरनेस के अनुसार चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि प्राचीन चीनी लोगों को अमेरिका का परिज्ञान था। वे ऐशिया की सीमा से बहुत दूर चीन के पूर्व में 'फाड़-सन्ना' नाम के एक प्रदेश की सत्ता मानते थे और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 'फाड़-सन्ना' अमेरिका के सिवाय और कोई न था।<sup>1</sup> प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता यारावे के अनुसार 'फाड़-सन्ना' चीन से २०००० ली़ की दूरी पर स्थित था। मोशिये पोथियक के अनुसार एक 'ली' ४८६ गज़ के बराबर होता है। इस प्रकार हिंसाब लगाने से ज्ञात होता है, कि 'फाड़-सन्ना' कैलफोर्निया को कहते थे। इस सम्बन्ध का एक प्रमाण हम चीन के अध्याय में २७२ पृष्ठ पर उद्घृत कर दुक्के हैं।

प्राचीन जापानी लोग भी अमेरिका से परिचित थे। वे इस देश को 'फाड़-सो' कहते थे। इन प्राच्यदेशीं का अमेरिका के साथ व्यापारिक और धार्मिक सम्बन्ध स्थापित था। चीनी और जापानी लोग व्यापार के निमित्त वहां आया जाया करते थे। पाँचवीं संदी के अन्त में चीन के अन्तर्गत 'की-पिन' देश से बौद्ध-प्रचारक 'फाड़-सन्ना' में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए गये थे।<sup>2</sup>

केवल चीन और जापान का ही नहीं, भारत और अमेरिका का पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन है। प्राचीन साहित्य में अनेक व्यातों पर पाताल देश और उसके निवासियों का वर्णन है। महाभारत काल में विग्विजय करता हुवा अर्जुन पातालदेश में भी पहुँचा था, और वहाँ 'नागों' पर विजय प्राप्त कर

1. The Human Species by A. De Quatrefages, P: 202

2. Ibid, P. 204-5

पातालदेश की राजकन्या उलूपी के साथ उसने विवाह किया था ।<sup>१</sup> भारतीय साहित्यमें अन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर पातालदेश का वर्णन आया है। परन्तु इस अध्याय में हम भारतीय साहित्य के आधार पर प्राचीन भारत और अमेरिका का सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपितु अमेरिका के वास्तविक निवासियों की सभ्यता और धर्म के आधार पर यह सिद्ध करेंगे, कि भारत और अमेरिका में बहुत प्राचीन समय से सम्बन्ध स्थापित था।

मैक्सिको के प्राचीन निवासियों को 'एज्टेक' कहते थे। जब कोलम्बस ने अमेरिका का 'अनुसन्धान' किया, तो सब से पूर्व स्पेनिश लोगों ने वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किये। स्पेनिश लोगों ने 'एज्टेक' सभ्यता को नष्ट कर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। 'एज्टेक' लोग सभ्यता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुवे न थे। वे बड़े बड़े नगरों में निवास करते थे। उन्होंने विशाल इमारतों का निर्माण किया था। उनका धर्म बहुत उन्नत और विकसित था। यद्यपि 'एज्टेक' लोगों की सभ्यता अब बहुत कुछ नष्ट होनुकी है, परन्तु उसके विषय में हमें बहुत सी बातें मालूम हैं। यदि हम इस आश्र्यजनक सभ्यता का ध्यान पूर्वक अनुशीलन करें, तो हमें भारतीय सभ्यता और धर्म से बहुत कुछ एकता ज्ञात होगी। हम दोनों सभ्यताओं के सम्बन्ध और साहृदय को प्रदर्शित करने के लिये कुछ उदाहरण उद्धृत करते हैं—

१. चतुर्युग की कल्पना— प्राचीन मैक्सिकन या 'एज्टेक' लोग संसार को अनादि मानते हुवे सम्पूर्ण काल को चार युगों में विभक्त करते थे। उनके मत में, प्रत्येक युग हजारों वर्षों का होता था। वे मानते थे कि, प्रत्येक युग के अन्त में किसी महाभूत या घूलतच्च के द्वारा सम्पूर्ण मनुष्य जाति का विनाश होजाता है, और उसके बाद फिर दृष्टि की उत्पत्ति होती है।<sup>२</sup> चतुर्युगी का यह विश्वास भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर पाया जाता है।<sup>३</sup> मनुस्मृति में चारों युगों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है।<sup>४</sup> मैक्सिकन लोगों और भारतीयों की इस कल्पना में स्पष्टतया साहृदय दृष्टिगोचर होता है।

१. महाभारत—सभापर्व।

२. History of the Conquest of Mexico by W. H. Prescott P. 31

३. भारतीय साहित्य में चतुर्युगी के वर्णनों के लिये Asiatic Researches, Vol. II का सातवां अध्याय देखिये।

४. मनुस्मृति अध्याय १ स्नोक ७९-८८

**२. जलप्रावन का विश्वास-** 'एजटेक' लोग जलप्रावन पर विश्वास रखते थे। प्राचीन अनेक जातियों में जलप्रावन सम्बन्धी विश्वास उपलब्ध होते हैं। बाइबल की पुरानी गाथाओं, कालिङ्गन लोगों के प्राचीन अवशेषों और यूनानियों के विस्तृत साहित्य में जलप्रावन की बात मिलती है। 'एजटेक' लोगों का विश्वास था कि जलप्रावन के पश्चात् दो व्यक्ति जीवित बचेंगे। पहले व्यक्ति का नाम 'कोकस्कोक्स' था और दूसरी उसकी धर्मपत्नी थी। जलप्रलय के बाद जब सम्पूर्ण पृथिवी जलप्रावित हो गयी, तब ये व्यक्ति ही एक नौका में बच सके। एक पर्वत की उपत्यका में इन्हें आश्रय मिला। पीछे से इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति हुई।

'एजटेक' लोगों के प्राचीन अमरीकन पड़ौसी 'मिचाँ अकेन' लोग थे। वे भी जलप्रावन पर विश्वास रखते थे। वह भी मानते थे कि जलप्रलय के बाद सब प्राणियों के नष्ट हो जाने पर केवल एक ही व्यक्ति बचा इस का नाम 'टेजपी' था। जिस नौका पर यह बचा, उस में इस के सिवाय सब प्रकार के प्राणियों और पक्षियों का भी एक एक प्रतिनिधि बचाया गया था। पीछे से इन्हीं के द्वारा सब जीवों की उत्पत्ति हुई।<sup>१</sup>

यह दिखलाने की आवश्यकता नहीं, कि प्राचीन अमरीकन लोगों की ये गाथायें भारतीय विश्वासों से कितनी अधिक मिलती जुलती हैं। हम अपनी पुस्तक के पहले खण्ड में भारतीय साहित्य में जो भी जलप्रावन सम्बन्धी गाथायें मिलती हैं, उनका विस्तार के साथ उल्लेख कर चुके हैं।<sup>२</sup> अतः उन्हें यहां फिर उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं। मत्स्य, अश्वि, भागवत आदि पुराणों तथा महाभारत और शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के वृत्तान्त इस से बहुत मिलते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनानी, हिन्दू और कालिङ्गन लोगों की तरह अमेरिकन लोगों ने भी जलप्रावन का विश्वास भारतीय साहित्य से ही लिया था।

**३. चोलुला का वुर्ज-** वर्तमान पैवला नगरी के समीप अमेरिका में एक विशाल स्तम्भ वा वुर्ज उपलब्ध होता है, जिसे कि 'चोलुला का वुर्ज' कहते हैं। यह १८० फीट ऊंचा है और कझी ईटों का बना हुआ है। प्राचीन विश्वासों के अनुसार इस वुर्ज का निर्माण दैत्य लोगों ने प्रलय के पश्चात् किया था। वे लोग समझते थे कि इस वुर्ज के द्वारा वे अन्तरिक्ष वर्ती बादलों के समीप पहुँचा

1. Prescaott. Conquest of Mexico P. 561-2

2. भारतवर्ष का इतिहास प्रथम खण्ड (द्वितीय संस्करण) पृ० १८०-१८८

सकेंगे । पर देव लोग इसे न सह सके । उन्होंने इस प्रयत्न को नष्ट करने के लिये आकाश से अश्वि घर्षा प्रारम्भ की, और दैत्यों को अपना प्रयत्न छोड़ना पड़ा ।<sup>१</sup>

अमेरिकन लोगों की यह गाथा अनेक रूपों में प्राच्यदेशों में भी उपलब्ध होती हैं । बिजू लोगों का 'वेबल का बुर्ज' चौबुला के बुर्ज से बहुत कुछ मिलता है । सर विलियम जोन्स के अनुसार यह बुर्ज का विश्वास भारतीय साहित्य में भी उपलब्ध होता है कि पुराणों में वर्णित बलि राजा की कथा; स्तम्भ फाड़ कर शेर का निकलना आदि रूपान्तर द्वारा बुर्ज सम्बन्धी प्राचीन विश्वास के सादृश्य को सिद्ध करते हैं ।

**४. मृतकों का दाह—प्राचीन मैक्रिस्कन लोग मृतकों का दाह किया करते थे ।** पीछे से अस्थियां और राख को एक बरतन में सञ्चित कर के उसे एक स्थान पर रख कर ऊपर से समाधि बना दी जाती थी । कालीं लिखता है कि "निस्सन्देह मृत लाशों को जलाने का यह तरीका, अवशिष्ट राख को एक वर्तन में सञ्चित करना, फिर उसके ऊपर एक समाधि का निर्माण करना..... ये सब बातें ईजिप्ट और हिन्दुस्तान के रिवाजों का स्मरण करा देती हैं ।"<sup>२</sup>

इसी सम्बन्ध में विचार करते हुये ऐतिहासिक प्रेस्कोट लिखते हैं—“मृत शरीर को जलाना कोई विशेष बात नहीं है । शरीर को किसी प्रकार समाप्त तो करना ही है । परन्तु जब हम देखते हैं कि पीछे से अवशिष्ट राख को एक वर्तन में एकत्रित किया जाता है..... तब सादृश्य बहुत बढ़ जाती है । इतनी सूक्ष्म सहृदाता का पाया जाना सामान्य बात नहीं है । यद्यपि केवल इस एक बात का मिल जाना अपने आप में कोई बड़ा प्रमाण नहीं है, पर जब इसे अन्य बातों के साथ मिला कर देखा जाता है, तो प्राच्य देशों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है ।”<sup>३</sup>

1. Prescaott. Conquest of Mexico. P. 582

2. Asiatic Researches Vol III. P. 486.

"This event also seems to be recorded by ancient Hindus in two of their Puranas, and it will be proved, I trust, on some future occasion that the lion bursting from a pillar to destroy a blaspheming giant, and the dwarf who beguiled and held in derision the magnificent Beli, are one and the same story related in a symbolical style."

3. See the quotation of Carli in. Prescott—conquest of Mexico. P. 586

Foot note 37.

4. Prescott—'Conquest of Mexico.' P. 587.

५. भाषा की समानता— प्राचीन अमेरिका में अनेक प्रकार की भाषायें बोली जाती थीं । ये परस्पर एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं । परन्तु इन में अनेक समानतायें भी विद्यमान थीं और आश्वर्य यह है, कि ये समानतायें भारतीय भाषाओं में भी बहुत कुछ पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ, समास के द्वारा बहुत बड़े भाव को एक छोटे से शब्द वा पद में ले आना संस्कृत व सभी प्राचीन भारतीय भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता है । यही बात अमेरिकन भाषाओं में भी पाई जाती थी । इसी प्रकार शब्द रचना, ईडियम आदि के विषय में भी अनेकविध समानतायें ध्यान देने योग्य हैं ।”<sup>१</sup>

६. वैज्ञानिक सादृश्य— ऐतिहासिक प्रेस्कोट ने प्रदर्शित किया है कि मैक्सिकन लोगों की वर्षगणना, मासविभाग, मासों और दिनों के नाम आदि प्राच्य देशों की वर्षगणना आदि से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । इसे वे ‘वैज्ञानिक सादृश्य’ के नाम से पुकारते हैं । इन वैज्ञानिक सादृश्यों का भी संक्षेप के साथ उल्लेख कर देना आवश्यक है । प्राचीन मैक्सिकन लोग चन्द्रमा के अनुसार अपनी वर्षगणना करते थे । दिनों और मासों को सूचित करने के लिये मैक्सिकन लोग अनेक पशु पेत्थियों के नाम प्रयुक्त करते थे । भारत तथा अन्य प्राच्य देशों में भी इस कार्य के लिये प्राणियों के नाम प्रयुक्त किये गये हैं ।<sup>२</sup> मेप, वृप, कर्क, सिंह, घृश्चिक, मकर, मीन आदि भारतीय नाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है ।

७. अनुश्रुति Tradition— प्राचीन मैक्सिकन या एजटेक लोगों में यह अनुश्रुति विद्यमान थी कि उनकी सभ्यता का मूल पश्चिम या उत्तर पश्चिम में है । सम्पूर्ण अमेरिका महाद्वीप में निवास करने वाली जातियों में यह अनुश्रुति किसी न किसी रूप से विद्यमान थी । एजटेक लोगों में तो यह लिखित रूप से भी पाई जाती है ।<sup>३</sup> यह ध्यान रखना चाहिये, कि अमेरिकन लोगों के लिये पश्चिम या उत्तर पश्चिम पश्चियाटिक देश वा प्राच्य देश ही होंगे । अमेरिकन अनुश्रुति के अनुसार ‘केट्साल कट्ल’ नाम का एक शुभ्र व्यक्ति प्राच्य देशों से उन के देश में आया था । इस की दाढ़ी बहुत लम्बी थी, कद ऊँचा, बाल काले और रङ्ग शुभ्र था । इस ने अमेरिका निवासियों को कृषि की शिक्षा दी; धातुओं का प्रयोग सिखलाया और शासन व्यवस्था की कला में निपुणता प्राप्त कराई ।

1. Ibid. P. 588-9

2. Ibid. P. 587.

3. Ibid. P. 589.

‘केट्सालकटल’ अमेरिकन लोगोंके लिये इतना अधिक लाभकारक और उपयोगी सिद्ध हुवा कि पीछे से उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी । इस रहस्य-मय व्यक्ति ने अमेरिका में सतयुग ( Golden age ) का प्रारम्भ किया । इस के प्रभाव से पृथिवी पुरुषों और फलों से परिपूर्ण हो गई । इतना बड़ा अनाज होने लगा कि एक व्यक्ति एक सिंह से अधिक न उठा सकता था । नानाविध रंगों की कपास उगने लगी । अभिप्राय यह है कि उस दैघी पुरुष के प्रभाव से अमेरिका में नवीन युग प्रारम्भ हो गया ।<sup>1</sup>

परन्तु यह ‘केट्सालकटल’ बहुत समय तक अमेरिका में न रह सका । किसी देवता के प्रकोप से— कारण क्या था, इसका हमें पता नहीं है— इसे देश छोड़ कर जाना पड़ा । जब वह मैकिसकन खाड़ी के समीप पहुंच गया, तब उसने अपने अनुयाइयों से बिदाली और समुद्र पार करके वापिस चला गया ।<sup>2</sup>

यह ‘केट्सालकटल’ कौन था ? इस में सन्देह नहीं कि यह प्राच्यदेशों का रहने वाला था और इस का वर्णन सूचित करता है कि यह आर्यजाति का था । हम केवल अनुग्रान नहीं कर रहे हैं । हमारे पास इसके लिये दृढ़ प्रमाण विद्यमान हैं । यह ‘केट्सालकटल’ कौन था, इसे स्पष्ट करने के लिये रामायण का अनुशीलन करना चाहिये । बालमीकीय रामायण के उत्तरकारण में एक बड़ी मनोरञ्जक और उपयोगी कथा मिलती है । उस में राक्षसों की उत्पत्ति की कथा लिखते हुवे ‘सालकटंकट’ वंश के राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन किया है । इन का विनाश विष्णु ने किया और उस से पराजित होकर ‘सालकटंकट’ वंश के राक्षस लोग— जिनका मूल निवास स्थान लड्डाद्वीप था— पाताल देश में चले गये । इनका नेता सुमाली था । रामायण में लिखा है—

“हे कमलेश्वर राम ! इस प्रकार वे राक्षस समुख्युद्ध में विष्णु के द्वारा पराजित होगये और उनके बहुत से नायक युद्ध में मारे गये ।

“जब वे लोग विष्णु के साथ युद्ध न कर सके, तो अपनी पत्नियों को लेकर अपना देश लड्डाद्वीप छोड़ कर पाताल चले गये ।

“हे रघुसत्तम ! वे राक्षस सालकटङ्कट वंश के थे, उन का पराक्रम बहुत प्रख्यात है । उनके नेता का नाम ‘सुमाली’ था ।

1. Prescott. Conquest of Mexico. P. 21.

2: Ibid— P. 30

“जिन राक्षसों का तुम ने विनाश किया है, वे ‘पौलस्त्य राक्षस’ हैं। सुमाली, माल्यवान्, माली आदि जिन राक्षसों के नेता थे, वे रावण के राक्षसों से अधिक शक्ति शालो थे ।”<sup>१</sup>

इस तरह स्पष्ट है कि विष्णु द्वारा पराजित होकर सालकटंकट राक्षस पाताल देश या अमेरिका में चले गये। मैक्सिकन ‘केन्सालकटल’ और भारतीय ‘सालकटंकट’ में कितनी समानता है। ये दोनों एक ही शब्द के रूपान्तर हैं। मैक्सिकन इतिवृत्त के अनुसार जो ‘केन्सालकटल’ देवता प्राच्य देशों में उस देश के निवासियों को हृषि, धातुविद्या तथा शाम्बुव्यवस्था खिलाने में समर्थ हुआ था, वह ‘सालकटंकट सुमाली’ के सबाय अन्य कोई न था।

यह यत्नाने की आवश्यकता महीं, कि राक्षसों ने प्राचीन भारत की एक जाति विद्योप ही थे। वे भी अन्य लोगों की तरह से थे। रावण आदि राक्षसों का वेद, शाल आदि आर्य साहित्य में कुशल होना इम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में प्रदर्शित कर चुके हैं। अभिप्राय यह है कि राक्षस लोग भारतीय ही थे, वे अन्य भारतीयों की तरह सम्यता आदि की दृष्टि से बहुत उन्नत थे। भौतिक सम्पत्ता की दृष्टि से तो वे अन्य भारतीयों की अपेक्षा भी आगे बढ़े हुवे थे। यदि उन का नेता अमेरिका वा पाताल देश में जाने के लिये राजनीतिक कारणों से वापिस हुवा हो, और वहां उस के द्वारा सम्यता का प्रचार हुवा हो, तो इस में बाश्चर्य ही क्या है ?

‘केन्सालकटल’ या ‘सालकटंकट’ के फिर पातालदेश वा अमेरिका से लौट कर आने की कथा भी रामायण में लिखी है। रामायण के अनुसार—

“बहुत समय तक विष्णु के भय से डरा हुवा सुमाली पातालदेश में विचरण करता रहा। इसके पश्चात् वह लौट आया और पुत्रों पौत्रों के साथ

१. ‘एवं ते राक्षसा राम हरिणा क्षमलोकाण ।

बुद्धः संयुगे भग्ना हनप्रधर नायकाः ॥ २१ ॥

श्राश्वनुवन्नतस्ते विष्णुं प्रतियोध्दृ व्यार्दिताः ।

त्वक्ष्वया लङ्घां गता वस्तुं पातालं सहपतयः ॥ २२ ॥

सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रघुक्षत्तम ।

स्थिताः प्रख्यातवीर्यस्ते यंशे सालकटंकटे ॥ २३ ॥

ये त्वया निरुतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसाः ।

सुमाली माल्यवान् माली ये च तेषां पुरः सराः ।

सर्वं एते महाभागा रावणा द्वलवत्तराः ॥ २४ ॥

वास्मीकीरामायण, उत्तर काशड, ग्रन्थ सर्ग,

लङ्घन में निवास करने लगा ॥”<sup>१</sup>

इस विशय को बहुत विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय और अमेरिकन इतिहास एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। भारत का ‘सालकटंकट’ ही अमेरिका का ‘क्लेट्सालकटल’ है।

इस प्रकार इस विवेचना के पश्चात् यह परिणाम निकालना असङ्गत नहीं है कि अमेरिकन सभ्यता का मूल भारतवर्ष ही है। ऐतिहासिक प्रेस्कोट अमेरिकन सभ्यता का मूल ढूँढ़ने का प्रयत्न करते हुवे इस परिणाम पर पहुंचे हैं—

“The Reader of the preceding pages may perhaps acquiesce in the general conclusions—not startling by their novelty.

First, that the coincidences are sufficiently strong to authorize a belief that the civilization of Anahuac was in some degree influenced by that of Eastern Asia.

And, secondly, that the discrepancies are such as to carry back the communication to a very remote period ; so re-note that this foreign influence has been too feeble to interfere materially with the growth of what may be regarded in its essential features as a peculiar and indigenous civilization.”<sup>२</sup>

हम श्रीयुत प्रेस्कोट के इस उपसंहार से सामान्यतया सहमत होते हुवे केवल इतना और कहना चाहते हैं, कि पूर्वीय एशिया नहीं—अपितु भारतीय सभ्यता ने ग्राचीन अमेरिकन सभ्यता पर प्रभाव डाला था। निससन्देह, पूर्वीय एशिया को भी अमेरिकां के साथ सम्बन्ध था, और इस सम्बन्ध में भी अमेरिका के धर्म और सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला, परन्तु पूर्वीय एशिया की सभ्यता और धर्म का आदिस्रोत भी तो भारतवर्ष ही है। ‘सालकटंकट’ द्वारा भारत की जो सभ्यता अमेरिका पहुंची, उसका ही सबसे अधिक प्रभाव हुआ।

१. ‘चिरात्मुमाली व्यचरद्रसातालं स राज्ञसो विष्णुभयार्द्धितस्तदा ।

पुत्रैश्च पौत्रैश्च समन्वितो वली ततस्तु लङ्घामवसद्गुनेश्वरः ॥


रामायण उत्तरकाशड अष्टमसर्ग श्लो. २८.

तथा उत्तरकाशड का नवमसर्ग देखिये।

2. Prescott. Conquest of Mexico. P. 598.

## \* नौवाँ अध्याय \*

### भारत और अफ्रीका।



अफ्रीका के मूल निवासी आजकल नितान्त असभ्यता की दशा में पाए जाते हैं। लोग उन्हें असभ्य, बर्वर, और जंगली कहते हैं। वे प्रायः नम्मावस्था में रहते हैं, किसी किसी प्रान्त में तो पुरुष और लियें घिल्कुल नंगी रहती हैं, वे अपनी लज्जा धनाने के लिए केवल विशेष अङ्गों के समुख एक पत्ता लटका कर ही सन्तुष्ट हो लेते हैं। उन लोगों में कोई लिपि नहीं है। सभ्यता की साधारण वस्तुओं से भी वे कोसों परे हैं। इसी कारण क्रमशः उनकी जन-संख्या घटती चली जारही है।

परन्तु इन असभ्य नींद्रो लोगों में भी कुछ ऐसे विशेष गुण वैयक्तिक और सामूहिक रूप से पाये जाते हैं कि उन्हें देखकर सभ्यताभिमानी लोगों को भी अत्यन्त आश्चर्य होता है। इन नींद्रो लोगों में कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जिन्हें देख कर यह प्रतीत होते लगता है कि ये असभ्य लोग भी एक समय संसार की किसी उच्च सभ्यता के समर्पक में रहे होंगे। स्वयं नींद्रो लोगों का यही विश्वास है कि प्राचीनतम काल में उनकी जाति बहुत सी ऐसी वातों को जानती थी जिन्हें कि वे लोग आजकल नहीं जानते। हमारा विचार है कि किसी उद्दूर प्राचीन काल में हिमालय के निकट से ही वर्तमान नींद्रो लोगों के पूर्वज क्रमशः ईरान और अरब को पार कर अफ्रीका में प्रवेश कर पाये होंगे। अथवा कुछ प्राचीन भारतीय आर्यों ने इस देश में पहुंच कर इन लोगों को सभ्य बनाने का यत्न किया होगा। बाद में प्राचीन शिक्षाओं को भूल कर नींद्रो जाति क्रमशः वर्तमान दशा को पहुंच गई। आज इस सम्बन्ध में कोई भी देतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, अतः निश्चित स्थापना करना सर्वथा असम्भव ही होगा। परन्तु भारतीय और नींद्रो सभ्यता की प्ररीक्षा करके हम यह स्थापना पूर्णसया निश्चित रूप से कर सकते हैं कि ये दोनों सभ्यताएँ एक ही श्रेणी की हैं, और नींद्रो सभ्यता का ज्ञोत भारतीय सभ्यता है। इस सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ प्रमाण और युक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाँयगी।

**संस्कारों की प्रथा—** भारतीय सभ्यतामें मनुष्य जीवन पर संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव स्वीकार किया गया है। वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन में आने वाले सब छोटे बड़े परिवर्तनों का प्रारम्भ संस्कारों से ही होना चाहिए, इसी सिद्धान्त के आधार पर द्विजों के लिये १६ संस्कारों का विधान किया गया है। इन आवश्यक संस्करणों के अतिरिक्त समय २ पर आवश्यक अन्य संस्कारों के लिए भी निर्देश किया गया है। अगर कभी नया धर जनाना हो तो उसके लिए भी संस्कार करना आवश्यक है।

वर्तमान अफ्रीकन लोगों में जो प्रथाएँ विकृतरूप में आजकल प्राप्त होती हैं उनके अनुसार एक अफ्रीकन व्यक्ति के जीवन में भी संस्कारों की अत्यन्त महत्ता है। यहाँ बालक के जन्म से लेकर उसके पूर्ण जीवन में समय समय पर अनेक समारोह किये जाते हैं। इन में से बहुत से समारोह भारतीय संस्कारों के विकृत और परिवर्तित रूप ही प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये यहाँ कुछ संस्कारों का निर्देश किया जायगा।

**जातकर्म—** नीओ लोगों में बालक के उत्पन्न होते ही एक साधारण सा परिवारिक उत्सव किया जाता है। दाई बालक की नाभी की नाड़ी को काट डालती है; और उसके अड्डों को अपनी रुचि के अनुसार ढालने का प्रयत्न करती है। इसके बाद आशीर्वाद सम्बन्धी कुछ प्राचीन गीत बोल कर उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है।<sup>१</sup>

अफ्रीका के एक द्राइव में यह प्रथा है कि जब पहला बालक घैदा होता है तब एक विशेष उत्सव किया जाता है। एक स्थान पर चारों ओर चूना डाला जाता है। बालक के उत्पन्न होने पर आग जलाई जाती है और बालक को शीघ्रता से उसके धूएँ में से निकाला जाता है। इस समय प्रार्थना के शब्द भी बोले जाते हैं।<sup>२</sup>

वैदिक जातकर्म संस्कार भी बालक के उत्पन्न होते ही किये जाने वाला एक परिवारिक संस्कार है।

**अन्न प्राशन—** अफ्रीकन बालक को तब तक स्थूल भोजन करने को नहीं दिया जाता, जब तक कि किसी वस्तु को स्वयं पकड़ कर उठा सकने की

1. The Life of a South African Tribe. Vol. I. P. 36.

2. Customs of the World. Vol. I, P. 6.

शक्ति बालक में नहीं आजाती । कुछ लोग इस समय भी बालक को स्थल भोजने के देना पसन्द नहीं करते ; वे इस प्रकार का भोजन उसे तभी देते हैं जब कि वह स्वयं घर से बाहर निकलने लायक होजाता है । इस समय भी एक साधारण परिवारिक उत्सव किया जाता है ।<sup>१</sup>

**सुराडन** — जब नींगो बालक कुछ बड़ा होजाता है, उसके प्रथम बार बाल काटे जाते हैं । बाल काटने से पूर्व बालक की माता उसके भाये पर अपने दूध को कुछ बूंदे डालती है, तब स्वयं अपने हाथों से उसके बाल काटती है । इन बालों को जंगल की घनी धास में फेंक दिया जाता है<sup>२</sup> — कई प्रान्तों में सुराडन करते हुए सिर पर बालों का एक गुच्छा (चोटी) छोड़ दिया जाता है ।<sup>३</sup>

**मेखला** — वैदिक प्रथाओं के अनुसार बालक को बहुत छोटी अवस्था में ही मेखला धारण कराई जाती थी । इस मेखला का वर्णन अर्थवृत्त वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में भी आता है । अफ्रीका में बालक को मेखला धारण कराने की प्रथा है । जब बालक शुटनों के बल चलने लायक होजाता है तब उसकी कमर में रुई का एक तागा बाँध दिया जाता है ; वहाँ इस तागे को 'पुरी' कहते हैं । यह प्रायः एक वर्ष की अवस्था में बाँधा जाता है । जब तक बालक को 'पुरी' धारण नहीं कराई जाती तब तक पति पति के लिए समागम करना अत्यन्त निन्दनीय समझा जाता है । बालक जब तक तीन वर्ष की आयु का नहीं होजाता तब तक माता ही उसका पालन करती है । इस समय तक सन्तान पैदा करना अच्छा नहीं समझा जाता । इस प्रकार दो बालकों के जन्म में प्रायः कम से कम तीन वर्ष का अन्तर अवश्य रखता जाता है ।<sup>४</sup>

यह सब प्रथाएँ पूरी तरह भारतीय प्रथाओं से मेल खाती हैं ।

**वैदारम्भ** — वैदिक प्रथाके अनुसार शिक्षा प्रारम्भ करने पर यह संस्कार करना चाहिये । अफ्रीका में भी कुछ ऐसे पेशे हैं जिन्हें प्रारम्भ करते हुए एक विशेष संस्कार करवाना होता है । इन में से एक पेशा गड़रिये का है । इन बालकों को आवादी से दूर रखा जाता है ; इनका वस्तों में आना मना होता है । गांव की स्त्रियें भोजन लेकर इन्हें उसी स्थान पर दे आती हैं ।

1. Customs of the World. Vol. I. P. 47.

2. Ibid. P. 12.

3. Ibid. P. 50.

4. Ibid. P. 55. & 59.

जिस दिन यह संस्कार किया जाता है उस दिन सड़क पर कुछ विशेष सुगन्धित लकड़ियों द्वारा आग जलाई जाती है। बालकों को जब इस की गन्ध आती है तब वे वहां आते हैं और उस आग के ऊपर से कूद जाते हैं। इस दिन उन के बाल भी काढ़े जाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कार्य किये जाते हैं।<sup>१</sup>

ये सब बातें भारतीय वेदारम्भ संस्कार से बहुत मिलती हैं। इस प्रथा में तो यज्ञाश्रि का विकृत रूप भी आज तक पाया जाता है। आग पर से कूदना सम्भवतः यज्ञ कुण्ड के चारों ओर परिक्रमा करने का विकृत रूप हो।

इन बालकों के नित्य कर्मों में से एक कार्य अग्नि के चारों ओर बैठना भी है, शायद यह प्रथा दैनिक अग्निहोत्र का विकृत रूप है।

**मृतक संस्कार—** अफ्रीकन लोगों में यद्यपि मुरदे को गाड़ने की ही प्रथा है तथापि इसी अवसर पर किये जाने वाले एक कार्य से प्रतीत होता है कि सम्भवतः किसी प्राचीन काल में ये लोग शव को जलाया करते होंगे। आज कल जब शव को गाड़ा जाता है तब उस के निकट ही अग्नि भी प्रज्वलित की जाती है। यह अग्नि शोक का चिन्ह समझी जाती है। जब किसी बड़े आदमी की मृत्यु होती है तब एक साल तक भी इस आग को प्रज्वलित रखा जाता है।<sup>२</sup>

इसी प्रकार बहुत से अन्य नीओ त्यौहारों की भी भारतीय संस्कारों से तुलना की जा सकती है। परन्तु हमारी सापना पुष्ट करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं।

**चन्द्र दर्शन—** अफ्रीकन लोगों में बालक को पूर्णचन्द्र के दर्शन कराने की प्रथा है।<sup>३</sup> कई प्रान्तों में यह प्रथा है कि माता बालक के सन्मुख एक जलती हुई लकड़ी लेकर उसे चाँद की ओर फेंकती है और कहती है—“यह तुम्हारा चाँद है।”<sup>४</sup>

भारतवर्ष में भी बालकों को चन्द्र के दर्शन कराने की प्राचीन प्रथा है।

1. The Life of a South African Tribe. Vol. I. P. 15.11.

2. Ibid. P. 341

3. Customs of the World. Vol. 1. P. 1.

4. The Life of a South African Tribe, Vol. I. Page 54.

**निरामिष भोजन—** भारतीय आर्य शाकाहारो होते थे ; वे मांस भक्षण को दृष्टित कार्य समझते थे । दक्षिण अफ्रीका के बन्तु नामक प्रान्त में लोग प्रायः अभी तक निरामिषभोजी ही हैं; वे मांसभक्षण को बुरा समझते हैं । उन में कम लोग ही कभी कभी मांस खाते हैं ।<sup>१</sup>

**अग्नि पूजा—** यज्ञ चिकृत होकर यहाँ अग्नि पूजा के रूप में परिवर्तित हो गए हैं । अग्नि को ये लोग पवित्र समझते हैं । भारतीय मन्त्रों के अनुसार भी अग्नि पावक है । विशेष कर “न्त्योफा” दृश्य की लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि बहुत पवित्र समझी जाती है । त्योहारों में इस लकड़ी की आग को काम में लाया जाता है ।<sup>२</sup>

**ब्रह्मचर्य—** वेदों में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा गाई गई है । अथर्ववेद में कहा है—“ब्रह्मचर्य से देवता लोग मृत्यु को भी जीत लेते हैं ।”<sup>३</sup> प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य साधन के लिये घालकों पर विशेष ध्यान दिया जाता था । जिस से कि वे सुगमता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें । इस के लिये उन्हें तपस्या, सादगी, सात्त्विक भोजन आदि का अभ्यास कराया जाता था । अफ्रीका के लोगों में आज भी ब्रह्मचर्य की महिमा उसी प्रकार गाई जाती है । पूर्व अफ्रीका के नींगों लोगों की एक कहावत का अर्थ है—“मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, अगर दिन रात तुम संयम पूर्वक रहो तो यह तुम्हारी आङ्गा मानेगी ।”<sup>४</sup>

इस ब्रह्मचर्य व्रत की साधना के लिये अफ्रीका के कुछ प्रान्तों में नींगो लोग विशेष यज्ञ करते हैं । वे अपने घालकों, को कुछ बड़ी आयु हो जाने पर आवादी से दूर रखते हैं । उन्हें पेड़ों की छालों के कपड़े पहनने को देते हैं । जिस प्रकार कि प्राचीन भारत में ब्रह्मचारियों को घलकल वस्त्र पहिनने को दिये जाते थे । ये कपड़े कुछ विशेष पवित्र वृक्षों की छाल से बने होते हैं ।

एक प्रान्त में प्रथा है कि घालकों को आवादी से दूर किसी के निरीक्षण में रखा जाता है । उन्हें नमकीन पानी से सिर धोने की आज्ञा नहीं होती क्यों

1. The Life of South African Tribe, Vol ii. P. 32

2. " " " ii. P. 32

3. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघत ॥ अर्थर्व० ब्रह्मचर्य सूत्त

4. To Khaatum. by Rev. G. Lloyd.

5. " " " "

कि बहाँ साबुन का काम नमकीन पानी से ही लिया जाता है । उन्हें अपने माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया जाता । वे किसी खी को देख नहीं सकते । जब ये घालक अवधि पूरी कर के घरों को वापिस आते हैं तब एक विशेष त्योहार किया जाता है ।<sup>१</sup>

**विवाह—** अफ्रीकन लोगों के विवाह के सम्बन्ध की बहुत सी बातें भारतीय विवाहों से समानता लिए हुवे हैं । थोड़े प्राच्य में आदर्श विवाह की अवस्था २५ बरस मानी जाती है । उनका कथन है— “प्राचीनकाल में मौजवान निश्चिन्तता और प्रसन्नता से आयु व्यतीत करते थे । वे २५ बरस तक नाच आदि में सम्मिलित नहोते थे । कोई लड़का २५ बरस की आयु से पूर्व विवाह न करता था ।”<sup>२</sup> वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार भी विवाह की आयु २५ बरस ही है ।

अफ्रीकन लोगों में एक व्यक्ति के गोत्र से समीप सम्बन्ध रखने वाले आठ गोत्रों में परस्पर विवाह नहीं हो सकता । विवाह के लिए गांव और समूह ( Tribe ) का बन्धन नहीं है ।<sup>३</sup>

ये लोग विवाह को एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं । यिन विवाह के सन्तान उत्पन्न करना घोर पाप समझा जाता है । यदि किसी कुमारी बालिका से सन्तान उत्पन्न हो जाय तो उसे भयंकर दण्ड दिया जाता है । कई खानों पर तो इस अपराध पर मृत्यु दण्ड भी दिया जाता है ।<sup>४</sup>

विवाह से पूर्व एक विशेष संस्कार किया जाता है, जिस में सब आस्थास के लोग मिल कर सहभोज करते हैं । जिस व्यक्ति का विवाह होना होता है, वह धर्मचार्य के पास जाकर आशीर्वाद लेता है ।<sup>५</sup> यह प्रथा भारतीय समावर्तन संस्कार से मिलती है ।

ये सब प्रथाएँ भारतीय विवाह सम्बन्धी सिद्धान्तों से मिलती हैं ।

**यज्ञाश्रि की साक्षी—** ग्राचीन भारत में यज्ञ एक पवित्र कार्य समझा जाता था, अतः जब ब्राह्मण लोगों से कभी व्याय कराया जाता था

1. The Customs of the World. vol. II. P. 17.

2. The Life of a South African Tribe Vol. ii. P. 100.

3. Ibid P. 246.

4. Customs of the World. Vol. I. P. 10.

5. To Khastum. by Rev. G. Llyd.

सब वे यज्ञाश्रि के सन्मुख बैठ कर ही उस मामले पर विचार किया करते थे। अफ्रीका में भी इस से मिलती जुलती प्रथा ही प्रचलित है। वहां जब किसी मामले का निर्णय करना होता है तब एक विशेष स्थान पर गांव के लोग और उन के मुखिया एकत्र होते हैं। इस शुद्ध स्थान के मध्य में एक विशेष लकड़ी की पवित्र अश्रि जलती रहती है। इस के चारों ओर बैठ कर ही किसी मामले का निर्णय किया जाता है।<sup>1</sup>

**शिखा**— प्रारम्भ में इय बालक के केश काटे जाते हैं तब उस पर बालों का एक गुच्छा छोड़ दिया जाता है। परन्तु पीछे से बड़े होने पर प्रायः लोग इस गुच्छे को भी काट देते हैं। सम्पूर्ण अफ्रीका में किसी भी प्रान्त के नीत्रो लोगों का एक सम्रूद्ध अपने सिर पर सम्पूर्ण जीवन के लिए बालों की चोटी ( शिखा ) रखते हैं। वे इसे सुन्दरता के लिये रखे हुवे बाल ही कहते हैं; परन्तु सुन्दरता के लिये सिर के मध्य में बालों की चोटी छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में सम्पूर्ण अफ्रीका के लोग शिखा रखा करते होंगे परन्तु पीछे से मुन्हमानी प्रभाव के कारण अन्य सब लोगों ने चोटी कटवा डाली ; केवल इन लोगों की चोटी ही बाकी बची है।

**भिन्ना**— प्राचीन भारत में गुरुकुलों के विद्यार्थी स्वयं भिक्षा मांग कर उसी के द्वारा अपना निर्वाह करते थे। ब्रह्मचारी जिस घर के द्वार पर “माता, भिक्षा दो !” का नाद करते थे; उस घर की गृहपति अपने अच्छे से अच्छे भोजन के साथ उस याचना का उत्तर देतो थी। अफ्रीकन मसाई लोगों में कुछ विकृत रूप में आज भी यह प्रथा पाई जाती है। मसाई नौजवान नवयज्वन काल में घर छोड़ कर चल देते हैं। वे जिस गाँव में जाते हैं वहाँ की बियाँ पूरे यह से उनका आतिथ्य करती हैं। अगर उन से पूछा जाय कि तुम इन नौजवानों को इतने प्रेम से क्यों भोजन देती हो, तो वे उत्तर देती हैं कि हमारा पुत्र भी किसी दूसरे गाँव में इसी प्रकार भिक्षा मांग रहा होगा। इस देशाद्दन काल में मसाई नौजवान पूर्णरूप से संयम का जीवन व्यतीत करते हैं।

इसी प्रकार इन असभ्य लोगों में भी अतिथि सत्कार आदि कुछ अन्य उसम गुण भी पूर्ण रूप से पाते जाते हैं।

1. To Khastum, by Rev. G. Lloyd.

**प्रार्थनाएं-** किसी प्रमुख से लगभग २० मील दूर एक 'नन्दी' पहाड़ी है। यहाँ के लोगों में तलाक की प्रथा भी नहीं है, ये लोग केवल एक बात पर ही तलाक करते हैं— अगर पत्नि सर्वथा वन्ध्या हो। इस पर्वत पर एक मन्दिर है। इस में नींगों लोग अपने संस्कार किया करते हैं। इस अवसर पर एक प्रार्थना की जाती है, जिसका अर्थ है—“इश्वर, हमें स्वास्थ्य दो, हमें दूध दो, हमें शक्ति दो, हमें उत्तम अन्न दो, हमें सब कुछ उत्तम दो, हमारे बच्चों और पशुओं की रक्षा करो ।”<sup>१</sup> इस का भाव एक वेद मन्त्र के इस अर्थ से बहुत कुछ मिलता है—“हे अन्नों के स्वामी ! हमें अन्न दो, वह अन्न उत्तम और शक्ति उत्पन्न करने वाला हो, हमें सामर्थ्य दो, अपने आशीर्वाद से हमारे परिवार और पशुओं की रक्षा करो ।”<sup>२</sup>

अफ्रीकन लोगों के सम्बन्ध में केवल हमारी ही यह धारणा नहीं है। स्वयं अफ्रीकन लोगों का विश्वास है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज बहुत कुछ जानते थे; वे बहुत सुखों और सम्पन्न थे; उनकी बातों को आज हम भूल चूके हैं।<sup>३</sup>

इस प्रकार इन उपर्युक्त प्रमाणों से भारत और अफ्रीका प्राचीन सम्बन्ध भली प्रकार पुष्ट होता है।

१. ग्रसिस कोनेच सपोन.

ग्रसिस कोनेच चेको.

ग्रसिस कोनेच उइन्दो:

ग्रसिस कोनेच पाक

ग्रसिस कोनेच को तुकल नेमिर्द.

ग्रसिस तुक-व-इच लकोक ग्रक तुका.

२. अन्नपते अन्नस्य नोदेहि अनमीवस्य मुष्मणः,

प्रप्रदातारं तारिश उर्जन्नो देहिद्विपदे चतुष्पदे ॥

3. The Life of South African Tribe. vol. II. P. 409.



## \* दूसरा अध्याय \*

### भारत और मिश्र.

— ४७ —

भारतीयों पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ताओं के लिये मिश्र संसार के अन्य सब देशों से अधिक महत्वपूर्ण देश है। मिश्र में हजारों वर्षों के पुराने जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं वे अत्यन्त विस्मयजनक हैं। संसार के यात्री इस गौरवपूर्ण देश में जाकर इसकी अवशिष्ट प्राचीन स्मृतियों को देखकर सम्मान और कौतुहल के भावों से भर जाते हैं। इस देश के बाज से हजारों वर्ष पूर्व बने हुए पौने पाँच सौ फीट ऊंचे पिरामिड सचमुच आश्र्य की बस्तुएँ हैं। मिश्र में ऐसी अनेक लाशें पाई गई हैं जिनकी बाल अभी तक सुरक्षित रूप से उनके पिंड पर जड़ी हुई हैं; अनुमान है कि ये लाशें कम से कम ४ हजार वर्ष पुरानी हैं। इन प्राचीन अवशेषों को देखकर इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि एक समय मिश्र देश की सभ्यता बहुत उन्नत हो चुकी होगी।

उस काल में जबकि मिश्र सभ्यता की उन्नत दशा में था, भारतवर्ष संसार की सभ्यता का गुरु था। उन दिनों संसार भर में भारत और मिश्र इन दोनों देशों का भाग्य सूर्य प्रचण्ड तीक्ष्णता से चमक रहा था। उस समय तक पश्चिम का यूनान देश भी उन्नत अवस्था प्राप्त नहीं कर सका था।

पुरातत्त्व वेत्ताओं के सम्बुद्ध यह एक समस्या है कि मिश्र देश की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ। हमारी यह हृदय स्थापना है कि मिश्र की सभ्यता का विकास वैदिक सभ्यता के आधार पर ही हुआ है। भारतवर्ष की यह गौरव प्राप्त है कि वह एक प्राचीन सभ्यतम् देश की सभ्यता का भी गुरु है। अपनी यह स्थापना पुष्ट करने के लिये कुछ प्रमाण हम यहां उपस्थित करेंगे।

**प्रलय और उत्पत्ति**— मिश्र के प्राचीन साहित्य में प्रलय का जो घटन किया गया है वह वैदिक साहित्य के प्रलय के घटन से बहुत मिलता है। “वज” का कथन है— “मिश्री साहित्य के अनुसार एक समय था जब यह आकाश था, न यह पृथिवी थी; तब सब और केवल अनन्त पानी ही पानी था, यह गाढ़तम अन्धकार से आवेषित था। यह प्रारम्भिक जल बहुत समय तक इसी अवस्था में रहा। इसी जल में सब बस्तुओं के मूलतत्त्व विद्य-

मान थे, जिन के द्वारा बाद में सब वस्तुओं तथा इस संसार की उत्पत्ति हुई । अन्त में इस प्रारम्भिक जल ने उत्पत्ति की इच्छा अनुभव की । उत्पत्ति का दूसरा कार्य कीटाणु या अण्डे की रचना था । इस अण्डे से “रा” ( सूर्यदेव ) की उत्पत्ति हुई । इसकी चमकती हुई आकृति में सर्वव्यापक की दैवीय शक्ति विद्यमान थी ।”<sup>१</sup>

वेद में सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध में कहा है— “तब न सत था न असत, न वायु था न यह आकाश । तब सब ओर गाढ़तम अन्धकार था ; ये सब वस्तुएँ इसी गाढ़तम अन्धकार में प्रचलित थीं । इसी अन्धकार में सब कुछ बिना किसी पहिचान के व्याप्त था । बाद में “इच्छा” की उत्पत्ति हुई । यह इच्छा ही उत्पत्ति का प्रारम्भिक सूल है ।”<sup>२</sup> “तब केवल मात्र निस्तव्य जल ही विद्यमान था । इस जल में सब घस्त् अणु रूप से विद्यमान थी । वह सर्वशक्तिमान इस जल के अन्दर, बाहर सब कहाँ व्याप्त था ।”<sup>३</sup>

इन दोनों वर्णनों में आश्रयजनक समानता है । प्रसङ्ग वश यह कह देना भी अनुचित न होगा कि बहुत से वर्त्तपान वैज्ञानिकों का भी यही विश्वास है कि संसार की उत्पत्ति की प्रथमावस्था जल ही थी ।

**मात ( Maat ) और ऋतुं —** मिश्री लोगों का विश्वास है— “मात, जो कि नियम, व्यवस्था, क्रम आदि की देवी है, सूर्य को प्रतिदिन नियत समय पर पैदा करती और नियत समय पर अस्त करती है, इसमें कभी वाधा उपस्थित नहीं होती ।”<sup>४</sup> यह मात वास्तव में ईश्वर की एक शक्ति है । श्रीयुत वेलिस के कथनानुसार ‘वैदिक साहित्य में ऋतु ईश्वर की वह शक्ति है जिसके द्वारा ग्रहाएँ में व्यवस्था कायम है ।’<sup>५</sup> एक वेद मत्त्र में आता है कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में ऋतु और सत्य को पैदा किया ।<sup>६</sup> वहाँ ऋतु का अभिप्राय संसार के नियमों की स्थिता और व्यवस्था ही है ।

1. Egiptian Religion. by Bagde.

2. तम आसीत्तमसा गूहमग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदस ॥ ३ ॥

कामस्तदग्रे समर्वताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ॥ ४ ॥ कर्वेद १० । ११९.

३. आपो अग्रे विश्वमायन् गर्भं दधाना अमृता कृतज्ञाः ।

यामु देवेष्वधि देव आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ अर्थव. ४ । ३.

4. Egiptian Relegion. Badge.

5. The Cosmology of the Rig Ved. by Wallis.

६. ऋतञ्ज सत्यञ्जाभिद्वात्तपसः” आदि । कर्वेद. दशम मण्डल.

**प्राचीन मिश्री साहित्य और वेद— निम्नलिखित तालिका द्वारा प्राचीन मिश्री साहित्य में वैदिक झट्टाओं की भलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होजायगी—**

| मिश्री १                                                                   | वैदिक                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. जब यहाँ कुछ नहीं था, तब वह अकेला यहाँ उपस्थित था ।                      | १. उससे पूर्व यहाँ और कुछ भी नहीं था । <sup>१</sup>                                                           |
| २. ईश्वर एक है । उस अकेले ने ही इस सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति की है ।        | २. वह पहले अकेला ही था, और कोई वस्तु नहीं थी । उस अकेले सूक्ष्म से यह विद्यमान जगत उत्पन्न हुआ । <sup>२</sup> |
| ३. ईश्वर की सत्ता व्यक्त नहीं होती, कोई मनुष्य उसके स्वरूप को नहीं जानता । | ३. वह सब भूतों में छिपकर प्रकाशित हो रहा है । <sup>३</sup>                                                    |
| ४. वह अपने प्राणियों में स्वयं एक रहस्य है ।                               | ४. वह देवों में विचिन्त है । <sup>४</sup>                                                                     |
| ५. ईश्वर सत्य स्वरूप है, वह सत्य द्वारा ही रहता है ।                       | ५. पूर्ण सत्य द्वारा ही वह सब कहाँ व्याप्त है । <sup>५</sup>                                                  |
| ६. ईश्वर ही जीवन है । उसी के द्वारा मनुष्य जीता है ।                       | ६. प्राण ऊपर विराजमान रहता है, उसी प्राण द्वारा सब प्राणी जीवित हैं । <sup>६</sup>                            |
| ७. ईश्वर देव और देवियों का पिता है ।                                       | ७. ईश्वर के उच्छिष्ठ (यज्ञ शैष) पर ही सब देव आश्रित हैं । <sup>७</sup>                                        |
| ८. आकाश उसके सिर पर आश्रित है, यह पृथिवी उसके पैरों का सहारा है ।          | ८. द्यूलोक उस विराट् ब्रह्म का शिर स्थानीय है और यह पृथिवी उसके पादस्थानीय । <sup>८</sup>                     |

१. ये प्रमाण Badge के Egyptian Religion से उद्घृत किये गये हैं ।

२. तस्माद्यनन्य परः किञ्चनास । छान्दोग्य ।

३. सोम्येदमग्रप्राप्तिदमेकमेषाद्वितीयं ; तस्माद्यतः सज्जायत । छान्दोग्य ।

४. स सर्वेषु भूतेषु गूढात्मानं प्रकाशते । कठ०

५. चित्रं देवानाम् । वेद ।

६. सत्येनोर्धर्वनयति । अर्थर्वेद ।

७. प्राणोर्धर्वमेति अजानात्, प्राणेन जातानि जीवन्ति । छान्दोग्य उपनिषद् ।

८. उच्छिष्ठाच्चन्निरे सर्वे दिवि देव उपाश्रिताः । अर्थर्व०

९. शीर्ष्यो द्यौ सप्तर्षत पञ्चयः भूमिः । चतुर्वेद ।

**वर्ण व्यवस्था**— पादरी लुसेल का कथन है कि भारतवर्ष और मिश्र दोनों देशों में एक समानता बहुत ही स्पष्ट रूप में पाई जाती है ; यह समानता वर्णव्यवस्था की है । उनका कथन है— “दोनों देशों के निवासी विविध श्रेणियों में बटे हुए हैं ; इन सब श्रेणियों के अधिकार, सम्मान, स्थिति आदि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं । ये वर्ण अपरिवर्तनीय हैं, पीड़ियों तक जाने वाले हैं । हिम्मुओं का विश्वास है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से पैदा हुए । यूनानी ऐतिहासिक हेराडोटस के अनुसार मिश्रों लोग भी प्राचीन काल में इसी प्रकार चार वर्णों को स्वीकार करते थे । उसने खदं भी समाज के चार विभाग किये हैं ।.....पीछे से समाज में तीन वर्ण समानाय माने जाने लगे— पुरोहित तथा धर्मचार्य, सैनिक लोग और शिल्पा तथा व्यापारी । यह स्पष्ट ही है कि मज्जदूर आदि इन तीन वर्णों में अन्तर्गत नहीं होते, उनका एक अलग चौथा वर्ण मानना ही होगा ।”<sup>१</sup> भारतवर्ष में भी पीछे से समाज में केवल द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य-ही सम्मान योग्य समझे जाने लगे ; शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा ।

धीरे धीरे मिश्र में वर्णव्यवस्था के बन्धन बहुत कठोर होगये थे । यूनानी ऐतिहासिकों का कथन है— “मिश्र में एक पेशे के लोग दूसरे पेशे में शामिल नहीं किए जाते थे ।” उनमें समाज के मुख्यतया तीन भाग थे— पुरोहित, सैनिक, और किसान । ये सब लोग भिन्न २ स्थानों पर रहते थे । इन्हें भूमि समान रूप से बटी हुई थी ।”<sup>२</sup> पीछे से भारतवर्ष में भी वर्णव्यवस्था के बन्धन इतने ही कड़े हो गये थे ।

**सामाजिक और धर्मिक जीवन**— मिश्री तथा भारतोय परिवारों के रीतरिवाज और संगठन परस्पर बहुत मिलते हैं । मिश्र निवासियों के साधारण जीवन की बहुत सी छोटी छोटी बातें भारतीयों के जीवन से बहुत कुछ मिलती हैं । इनमें से किसी अकेली बात का कोई बड़ा महत्व नहीं है, परन्तु जब हम ऐसी छोटी छोटी अनेक बातों में अत्यन्त साझेश्य देखते हैं तब दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता । श्रीयुत पेट्री की “सोशल लाइफ़ इन एन्शरण ईजिपृ” नामक पुस्तक के आधार पर मिश्री जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातें यहाँ उद्धृत की

1. Ancient and Modern Egypt. Introduction by Rev. Michael Russel. P. 24-25.

2 Social Life in Ancient Egypt. by W. M. F. Petrie. P. 11. & 12.

जाती हैं— “पुरुष आजीविका का कार्य करते थे और खियाँ खाली समय मिलने पर चरखा चलाती थीं, कपड़े बुनती थीं और संगीत का अभ्यास करती थीं ।”<sup>१</sup> “देवताओं को जब बलि अर्पित की जाती थी तब राजा को भी मुख्य पुरोहित के सम्मुख खड़े रहना होता था । पुरोहित कुछ विशेष प्रार्थनाएँ पढ़कर राजा के स्वास्थ्य तथा राज्य के लिए प्रार्थना करता था, अन्त में राजा की स्तुति के कुछ वाक्य भी पढ़े जाते थे ।”<sup>२</sup> “राजा माँस भक्षण किया करता था ; इस कार्य के लिए उसकी जो पशुशाङ्का थी उसमें एक भी गाय न थी, कारण यह था कि गाय का माँस खाना पाप समझा जाता था ।”<sup>३</sup> मिश्री लोगों के धार्मिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी था— “देवताओं को अन्न की बलि देने में कभी कमी मत करो ।”<sup>४</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि अन्न को बलि के लिए पवित्र समझा जाता होगा । पशुओं को चरागाहों से भगा देना बुरा समझा जाता था । मिश्री लोगों के पुरोहित बहुत साफ़ रहते थे ; वे प्रायः पेड़ के रेशों ( सन आदि ) से बुने हुए कपड़े पहिनते थे । उनके बख्त सदैव उजले रहते थे ।<sup>५</sup>

**चार ऋषि**— भारतीय लोगों का यह विश्वास है कि संसार के प्रारम्भ में जब मनुष्य सृष्टि करी, तो उसमें सबसे पूर्व चार ऋषि पैदा हुए । इन चारों को ही ईश्वर ने एक एक वेद का ज्ञान दिया । मिश्री प्राचीन गाथाओं के अनुसार भी सृष्टि के प्रारम्भ में चार ही मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है— “सब से पूर्व यह पृथिवी चारों ओर जल से ढकी हुई थी ; जब कुछ जल सूखा तो शेष जल में एक अण्डा या एक फूल पैदा हुआ, इस अण्डे से “रा” की उत्पत्ति हुई, उससे चार वालक पैदा हुए । उनके नाम केव, नट, शू, और टेपतट हैं । इन्हीं चारों से वर्तमान मनुष्य जाति पैदा हुई ।”<sup>६</sup> भारतीय प्राचीन पौराणिक गाथाओं के अनुसार भी ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल पुष्प से हुई, इसी ब्रह्मा ने अग्नि, वायु आदि चारों ऋषियों को जन्म दिया । इस प्रकार दोनों गाथाओं में बहुत अधिक समानता है ।

1. Social Life in Ancient Egypt, by Flinders Paterie. P. 27.
2. Ibid. P. 35.
3. Ibid. P. 55.
4. Ibid. P. 67.
5. Ibid. P. 1000.
6. Ancient Egypt from Records, by M. E. Monkton Jones. P. 26.  
और History of Ancient Egyptians, by Breasted. P. 47.

**यम्म की तुला**— भारतीय साहित्य के अनुसार यम मृत्यु का देवता है। जो आत्माएँ यह लोक छोड़कर जाती हैं, उनका वह न्याय करता है। उसके पास एक पाप और पुण्य तोलने की तराजू है; इसी तराजू के आधार पर वह आत्माओं का न्याय करता है। प्राचीन मिश्री लोग भी अपने मृत्यु देव मात ( Maat ) के पास एसा ही तराजू भानते थे जिससे वह आत्माओं के पाप पुण्य को तोल कर न्याय किया करता है।<sup>१</sup>

**यज्ञाश्रि**— भारतीय शास्त्र यज्ञाश्रि की पवित्रता प्रतिपादित करते हैं। उनके अनुसार यज्ञाश्रि में बाधा देना अनुचित है। प्राचीन मिश्री दरड विधान को देखने से यह प्रतीत होता है कि वे लोग भी किसी विशेष अश्रि को इतना पवित्र समझते थे कि उस के बुझाने को पाप माना जाता था। वहाँ बहुत से अपराधों को गिनाते हुए एक विशेष पवित्र आग को बुझाना भी पाप माना गया है।<sup>२</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि यह, किसी विशेष अश्रि के प्रति इस प्रकार सम्मान का भाव यज्ञाश्रि का, विकृत रूप है।

**सूर्यवंश**— पौराणिक ब्राह्मण कथानकों के अनुसार भारतवर्ष का सर्व प्रथम पुरुष सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु है। यह सत्यव्रत मनु प्रलयकारी जलप्लावन में स्वयं भगवान की कृपा से बच पाया था। इसी ने दुबारा इस पृथिवी पर मनुष्य जाति की बुनियाद डाली। यह आदि मनु सूर्य वंशी था। इसके बंशज इसी कारण सूर्यवंशी कहाये। मिश्री विश्वासों के अनुसार मिश्र का आदि पुरुष 'रा' भी सूर्यदेव का ही पुत्र था। इसने मिश्र में अपने बंश की नींव डाली।<sup>३</sup> जलप्लावन की कथा भी मिश्री साहित्य में पाई जाती है। मिश्री साहित्य के अनुसार 'रा' का जन्म नील नदी की भयङ्कर प्रलयकारी बाढ़ के के दिन हुआ था। मिश्री लोग उसी दिन से अपना दूर्घ प्रारम्भ करते हैं।<sup>४</sup>

**इभ और इबु**— हाथी का एक संस्कृत नाम "इभ" है। प्राचीन मिश्र में हाथी दाँतको "इबु" कहा जाता था। इन दोनों शब्दों में बहुत अधिक समानता है। प्रो० लासेन ( Lassen ) का कथन है— "संस्कृत के 'इभ' तथा मिश्र के 'इबु' इन दोनों शब्दों में इतनी अधिक समानता है कि इन दोनों का मूल

1. The Teaching of Amen-em-apt. by E. A. Wallis Badge. P. 32.

2. Ibid. P. 39.

3. History of the Ancient Egyptians. by Breasted. P. 267.

4. Children of the Sun. by W. J. Perry. P. 442.

एक ही स्वीकार किये विना कार्य नहीं चल सकता । सम्भवतः यह नाम भारत-वर्ष से भारतीय हाथी दाँत के साथ ही मिश्र में पहुंचा हो ।”<sup>१</sup>

**नाग पूजा**— पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पृथिवी शेषनाग के सिर पर ठहरी हुई है । शेषनाग सर्पों का राजा है । यही मान कर भारत में शेषनाग की पूजा भी की जाती है । शेषनाग भी भारतीय देवताओं में गिने जाते हैं । इसी प्रकार प्राचीन मिश्र में एक समय यह विश्वास भी था कि यह संसार “सर्पदेव” से पैदा हुवा है । यह मान कर सर्पदेव की वहाँ पूजा भी की जाती थी । यह सर्पदेव भारतीय शेषनाग के मिश्री अवतार प्रतीत होते हैं ।

**आदिम और अतुम**— संस्कृत साहित्य में “आदिम” संसार के प्रथम पुरुष को कहते हैं । इसका अर्थ ही है— “प्रारम्भ में पैदा होने वाला ।” भारतीय विश्वासों के अनुसार यह प्रथम पुरुष ‘आदिम’ विना मैथुन के स्वर्यं पैदा हुवा । मिश्र में प्रथम उत्पन्न हुवे पुरुष को ‘अतुम’ कहते हैं । यह “अतुम” शब्द “आदिम” से बहुत मिलता है । यह अतुम भी स्वर्यं ही पैदा हुवा । अतुम कहता है— “मैं अतुम हूँ; मैंने यह आसमान, ये प्राणी और यह दुनियाँ बनाई हैं । मैं ही वंशों को चलाता हूँ, मैं जीवन का खामो हूँ, देवों को उन की अभीष्ट वस्तुएं देता हूँ ।”<sup>२</sup>

**भाषाओं में समानता**— संस्कृत और मिश्री भाषा के बहुत से शब्द परस्पर बहुत मिलते हैं । ये शब्द इतने अधिक हैं कि उनकी समानता को देखकर उस बात से झन्कार किया ही नहीं जा सकता कि मिश्री भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से ही हुवा है । स्थानाभाव से हम बहुत कम समान शब्दों की सूची यहाँ उद्धृत करते हैं—<sup>३</sup>

| संस्कृत |       | मिश्री |                       |
|---------|-------|--------|-----------------------|
| शब्द    | अर्थ  | शब्द   | अर्थ                  |
| आदि     | आरम्भ | आत     | जिस से आरम्भ होता है, |

1. Our Past, Present and Future, by Gurudatta Vidyarthi. M. A.  
P. 19.

2. India in Primitive Christianity. by Lillie. P. 36.

3. Book of the Beginning. by Vol. I. by Gerald Massey. P. 145.

4. The Natural Genesis. Vol. II. by Gerald Massey P. 507-519.

| संस्कृत     |               | मिश्री      |                                  |
|-------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| <u>शब्द</u> | <u>अर्थ</u>   | <u>शब्द</u> | <u>अर्थ</u>                      |
| अक          | मोड़ना        | अक          | मोड़ना                           |
| अश्व        | आंख           | अख          | देखना                            |
| अनि         | सीमा          | अन्नू       | सीमा                             |
| अन्त        | समाप्ति, सीमा | अन्तू       | विभाग, भूमि की सीमा              |
| आपः         | पानी          | आप या       | आव-पानी                          |
| अपूर्प      | पूरा          | पूर्प       | रोटी                             |
| अर्क        | धूप           | रेख         | गरमी                             |
| अर्म        | आंख की बीमारी | रेम         | रोना                             |
| आरुह        | चढ़ना         | अरु         | चढ़ना                            |
| असु         | श्वास, पानी   | अश          | गीला                             |
| आत्मा       | आत्मा         | आत्मु       | सातवों सृष्टि की रचयिता<br>आत्मा |
| बहु         | अधिकता        | बहु         | देना                             |
| भेक         | मेंडक         | हेका        | मेंडक के सिर वाला देवता          |
| कन्दू       | बानर          | कान्त       | बन्दरी                           |
| दन्श        | काटना         | दन्श        | काटना                            |
| दाव         | अरित          | देव         | अग्नि                            |
| दिति        | काटना         | तत          | काटना                            |
| दिव         | आकाश          | तेप         | आकाश                             |
| कार्मर      | लोहार         | कार         | लोहार                            |
| खन          | खोदना         | फन          | खोदना                            |
| माता        | माता          | मत या       | मात—माता                         |
| मन्यु       | साहस          | मेन         | दृढ़ता                           |
| नाग         | सांप          | नेक         | सांप                             |
| नर          | मनुष्य        | ब्रा        | मनुष्य                           |
| नाश         | नाश           | नशेष        | नाश                              |
| नत          | झुकना         | नत          | झुकना                            |
| पच          | पकाना         | पेख         | पकाना                            |
| परि         | चारों ओर      | परि         | चारों ओर                         |
| पूर         | बाहू          | पूर         | बाहर निकला                       |

| संस्कृत |           | मिश्री |            |
|---------|-----------|--------|------------|
| शब्द    | अर्थ      | शब्द   | अर्थ       |
| पुण्य   | फूल       | पुण    | फूल        |
| राज     | राज्य     | रैक    | राज्य करना |
| रसना    | जिह्वा    | रस     | जिह्वा     |
| रथ      | रथ        | उर्त   | रथ         |
| सम      | साथ       | सम     | इकहुँ होना |
| शान्त   | शान्त     | स्नातम | शान्त      |
| सत      | सर्वोत्तम | सत     | उत्तम      |
| सेवा    | पूजा      | सेव    | पूजा       |
| शिला    | चट्टान    | सेर    | चट्टान     |
| स्ना    | स्नान     | सन्ता  | स्नान      |
| स्वप    | धाराम     | सुव    | शान्ति     |
| श्वास   | श्वास     | सास    | श्वास      |
| श्वेत   | सफेद      | हृत    | सफेद       |
| तन      | खींचना    | तुन    | खींचना     |
| उरु     | वडा       | उरु    | वडा        |
| उपा     | प्रातःकाल | उपा    | प्रातःकाल  |
| घास     | घर        | आस     | घर         |

इसी प्रकार के सैकड़ों शब्द उद्धृत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी स्थापना पुष्ट करने के लिए इतने उदाहरण ही पर्याप्त हैं।

**आत्मा की अमरता में विश्वास**—भारतीय साहित्य में आत्मा की अमरता पर जितना अधिक चल दिया गया है, उतने बल से संसार के किसी अन्य देश के साहित्य में इस का प्रतिपादन नहीं होगा। इस कारण इस वात को सिद्ध करने के लिए वैदिक साहित्य में से कोई उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन मिश्री लोगों का भी आत्माकी अमरता में विश्वास था । वे आत्माको “का” ( Ka ) कहा करते थे। उनका विश्वास था कि मृत मनुष्य का आत्मा छूवते हुए सूर्य या ‘रा’ के साथ नीचे की ओर चला जाता है। मिश्री की प्राचीन पुस्तक “मृतकी की पुस्तक” द्वारा उनके परलोक सम्बन्धी विश्वास ज्ञात होते हैं। इस पुस्तक में मृतकों के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएँ अङ्गित हैं। इस से यह भली प्रकार ज्ञात होता है कि प्राचीन मिश्री लोगों का

आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था । साथ ही वे कमफल के सिद्धान्त को भी मानते थे ।

**एक ईश्वर में विश्वास—** वेदों की शिक्षा के अनुसार ईश्वर एक है । उस की चिन्ह शक्तियों के कारण उस के अनेक नाम हैं—‘बह एक ही है । विद्वान् लोग उसी एक को इन्द्र, मिश्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, रथ, सुपर्ण, गुरुत्वन, यम, मातरिश्वा-आदि विविध नामों से पुकारते हैं ।’<sup>१</sup> प्रायः मिश्री लोग भी एक ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार करते थे । उन का कथन था कि अन्य देवता उसी एक सबै शक्तिमान ईश्वर के अङ्ग रूप ही हैं । दूसरे शब्दों में ईश्वर की चिभिन्न शक्तियों के कारण उस के चिभिन्न नाम हैं । इस बात को पुष्टि के लिये श्रीयुत ली पेज की पुस्तक में से मिश्री लोगों की कुछ प्रार्थनाएं उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा । परमात्मा का कथन है—“मैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला हूँ । मैंने देवताओं को वह आत्मा दी है जिस से वह जीवन देते हैं । जब खैं आंख खोलता हूँ तब रोशनी हो जाती है, और जब मैं आंख बन्द करता हूँ तब अन्धेरा हो जाता है ।”

“सब देवता एक बड़े स्वामी को स्वीकार करते हैं । वह बड़ा स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार जगत का शासन करता है । वह मनुष्यों को; वर्तमान, भविष्य और भूत को; मिश्र निवासियों और परदेशियों को आज्ञा देता है । सूर्य मण्डल उस के आधीन है; वायु, जल, वृक्ष और औषधियां- सब उसी के शासन में हैं ।”

“उसी की कृपा से हाथ काम करता है, पैर चलते हैं, आँखें देखती हैं, हृदय उत्साहित होता है, हाथ शक्तिस्पन्द होता है और देवताओं, पुरुषों तथा अन्य प्राणियों के शरीर तथा मुख में चेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती है । बुद्धि और भाषा, हृदय और जिह्वा सब उसी के अनुग्रह के फल हैं ।”

“आओ, हम उस देवता की प्रशंसा करें जिसने आकाश को ऊपर उठाया है, जो “नष्ट” की छाती पर अपने प्रकाश मण्डल को फैलाता है, जिसने देवताओं और पुरुषों की सन्तति को पैदा किया है, जिसने सब भूमियों, सब देशों और सब महासमुद्रों को बनाया है ।”

“हे सब जड़ चेतन के निर्माता ! नियम के चलाने वाले ! देवताओं के पिता ! मनुष्यों के रचयिता ! पशुओं के कारीगर ! अजाज के स्वामी ! खेत के प्राणियों के लिये भोजन तैयार करने वाले ! अद्वितीय ! एक मात्र स्वामी !

१. इन्द्रं मित्रं वरुणं मग्निमाहुरशो दिव्यस्स सुपर्णो गुरुत्वमात् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वान्माहुः ॥ वेद ॥

देवताओं के अधिपति ! अनन्त नामधारी !....इत्यादि ॥”

इन सब प्रार्थनाओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है कि मिश्री लोगों एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने वाले थे । ये प्रार्थनाएँ ऋष्यवेद के हिरण्यगर्भ सूक्त की स्तुतियों से बहुत मिलती हैं ।

**सदाचार के सिद्धान्त** — मिश्री लोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी भारतीय सदाचार के नियमों से बहुत मिलते हैं । इस बात की पुष्टि के लिये यहाँ मिश्री लोगों के सदाचार सम्बन्धी सुख्य सुख्य नियमों को लिख देना मात्र ही उर्घास होगा—

१. किसी को डराना अनुचित है क्योंकि ईश्वर डराना प्रसन्न करता ।
२. गरीबों की सहायता करनी चाहिए ।
३. अपने माल पर सन्तुष्ट रहो । जो ईश्वर ने दूसरों को दिया है उसें छीनने का यत्त मत करो ।
४. पूर्ण मनुष्य के सामने यदि सिर झुकाओंगे तो ईश्वर तुम से प्रसन्न होगा ।
५. अगर तुम चिद्रान् हो तो अपने पुत्र को ऐसा बताओ कि परमात्मा उस से प्रसन्न हो ।
६. जो तुम पर अश्रुत है उसे प्रसन्न रखो ।
७. अगर तुम छोटे से बड़े या निर्धन से धनी बन गये हो तो दूसरों पर कठोरता मत करो । ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस की रक्षा करो ।
८. परमात्मा आंशा पालन को प्रसन्न करता है ।
९. अच्छा पुत्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है ।

**कर्नल आल्काट का मत** — भारत और मिश्र दोनों देशों के धार्मिक विचारों में इतनी अधिक समानता देखकर कर्नल आल्काट इस परिणाम पर पहुंचे हैं— “हमारे पास यह मानने के लिये काफी पुष्ट प्रमाण हैं कि ८ हजार वर्ष पूर्व भारतवर्ष ने कुछ यात्रियों को रवाना किया; जिन यात्रियों ने वर्तमान ईजिप्ट के तटकालीन वासियों को सभ्यता और कलाओं में दीक्षित किया । ईजिप्ट के प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता मिं व्रूस की भी यही सम्भति है । उन की राय है, कि वे लोग ईरडो जर्मन जाति के काकेशस परिवार से सम्बन्ध रखने वाले थे और वे इतिहास के प्रारम्भ काल से बहुत पूर्व स्वेज के उस अन्तर्जातीय पुल को लांघ कर नील नदी के किनारे जा वसे थे । मिश्र निवासियों का कथन है कि वे किसी पर्विंश लोक से यहाँ आये थे ।”<sup>1</sup>

कुछ अन्य विद्वानों के मत— श्रीयुत वेलिस बज का कथन है— “मेरी सम्मति में मिश्र की सभ्यता का विकास पश्चिमी एशिया के पूर्वीय भाग और उससे भी दूरस्थ देश ( भारत ) से हुआ ।”<sup>१</sup>

श्रीयुत हर्जन्स्ट्रेडना का भी यही मत है कि भारतीय सभ्यतां द्वारा ही मिश्र में सभ्यता का प्रसार हो पाया ।<sup>२</sup> इसके लिये वे निम्नलिखित युक्तियाँ देते हैं—

“१. हेराडोटस, ऐश्वर्यो, सोलन, पैथागोरस, फिलोस्ट्रेटस आदि सुप्रसिद्ध यूनानी विचारकों का भी यही मत है कि मिश्र ने भारत से ही धर्म की दीक्षा ली ।

“२. अनेक अन्य विद्वानों की भी यही राय है कि मिश्र का धर्म दक्षिण से प्रारम्भ हुआ । मिश्र के प्राचीनतम मन्दिरों की रचना से भी यही बात सिद्ध होती है । उन मन्दिरों की रचना भारत के प्राचीन मन्दिरों से बहुत मिलती है । दक्षिण में उस समय भारत के सिवाय कोई और ऐसा देश नहीं था जिससे कि मिश्र धर्म और सभ्यता की दीक्षा ले सके ।

“३. जैसोदस, जूलियस, अफ्रीकेनस और यूसीबियस ने अबीदोस और सायस के मन्दिरों के जो पुराने चिट्ठे सुरक्षित दशा में हम तक पहुँचाये हैं, उनमें यह लिखा है कि मिश्र का धर्म भारत से आया ।

“४. हिन्दुओं का इतिहास मिश्र के इतिहास से बहुत पुराना है ।”

इन तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणों के आधार पर श्रीयुत प्रिन्स भी इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि मिश्रने सभ्यता और धर्म की दीक्षा भारतवर्ष से ही ली थी । हम भी बिना किसी टिप्पणी के उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर श्रीयुत प्रिन्स का अनुमोदन करते हैं ।

1. The Teaching of Amen-am-apt. Introduction. by Wallis Budge.  
P. XV.

2. Theogomy of the Hindoos. by Comet Bjornstjerna.

# शब्दानुक्रमणिका.

- आकिलस, ३०४  
 आकृष्ट पच्या, १८७  
 आकूर, ७९, ८०, ८२,  
 आयुर्लमक, १७६,  
 आग्नि, ३३७  
 आग्नि पूजा, ३४७  
 आग्न्यात्र, १६६, १८१  
 आङ्गदेश, २६६, २०, ६३, ७६, ८४, ८७, ८५, १०८,  
 आङ्गारक, ४४  
 आङ्गिरा, २८३  
 आजातशत्रु, १००, १०७,  
 आतिम, ३५७  
 आथर्ववेद, २८३, २८७, ३०६, ३४५, ३४७,  
 आदत्सात्र, १७६  
 आदन, २८२  
 आधिकारी, १५७  
 आनाम, २७८  
 आनु, २१  
 आनुविन्द, ७७  
 आन्धक, ७५, ७७, ७८, ८२, ८५  
 आन्धिक वृष्णिसंघ, ७८, ८७, १०१.  
 आन्तर्धानात्र, १०  
 आन्तर्राष्ट्र सचिव, १३१  
 आन्मप्राशन, ३४५  
 आन्यगमा, १७४  
 आन्वेषणविभाग, २३८  
 आपोलो, ३१६
- आप्रतापी, ४१  
 आप्रतीपि, ४१  
 आप्तु, २८९  
 आप्तुजित, २८९  
 आफगानिस्तान, १२१  
 आफ्रीका, ३०, २८५, ३४३, ३४४  
 आफ्रीकेनस, ३८२  
 आब्जु, २८९  
 आब्दुलगाजी, २७८  
 आभिभू, ७४  
 आभिमन्यु, १५ ७४, ८६  
 आभियुक्त, १६९  
 आभियोगी, १६६, १६९  
 आभिए, २८३  
 आभिसार, ७५  
 आमरता, ३५८  
 आमात्य, १३१, १३३, १३४, १३७, १०७, २०७, २१४  
 आमूझूत, ८१  
 आमेरिका, २७२, ३३६, ३३९  
 आम्बाट, ७७, ८३  
 आम्बा, ८८  
 आयुतायु, ८१  
 आयुधायु, ८१  
 आरटु, २७७  
 आरब, १८६, २८५, ३४३  
 आरव समुद्र, २८५  
 आरणी, ७८  
 आरथ्यचर, १५३

- अरोन, ३०१  
 अरिस्टोफेन, ३०९,  
 अरिस्टोटेल, २८३, ३०२  
 अरुन्धती, ५४  
 अर्जी, १८५  
 अर्जुन, ३५, ३७, ४८, ५६, ७७, ८६, ९६, २७०, २३५  
 अर्थशास्त्र, २४१  
 अर्थी, १५८, १६०, १६१, १६३, १६७  
 अर्थसचिव, १३१ १३२, १३७  
 अद्वृतन्द्रव्यूह, १८२  
 अध्यनारीश्वर, ३२३  
 अर्यमन, २८४  
 अलंकार, २४१  
 अल्काट, ३८१  
 अङ्गकप, १०८  
 अवकाश, २११  
 अवन्ती, ७७, ८३, ८८, ९०८  
 अवन्ती पुत्र, १०८  
 अवन्ती का राज्य, १०८  
 अवन्ती का द्वैराज्य, ८३  
 अवशेष, ३५१  
 अवसरोक्ति, २४१  
 अविदेस, ३८३  
 अविद्ये, २८३  
 अशनिअन्न, ९  
 अशिक्षित, १७६  
 अशोक, १६, १०२  
 अशोक वाटिका, ३०४  
 अश्मक, १०२  
 अश्वचिकित्सा, ५७  
 अश्वत्थामा, ५३  
 अश्वमेधयज्ञ, २६, ५३, ५८, ८६, ८७, ९८  
 अश्वविद्या, ५७  
 अश्वसूत्र, ५८  
 अश्वातक, ७७  
 अश्राव्य, २६९  
 अष्टकुल, १०८  
 अष्टप्रधान मण्डल, १३१, १३२, २७९  
 अष्टादश पुराण, ३  
 असार, १७६  
 अतीर्थि, १०४  
 असुर, ३५, २७४  
 असुरमेधा, २८४  
 अस्पर्श, २६१  
 अस्सक या अशोक, १०८  
 अख, १८४, १८७  
 अस्वामिक, १८७  
 अहमांसम, २९१  
 अहिच्छत्र, १०८  
 अहिंसा, ३११  
 अहुरमज्दा, २८४
- आ
- आक, १८८  
 आकर, १९७  
 आनेयास्त्र, १९२  
 आटिवक, १५३  
 आतपत्र, ६८  
 आत्मा, २६६, ३५८  
 आदिम, ३५७  
 आन्तरिक कर, १५८  
 आन्ध्र, ७६, ७७, २७६  
 आन्ध्रक, ७७, ८३  
 आपय, २८३  
 आपो, २८३  
 आभीर, ६८  
 आभूषण, २२९  
 आय वय, २१३, २१५  
 आयात कर, २०४  
 आयु, २७९

आयुर्वेद , ५०,८५  
आदेदन , १६०,१६१  
आ.रण्यक , १७६,१८७  
आर्गस , ३०३,३३२  
आर्यस्यान , २८१  
आश्रम व्यवस्था , २४८  
आसन , ११५,१८१  
आसरम , ७६,१२१  
आसेध , १६१  
आहमूँ , २६८,२७८  
आहुक , ७५,८२  
आहुर , ७०  
आत्माष्ट्र , २४२,२४५

इ

इङ्गलैण्ड , १४६,२२४,२२८  
इच्छा , ३५२  
इटली , ३२३  
इडा , २७९  
इतिहास , २४१  
इनाम , २१३  
इनियन , ३२१  
इन्कारी , १६७  
इन्द्र , ११५,१२७,३०४,३०५,३२१  
इन्प्रस्थ , ८६,८७,८८,१०८  
इतियड , २०२,३०३,३०४,  
इस्तियस जोव , ३२१  
इसराइल , २०१,३०१  
इसिस , ३२२,  
इसिसमन्दिर , ३२२

ई

ईरान , ३८१,३८५,३४३,  
ईशोपनिषद् , २९१  
ईश्वर , ३६०

उ

उग्रकर्मी , ७९  
उग्रसेन , ८०, ८२  
उच्चिष्ठ , ३५३  
उज्जैन , १०७  
उत्कल , ७६  
उत्तर्य , २५  
उत्तम पशु , २२८  
उत्तरा , १७४  
उत्तर देश , २६२  
उत्तर पाञ्चाल , १०८  
उत्पत्ति , ३५१  
उदयन ८८, १०७  
उपनिवेश , ३२

उपवेद , २३१  
उपासना गृह , २३८  
उमापति , ११५  
उर प्रान्त , २८५  
उर वनस्पत्ताल्डी , २८५  
उरु , २८८  
उरुनाद , २८८  
उरुलोक , २८८  
उरुवशी , २८८  
उरुचत्र , २८८  
उरुपी , ३३६  
उशना , ११४, ११७ ११८,  
उसना , २८३

ऊ

ऊन , ३१६

ऋ

ऋग्वेद , २७५  
ऋण , २१८  
ऋणपत्र , २४२  
ऋत , ३५२

कृतु यज्ञ, २७६

कृत्तिवक्, २७६

### ए

एकत्व, २६१

एकात्मक, १८

एकायन्त, १६

एकधार, १००

एक्सोडस, २८१

एक्सिलस, ३

एजटिक, ३३६, ३३७, ३३८

एटिक, ३१३

एडम स्थिथ, २०७

एन्टीनर, २०४

एथन्स, ३१६

एन्थीनियन, ३१४

एन्थोवन, २८६, २८७

एम्पीड्रोमिया, ३१४

एम्पेडोकलीस, ३०८

एलेक्ज़ण्डर, ३२०

एलेक्ज़ण्ड्रीनर, ३०९

एशिया, १०४, २७३, ३३६

एसनीज़, २८८, २८९, २९०, २९१

एंगलो सैक्सन, ३२८

### ओ

ओड, २७३

ओडेसस, ३०५

ओड्स, २८८

ओरोमगदस, ३१७

ओलिम्पियस, ३२१

ओविद, ३२१

ओसिरिस, १०६

ओसेलस, ३१०

### ओौ

ओौगक्स, २७९

ओौजार, २१८

ओौदुम्बर, ८३, ३८३

ओौरफ़स, ३०९

ओौशनस, ११४

### क

कङ्ग, २७७

कच, ११४

कठोपनिषद्, २५८

कटवज्ज्वी, २६२

कणाद, ३०२

कनिष्ठ युद्ध, १८३

कन्यादान, ३७

कपिल, ३०२

कपिलवस्तु, ११०

कपोतरोम, १६

कमल, ३५५

कमला, ३२१

कमसर्यट, १४

कमीशन, १५४

कम्बोज, ३०, ६२, ७६, १०८, २७३

कर, २०१

करज, १८०

करसंग्रह, २०३

करसचिव, २०७

करसिंहान्त, २०२

करूष, ८४, ८७

कर्ण, ७६

कर्म काखडी, २०८

कर्मसिंहान्त, २८८

कर्षक, २०७

कला, २२०

कर्लिंग, ८, १६, ३०, ७६, १०२

- कलिंग राजपुत्री, ३७  
 कलियुग, ८४, ३८२  
 कल्हण, १०१, १०३  
 कवच, १००  
 कविपुत्र, ११४  
 कर्षयप, २८  
 का, ३५६  
 काकवर्ण, ८५  
 कांची, ७६  
 काच, २७७  
 काणाम, ११०  
 काने, २००  
 कानून, १६३  
 कानूनदा, १६३  
 कान्यारी, २७७  
 कावा उसा, २८३  
 कामदेव, १८७  
 कामन्दक, ११४, ११७, ११८  
 कामशास्त्र, २४१  
 कामिल्य, १०२  
 कारीगर, २२५  
 काश्य, ७४  
 कार्पसिक, ८१  
 कालयवन, ८७  
 काली, ७६, ३१६, ३३२  
 काली घाट, ३१६  
 काली दास, २७३  
 काली, ३३८  
 काल्य, ११४, २८३  
 काशी, ८८, ७४, ८५, १००, १०२, १०७, १०८  
 काशिराज, ३७, ३८  
 काश्मीर, ३०, ८८, १०९, १०२, १२२  
 किसूमू, ३४८, ३५०  
 कियम, २७८  
 कियूम, २७८  
 किरात, ८३, ७७, ८३, १७६, २१८, २३३, २७३, २७७  
 किया, १६८  
 किसान, २२५  
 कीचक, ४८, ४७  
 कीर्तिवर्धन, ८४  
 कीर्यिन, ३३५  
 कुक, ३१७  
 कुकुर, ७५, ८२  
 कुक्षुर, ७७  
 कुख्य ग्राम, १०८  
 कुन्ती, ४३, ४४, ४६, ८५  
 कुन्तल, ७७  
 कुमारी ग्रन्तरीष, २८  
 कुम्भक, २६८  
 कुम्भकर्ण, ३०४  
 कुरुदेश, ८८, १०८  
 कुरुक्षेत्र, ८०  
 कुपेर, ३०४  
 कुस, १५७, १५८, २२५  
 कुलिन्द, २८५  
 कुश, १०२  
 कुशीनगर, १२२  
 कूटयुहु, १८४, १८५  
 कूपमण्डूक, २५८  
 कृतयर्मा, १२, ४३, ७७  
 कृतगुल्म, १७६  
 कृष, ५३  
 कृशालु, २८३  
 कृषक, २८१  
 कृष्णि, २१०, २१२, २३०, २३१  
 कृषि तथा कर सचिव, १३१  
 कृष्ण, ८८, ४०, ४७, ८८, ७५, ७८, ८०, ८१, ८२, ८८  
 ८७, ८८, ९०, ९६, १०१, ११८, १८४, २१६,  
 २३३,  
 कैक्य, ७५, ७६,

फेव, ३५५  
 केरल, ७६  
 कैल्ट, ३३८, ३३९, ३३३  
 केशव, ८१  
 केरसपुत्र, ११०  
 केनेडी, ८५  
 कैलास, ३८१  
 कोइला, १८८  
 कोकस कोकस, ३४७  
 कोट, ६८  
 कोलम्बस, ३३६, ३३८  
 कोलब्रुक, ३१०  
 कोसीय, ११०  
 कोशल, ७६  
 कोशल राज्य, ८६, १००, १०२, १०४  
 कौटिल्य अर्थ शास्त्र, ८३, ११४, ११७, ११८,  
     १४३, २५०  
 कौरव, ७४, ८८  
 कौशास्त्री, ८८, ८९, १०७, १०८  
 क्रपचन्द्र, २४२  
 क्रौञ्च व्यूह, १८२  
 क्रमन्स, ३०९  
 क्लार्क, २७८  
 क्लौक, २३८  
 क्वेटसाल्कठल, ३४०, ३४१, ३४२, ३४८  
 क्वांगजी, २५८, २६४

## ख

खगेन्द्र, १०२  
 खनिज, २४३  
 खनिज कर, २००  
 खनिनेत्र, २१  
 खलासी, २१९  
 खश, ८३, ६७, १२२, २७३, २८२  
 खाय्यवन, ६५

## छ

गंगा, ८८, ९९, १०९  
 गण, १५१, १५२, १५६, १५७, १९८, २२५  
 गणेश, २४६, ३१९  
 गणक, १५७, १५८  
 गणपति, २४५  
 गणराज्य, ७८, ८३, १०८  
 गणहक, १२२  
 गद, ७३  
 गदा, १८०  
 गन्धक, १८८  
 गन्धर्व जाति, ४०  
 गन्धर्व विवाह, ३७  
 गथा, ३२१  
 गसड़, २४५  
 गर्भ विद्या, ५८  
 गशाही, १६८, १७०  
 गव्यूति, १२  
 गान्धर्व विद्या, ५८  
 गान्धार, ४६, १०८  
 गाहेपत्याद्वि, ३१३  
 गिरि हुर्ग, १२२  
 गिरिब्रज, ८४, ९०, ११  
 गिरोलड, ३२२  
 गिर्लड, २२४  
 गीता, ३, २६८, ३०८  
 गुजरात, १२१  
 गुड़, ४०  
 गुप्तचर, १२७, १२९, १४०, १४२  
 गुरुमीभूत, १७६  
 गुस्ताव औपर्ट, ११६  
 गृहस्थ, २४८  
 गैलरी, ४५  
 गोधर, १०२  
 गोनल्द I, १०१

गोनन्द II, १०९  
गोमी, ३३  
गोमेज, २८४  
गोमेध, ८४  
गोला, १८६, १८८, १९२  
गोलिघर्य, १८८,  
गोशाला, ३८  
गोसंख्य, ६०  
गौतम, ३०  
गौता, ३२४  
गौल, ३३४  
गृज्ञानोक्तीस, ३१७  
गृज्ञानोफेतव, ३०७, ३१७  
गृज्ञान्यस, ८३

**घ**

घुहमाल, ३८  
घोड़े, १७८

**च**

चक्र, १००  
चक्षाल, १५३  
चख्डी, ३२२  
चतुर्युग, ३३६  
चतुर्वर्ण, ३८८  
चन्द्र, २७८  
चन्द्र दर्शन, ३४८  
चन्द्रवंश, ८८, ९६, ९८  
चमार, २२२  
चम्बा, १०८  
चरागाह, ३४, ३५५  
चापिङ्ग, २५८  
चालडी, २८९  
चाहू वंश, २८३, २७८  
चिकुञ्ज, ७७  
चिन्तामणि कोश, १५२

चित्र सेन, ७५  
चित्राङ्गद, १६  
चीन, ३०, ८८, २५७, २६३, २६४, २७३, २७४,  
२७५, २७७, २७८, २८०

चीनी कपड़े, ७३  
चीनी रेशम, ७३  
चूलिक, ७७  
चेदि, ७४, ८४, ८७, १०८  
चैल, ७६  
चोटी, ३४५, ३४८  
चोबुला का बुर्ज, ३३७, ३३८  
चोल, ३०, ८२, ७५

**छ**

छन्द, २८५  
छन्द ज्ञान, २८५  
छन्दोवस्था, २८२  
छल, १६१  
छाक्षी, १८१, १८३

**ज**

जङ्गलात, २०१, २३२  
जतु, १८९  
जनक, ८४  
जनमेजय, ८७, ११७  
जमानत, १६४, १६५  
जगद्रघ, ७६  
जगपत्र, २४२  
जयपुर, १०८  
जयसेन, ९०  
जयत्सेन, ९०  
जरदुप्र, २८३  
जरासन्ध, ४५, ८४, ८८, ८७, ९०, १०१  
जलस्नान, ३२०, ३३७, ३५६  
जल विहार, ४०  
जलोदी, ३८  
जातकर्म, ३२७, ३४४

जाति, २२५  
 जाहू, ३८  
 जामदग्न्य, ३८  
 जित्त, २८५  
 जिन्दावस्था, २८१, २८३, २८५, २८७  
 जिरह, १६६  
 जीयस, ३०४  
 जीवनमुक्त, २८८  
 जुपीटर, ३०१, ३०९  
 जुर्माना, २०४  
 जुलाहा, २१९  
 जुहोबा, २८८, २८९, ३०१, ३२७  
 जूश्चा, ३५४, २४५  
 जूनो, ३२१, ३२९  
 जूनो लूसिनो, ३२७  
 जूरी, १५१, १५६, १५७, १५८, १५९  
 जूलीयस, ३८८  
 जनेवा, ३३५  
 जेनस, ३१९  
 जेक्रेमेशन, २८८  
 जैनधर्म, १०९  
 जैसोदस, ३८८  
 जोव, ३०४  
 जोराप्त्र, २८२,  
 जोहरी, २१९  
 ज्या, २१९  
 ज्योतिष, ५४  
 ज्योतिषी, २०७, २०८  
 ज्वाइएट स्टॉक कम्पनी, २२३

**ट**

टायर, १३  
 टीकूह का ग्रोसेन, २८३  
 टिमोथस, ३०८  
 टेजपी, ३३७  
 टेनैस, १०४

टोइज्म, २५८  
 टोना, ३९  
 टौड, २७९  
 द्रावव, ४४  
 द्राय, ३०३ ३०४, ३०५

**ड**

डाकूर, २०८  
 डायोडोरस, ३३०  
 डायोनिसस, ३२३  
 डायोनिशिया, ३२३  
 डेगिरनेस, ३३५  
 डेरोक्त्रियन, १०५  
 ड्रिल, १२

**त**

तत्त्व, १६८  
 तन्त्रपाल, ६०  
 तन्त्री, २१९  
 तम्बू, २१९  
 तलवार, १८७, १८०, २१९  
 तलाक, ३५०  
 तस्कर, १५१, १६७, १८८  
 तस्कर संघ, १५२  
 तस्कराहित, १८७, १८८  
 तक्षक ९७  
 तक्षशिला, ८७ ९७, १०२, १०९  
 ताअ्प्रो, २८०, २८८, २०७, २७५  
 ताड़का ३०५  
 तान्त्रिक, २४८  
 तान्त्रिक सम्प्रदाय, ४७  
 ताम्र पत्र, ७३  
 ताम्रलिप, ३०  
 तारतार, २७९  
 ताली, २७६  
 तिब्बत, २७८

ती-मोङ्गेग, २७८

तुरगीगण, १९१

तुर्वसु, २१

तुषार, २७७

तौप १८६, १८८, १८९, १९१, १९२

तोपची, २१५

तोल, २३३

त्वाफन, २७८

### थ

थेराप्यूट्स, २८८, २८९

थेशाङ्ग २६६

थोङ्ग, ३४८

### द

दण्ड, ४०, १९७

दस्तक, १२७

दण्डधर, ४० ३१५

दण्डनीति, २०, ११४

दत्तात्रेय, १७६

दमयन्ती, १८७

दरद, ८३

दर्शक योग्य नियम २८

दर्शन २७१

दर्शनी, २८४

दशार्ण ७४

दशार्ह, ७५

दलाल, ७३, २७८

दहेज, ३७

दक्षिण कोशल ८६,

दण्णिमपाञ्चाल, १०८

दान, १९२

दानपल, २४२

दाम, २२९, २३०

दामोदर, १०१

दाराध्यक्ष, ५२

दास, ३६८, २८४, ३२८

दासी, ३७

दास प्रथा, ५१

दिल्ली, ५

दीर्घ वेणु, ६३

दुःखद, १८८

दुर्गा, ३२२

दुर्गनिर्माण, ८

दुर्योधन, १६, ३७, ६४, १४८

दूत, १३२, १३३, १३४, २१४

देवता, ११५

देवमन्दिर, १४४, २४८

देवयानी, २१

देवादी, २३

देशभाषा, २४१

दैत्य, ११५

दैविक, १६८

दैवी साक्षी, १७२

दौवारिक, १४८

द्राविड़, ३०, ७५, २७३

द्राविड़ियन, २८४

दुपद, ३५, ७४

दुस्तु, २१

द्रोण, ४५, १७७

द्वारक, १०८

द्रौपदी, ५

द्वैधीभाव, १५५, १९१, १९२

द्वैराज्य शासन पद्धति, ८३

### ध

धनद, २७३

धनुर्वेद, ५८, ५९

धनुष, २१९

धम्मपद, २७६

धर्म, २३२, २४५

धर्मयुद्ध, १८४, १८५

धर्मसचिव, १३२

धर्मचार्य, ३५४  
धर्माधिकरण, १५८, १६०  
धर्मसिन, १५८  
धृतराष्ट्र, ५२, ५३, ५८  
धृष्णुकेतु, ७४, ८८  
धृष्टद्युम्न, ७४

**ल**

नकुल, ५७, ५८  
नगरसंघ, २८५  
नट, ३५०, ३६०  
नन्दी, ३५०  
नन्दीवर्धन, ९४, ९५  
नमक, २०२  
नमूचि, १८४  
नरवलि, ४७  
नहुप, १२७, २४५  
नक्षत्र, १२४  
नक्षत्र विद्या, ५४  
नाग, ३३५  
नाग कुल, १०२  
नाग पूजा, ३४७  
नागरिक, ३२  
नाचने वाले, २१८  
नाटक, ७३  
नातातक, ८८  
नामकरण संस्कार, ३२७  
नारद, ५, ५८, ७८, ७९, ८१  
नाराशंसी, २८४  
नारायणाक्ष, ९  
नालाक्ष, १८९  
नालिकाक्ष, ६, ८, १८७  
निच्छु, ९८  
निधि, १८७  
नियमित राजतन्त्र, १५०  
नियमित राज सत्ता, १५०  
नियासक सभा, २४  
नियोग, ४१, ४३, ४४, ३००  
निरामिष भोजन, ३४७

निरामित्र, ९१  
निरीक्षक, १४२  
निरुक्त, ८४८  
निर्णयक विभाग, १३०  
निर्वात कर, २०४  
निर्वृत्ति, ९७  
निष्काम कर्म, २८८  
नीग्रो, ३४३, ३६४, ३४५, ३४७, ३४९  
नीनन, १०४  
नील, १८८  
नुरिस्तरन, २८४  
द्वैपचून, ३०९  
नैल, १०४  
नैषध, १९६  
नोनस, ३८३  
नोशियन, ३१४  
न्योफा, ३४७  
न्यायविभाग, १५४  
न्याय ठगवस्था, १५४, १७५  
न्याय सचिव, १३२  
न्याय सभा, १५५, १६१  
न्यायाधिकारी, १६०  
न्यायाधीश, १३२, १४१, १४५, १६५, १६७,  
१६८, १७०, १७२, २२२  
न्यायाध्यक्ष; ५७  
न्यायालय, ५७, १५८, १५९, १६१, १६२, २४२,  
२४३  
न्यूमिना, ३२८  
**प**  
प-ई-इव, २७८  
पठन्वर, ८२  
पटीश १८०  
पञ्चतन्त्र, ११४, ११७  
पञ्चनद, ७६  
पञ्चमूत, ३१७  
पञ्चाख, १२५, ८८२  
परिष्ठित, १३३, १३४, १३६, २१४  
परिष्ठितामात्य, १३१  
पद्मासन, २८८

- पद्म, २८६  
 परन्तप, १०७  
 परपुरज्जय, ८८  
 परगुराम, ४३  
 पराशर, ११४  
 परिवारक, २३८  
 परीक्षित, ९६  
 पर्णीग्रस, ३२३  
 पर्वत, १२२  
 पल्लव, २७३, २७७  
 पल्हन, २८८  
 पवित्र अंगीठी ३१३  
 पगुकर, २०१  
 पशुपति, ४७  
 पशुबलि, ४७  
 पगुशाला, २३८  
 परस्मीय एशिया, २८४, २८५  
 परस्मीयमगध, ७५  
 पहस्ती, २८२  
 पाकगाला, २३८  
 पाञ्चाल, ७४, ८८, ८८, १०८, १०८  
 पाटला पुत्र, १०२  
 पाण्डु, ४३, ४४  
 पाण्ड्य, ३०, ८८, ७५  
 पारचंद्र ७४, ८७, ८१, ८८  
 पाताल देश, ३३५, ३४०  
 पानागार, ३३८  
 पारा, ५८०  
 पारक, ८८  
 पारद, २७३  
 पार्जिटर, ७३, ९७  
 पार्वती, ३०२  
 पालक, ९४  
 पासी, २८१  
 पासीक, २८२  
 पिङ्गला २६८  
 पिञ्चार, ३५१  
 पिपीलक, ८३  
 पिष्ठपलीघन, ११०  
 पिरामिड, ३५१  
 पिंगाच विवाह, ३७  
 पुष्कुराती, १०८  
 पुण्ड्र, ७३, ८७  
 पुनर्जन्म, २६६, ३११  
 पुराण, ८, ८८, २४१  
 पुरी, ३४५  
 पुष, ७१, ८०  
 पुरुषो, २७८  
 पुरोधा, १३३  
 पुरोहित, ८०, ८७, १३० १३३, १४८, १४९  
           २१५, २१८, २४२, ३२४, ३२८, ३५५  
 पुस्तक, ८३, ८४  
 पुलिन्द १०३,  
 पुष्यमित्र, ८४  
 पुम्नकालग, २३८  
 पूग, १३१, १५१, २८४  
 पूर्ण सोगी, २६८  
 पूर्णदेव, ८२  
 पूर्णन्नाय १६७  
 पूर्णीय कोशल, ७४  
 पूर्णीय मगध, ७६  
 पूर्णीयसंघ, १८५  
 पूर्णक, १०८  
 पूर्णियी ३८०  
 पैन्शन, २१२  
 पेरिस ३०३, ३०४, ३०५  
 पेह-इव, २७८  
 पैथागोरम, ३१०, ३१२, ३१७  
 पैथागोरियन, २८८  
 पैवला ३३७  
 पैलस्टाइन, २८८  
 पैगाची २४८  
 पोटलि १०८  
 पोसी, ३८०  
 पोलीस, १३१, १५७, १८१, १८८  
 पोलीहिस्टर २८३, ३८०  
 पौरद्व ८३, ८४, २७७  
 पौराणिक २०८

- पौरव, १०२  
 पौरवंश, ९९  
 पौलसत्य, ३४१  
 च्याज, ४०  
 प्रोटे, ३०३  
 प्रजातन्त्र राज्य, ८१, ८५, १०८  
 प्रजापति, ३२४  
 प्रजासत्तांत्मक राज्य, १८  
 प्रदक्षिणा, २३, ५२  
 प्रतिनिधि, १८, १३२, १३३, १३५, १६८, २१४,  
     २१५  
 प्रतिमानिर्माण, २४६  
 प्रतिवादी, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७  
 प्रतिक्रा, १८  
 प्रतिक्रापत्र, १६५  
 प्रतीय, २३  
 प्रत्यर्थी, १५८, १६१, १६३, १६७  
 प्रत्यवस्कन्दन, १६७  
 प्रदीप, १३  
 प्रद्यम्न, ७८  
 प्रद्योत, ९३, ९४, ९८, १०७  
 प्रद्योतवंश, ९३, १०२  
 प्रदर्शनी, २६  
 प्रधान, १३१, १३३, १३४, १३५, १४८, २१४,  
     २१५  
 प्रधानामात्य, १३३, १३४, १४८, १४९  
 प्रलय, ३५१  
 प्रश्नोपनिषद्, २५८  
 प्रसादपत्र, २४२  
 प्रसेनजित, १००, १०७  
 प्रस्थ, २३४  
 प्रज्ञानपत्र, २४२  
 प्राग्वौदुकाल, १०७  
 प्राग्ज्योतिष, ७६, ८७  
 प्राङ्ग्विवाक, १३२, १३३, १३४, १३६, १५४,  
     १५७, १५८, २१४  
 प्राणायाम, २६७, २८६, २७५  
 प्रार्थना, ३५०  
 प्रिन्स, ३८८  
 पेट्री, ३५४  
 प्रेस्कौट, ३३८, ३३९, ३४२  
 प्लूटार्च, ३०९, ३२२  
 प्लूटो, ३०९, ३१५  
 प्लेटो, ३०२, ३११, ३१२, ३१४, ३२०  
 प्लॉ  
 पद्मारा, २३८  
 फाड़नै, ३३५  
 फाड़तना, ३३५  
 फिजिशिया, १०४, १०५  
 फोरम, ३२६  
 फौज, १८१  
 फ्रॉस, १८६  
 ख  
 वंगाल, १२१  
 वज, ३५१  
 वजट, १८७, २०७  
 वजाने वाले, २१८  
 वड्डी, १२१, २२५  
 वन्दूक, १८६, १८७, १८८, १८९, १९१, १९२  
 वभ्र, ८०, ८२  
 वद्धी, १८७  
 वर्वर देश, ३०, २२७  
 वल, ७७  
 वलभद्र, १०१  
 वलराम, ६८  
 वलि, ४३, ३८८  
 वलिदान, २६३  
 वलिक्रिया, ३२७  
 वलिवैश्वदेवयन्न, ३२७  
 वहुतायत, ३२१  
 वहुविवाह, ५, ३५, ३७  
 वहुरूप, ११५  
 वाइबल, २८२, ३०१, ३३७  
 वाण, १९०, १९३, २१९  
 वारुद, १७५, १८६, १८७, १८८, १९२, २१९

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धारा, २४६<br>धारी, १८४<br>धार्मीकि, ३०२, ३०५, ३२३<br>धारियाह, ४१<br>धार्लीक, २३, ७६, ८३<br>धारुदरड, १०५<br>धारुदन्तक, ११५<br>धार्द्रय, ५० ८१<br>धार्हस्पत्य दशठनीतिशास्त्र, ११५<br>धिम्बिसार, ८५ १०७, १०८, १०९<br>धीयी, ६<br>धुह ८५, ८८, १०२, १०७, १०८ १०९ ११०,<br>११३, १२०, १४५, २७७, २७८, २८०<br>धुदनचत, २७८<br>धुन्डेलखट, १०८<br>धुली, १०९<br>धृत्यार्थ, ५१<br>धृद्रय, ८४,<br>धृद्वल, ७६, १००<br>धूम, ३८१<br>धैक मैन, १८६<br>धैवत का दुर्ज, ३३८<br>धैविद्रय १०५, १०८<br>धैविनीन, १०४, ५८२<br>धैष, ३१६<br>धैषी, ८८०<br>धोडिन, १८७<br>धोध, ८२<br>धूमा, ३०८<br>धूमचर्य, २४८, २५२, ३४९<br>धूमय, २८४<br>धूमयिता, २७५<br>धूम्य, २४८, २४९, २६४, ११८, ११९, १२१,<br>२७७, २८४, २८४, २८५, २८६, ३२६,<br>३५४<br>धूम्य ग्रन्थ, २६३, २६४, २८७<br>धूमदत्त, १०८<br>धूमप्रधायनि, २५८<br>धूम हत्या, ४८ | <b>भ</b><br>भग, १०८, २८४<br>भगदत्त, ७६, ८४, ८०, २७८<br>भण्डार, २६८<br>भद्र, १७८<br>भद्रा, ५४<br>भद्रकार, ८५<br>भवन, २३७<br>भवन निर्माण, २३८<br>भवानी, ३२२, ३२३<br>भवयाभव्य, ५३<br>भाग, १८७<br>भाग पञ्च, २४२<br>भाग्यत पुराण, ६०, ३२०, ३२२, ३३७<br>भारद्वाज, ५७<br>भारत, २५७, ३६२<br>भार्गव, १८६<br>भाला, १८०, १८१<br>भित्ता, २४८<br>भीष, २१७<br>भीम, १७७<br>भीम्म, ७८, ८५, ११७<br>भीम्मक, ८७, ८९<br>भीम्मपर्य, ५५<br>भृगु, ५७, ३२१<br>भृगुपुत्र, ११४<br>भुक्ति, १६८<br>भूण, ११६<br>भूणहा, ११८<br>भृति, २०४<br>भृत्य, २११<br>भोज, १८, ७५, ८०, ८८<br>भोजनालय, २३८<br>भौतिक पन्थ, २४२<br>भौतिक सभ्यता, २६३<br><br><b>स</b><br>साध, ८४, ८५, ८७, ८८, १०२, १०८<br>साध के राजपंथ, ५० |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- मगध के राज्य, ५०६  
 मकरबूह, १८२  
 मखौलिया, २१९  
 मघामध, १५४  
 मङ्गोलिया, २७८  
 मजदूर, ३५४  
 मजदा, २८१  
 मर्डी, १८८, २०१, २२७, २२८  
 मत्स्य,  
 मत्स्य देश, ६४, ७४, १०८, ३३७  
 मत्स्य पुराण, ५०, ३२०  
 मत्स्य राज, ७४  
 मथुरा, १०८  
 मदन, १८७  
 मद्यन्ती, ४३  
 मद्रक, २७७  
 मद्रदेश, ४२, ७६६  
 मद्रास, १२१  
 मध्य, २११  
 मधुपर्क ३२५  
 मध्यदेश, ७४, ७६६, ८४, ८६  
 मध्यभारत, ७७, ८४  
 मध्यम वेन्न, २११  
 मध्यस्थ, १५१  
 मनु, ४३, ११४, २३४, २४८, २५७, २७६, ३०८  
     ३०६, ३२५  
 मनुस्मृति, १८६ २५७, २७६, २७८, २८८  
 मन्द, २११  
 मन्दिर, २०१, २८२  
 मन्द्र, १७८  
 मन्मथातुर, ६४  
 मन्त्रचिन्तन, २८  
 मन्त्रसूत्र, ५८  
 मन्त्रज्ञान, २८५  
 मन्त्री, १३१, १३३, १३४, १४५, १४७, १८०,  
     १८०, २१४, २७०  
 मन्त्रपंरिषद्, १३१, १४७, १४८, २३८  
 मन्त्रमशहल, १२८, १३०, १३१, १३२, १८२  
 मन्त्रसभा, २७८  
 मय, ६५  
 मरकच्छ, ६६  
 मझ, १०९  
 मशीन, १८७  
 मसाई, ३४९  
 महाचीन, २७३  
 महाजन, २०१, २२४  
 महादेव, ३१६  
 महापञ्चनन्द, १०२  
 महादल, ९१  
 महाबृ, २८५  
 महाभारत, ( सम्पूर्ण पुस्तक में प्रायः )  
 महाभारतकाल, ८३, ९१, ९३, ९९, ११४  
 महाभारतयुद्ध, ८३, ८८, ९०, ९१, ९६, १००  
 महाराज, १८६  
 महाराष्ट्र, १२१  
 महावीर, १०८  
 महेश, ३०९  
 माएडलिक राजा, १८४  
 मात, ३५२, ३५६  
 मातङ्ग, २४८  
 माद्री, ५७, ६४  
 माधव, ७५  
 मानव धर्मशास्त्र, ११६  
 मानव सम्प्रदाय, ३०६  
 मानुष्य, १८८  
 मानुषी साक्षी, १७२  
 मान्धाता, २५  
 मार्ग, २२६  
 मार्जीरि, ९०, ९१, ९३  
 मार्जीरिलीय, ९०  
 मार्शल, १८७, २८८  
 मार्स, ३०४  
 मालव, ७७, ८३  
 मालावार, २८५  
 माली, ३४१  
 माल्यवान, ३४१  
 माहिषमक, ७७  
 माहिषती, ४०  
 मिह्नवंश, २७८  
 मिचाकेन, ३३७

## शदानुक्रमणिका ।

मित्र, २८४  
 मिथिला, १०२, १०९  
 मिश्र, २८६  
 मित्रिसैन, ३२२  
 मिनर्वी, ३०४, ३२२  
 मिनौस, ३०६  
 मिन्डगुमरी, २८२  
 मिल, १४६  
 मिश्र, १७८, २८३, २५१, ३५५  
 मिश्रबन्धु, ७३  
 मिश्रोसाहित्य, ३५३  
 मुकुन्द, ८४  
 मुख्तन संस्कार, ३४५  
 मुण्डकोपनिषद्, २८८  
 मुहूर्दि, १५९  
 मुहालह, १५८  
 मुद्रा, १४७, १६२, १७०, २३४, २४३  
 मुद्राङ्कित, २४३  
 मुद्रापट्टि, २०५, २०७  
 मुद्रापत्र, १७०  
 मुनाफ़ा, २२७  
 मुसलमान, १८३, १८६  
 मूर्जक, ८४  
 मूल्य, २२७, २२८, २३०  
 मूसा, ३००, ३२३  
 मृग, १७८  
 मृगशाला, २३८  
 मृजूक, ८४  
 मृतक संस्कार, ३४६  
 मृतसागर, २८८  
 मेकल, ७६  
 मेखला, २८१  
 मेकिनकल, २८५  
 मैक्समूलर, २७५  
 मैक्सिको, ३३६  
 मैगस्थनीज़, ८३  
 मैत्र, १७६  
 मैतत्वार्दि, २७८  
 मैतीलस, ३०३, ३०४, ३०५  
 मैसोपोटामिया, २८४

मैसरिक हीलिङ्ग, ५६  
 मोचेज़, २९१  
 मोजिकाल, २८५  
 मोरिय, ११०  
 मोलान, ३००  
 मो-ली-ची, २७८  
 मोशिये पोथियक, ३३५  
 मोहन जोदडो, २८२, २८४, २८६  
 मोहर, १६१  
 मौज़, २७८  
 मौज़ कू-तू, २७८  
 मौज़ कू-फू, २७८  
 मौज़ कू-तव, २७८  
 मौज़ कू-सीत, २७८  
 मौज़ कू-सू, २७८  
 मौज़ कू-सौव, २७८  
 मौज़ कू-सङ्घ, ४७८  
 मौज़ श्री, २७८  
 मौयेकाल, ३१८  
 मौल, १७६  
 मूलेच्छ, २७७  
 मूलेश्वराचार्य, १६

## य

यद्धचैत्रफू, २७८  
 यजुर्वेद, २५२, २६७, ३८८, ३२४  
 यदु, २१, २२, ४०  
 यज्ञीस, २७८  
 यम, ३१५  
 यम की तुला, ३५६  
 यमुना, १०८  
 यथाति, २१, २२, ११४  
 यवन, ३०, २५०, २७३, २७७  
 यवन मत, १४१, १४२  
 यहू, २८८  
 यत्र, २६३, २६४  
 यज्ञ पात्र, ३५६  
 यज्ञाग्नि, ३४८, ३४९  
 यज्ञोपवीत, २८१  
 यादव, ७७, ८२, ११४

- याज्ञवल्क, ३२५  
 यान, ११५, १०७  
 यान्त्रिकाल्प, १८७  
 यामा, २८५  
 यास्ता, ५८३  
 यांगत्साई, २७८  
 युक्त प्रान्त, १२१  
 युधिष्ठिर, ६, ३५, ३६, ४६, ५६, ६०, ६१, ६५, ६९  
 युहु नीति, १५७, १०१  
 युद्ध विभाग के डाक्टर, ६  
 युद्ध सचिव, १३१, १५५  
 युद्ध संस्थानी, ७, ८, ८६, ८८, ९६, १०८, २७८, ३२८  
 युध्यधान, ७५  
 युवराज, १८८, १३०, १४२, २१४, २१५  
 यूनान, ३०१ से ३१६  
 यूनन, २७८  
 यूरोप, ३०, २८८  
 यूसेवियस, ३०७, ३६७  
 योग, २८७, २७५, २८६, ३१७  
 योधीय, ८३
- R**
- रघुनन्दन, २७३  
 रथ, २१६, २७७  
 रथ सूल, ५८  
 रा, ३५२, ३५५, ३६६  
 राजकीय पत्र, २४२  
 राजकीय सेना, २१७  
 राजगृह, ८५, १०७, १०८  
 राजतरङ्गिनी, १६, १०१, १०२, १२२  
 राजधानी, २७, २३६  
 राज दूत, ११  
 राजपुर, १६  
 राजपुरुष, १५७  
 राजमार्ग, २२६  
 राजवंश, ८४  
 राजसभा भवन, २३७, २३८  
 राजसूय, यज्ञ द३, ८६  
 राज्यविन्द, २६
- राज्याधिकारी, १६५  
 राज्याभियेक, २६  
 राम १२८, १८८, ३०२, ३०५, ३२३, ३४०  
 रामगांव, ११०  
 रामायण, २५४, २५७, ३०२, ३०५, ३२३, ३४०-३४१  
 राय चौधरी, ७३  
 रावण, १२७, २४५, ३०३, ३०४, ३०५  
 रावी, २९३  
 राष्ट्रीय आय, १०७  
 राष्ट्रीय व्यय, २०८  
 राजस, ५, ७४  
 राजस विवाह, ३७  
 रिचर्ड गार्व, ३१०  
 रिपुञ्ज्य, ८२, ८४  
 रक्षणी, ३७  
 रूसेल, ३५४  
 रेचक, ७७  
 रैवतक, ६९  
 रोजिस्तरन, २८५  
 रोदन गृह, ४३८  
 रोम, ३१६, ३२६, ३२८  
 रोमक, ३०  
 रोहिणी, ५४  
 रंगशाला, ४५
- L**
- लघ, १०२  
 लक्ष्मी, ३२१  
 लक्ष्मण, ३०७, ३०९  
 लावर्न, ३१६  
 लासेन, ३५६  
 लिखित, १६०, १७०  
 लिङ्गु, २६७  
 ली अम, ३७८  
 लेपेज, ३६०  
 लेखक, १५८, १५९, २३८  
 लेख पत्र, १४१, १५७, १८०, २१३, २१४, ३२३  
 लेखा, २१५  
 लेगे, २६३, २६५  
 लेन्सिटल, २८०

